पंचदश माला, खंड 29, अंक 3

सोमवार, 26 नवम्बर, 2012
5 अग्रहायण, 1934 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र

(पंद्रहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 87
Dated 20 July 2015

(खंड 29 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

राकेश कुमार जैन
संयुक्त सचिव

सरिता नागपाल
निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

राजीव शर्मा
सम्पादक

कीर्ति यादव
सहायक सम्पादक

© 2012 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 29, बारहवां सत्र, 2012/1934 (शक)]

अंक 3, सोमवार, 26 नवम्बर, 2012/5 अग्रहायण, 1934 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
दिनांक 26 नवम्बर, 2008 को मुम्बई में हुए आतंकी हमले की चौथी वर्षगांठ	1-2
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 41 से 60	2-93
अतारांकित प्रश्न संख्या 461 से 690	93-738
सभा पटल पर रखे गए पत्र	739-43
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
22वें से 25वां प्रतिवेदन	743-44
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति	
231वां प्रतिवेदन	744
दूरसंचार लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के आबंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित विषयों की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव	744-45
समितियों के लिए निर्वाचन	
(एक) प्राक्कलन समिति	745-46
(दो) लोक लेखा समिति	746
(तीन) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	746-47
(चार) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	747-48
नाविकों के राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव	748

*सभा की कार्यवाही में निरंतर व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तरों के लिए नहीं लिया जा सका। अत: ये तारांकित प्रश्न अतारांकित प्रश्न माने गए।

विषय	कॉलम

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) देश में नारियल उत्पादकों के समक्ष आ रही समस्याओं का निवारण किए जाने की आवश्यकता

श्री पी.टी. थॉमस 749

(दो) आंध्र प्रदेश में धान की खरीद करने वाले महिला स्व-सहायता समूहों को तकनीकी सहायता और सलाह दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी 749-50

(तीन) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवकों को बैंकों द्वारा दिए जा रहे ऋण की संस्वीकृति की प्रक्रिया को सरल बनाए जाने की आवश्यकता

श्री इज्यराज सिंह 750-51

(चार) केरल के कन्नूर जिले में रसोई गैस विस्फोट में मारे गए और इससे प्रभावित हुए लोगों के निकट संबंधियों को मुआवजे का भुगतान करने हेतु आईओसीएल को निदेश दिए जाने तथा घनी आबादी वाले क्षेत्रों से होकर जाने वाली रसोई गैस की सुरक्षित ढुलाई सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री के. सुधाकरण 751-52

(पांच) एयर इंडिया एक्सप्रेस के निगमित कार्यालय को मुम्बई से कोच्चि स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता

श्री एंटो एंटोनी 752

(छह) देश के नारियल उत्पादकों के समक्ष आ रही समस्याओं के निवारण हेतु नारियल उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन 752-53

(सात) वर्तमान मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर "कामराज मध्याह्न भोजन योजना" रखे जाने की आवश्यकता

श्री मानिक टैगोर 753-54

विषय कॉलम

(आठ) साबरकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास हेतु पुराने रेलवे स्टेशनों को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण 754-55

(नौ) उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित गोरखपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

योगी आदित्यनाथ 755

(दस) आयरलैंड के अस्पताल में चिकित्सकों की लापरवाही का शिकार हुई भारतीय महिला के निकटतम संबंधियों को मुआवजा दिए जाने तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार दोषियों को सजा दिए जाने हेतु भी कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती ऊषा वर्मा 755-56

(ग्यारह) फतेहपुर सीकरी और ताजगंज की जर्जर इमारतों और प्राचीन स्मारकों का पुनरुद्धार किये जाने की आवश्यकता

श्रीमती सीमा उपाध्याय 756

(बारह) तमिलनाडु में तमिलनाडु और केरल की सीमा पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के कन्याकुमारी खंड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47ख के नागरकोइल-कावलकिनारु खंड को चार लेन वाला बनाए जाने की प्रक्रिया आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जे. हेलन डेविडसन 757-58

(तेरह) आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में "नीलम" चक्रवात के कारण कपास की फसल को हुई क्षति के लिए किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी 758-59

(चौदह) देश में गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए गेहूं का लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री जयंत चौधरी 759-60

(पंद्रह) असम में रंगिया और तेजपुर के बीच रेल सेवाओं को प्रचालनात्मक बनाए जाने तथा रंगिया और मुर्कोसेलीक के बीच आमान परिवर्तन के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री जोसेफ टोप्पो 760

विषय	कॉलम
केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012	760–762
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	763-64
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	763-84
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	785-86
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	785-88

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

सोमवार, 26 नवम्बर, 2012/5 अग्रहायण, 1934 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदया *पीठासीन हुईं*]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

दिनांक 26 नवम्बर, 2008 को मुम्बई में हुए आतंकी हमले की चौथी वर्षगांठ

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : दिनांक 26 नवम्बर, 2008 को मुम्बई में हुए भीषण आतंकी हमले की चौथी वर्षगांठ पर यह सभा उन निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि देती है जिनकी मृत्यु हो गई या जो बुरी तरह घायल हो गये थे।

आज के दिन नवम्बर, 2009 में इस सभा ने आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में एक होने एवं साथ आने का निश्चय किया था। आज हम अपने देश से और विश्व से आतंकवादी ताकतों को उखाड़ फेंकने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर एवं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ एक होने की अपनी धारणा के प्रति पुन: प्रतिज्ञान एवं अपनी प्रतिबद्धता की दृढ़ता को दोहराते हैं।

यह सभा बहादुर सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादी हमलों को विफल करते समय उनके द्वारा दर्शाए गये असाधारण साहस, बहादुरी एवं नि:स्वार्थ सेवा का स्मरण करती है। हम देश की रक्षा करने में उनके बलिदान एवं अथक प्रयास के लिये उनका सम्मान एवं सतकार करते हैं।

यह सभा आतंकवादियों द्वारा किये गये खूनखराबे एवं नरसंहार के पीड़ितों के परिवारों एवं संबंधियों के प्रति पूरी सहानुभूति रखती है। हम उनके दु:खद अंत का स्मरण करते हैं एवं शोक व्यक्त करते हैं।

अब यह सभा इस अवसर पर दु:ख व्यक्त करने के लिए मौन खड़ी रहेगी।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न काल। प्रश्न संख्या 41, श्री एल. राजगोपाल।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.02 बजे

इस समय श्री आधिशंकर, श्री कल्याण बनर्जी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया इसे नीचे करिये। कृपया प्लेकार्ड को नीचे करिये।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप प्लेकार्ड क्यों दिखा रहे हैं, आप इसे नीचे करिये।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.03 बजे

इस समय श्री रमेश राठौड़ आगे आकर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये।

...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

सिर पर मैला ढोना

***41. श्री एल. राजगोपाल :**
श्री के. सुगुमार :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में सिर पर मैला ढोने वाले व्यक्तियों

के लिए चलाई जा रही पुनर्वास योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनसे कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में सिर पर मैला ढोने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधान लाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय को रेल मंत्रालय से यह प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि रेल मंत्रालय को प्रस्तावित विधान के दायरे से बाहर रखा जाए और यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सिर पर मैला ढोने के नये तरीके यथा सीवर मेन होल और सेप्टिक टैंक और सफाई अभी भी प्रचलित है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) सिर पर मैला ढोने वाले व्यक्तियों तथा उनके आश्रितों को वैकल्पिक व्यवसाय अपनाने के लिए राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जनवरी, 2007 में सिर पर मैला ढोने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु स्वरोजगार योजना की शुरूआत की गई थी। इस योजना के मुख्य संघटक कौशल प्रशिक्षण तथा स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता (ऋण तथा सब्सिडी) हैं जिनका ब्यौरा निम्नानुसार हैं:—

(i) एक वर्ष तक की अवधि के लिए 1000 रु. प्रतिमाह के स्टाइपेण्ड के भुगतान के साथ कौशल प्रशिक्षण।

(ii) बैंक द्वारा प्रभारित ब्याज दर तथा इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली ब्याज की दर (4-6% वार्षिक) के अंतर को दूर करने के लिए ब्याज सब्सिडी के प्रावधान के साथ 5 लाख रुपए तक की स्वरोजगार परियोजनाओं के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण।

(iii) 25000 रुपए तक की परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत के 50% तथा 25000 रु. से अधिक की परियोजनाओं के लिए 25% 12500 रु. न्यूनतम तथा 20000 रु. अधिकतम की पूंजीगत सब्सिडी।

इस योजना के अंतर्गत अभी तक 79,454 लाभार्थियों को कवर किया गया है।

(ख) "हाथ से मैला ढोने वाले व्यक्ति के रूप में नियोजन का निषेध तथा उनका पुनर्वास विधेयक 2012" को 3.9.2012 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। इस विधेयक की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) हाथ से मैला ढोने वाले व्यक्ति के रूप में नियोजन का निषेध तथा उनका पुनर्वास विधेयक, 2012 के कार्यक्षेत्र से छूट के लिए रेल मंत्रालय ने कोई विशिष्ट अनुरोध नहीं किया है।

(घ) और (ङ) इस विधेयक में, अन्य बातों के साथ-साथ, सीवरों तथा सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण सफाई के लिए व्यक्तियों को काम पर लगाने का निषेध किया गया है। यह ऐसे व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने वाले यंत्र तथा अन्य सफाई करने वाले उपकरण उपलब्ध कराने तथा सुरक्षा रक्षोपायों को अपनाने के लिए नियोक्ता पर उत्तरदायित्व डालता है।

विवरण

"हाथ से मैला ढोने वाले व्यक्ति के रूप में नियोजन का निषेध तथा उनका पुनर्वास विधेयक 2012" की मुख्य विशेषताएं

(i) अस्वच्छ शौचालयों की परिभाषा एवं इसका निषेध

क. यह विधेयक "अस्वच्छ शौचालय" का निषेध करता है जिसे इस रूप में परिभाषित किया गया है जिससे मानव मल के पूर्ण अपघटन से पहले हाथ से साफ किया जाता है या तो स्व स्थान पर अथवा किसी खुली नाली या गड्डे में साफ किया जाता है।

ख. इस विधेयक के खंड 5 के उपखंड 2 में इस अधिनियम के लागू होने के 9 महीने के भीतर प्रत्येक अस्वच्छ शौचालय को उसके मालिक द्वारा अपनी लागत पर नष्ट करने अथवा परिवर्तित करने का प्रावधान है।

(ii) हाथ से मैला ढोने वाले व्यक्तियों के रूप में नियोजन की परिभाषा और इसका निषेध

यह विधेयक हाथ से मैला ढोने वाले व्यक्तियों के रूप में नियोजन का निषेध करता है तथा हाथ से मैला ढोने वाले व्यक्ति के रूप में मानव मल के पूर्ण अपघटन से पूर्व मानव मल की सफाई, उठाने का कार्य करने, अथवा किसी अन्य ढंग से इसके निपटान, अस्वच्छ शौचालय अथवा खुली नाली

अथवा गड्डे अथवा रेलवे ट्रेक पर अस्वच्छ शौचालय से मानव मल का निपटान करनें के कार्य में व्यक्ति को नियोजित करना....।"

(iii) अस्वच्छ शौचालयों के सर्वेक्षण तथा स्वच्छ सामुदायिक शौचालय उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय प्राधिकरण

विधेयक के अध्याय-II में इस अधिनियम के लागू होने के 9 माह के भीतर पर्याप्त संख्या में स्वच्छ सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का दायित्व स्थानीय प्राधिकरणों पर डाला गया है ताकि अस्वच्छ शौचालयों को नष्ट करने से खुले में शौच जाने की समस्या न बढ़ सके।

(iv) सीवर तथा सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण हाथ से सफाई का निषेध

यह विधेयक में सीवर तथा सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण हाथ से सफाई को परिभाषित तथा इसका निषेध करता है। यह प्रावधान जहां तक संभव हो, ऐसे कर्मियों के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा से संबंधित जोखिम कम करने तथा नियोक्ताओं को अपनी लागत पर उनको आवश्यक सफाई यंत्र तथा सुरक्षा उपकरण प्रदान करने के लिए बाध्य बनाता है।

(v) दण्डात्मक प्रावधान

क. इस विधेयक में अस्वच्छ शौचालयों तथा हाथ से मैला ढोने के निषेध संबंधी प्रावधान के प्रथम बार उल्लंघन करने पर एक वर्ष तक के कारावास या 50000 रुपए तक के जुर्माने अथवा दोनों तथा दूसरी बार एवं उत्तरवर्ती अपराधों के लिए दुगुनी अवधि के कारावास तथा जुर्माने के लिए प्रावधान है।

ख. प्रस्तावित विधेयक में सीवरों तथा सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण सफाई से संबंधित प्रावधान के प्रथम उल्लंघन पर दो वर्ष तक के कारावास अथवा दो लाख रु. तक के जुर्माने अथवा दोनों तथा दूसरी बार और उत्तरवर्ती अपराधों के लिए पांच वर्ष तक के कारावास तथा पांच लाख रु. तक के जुर्माने के लिए प्रावधान है।

ग. **अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होने चाहिए**

विधेयक के खण्ड 22 में प्रावधान है कि इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराध संज्ञेय तथा गैर-जमानती होंगे।

(vi) अपराधों का विचारण

इस विधेयक के खण्ड 21 में प्रावधान है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का विचारण करने के लिए कार्यकारी मेजिस्ट्रेट को न्यायिक मेजिस्ट्रेट की शक्तियां सौंप सकती हैं। अपराधों का विचारण अविलम्ब किया जाए।

(vi. ाथ से मैला ढोने वाले व्यक्तियों की पहचान और उनका पुनर्वास

इस विधेयक के अध्याय-IV में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हाथ से मैला ढोने वाले व्यक्तियों की पहचान हेतु विस्तृत प्रावधान समाविष्ट हैं।

(viii) कार्यान्वियन तंत्र

इस विधेयक के खण्ड 18 तथा 19 में यह व्यवस्था की गई है कि उपयुक्त सरकार अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वियन हेतु स्थानीय प्राधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट को शक्तियां प्रदान करेंगी और यह सुनिश्चित करने के लिए उन्हें ड्यूटी सौंपेगी कि विधेयक के सभी उपबंधों का अनुपालन किया जाए, विशेष रूप से (i) कोई अस्वच्छ शौचालय का निर्माण न करे, (ii) कोई व्यक्ति हाथ से मैला साफ करने के रूप में नियोजित न हो, विधेयक के उपबंधों का अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों की जांच हो और उसे तुरंत सजा मिले, और (iv) हाथ से मैला साफ करने वाले व्यक्तियों का पुनर्वास किया जाए।

(ix) सतर्कता तंत्र

क. इस विधेयक को खण्ड 24 में प्रत्येक जिले अथवा उप-मंडल में एक सतर्कता समिति का गठन डीएम अथवा एमडीएम को अधिनियम का उचित कार्यान्वियन करने; हाथ से मैला साफ करने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास का निरीक्षण करने; अधिनियम के अंतर्गत अपराधों; उनकी जांच एवं अभियोजन की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए की जाने वाले आवश्यक कार्रवाई पर सलाह देने के लिए, करने की व्यवस्था है।

ख. इस विधेयक के खण्ड 26, 27, 29 एवं 30 में राज्य एवं केन्द्रीय निगरानी समितियों के गठन तथा उनकी संरचना एवं कृत्यों के बारे में दिया गया है।

ग. प्रस्तावित विधेयक के खण्ड 31 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करने का कार्य तथा इस प्रयोजनार्थ आवश्यक शक्तियां सौंपी गई हैं। इस विधेयक के खण्ड 32 में इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करने तथा राज्य स्तर पर इसके उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करने के लिए उपयुक्त प्राधिकरण (राज्य सफाई कर्मचारी आयोग अथवा राज्य अनुसूचित जाति आयोग आदि, जैसे) को नामित करने के लिए राज्य सरकार को शक्तियां सौंपना।

(x) सीवरों, सेप्टिक टैंकों आदि की सफाई के लिए प्रौद्योगिकीय उपकरणों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय प्राधिकरणों तथा उपयुक्त सरकारों की ड्यूटी

इस विधेयक के खण्ड 33 में सीवरों तथा सेप्टिक टैंकों की सफाई में मानव मल की व्यक्तियों द्वारा सफाई की जरूरत को समाप्त करने के लिए इस संबंध में ड्यूटी सौंपी गई है।

7-8

पेड़ों की कटाई पर रोक

***42. श्री मानिक टैगोर :**
श्री कामेश्वर बैठा :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के विकास हेतु कोई अनुमति प्राप्त किए बिना पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं हेतु राज्य-वार कितने पेड़ों की कटाई की गई;

(ग) क्या पेड़ों की ऐसी कटाई से पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव देखा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के विकास हेतु अपेक्षित अनुमति प्राप्त किए बिना पेड़ों की कटाई को रोकना वहां लागू कानून के अनुसार संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों की जिम्मेदारी है। पेड़ों की ऐसी कटाई के संबंध में सूचना, केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) केन्द्र सरकार, पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के वन विभागों के वन सुरक्षा कार्यतंत्र को सुदृढ़ और अद्यतन करने हेतु विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

[हिन्दी]

8-12

रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

***43. श्री भूदेव चौधरी :**
श्री पोन्नम प्रभाकर :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मल्टी ब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का अंतिम रूप से निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से होने वाले लाभों का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस संबंध में केन्द्र सरकार के निर्णय को लागू नहीं करने का निर्णय लिया है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न हितधारकों के बीच व्यापक सहमति बनाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं और उनके क्या परिणाम रहे?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा प्रेस नोट 5 (2012 शृंखला) द्वारा घोषित

की गई इस नीति में निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है:—

(i) मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत 51 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति होगी।

(ii) विदेशी निवेशक द्वारा एफडीआई के तौर पर लाई जाने वाली न्यूनतम राशि 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर होगी।

(iii) लाए जाने वाले कुल एफडीआई का न्यूनतम 50 प्रतिशत एफडीआई की शुरूआत के तीन वर्ष के भीतर 'बैक एंड बुनियादी सुविधाओं' में निवेश किया जाएगा, जहां 'बैक एंड आधारभूत सुविधाओं' में सभी कार्यकलापों पर पूंजी व्यय शामिल होगा, सिवाए फ्रंट एंड इकाइयों पर किए गए पूंजी व्यय के; उदाहरण के लिए बैक एंड अवसंरचना में शामिल होगा प्रसंस्करण, विनिर्माण, वितरण, डिजाइन विकास, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, भंडारण, वेयरहाउस, कृषि बाजार उत्पाद अवसंरचना आदि पर किया गया निवेश। भूमि की लागत और किरायों पर किया गया व्यय, यदि कोई हो, को बैक एंड आधारभूत प्रयोजनों के लिए नहीं गिना जाएगा।

(iv) विनिर्मित/प्रसंस्कृत उत्पादों की खरीद का न्यूनतम 30 प्रतिशत भारतीय 'लघु उद्योगों' से खरीदा जाएगा, जिनका संयंत्र और मशीनरी में कुल निवेश 1.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक नहीं होगा। यह मूल्य स्थापना के समय के मूल्य को बताता है, जिसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं है। इसके अलावा, यदि किसी भी समय यह मूल्य पार हो जाता है, तो उद्योग इस प्रयोजन हेतु 'लघु उद्योग' के लिए पात्र नहीं होगा। यह खरीद आवश्यकता पहले वर्ष में खरीदे गए विनिर्मित/प्रसंस्कृत उत्पादों के पांच वर्षों के कुल मूल्य के औसत के रूप में पूरी की जाएगी जो पहली बार एफडीआई प्राप्त होने के वर्ष के एक अप्रैल से शुरू होगी। तत्पश्चात् इसे वार्षिक आधार पर पूरा किया जाएगा।

(v) उपर्युक्त क्रम सं. (i), (iii) और (iv) में दी गई शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी द्वारा स्व-प्रमाणन, जिन्हें आवश्यक होने पर दुबारा जांचा जा सकता है। तद्नुसार, निवेशकों को वैधानिक लेखा-परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित लेखाओं का रखरखाव करना होगा।

(vi) खुदरा व्यापार बिक्री केन्द्र केवल ऐसे शहरों में स्थापित किए जाएं जिनकी जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक हो, और उनमें ऐसे शहरों की नगर पालिका/शहरी सीमाओं के चारों ओर का 10 कि.मी. का क्षेत्र भी शामिल हो सकता है; खुदरा व्यापार स्थल संबंधित शहर के मास्टर/जोनल प्लान के अनुरूप क्षेत्रों तक सीमित होंगे और परिवहन संपर्क तथा पार्किंग जैसी आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा। जिन राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहर नहीं हैं वे उनकी पसंद के शहरों में खुदरा व्यापार विक्रय स्थल खोल सकते हैं विशेष रूप से सबसे बड़े शहर में तथा ऐसे शहर की नगर पालिका/शहरी सीमाओं के चारों ओर का 10 कि.मी. का क्षेत्र भी शामिल हो सकता है। ऐसे खुदरा व्यापार स्थल संबंधित शहर के मास्टर/जोनल प्लान के अनुरूप क्षेत्रों तक समिति होंगे और परिवहन संपर्क तथा पार्किंग जैसी आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा।

(vii) कृषि उत्पादों को खरीदने का प्रथम अधिकार सरकार का होगा।

(viii) नीति केवल सामर्थ्यकारी नीति है तथा राज्य सरकारें/केन्द्र शासित प्रदेश इस नीति को लागू करने के संबंध में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अत: खुदरा बिक्री केन्द्र उन राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में स्थापित किए जाएं जो इस नीति के तहत मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में एफडीआई की अनुमति देने के लिए सहमत हो गए हों या भविष्य में सहमत हों। इससे सहमति प्रकट कर चुके राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। भविष्य में इस नीति के तहत खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने की अनुमति देने के लिए ऐसे करारों की जानकारी औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के जरिए भारत सरकार को दी जाएगी तथा तद्नुसार संलग्न सूची में इन्हें शामिल किया जाएगा। खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना लागू राज्य/केन्द्र शासित राज्यों के कानूनों/विनियमों जैसे शाप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आदि के अनुसार की जाएगी।

(ix) मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार के क्रियाकलापों में शामिल एफडीआई वाली कंपनियों को ई-कामर्स के द्वारा किसी रूप में खुदरा व्यापार की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध पर भारतीय अनुसंधान परिषद् के जरिए सरकार ने "असंगठित क्षेत्र पर संगठित खुदरा व्यापार का प्रभाव" विषय पर एक अध्ययन कराया था, जो 2008 में सरकार को प्रस्तुत किया गया था। आईसीआरआईईआर अध्ययन ने उपभोक्ताओं, किसानों तथा विनिर्माताओं जैसे विभिन्न हितधारकों के लिए संगठित खुदरा व्यापार की वृद्धि से महत्वपूर्ण लाभ का संकेत दिया था। अध्ययन और अन्य देशों के अनुभव के आधार पर, सरकार का यह आकलन है कि नीति के कार्यान्वियन से फ्रंट एंड बैक-एंड अवसंरचना; कृषि मूल्य शृंखला की क्षमता को प्रकट करने के लिए प्रौद्योगिकियों एवं दक्षताओं; अतिरिक्त व गुणवत्तापूर्ण रोजगार; तथा वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं में और अधिक एफडीआई अंतर्वाह को सुविधाप्रद बनाना है। परिणामस्वरूप, गुणवत्ता तथा मूल्य की दृष्टि से दीर्घकाल में उपभोक्ताओं और किसानों के लाभान्वित होने की आशा है। स्थानीय मूल्य वर्धन तथा विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए 30% अनिवार्य खरीद की शर्त को शामिल किया गया है। अधिक एफडीआई अंतर्वाह के परिणामस्वरूप फ्रंट-एंड और बैक-एंड में कार्यकलाप के बढ़े हुए स्तर से शहरी और ग्रामीण युवाओं के लिए अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित होने की आशा है। यह भी आशा है कि मौजूदा व्यापारियों तथा खुदरा बिक्री केन्द्रों को उन्नयन एवं अधिक दक्ष बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जिसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं बेहतर सेवाएं और उन उत्पादकों को बेहतर पारिश्रमिक मिलेगा, जिनसे वे अपने उत्पाद खरीदेंगे।

(घ) बिहार, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने किसानों और छोटे व्यापारियों पर पड़ने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभाव, नौकरी जाने, छोटे खुदरा व्यापारियों के विस्थापन और बहुराष्ट्रीय खुदरा व्यापारियों की एकाधिकार शक्तियों द्वारा परंपरागत आपूर्ति शृंखला के नुकसान के आधार पर इस पर आपत्ति जताई है।

(ङ) मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की अनुमति देने के लिए सरकार द्वारा 24 नवम्बर, 2011 को लिए गए निर्णय का कार्यान्वियन मुख्य हितधारकों के बीच व्यापक सहमति बनाने के लिए स्थगित किया गया था। इस संबंध में व्यापारी संघों; उपभोक्ता संगठनों; किसानों के प्रतिनिधियों तथा संघों; लघु एवं मध्यम उद्यम संघों तथा प्रतिनिधियों; खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के प्रतिनिधियों सहित हितधारकों के साथ परामर्श किया गया। विचार विमर्श में मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में एफडीआई के पक्ष तथा विपक्ष दोनों में विचार प्राप्त हुए। तथापि कुल मिलाकर चर्चाएं पर्याप्त सुरक्षा उपाय अपनाने के अध्यधीन इस नीति के समर्थन की ओर इंगित करती हैं। तद्नुसार नीति में आवश्यक सुरक्षा उपाय शामिल किए गए हैं तथा इससे छोटे व्यापारियों सहित विभिन्न हितधारकों के हितों की रक्षा होने की उम्मीद है। सरकार ने वितरणात्मक कुशलता सुनिश्चित करने तथा यह निश्चित करने के लिए कि व्यापार का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिले, आंतरिक व्यापार सुधारों पर सिफारिशें करने के लिए उच्चस्तरीय समूह के गठन का भी निर्णय किया है।

हितधारकों के साथ परामर्श के दौरान इस मामले में राज्य सरकारों से भी बात की गई है। दिल्ली, मणिपुर, असम, उत्तराखंड, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली ने नीति को समर्थन दिया है। कुछ राज्यों से प्राप्त पत्र दर्शाते हैं कि वे इस मामले पर आगे विचार करना चाहते हैं। चूंकि यह केवल सामर्थ्यकारी नीति है, इसे लागू करने का निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है।

विवरण

रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में 26 नवम्बर, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 43 के भाग (ख) (viii) से संबंधित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सूची

1. आंध्र प्रदेश
2. असम
3. दिल्ली
4. हरियाणा
5. जम्मू और कश्मीर
6. महाराष्ट्र
7. मणिपुर
8. राजस्थान
9. उत्तराखंड
10. दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली (केन्द्र शासित प्रदेश)

कॉम्स.। उद्योग 13 18

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलें

***44. श्री एस. अलागिरी :**
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख के अनुसार, राष्ट्रीय वस्त्र निगम की कार्यरत/रुग्ण/बन्द मिलों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या इस समय राष्ट्रीय वस्त्र निगम की अधिकांश मिलें घाटे में चल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन मिलों ने राज्य-वार और मिल-वार कितना लाभ अर्जित किया अथवा घाटा वहन किया; और

(घ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय वस्त्र निगम की रुग्ण/बंद मिलों को पुनः चालू करने हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड (एनटीसी) द्वारा 23 मिलें सीधे चलाई जा रही हैं और 5 मिलों का प्रबंधन संयुक्त उद्यमों के माध्यम से किया जाता रहा है। आज की तारीख तक 78 अव्यवहार्य रुग्ण मिलें बंद की जा चुकी हैं। इन मिलों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) 23 चालू इकाईयों में से 15 इकाईयों ने अप्रैल-सितम्बर, 2012 की अवधि में नकद लाभ अर्जित किया है। संयुक्त उद्यम के माध्यम से चलाई जा रही 5 मिलें भी निवल लाभ अर्जित कर रही हैं। पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनटीसी की लाभ और हानि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर प्रस्तुत है।

(घ) बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार योजना के अनुसार एनटीसी ने अपनी मिलों का आधुनिकीकरण किया है और आज की तारीख तक आधुनिकीकरण के लिए 1381.51 करोड़ रु. निवेश किए हैं। एनटीसी द्वारा अपनाई गई अन्य पहलों में, अन्य बातों के अलावा, तमिलनाडु राज्य में भारी बिजली कटौती का सामना करने के लिए डीजल जनरेटर सैटों की व्यवस्था करना; श्रमिकों की कमी का सामना करने के लिए महिलाओं की नियुक्ति करना; 19 मिलों के लिए आईएसओ प्रमाणन प्रस्तुत करना; कार्यक्षमता में सुधार करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना आदि शामिल है। अनुमोदित पुनरुद्धार योजना के अनुसार अव्यवहार्य मिलों/इकाईयों को बंद करने के फलस्वरूप 63057 कर्मचारियों ने एमवीआरएस (संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना) ले लिया है और उन्हें 2332 करोड़ रु. की राशि का भुगतान किया गया है।

विवरण-I

बीआईएफआर की सिफारिश के अनुसार बंद/पुनरुद्धार की गई एनटीसी मिलें

क्र. सं.	राज्य	बंद मिलों की संख्या	चालू मिलों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	5	1
2.	असम	1	शून्य
3.	बिहार	2	शून्य
4.	छत्तीसगढ़	1	शून्य
5.	गुजरात	10	1
6.	कर्नाटक	4	1
7.	केरल	शून्य	4
8.	मध्य प्रदेश	4	2
9.	महाराष्ट्र*	21	5
10.	पुदुचेरी	शून्य	1
11.	पंजाब	4	शून्य
12.	राजस्थान	2	1*-एक तकनीकी वस्त्र इकाई के रूप में पुनरुद्धार किया जाना है
13.	तमिलनाडु	5	7
14.	उत्तर प्रदेश	10	शून्य
15.	पश्चिम बंगाल	9	1

*उपर्युक्त के अतिरिक्त महाराष्ट्र राज्य में संयुक्त उद्यम के माध्यम से 5 मिलें कार्य कर रही हैं।

विवरण-II

एनटीसी – मिल-वार एवं राज्य-वार वित्तीय स्थिति तथा आधुनिकीकरण की स्थिति

राज्य-वार मिलों के नाम	नकद लाभ/हानि लाख रु.			एनटीसी द्वारा लिए गए कदमों के आधार पर पुनरुद्धार की स्थिति
	2010-11	2011-12	अप्रैल-सितम्बर, 12	
1	2	3	4	5
केरल				
अलगप्पा	20.84	-297.06	98.22	आधुनिकीकृत
कन्नानूर, कन्नानूर	173.17	-306.45	166.82	आधुनिकीकृत
केरल लक्ष्मी	69.94	-509.92	121.51	आधुनिकीकृत
विजयमोहिनी	78.66	-283.23	139.51	आधुनिकीकृत
माहे				
कन्नानूर स्पि. एंड विविंग मिल	-73.40	-566.64	78.48	आधुनिकीकृत
आंध्र प्रदेश				
तिरुपति	-41.33	-391.9	-18.51	आंशिक रूप से आधुनिकीकृत
तमिलनाडु				
कम्बोडिया	137.82	-603.78	39.75	आधुनिकीकृत
रंगविलास	9.33	-967.70	54.7	आधुनिकीकृत
पंकजा	23.97	-756.88	0.46	आधुनिकीकृत
पॉयनियर	9.45	-630.72	-109.68	आधुनिकीकृत
कालीश्वरा 'बी'	164.36	-514.07	44.04	आधुनिकीकृत
कोयम्बटूर मुरूग्न	-390.76	-400.21	-101.2	आधुनिकीकृत
कोयम्बटूर स्पि. एंड विविंग	-346.30	-376.08	-83.12	आंशिक रूप से आधुनिकीकृत

1	2	3	4	5
कर्नाटक				
न्यू मिनर्वा	128.12	-223.03	-23.79	आधुनिकीकृत
महाराष्ट्र				
टाटा	-449.72	-1644.07	-289.3	आधुनिकीकृत
पोद्दार	-247.48	-1025.63	-60.84	आधुनिकीकृत
इंदु नं. 5	-69.83	-807.95	6.16	आधुनिकीकृत
बारशी	148.49	-610.37	18.83	आधुनिकीकृत
फिनलै (अचलपुर)	6.22	-693.66	542.88	आधुनिकीकृत
मध्य प्रदेश				
न्यू भोपाल	-191.13	-686.88	65.79	आधुनिकीकृत
बुरहानपुर पाप्ती	-373.75	-236.16	202.26	आधुनिकीकृत
पश्चिम बंगाल				
आरती	102.66	-73.15	0.43	आधुनिकीकृत
गुजरात				
राजनगर			-65.66	आधुनिकीकृत
समग्र	-1110.67	-12605.54	827.74	

[हिन्दी]

परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति

***45. श्री महेश जोशी :**
श्री ए.टी. नाना पाटील :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में परियोजनाओं अर्थात् सिंचाई बांध, विद्युत, खनन, राजमार्ग और अवसंरचना आदि के लिए पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्तावों और मंत्रालय के पास स्वीकृति हेतु लंबित प्रस्तावों का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इनके लंबित रहने के राज्य/वर्ष और परियोजना-वार क्या कारण हैं तथा ये प्रस्ताव कब से लंबित हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई;

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी परियोजनाएं अस्वीकृत की गई तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में लंबित परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने तथा

ऐसे प्रस्तावों को स्वीकृति हेतु व्यवहार्य नीति बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/रणनीति बनाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) मंत्रालय में पर्यावरण और वन मंजूरी के लिए लंबित परियोजना प्रस्तावों के राज्य-वार ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं। पर्यावरण स्वीकृति के लंबित रहने के कारणों में परियोजना प्रस्तावकों द्वारा अपेक्षित सूचना का प्रस्तुत न किया जाना, वानिकी और वन्यजीव मुद्दे आदि शामिल हैं। वन स्वीकृति के लंबित रहने के कारणों में 100 हैक्टेयर से अधिक वन भूमि वाले मामलों का स्थल निरीक्षण, अपूर्ण प्रस्ताव, संबंधित राज्य सरकारों से सूचना प्राप्त करना आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जिन परियोजना प्रस्तावों के लिए पर्यावरण और वन मंजूरी जारी की गई उनका राज्य-वार ब्यौरा और अस्वीकृति किए गए मामलों की संख्या क्रमशः संलग्न विवरण-III और IV में दी गई है। पर्यावरण स्वीकृति के मामलों को अस्वीकृत करने के कारणों में स्थल का अनुपयुक्त होना, अपेक्षित सूचना का प्रस्तुत न किया जाना आदि शामिल हैं। वन स्वीकृति को अस्वीकृत करने का मुख्य आधार अपवर्तित किए जाने हेतु अपेक्षित वन क्षेत्रों की उच्च गुणवत्ता, समृद्ध वन जीवन का समर्थन, जैव-विविधता, वनस्पतिजात एवं प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/खतरे में पड़ी प्रजातियां और अन्यथा उच्च पारिस्थितिकीय मूल्य है।

(ङ) पर्यावरणीय स्वीकृतियों के प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय लेने को सुकर बनाने के लिए, मंत्रालय द्वारा विभिन्न कदम उठाये गए हैं, जिनमें शामिल हैं– (i) लंबित परियोजनाओं की स्थिति का लगातार मॉनीटरन, (ii) विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाओं पर विचार करने के लिए विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) की नियमित और दीर्घ अवधि बैठकों का आयोजन, (iii) परियोजनाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाना तथा (iv) उन्तालीस क्षेत्रों में क्षेत्र विशिष्ट मैन्युअल को प्रतिरूप विचारार्थ विषयों, (टीओआर), जो कि सभी पणधारियों के लाभ के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किये गये हैं, के साथ अंतिम रूप देना। श्रेणी 'ख' परियोजनाओं के पर्यावरण मंजूरी मामलों के निपटान के लिए 25 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में राज्य/संघ शासित स्तर पर पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए) गठित किए गए हैं। जहां तक स्वीकृतियों में तेजी लाने का संबंध है, प्रस्तावों की छानबीन को सुकर बनाने के लिए केन्द्र और राज्य/संघ शासित सरकार दोनों स्तरों पर एक व्यापक संस्थागत कार्यतंत्र स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने अनुमोदन प्राप्त करने के प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय लिये जाने के लिए उपाय किए हैं। जिनमें से प्रमुख हैं:– चार नए क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की प्रक्रिया, जीआईएस आधारित निर्णय सहायता डाटाबेस का सृजन और एक वेब आधारित ऑनलाइन प्रस्ताव मॉनीटरन प्रणाली।

विवरण-I

पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए राज्य-वार लंबित परियोजना प्रस्ताव

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	उद्योग	ताप	नदी घाटी/ जल विद्युत	अवसंरचना/ निर्माण/ सीआरजेड	कोयला खान	कोयला खानों से भिन्न खानें	परमाणु	पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लंबित प्रस्तावों की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	25	1	–	3	–	8	–	37
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	1	–	–	–	1
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	1	–	–	–	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	असम	4	—	—	14	—	—	—	18
5.	बिहार	1	—	—	—	—	—	—	—
6.	चंडीगढ़	1	—	—	—	—	—	—	1
7.	छत्तीसगढ़	1	4	—	—	13	5	—	23
8.	दादरा और नगर हवेली	2	—	—	1	—	—	—	3
9.	दमन और दीव	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	गोवा	—	—	—	—	—	1	—	1
12.	गुजरात	36	3	—	12	—	4	—	49
13.	हरियाणा	1	—	—	2	—	1	1	5
14.	हिमाचल प्रदेश	—	—	4	2	—	6	—	12
15.	जम्मू और कश्मीर	—	—	2	1	—	—	—	3
16.	झारखंड	5	—	—	6	20	17	—	48
17.	कर्नाटक	6	1	2	2	—	4	—	15
18.	केरल	1	—	—	4	—	—	—	5
19.	मध्य प्रदेश	2	3	1	5	4	10	—	25
20.	महाराष्ट्र	10	3	2	21	5	9	—	50
21.	मणिपुर	—	—	1	—	—	—	—	2
22.	मेघालय	1	—	—	—	—	1	—	2
23.	मिजोरम	—	—	—	1	—	—	—	1
24.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	लक्षद्वीप	—	—	—	1	—	—	—	1
26.	पुदुचेरी	—	—	—	1	—	—	—	1
27.	ओडिशा	10	2	—	15	11	27	—	64
28.	पंजाब	6	—	—	5	—	—	—	11
29.	राजस्थान	4	—	—	5	3	35	1	48
30.	सिक्किम	—	—	1	—	—	—	—	1
31.	तमिलनाडु	7	3	—	5	—	2	—	17
32.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—
33.	उत्तराखंड	3	—	2	16	—	7	—	28
34.	उत्तर प्रदेश	3	4	—	8	—	—	—	15
35.	पश्चिम बंगाल	6	—	—	—	—	—	—	6
	कुल	134	24	16	130	56	137	2	499

विवरण-II

अपेक्षित वन भूमि के अपवर्तन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत केन्द्र सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने संबंधी प्रस्ताव

क्र. सं.	राज्य	जल विद्युत	सिंचाई	रेल	सड़क	ताप	ट्रांसमिशन लाइन	पवन ऊर्जा	अन्य	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	1	—	—	—	—	1
2.	आंध्र प्रदेश	—	—	—	3	—	1	1	—	5
3.	अरुणाचल प्रदेश	2	—	—	1	—	—	—	1	4
4.	बिहार	—	—	—	10	—	1	—	—	11

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. छत्तीसगढ़	—	2	1	—	2	2	—	—	7
6. दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—	—	1	—	—	1
7. गुजरात	—	1	1	13	—	5	—	—	20
8. हरियाणा	—	—	2	6	—	7	—	—	15
9. हिमाचल प्रदेश	4	—	1	16	—	1	—	—	22
10. झारखंड	—	—	—	2	—	4	—	—	6
11. कर्नाटक	—	—	—	1	—	—	2	—	3
12. केरल	1	—	—	1	—	—	—	—	2
13. मध्य प्रदेश	—	8	—	1	1	2	3	—	15
14. महाराष्ट्र	—	4	1	1	—	2	1	—	9
15. मणिपुर	1	—	—	1	—	—	—	—	2
16. मिजोरम	1	—	1	—	—	—	—	—	2
17. ओडिशा	1	—	1	—	2	—	—	—	4
18. पंजाब	1	—	—	7	—	4	—	—	12
19. राजस्थान	—	2	—	1	—	—	—	—	3
20. सिक्किम	1	—	—	—	—	—	—	—	1
21. तमिलनाडु	—	1	—	1	1	—	—	—	3
22. उत्तर प्रदेश	—	2	1	19	—	3	—	—	25
23. उत्तराखंड	2	—	—	1	—	1	—	—	4
कुल योग	14	20	9	86	6	34	7	1	177

विवरण-III

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार स्वीकृत/अस्वीकृत परियोजना प्रस्ताव

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13 (अक्तूबर, 2012 तक)	
		स्वीकृत	अस्वीकृत	स्वीकृत	अस्वीकृत	स्वीकृत	अस्वीकृत	स्वीकृत	अस्वीकृत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	91	—	62	—	44	—	38	—
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	3	—	1	—	2	—
3.	अरुणाचल प्रदेश	2	—	3	—	5	—	3	—
4.	असम	16	—	9	—	18	—	21	—
5.	बिहार	7	—	8	—	18	1	4	—
6.	चंडीगढ़	25	—	1	—	—	—	1	—
7.	छत्तीसगढ़	20	—	29	—	23	—	10	—
8.	दादरा और नगर हवेली	—	—	1	—	6	—	1	—
9.	दमन और दीव	5	—	2	—	1	—	1	—
10.	दिल्ली	—	—	1	—	2	—	1	—
11.	गोवा	30	—	8	—	—	—	—	—
12.	गुजरात	163	—	57	—	38	—	28	—
13.	हरियाणा	3	—	3	—	18	—	7	—
14.	हिमाचल प्रदेश	9	—	7	—	6	—	2	—
15.	जम्मू और कश्मीर	4	—	3	—	3	—	2	—
16.	झारखंड	29	—	28	—	32	—	13	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	कर्नाटक	50	—	24	1	24	—	17	—
18.	केरल	6	—	29	—	18	—	12	—
19.	मध्य प्रदेश	34	—	16	—	21	—	19	—
20.	महाराष्ट्र	103	—	46	—	34	1	13	—
21.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—	1	—
22.	मेघालय	4	—	4	—	3	—	1	—
23.	मिजोरम	1	—	—	—	—	—	—	—
24.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	पुदुचेरी	1	—	1	—	2	—	—	—
27.	ओडिशा	55	—	36	—	30	—	33	—
28.	पंजाब	7	—	18	—	17	—	13	2
29.	राजस्थान	48	—	36	—	18	—	18	—
30.	सिक्किम	1	—	1	—	1	—	—	—
31.	तमिलनाडु	28	—	30	—	36	—	25	—
32.	त्रिपुरा	1	—	—	—	—	—	1	—
33.	उत्तराखंड	12	—	5	1	16	—	4	—
34.	उत्तर प्रदेश	12	—	2	—	10	—	27	—
35.	पश्चिम बंगाल	37	—	21	—	19	—	16	—
	अन्य	8	—	2	—	2	—	4	—
	कुल	812	—	496	2	466	2	338	2

विवरण-IV

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमि के अपवर्तन के मामले (राज्य-वार और वर्ष-वार)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2009					2010					2011					2012				
		अनुमोदित		सिद्धांत रूप में		अस्वीकृत	अनुमोदित		सिद्धांत रूप में		अस्वीकृत	अनुमोदित		सिद्धांत रूप में		अस्वीकृत	अनुमोदित		सिद्धांत रूप में		अस्वीकृत
		मामलों की संख्या	अपवर्तित क्षेत्र	मामलों की संख्या	अपवर्तित क्षेत्र	मामलों की संख्या	मामलों की संख्या	अपवर्तित क्षेत्र	मामलों की संख्या	अपवर्तित क्षेत्र	मामलों की संख्या	मामलों की संख्या	अपवर्तित क्षेत्र	मामलों की संख्या	अपवर्तित क्षेत्र	मामलों की संख्या	मामलों की संख्या	अपवर्तित क्षेत्र	मामलों की संख्या	अपवर्तित क्षेत्र	मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	0.186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.225	3	1	1.005	4	15.98	0
2.	आंध्र प्रदेश	24	741.948	12	3,599.65	6	17	4,121.95	10	1,548.68	0	19	905.835	21	1,143.35	1	16	435.454	13	285.249	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	15	1,106.26	2	4.56	0	19	497.23	25	934	0	3	286.465	14	576.929	0	6	424.815	6	1,764.51	0
4.	असम	10	290.67	7	16.315	0	4	210	1	98.25	0	4	4.4	3	2.139	0	2	179.15	0	0	0
5.	बिहार	2	23.09	11	89.849	0	26	659.45	5	114.05	0	16	2,352.40	20	757.108	0	9	48.521	16	288.599	0
6.	चंडीगढ़	0	0	0	0	1	2	0.1	0	0	1	2	0,142	1	0.07	2	1	0.1	0	0	1
7.	छत्तीसगढ़	21	1,233.18	5	444.887	3	19	740.1	12	3,916.34	1	13	2,470.10	8	1,109.21	2	4	1,924.35	9	721.947	1
8.	दादरा और नगर हवेली	2	0.015	0	0	1	5	1.99	0	0	1	5	1.505	4	1.372	1	0	0	4	1.552	1
9.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3.95	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	दिल्ली	0	0	0	0	0	1	0.94	0	0	0	1	2.8	1	13	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
11.	गोवा	13	640.805	0	0	0	6	222.56	2	17.38	2	1	11.1	1	81.4	0	0	0	0	0	0
12.	गुजरात	102	3,171.67	29	119.669	1	93	931.7	41	411.07	0	22	278.406	50	1,528.94	0	19	325.982	49	685.471	0
13.	हरियाणा	137	545.022	56	195.516	0	244	328.93	55	66.4	1	217	140.165	72	31.268	0	120	38.362	79	415.442	1
14.	हिमाचल प्रदेश	69	709.294	12	172.462	3	118	1,228.45	29	48.93	3	87	309.888	75	360.875	2	38	553.181	44	516.097	0
15.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	झारखंड	22	869.892	2	137.066	3	38	3,298.60	20	1,622.23	3	33	1,562.85	11	1,681.19	4	12	1,906.56	24	1,736.26	2
17.	कर्नाटक	23	961.713	8	168.263	6	18	968.67	7	332.91	3	10	49.648	19	184.296	3	11	203.313	10	25.285	11
18.	केरल	5	14.246	1	1	1	2	0.08	2	1.11	1	3	11.582	1	2.064	1	6	0.576	1	4.33	1
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	46	2,296.72	20	1,027.42	5	34	2,053.28	21	644.73	5	38	1,582.61	14	192.037	3	15	1,106.24	20	2,466.53	2
21.	महाराष्ट्र	37	906.913	26	1,784.67	7	44	1,552.57	21	890.8	7	29	632.157	34	710.965	6	23	1,059.12	23	385.2	7
22.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	4	691.79	0	0	0	1	223.5	0	0	0	1	135.82	0
23.	मेघालय	3	4.874	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.161	1	7.28	0	2	230.605	0	0	0
24.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	253.383	0	0	0	1	384.031	0
25.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	ओडिशा	20	3,315.83	5	429.453	0	11	910.35	9	1,766.70	2	15	1,143.10	13	2,678.65	0	6	442.068	11	1,360.52	0
27.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
28.	पंजाब	119	56,246.68	54	30.464	5	196	250.17	48	84.92	1	149	123.102	147	71.85	4	57	431.208	48	139.112	1
29.	राजस्थान	40	715.447	16	91.42	1	25	1,827.24	7	813.07	0	16	114.049	21	1,014.95	2	5	30.741	5	74.696	0
30.	सिक्किम	16	730.117	8	43.156	0	3	143.22	8	242,01	0	16	20.143	9	83.449	0	0	0	0	0	0
31.	तमिलनाडु	14	15.815	7	9.762	3	13	27.74	5	405.46	1	7	21.931	6	3.136	2	5	39.87	5	2.353	1
32.	त्रिपुरा	19	24.853	1	0.085	0	15	19.85	0	0	0	10	24.581	3	11.628	0	1	3.298	1	34	0
33.	उत्तर प्रदेश	72	308.606	14	53.481	2	67	396.01	40	32.99	1	135	246.124	56	82.395	1	30	328.122	19	583.544	2
34.	उत्तराखंड	399	2,863.25	43	160.365	43	344	1,243.04	91	546.28	48	119	367.672	117	1,621.35	27	53	214.155	21	111.916	15
35.	पश्चिम बंगाल	6	21,808	0	0	0	9	190.48	1	0.17	0	9	52.198	3	14.967	1	2	14 068	2	5.85	0
	कुल	1238	77,758.89	339	8,580.50	91	1373	21,824.70	464	15,230.26	81	982	12,719.07	730	14,442.97	65	444	9,940.86	416	12,144.30	46

[अनुवाद]

अति विशिष्ट व्यक्तियों के उपयोग हेतु हेलीकॉप्टरों की खरीद

***46. शेख सैदुल हक :**
श्री एस.आर. जेयदुरई :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अति विशिष्ट व्यक्तियों के उपयोग हेतु 12 हेलीकॉप्टर खरीदने के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसमें भारतीयों को कथित रिश्वत दिए जाने की रिपोर्टें सरकार की जानकारी में आई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले की किसी जांच के आदेश दिए हैं और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे तथा इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) रक्षा सौदों में बिचौलियों की मौजूदगी के क्या कारण हैं और इस प्रथा को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ङ) रक्षा मंत्रालय ने 556.262 मिलियन यूरो की कुल लागत पर 12 हेलीकॉप्टरों (आठ वीवीआईपी रूपांतर तथा चार गैर-वीवीआईपी रूपांतर) की अधिप्राप्ति के लिए मै. अगस्ता वेस्टलैंड, यू.के. के साथ 08 फरवरी, 2010 को एक संविदा पर हस्ताक्षर किए। इनकी सुपुर्दगियां जनवरी से जुलाई, 2013 के बीच किए जाने का कार्यक्रम है।

फरवरी, 2012 से भारतीय तथा विदेशी, दोनों, मीडिया की कई रिपोर्टों के माध्यम से रक्षा मंत्रालय की जानकारी में आया है कि इतालवी अभियोजकों ने मै. अगस्ता वेस्टलैंड की मूल कंपनी मै. फिनमैकेनिका, इटली द्वारा कथित अनैतिक सौदों की जांच शुरू की थी, उस जांच के दायरे में उपर्युक्त भारतीय संविदा को भी शामिल कर लिया गया है। की गई अनुवर्ती कार्रवाई तथा उसके बाद की घटनाएं इस प्रकार हैं:–

(क) रक्षा मंत्रालय ने रोम में भारतीय दूतावास से एक रिपोर्ट मांगी। प्राप्त हुई रिपोर्ट से पता चलता है कि इतालवी मजिस्ट्रेट/अभियोजक सामान्य रूप में मै. फिनमैकेनिका तथा इसकी सहायक कंपनियों के भीतर होने वाली वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों के संबंध में प्रारंभिक जांच कर रहे हैं।

(ख) मई, 2012 में आई नई मीडिया रिपोर्टों के बाद भारतीय दूतावास से इस मामले में अद्यतन जानकारी का अनुरोध किया गया था। राजदूत ने जानकारी दी कि मै. फिनमैकेनिका और इसकी सहायक कंपनियों के खिलाफ प्रारंभिक/प्रशासनिक जांच जारी है और आगामी कार्रवाई अभियोजकों/मजिस्ट्रेटों द्वारा की जा रही इन प्रारंभिक/प्रशासनिक जांचों के परिणाम पर आधारित होगी।

(ग) रक्षा मंत्रालय के अनुरोध पर भारतीय दूतावास ने इस मामले को, इटली की सरकार के साथ, इस मामले में उनकी शासकीय स्थिति की जानकारी के लिए उठाया और उन्होंने हमें सूचित किया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तथा यह कि इतालवी अभियोजक न तो कार्यपालिका के अंतर्गत हैं तथा न ही इसके लिए जवाबदेह हैं, को देखते हुए उनके पास इस संबंध में कोई शासकीय स्थिति नहीं है।

(घ) रक्षा मंत्रालय ने यह परामर्श लेने के लिए कि, क्या संबंधित न्यायिक प्राधिकारियों के साथ इस मामले पर सीधे कार्रवाई करना उपयुक्त होगा, मामले को विदेश मंत्रालय के साथ उठाया। इसके प्रत्युत्तर में, विदेश मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय को परामर्श दिया कि वह संभावना का पता लगाए क्योंकि इसमें केवल एक तथ्यात्मक प्रकृति की पूछताछ शामिल है। रक्षा मंत्रालय से अनुरोध के आधार पर रोम में भारतीय दूतावास ने इस मामले को नेपल्स अभियोजक के कार्यालय के साथ उठाया है। इस संबंध में अब तक कोई फीड बैक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) रक्षा मंत्रालय के अनुरोध पर रोम स्थित भारतीय दूतावास ने इस मामले को मै. फिनमैकेनिका के साथ एक समाचार रिपोर्ट के संबंध में उठाया, जिसमें मै. अगस्ता वेस्टलैंड की भारत के साथ संविदा के मामले में उनके द्वारा एक आंतरिक लेखापरीक्षा किए जाने का हवाला दिया गया है और उन्होंने उन्हें प्राप्त उत्तर को अग्रेषित किया। तथापि, प्राप्त उत्तर अनिर्णायक है और किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए इसमें कोई ठोस तथ्य नहीं है।

(च) हाल ही में विभिन्न भारतीय दैनिक समाचार पत्रों में कई मीडिया रिपोर्टें आईं जिनमें एक परामर्शदाता की गिरफ्तारी,

दूरभाषीय बातचीत तथा कमीशन के भुगतान का हवाला दिया गया जिनसे यह संकेत मिलता है कि मै. अगस्ता वेस्टलैंड से भारतीय वायुसेना के लिए 12 वीवीआईपी/वीआईपी हेलीकॉप्टरों की अधिप्राप्ति के लिए संविदा में कमीशन दिया गया हो सकता है। चूंकि हाल ही की रिपोर्टें उपर्युक्त सौदे में विशेष रूप से कमीशन के कथित भुगतान और भारतीयों की सहभागिता का हवाला देती हैं, विदेश मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वे यह जानकारी प्राप्त करने के लिए इटली की सरकार के साथ इस मामले को उठाए कि क्या इस सम्पूर्ण संविदा में कोई बिचौलिया शामिल था और क्या इसमें किसी भारतीय व्यक्ति अथवा निकाय की सहभागिता है? विदेश मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय के अनुरोध के प्रत्युत्तर में रोम स्थित भारतीय दूतावास को निदेश दिया कि वे इटली के विदेश मंत्रालय के साथ इस मामले पर तेजी से कार्रवाई करें जिसने प्रतिक्रिया – स्वरूप इस मामले में उनको रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए अनुरोध की तर्ज पर तैयार किया गया एक स्मरण पत्र देकर इस मामले में पहले ही कार्रवाई कर दी है। इसके अलावा, विदेश मंत्रालय द्वारा भारत में इतालवी राजदूत को बुलाकर उसे भी स्मरण पत्र की एक प्रति सौंपी गई है।

(छ) इसके अलावा, चूंकि मै. अगस्ता वेस्टलैंड एक यू.के. स्थित कंपनी है और मीडिया रिपोर्टें एक बिचौलिये, जिसे ब्रिटिश परामर्शदाता बताया गया है, की कथित मिलीभगत का भी हवाला देती हैं, इसलिए विदेश मंत्रालय से इस मामले को यू.के. की सरकार के साथ उठाने का भी अनुरोध किया गया है जिसमें आरोपों के सत्यापन में उनके सहयोग और किसी बिचौलिए तथा/अथवा किसी भारतीय व्यक्ति/निकाय की कथित मिलीभगत से संबंधित संगत सूचना को उपलब्ध कराके हमारी सहायता करने का अनुरोध किया गया है।

रक्षा मंत्रालय इस मामले पर सतत् कार्रवाई कर रहा है और किसी आरोप के स्थापित होने की स्थिति में उपयुक्त शास्ति उपाय करने के लिए कटिबद्ध है। तथापि, इस संबंध में किसी विशिष्ट सूचना के अभाव में सरकार ने अबतक इस मामले में किसी औपचारिक जांच के आदेश नहीं दिए हैं।

रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अनुसार, 100 करोड़ रुपए से अधिक की सभी अधिप्राप्ति योजनाओं में क्रेता और बोलीदाताओं के बीच एक सत्यनिष्ठा समझौता किए जाने की आवश्यकता होती है। सत्यनिष्ठा समझौता ऐसी विशिष्ट संविदाओं के लिए क्रेता और बोलीदाताओं के बीच एक बाध्यकारी करार है जिसमें क्रेता वचन देता है कि वह अधिप्राप्ति प्रक्रिया के दौरान रिश्वत स्वीकार नहीं करेगा और बोलीदाता वचन देता है कि वह रिश्वत की पेशकश नहीं करेगा। रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया में ये प्रावधान भी शामिल हैं कि यदि कोई विक्रेता संविदा प्राप्त करने के लिए भारत सरकार अथवा इसके किसी पदाधिकारी को, आधिकारिक अथवा अनाधिकारिक रूप से, किसी भी ढंग से, सिफारिश करने के लिए मध्यस्थता, व्यवस्थित करने के लिए किसी व्यक्ति अथवा फर्म, चाहे वह भारतीय हो अथवा विदेशी, को नियुक्त करता है तो उस पर शास्तियां लगाई जाएं। रक्षा अर्जन मामलों में बिचौलियों की भूमिका पर नियंत्रण करने तथा उच्चतम स्तर की ईमानदारी, लोक जवाबदेही तथा पारदर्शिता के लिए ये प्रावधान मौजूद हैं।

12 हेलीकॉप्टरों की अधिप्राप्ति के लिए उक्त संविदा में अनुचित प्रभाव का प्रयोग करने तथा एजेंट तैनात किए जाने और एजेंसी कमीशन के खिलाफ शास्तियां लगाए जाने से संबंधित मानक खंड शामिल है। इन प्रावधानों के किसी उल्लंघन पर रक्षा मंत्रालय कंपनी के साथ उक्त संविदा तथा सभी अथवा किन्हीं अन्य संविदाओं को रद्द करने तथा इस प्रकार रद्द किए जाने से होने वाले किसी नुकसान की राशि को वसूल करने का हक रखता है। इसमें दंडात्मक हर्जाना लगाने अथवा बैंक गारंटियों को जब्त किए जाने की व्यवस्था भी है। इसके अलावा विक्रेता के साथ संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता भी हुआ है। सत्यनिष्ठा समझौते में किसी गलत कार्य के सिद्ध हो जाने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता के संगत प्रावधानों के अंतर्गत की जाने वाली अपेक्षित कार्रवाई के अलावा संविदागत प्रावधान लागू किए जाने की व्यवस्था भी है।

40-Wb

रोजगार में वृद्धि

***47. श्री निशिकांत दुबे :**
श्री पी.के. बिजू :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हाल के वर्षों में रोजगार वृद्धि में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष का तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न श्रेणियों यथा महिला और पुरुष, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र आदि में रोजगार की राज्य-वार वर्तमान दर क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास देश के, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में बेरोजगारी को दूर करने हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश में प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा रोजगार वृद्धि की स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : (क) और (ख) रोजगार एवं बेरोजगारी के विश्वस्नीय अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा आयोजित पंचवार्षिक श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसा पिछला सर्वेक्षण 2009-10 के दौरान आयोजित किया गया था। रोजगार एवं बेरोजगारी पर तीन सबसे हालिया पंचवार्षिक सर्वेक्षणों के अनुसार, देश में सामान्य स्थिति आधार पर 1999-2000 में 397.0 मिलियन, 2004-05 में 459.10 मिलियन और 2009-10 में 465.48 मिलियन अनुमानित रोजगार था, जिससे वर्ष 1999-2000 से 2004-05 के दौरान 2.95 प्रतिशत और 2004-05 से 2009-10 के दौरान 0.28 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई है।

(ग) 2009-10 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में महिलाओं एवं पुरुषों की अलग-अलग राज्य-वार रोजगार दर संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) सरकार ने देश में बेरोजगारी कम करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। जनता के जीवनयापन की परिस्थितियों में सामान्य रूप से सुधार लाने के लिए उनकी आय में बढ़ोत्तरी हेतु तीव्र गति से उत्पादक रोजगार सृजित करने पर ध्यान दिया जा रहा है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि, अवसंरचना विकास में निवेश, निर्यात में वृद्धि इत्यादि से रोजगार अवसर सृजित किए जाते हैं। भारत सरकार अतिलघु, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे उद्यमीय विकास कार्यक्रमों के अतिरिक्त स्वर्णजयंती शहरी स्वरोजगार योजना (एसजेएसआरवाई); प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी); राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) जैसे विभिन्न रोजगार सृजन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भी करती रही है।

विवरण

वर्ष 2009-10 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में महिला एवं पुरुषों की राज्य-वार रोजगार दर

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10						योग
		ग्रामीण			शहरी			
		पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	59.8	44.3	52.1	54.2	17.6	36.4	47.6
2.	अरुणाचल प्रदेश	49.9	29.3	40.4	43.8	14.8	30.2	38.3
3.	असम	55.3	15.8	36.8	52.8	9.3	32.2	36.3
4.	बिहार	48.1	6.5	28.3	43.1	4.7	25.2	28.0
5.	छत्तीसगढ़	51.1	37.1	44.2	47.8	14.0	31.3	41.9
6.	दिल्ली	60.1	2.8	30.1	53.5	5.8	33.3	33.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	गोवा	52.6	12.7	33.9	57.6	10.0	33.2	33.7
8.	गुजरात	58.5	32.0	45.9	56.3	14.3	37.0	42.4
9.	हरियाणा	52.2	25.0	39.6	55.7	13.0	36.1	38.5
10.	हिमाचल प्रदेश	55.6	46.8	51.2	55.9	15.9	35.9	49.9
11.	जम्मू और कश्मीर	56.3	29.2	43.1	54.2	13.8	34.7	41.1
12.	झारखंड	49.1	15.9	33.3	48.6	8.5	29.4	32.6
13.	कर्नाटक	62.4	37.0	49.7	57.6	17.0	38.2	45.6
14.	केरल	56.4	21.8	38.3	54.7	19.4	36.3	37.7
15.	मध्य प्रदेश	55.6	28.2	42.6	50.3	13.1	32.6	40.3
16.	महाराष्ट्र	57.6	39.6	48.8	57.5	15.9	38.0	44.3
17.	मणिपुर	49.9	21.2	36.1	47.2	14.6	31.5	34.9
18.	मेघालय	58.0	37.1	48.0	46.8	21.4	33.3	45.4
19.	मिजोरम	59.8	40.4	50.6	52.1	28.8	40.3	46.0
20.	नागालैंड	50.0	31.9	41.1	43.6	13.2	29.3	38.0
21.	ओडिशा	57.8	24.3	41.0	46.8	11.9	35.0	40.2
22.	पंजाब	53.1	24.0	39.1	56.8	12.4	36.5	38.2
23.	राजस्थान	51.0	35.7	43.6	51.0	12.0	32.3	40.9
24.	सिक्किम*	55.6	30.9	44.2	60.1	15.0	39.8	43.7
25.	तमिलनाडु	60.3	40.5	50.1	56.9	19.1	38.3	44.8
26.	त्रिपुरा	58.3	18.8	39.0	55.6	10.8	32.7	37.9
27.	उत्तराखंड	46.1	39.9	43.1	53.0	11.3	33.6	40.7
28.	उत्तर प्रदेश	50.4	17.4	34.4	50.1	8.0	30.0	33.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	पश्चिम बंगला	60.8	15.2	39.2	58.4	14.1	37.0	38.6
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	58.3	19.9	40.4	57.4	19.1	39.2	39.9
31.	चंडीगढ़	52.2	9.3	30.1	55.5	13.5	35.2	34.2
32.	दादरा और नगर हवेली	55.6	4.2	31.1	56.9	0.6	33.9	31.8
33.	दमन और दीव	57.4	19.8	41.6	54.8	8.6	34.4	38.4
34.	लक्षद्वीप	65.8	24.5	45.6	48.5	27.1	37.8	41.5
35.	पुदुचेरी	63.1	34.9	48.1	56.6	20.3	38.1	41.4
	योग	54.7	26.1	40.8	54.3	13.8	35.0	39.2

[हिन्दी]

इस्पात का आयात

***48. श्री सज्जन वर्मा :**

श्री यशवंत लागुरी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन सहित अनेक देशों को लौह अयस्क का सस्ती दरों पर निर्यात करता है और बदले में इन देशों से अपेक्षाकृत बहुत अधिक कीमतों पर इस्पात का आयात करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन देशों को निर्यात किए गए लौह अयस्क सहित विभिन्न अयस्कों तथा इन देशों से आयात किए गये इस्पात और अन्य सम्बद्ध उत्पादों की कुल मात्रा का देश-वार ब्यौरा क्या है तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या घरेलू इस्पात विनिर्माताओं ने इन देशों को अधिमानी मुक्त व्यापार करार सूची से हटाने अथवा इन देशों से इस्पात के आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा स्वदेशी इस्पात उद्योग के हितों की रक्षा करने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। भारत जापान, दक्षिण कोरिया और चीन सहित कई देशों को लौह अयस्क का निर्यात करता है। चीन के क्रेताओं के लिए लौह अयस्क की बिक्री कीमत "स्थान आधार" पर आधारित है जो सौदा-दर-सौदा आधार पर निर्धारित होती हैं। जापान और दक्षिण कोरिया को लौह अयस्क के निर्यात हेतु बिक्री कीमत 1 अप्रैल, 2010 से तिमाही अंतर्राष्ट्रीय बेंच मार्क कीमतों के आधार पर निर्धारित की जाती है। बेंच मार्क कीमतों का निर्धारण जापानी इस्पात मिलों के साथ आस्ट्रेलियाई और ब्राजील के आपूर्तिकर्त्ताओं के बीच सहमत कीमत वृद्धि या कमी के आधार पर किया जाता है। इस्पात की आयात कीमत के संबंध में यह बताया जाता है कि इस्पात क्षेत्र को अर्थव्यवस्था में अविनियमित किया गया है और इस्पात का आयात तथा इस्पात के आयात्त की दर उस समय प्रचलित वैश्विक तथा घरेलू बाजार परिस्थितियों के साथ-साथ आयात किए जा रहे इस्पात की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। चूंकि यह सौदा इच्छुक खरीददारों और विक्रेताओं के बीच का है इसलिए इसका निश्चित आकलन करना कठिन है कि क्या यह आयात अपेक्षाकृत उच्चतम कीमतों पर हुए हैं या नहीं। जापान, दक्षिणा कोरिया,

चीन और शेष विश्व को लौह अयस्क का भारत के निर्यात का ब्यौरा और डीजीसीआई एंड एस के अनुसार पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन देशों से इस्पात का आयात निम्नानुसार है:—

भारत का लौह अयस्क का निर्यात

(मूल्य: मिलियन अमेरिकी डॉलर)

देश	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (अप्रैल-सितम्बर)
जापान	311.78	116.221	252.44	68.50
दक्षिण कोरिया	64.08	89.21	98.24	—
चीन	5167.89	4380.15	3979.36	1012.40
शेष विश्व	486.07	128.96	69.24	22.94
कुल	6029.82	4714.53	4399.28	1103.84

भारत का लौह एवं इस्पात का आयात

(मूल्य: मिलियन अमेरिकी डॉलर)

देश	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (अप्रैल-सितम्बर)
1	2	3	4	5
जापान	874.31	864.02	1,172.05	722.93
दक्षिण कोरिया	1,118.92	1,383.69	1,701.41	930.39
चीन	1,280.22	2,625.53	2,738.87	1,198.86
शेष विश्व	4,501.37	4,859.89	5,297.39	2,225.38
कुल	7,774.82	9,733.13	10,910.17	5,077.56

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

व्यापार घाटा

***49. श्री दिनेश चन्द्र यादव :**
डॉ. मुरली मनोहर जोशी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात में काफी कमी आई है, जिसके कारण चालू वित्तीय वर्ष की विगत कुछ तिमाहियों के दौरान विदेशी व्यापार घाटा चिंताजनक स्तर तक पहुंच गया है;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्र-वार तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन देशों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है, जिनके साथ भारत ने विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान लगातार अनुकूल व्यापार संतुलन दर्ज किया है;

(घ) उन देशों का क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है, जिनके साथ उक्त अवधि के दौरान भारत ने व्यापार घाटा दर्ज किया है; और

(ङ) व्यापार घाटे को पाटने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) और (ख) पिछली छह तिमाहियों के दौरान व्यापार घाटा निम्नवत् है:—

(अमेरिकी बिलियन डॉलर)

तिमाही	अप्रैल, 11 — जून, 11	जुलाई, 11 — सितम्बर, 11	अक्तूबर, 11 — दिसम्बर, 11	जनवरी, 12 — मार्च, 12	अप्रैल, 12 — जून, 12@	जुलाई, 12 — सितम्बर 12@
व्यापार घाटा	-46.2	-43.1	-48.1	-46.0	-40.0	-49.2

@ : अनंतिम, *स्रोत:* डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता।

पिछली जुलाई, 12 — सितम्बर, 12 के दौरान व्यापार घाटे में अप्रैल, 11 — जून, 11 के तद्नुरूपी आंकड़ों की तुलना में 6.5% तथा अक्तूबर, 11 — दिसम्बर, 11 के तद्नुरूपी आंकड़ों की तुलना में 2.9% की वृद्धि हुई है।

विश्वव्यापी आर्थिक संकट, यूरोप में सार्वभौमिक ऋण संकट और विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में आर्थिक मंदी ने हमारे निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। आयात की जाने वाली वस्तुओं की अधिक कीमतों तथा बढ़ी हुई मांग के कारण आयात में भी वृद्धि हो रही है। पेट्रोलियम, उर्वरक, स्वर्ण, खाद्य तेल आदि के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में बढ़ोत्तरी हुई है। उनकी मांग भी बढ़ी है। इनके कारण आयात का मूल्य अधिक हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त अवधि के दौरान व्यापार घाटे में वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों तथा वर्ष 2012-13 (अप्रैल-सितम्बर) दोनों के दौरान भारत का 105 देशों के साथ अनुकूल व्यापार संतुलन है। इनमें से 10 शीर्ष देश संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, सिंगापुर, बंग्लादेश, हांगकांग, केन्या, श्रीलंका, बहामास, नेपाल और यूनाइटेड किंगडम हैं। वर्ष 2012-13 (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान इन 10 देशों का कुल निर्यात में संयुक्त अंश 35% है।

पिछले तीन वर्षों और 2012-13 (अप्रैल-सितम्बर) दोनों के दौरान भारत का 48 देशों के साथ व्यापार घाटा है। इनमें से शीर्ष 10 देश चीन, स्वीट्जरलैंड, साऊदी अरब, आस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, कुवैत, ईरान, ईराक, कोरिया गणराज्य और कतर हैं। वर्ष 2012-13 (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान कुल निर्यात में इन 10 देशों का संयुक्त अंश 13.5% है।

पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान देश-वार/क्षेत्र-वार आयातों और निर्यातों का क्रमशः मार्च, 2010, मार्च, 2011, मार्च, 2012 के लिए ब्यौरा सीडी रूप में डीजीसीआईएस प्रकाशन में नामतः "भारत के विदेश व्यापार के मासिक आंकड़े" खंड-I (निर्यात) और खंड-II (आयात) में उपलब्ध हैं। डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता द्वारा ऐसी सीडी नियमित रूप से संसदीय पुस्तकालय को भेजी जाती है।

(ङ) हमारे निर्यात को बढ़ाने तथा व्यापार घाटे को कम करने के लिए और 2013-14 तक हमारे निर्यात को दोगुना करने के लिए मई, 2011 में कार्य योजना के रूप में एक रणनीति शुरू की गई थी। सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए पहले के उपायों में बजट 2009-10 तथा 2010-11, में विदेश व्यापार नीति, 2009-14 में, उसके बाद जनवरी/मार्च, 2010 में, 23 अगस्त, 2010 को जारी विदेश व्यापार नीति के वार्षिक परिशिष्ट में की गई घोषणाएं और फरवरी तथा अक्तूबर, 2011 में की गई घोषणाएं शामिल हैं। निरन्तर आर्थिक मंदी जिसने व्यापार को प्रभावित किया है, के परिप्रेक्ष्य में विदेश व्यापार नीति के वार्षिक परिशिष्ट में 05 जून, 2012 को कई उपायों/प्रोत्साहनों की घोषणा की गई थीं। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा भी सभी निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श से मध्यावधि समीक्षा की गई है। 52-56

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव

***50. श्री गणेश सिंह :**

श्री नारनभाई कछाड़िया :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विशेषकर मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव हेतु प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव और मरम्मत हेतु गुजरात, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार आबंटित धनराशि और किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है;

(घ) लम्बित प्रस्तावों, यदि कोई हों, का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और ये लम्बित प्रस्ताव कब तक स्वीकृत किए जाएंगे;

(ङ) क्या गुजरात सहित कतिपय राज्यों को इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त धनराशि प्रदान नहीं की गई है तथा यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और रखरखाव हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार विशेषकर बिहार, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी) : (क) से (च) यह मंत्रालय मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। कार्यकारी एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति का, क्षति की श्रेणी और सीमा को ध्यान में रखकर किए जाने वाले उपचारात्मक उपायों के लिए आवधिक मूल्यांकन किया जाता है। तद्नुसार देश के राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध संसाधनों और पारस्परिक प्राथमिकता के अनुसार समय-समय पर यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश राज्य सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान गुजरात, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश राज्यों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव एवं मरम्मत के लिए आबंटित धनराशि और किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश राज्य सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए प्राप्त राज्य-वार प्रस्ताव

क्र. सं.	राज्य	राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण से संबंधित प्रस्तावों का विवरण	
		प्राप्त	अनुमोदित
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	158	132
2.	अरुणाचल प्रदेश	25	14
3.	असम	249	106
4.	बिहार	251	166
5.	छत्तीसगढ़	179	96
6.	गोवा	43	22
7.	गुजरात	127	63
8.	हरियाणा	110	72
9.	हिमाचल प्रदेश	118	105
10.	जम्मू और कश्मीर	70	49
11.	झारखंड	106	88
12.	कर्नाटक	145	118
13.	केरल	214	52
14.	मध्य प्रदेश	188	132
15.	महाराष्ट्र	185	135
16.	मणिपुर	59	38
17.	मेघालय	55	37
18.	मिजोरम	57	36
19.	नागालैंड	92	53
20.	ओडिशा	223	152
21.	पंजाब	96	84
22.	राजस्थान	252	123
23.	सिक्किम	22	16
24.	तमिलनाडु	236	92
25.	त्रिपुरा	35	14
26.	उत्तर प्रदेश	345	214
27.	उत्तराखंड	312	200
28.	पश्चिम बंगाल	148	94

विवरण-II

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान गुजरात, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश राज्यों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए राज्य/संघ राज्य-वार आबंटित धनराशि और किए गए व्यय

(राशि करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	2009-10		2010-11		2011-12*		2012-13@	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	56.25	63.89	67.06	64.13	68.92	62.33	109.24	0.43
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.91	2.73	26.53	27.07	6.00	4.89	56.30	0.00
3.	असम	78.85	67.19	111.36	99.04	62.90	43.91	100.41	0.54
4.	बिहार	69.51	50.92	93.84	79.06	78.09	50.60	64.97	13.80
5.	चंडीगढ़	0.75	0.67	0.66	0.31	0.46	0.37	1.08	0.00
6.	छत्तीसगढ़	33.40	31.94	22.66	22.66	15.97	12.65	64.54	2.20
7.	दिल्ली	0.50	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	1.65	0.00
8.	गोवा	5.35	4.93	4.85	1.66	4.97	3.60	12.39	0.03
9.	गुजरात	43.03	41.68	82.74	82.21	66.20	61.88	76.90	27.94
10.	हरियाणा	18.97	18.61	30.06	28.15	22.58	21.60	18.89	7.61
11.	हिमाचल प्रदेश	31.37	26.43	22.25	21.69	37.95	35.79	83.78	21.51
12.	झारखंड	28.97	18.23	33.20	32.92	17.30	16.23	53.23	1.97
13.	कर्नाटक	64.76	66 98	77.61	61.43	53.79	46.40	116.04	17.07
14.	केरल	28.50	60.45	52.08	41.88	34.62	22.27	56.99	6.73
15.	मध्य प्रदेश	57.15	59.53	45.39	43.30	33.01	19.04	60.85	10.27
16.	महाराष्ट्र	66.98	65.38	104.40	99.50	111.73	94.98	117.02	4.04
17.	मणिपुर	7.24	7.61	18.68	17.46	27.82	13.71	16.65	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	मेघालय	14.78	17.79	48.92	44.93	58.85	34.70	31.09	1.60
19.	मिजोरम	3.58	2.22	39.69	37.44	24.42	17.98	42.97	2.55
20.	नागालैंड	12.30	10.72	14.57	12.77	55.53	49.51	29.86	0.00
21.	ओडिशा	59.50	61.83	80.77	80.77	35.81	32.18	94.86	26.74
22.	पुदुचेरी	1.63	0.89	3.46	1.64	0.77	0.30	2.80	1.63
23.	पंजाब	23.00	26.86	21.38	16.13	17.67	14.84	39.95	8.19
24.	राजस्थान	76.53	48.39	85.72	77.30	106.30	97.42	127.60	22.64
25.	तमिलनाडु	32.62	41.21	54.36	53.90	42.98	33.74	66.47	25.74
26.	उत्तर प्रदेश	73.93	84.83	97.50	97.11	100.28	84.20	129.69	7.04
27.	उत्तराखंड	25.31	23.40	73.59	59.46	64.79	34.80	62.76	7.64
28.	पश्चिम बंगाल	27.15	36.70	57.65	54.75	26.57	22.14	54.74	0.64
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20	0.00
30.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)$	87.94	87.94	617.65	617.65	95.42	95.42	100.00	100.00
31.	सीमा सड़क संगठन (बीआरओ)$	24.00	23.73	65.00	44.50	55.00	55.00	70.00	19.16

* — व्यय के आंकड़े अस्थायी है।

@ — अक्तूबर, 2012 के अनुसार।

$ — भाराराप्रा और बीआरओ के लिए राज्य-वार आबंटन नहीं किया गया है।

भिखारियों का पुनर्वास

*51. **श्री तूफानी सरोज : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में भिखारियों की अनुमानित संख्या का कोई ऐसा ब्यौरा है, जिसका उपयोग बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भिखारियों के पुनर्वास हेतु एकीकृत कार्यक्रम को तैयार करने के लिए किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन्होंने भिक्षावृत्ति निवारण कानून को अधिनियमित किया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में जमीनी वास्तविकताओं का आकलन करने और भिक्षावृत्ति निवारण कानून के प्रभावी कार्यान्वियन के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) प्रस्तावित योजना के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) देश में भिखारियों के संबंध में कोई विश्वसनीय और प्रामाणिक आंकड़े नहीं हैं। तथापि, भारत के महापंजीयक के एक अप्रकाशित आंकड़े के अनुसार, 2001 में देश में लगभग 7.03 लाख भिखारी और भिक्षुक थे।

(ख) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 20 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्र ने या तो अपनी स्वयं के भिक्षा विरोधी विधायन पारित कर लिये हैं अथवा अन्य राज्यों द्वारा अधिनियमित विधायन अपना लिये हैं। इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से भिक्षावृत्ति पर अंकुश लगाने और भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए समुचित कदम उठाने का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त, भिक्षावृत्ति से संबंधित मसलों पर चर्चा करने के लिए केन्द्रीय/राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों, संस्थानों के प्रतिनिधियों तथा भिक्षावृत्ति के क्षेत्र में व्यक्तिगत विशेषज्ञों के साथ 01 जुलाई, 2010 तथा 12 जुलाई, 2012 को 2 राष्ट्रीय परामर्श बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। इन बैठकों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सिफारिश की गई थी कि (i) भिक्षावृत्ति के उन्मूलन के लिए मॉडल विधायन लाया जाना चाहिए जिसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा समुचित रूप से पारित/अंगीकृत किया जा सके और (ii) भिखारियों के पुनर्वास के लिए एक केन्द्रीय योजना तैयार करने की व्यवहार्यता का पता लगाया जाए।

योजना आयोग ने 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) की तैयारी के लिए 'समाज कल्याण' से संबंद्ध एक कार्यसमूह गठित किया था। 7.03 लाख भिखरियों और भिक्षुकों (भारत के महापंजीयक के अप्रकाशित आंकड़ों के अनुसार) के कम से कम आधे का पुनर्वास करने के मद्देनजर, इस कार्य समूह ने अन्य बातों के साथ-साथ योजना आयोग से सिफारिश की थी कि भिखारियों के पुनर्वास के लिए एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना आरंभ की जानी चाहिए जिसमें आश्रयगृह/रैन बसेरा-सह-कार्य उत्पादन केन्द्र; बहुत कौशल प्रशिक्षण; चल स्वास्थ्य देखभाल; परामर्श, जागरूकता सृजन और सुग्राहीकरण कार्यक्रम; मानव संसाधनों का प्रशिक्षण; अनुसंधान और प्रलेखन इत्यादि शामिल होंगे। इस कार्य समूह ने 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए 925 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय का प्रस्ताव किया था। यह मामला योजना आयोग के विचाराधीन है।

विवरण

विद्यमान राज्य भिक्षावृत्तिरोधी कानून

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लागू कानून
1	2	3
	राज्य	
1.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश, भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1977
2.	असम	असम भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1964
3.	बिहार	बिहार भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1951
4.	छत्तीसगढ़	मध्य प्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1973 को अपनाया।
5.	गोवा	गोवा, दमन और दीव भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1972
6.	गुजरात	बॉम्बे भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1959 को अपनाया।
7.	हरियाणा	हरियाणा भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1971
8.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1979
9.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू और कश्मीर भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1960

1	2	3
10.	झारखंड	बिहार भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1951 को अपनाया।
11.	कर्नाटक	कर्नाटक भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1975
12.	केरल	मद्रास भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1985, ट्रावनकोर भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1120, कोचिन आवारागर्दी अधिनियम, 1120 राज्य के अनेक क्षेत्रों में लागू हैं।
13.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1973
14.	महाराष्ट्र	बॉम्बे भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1959
15.	पंजाब	पंजाब भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1971
16.	सिक्किम	सिक्किम भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 2004
17.	तमिलनाडु	मद्रास भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1945
18.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1972
19.	उत्तराखंड	उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1972 को अपनाया।
20.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल आवारागर्दी अधिनियम, 1943
	संघ राज्य क्षेत्र	
21.	दमन और दीव	गोवा, दमन और दीव भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1972
22.	दिल्ली	बॉम्बे भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1959 को अपनाया।

[अनुवाद]

60-63

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

***52. श्रीमती मेनका गांधी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई परियोजनाएं शुरू की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वर्ष 2000 में म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम अधिसूचित किए हैं जिनमें प्रत्येक म्युनिसिपल प्राधिकरण देश में म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान के लिए जिम्मेदार है। म्युनिसिपल प्राधिकारणों द्वारा अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधाओं की स्थापना की जानी भी अपेक्षित है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों की जिम्मेदारी म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट हेतु भंडारण, उपचार तथा निपटान सुविधाओं के लिए प्राधिकार देने और एजेंसी सुविधाओं के आस-पास पर्यावरणीय मानकों की मॉनीटरिंग करने की है।

म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन राज्य का विषय है और शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) प्रणाली की आयोजना, डिजाईन तैयार करने, कार्यान्वयन करने, प्रचालन और रखरखाव करने के लिए राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) जिम्मेदार हैं। म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट के उचित प्रबंधन हेतु राज्य सरकारों को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कुछ सीमा तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के शहरी अवसंरचना एवं शासन (यूआईजी) उप-मिशन और छोटे एवं मझोले नगरों हेतु शहरी अवसंरचना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) के अंतर्गत, एसडब्लयूएम अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) की मंजूरी हेतु स्वीकार्य घटकों में से एक है। अब तक, 1972.86 करोड़ रु. की अनुमोदित लागत के साथ

यूआईजी के अंतर्गत 44 एसडब्ल्यूएम परियोजनाएं और 342.02 करोड़ रु. की अनुमोदित लागत के साथ यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत 56 एसडब्ल्यूएम परियोजना मंजूर की गई हैं। अब तक यूआईजी के अंतर्गत 44 एसडब्ल्यूएम परियोजनाओं हेतु 633.13 करोड़ रु. की राशि और यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत 56 एसडब्ल्यूएम परियोजनाओं हेतु 208.53 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। इन परियोजनाओं में समेकित दृष्टिकोण अपनाया गया है जिसमें म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण, एकत्रीकरण, परिवहन, प्रसंस्करण और उपचार एवं निपटान शामिल हैं। यूआईजी और यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत परियोजनाओं के राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के बारे में जागरुकता सृजित करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यशालाओं और स्थानीय निकायों के साथ समूह बैठकों के आयोजन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई हैं।

विवरण-I

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के शहरी अवसंरचना एवं शासन (यूआईजी) के अंतर्गत मंजूर की गई ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं की राज्य-वार सूची)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित लागत (लाख रुपये)	जारी की गई धनराशि (लाख रुपये)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2	8,134.00	2,351.10
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1,194.38	967.46
3.	असम	1	3,516.71	2,057.28
4.	बिहार	2	4,851:21	606.41
5.	गुजरात	4	21,101.10	6,425.20
6.	हरियाणा	1	7,351.9	3,308.35
7.	हिमाचल प्रदेश	2	2,654.2	530.93
8.	झारखंड	3	14,061.57	2,143.16
9.	कर्नाटक	1	2,985.00	955.20
10.	केरल	2	11,268.00	4,140.52
11.	मध्य प्रदेश	1	4,324.66	1,946.09
12.	महाराष्ट्र	4	35,340.31	11,793.49
13.	मणिपुर	1	2,580.71	929.06
14.	पुदुचेरी	1	4,966.00	993.20
15.	पंजाब	1	7,249.00	906.12
16.	राजस्थान	1	1,319.74	494.91
17.	तमिलनाडु	4	25,148.83	8,625.27
18.	उत्तराखंड	3	5,062.53	1,307.70
19.	उत्तर प्रदेश	7	24,160.37	9,712.48
20.	पश्चिम बंगाल	2	10,015.80	3,119.34
	कुल	44	197,286.02	63,313.27

विवरण-II

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) की छोटे एवं मझोले नगरों हेतु शहरी अवसंरचना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) के अंतर्गत मंजूरी की गई ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं की राज्य-वार सूची

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित लागत (लाख रुपये)	जारी की गई धनराशि (लाख रुपये)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1	361.00	294.22

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	866.73	780.06
3.	बिहार	1	983.99	393.60
4.	हरियाणा	3	5,520.33	3,703.81
5.	झारखंड	3	1,584.59	657.60
6.	जम्मू और कश्मीर	12	2,533.77	1,345.72
7.	केरल	11	3,657.00	1,499.24
8.	तमिलनाडु	1	358.25	286.60
9.	उत्तर प्रदेश	19	16,903.12	11,247.14
10.	मेघालय	2	1,433.26	644.97
	कुल	56	34,202.04	20,852.96

विमुक्त जाति-घूमन्तू जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

*53. **श्री समीर भुजबल : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विमुक्त जाति-घूमन्तू जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का कार्यान्वयन शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को महाराष्ट्र सहित राज्य सरकारों से अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता स्वीकृत/जारी करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये प्रस्ताव कब से लम्बित हैं, इसके क्या कारण हैं और निधियां कब तक जारी की जाएंगी?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) सरकार अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (पीएमएस) की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रही है। विमुक्त जाति-घुमन्तू जनजातियों (वीजेएनटी) के लिए अलग से कोई मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना नहीं है। तथापि, अन्य पिछड़े वर्गों की राज्य/केन्द्रीय सूची के अंतर्गत आने वाली विमुक्त जाति-घुमन्तू जनजातियां, पीएमएस-ओबीसी योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति पाने के लिए हकदार हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त सभी पूर्ण प्रस्तावों पर योजना के दिशा-निर्देशों एवं वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। निधियां उपलब्ध होने पर केन्द्रीय सहायता जारी की जाती है। चूंकि प्राप्त प्रस्ताव एक विशेष वर्ष के लिए होते हैं, अतः सभी पूर्ण प्रस्तावों पर उसी वित्त वर्ष के दौरान कार्रवाई की जाती है।

पीएमएस-ओबीसी योजना के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान प्राप्त प्रस्तावों तथा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी निधियों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2012-13 (22.11.2012 तक) के दौरान मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत निधियों की राज्य-वार निर्मुक्ति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी निधियां (करोड़ रुपए)	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	10.36	तदर्थ निर्मुक्ति। प्रस्ताव प्राप्त। वर्ष 2011-12 के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुए।

1	2	3	4
2.	बिहार	12.65	तदर्थ निर्मुक्ति। प्रस्ताव प्राप्त।
3.	गोवा	0.18	तदर्थ निर्मुक्ति। प्रस्ताव प्राप्त।
4.	गुजरात	7.35	तदर्थ निर्मुक्ति। प्रस्ताव प्राप्त। वर्ष 2011-12 के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुए।
5.	हरियाणा	3.10	तदर्थ निर्मुक्ति। प्रस्ताव प्राप्त। वर्ष 2011-12 के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुए।
6.	झारखंड	16.15	निधि जारी की गई।
7.	केरल	15.67	निधि जारी की गई।
8.	कर्नाटक	7.45	तदर्थ निर्मुक्ति। प्रस्ताव प्राप्त। वर्ष 2011-12 के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुए।
9.	मध्य प्रदेश	35.52	निधि जारी की गई।
10.	महाराष्ट्र	13.75	तदर्थ निर्मुक्ति। प्रस्ताव प्राप्त।
11.	ओडिशा	17.40	निधि जारी की गई।
12.	राजस्थान	8.35	तदर्थ निर्मुक्ति। प्रस्ताव प्राप्त।
13.	तमिलनाडु	8.80	तदर्थ निर्मुक्ति। प्रस्ताव प्राप्त। वर्ष 2011-12 के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुए।
14.	उत्तर प्रदेश	97.66	निधि जारी की गई।
15.	उत्तराखंड	4.94	निधि जारी की गई।
16.	असम	12.85	तदर्थ निर्मुक्ति। प्रस्ताव प्राप्त। वर्ष 2011-12 के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुए।
17.	त्रिपुरा	1.46	तदर्थ निर्मुक्ति। प्रस्ताव प्राप्त।
18.	सिक्किम	0.39	निधि जारी की गई।
19.	पश्चिम बंगाल	—	वर्ष 2009-10 में केन्द्रीय सहायता का लाभ नहीं उठाया। वर्ष 2011-12 के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुए। प्रस्ताव प्राप्त।

1	2	3	4
20.	मणिपुर	—	प्रस्ताव प्राप्त। वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुए।
21.	हिमाचल प्रदेश	—	वर्ष 2009-10 और 2010-11 में केन्द्रीय सहायता का लाभ नहीं उठाया। प्रस्ताव प्राप्त।
22.	पुदुचेरी	—	वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 में केन्द्रीय सहायता का लाभ नहीं उठाया। वर्ष 2011-12 के दौरान स्वीकृत केन्द्रीय सहायता का उपयोग नहीं किया गया। प्रस्ताव प्राप्त।
23.	दमन और दीव	—	वर्ष 2009-10 में केन्द्रीय सहायता का लाभ नहीं उठाया। प्रस्ताव प्राप्त।
	कुल योग	274.03	

टिप्पणी: तदर्थ निर्मुक्ति केवल उन राज्यों को की गई थी जिन्होंने विगत तीन वर्षों (2009-10 से 2011-12 तक) के दौरान लगातार केन्द्रीय सहायता का लाभ उठाते रहे हैं और वर्ष 2010-11 तक उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए थे।

माल ढुलाई की प्रचालनात्मक दक्षता

*54. **श्री संजय निरुपम :**

श्री एस.एस. रामासुब्बू :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने आईआईएम-कोलकाता (आईआईएमसी) के साथ मिलकर "भारत में माल ढुलाई हेतु राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रचालनात्मक दक्षता" संबंधी एक संयुक्त अध्ययन रिपोर्ट जारी की है, जिसमें राजमार्गों पर यातायात अवरुद्ध होने तथा पथकर प्लाजाओं और जांच स्थलों पर विलम्ब के कारण प्रतिवर्ष भारी नुकसान होने का दावा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने राजमार्गों पर माल-ढुलाई करने वाले वाहनों को लम्बा समय लगने संबंधी एक सर्वेक्षण सहित पथकर प्लाजाओं और जांच स्थलों पर ईंधन की बर्बादी का आकलन करने हेतु कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा सड़क मार्गों से माल ढुलाई की दक्षता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी) : (क) से (घ) जी, मैडम। मंत्रालय ऐसे मुद्दों पर नियमित रूप से कार्यवाही कर रहा है।

(ङ) सरकार ने रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके 2014 तक सभी पथकर प्लाजाओं में इलेक्ट्रोनिक पथकर संग्रहण पद्धति कार्यान्वित किए जाने के लिए पहले ही कदम उठा लिए हैं।

औद्योगिक एककों का संवर्धन

*55. **श्री भक्त चरण दास :**

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में औद्योगिक एककों के संवर्धन और आधुनिकीकरण संबंधी कोई योजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का ओडिशा और छत्तीसगढ़ सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उनके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में जलापूर्ति, जल निकास प्रणाली के सृजन/उन्नयन तथा सड़क सम्पर्क हेतु परियोजनाओं के लिए कुल कितनी वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई और उसमें से कितना व्यय किया गया; और

(ङ) क्या संवर्धनात्मक योजनाओं की प्रभाविता के बारे में कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) और (ख) जी, हां।

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं और इनमें से कुछ विशिष्ट क्षेत्रों पर केंद्रित हैं:

- विशेष श्रेणी राज्यों के लिए (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्यों के लिए) नई औद्योगिक नीति तथा अन्य रियायतें;
- पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम), पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी) 2007;
- परिवहन राजसहायता योजना (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू ओर कश्मीर, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप तथा 8 पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए);
- औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम (आईआईयूएस); और
- एकीकृत चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी)।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के कुछ अन्य मंत्रालय/विभाग भी उद्योगों को बढ़ावा देने एवं उनके आधुनिकीकरण के लिए स्कीमें कार्यान्वित कर रहे हैं, जिनमें शामिल हैं:—

- निर्यात अवसंरचना एवं अन्य संबद्ध कार्यकलापों के विकास हेतु राज्यों को सहायता की स्कीम (एएसआईडीई)
- सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी)
- एकीकृत वस्त्र पार्क (एसआईटीपी) स्कीम
- प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम (टीयूएफएस)

(ग) और (घ) 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक अवसंरचना स्कीम के तहत कुल 39 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 2004 और 2010 में ओडिशा में दो तथा 2005 में छत्तीसगढ़ में एक परियोजना स्वीकृत की गई है। 2009-10 और 2011-12 के दौरान कुल 9 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें ओडिशा राज्य के लिए एक परियोजना शामिल है। इन 9 परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) इस स्कीम का स्वतंत्र मूल्यांकन/निर्धारण 2011 में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) द्वारा किया गया था। एनपीसी के मूल्यांकन अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि इस स्कीम के तहत सहायता प्राप्त अधिकांश उद्योग क्लस्टर लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) हैं। स्कीम ने साझा सुविधाओं के विकास हेतु मजबूत मंच प्रदान किया है, जैसे कि अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाएं, कौशल उन्नयन केंद्र, साझा टूल रूम, प्रोटोटाइपिंग सेंटर, बहिस्राव उपचार संयंत्र, मूल बुनियादी सुविधाएं (सड़क, जलापूर्ति, विद्युत आदि) जो कि क्लस्टरों के लिए आवश्यक हैं। अधिकांश क्लस्टरों ने इस स्कीम के तहत हरित पहलें तथा प्रदूषण कम करने के उपाय आरंभ किए हैं। इस अध्ययन में व्यवस्थापक कमियों की ओर भी संकेत किया गया है जिनके कारण परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब होता है तथा निगरानी प्रक्रिया को मजबूत करने की आवश्यकता भी बताई गई है।

विवरण

क्र. सं.	औद्योगिक क्लस्टर का नाम	राज्य	वित्तीय वर्ष	कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपए)	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अनुदान (करोड़ रुपए)	भारत सरकार द्वारा जारी किया गया अनुदान (करोड़ रुपए)	जलापूर्ति प्रणाली, निवासी और सड़क संपर्क की अनुमोदित परियोजना लागत (करोड़ रुपए)	पूर्ववर्ती कॉलमों में संघटकों के संबंध में 30.09.2012 तक किया गया व्यय (करोड़ रुपए)	वास्तविक प्रगति (कार्यान्वयन की स्थिति)
1.	प्लास्टिक पॉलिमर तथा संबद्ध क्लस्टर, बालासोर	ओडिशा	2009-10	81.90	58.20	17.48	19.71	5.74	45.00%
2.	मराठवाड़ा आटोमोबाइल क्लस्टर, औरंगाबाद	महाराष्ट्र	2010-11	81.35	58.20	34.14	0.00	0.00	28.45%
3.	बद्दी अवसंरचना, बद्दी	हिमाचल प्रदेश	2010-11	80.50	58.28	17.48	17.24	8.43	25.00%
4.	नारोल वस्त्र अवसंरचना एवं पर्यावरण प्रबंधन, नारोल	गुजरात	2010-11	145.30	58.28	17.48	0.00	0.00	10.00%
5.	हैन्ड टूल टेक्नोलॉजी सेन्टर, जालंधर	पंजाब	2010-11	79.49	58.28	17.48	2.34	0.00	0.00%
6.	हथकरघा क्लस्टर, भागलपुर	बिहार	2010-11	20.82	15.61	1.56	5.26	0.00	5.00%
7.	तिरुचिरापल्ली इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी क्लस्टर, तिरुचिरापल्ली	तमिलनाडु	2010-11	102.81	58.28	34.00	1.72	0.96	29.37%
8.	बैम्बू टेक्नोलॉजी पार्क, गुवाहाटी	असम	2010-11	62.28	52.63	15.79	10.58	1.42	10.87%
9.	कोल्हापुर फाउन्ड्री क्लस्टर	महाराष्ट्र	2011-12	42.63	30.92	7.82	7.52	0.00	0.00%
	योग			697.08	448.68	163.23	64.37	16.55	

वनों का संरक्षण

*56. श्री सी. राजेन्द्रन :
श्री रवनीत सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कुल कितने हेक्टेयर में वन क्षेत्र है तथा कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र है और उसका कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कोई नई पहल करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु सहित राज्यों में वनों के संरक्षण, विकास और संवर्धन हेतु सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि का योजना-वार, राज्य और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र के साथ-साथ वनावरण के प्रतिशत सहित हेक्टेयर में वनावरण के कुल क्षेत्र का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत वन/वनेतर भूमियों पर 5 मिलियन हेक्टेयर में वन/वनावरण बढ़ाने और साथ ही अन्य 5 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वनावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रमुख उद्देश्यों से 'हरित भारत' हेतु एक राष्ट्रीय मिशन प्रस्तुत किया गया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, देश में वनावरण विस्तार हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित पहलें की गई हैं:

(i) पर्यावरण और वन मंत्रालय देश में अवक्रमित वनों और समीपवर्ती क्षेत्रों की बहाली के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। यह स्कीम राज्य स्तर पर राज्य वन विकास एजेंसी (एसएफडीए), वन प्रभाग स्तर पर वन विकास एजेंसी (एफडीए) और ग्राम स्तरों पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी) के विक्रेन्द्रित कार्यतंत्र द्वारा कार्यान्वित की जाती है। वर्ष 2002 में स्कीम की शुरूआत से लेकर 31.03.2012 तक 18.86 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को उपचारित करने के लिए देश के 28 राज्यों में 800 एफडीए परियोजनाएं अनुमोदित की गई है।

(ii) मंत्रालय वनों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए वन प्रबंधन का तीव्रीकरण स्कीम के अंतर्गत राज्यों को धनराशि जारी करता है जिसमें अवसंरचना, अग्नि सुरक्षा, वन सीमाओं का सीमांकन, फ्रंट लाइन स्टाफ के लिए सुविधाओं का निर्माण और संसूचना शामिल हैं। इसने भी वन आवरण को बढ़ाने में योगदान दिया है।

(iii) 13वें वित्त आयोग के अवार्ड के अंतर्गत, राज्यों को राष्ट्रीय औसत के संदर्भ में उनके वनावरण के आधार पर 5000 करोड़ रु. "वन अनुदान" के रूप में आबंटित किए गए हैं। इसे प्रत्येक राज्य में सघनता द्वारा मापित वनों की गुणवत्ता के आधार पर और बढ़ाया गया है।

(iv) हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और राजस्थान में विभिन्न बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत भी वनीकरण कार्यकलाप किए जा रहे हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तमिलनाडु सहित राज्यों में वनों के संरक्षण, विकास तथा संवर्धन हेतु वन प्रबंधन स्कीम का तीव्रीकरण (आईएफएमएस) और राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) के अंतर्गत जारी निधियों के ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-II और विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण-I

भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 2011 के अनुसार भारत में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में वनावरण

(क्षेत्र हेक्टेयर में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भौगोलिक क्षेत्र	2011 में वनावरण				भौगोलिक क्षेत्र का %
		अति सघन वन		खुला वन	कुल	
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	27506900	85000	2624200	1929700	4638900	16.86
अरुणाचल प्रदेश	8374300	2086800	3151900	1502300	6741000	80.50
असम	7843800	144400	1140400	1482500	2767300	35.28
बिहार	9416300	23100	328000	333400	684500	7.27
छत्तीसगढ़	13519100	416300	3491100	1660000	5567400	41.18
दिल्ली	148300	700	4900	12000	17600	11.88
गोवा	370200	54300	58500	109100	221900	59.94
गुजरात	19602200	37600	523100	901200	1461900	7.46
हरियाणा	4421200	2700	45700	112400	160800	3.64
हिमाचल प्रदेश	5567300	322400	638100	507400	1467900	26.37
जम्मू और कश्मीर	22223600	414000	876000	963900	2253900	10.14
झारखंड	7971400	259000	991700	1047000	2297700	28.82
कर्नाटक	19179100	177700	2017900	1423800	3619400	18.87
केरल	3886300	144200	939400	646400	1730000	44.52
मध्य प्रदेश	30824500	664000	3498600	3607400	7770000	25.21
महाराष्ट्र	30771300	873600	2081500	2109500	5064600	16.46

1	2	3	4	5	6	7
मणिपुर	2232700	73000	615100	1020900	1709000	76.54
मेघालय	2242900	43300	977500	706700	1727500	77.02
मिजोरम	2108100	13400	608600	1289700	1911700	90.68
नागालैंड	1657900	129300	493100	709400	1331800	80.33
ओडिशा	15570700	706000	2136600	2047700	4890300	31.41
पंजाब	5036200	0	73600	102800	176400	3.50
राजस्थान	34223900	7200	444800	1156700	1608700	4.70
सिक्किम	709600	50000	216100	69800	335900	47.34
तमिलनाडु	13005800	294800	1032100	1035600	2362500	18.16
त्रिपुरा	1048600	10900	468600	318200	797700	76.04
उत्तर प्रदेश	24092800	162600	455900	815300	1433800	5.95
उत्तराखंड	5348300	476200	1416700	556700	2449600	45.80
पश्चिम बंगाल	8875200	298400	464600	536500	1299500	14.64
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	824900	376100	241600	54700	672400	81.51
चंडीगढ़	11400	100	1000	600	1700	14.72
दादरा और नगर हवेली	49100	0	11400	9700	21100	42.97
दमन और दीव	11200	0	62	553	600	5.49
लक्षद्वीप	3200	0	1718	988	2700	84.56
पुदुचेरी	48000	0	3537	1469	5000	10.43
कुल योग	328726300	8347100	32073600	28782000	69202700	21.05

*उपर्युक्त तालिका में परिवर्तन, व्याख्यात्मक परिवर्तनों को शामिल करने के पश्चात 2009 के मूल्यांकन के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन के संदर्भ में है।

विवरण-II

तमिलनाडु सहित राज्यों में वनों के संरक्षण, विकास और संवर्धन हेतु वन प्रबंधन का तीव्रीकरण स्कीम के अंतर्गत जारी निधियां

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य	2009-10 जारी	2010-11 जारी	2011-12 जारी	2012-13 (21.11.2012 की स्थिति के अनुसार) जारी	कुल जारी
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	136.94	0.00	0.00	136.94
2.	बिहार	117.45	118.77	82.41	0.00	318.63
3.	छत्तीसगढ़	460.07	368.33	430.41	398.03	1656.84
4.	गोवा	24.57	25.00	10.97	7.51	68.05
5.	गुजरात	501.81	429.83	348.23	164.12	1443.99
6.	हरियाणा	69.56	101.70	75.72	75.10	322.08
7.	हिमाचल प्रदेश	282.00	287.71	246.49	226.12	1042.32
8.	जम्मू और कश्मीर	135.00	0.00	0.00	209.86	344.86
9.	झारखंड	260.14	150.95	341.00	80.71	832.80
10.	कर्नाटक	252.15	205.61	348.64	281.60	1088.00
11.	केरल	490.99	257.16	144.64	40.98	933.77
12.	मध्य प्रदेश	715.03	379.69	697.65	709.21	2501.58
13.	महाराष्ट्र	459.20	262.38	373.51	0.00	1095.09
14.	ओडिशा	122.46	229.54	133.03	149.79	634.82
15.	पंजाब	74.13	76.49	0.00	0.00	150.62
16.	राजस्थान	149.98	103.76	161.15	184.30	599.19

1	2	3	4	5	6	7
17.	तमिलनाडु	0.00	143.99	245.48	141.00	530.47
18.	उत्तर प्रदेश	181.92	213.72	140.00	99.93	635.57
19.	उत्तराखंड	317.20	134.57	229.95	342.62	1024.34
20.	पश्चिम बंगाल	262.36	173.12	50.86	71.09	557.43
	कुल	4876.00	3799.26	4060.14	3181.97	15917.37
पूर्वोत्तर और सिक्किम						
1.	असम	360.02	202.65	246.64	0	809.31
2.	अरुणाचल प्रदेश	314.40	325.67	261.15	0	901.22
3.	मणिपुर	198.42	168.21	328.58	117.51	812.72
4.	मेघालय	165.62	121.64	161.26	144.64	593.16
5.	मिजोरम	300.63	349.79	253.17	213.11	1116.70
6.	नागालैंड	274.05	183.51	346.97	0	804.53
7.	सिक्किम	286.43	259.33	288.61	0	834.37
8.	त्रिपुरा	138.15	188.81	60.59	323.88	711.43
	कुल	2037.72	1799.61	1946.97	799.14	6583.44
	संघ राज्य क्षेत्र					
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12.00	26.22	30.36	5.49	74.07
2.	चंडीगढ़	0.00	60.26	34.46	0	94.72
3.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0	0.00
4.	दमन और दीव	8.00	0.00	0.00	0	8.00
5.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0	0.00

1	2	3	4	5	6	7
6.	नई दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0	0.00
7.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	कुल	20.00	86.48	64.82	5.49	176.79
	कुल योग	6933.72	5685.35	6071.930	3986.60	22677.60

विवरण-III

तमिलनाडु सहित राज्यों में वनों के संरक्षण, विकास और संवर्धन हेतु राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जारी निधियां

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (1.10.12 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	11.03	10.48	15.15	2.71
2.	बिहार	7.74	5.48	6.92	0.00
3.	छत्तीसगढ़	25.12	33.25	24.74	6.17
4.	गोवा	0.00	0	0.00	0.00
5.	गुजरात	24.44	29.43	27.00	10.51
6.	हरियाणा	20.57	24.20	12.28	3.84
7.	हिमाचल प्रदेश	3.59	3.45	3.50	1.72
8.	जम्मू और कश्मीर	9.81	3.99	6.89	0.00
9.	झारखंड	21.06	8.73	10.42	4.69
10.	कर्नाटक	11.95	8.12	12.92	4.81
11.	केरल	4.02	7.54	2.04	5.64
12.	मध्य प्रदेश	22.53	30.39	21.43	0.00

1	2	3	4	5	6
13.	महाराष्ट्र	20.53	16.17	28.51	9.12
14.	ओडिशा	8.82	11.20	7.30	3.10
15.	पंजाब	3.01	0	0.46	0.76
16.	राजस्थान	10.67	4.94	6.23	1.88
17.	तमिलनाडु	7.98	7.21	3.08	1.70
18.	उत्तर प्रदेश	30.20	21.33	26.23	6.81
19.	उत्तराखंड	7.00	4.47	6.61	0.00
20.	पश्चिम बंगाल	3.11	4.12	6.29	1.87
	कुल (अन्य राज्य)	253.17	234.50	228.00	65.33
21.	अरुणाचल प्रदेश	2.37	5.52	0.00	1.66
22.	असम	14.48	6.08	7.95	1.47
23.	मणिपुर	5.93	10.37	12.74	2.60
24.	मेघालय	2.21	8.79	4.31	1.94
25.	मिजोरम	17.27	12.21	13.44	3.22
26.	नागालैंड	10.67	10.11	11.69	4.46
27.	सिक्किम	8.86	11.99	11.18	0.00
28.	त्रिपुरा	3.20	10.43	13.69	2.46
	कुल (पूर्वोत्तर राज्य)	65.00	75.49	75.00	17.81
	कुल योग	318.17	309.99	303.00	83.14

85-88

आईएनएस विक्रमादित्य

*57. **प्रो. सौगत राय :**

श्री ए. गणेशमूर्ति :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानवाहक आईएनएस विक्रमादित्य (पूर्व-एडमिरल गोर्शकोव) की अधिप्राप्ति में और अधिक विलम्ब होने की संभावना है जैसाकि हाल ही में खबर दी गयी है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस सौदे पर हस्ताक्षर होने से लेकर आज तक ऐसा विलम्ब कितनी बार हुआ है;

(ख) इस विमानवाहक की संशोधित लागत और सुपुर्दगी की समय-सीमा की तुलना में मूल लागत और सुपुर्दगी की समय-सीमा क्या थी;

(ग) क्या इस समय इस विमानवाहक का रूसी और भारतीय चालक दल के साथ व्यापक परीक्षण किया जा रहा है और इस विमानवाहक में खामियां पाई गई हैं और यदि हां, तो खरीद सौदा होने से लेकर अब तक इस विमानवाहक में पाई गई खामियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसी प्रकार के विलम्ब को रोकने के लिए इस सौदे में शास्ति खंड है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) इस विमानवाहक को नौसेना में शामिल करने की संशोधित समय-सीमा क्या है और वर्तमान में नौसेना की प्रचालनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) जी, हां। विमान वाहक विक्रमादित्य की सुपुर्दगी दिसम्बर, 2012 में किए जाने की परिकल्पना थी जो विलंबित करके 2013 की अंतिम तिमाही कर दी गई है। इससे पहले मूल सुपुर्दगी तारीख/कार्यक्रम अगस्त, 2008 से संशोधित करके दिसम्बर, 2012 कर दी गई थी।

(ख) सरकार द्वारा 2004 में दी गई स्वीकृति के अनुसार विक्रमादित्य की कुल परियोजना लागत 974.28 मिलियन अमरीकी डालर थी तथा पोत का सुपुर्दगी कार्यक्रम अगस्त, 2008 था। मार्च, 2010 में लागत पर पुन: वार्ता की गई और उसे बढ़ाकर 2.3 बिलियन अमरीकी डालर कर दिया गया था तथा सुपुर्दगी की तारीख संशोधित करके दिसम्बर, 2012 कर दी गई थी। इस परियोजना की लागत 2013 की अंतिम तिमाही में सुपुर्दगी के समय 2.3 बिलियन अमरीकी डालर रहेगी।

(ग) विमान वाहक विक्रमादित्य को पहली बार 8 जून, 2012 से 23 सितम्बर, 2012 तक 108 दिन के व्यापक परीक्षण पर रखा गया। भारतीय पोतकर्मी दल के कुछ लोग भी जहाज पर थे जो समुद्री परीक्षणों के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। इस अवधि के दौरान, जहाज के उपस्कर के काफी बड़े भाग पर और वैमानिक परीक्षण पूरे किए गए। तथापि, मुख्य प्रणोदन संयंत्र के पूरी ऊर्जा पर परीक्षण बॉयलर सेक्शन में आई खराबियों की वजह से समुद्री परीक्षणों के दौरान पूरे नहीं किए जा सके। इस खराबी को ठीक करने में छह माह का समय लगने की संभावना है। 2004 में संविदा सम्पन्न होने के पश्चात, समुद्री पोत का पहली बार जून, 2012 में समुद्र में जलावतरण किया गया और तभी ये खराबियां सामने आईं।

(घ) सुपुर्दगी में विलम्ब के लिए निर्णित हर्जाना (एलडी) खंड संविदा में समाविष्ट किया गया है। संविदा के अनुसार निर्णित हर्जाने को पोत की सुपुर्दगी के छह माह के भीतर तय किया जाना है और लगाया जाना है।

(ङ) बेड़े में शामिल किए जाने का संशोधित कार्यक्रम 2013 की अंतिम तिमाही है। इस बीच, नौसेना की संक्रियात्मक आवश्यकता को भा.नौ.पो. विराट द्वारा पूरा किया जाएगा जो विक्रमादित्य को शामिल किए जाने तक सेवा में रहेगा। 88-89

तम्बाकू उत्पाद

***58. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में लोग अपने जीविकोपार्जन हेतु तंबाकू के उत्पादन और इससे जुड़े क्रियाकलापों पर निर्भर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने तम्बाकू से जुड़े उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने तम्बाकू उत्पादकों और तम्बाकू से जुड़े उत्पादों के विनिर्माण अथवा वितरण में लगे लोगों पर ऐसे किसी प्रतिबंध के प्रभाव का आकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। यह अनुमान है कि 38 मिलियन व्यक्ति अपनी जीविका के लिए तम्बाकू के उत्पादों तथा उससे संबंधित कार्यकलापों पर निर्भर हैं।

(ग) खाद्य सुरक्षा तथा मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 के अधीन जारी किए गए खाद्य सुरक्षा तथा मानक (बिक्री पर निषेध

और प्रतिबंध) विनियमन 2011, दिनांक 1 अगस्त, 2011 में यह निर्धारित है कि तम्बाकू तथा निकोटिन का उपयोग किसी खाद्य पदार्थ में संघटक के रूप में नहीं होगा। गोदावत पान मसाला बनाम भारत संघ, 2004 (7) एस सी सी 68 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि "चूंकि पान मसाला, गुटका या सुपारी को स्वाद और पोषाहार के लिए खाया जाता है इसलिए ये सभी अधिनियम (खाद्य अपमिश्रण निरोधक) की धारा 2(v) के अर्थों के भीतर खाद्य हैं।" इस प्रकार इस मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के साथ पठित एफएसएस अधिनियम, 2006 के अंतर्गत दिनांक 1 अगस्त, 2011 के विनियम के कारण गुटका उत्पाद तम्बाकू तथा निकोटिन युक्त खाद्य उत्पाद हैं और कानून में उनका विनिर्माण, बिक्री या भंडारण की अनुमति नहीं है। इसी विनियम के अंतर्गत यदि पान मसाले में तम्बाकू व निकोटिन है तो उसका विनिर्माण व बिक्री नहीं की जा सकती है।

उपर्युक्त विनियम को लागू करने का दायित्व तथा उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा आयुक्त के पास निहित है।

मध्य प्रदेश, केरल, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, चंडीगढ़ और मिजोरम सहित कई राज्यों ने एफएसएस अधिनियम, 2006 के अंतर्गत दिनांक 1 अगस्त को जारी खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर निषेध एवं प्रतिबंध) विनियमन 2011 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए आदेश/अधिसूचना जारी की हैं। जिसमें खाद्य उत्पादों में निकोटिन एवं तम्बाकू का उपयोग निषेध है।

(घ) वाणिज्य विभाग ने तम्बाकू उपजकर्ताओं और जो तम्बाकू से संबंधित उत्पादों के विनिर्माण या वितरण में कार्यरत हैं, पर ऐसे प्रतिबंध के प्रभाव का आकलन नहीं किया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता। 89-90

महानगरों में प्रदूषण

*59. श्रीमती जे. हेलन डेविडसन :
डॉ. बलीराम :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली सहित महानगरों तथा शहरी क्षेत्रों में बढ़ते वायु प्रदूषण/धूम कोहरे के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में निरंतर धूम कोहरे/प्रदूषण रहने के क्या कारण हैं;

(ग) वायु प्रदूषण/धूम कोहरे के कारण सांस संबंधी रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने इस स्थिति को नियंत्रित करने हेतु कोई योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ङ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ देश में 53 महानगरों सहित 222 शहरों/नगरों को शामिल करते हुए 537 स्थानों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की मॉनीटरिंग कर रहा है। कतिपय क्षेत्रों में स्मोगी (धुंआ और धुंध) स्थिति बने रहने के पीछे मौसमविज्ञान संबंधी कारक हो सकते हैं। सीपीसीबी ने दिल्ली सहित महानगरीय और शहरी क्षेत्रों में स्मोग के प्रभाव का कोई आकलन नहीं कराया है। स्वास्थ्य पर प्रभाव जैसे श्वास संबंधी रोगों का प्राकट्य वायु प्रदूषण से सम्बद्ध हो सकता है। प्रदूषण के कारण होने वाले श्वास संबंधी विकारों से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या से संबंधित कोई सांख्यिकीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में प्रदूषण उपशमन हेतु एक व्यापक नीति बनाना, बेहतर ऑटो-फ्यूल की आपूर्ति, वाहन और औद्योगिक उत्सर्जन संबंधी प्रतिमानकों को कड़ा बनाना, विशेषीकृत उद्योगों हेतु अनिवार्य पर्यावरणीय मंजूरी, नगरीय परिसंकटमय और जैव-चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबंधन, स्वच्छतर प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, वायु गुणवत्ता मॉनीटरिंग स्टेशनों के नेटवर्क को सुदृढ़ करना, प्रमुख शहरों और अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों हेतु कार्य योजनाओं को तैयार करना एवं कार्यान्वयन, जन जागरूकता बढ़ाना इत्यादि शामिल हैं।

90-93

निर्माण-कार्य में लगे श्रमिक

*60. **डॉ. पी. वेणुगोपाल :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भवन और निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन भवन और अन्य निर्माण कार्यों में लगे केवल अल्प प्रतिशत श्रमिकों ने ही अपने आपको कल्याण बोर्डों में पंजीकृत करवाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों से संबंधित कानून में ऐसे बड़े संशोधनों को स्वीकृति दी है, जिसमें उनमें से अधिकांश श्रमिक लाभान्वित होंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या उक्त संशोधन केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा इन अधिनियमों के शीघ्र कार्यान्वयन को भी सुकर बनाएंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (2009-2010) के अनुमानों के अनुसार, भारत में लगभग 4.464 करोड़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार हैं।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 30.09.2012 की स्थिति के अनुसार राज्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्डों के पास पंजीकृत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों की संख्या निम्नानुसार है:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बोर्ड के पास पंजीकृत कामगारों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1164369
2.	अरुणाचल प्रदेश	8550
3.	असम	5097
4.	बिहार	20845
5.	छत्तीसगढ़	314176
6.	गोवा	0
7.	गुजरात	48971
8.	हरियाणा	171774
9.	हिमाचल प्रदेश	633
10.	जम्मू और कश्मीर	0
11.	झारखंड	16285
12.	कर्नाटक	165068
13.	केरल	1745365
14.	मध्य प्रदेश	2099745
15.	महाराष्ट्र	0
16.	मणिपुर	0
17.	मेघालय	0
18.	मिज़ोरम	0
19.	नागालैंड	0
20.	ओडिशा	107822
21.	पंजाब	43818
22.	राजस्थान	108053
23.	सिक्किम	0
24.	तमिलनाडु	2174719
25.	त्रिपुरा	9069
26.	उत्तर प्रदेश	189755
27.	उत्तराखंड	3309
28.	पश्चिम बंगाल	313180

1	2	3
29.	दिल्ली	64621
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1844
31.	चंडीगढ़	7727
32.	दादरा और नगर हवेली	0
33.	दमन और दीव	0
34.	लक्षद्वीप	0
35.	पुदुचेरी	25455
	कुल	8810250

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों को राज्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्डों के पास पंजीकृत करने का उत्तरदायित्व संबंधित बोर्डों एवं राज्य सरकारों में विहित है। केन्द्रीय सरकार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के शीघ्र और उचित कार्यान्वयन हेतु समुचित स्तरों पर समय-समय पर राज्यों को अनुदेश जारी करती रही है और बैठकें करती रही है।

(घ) और (ङ) सरकार सन्निर्माण कामगारों से संबंधित कानूनों में संशोधन पर सक्रियता से विचार कर रही है और आशा है कि इन संशोधनों से समुन्नत पंजीकरण प्रक्रिया द्वारा उन अधिनियमों के शीघ्र कार्यान्वयन और कामगारों के बेहतर कल्याण में सुविधा होगी।

बाल श्रम संबंधी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय

461. **श्री रामकिशुन : क्या श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) अभिसमय संख्या-138 एवं 182 के अनुसमर्थन हेतु कार्रवाई शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) और (ख) भारत सरकार ने बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में कतिपय संशोधन प्रस्तावित किए हैं जो आईएलओ अभिसमय संख्या 138 और 182 के अनुसमर्थन के तारतम्य में हैं। मंत्रिमंडल ने प्रस्तावित संशोधनों को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुसमर्थन की प्रक्रिया पर बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के संशोधन के उपरांत विचार किया जाएगा।

रक्षा खरीद पर व्यय

462. **श्रीमती ज्योति धुर्वे : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना रक्षा संबंधी खरीद पर करोड़ो रुपए खर्च करने की है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के उत्पाद खरीदे जाने हैं; और

(ग) रक्षा प्रणालियों पर इससे पड़ने वाले प्रभाव का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण हेतु वर्ष 2012-13 के लिए पूंजीगत अधिग्रहण हेतु बजटीय आबंटन 67672.24 करोड़ रुपए है।

(ख) और (ग) यह अधिग्रहण योजना काफी व्यापक है और यह सशस्त्र सेनाओं की सभी प्रमुख शाखाओं को कवर करती है। इसके ब्यौरे प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

डी.आर.डी.ओ. में घोटाला

463. **श्री पी.सी. गद्दीगौदर : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) ने कुछ कथित वित्तीय अनियमितताओं, जिनमें एक गणित संबंधी सोसाइटी को एक बड़ी राशि प्रदान की गयी थी, के संबंध में एक विभागीय जांच का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) जी, नहीं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने सी.आर. राव एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथेमैटिक्स, स्टेटिस्टिक्स एवं कंप्यूटर साइंस (एआईएमएससीएस), हैदराबाद विश्वविद्यालय को निर्धारित प्रक्रिया के मानक के अनुसार अनुदान सहायता योजना के तहत परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की थी। यह संस्थान लाभ प्राप्त न करने वाला प्रतिष्ठित निकाय है तथा भारत सरकार के अन्य विभिन्न विभागों से भी ऐसी परियोजनाओं एवं अनुदानों को प्राप्त करता है। तथापि, यह सत्य है कि इन परियोजनाओं को मंजूरी पर लेखा परीक्षा प्राधिकारियों द्वारा प्रथमतः कुछ टिप्पणियां की गई थीं। लेखा परीक्षा प्राधिकारियों को इन टिप्पणियों का जवाब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किया जा चुका है।

[हिन्दी]

जिला सड़क-77सी को चार लेन वाली सड़क में बदला जाना

464. **श्री पन्ना लाल पुनिया : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में लखनऊ की पूर्वी दिशा में स्थित बाराबंकी जिले की सड़क संख्या-77सी को दो लेन से चार लेन में बदले जाने हेतु कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक अनुमोदन प्रदान किए जाने और इस प्रयोजन के लिए कितनी निधियां आबंटित किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट पदार्थों का निपटान

465. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शहरी क्षेत्र अपशिष्ट निपटान संबंधी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) भविष्य में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इस संबंध में प्रत्येक राज्य, गैर-सरकारी संगठनों, लोगों एवं उद्योगों के विचारों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (घ) शहरीकरण के बढ़ने, जनसंख्या में वृद्धि, जीवन शैली और उपभोग के तरीकों में परिवर्तन से नगरीय ठोस अपशिष्ट के सृजन में बढ़ोत्तरी हो रही है। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2000 में प्रकाशित एक अनुमान के अनुसार, देश में प्रतिदिन लगभग, 1,00,000 मीट्रिक टन नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रतिदिन सृजित होता है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वर्ष 2008 के दौरान देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन लगभग 0.573 मिलियन मीट्रिक टन अपशिष्ट के सृजन का अनुमान लगाया था। शहरी क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्ट के सृजन का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। नगरीय प्राधिकरणों द्वारा समुचित नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उचित व्यवस्था किया जाना अपेक्षित है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने ठोस अपशिष्ट का समुचित संग्रहण, भंडारण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान सुनिश्चित करने के लिए नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000 और प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2011 अधिसूचित किए हैं। इन नियमों को विभिन्न पणधारियों के साथ काफी विचार-विमर्श के बाद अधिसूचित किया गया था। शहरी विकास मंत्रालय, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) कार्यान्वित कर रहा है और जेएनएनयूआरएम से सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र परियोजनाओं में पर्यावरणीय सुधार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन भी शामिल हैं।

विवरण

शहरी भारत में वर्ष 2008 के दौरान सृजित अनुमानित राज्य-वार नगरीय ठोस अपशिष्ट (स्त्रोतः केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	नगरीयी ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) का सृजन (टन प्रतिदिन)
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	146.531

1	2	3
2.	आंध्र प्रदेश	25353.613
3.	अरुणाचल प्रदेश	265.71
4.	असम	3794.17
5.	बिहार	9408.294
6.	चंडीगढ़	1389.159
7.	छत्तीसगढ़	4858.481
8.	दादरा और नगर हवेली	59.704
9.	दमन और दीव	73.98
10.	दिल्ली	22526.265
11.	गोवा	937.521
12.	गुजरात	24588.124
13.	हरियाणा	7530.141
14.	हिमाचल प्रदेश	642.275
15.	जम्मू और कश्मीर	3016.141
16.	झारखंड	7060.148
17.	कर्नाटक	22845.629
18.	केरल	9983.801
19.	लक्षद्वीप	36.559
20.	मध्य प्रदेश	19347.071
21.	महाराष्ट्र	55052.207
22.	मणिपुर	698.443
23.	मेघालय	525.243
24.	मिजोरम	616.104
25.	नागालैंड	390.038
26.	ओडिशा	6178.866
27.	पुदुचेरी	994.048
28.	पंजाब	10504.627
29.	राजस्थान	15687.05
30.	सिक्किम	65.173
31.	तमिलनाडु	37167.161
32.	त्रिपुरा	620.234
33.	उत्तराखंड	2626.57
34.	उत्तर प्रदेश	40281.443
35.	पश्चिम बंगाल	27445.574

98.99

सड़क परियोजनाओं हेतु लक्ष्य

466. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आगामी दो वर्षों में 17,000 किमी. सड़क निर्माण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान 9,500 किमी. सड़क निर्माण हेतु ठेके प्रदान किए जाने संबंधी लक्ष्य प्राप्त कर लिए गये हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का प्रस्ताव 100 प्रतिशत सरकारी वित्तपोषण पर 4,000 किमी. सड़कों के लिए ठेके प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और गैर-राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना योजनाओं के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों की 6,089 किमी. लंबाई विकसित/सुधार किए जाने का लक्ष्य है जिसमें से सितंबर, 2012 तक 2493 किमी. लंबाई विकसित/सुधार की जा चुकी है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। परियोजनाओं को सौंपे जाने की गति विभिन्न अवरोधों के कारण धीमी है जिनमें शामिल हैं बाजार की खराब अवस्था, इक्विटी डेवलेपरों की कमी, ऋणदाताओं की 80% भूमि कब्जे की पूर्व-शर्त, अवसंरचना परियोजनाओं के लिए बैंकों का एक्सपोजर सीमा तक पहुंच जाना, खनन सामग्री के रूप में विनिर्दिष्ट की जा रही सड़क निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले पत्थर और विशुद्ध भूमि के खनन पर उच्चतम न्यायालय का प्रतिबंध (जिससे निर्माण की लागत में वृद्धि हो रही है), आदि।

(ङ) और (च) लगभग 3750 किमी. कुल लंबाई के लिए विभिन्न राज्यों में 32 परियोजनाओं को 100% सरकारी वित्त पोषण से इंजीनियरी, प्रापण और निर्माण विधि पर प्रारंभ किए जाने का प्रस्ताव है। ९१.१०१

निःशक्त हितैषी राज्य

467. **श्रीमती श्रुति चौधरी** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारें अपने राज्यों को निःशक्त हितैषी राज्य बनाने का प्रयास कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में प्रत्येक राज्य की वर्तमान स्थिति क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) और (ख) 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने भवन उपनियमों को संशोधित कर लिया है अथवा सार्वजनिक स्थलों को विकलांग व्यक्तियों के लिए सुगम्य बनाने के संबंध में अनुदेश जारी कर दिए हैं। 04 राज्य अपने भवन उपनियमों को संशोधित करने की कार्रवाई कर रहे हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	भवन उप-नियम
1	2	3
क.	**वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिन्होंने भवन उप-विधियां संशोधित कर ली हैं/अनुदेश जारी कर दिए हैं।**	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	
2.	आंध्र प्रदेश	
3.	अरुणाचल प्रदेश	
4.	असम	
5.	बिहार	
6.	चंडीगढ़	
7.	छत्तीसगढ़	
8.	दमन और दीव	
9.	दादरा और नगर हवेली	
10.	दिल्ली	
11.	गोवा	
12.	गुजरात	
13.	हरियाणा	
14.	हिमाचल प्रदेश	
15.	झारखंड	
16.	कर्नाटक	
17.	केरल	
18.	लक्षद्वीप	

1	2	3
19.	महाराष्ट्र	
20.	मध्य प्रदेश	
21.	मेघालय	
22.	मिजोरम	
23.	ओडिशा	
24.	पुदुचेरी	
25.	राजस्थान	
26.	सिक्किम	
27.	तमिलनाडु	
28.	त्रिपुरा	
29.	उत्तर प्रदेश	
30.	उत्तराखंड	
31.	पश्चिम बंगाल	
ख.	**वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जहां भवन उप-नियमों में संशोधन प्रक्रियाधीन हैं।**	
1.	जम्मू और कश्मीर	
2.	मणिपुर	
3.	नागालैंड	
4.	पंजाब	

[हिन्दी]

101-02

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्

468. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को उपलब्ध कराई जा रही उत्पादकता सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त सेवाओं के लिए कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों हेतु ऋणों एवं अनुदानों का प्रावधान है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन) : (क) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् (एनपीसी) उत्पादकता से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान करने के अलावा सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रबंधकों और केन्द्र/राज्य सरकार के पदाधिकारियों के लिए कार्यक्रम, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं तथा सम्मेलन आयोजित करती है तथा प्रक्रिया प्रबंधन, रणनीतिक उत्पादकता, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, पर्यावरण प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण, सूचना प्रौद्योगिकी, आर्थिक सेवाओं, कृषि-व्यवसाय, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन (टीक्यूएम), बैंचमार्किंग, अनौपचारिक क्षेत्र उत्पादकता आदि क्षेत्रों में परामर्शदात्री सेवाएं उपलब्ध कराती है।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार उत्पादकता बढ़ाने के लिए स्कीमों को लागू करने हेतु राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् को योजनागत निधि उपलब्ध कराती है। वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान उक्त कार्य के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् को योजनागत निधि के रूप में 2.00 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् बुनियादी स्तर पर कार्यक्रम लागू करने के लिए आगे इस राशि को स्थानीय उत्पादकता परिषदों (एलपीसी) को उपलब्ध कराती है। वर्ष 2011-12 के दौरान स्थानीय उत्पादकता परिषदों को 6.3 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए। उक्त कार्य के लिए कोई ऋण नहीं दिया जाएगा।

102-03

गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

469. श्री मनसुखभाई डी. वसावा : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मंत्रालय द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के लिए गुजरात के नर्मदा और भरूच जिलों में किन्हीं गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए कार्यों के ब्यौरे सहित उन गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें उक्त वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त कार्य की समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त समीक्षा का क्या परिणाम रहा?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) और (ख) विगत 3 वर्षों के दौरान गुजरात के नर्मदा और भरूच जिलों में मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किसी गैर-सरकारी संगठन को कोई सहायता अनुदान निर्मुक्त नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जलयानों के अर्जन पर ऋण की वैश्विक कमी का प्रभाव

470. **श्री हमदुल्लाह सईद : क्या पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋण की वैश्विक कमी के कारण पोत परिवहन कम्पनियों के जलयान अर्जन कार्यक्रम पर प्रभाव पड़ा है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जलयानों की अर्जन हेतु आवश्यक वित्त जुटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) (क) और (ख) ऋण की विश्वव्यापी मौजूदा कमी नौवहन कंपनियों के पोत अधिग्रहण कार्यक्रम को प्रभावित करती रही हैं क्योंकि पोत अधिग्रहण के लिए वित्त की व्यवस्था करना और अधिक कठिन होता जा रहा है। चार्टर दरों में अत्यधिक उतार चढ़ाव ने नौवहन कंपनियों के लाभों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। एक तरफ गिरते परिसंपत्ति मूल्यों के कारण बैंक इन परिसंपत्तियों को धरोहर के रूप में स्वीकार करने में हिचकिचा रहे हैं, हालांकि दूसरी ओर गिरते मूल्य स्वामियों के लिए उन परिसंपत्तियों के अधिग्रहण का एक अवसर भी प्रदान करते हैं जिनमें मूल्य अत्यधिक उच्च स्तरों तक पहुंच गए थे।

(ग) भारतीय राष्ट्रीय पोत स्वामी संघ, जो भारतीय टनभार के 90% हिस्सेदारी वाली भारतीय नौवहन कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है, द्वारा पोतों के अधिग्रहण के लिए भारतीय नौवहन कंपनियों को ऋण की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 10,000 करोड़ रु. की एक निधि का सृजन करने का अभ्यावेदन किया गया था। वित्त मंत्रालय ने भारतीय बैंक संघ से भारतीय नौवहन कंपनियों द्वारा विदेश से पोतों के अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वित्त पोषण की जांच के लिए एक कार्यदल का गठन करने का अनुरोध किया था। उपर्युक्त कार्यदल ने एक बैठक की और इस विषय की जांच के लिए विभिन्न बैंकों से कार्यकारी अधिकारियों के एक छोटे दल का गठन किया। भारतीय बैंक संघ ने फिर जवाब दिया कि उधार लेने वालों को अपने वित्त पोषण की जरूरतों के लिए व्यक्तिगत बैंकों से बातचीत करनी चाहिए और यह कि भारतीय बैंक संघ की इसमें कोई भूमिका नहीं है।

[हिन्दी]

इस्पात संयंत्रों में दुर्घटना

471. **श्री कपिल मुनि करवारिया :**
श्री राम सुन्दर दास :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में देश में विभिन्न इस्पात संयंत्रों में संयंत्र-वार कितनी दुर्घटनाएं हुई तथा इन दुर्घटनाओं की प्रकृति कैसी थी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति घायल हुए/व्यक्तियों की मौत हुई और कुल कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ;

(ग) क्या इन दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे और ऐसी दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई;

(ङ) ऐसे मामलों में घायल व्यक्तियों और मृत व्यक्तियों के परिवारों को कितनी क्षतिपूर्ति राशि अदा की गई;

(च) उक्त अवधि के दौरान इन संयंत्रों के रखरखाव और पाइपलाइन बदलने और बिजली मरम्मत करने तथा उपकरणों के रखरखाव पर कितना औसत वार्षिक व्यय किया गया; और

(छ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) अपेक्षित अवधि के दौरान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में जो घटनायें हुई हैं उनका ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

सेल के संयंत्रों में हुई दुर्घटनाओं में किसी प्रकार की सम्पत्ति हानि शामिल नहीं है। जहां तक आरआईएनएल का संबंध है, वीएसपी में प्रेशर रिड्यूसिंग स्टेशन-3 के स्टील मेल्टिंग शॉप में कंवर्टर-1 चालू करते समय 13 जून, 2012 को एक बड़ी दुर्घटना हुई है।

स्टील एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है। देश में कई संख्या में स्टील कारखाने/संयंत्र मौजूद हैं। इसलिए, इस्पात मंत्रालय द्वारा निजी स्टील क्षेत्र के संबंध में अपेक्षित आंकड़े/सूचनाएं नहीं रखी जाती हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। सभी घातक दुर्घटनाओं की जांच संयंत्र स्तरीय जांच समिति द्वारा की जाती है ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाया जा सके और इनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सिफारिशों प्रदान की जा सके। समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति की निगरानी और समीक्षा इनकी समयपूर्वक अनुपालना हेतु उपयुक्त स्तरों पर की जाती है। संयंत्र जांच समिति द्वारा जहां भी सिफारिश की जाती है दुर्घटना के सुरक्षा मानकों की अवहेलना के चूककर्त्ता कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाती है। संविदागत कर्मचारियों के मामले में इस प्रकार की कार्रवाई संविदा की शर्त एवं निबंधनों में दिए गए दंड प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

(ङ) संविदागत श्रमिक के मामले में प्रतिपूर्ति/आश्रित लाभ का भुगतान कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईएस) के अंतर्गत किया जाता है। नियमित कर्मचारियों की घातक दुर्घटनाओं के मामले में प्रतिपूर्ति कानून/कंपनी नीति के अनुसार प्रदान की जाती है। सेल और आरआईएनएल अपने कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति का भुगतान वर्कमैन्स कम्पनशेसन एक्ट, इम्पलोई फैमिली बेनिफिट स्कीम और कंपनी नीति के अनुसार रोजगार से और रोजगार के दौरान दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु/विकलांगता की दशा में करते हैं। सेल और आरआईएनएल ने वर्ष 2009 से अब तक घायल व्यक्तियों और मृत कर्मचारियों के परिवारों को प्रतिपूर्ति के रूप में कुल मिलाकर 17,37,13,722/- रुपये का भुगतान किया है।

(च) वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान सेल और आरआईएनएल के विभिन्न संयंत्रों के अनुरक्षण पर क्रमश: 5307.33 करोड़ रुपये और 741.89 करोड़ रुपये का औसतन वार्षिक खर्च (मरम्मत कार्य, पाइपलाइनों में परिवर्तन, बिजली मरम्मत कार्य और यांत्रिकी अनुरक्षण कार्य पर हुए खर्च समेत) किया गया है।

(छ) सेल संयंत्रों/यूनिटों द्वारा चिंता के अभिज्ञात क्षेत्रों में इस प्रकार की दुर्घटना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए किए गए उपाय निम्नवत् हैं:—

(i) सभी संबंधितों द्वारा कार्य विशेष आधार पर व्यक्तिगत सुरक्षा उपस्करों (पीपीईएस) के उपयोग पर बल देना, सेफ्टी बेल्ट के स्थान पर संपूर्ण शरीर में इस्तेमाल होने वाले उपस्कर के उपयोग को अनिवार्य करना;

(ii) रेल और सड़क सुरक्षा पर अभियान और प्रशिक्षण;

(iii) तरल धातु की हैंडलिंग के वक्त प्रतिरोधी पोशाक का इस्तेमाल;

(iv) खतरनाक क्षेत्रों में गैस लीकेज का स्वचालित रूप से पता लगाने और अलार्म प्रणाली का प्रावधान आकस्मिक योजना के अनुसार आवधिक मॉक ड्रिल आयोजित करना;

(v) इंटर प्लांट सेफ्टी स्टेंडर्डस प्रोसीजर्स का सख्ती से पालन करना;

(vi) सुरक्षा प्रेरक प्रशिक्षण लागू करना;

(vii) सुरक्षा कार्य प्रणालियों, मेडिकल फिटनेस और हाईट पास का सख्ती से पालन करना; और

(viii) सुरक्षा प्रबंध हेतु व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाना (ओएचएसएएस-18001 क्रियान्वयन, आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा ऑडिट इत्यादि)।

आरआईएनएल में जांच समितियों जो प्रत्येक घातक दुर्घटना की जांच करती है के निष्कर्षों के आधार पर प्रत्येक दुर्घटना का कारण अभिज्ञात किया जाता है और निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:—

(i) रीजनल लेवर इंस्टीट्यूट, चेन्नई, डीजीएफएएसएलआई द्वारा जुलाई, 2012 में व्यापक सुरक्षा ऑडिट कराया।

(ii) डायरेक्टर सेफ्टी, रीजनल लेवल इंस्टीट्यूट, चेन्नई डीजीएफएएसएलआई द्वारा अक्तूबर, 2012 में खतरों की

पहचान एवं जोखिम मूल्यांकन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम की समीक्षा की गई है।

(iii) आकस्मिक योजना के अनुसार आवधिक मॉक ड्रिल आयोजित करना।

(iv) संवेदनशील और गैस प्रवण क्षेत्रों में गैस लीकेज का पता लगाने वाले स्वचालित अलार्म का प्रावधान करना।

(v) कार्य विशेष आधार पर व्यक्तिगत सुरक्षा उपस्करों का उपयोग करना।

(vi) व्यवहार आधारित सुरक्षा एवं कानूनी जागरूकता संबंधी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।

(vii) नई यूनिटों को कमिशन करने से पहले थर्ड पार्टी द्वारा जोखिम मूल्यांकन कार्य किया जाना।

विवरण

गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों और यूनिटों में हुई दुर्घटनाएं

संयंत्र/यूनिट	घातक दुर्घटनाएं (फैटलिटी)				अन्य सूचना योग्य दुर्घटनाएं (घातक दुर्घटनाओं को छोड़कर)			
अवधि	2009	2010	2011	2012 (अक्तूबर, 12 तक)	2009	2010	2011	2012 (अक्तूबर, 12 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड								
भिलाई इस्पात संयंत्र	2	0	1	1	11	3	8	5
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	1	4	0	7	2	2	0	0
राउरकेला इस्पात संयंत्र	4	4	3	4	16	10	12	5
बोकारो इस्पात संयंत्र	10	8	3	4	12	15	5	6
इस्को इस्पात संयंत्र	3	10	6	2	10	26	12	8
अलॉय इस्पात संयंत्र	0	0	1	0	3	2	0	0
सेलम इस्पात संयंत्र	5	1	0	0	4	2	3	1
विश्वेश्वरैया आयरन एंड इस्पात संयंत्र	0	0	3	0	13	10	6	7
चन्द्रपुर फैरो अलॉय प्लांट	0	0	0	0	2	6	4	3
स्टॉक यार्ड	2	1	1	1	0	1	5	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
राव मटेरियल डिवीजन (माइंस)	1	2	0	0	4	6	1	1
भिलाई माइंस	0	3	1	1	38	29	17	13
कोलरीज	0	3	1	0	6	3	5	1
सेल रिफैक्ट्री यूनिट	0	0	1	0	0	0	8	19
योग (सेल)	28	33	21	20	121	115	86	69
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	11	10	8	5	57	46	46	28
कुल योग	39	43	29	25	178	161	132	97

[अनुवाद]

109-26

इस्पात संयंत्रों की स्थापना

472. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए सरकार और और निजी कंपनियों ने वर्ष-वार, राज्य-वार और कंपनी-वार कितने समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए;

(ख) ऐसे प्रत्येक समझौता ज्ञापन की वर्तमान स्थिति क्या है और इनमें क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या कतिपय कंपनियों द्वारा संयंत्र स्थापित करने का कार्य अभी शुरू किया जाना है जैसा कि एमओयू के तहत प्रस्तावित है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या मंत्रालय का प्रस्ताव इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने में हुए असाधारण विलंब के दृष्टिगत समझौता ज्ञापनों की समीक्षा कराने का है?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) इस्पात मंत्रालय में उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य द्वारा हस्ताक्षरित किए गए समझौता ज्ञापनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

स्टील एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है तथा समझौता ज्ञापन संबंधित राज्य सरकार और संबंधित स्टील निवेशकों के बीच पूर्णतया एक सहमति है। इस्पात मंत्रालय समझौता ज्ञापनों की प्रगति को मॉनिटर नहीं करता है।

(ग) और (घ) जी हां। यह सच है कि कई कपंनियां अपने संबंधित समझौता ज्ञापनों के अनुसार संयंत्रों की स्थापना आरम्भ नहीं कर सकी। देश में स्टील परियोजनाओं की प्रगति को सीमित करने वाले प्रमुख घटकों में पर्याप्त भूमि की अनुपलब्धता, रॉ मैटिरियल लिंकेज, बाजार में गिरावट के प्रभाव के अतिरिक्त पर्यावरणीय स्वीकृतियां और स्थानीय लोगों द्वारा विरोध शामिल है।

यद्यपि इस्पात मंत्रालय द्वारा प्रत्येक स्टील परियोजना की प्रगति को मॉनिटर नहीं किया जाता है फिर भी उन कुछ प्रमुख स्टील परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है जिनमें समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित होने की तिथि से कोई खास प्रगति नहीं हुई है:—

कंपनी	राज्य	क्षमता	समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित होने का वर्ष	स्थिति
1	2	3	4	5
टाटा स्टील लिमिटेड	ओडिशा	6 एमटीपीए	2004	भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापना से संबंधित प्रारंभिक कार्य चल रहे हैं। कंपनी ने खनन पट्टा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया है। उपस्कर और सेवाओं के आर्डर दे दिए गए हैं तथा कुछ प्रेषण पहले ही पहुंच चुके हैं।
	छत्तीसगढ़	5 एमटीपीए	2005	राज्य सरकार से भूमि अधिग्रहित कर ली गई है, सबरी नदी से पानी लेने का अनुमोदन प्राप्त हो गया है, रेल मंत्रालय ने रेलवे कॉरिडोर के लिए सिद्धांत रूप से अनुमोदन प्रदान कर दिया है, पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जन सुनवाई सफलतापूर्वक कर ली गई है। बेलाडिला-I डिपॉजिट में लोह-अयस्क हेतु पूर्वेक्षणी लाइसेंस प्रदान कर दिया गया है।
जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	पश्चिम बंगाल	10 एमटीपीए	2007	वित्तीय समापन की आयोजना की जा रही है।
	झारखंड	10 एमटीपीए	2005	परियोजना की स्थापना के लिए अनुमोदनों पर कार्रवाई की जा रही है।
पॉस्को इंडिया लिमिटेड	ओडिशा	8 एमटीपीए	2005	भूमि अधिग्रहण में स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, समझौता ज्ञापन की अवधि समाप्त हो गई है, क्षमता को 12 एमटीपीए से कम करके 8 एमटीपीए करते हुए इसका पुनरुद्धार किया गया है।
आर्सिलर मित्तल इंडिया लिमिटेड	झारखंड	12 एमटीपीए	2005	भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है।
	ओडिशा	12 एमटीपीए	2006	भूमि की उपलब्धता अभी भी एक प्रमुख मुद्दा है।

(*स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति*)

(ङ) जी, नहीं।

विवरण

इस्पात क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के एमओयू

(क) छत्तीसगढ़

क्र. सं.	वर्ष	एमओयू की संख्या	कंपनी
1	2	3	4
1	2009	1	स्काई एलॉय्य एंड पावर लि.
2.	2010	2	गोदावरी पावर एंड इस्पात लि. राशि स्ट्रिप्स प्राइवेट लि.
3.	2011	—	
(ख)	**गुजरात**		
1.	2009	14	साइनेस्ट ट्यूब्स प्रा.लि.
			सनराइज इंटरप्राइज (टिसिंगशन होल्डिंग)
			बेदुमुथा वायर कॉम लि.
			चंदन स्टील लिमिटेड (एमओयू सं. 883)
			चंदन स्टील लिमिटेड (एमओयू सं. 7268)
			गुजरात मिंट एंड एलॉय्स लिमिटेड (एमओयू सं. 7272)
			गुजरात मिंट एंड एलॉय्स लिमिटेड (एमओयू सं. 7273)
			इलेक्ट्रोथर्म (इंडिया) लि.
			ग्लोबल हाई-टेक इंडिया लि.
			इंडियन स्टील कॉरपोरेशन लिमिटेड
			रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब्स लि. (एमओयू सं. 7306)
			रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब्स लि. (एमओयू सं. 7307)
			चंदन स्टील लिमिटेड (एमओयू सं. 5362)
			चंदन स्टील लिमिटेड (एमओयू सं. 6789)
2.	2010	—	

1	2	3	4
3.	2011	39	सम्राट हाउस वेयर प्रा.लि.
			सत्यम स्टील रूफ स्ट्रक्चर्स लि.
			श्री साई ऑटो ट्यूब्स मिल लि.
			उमिया मेटल्स प्रा.लि.
			आरएस इन्फ्रा ट्रांसमिशन लि.
			जयभारत स्टील कॉरपोरेशन
			एम एंड बी इंजीनियरिंग प्रा.लि.
			कवीश फोकस पाइप्स प्रा.लि. (एमओयू सं. 2943)
			कवीश फोकस पाइप्स प्रा.लि. (एमओयू सं. 2941)
			नीलधारा लिमिटेड
			कवीश फोकस पाइप्स प्रा.लि. (एमओयू सं. 2942)
			ऋषि लेजर लिमिटेड
			न्यू कास्टल स्टेनलैसे स्टील लिमिटेड
			राजपूताना स्टेनलैस लिमिटेड
			एएसआर मल्टीमेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
			वीर इन्फ्रास्ट्रक्चर
			मॉडर्न ट्यूब इंडस्ट्रीज लि.
			जिंदल स्टेनलैसे स्टीलवे लि.
			स्टीलकास्ट लिमिटेड
			बीडी ओवरसीज एंड फिसकल सर्विसिस लि.
			वेलस्पन कॉरपोरेशन लि.
			संघवी फोर्जिंग एंड इंजीनियरिंग लि.
			मेट्रोपोलिटन स्टील प्रा.लि.

1	2	3	4
			उमिया मेटल्स प्रा.लि. (एमओयू सं. 2948)
			उमिया मेटल्स प्रा.लि. (एमओयू सं. 2947)
			उमिया मेटल्स प्रा.लि. (एमओयू सं. 2874)
			वेलस्पन स्टील लि.
			राजेश एक्सपोर्ट्स (एमओयू सं. 5729)
			राजेश एक्सपोर्ट्स (एमओयू सं. 2832)
			स्टील कास्ट लिमिटेड
			गुड लक स्टील ट्यूब्स लिमिटेड
			गाइसकोल एलॉय्स लिमिटेड
			सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लि.
			ओके टूल्स प्रा.लि.
			स्टील कास्ट लि.
			श्री बालाजी टीएमटी रू मिल्स प्रा.लि.
			अनन्या इम्पेक्स प्रा.लि.
			पेन्नर इंजीनियर्ड बिल्डिंग सिस्टम्स लि.
			एम.वी. एलॉय्स
(ग)	**झारखंड**		
1.	2009	1	जूपिटर आयरन इंडस्ट्रीज प्रा.लि.
2.	2010	–	
3	2011	2	जय बालाजी इंडस्ट्रीज लि. बालाजी इंडस्ट्रियल प्रोड्क्टस लि. जय
(घ)	**कर्नाटक**		
1	2009	16	प्रकाश स्पंज आयरन एंड पावर लि.

1	2	3	4
			एमएसपीएल लि.
			ई-रामामूर्ति मिनरल्स एंड मेटल्स प्रा.लि.
			एसई स्टील लि.
			कस्तूरी इस्पात प्रा.लि.
			हजीरा स्टील लि.
			श्री कुमारस्वामी मिनरल्स एक्सपोर्ट्स
			महाराष्ट्र सीमलैस प्रा.लि.
			कर्नाटक स्टील प्रा.लि.
			शक्ति स्टील एंड पावर इंडस्ट्रीज लि.
			जेएसडब्ल्यू स्टील लि.
			जेएसडब्ल्यू सेवरफील्ड स्ट्रक्चर्स लि.
			एनएमडीसी लि.
			पीबीएस स्टील एंड पावर इंडस्ट्रीज प्रा.लि.
			रविन्द्र ट्रेडिंग एंड इजेंसिज लि.
			आर्क स्टील इंडस्ट्रीज प्रा.लि.
2.	2010	49	वीआईसी स्टील्स प्रा.लि.
			अर्धाया स्टील प्रा.लि. (2)
			एमएसपी एनर्जी लि.
			आर्क स्टील इंडस्ट्रीज प्रा.लि.
			सुराना इंडस्ट्रीज लि.
			पीएमबी मेटालिक्स प्रा.लि.
			पीबीएस स्टील एंड पावर इंडस्ट्रीज प्रा.लि.
			एसएलआर मेटालिक्स लि.

1	2	3	4
			भूषण स्टील लि.
			भद्राश्री स्टील एंड पावर लि.
			जेएसडब्ल्यू स्टील लि.
			जेएसडब्ल्यू सेवरफील्ड स्ट्रक्चर्स लि.
			जिंदल सॉ लि.
			टाटा मेटालिक्स लि.
			किर्लोस्कर फैरस इंडस्ट्रीज लि.
			सदर्न फैरो लि.
			आधुनिक मेटालिक्स लि.
			पोस्को-इंडिया प्रा.लि.
			श्री रेणुका एनर्जी लि.
			रवीन्द्र ट्रेडिंग एंड एजेंसिज लि.
			विश्वनाथ शूगर्स लि.
			एचआरजी एलॉय्स एंड स्टील प्रा.लि.
			दिव्या ज्योति स्टील्स लि. (2)
			वीएसएल माइनिंग कंपनी प्रा.लि.
			उपेन्द्रन माइनिंग एंड मैनुफैक्चरिंग प्रा.लि.
			टेक्नो फॉरचून इंडिया प्रा.लि.
			महालक्ष्मी प्रोफाइल्स प्रा.लि.
			कलावती इस्पात एंड पावर प्रा.लि.
			कर्नाटक स्टील प्रा.लि.
			मिनरल इंटरप्राइजिस लि.

1	2	3	4
			आरबीएसएसएन फैरस इंडस्ट्रीज प्रा.लि.
			मित्तल स्टील्स लि.
			डोड्डानावर मंजीनझाओ माइनिंग एंड मेटालर्जी प्रा.लि.
			गैलैंट मेटल लि.
			यूआर स्टील्स प्रा.लि.
			सुप्रा स्टील एंड पावर प्रा.लि.
			केज मिनरल्स प्रा.लि.
			स्वास्तिक स्टील (हॉस्पेट) प्रा.लि.
			एसबीक्यू स्टील्स लि.
			आर्सलर मित्तल इंडिया लि.
			हजीरा स्टील लि.
			कन्कास्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.
			अमृता कंस्ट्रक्शन्स प्रा.लि.
			अमीरेड्डी स्टील एंड पावर प्रा.लि.
			ब्राह्मणी इंडस्ट्रीज कर्नाटक लि.
			एनएमडीसी लि.
			वरूण इंडस्ट्रीज लि.
3	2011	08	केएनके कॉरपोरेशन
			मान ग्लोबल लि.
			श्री राम इलेक्ट्रोकास्ट प्रा.लि.
			लक्सर आयरन एंड स्टील प्रा.लि.
			आलूकास्ट ऑटो पार्ट्स लि.

1	2	3	4
			जीनत ट्रांसपोर्ट कंपनी
			जेएसडब्ल्यू प्रोजेक्ट्स लि.
			शान्ता स्टील एंड पावर प्रा.लि.
(ङ)	ओडिशा		
1	2009	—	
2.	2010	1	इमटैक मेटल एंड माइनिंग लि.
3	2011	—	

रक्षा भूमि का कम होना

473. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरीकरण, अतिक्रमण, अनधिकृत कब्जे और राज्य सरकारों के पास भूमि अधिकारों के कारण सशस्त्र सेनाओं के लिए फायरिंग रेंज भूमि वर्ष-दर-वर्ष कम हो रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा सरकार अथवा पाइवेट प्रयोजनों के लिए कितनी भूमि अनधिसूचित की गई है और इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सशस्त्र सेनाओं ने विभिन्न राज्यों में कम हो रही फायरिंग रेंज भूमि के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं;

(ङ) अभी तक विभिन्न राज्यों में फायर रेंज में फायरिंग के कारण हुई कितनी मौतों की सूचना मिली है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) जी, हां।

(ख) सेना द्वारा वर्ष 2009 में धारित कुल 104 फायरिंग रेंजों में से 38 फायरिंग रेंजों (विवरण-I) को 2009 में फायरिंग रेंजों की सूची में से हटा दिया गया था क्योंकि वे सेना द्वारा इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं हो रही थीं और अत्यधिक प्रयासों के बावजूद भी संबंधित राज्य सरकारें इन्हें पुन: अधिसूचित नहीं कर रही थीं। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सेना की शेष 66 फायरिंग रेंजों में से 15 रेंजों (विवरण-II) को इस समय अनधिसूचित कर दिया गया है। जहां तक वायुसेना और नौसेना का संबंध है, किसी भी फायरिंग रेंज को अनधिसूचित नहीं किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) अनधिसूचित की गई रेंजों के शीघ्र पुन: अधिसूचित किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर समेकित प्रयास किए जा रहे हैं। संबंधित सेना कमानें भी संबंधित राज्य सरकारों के साथ सिविल सैन्य संपर्क सम्मेलनों में रेंजों के मामले को उठा रही हैं। साथ-ही-साथ और अधिक रेंजों के अर्जन के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा, सेना द्वारा फील्ड फायरिग रेंजों को पुन: अधिसूचित करने/उनका अर्जन करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रेरित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(ङ) अब तक फायरिंग के दौरान किसी सिविलियन की मृत्यु होने की सूचना नहीं है। तथापि, सिविलियनों द्वारा फील्ड फायरिंग रेंजों से मेटल स्क्रेप को अप्राधिकृत रूप से इकट्ठा करने के दौरान कुल मिलाकर 10 लोगों की मृत्य की सूचना दी गई है।

(च) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित सुरक्षा/एहतियाती उपाय/कदम पहले ही उठाए जा रहे हैं:–

(i) प्रत्येक रेंज के लिए रेंज स्टैंडिंग आर्डरों के रूप में समग्र सुरक्षा अनुदेश लागू किए गए हैं।

(ii) फायरिंग से पूर्व सिविल प्रशासन से समय रहते स्वीकृति ली जाती है।

(iii) स्थानीय सिविल प्रशासन द्वारा स्थानीय निवासियों को फायरिंग के बारे में सावधान किया जाता है।

(iv) फायरिंग के बारे में लोगों को सावधान करने के लिए स्थायी नोटिस बोर्ड लगाए गए हैं। रेंजों की ओर जाने वाली विभिन्न सड़कों/ट्रेकों के साथ-साथ लाल झंडे भी लगाए गए हैं और संतरियों को तैनात किया गया है तथा सिविलियन वाहनों, कार्मिकों तथा पशुओं के प्रवेश को नियमित किया जाता है।

(v) फायरिंग के दौरान पुलिस के प्रतिनिधि भी मौजूद रहते हैं।

(vi) फायरिंग के बाद पुलिस, गांवों तथा सिविल प्रशासन से स्वीकृति ली जाती है।

(vii) जान माल की हानि को रोकने के लिए विस्फोट न हुए सभी एम्युनिशन की खोज की जाती है, उन्हें इकट्ठा किया जाता है और नष्ट कर दिया जाता है।

(viii) ज्वलनशील एम्युनिशन पर प्रतिबंध लगाकर तथा सक्रिय फायर फाइटिंग साधनों को अपनाकर जंगल में आग लगने से रोकने हेतु उपाए किए जाते हैं।

विवरण-I

सूची से हटाई गई फील्ड फायरिंग रेंज

क्र.सं.	रेंज का नाम	कमान
1	2	3
1.	चानो	मध्य कमान
2.	मन्ना	मध्य कमान
3.	मलारी	मध्य कमान
4.	रामराज	मध्य कमान
5.	गंगाधर	मध्य कमान
6.	ओली	मध्य कमान
7.	अर्जुनगंज	मध्य कमान
8.	राजगढ़	दक्षिण पश्चिम कमान
9.	भोज राज	दक्षिण पश्चिम कमान
10.	श्री हरगोबिन्दपुर	पश्चिम कमान
11.	धिलवान	पश्चिम कमान
12.	सिसवान	पश्चिम कमान
13.	तुगलकाबाद	पश्चिम कमान
14.	सुमदो 'वाई' सेक्ट	पश्चिम कमान
15.	मेनचुका	पूर्व कमान
16.	केइंग	पूर्व कमान
17.	टूटिंग	पूर्व कमान
18.	यिनकियोंग	पूर्व कमान
19.	बलियांग	पूर्व कमान
20.	जयरामपुर	पूर्व कमान
21.	टिप्पी चाकू	पूर्व कमान
22.	सेला	पूर्व कमान
23.	वेस्ट मिआओ	पूर्व कमान
24.	गोगला	पूर्व कमान

1	2	3
25.	सेजोसा	पूर्व कमान
26.	मिआओ	पूर्व कमान
27.	बुक्साडोर	पूर्व कमान
28.	लौंग चुलियट	पूर्व कमान
29.	टिक्कर	दक्षिण कमान
30.	रंजीत सागर	दक्षिण कमान
31.	मालथोन	दक्षिण कमान
32.	सिंगपुर	दक्षिण कमान
33.	मार्कन्ड्या	दक्षिण कमान
34.	पानागुड्डी	दक्षिण कमान
35.	कोलेगल	दक्षिण कमान
36.	जारला	उत्तर कमान
37.	संजुवान	उत्तर कमान
38.	न्यू राजौरी	उत्तर कमान

विवरण-II

अनधिसूचित की गई फील्ड फायरिंग रेंज

क्र. सं.	रेंज का नाम	राज्य
1	2	3
01.	देयोमुरा	त्रिपुरा
02.	खोडाला	महाराष्ट्र
03.	दौकी	उत्तर प्रदेश
04.	गरुर बसूर	असम
05.	नारा टिंडिंग	अरुणाचल प्रदेश
06.	चक्की खाद	पंजाब और हिमाचल प्रदेश
07.	कमरोटा	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
08.	रीवा	मध्य प्रदेश
09.	फराह	उत्तर प्रदेश
10.	कोरुंगा	गुजरात
11.	चोरल	मध्य प्रदेश
12.	महू सं. 9 का एबीसी एक्स.	मध्य प्रदेश
13.	रामगंगा	उत्तर प्रदेश
14.	मरिहल/मरिहल एक्स.	कर्नाटक
15.	रामदुर्ग	कर्नाटक

गुंटूर में स्पाइस पार्क

474. श्री राजय्या सिरिसिल्ला : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गुंटूर में स्पाइस पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में अभी तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) गूंटूर में इस स्पाइस पार्क को स्थापित करने हेतु अभी तक कुल कितना निवेश किया गया है; और

(घ) इस स्पाइस पार्क को कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) सरकार ने मिर्च के उत्पादक किसानों

को शक्तिसंपन्न बनाने के लिए उनके उत्पाद की बेहतर कीमत प्राप्ति एवं विस्तृत बाजार हेतु 23 करोड़ रुपए की लागत पर गुंटूर, आंध्र प्रदेश में एक मसाला पार्क स्थापित करने का अनुमोदन किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस मसाला पार्क की स्थापना करने के लिए मसाला बोर्ड के पक्ष में गुंटूर जिले में वैंकयालपाडू तथा माइडावोलू गांव, इडलापाडु मंडल में 124.78 एकड़ भूमि का आबंटन किया है। इस समय सिविल एवं बिजली संबंधी कार्य लगभग पूरा हो गया है। मिर्च के प्रसंस्करण हेतु संयंत्र एवं मशीनरी की स्थापना का कार्य प्रगति पर है और यह समय सारणी के अनुसार है। पार्क में अपनी अलग प्रसंस्करण इकाई विकसित करने के लिए निर्यातकों को 38 एकड़ भूमि का आबंटन किया गया है। अब तक इस मसाला पार्क को स्थापित करने पर 14.62 करोड़ रुपए का व्यय हो चुका है। परियोजना को दिसम्बर, 2012 तक पूरा करने का लक्ष्य है। रविन्द्र 131-35

लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क

475. श्री एम. आनंदन :
श्री सुरेश अंगड़ी :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लौह अयस्क के निर्यात को नियंत्रित करने और इस पर रोक लगाने हेतु लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क बढ़ा दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क में इस वृद्धि के बावजूद देश में इस्पात के मूल्य बढ़ रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन (डब्ल्यूएसए) द्वारा जारी विश्व स्तरीय रैंकिंग के अनुसार भारत वर्ष 2010, 2011 और जनवरी-सितम्बर, 2012 के दौरान भी क्रूड स्टील के उत्पादन के संबंध में उत्पादकों की विश्व स्तरीय रैंकिंग के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

शीर्ष 10 विश्व स्तरीय क्रूड स्टील उत्पादक: जनवरी-सितम्बर, 2012

रैंक	देश	मात्रा (एमटी)	जनवरी-सितम्बर 2011 की तुलना में % परिवर्तन
1	चीन	542.3	1.7
2	जापान	81.3	0.4
3	अमेरिका	68.1	5.3
4	भारत	57.1	4.8
5	रूस	53.7	4.3
6	साउथ कोरिया	52.1	3.0
7	जर्मनी	32.4	-5.0
8	टर्की	27.1	8.4
9	ब्राजील	26.0	-3.0
10	यूक्रेन	25.10	-5.3
	शीर्ष 10	965.2	1.8
	विश्व	1149.4	0.6

स्रोत: डब्ल्यूएसए, जेपीसी; *अनंतिम

(ग) और (घ) लौह अयस्क के निर्यात को हतोत्साहित करने और सस्ती कीमत पर घरेलू लोहा एवं स्टील उद्योग के लिए लौह अयस्क की उपलब्धता में सुधार करने हेतु सरकार ने 30.12.2011 से लौह अस्यक के सभी ग्रेडों (पैलेट को छोड़कर) पर निर्यात शुल्क यथामूल्य 20 प्रतिशत से बढ़ा कर यथामूल्य 30 प्रतिशत कर दिया है।

(ङ) और (च) देश में स्टील एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और व्यक्तिगत उत्पादकों द्वारा स्टील की घरेलू कीमतें मांग-पूर्ति परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में प्रवृत्ति, कच्चे माल एवं आदानों की लागत इत्यादि समेत बाजार परिस्थितियों के आधार पर तय की जाती हैं। तथापि, यह उल्लेख किया जाता है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान स्टील की कीमतों में गिरावट की प्रवृत्ति नजर आई है जैसाकि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

जेपीसी की संकेतक बाजार कीमत - दिल्ली

(रुपये प्रति टन)

	टीओआर/टीएमटी/ सीटीडी 10 एमएम	एचआर क्वायल्स 2.00 एमएम	सीआर क्वायल्स 0.63 एमएम
अप्रैल - 12	51580	49070	54100
मई - 12	49620	49070	53580
जून - 12	50280	49050	53580
जुलाई - 12	50000	49050	53180
अगस्त - 12	49650	48800	52500
सितम्बर - 12	49580	48840	52780
अक्तूबर - 12	49580	48770	52580

परिवहन क्षेत्र में समस्याएं

476. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरानी अवसंरचना और देश के आर्थिक रूप से कम सक्रिय भागों में निवेश की कमी के कारण परिवहन क्षेत्र के कुछ भाग समस्याग्रस्त हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) और (ख) जी, नहीं।

यह मंत्रालय मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत प्रक्रिया है। तदनुसार देश के समस्त राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध संसाधनों और पारस्परिक प्राथमिकता के अनुसार समय-समय पर यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है।

देश के राष्ट्रीय राजमार्गों और आर्थिक दृष्टि से कम सक्रिय भागों में राज्य सड़कों के विकास/उन्नयन के लिए सरकार ने अरुणाचल प्रदेश पैकेज सहित नॉर्थ-ईस्ट (एसएआरडीपी-एनई) में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों तथा जम्मू और कश्मीर में भी सड़कों के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम बनाया है। इसके अतिरिक्त, सरकार केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) योजना के अंतर्गत राज्य सड़कों (ग्रामीण मार्गों के अलावा) के विकास के लिए केंद्रीय सड़क निधि योजना (सीआरएफ) के अंतर्गत राज्य सरकारों को फंड उपलब्ध कराती है।

जैव-विविधता का संवर्धन

477. श्री जयंत चौधरी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैव-विविधता के संवर्धन के लिए निधियां आबंटित की गई हैं और विगत दो वर्षों में किन विशिष्ट क्षेत्रों के लिए यह धनराशि खर्च की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार 'एइची' जैव-विविधता लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बाह्य निधियां प्राप्त करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) यह मंत्रालय, जैव-विविधता के संरक्षण से संबंधित मामलों पर कार्य करने वाली विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को सुनिश्चित करने और उनके लिए समुचित नीति दस्तावेजों की समीक्षा एवं मॉनीटरिंग करने और ऐसे दस्तावेज़ तैयार करने हेतु जैव-विविधता संरक्षण संबंधी एक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है।

विगत दो वर्षों के दौरान, राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण, जैव सुरक्षा एवं बैठकों और कार्यशालाओं के आयोजन के लिए स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2010-11 में 6.72 करोड़ रु. और वर्ष 2011-12 में 11.79 करोड़ रु. का व्यय किया गया।

(ख) और (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने "भारत में जैव-विविधता के संरक्षण और प्रबंधन हेतु समर्थकारी माहौल का सुदृढ़ीकरण" नामक एक प्रत्यक्ष पहुंच परियोजना के माध्यम से वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) से 2,42,000 अमेरिकी डॉलर प्राप्त किए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य भारत द्वारा सीबीडी की राष्ट्रीय रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता प्रदान करना है जिनमें एइची जैव-विविधता के लक्ष्यों की तर्ज पर राष्ट्रीय लक्ष्यों का विकास, राष्ट्रीय जैव-विविधता कार्य नीति और कार्य योजना (एनबीएसएपी) में संशोधन और जैव-विविधता के लिए पांचवीं राष्ट्रीय रिपोर्ट तैयार करना शामिल हैं।

135-36

रक्षा भूमि का आबंटन

478. **श्री पी. विश्वनाथन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवारत/भूतपूर्व कार्मिकों के लिए मकानों के निर्माण के लिए विभिन्न व्यक्तियों/सोसायटियों को कुल कितनी रक्षा भूमि आवंटित की गई है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय द्वारा जारी किए गए भूमि आवंटन मानदंडों का कितनी सोसायटियों ने उल्लंघन किया है;

(ग) क्या सरकार का विचार भूमि आवंटन नियमों के उल्लंघन के लिए आदर्श ग्रुप हाउसिंग सोसायटी, मुंबई के विरुद्ध कार्रवाई करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(घ) कितने सेवारत वरिष्ठ/सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों को आदर्श हाउसिंग सोसायटी में फ्लैट आवंटित किए गए थे; और

(ङ) क्या आवंटन को रद्द किये जाने का प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) सेवारत/भूतपूर्व सैन्य कर्मियों के लिए आवास के निर्माण के लिए व्यक्तियों/सोसायटी को रक्षा भूमि का आबंटन नहीं किया जा रहा है। तथापि, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कोलाबा, मुंबई में लगभग 3824 वर्ग मीटर पैमाइश वाली भूमि, जो लंबे समय से सेना के कब्जे में थी, का आबंटन आदर्श कोऑपरेटिव आवासीय सोसायटी को किया था।

(ग) आदर्श कोऑपरेटिव आवासीय सोसायटी, मुंबई को आबंटन, संबंधी आरोपों की पूरी जांच करने के लिए सरकार द्वारा यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया था। जांच के पश्चात् कतिपय लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किये गये हैं।

(घ) इक्कीस सेवारत/सेवानिवृत्ति सैन्य अधिकारियों को आदर्श हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट-आवंटित किए गये थे।

(ङ) यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

[हिन्दी] 136-40

सीबीडब्ल्यूई के माध्यम से कार्यक्रम

479. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन (सीबीडब्ल्यूई) के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रमों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप क्या उपलब्धि प्राप्ति हुई?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीडब्ल्यूई) महाराष्ट्र सहित देश में संगठित, असंगठित और ग्रामीण क्षेत्र के कामगारों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। वित्तीय वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 (अक्तूबर, 2012 तक) के दौरान, सीबीडब्ल्यूई द्वारा आयोजित कार्यक्रमों और प्रशिक्षित कामगारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

सीबीडब्ल्यूई द्वारा आयोजित कार्यक्रमों और प्रशिक्षित कामगारों की राज्य-वार/संघ क्षेत्र-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13 (अक्तूबर, 2012 तक)	
		कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	505	17477	585	20155	639	24771	349	12208
2.	असम	255	9040	325	11475	308	12331	162	6308
3.	बिहार	96	3600	93	3482	139	5535	87	3248
4.	छत्तीसगढ़	221	7017	207	6642	260	9088	117	3861
5.	दिल्ली	170	6193	184	6839	223	7417	150	5641
6.	गोवा	191	6276	180	6076	169	6285	60	2007
7.	गुजरात	460	15568	563	17941	674	27259	336	12308
8.	हरियाणा	118	4125	128	4199	257	9560	121	4284
9.	हिमाचल प्रदेश	91	3220	96	3608	85	3187	41	1411
10.	जम्मू और कश्मीर	98	3911	99	3609	139	5349	45	1680
11.	झारखंड	396	15096	420	15747	515	20113	311	11709
12.	कर्नाटक	506	16703	516	18143	673	26965	322	11348
13.	केरल	370	11745	399	13804	420	16928	228	8020
14.	मध्य प्रदेश	542	21116	471	16482	565	22350	343	11931
15.	महाराष्ट्र	806	27051	795	26998	946	35203	567	19039
16.	मणिपुर	194	6968	236	9005	153	7108	69	2634
17.	ओडिशा	414	14381	499	17846	635	24248	380	13790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	पंजाब	145	5391	155	5057	156	6186	88	3367
19.	राजस्थान	225	7915	226	7801	232	8326	111	3969
20.	तमिलनाडु	825	28964	704	25231	933	37583	438	15878
21.	उत्तर प्रदेश	1017	34925	915	33221	988	38133	611	22254
22.	पश्चिम बंगाल	638	21357	664	22584	617	26032	398	14232
23.	अरुणाचल प्रदेश	4	138	0	0	12	480	0	0
24.	नागालैंड	3	108	3	120	7	280	0	0
25.	मेघालय	3	112	2	79	14	560	0	0
26.	मिजोरम	2	65	8	320	18	720	0	0
27.	त्रिपुरा	4	132	3	120	12	480	0	0
28.	सिक्किम	5	158	4	150	4	160	9	245
	कुल	8304	288752	8480	296734	9793	382637	5343	191372

[अनुवाद] जलपरिवहन 139.41

नाविकों के लिए कल्याण योजनाएं

480. **श्री राम सिंह राठवा : क्या पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में नाविकों के लिए कल्याण योजनाओं को सशक्त बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी कल्याण योजनाओं को अंमित रूप देने से पहले विभिन्न स्टेक होल्डरों के साथ परामर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार का देश में नाविकों के लिए ऐसी कल्याण योजनाओं को कब तक अंतिम रूप दिये जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) से (ङ) जी, हां। मासिक अनुग्रह मौद्रिक सहायता योजना 01.04.1978 से चल रही है। विदेश जाने वाले (विदेशी पताका वाले भारतीय) पंजीकृत भारतीय नाविक अधिवर्षिता प्राप्त होने पर सेवा निवृत्ति के पश्चात्/50 वर्ष की आयु पूरा कर लेने पर अथवा स्थायी रूप से निःशक्त होने पर और जो नाविक का पेशा जारी रखने में असमर्थ हैं, इस योजना के तहत पात्र हैं। भारतीय नाविकों की विधवाएं/अवयस्क बच्चे भी पात्र नाविक की मृत्यु की तारीख से अधिकतम 12 वर्षों की अवधि के लिए इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। इस योजना के तहत देय राशि इस समय 200/- रु. प्रतिमाह है। और पात्र प्राप्तकृता के बैंक खाते में अर्द्धवार्षिक आधार पर यह राशि सीधे खाते में डाली जा रही है। निधि की राशि बढ़ाने के लिए और इस स्कीम को शीघ्रातिशीघ्र सुदृढ़ करने की दृष्टि से निम्नलिखित उपाय शुरू किए गए हैं:—

(i) भुगतान के लिए देय सभी बकाया राशि नौवहन कंपनियों से एकत्र करना।

(ii) निर्धारित देय राशि के मौजूदा संग्रह कार्य को तेज करना।

(iii) 2004 से प्रति भारतीय नाविक प्रति वर्ष 250/- रुपये से संशोधित कर 500/- रु. कर दिया गया है।

(iv) जो नाविक पंजीकृत है उनके अलावा विदेश जाने वाले पोतों पर भारतीय नाविकों (भारतीय/विदेशी पताका) को शामिल करने के लिए एक ढांचे को व्यापक बनाना।

(v) पंजीकृत स्थानन सेवा लाइसेंसधारकों (आरपीएसएल) के मार्ग से योजना की स्थायी संचित निधि बढ़ाने की संभावना की तलाश करना।

इस विषय पर 2010 में आयोजित राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड की बैठक में और दिनांक 8 नवम्बर, 2012 को आयोजित नाविक कल्याण निधि सोसायटी की प्रबंध समिति की बैठक में संशोधित स्टेक होल्डरों के साथ चर्चा की गई है।

141-142

रक्षा खरीद में तकनीकी अस्वीकृति

481. **श्री हरिभाऊ जावले : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय रक्षा खरीद करते समय तकनीकी अस्वीकृति व्यवस्था को ध्यान में रखता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार सैन्य प्रणालियों पर आधारित सभी कार्यक्रमों के लिए स्रोत कोड प्रदान करने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) द्वारा इंकार किये जाने पर किस प्रकार पेश आती है;

(ग) क्या मंत्रालय भारतीय सैन्य तैयारियों पर देशों द्वारा लगाए गए आगामी प्रतिबंधों की संभाव्यता का भी आकलन करता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हमारे अधिकांश सैन्य उपकरण यूएस से आ रहे हैं, यूएस से संभावित भावी प्रतिबंधों से किसी तीव्र प्रतिक्रिया का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार कर लिया है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (घ) विभिन्न विदेशी एवं स्वदेशी स्रोतों से रक्षा उपस्करों की अधिप्राप्ति रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। रूस, इज़राइल, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, पोलैंड, सिंगापुर आदि सहित विभिन्न देशों से रक्षा उपस्करों का आयात किया गया है और इस प्रकार हमारे रक्षा अर्जनों के आधार को व्यापक बनाया गया है। रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया को मौजूदा समय में प्रौद्योगिकी न देने वाले देशों और स्रोत देशों से संभावित प्रतिबंधों को ध्यान में रखकर बनायी गयी है। इसके अलावा उपस्करों के सभी विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं को तकनीकी और वाणिज्यिक बोलियों के साथ-साथ उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि उनके अपने देश में या उन देशों में जहां से उपसंघटकों की अधिरप्राप्ति की जा रही हो, कोई सरकारी प्रतिबंध नहीं हैं।

[हिन्दी]

बॉक्साइट के खनन की स्वीकृतियों पर प्रतिबंध

482. **श्री मुरारी लाल सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को छत्तीसगढ़ के मेनपत क्षेत्र में बाक्साइट के खनन के लिए स्वीकृति प्रदान करने पर रोक लगाने हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ङ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में श्री मुरारी लाल सिंह, माननीय संसद सदस्य, लोक सभा से पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को संबोधित एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत एल्युमिनियम कम्पनी (बाल्को) द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन न किये जाने का उल्लेख है और बाल्को द्वारा बॉक्साइट का खनन करने पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह भी अनुरोध किया गया है कि नए पट्टे को पर्यावरणीय स्वीकृति न दी जाए।

मामले की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

जी-20 राष्ट्रों के मध्य व्यापार

483. **श्री आर. थामराईसेलवन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अन्य जी-20 देशों ने अपने बीच व्यापार संबंधी तनावों से बचने हेतु अपने प्रयासों को तीव्र करने पर सहमति व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सदस्य देशों द्वारा नये व्यापार प्रतिबंधात्मक उपाय धीमे पड़ गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) दिनांक 18-19 जून, 2012 को लॉस कैबोस, मैक्सिको में आयोजित सम्मेलन में जी-20 नेताओं की घोषणा जी-20 की स्थिति दर्शाता है। जी-20 जिसका भारत भी एक सदस्य है, ने व्यापार एवं निवेश खोलने हेतु इसके सभी रूपों में बढ़ते बाजार एवं संरक्षणवाद का प्रतिरोध करने की दृढ़ प्रतिबद्धता व्यक्त की जो वैश्विक आर्थिक वसूली को बनाए रखने, अवसर एवं विकास के लिए आवश्यक शर्तें हैं। नेताओं ने एक खुले, संभावित नियम आधारित, पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के महत्व को रेखांकित किया तथा विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की मध्यस्थता को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता की। उन्होंने विश्व भर में संरक्षणवाद की बढ़ती हुई घटनाओं की ओर गहरी चिन्ता व्यक्त की और व्यापार एवं निवेश को प्रभावित करने वाले उपायों के संबंध में वर्ष 2014 के अंत तक अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की और जी-20 किसी नए संरक्षणवादी उपाय जो उत्पन्न हो सकते हैं, नए निर्यात प्रतिबंध और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए डब्ल्यूटीओ असंगति उपायों सहित को वापस लेने का वचन करता है। उन्होंने दोहा दौर की वार्ताओं की समाप्ति और डब्ल्यूटीओ को सुदृढ़ करने की ओर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि भी की।

(ग) और (घ) डब्ल्यूटीओ, ओईसीडी और अंकटाड द्वारा लाए गए जी-20 व्यापार एवं निवेश उपायों (मई मध्य 2012 से अक्तूबर मध्य 2012) पर 31 अक्तूबर, 2012 की एक रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट में शामिल पिछले पांच महीनों के दौरान नए व्यापार प्रतिबंध उपायों को लागू करने में कमी आई है। तथापि पिछले तीन वर्षों के दौरान मिली-जुली प्रवृत्ति रही है। पूर्ववर्ती रिपोर्ट में सदस्यों द्वारा नए व्यापार प्रतिबंधों को लागू करने पर चिन्ता जताई गई है। यह भी बताया गया है कि इस बात का कोई संकेत नहीं है कि मौजूदा प्रतिबंधों को हटाने के लिए कोई प्रयास किए गए हों विशेष तौर पर जो प्रतिबंध वैश्विक संकट के शुरू होने पर लगाए गए थे तथा उसके स्थान पर प्रतिबंधों की सूची में नए उपाय जोड़े गए हैं।

राष्ट्रीय पार्क के निकट खनन कार्यकलापों पर प्रतिबंध

484. **श्री बदरूद्दीन अजमल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क के निकट 'नो-डेवलपमेंट जोन (एनडीजेड)' में अवैध खनन पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के निकट नो डेवलपमेंट जोन (एनडीजेड) में मानवकृत कार्यकलापों के संबंध में एक सर्वेक्षण किया है। इस सर्वेक्षण के अनुसार, एनडीजेड में खनन संबंधी कोई गतिविधि नहीं पाई गई है।

ओडिशा में सड़क परियोजनाएं

485. **श्री नित्यानंद प्रधान : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में राजमार्ग और अन्य सड़क परियोजनाओं में तेजी लाने हेतु लगभग 20,000 करोड़ रुपये निर्धारित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ओडिशा में उपर्युक्त धनराशि से किन सड़क परियोजनाओं को वित्तपोषित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) ओडिशा राज्य के लघु पत्तनों सहित सभी बंदरगाहों को मुख्य राजमार्गों से जोड़ने हेतु क्या कार्य योजना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) और (ख) इस मंत्रालय का वर्ष 2012-13 के लिए योजना परिव्यय 22,600 करोड़ रुपए हैं। इसमें से ओडिशा राज्य के लिए वर्ष 2012-13 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) के अंतर्गत कार्य, स्थायी पुल शुल्क निधि (पीबीएफएफ), वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) और आर्थिक महत्व तथा अंतर्राज्यीय सम्पर्क (ईआई एंड आईसी) योजनाएं आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल 484.84 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त देश में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी), विश्व बैंक ऋण सहायता और ओडिशा राज्य की परियोजनाओं सहित विजयवाड़ा-रांची के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए 12,215.98 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय उपलब्ध कराया गया है।

(ग) इस मंत्रालय की, ओडिशा राज्य के छोटे बंदरगाहों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने सहित सभी समुद्री बंदरगाहों को जोड़ने की कोई कार्य योजना नहीं है।

पाकिस्तान से एफडीआई

486. श्री ई.जी. सुगावनम :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पाकिस्तान के साथ एफडीआई खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी क्या मुख्य विशेषताएं/मानदंड हैं;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच बहुपक्षीय व्यापार में सुधार लाने हेतु दोनों देशों के व्यापार प्रतिनिधि – मंडलों ने एक दूसरे देश का दौरा किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष रहे;

(ङ) क्या सरकार का भारत-पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी, हां।

(ख) (i) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने दिनांक 1 अगस्त, 2012 के प्रेस नोट सं. 3 (2012 शृंखला) के द्वारा रक्षा, अंतरिक्ष तथा परमाणु ऊर्जा से इतर क्षेत्रों/कार्यकलापों में पाकिस्तान से निवेश की अनुमति दी है। तदुपरान्त आरबीआई ने फेमा विनियमनों [आरबीआई/2012-13/173 ए.पी. (डी/आर शृंखला) परिपत्र सं. 16 दिनांक 22.08.2012] को संशोधित करने की एक अधिसूचना जारी की थी।

(ii) आरबीआई ने दिनांक 7 सितम्बर, 2012 को एक परिपत्र सं. "आरबीआई/2012-13/198 ए.पी. (डीआईआर शृंखला) परिपत्र सं. 25" जारी किया। इसके अनुसार पाकिस्तान में भारतीय पक्षकारों द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को सरकारी अनुमोदन नियम के अंतर्गत विचार किया जाएगा।

(ग) जी, हां।

(घ) दोनों देशों से व्यापार प्रतिनिधिमंडल नियमित रूप से द्विपक्षीय दौरा कर रहे हैं। अन्य के साथ-साथ इसमें शामिल हैं व्यापार प्रतिनिधिमंडल जो पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री के भारत दौरे के साथ था (सितम्बर, 2011, अप्रैल, 2012) तथा भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल जो वाणिज्य, उद्योग एवं वस्त्र मंत्री के फरवरी, 2012 में पाकिस्तान दौरे में उनके साथ था। भारत और पाकिस्तान के बीच वीजा प्रणाली का व्यापक आर्थिक संबंधों को सुकर बनाने के लिए उदारीकरण कर दिया है।

(ङ) जी, हां। भारत एवं पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रियों ने व्यापार समुदायों के बीच नियमित और बातचीत बनाए रखने के लिए एक अतिरिक्त संस्थानिक ढांचे के रूप में एक संयुक्त व्यापार परिषद् (प्रत्येक देश द्वारा नामित प्रमुख व्यापार व्यक्ति सहित) का गठन करने के लिए अप्रैल, 2012 में निर्णय लिया था।

(च) अप्रैल, 2011 में वाणिज्यिक और आर्थिक सहयोग पर वाणिज्य सचिव स्तर की भारत-पाकिस्तान वार्ताओं के 5वें दौर के साथ पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय व्यापार वर्ता पुनः शुरू हुई थी। इसके बाद वार्ताओं का अगला दौर नवम्बर, 2011 में दिल्ली में

तथा सितम्बर, 2012 में इस्लामाबाद में आयोजित किया गया। सितम्बर, 2011, फरवरी, 2012 और अप्रैल, 2012 में तीन मंत्रिस्तरीय वार्ताएं भी आयोजित की गई थीं। फरवरी, 2012 में भारत के वाणिज्य मंत्री ने पाकिस्तान का पहला द्विपक्षीय दौरा किया था।

दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। पाकिस्तान सकारात्मक सूची प्रणाली से नकारात्मक सूची प्रणाली की ओर गया है जिससे भारत के साथ व्यापार योग्य मदों में काफी वृद्धि हुई है। इसी प्रकार भारत ने पाकिस्तान को आंतरिक/बाह्य निवेश प्रवाह पर अपने पहले के प्रतिबंधों को उदारीकृत किया है। दोनों पक्ष साफ्टा (दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र) प्रक्रिया के अंतर्गत अधिमानी व्यापार प्रबंधन के लिए एक विस्तृत रोडमैप पर सहमत हुए हैं।

[हिन्दी]

ईपीएफ में एफडीआई

487. **श्री हंसराज गं. अहीर : क्या श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने वर्ष 2012-13 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर बढ़ाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्मचारी भविष्य निधि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देने के निर्णय को कार्यान्वित कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो ईपीएफ में एफडीआई की अनुमति देने के परिणामस्वरूप क्या प्रभाव रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश): (क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अभी तक वर्ष 2012-13 के लिए ब्याज दर की घोषणा का प्रस्ताव नहीं किया है।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का न्यासी बोर्ड संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक निकाय है और कोई कंपनी नहीं है। एफडीआई सहित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में वस्तुतः निवेश का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ऊपर भाग (ग) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

कालका-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग

488. **श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कालका-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन का बनाने की स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन का बनाने का कार्य कब तक शुरू किए जाने और पूरा किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) से (ग) कालका-परवानु खंड को 4 लेन का बनाए जाने का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। परवानु-शिमला खंड को 4 लेन का बनाने के लिए अर्हता अनुरोध पहले ही आमंत्रित किया जा चुका है और इसको पूरा किए जाने का लक्ष्य नियत तारीख से तीन वर्ष रखा गया है।

[अनुवाद]

वनीकरण परियोजनाएं

489. **श्रीमती प्रिया दत्त : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बहुत सारी स्वैच्छिक एजेंसियां वनीकरण परियोजनाओं के लिए अदायगी प्राप्त करने के पश्चात् गायब हो गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनियमितताओं की जांच करने हेतु उच्च स्तरीय समितियां गठित की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इन समितियों की रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) स्वैच्छिक संगठनों (वीओ) को वित्तीय सहायता राज्य सरकारों की सिफारिश के आधार पर ग्रीनिंग इंडिया स्कीम हेतु सहायता अनुदान के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लोगों की भागीदारी से वृक्षारोपण की भी परिकल्पना की गई थी। निधियां तीन किस्तों में जारी की गई थीं। वर्ष 2003-08 के दौरान कुल 564 स्वैच्छिक संगठनों को समान संख्या में परियोजनाएं मंजूर की गई थीं। जबकि 57 संगठनों ने सभी तीनों किस्तों का लाभ उठाया, 245 संगठनों ने दो किस्तों का और शेष 262 स्वैच्छिक संगठनों ने केवल पहली किस्त का लाभ लिया। स्वैच्छिक संगठनों के निष्पादन न करने के कारण, इस स्कीम को 2008-09 से बंद कर दिया गया है और पिछले तीन वर्षों से स्वैच्छिक संगठनों को कोई नई परियोजना मंजूर नहीं की गई है।

(ग) से (च) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आग्रह पर, जांच करने, निधियों की वसूली करने और दोषी एजेंसियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने हेतु राज्यों में उच्चस्तरीय समितियां गठित की गई हैं। अब तक राज्यों से, की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं।

नए वन क्षेत्र का सृजन

490. श्री एन. चेलुवरया स्वामी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वैश्वीकरण, औद्योगीकरण, शहरीकरण और कोयला खानों के दोहन के कारण राज्य-वार कितना वन क्षेत्र कम हुआ; और

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पौधरोपण के माध्यम से राज्य-वार कितना नया वन क्षेत्र सृजित किया गया?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वनीकरण के अंतर्गत शामिल वन तथा सार्वजनिक भूमि क्षेत्र के राज्य-वार विवरण के साथ, वर्तमान वर्ष सहित तीन वर्षों के दौरान गैर-वन प्रयोजनों हेतु वन भूमि के अपवर्तन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत दिए गए अनुमोदनों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

दिनांक 25.10.1980 को प्रभावी होने की तिथि से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत दिए गए श्रेणी-वार अनुमोदन (चरण-I और चरण-II)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010		2011		2012 (21.11.12 की स्थिति के अनुसार	
		अनुमोदित मामलों की संख्या	कुल अपवर्तित भूमि (हैक्टेयर)	अनुमोदित मामलों की संख्या	कुल अपवर्तित भूमि (हैक्टेयर)	अनुमोदित मामलों की संख्या	कुल अपवर्तित भूमि (हैक्टेयर)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	2	0.225	5	16.985
2.	आंध्र प्रदेश	27	5670.628	40	2049.181	29	720.703
3.	अरुणाचल प्रदेश	44	1431.229	17	863.394	12	2189.321

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	असम	5	308.251	7	6.539	2	179.15
5.	बिहार	31	773.503	36	3109.511	25	337.12
6.	चंडीगढ़	2	0.103	3	0.2.1.2	1	0.1
7.	छत्तीसगढ़	31	4656.446	21	3579.31	13	2646.296
8.	दादरा और नगर हवेली	5	1.99	9	2.877	4	1.552
9.	दमन और दीव	0	0	1	3.95	0	0
10.	दिल्ली	1	0.94	2	15.8	0	0
11.	गोवा	8	239.937	2	92.5	0	0
12.	गुजरात	134	1342.765	72	1807.349	68	1011.453
13.	हरियाणा	299	395.329	289	171.433	199	453.804
14.	हिमाचल प्रदेश	147	1277.382	162	670.763	82	1069.278
15.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0
16.	झारखंड	58	4920.823	44	3244.043	36	3642.818
17.	कर्नाटक	25	1301.575	29	233.944	21	228.598
18.	केरल	4	1.184	4	13.646	7	4.906
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	55	2698.017	52	1774.647	35	3572.772
21.	महाराष्ट्र	65	2443.368	63	1343.119	46	1444.323
22.	मणिपुर	4	691.79	1	223.5	1	135.82
23.	मेघालय	0	0	3	7.441	2	230.605
24.	मिजोरम	0	0	2	253.383	1	384.031
25.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
26.	ओडिशा	20	2677.042	28	3821.749	17	1802.586

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
28.	पंजाब	244	335.095	296	194.952	105	570.32
29.	राजस्थान	32	2640.317	37	1128.996	10	105.437
30.	सिक्किम	11	385.229	25	103.592	0	0
31.	तमिलनाडु	18	433.194	13	25.067	10	42.223
32.	त्रिपुरा	15	19.846	13	36.209	2	37.298
33.	उत्तर प्रदेश	107	429.003	191	328.519	49	911.666
34.	उत्तराखंड	435	1789.323	236	1989.021	74	326.071
35.	पश्चिम बंगाल	10	190.654	12	67.165	4	19.918
	कुल	1837	37054.96	1712	27162.03	860	22085.16

पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक और वन भूमि पर किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वृक्षारोपणों के क्षेत्र (हैक्टेयर में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वनीकरण कार्यकलापों के अंतर्गत शामिल वन एवं सार्वजनिक भूमि के क्षेत्र (हैक्टेयर)			
		2010-11	2011-12	2012-13*	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3,83,927	4,07,700	3,85,400	11,77,027
2.	अरुणाचल प्रदेश	6,150	10,817	10,800	27,767
3.	असम	3,509	43	5,650	9,202
4.	बिहार	15,378	22,796	22,700	60,874
5.	छत्तीसगढ़	58,458	50,412	50,400	1,59,270
6.	गोवा	488	465	450	1,403
7.	गुजरात	1,27,149	1,40,513	1,40,500	4,08,162

1	2	3	4	5	6
8.	हरियाणा	79,883	64,401	57,000	2,01,284
9.	हिमाचल प्रदेश	24,710	31,938	28,900	85,548
10.	जम्मू और कश्मीर	15,453	10,466	7,250	33,169
11.	झारखंड	21,914	34,214	46,200	1,02,328
12.	कर्नाटक	94,376	66,091	67,000	2,27,467
13.	केरल	8,463	3,971	3,950	16,384
14.	मध्य प्रदेश	1,68,678	1,10,702	1,10,700	3,90,080
15.	महाराष्ट्र	1,78,498	1,22,880	1,22,900	4,24,278
16.	मणिपुर	10,532	17,997	18,000	46,529
17.	मेघालय	654	6,840	6,850	14,344
18.	मिजोरम	7,197	6,240	6,250	19,687
19.	नागालैंड	4,790	1,047	10,600	16,437
20.	ओडिशा	2,42,868	1,96,671	173,300	6,12,839
21.	पंजाब	13,711	6,965	6,950	27,626
22.	राजस्थान	96,356	71,301	71,300	2,38,957
23.	सिक्किम	2,734	6,739	7,450	16,923
24.	तमिलनाडु	95,499	75,492	50,700	2,21,691
25.	त्रिपुरा	16,650	25,572	27200	69,422
26.	उत्तराखंड	20,044	23,505	23,000	66,549
27.	उत्तर प्रदेश	84,516	83,233	81,700	2,49,449
28.	पश्चिम बंगाल	14,286	753	16,000	31,039
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1,377	1,583	1,600	4,560

1	2	3	4	5	6
30.	चंडीगढ़	272	316	300	888
31.	दादरा और नगर हवेली	200	269	250	719
32.	दमन और दीव	10	14	15	39
33.	दिल्ली	1,496	1,239	1,150	3,885
34.	लक्षद्वीप	27	22	20	69
35.	पुदुचेरी	33	82	35	150
	कुल	18,00,286	16,03,289	15,62,470	49,66,045

*वर्ष 2012-13 हेतु निर्धारित लक्ष्य।

[हिन्दी]

समुद्र संपर्क परियोजना को स्वीकृति

491. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बांद्रा-वरसोवा समुद्र संपर्क परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ङ) महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) ने मुम्बई के उप-शहरी क्षेत्रों में वरसोवा से बांद्रा तक समुद्र संपर्क विकसित करने के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) के अंतर्गत मंजूरी हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित समुद्र संपर्क तट से लगभग 900 मीटर की दूरी पर है, दोनों और 4+4 लेन सहित 9.890 कि.मी. लम्बा है और जुहू कोलीवाडा तथा जोगर्स पार्क पर ट्रैफिक डिस्पर्सल प्वाइन्ट्स हैं। यह परियोजना प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है।

प्राकृतिक आपदाओं के कारण हानि

492. श्री अर्जुन राम मेघवाल : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान चक्रवातों और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण पोत परिवहन क्षेत्र को हुई हानियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन के पश्चात् पोत परिवहन क्षेत्र में ऐसी हानियों में कमी हुई है;

(ग) यदि हां, तो हानियों में कमी की सीमा का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पोत परिवहन क्षेत्र में आपदाओं की पूर्व सूचना देने हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पास पर्याप्त व्यवस्था है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान चक्रवातों और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण पोत परिवहन क्षेत्र को हुई हानियों का ब्यौरा दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (च) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) विनाशकारी अथवा विपत्तिपूर्ण परिस्थिति के दौरान नौवहन क्षेत्र में केवल समन्वयक की भूमिका अदा करता है। पोत से सम्बन्धित दुर्घटनाओं से निपटने का कार्य पोतों पर उपलब्ध आपात योजनाओं द्वारा किया जाता है। नौवहन महानिदेशालय को पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा पोतों को सहायता प्रदान करने के लिए समुद्री सहायता सेवा (एमएएस) के रूप में नामित किया गया है। भारतीय तट रक्षक को खोज एवं बचाव कार्यों को करने हेतु नोडल अभिकरण के रूप में नामित किया गया है। भारतीय तट रक्षक राष्ट्रीय तेल छितराव आपदा एवं आकस्मिक योजना के कार्यान्वयन के लिए भी नामित प्राधिकरण है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान चक्रवातों और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण नौवहन क्षेत्र में होने वाले नुकसान

वर्ष/ क्र.स.	पोत का नाम	पताका	कारण	परिणाम	हानियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7
2009						
1.	एशियन फोरेस्ट	हांगकांग	दक्षिण-पश्चिम मानसून के कारण प्रतिकूल मौसम और कार्गो की शिफ्टिंग	18 जुलाई को पुराने मंगलूर पत्तन के नजदीक जलयान का डूबना	जलयान पूरी तरह क्षतिग्रस्त जो नष्ट हो गया	नष्ट हुए पोत की निशानदेही महानिदेशक दीपस्तंभ एवं दीपपोत द्वारा की गई है।
2010						
1.	नन्द अपराजिता	भारतीय	दक्षिण-पश्चिम मानसून के कारण प्रतिकूल मौसम	लक्काडाइव द्वीप में 16 अगस्त को फंस गया	पोत पूरी तरह से नष्ट जिसमें जहाज पर कार्गो का आंशिक नुकसान	तेल हटा दिया गया था। नष्ट पोत को अभी हटाया जाना है।
2011						
1.	एमवी विजडम	सिंगापुर	दक्षिण-पश्चिम मानसून के कारण प्रतिकूल मौसम टो रोप का अलग हो जाना	11 जून को जलयान का जुहू बीच मुंबई पर जमीन में धंस जाना	पोत को माली नुकसान। मात्रा ज्ञात नहीं	जलयान को ईटीवी द्वारा पुनः तैराया गया और स्क्रैप यार्ड में ले जाया गया। कोई प्रदूषण नहीं हुआ।
2.	रेक कैरियर	पनामा	दक्षिण-पश्चिम मानसून के कारण प्रतिकूल मौसम	4 अगस्त को मुंबई के नजदीक डूबना	पोत और कोयले का कार्गो पूरी तरह नष्ट	नष्ट हुए पोत की निशानदेही कर दी गई है।

1	2	3	4	5	6	7
2012						
1.	प्रतिभा कॉवेरी	भारतीय	चक्रवाती मौसम में लंगर का घसीटा जाना	31 अक्तूबर को जलयान का चेन्नई के बीच पर जमीन में धंस जाना	छह कर्मीदल सदस्यों की मृत्यु हुई कुछ नाविकों ने जीवनरक्षक नौका में पोत को छोड़ दिया जोकि बीच पर डूब गई जिससे उपरोक्त हानि हुई। पोत स्वामी को होने वाली माली नुकसान की कोई जानकारी नहीं है।	जलयान को बचाव कार्य करने वालों ने पुन: तैराया। इसे अब मरम्मत के लिए चेन्नई पत्तन दोबारा लाया गया है।

[अनुवाद]

161-12-

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना

493. श्रीमती रमा देवी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की केंद्र प्रायोजित योजना के प्रायोगिक चरण के अंतर्गत चयनित 225 गांवों के नामों का ब्यौरा क्या है;

(ख) बिहार के शिवहर जिले से संबंधित अब तक किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) शिवहर जिले से संबंधित उपरोक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) बिहार में "प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना" नामक केन्द्र प्रायोजित प्रायोगिक योजना के लिए चयनित 225 गांवों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) यह योजना बिहार के शिवहर जिले में कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

विवरण

'बिहार में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना' के अंतर्गत चयनित 225 गांवों की सूची

क्र. सं.	जिला	ब्लॉक	क्र. सं.	ग्राम
1	2	3	4	5
1.	गया	खिजरसराय	1.	नगरियावा
			2.	तरका
			3.	मखदमपुर
			4.	लोहूरेट
			5.	मोहराचक
			6.	शादीपुर
			7.	पथरा
			8.	मोसेपुर
			9.	कुसबेहरा

1	2	3	4	5
			10.	दरियापुर
			11.	नाननपुर
			12.	करहारा
			13.	पनहारी
		अत्रि	14.	खीरी
			15.	मारा
			16.	गंगटी
			17.	तितमो
			18.	नौरंगा
			19.	मिसीरी बिनहा
			20.	अविअलाहापुर
			21.	बनवन गोसेमथ
		मानपुर	22.	रसूना
			23.	दोहारी
			24.	परोरिया
			25.	अमरा
			26.	बदा
			27.	बेजल त्रैत्रिया
			28.	महोरी
			29.	पचम्बा
			30.	तनराही
			31.	बगही कला
			32.	हाली

1	2	3	4	5
			33.	मिर्जापुर
			34.	मसूथा खुर्द
			35.	बीजू बीघा
			36.	मंझोली
			37.	केमूनचक
			38.	गेरे
			39.	ननहक चक
			40.	बेलहंता
		बोधगया	41.	शेखबारा
			42.	प्रिया
			43.	गंगाहर
			44.	रत्नारा गागा बीघा
			45.	नीमान
			46.	पथरा
			47.	बजराहा
			48.	दुलरा
			49.	खुरोना
			50.	गोथू
			51.	अतिया
			52.	तुरी खुर्द
			53.	बेरी चक
			54.	महुरार
			55.	पनेर

1	2	3	4	5
			56.	अर्जुन बीघा
			57.	ककसारपुर
			58.	सैदपुर
			59.	परसामा
			60.	जोधपुर
			61.	बघयी खुर्द
			62.	डुमुरी
		टनकुंप्पा	63.	पोआ
			64.	गजाधरपुर
			65.	परसावा
			66.	सालारपुर
			67.	सुल्तानपुर
			68.	एमादपुर
			69.	मोहम्मदपुर
			70.	सवलपुर
			71.	भगवानपुर
			72.	परसोआ
			73.	पहेरी
			74.	पथरा
			75.	बकीचक
			76.	तेत्रिया
			77.	गंती
			78.	मजगांव

1	2	3	4	5
			79.	नौखाप
			80.	बहादरा
			81.	चेहुला
			82.	जयपुर
		वज़ीरगंज	83.	बुरधेरा
			84.	मेहूर
			85.	वैसुवा
			86.	बिहोन
			87.	बिंदास
			88.	कंधरिया
			89.	ननेनी
			90.	मंझोली
			91.	गोरिया
			92.	महुगेन
			93.	इटावा
			94.	सरसा
			95.	सिराजी
			96.	कुजीही
			97.	बोधचक
			98.	तिपुआ
			99.	आरोपुर
			100.	परसापव
			101.	बेला

1	2	3	4	5
			102.	हसनौली
			103.	देवाचक
			104.	सीरी
			105.	लहोजरा बिखानपुर
			106.	अमोचक
		फतेहपुर	107.	नदिहा
			108.	सलैया खुर्द
			109.	जमहेता
			110.	कुसुमहर
			111.	रजौंधा
			112.	पटबंधा
			113.	मायापुर
			114.	अवलपुर
			115.	बलुहुआनी
			116.	बेला
			117.	हरकुराह
			118.	रोशना
			119.	रघुनाथपुर
			120.	बरवेरी
			121.	सिमरिया
			122.	डाला
			123.	गंगधरिया
			124.	कल्याणपुर

1	2	3	4	5
			125.	धूवा
			126.	कटिया
			127.	कुथकट
			128.	करमडीह
		मोहनपुर	129.	रोजवर
			130.	सनोवरचक
			131.	लकराचल
			132.	बोगो
			133.	मतगराह
			134.	खुरूआ
			135.	कचनपुर
			136.	चावा
			137.	गोपालखेरा
			138.	खोज
			139.	लंहगापुरा
			140.	मंझोलिया
			141.	धानहारी
			142.	बाराखर
			143.	खुरोरा
			144.	रामपुर
			145.	सुगावा
			146.	सालिया
			147.	कोलकाला

1	2	3	4	5
			148.	विसुनपुर
			149.	बंकट
			150.	बासूपुराह
			151.	करजारा
			152.	जयनगर
		मोहरा	153.	पकरी
			154.	चिवरा
			155.	पुरौनी
			156.	सूरजपुर
			157.	पचरूखी
			158.	चमारडीह
			159.	महुवारई
			160.	गेंडूपुर
		कूंच	161.	इचापुर
			162.	डोरावन
			163.	मंग्रामा
			164.	हसनपुर
		टिकारी	165.	तेतारपुर
			166.	सियानंद पुर
			167.	तेतरिया
			168.	डिहूरी
			169.	अखरियापुर
			170.	दौलतपुर

1	2	3	4	5
			171.	गोपालपुर
			172.	जागीरकथक
		बेलागंज	173.	शंकरपुर
			174.	सेखपुरा खुर्द
			175.	अरेली
			176.	बरई बीघा
			177.	मरगांव
			178.	बजपुरा
			179.	ईसापुर
		परैया	180.	कुस्तुआ
			181.	खेरा पोखर
			182.	प्राणपुर
			183.	महादेव पुर
			184.	धनसीरा
			185.	कोडिआ
			186.	सिजुआ
			187.	खिरियावा
			188.	सखवा
			189.	गुलियाचक
			190.	करमातीकर
		बाराचत्ती	191.	नाद
			192.	गोसाई बेसरा
			193.	बीघी

1	2	3	4	5
			194.	बेला
			195.	तेदुंआ
			196.	प्रतापी
			197.	बल्वार
			198.	सौम्या
			199.	चंदा
			200.	लटकूहा
			201.	धोरडाहा
			202.	गोवारिया
			203.	हरैया
			204.	सोनिही जंजौर
			205.	त्रैत्रिया
			206.	पिपराथी
			207.	डीह हनरी
			208.	चौरनिया
			209.	मन्नान बीघा
			210.	मखदूमपुर
			211.	लरूटारी
		बथानी	212.	खेसारी
			213.	सिंधा
			214.	ज्ञानु बीघा
			215.	काल दासपुर
			216.	धण्डीह
			217.	पथरौरा
			218.	चाना
			219.	चौरावा
			220.	पहाड़पुर
			221.	रानापुर
			222.	बेंता
			223.	बलना
			224.	देगुना
			225.	कीर्तनावादा

[हिन्दी]

भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुनः रोजगार

494. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकारी सेवाओं में रोजगार और पुनः रोजगार के लिए पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या भूतपूर्व सैनिकों के लिए केन्द्र सरकार और सरकारी उपक्रमों में नौकरियों हेतु आरक्षण नीति को कड़ाई से लागू किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का सरकारी विभागों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भूतपूर्व सैनिकों की कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु राष्ट्रीय भूतपूर्व-सैनिक आयोग की स्थापना करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा

इन सैनिकों को पुनः रोजगार की सुविधा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) भूतपूर्व सैनिकों द्वारा रोजगार हेतु पंजीकरण कराना एक स्वैच्छिक कार्य है। पुनर्वास महानिदेशालय के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पिछले 3 वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में रोजगार हेतु पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों की संख्या इस प्रकार है:–

वर्ष	कुल पंजीकरण
2009	34959
2010	27453
2011	19510
2012	13585

भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण नीति संबंधित सरकारों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा बैंकों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इसे लागू करना संबंधित संगठन की जिम्मेवारी है।

(घ) और (ङ) मौजूदा उपलब्ध तंत्र को देखते हुए भूतपूर्व सैनिकों के लिए कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन की मॉनीटरी करने के लिए राष्ट्रीय भूतपूर्व सैनिक आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास/पुन:नियोजन तथा कल्याण का कार्य देखने के लिए केन्द्रीय स्तर पर पुनर्वास महानिदेशक तथा केंद्रीय सैनिक बोर्ड और राज्य स्तर पर राज्य सैनिक बोर्ड तथा जिला सैनिक कल्याण कार्यालय मौजूद हैं। सरकार प्रशिक्षण तथा जागरुकता कार्यक्रमों सहित विभिन्न पहलों के जरिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसरों में बढ़ोत्तरी करने के हर संभव अवसर का पता लगाने का निरंतर प्रयास करती रहती है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 52 और 33

495. श्री सी.आर. पाटिल : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोनई को दिरक के साथ जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 और असम के तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 33 की स्थिति जर्जर और आवाजाही-योग्य नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) से (ग) यह मंत्रालय देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास एवं अनुरक्षण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। रारा-52 के जो जोनई से दीरक तक खंड की लगभग 335 किमी. लंबाई को 2 लेन मानकों के अनुरूप चौड़ीकरण कार्य को संस्वीकृत किया गया है और इसे मार्च, 2016 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है सिवाय लगभग 25 किमी. लंबाई के जिसे यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है। जहां तक असम में तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश में तवांग के साथ जोड़ने वाली सड़क का संबंध है, केवल तेजपुर से बालीपड़ा तक और नेचिपू से तवांग तक सड़कें क्रमशः रारा-52 और रारा-229 के हिस्से हैं। रारा-52 के सड़क खंड को असम लोक निर्माण विभाग द्वारा यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है और सीमा सड़क संगठन रारा-229 के इस खंड को 2 लेन मानकों के अनुरूप विकसित कर रहा है।

[हिन्दी]

आतंकवादी संगठनों को धन दिया जाना

496. श्री बद्रीराम जाखड़ : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रक्षा मंत्रालय की उस रिपोर्ट से अवगत है जिसमें कहा गया है कि अनेक आतंकवादी संगठन सीमापार से संचालित हो रहे हैं जहां से राजस्थान एवं गुजरात में हवाला के माध्यम से धन भेजा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) उपलब्ध

सूचना के अनुसार भारत में सक्रिय आतंकवादियों/उग्रवादियों को विदेशों, विशेषकर पाकिस्तान में स्थित गुटों द्वारा भी वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है, जिसे अक्सर तीसरे देशों के जरिए भेजा जाता है। विगत कई वर्षों से भारत में आतंकवाद को वित्त पोषण करने में जाली भारतीय मुद्रा नोट सुविदित स्रोत रहे हैं।

(ग) सरकार ने देश में आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जैसे केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की संख्या में संवर्धन करना, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड केन्द्रों (हब्स) की स्थापना करना, अन्य आसूचना और सुरक्षा एजेंसियों के साथ वास्तविक समय में आसूचना के मिलान और आदान-प्रदान हेतु 24x7 आधार पर कार्य करने के लिए बहु-एजेंसी केन्द्र को सुदृढ़ करना तथा कारगर सीमा प्रबंधन करना। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए दंडात्मक उपायों को सुदृढ़ करने के लिए विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में संशोधन किया गया है। एनआईए अधिनियम, 2008 के तहत अपराधों की जांच और अभियोजन करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) का गठन किया गया है। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत अन्य बातों के साथ-साथ कुछ अपराधों को शामिल करने के लिए धनशोधन निवारक अधिनियम में संशोधन किया गया है।

सरकार विभिन्न बहु-स्तरीय और द्विपक्षीय मंचों तथा बहु-स्तरीय और द्विपक्षीय वार्तालापों में भी सीमा पार आतंकवाद सहित इसके वित्त पोषण संबंधी विषयों को निरंतर उठाती रहती है।

[अनुवाद]

घटते समुद्री-तट क्षेत्र का नियंत्रण

497. **श्रीमती अन्नू टन्डन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के उच्च-क्षरण प्रकृति वाले समुद्री-तटक्षेत्रों को वर्जित प्रवेश (नो-गो) वाले क्षेत्र बनाने के संबंध में दिशानिर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश में समुद्री-तट क्षेत्र के तेजी से हो रहे क्षरण को रोकने के लिए कोई विशेष उपाय करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (घ) तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना, 2011 में अधिक क्षरणशील तटीय विस्तार क्षेत्रों में रणनीतिक तथा रक्षा सम्बद्ध परियोजनाओं को छोड़ कर पत्तन और हार्बर परियोजनाओं को प्रतिषिद्ध किया गया है। पत्तन और हार्बर विकास संबंधी परियोजनाओं को केवल मध्यम और न्यून क्षरणशील विस्तार क्षेत्रों में तट संरक्षण उपायों अर्थात् तट पोषण सैंड (बालू) बाई-पासिंग तथा तटीय रेखा की नियमित मॉनीटरिंग इत्यादि सहित अनुमति दी गई है।

[अनुवाद]

संचार की 'सी लेनें'

498. **श्री उदय सिंह : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संचार की 'सी लेनों' का प्रयोग मानव दुर्व्यापार और अन्य अविधिक कार्यकलापों के लिए किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सुरक्षा बल इस दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई कदम उठाने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) समुद्री बलों द्वारा हमारे अनन्य आर्थिक क्षेत्र तथा प्रादेशिक जलीय क्षेत्र से गुजरने वाले संचार के समुद्री मार्गों के इर्द-गिर्द वृहत निगरानी बनाए रखी जाती है। सरकार नौसेना तथा तटरक्षक बल दोनों की परिसम्पत्तियों की तैनाती द्वारा तटीय निगरानी में वृद्धि करके देश की समुद्री सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। बहु-एजेंसी तंत्र के माध्यम से आसूचना एजेंसियों द्वारा प्राप्त सूचनाओं को दैनंदिन आधार पर साझा किया जा रहा है। इस आसूचना तंत्र को संयुक्त ऑपरेशन केन्द्रों के गठन द्वारा सुचारु व कारगर बनाया गया है। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के निर्बाध एकीकरण तथा तैयारी में सुधार करने के लिए नौसेना, तटरक्षक बल, राज्य पुलिस, सीमा-शुल्क तथा अन्य बलों के बीच नियमित आधार पर संयुक्त संक्रियात्मक अभ्यास किये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

सेना का आधुनिकीकरण

499. कुमारी सरोज पाण्डेय : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत कुछ वर्षों से सेना के आधुनिकीकरण की अनेक परियोजनाएं लंबित हैं, जिससे इनकी प्रभाविकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि के अंतर्गत आधुनिकीकरण परियोजना को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) सेना का आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है, जो खतरों की संभावनाओं, संक्रियात्मक चुनौतियों, प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों और उपलब्ध संसाधनों पर आधारित है। इसका अनुपालन रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया में दी गई व्यापक समय-सीमा के अनुसार अधिप्राप्ति के विभिन्न चरणों को पूरा करने और संविदा का निष्पादन करने में 2-3 वर्ष का समय लग जाता है।

प्रणालीगत और संस्थात्मक विलंब को रोकने के लिए अधिप्राप्ति प्रक्रिया के दौरान प्राप्त अनुभवों के आधार पर प्रणाली और प्रक्रिया में निरंतर सुधार किया जाता है। रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया, आधुनिकीकरण के लिए त्वरित अधिप्राप्ति के लिए एक प्रभावी ढांचा प्रदान करता है और किसी भी संभावित घटना से निपटने के लिए सशस्त्र बलों को संक्रियात्मक दृष्टि से तैयार रखता है।

लाखा बंजारा तालाब में प्रदूषण

500. श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक लाखा बंजारा तालाब का पानी प्रदूषित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान इस हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत/आबंटित और व्यय की गई?

पर्यावण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में सागर झील (जिसे लाखा बंजारा तालाब भी कहा जाता है) के अपने केचमेंट में विभिन्न स्थल और गैर-स्थल स्रोतों के कारण प्रदूषित होने की सूचना मिली थी। वहां कोई सीवेज प्रणाली न होने के कारण सटे हुए आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों से अपशिष्ट जल खुले नालों से होकर जल निकाय में प्रवेश करता है।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) के आधार पर मंत्रालय ने राष्ट्रीय झील संरक्षण (एनएलसीपी) के अधीन 70:30 निधियन पैटर्न पर 21.39 करोड़ रु. की लागत पर मार्च, 2007 में 'सागर झील के प्रदूषण का उपशमन और पर्यावरणीय सुधार' परियोजना मंजूर की है। भारत सरकार के 14.93 करोड़ रु. के अंश में से परियोजना के कार्यान्वियन हेतु 4.00 करोड़ रु. की राशि जारी की जा चुकी है। पिछले तीन वर्षों के दौरान परियोजना पर 1.08 करोड़ रु. का कुल व्यय होना सूचित किया गया है।

[अनुवाद]

प्रवासी श्रमिकों हेतु कार्ड

501. श्री पी.आर. नटराजन : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख में, देश भर में प्रवासी श्रमिकों की अनुमानित संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन प्रभावी श्रमिकों को 'आधार' कार्ड प्रदान किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन श्रमिकों के लिए किए गए सामाजिक कल्याणोपायों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) प्रवासी कामगारों के संबंध में केन्द्रीय स्तर पर कोई आंकड़े नहीं रखे जाते। 2001 की जनगणना के अनुसार, 314.54 मिलियन व्यक्तियों ने देश के भीतर विभिन्न कारणों से प्रवजन किया। इनमें से 29.90 मिलियन व्यक्तियों ने रोजगार के कारण प्रवजन किया।

(ख) से (घ) भारत के निवासियों को आधार कार्ड जनसांख्यिकीय और जीवांकिकी के सेट के आधार पर जारी किए जाते हैं। आधार पूरा संयोगिक 12 डिजिट संख्या है जहां जाति, मत, धर्म अथवा प्रवासी-स्थिति के आधार पर कोई प्रोफाइलिंग नहीं की जाती। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई), आधार परियोजना को भागीदारी मॉडल के माध्यम से विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों/वित्तीय संस्थाओं/भारतीय डॉक आदि के साथ कार्यान्वित कर रहा है, जो विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में निवासियों का नामांकन कर रहे हैं।

(ङ) सरकार ने अंतर-राज्य प्रवासी कामगारों के रोजगार को विनियमित करने और उनकी सेवा शर्तों तथा उनसे जुड़े मामलों का प्रावधान करने हेतु अंतराज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 अधिनियमित किया है। अधिनियम अन्य बातों के साथ-साथ, इन कामगारों को न्यूनतम मजदूरी, यात्रा भत्ता, विस्थापन भत्ता के भुगतान, रिहाइशी आवास, चिकित्सा सुविधाओं और संरक्षात्मक परिधान आदि का प्रावधान करता है। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, कर्मचारी बीमा अधिनियम, 1941, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 और प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 जैसे विभिन्न श्रम कानूनों के प्रावधान प्रवासी कामगारों पर भी लागू हैं।

सरकार ने प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याण का प्रावधान करने हेतु असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 भी अधिनियमित किया है।

प्रवासी कामगार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों, कृषि श्रमिकों, घरेलू कामगारों आदि जैसे असंगठित कामगारों के विभिन्न खंडों से आते हैं। ऐसे कामगारों के सबंध में विद्यमान योजनाएं प्रवासी कामगारों को भी सुलभ हैं।

[हिन्दी] विद्युत संयंत्र 180-81

प्रदूषण-नियंत्रक उपस्करों का अधिष्ठापन

502. श्रीमती कमला देवी पटले : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी विद्युत संयंत्रों/उद्योगों के लिए प्रदूषण-नियंत्रक उपस्करों का अधिष्ठापन अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उपस्करों के अधिष्ठापन हेतु उत्तरदायी प्राधिकारियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) छत्तीसगढ़ सहित राज्य-वार उन विद्युत संयंत्रों/उद्योगों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने निर्धारित मानकों/दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है; और

(च) सरकार द्वारा ऐसी इकाइयों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत विद्युत संयंत्रों/उद्योगों के लिए निर्धारित मानकों के अनुपालन हेतु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर स्थापित करना अनिवार्य है। संयंत्रों/उद्योगों के स्वामी/अधिभोक्ता का यह कर्त्तव्य है कि वे अपेक्षित प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर स्थापित करें।

(ग) और (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत विद्युत संयंत्रों के उत्सर्जन/बहिस्राव हेतु पर्यावरणीय मानक निर्धारित किए हैं।

(ङ) और (च) उन ऊर्जा संयंत्रों को जिन्होंने निर्धारित मानकों का अनुपालन नहीं किया है, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 81(1)(ख) तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5, के अधीन अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। उत्सर्जन/बहिस्राव मानकों का अनुपालन

न करने वाले विद्युत संयंत्रों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

उत्सर्जन/बहिस्राव मानकों का अनुपालन न करने वाले विद्युत संयंत्रों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य	संयंत्रों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	01
2.	असम	01
3.	बिहार	01
4.	झारखंड	03
5.	गुजरात	01
6.	छत्तीसगढ़	05
7.	महाराष्ट्र	01
8.	ओडिशा	01
9.	राजस्थान	01
10.	उत्तर प्रदेश	03
11.	पश्चिम बंगाल	02
	कुल	20

[अनुवाद]

उत्पादन हेतु नए उपागमों का विकास

503. श्री सुरेश कुमार शेटकर : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्पादन हेतु नए उपागम विकसित करने और सेवाओं में हिस्सेदारी करने की रीतियां निर्धारित करने हेतु एक परामर्शी समूह का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) वहनीय, सुरक्षित और गुणवत्ता औषधि के एक स्रोत के रूप में भारत की ब्रांड इमेज विकसित करने के उद्देश्य के साथ भारत सरकार तथा भारतीय फार्मा उद्योग के प्रमुखों के बीच परामर्श का एक नियमित संस्थागत तंत्र के लिए 23 दिसम्बर, 2010 को वाणिज्य, उद्योग एवं वस्त्र मंत्री की अध्यक्षता में एक परामर्शी दल का गठन किया गया है। इसके अलावा, समूह से वैश्विक फार्मास्युटिकल बाजार में भारत का हिस्सा बढ़ाने, निर्यात के लिए दीर्घकालीन सतत् धारणीयता हेतु विकासशील गुणवत्ता अवसंरचना, निर्यात के लिए फार्मा क्षेत्र में अभिनवता का सुदृढ़ीकरण और निवेश संवर्धन के रूप में सलाह देने की अपेक्षा है।

[हिन्दी]

दुग्ध-उत्पादों का निर्यात

504. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मूल्य-वार कुल कितनी मात्रा में दुग्ध-उत्पादों का निर्यात और आयात हुआ;

(ख) क्या सरकार का दुग्ध-उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित एवं आयातित दुग्ध-उत्पादों की कुल मात्रा का मूल्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12
आयात	322.25	822.40	1203.93
निर्यात	402.68	547.97	289.36

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

(ख) और (ग) दुग्ध उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

(i) सरकार ने ईआईसी अधिनियम के अंतर्गत दुग्ध उत्पादों के निर्यात के लिए मानक अधिसूचित किए हैं। निर्यात निरीक्षण परिषद् (ईआईसी) द्वारा निर्यात के लिए दूध एवं दुग्ध उत्पाद विनिर्माता इकाइयों का पंजीकरण किया जा रहा है। ईआईसी का अंतर-विभागीय पैनल उत्तम स्वच्छता प्रथाओं, उत्तम विनिर्माण प्रथाओं, अवसंरचना विकास आदि के रूप में बेहतर बनने में निर्यातकों की सहायता करता है।

(ii) सरकार ने दिनांक 8 जून, 2012 की सार्वजनिक सूचना सं. 4 (सं.अ. 2012)/2009-14 के जरिए निर्यातों के एफओबी मूल्य के 5% के समतुल्य शुल्क ऋण स्क्रिप के साथ विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई) के अंतर्गत स्किम्ड दुग्ध पाउडर (एसएमपी) के निर्यात पर प्रोत्साहन दिए जाने की अनुमति दी है।

(iii) एपीडा द्वारा अपने पंजीकृत निर्यातकों जिनमें दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के निर्यातक शामिल हैं, को निम्नलिखित वित्तीय सहायता स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है:—

क. गुणवत्ता विकास स्कीम

ख. बाजार विकास स्कीम

ग. अवसंरचना विकास स्कीम

घ. परिवहन सहायता स्कीम

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

183-84

आंध्र प्रदेश में संपर्क-मार्गों का निर्माण

505. श्री अंजनकुमार एम. यादव : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश राज्य में संपर्क-मार्गों के निर्माण के संबंध में वहां की राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण

506. श्री जोस के. मणि : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण की कृषि जैव-विविधता संबंधी विशेषज्ञ समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

184-96

प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्ग

507. श्री देवजी एम. पटेल : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारी मानसून, बाढ़ और भीषण आंधी-तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण देश के विभिन्न भागों, विशेषकर राजस्थान में क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्गों/पुलों की मरम्मत हेतु प्राप्त प्रस्तावों और सरकार द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों का राजय-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ किए गए आबंटन का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राजस्थान राज्य सहित देश के विभिन्न भागों में मानसून, बाढ़ और तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्गों (रारा) का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्गों/पुलों की मरम्मत के लिए प्राप्त और सरकार द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारी मानसून बाढ़ और तूफान सहित प्राकृतिक आपदाओं के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए, बाढ़ क्षति मरम्मत (एफडीआर) के अंतर्गत किए गए आबंटनों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। तदनुसार समस्त राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध संसाधनों और पारस्परिक प्राथमिकता के अनुसार यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राजस्थान राज्य सहित देश के विभिन्न भागों में मानसून, बाढ़ और तूफान सहित प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हुए राज्य-वार राष्ट्रीय राजमार्ग (रारा)

क्र. सं.	राज्य	क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों का वर्ष-वार विवरण			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	9, 16, 43, 205, 214 और 214ए	18, 63, 202, 205, 214, 214ए और 221	4, 9, 16, 18, 43, 63, 205, 214, 214ए, 219 और 234	4, 9, 16, 18, 18ए, 43, 63, 202, 205, 214, 214ए, 219, 221 222 और 234
2.	अरुणाचल प्रदेश	52ए, 52	52ए	52ए	52ए, 52बी और 229
3.	असम	31, 31बी, 36, 37, 37ए, 38, 39, 44, 51, 52, 52ए, 53, 54, 61, 62, 151, 152, 153 और 154	31, 31बी, 36, 37, 37ए, 38, 39, 44 51, 52, 53, 61, 151 और 154	31, 36, 37, 38, 39, 44, 51, 52, 53, 62, 152, 153 और 154	2, 15, 17, 27, 29, 52, 117, 129, 217 और 715 (नया रारा सं.)
4.	बिहार	2सी, 19, 28, 30, 30ए, 31, 77, 80, 82, 83, 84, 98, 103, 104, 101, 102, 105, 106, 107 और 110	2सी, 19, 30, 30ए, 31, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 और 110	2सी, 28, 28ए, 28बी, 30ए, 31, 82, 98, 102, 104, 107 और 110	2सी, 19, 28, 28ए, 28बी, 30ए, 31, 80, 81, 82, 83, 98, 101, 102, 103, 104, 106, 107 और 110

1	2	3	4	5	6
5.	छत्तीसगढ़	216, 217, 200, 12ए, 43, 6, 78, 16 और 221	6, 12ए, 78, 200, 216, 217 और 221	6, 21ए, 16, 43, 78, 111, 200, 202, 216, 217 और 221	शून्य
6.	गोवा	17 और 17बी	17 और 17ए	17, 17ए और 17बी	66 और 566 (नया रारा सं.)
7.	गुजरात	8, 8ए, 8सी, 8डी, 8ई, 15, 59 और 228	8ए, 8सी, 8डी, 8ई, 15, 59, 113 और 228	8ए, 8सी, 8डी, 8ई, 15, 113 और 228	8ए, 8सी, 8डी, 8ई, 15, 59, 113 और 228
8.	हरियाणा	शून्य	65, 71, 71बी, 72, 73 और 73ए	10, 65, 71, 72, 73 और 73ए	सभी रारा
9.	हिमाचल प्रदेश	21, 88, 22, 70 72 और 20	20, 21, 22, 70 और 88	20, 20ए, 21, 21ए, 22, 70, 72, 72बी और 88	सभी रारा
10.	जम्मू और कश्मीर	1ए, 1बी और 1सी	1डी	शून्य	शून्य
11.	झारखंड	23 और 33	23, 32 और 75	23, 31, 32 और 75	32, 75, 80 और 99
12.	कर्नाटक	13, 63, 206, 9, 218 4ए, 207, 17, 212 और 209	4ए, 9, 13, 17, 48, 63, 67, 206, 207, 209, 212, 218 और 234	4ए, 9, 13, 48, 63, 67, 206, 207, 209, 212, 218 और 234	4ए, 9, 13, 17, 48, 63, 67, 206, 207, 209, 212, 218 और 234
13.	केरल	4, 208, 213, 17, 212, 47ए, 220 और 219	17, 47, 47ए, 49, 208, 212, 213 और 220	17, 47, 47ए, 49, 208, 212, 213 और 220	17, 47, 47ए, 49, 208, 212, 213 और 220
14.	मध्य प्रदेश	3, 7, 12, 12ए, 27, 59, 59ए, 69, 75, 76, 78, 86 और 92	3, 7, 12, 12ए, 27, 59ए, 69, 75, 78, 86 और 92	7, 12, 12ए, 75 और 78	21, 12ए, 27, 59ए, 69, 75, 78 और 86
15.	महाराष्ट्र	3, 6, 9, 13, 16, 17, 50, 69, 204, 211 और 222	6, 9, 13, 17, 50, 69, 204, 211 और 222	6, 9, 13, 17, 50, 211 और 222	6, 9, 17, 50, 204, 211 और 222

1	2	3	4	5	6
16.	मणिपुर	39, 53 और 150	39, 53 और 150	39, 53 और 150	2, 37 और 202 (नया रारा सं.)
17.	मेघालय	40, 44, 51 62 और 44	40, 44, 51 और 62	40, 44, 51 और 62	6, 106, 206 और 217 (नया रारा सं.)
18.	मिजोरम	44ए, 150, 54, 54बी और 154	44ए, 54, 54ए, 54बी, 150 और 154	44ए, 54, 54ए, 54बी, 150, और 154	2, 6, 108, 302, 306 और 502 (नया रारा सं.)
19.	नागालैंड	39, 61, 150 और 155	61 और 155	61 और 155	2 और 202 (नया रारा सं.)
20.	ओडिशा	5, 6, 23, 42, 43, 75, 200, 201, 203, 203ए, 215, 217 और 224	5, 6, 23, 24, 43, 75, 200, 201, 203, 203ए, 217 और 224	5, 6, 23, 42, 43, 75, 200, 201, 203, 203ए, 215, 217 और 224	5, 6, 23, 42, 43, 75, 200, 201, 203, 203ए, 215, 217 और 224
21.	पंजाब	शून्य	71	10, 15, 21, 64, 70, 71 और 95	सभी रारा
22.	राजस्थान	11, 15, 89, 65, 12, 90, 79, 113, 11ए, 116, 11बी, 112, 114 और 14	8, 11, 11ए, 11बी, 11सी, 12, 14, 15, 65, 79, 89, 90, 112, 113, 114 और 116	8, 11, 11ए, 11बी, 11सी, 15, 65, 79, 89, 90, 112, 113, और 114	सभी रारा
23.	सिक्किम	31ए	शून्य	31ए	शून्य
24.	तमिलनाडु	45, 45ए, 49, 208, 209, 210, 226, 207, 205, 67, 45सी, 66, 227 और 234	4, 45, 45ए, 47बी, 49, 207, 208, 209, 210, 219, 220, 226 और 230, 234	4, 45ए, 47बी, 49, 207, 208, 209, 210, 219, 220, 226, 230 और 234	4, 45ए, 49, 208, 209, 210, 220, 226, 234 और 532
25.	त्रिपुरा	44	44 और 44ए	44 और 44ए	44
26.	उत्तर प्रदेश	7, 11, 19, 24, 27, 28बी, 29, 56, 58, 72ए, 73, 74, 75, 76, 86, 87, 91, 92, 93, 96, 97 और 119	7, 19, 24, 24ए, 24बी, 28बी, 29, 56, 58, 72ए, 73, 74, 75, 76, 87, 91, 92, 93, 96, 97, 119, 231, 232, 233, 235	7, 19, 24, 24ए, 27, 28बी, 56, 74, 76, 96, 97, 231, 232 और 233	7, 11, 19, 24, 24ए 27, 28बी, 56, 58, 72ए, 73, 74, 76, 86, 91, 91ए, 93 96, 97, 119, 231, 232, 232ए और 233

1	2	3	4	5	6
27.	उत्तराखंड	72, 72बी, 74, 58, 10, 87, 94, 109, 119, 123 और 125	58, 72, 72ए, 72बी, 73, 74, 87, 94, 108, 109, 119, 121, 123 और 125	58, 72, 72ए, 72बी, 73, 74, 87, 94, 108, 109, 119, 121, 123 और 125	58, 72, 72ए, 72बी, 73, 74, 87, 94, 108, 109, 119, 121, 123 और 125
28.	पश्चिम बंगाल	6, 31, 31ए, 31सी, 32, 35, 60, 81 और 117	6, 31, 31सी, 31डी, 32, 34, 35, 55, 60, 60ए, 81 और 117	2, 6, 31, 31सी, 32, 34, 35, 55, 60, 60ए और 81	2, 2बी, 6, 31, 31सी, 32, 34, 35, 55, 60, 80, 81 और 117

विवरण-II

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्गों/ पुलों की मरम्मत के लिए प्राप्त और सरकार द्वारा राज्य-वार स्वीकृत प्रस्ताव

क्र. सं.	राज्य	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13$	
		प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	4	4	6	5	7	7	कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ	
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	1	1	1	1		
3.	असम	12	12	9	9	8	8		
4.	बिहार	25	18	49	49	20	14		
5.	छत्तीसगढ़	5	0	5	3	5	2		
6.	गोवा	11	6	6	2	4	3		
7.	गुजरात	5	5	5	5	5	0		
8.	हरियाणा	0	0	5	5	3	3		
9.	हिमाचल प्रदेश	9	9	4	4	1	1		
10.	झारखंड	2	2	2	2	2	2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	कर्नाटक	7	7	7	7	7	7	कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ	
12.	केरल	8	8	8	8	8	8		
13.	मध्य प्रदेश	10	9	6	6	5	5		
14.	महाराष्ट्र	16	16	16	16	15	15		
15.	मणिपुर	3	3	0	0	6	6		
16.	मेघालय	8	8	5	5	4	4		
17.	मिजोरम	3	3	8	8	6	6		
18.	नागालैंड	2	2	0	0	4	4		
19.	ओडिशा	15	15	14	14	14	14		
20.	पंजाब	0	0	0	0	0	0		
21.	राजस्थान	15	15	15	5	14	12		
22.	तमिलनाडु	10	10	13	13	8	8		
23.	उत्तर प्रदेश	15	15	16	16	16	16		
24.	उत्तराखंड	5	5	5	5	5	5		
25.	पश्चिम बंगाल	9	9	9	9	9	9		

$ — अक्तूबर, 2012 के अनुसार।

विवरण-III

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारी मानसून बाढ़ और तूफान सहित प्राकृतिक आपदाओं के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए, बाढ़ क्षति मरम्मत (एफडीआर) के अंतर्गत किए गए राज्य-वार और वर्ष-वार आवंटन

क्र. सं.	राज्य	एफडीआर के अंतर्गत वर्ष-वार आवंटन			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13$
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	6.00	6.37	11.15	20.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.40	0.61	1.02	3.55

1	2	3	4	5	6
3.	असम	25.80	20.63	18.31	19.78
4.	बिहार	25.09	47.75	24.59	4.00
5.	छत्तीसगढ़	1.09	0.10	1.52	2.50
6.	गोवा	1.34	2.30	3.15	4.30
7.	गुजरात	6.77	38.29	2.38	14.14
8.	हरियाणा	1.22	5.17	1.73	0.80
9.	हिमाचल प्रदेश	11.62	3.00	1.74	3.00
10.	झारखंड	2.52	1.63	0.86	2.87
11.	कर्नाटक	12.01	17.72	11.07	6.31
12.	केरल	5.50	12.82	13.19	9.10
13.	मध्य प्रदेश	2.40	13.08	11.83	5.25
14.	महाराष्ट्र	8.40	37.09	9.04	14.45
15.	मणिपुर	1.96	4.97	13.40	0.75
16.	मेघालय	3.40	18.45	17.91	7.77
17.	मिजोरम	1.58	18.39	6.35	1.00
18.	नागालैंड	1.30	5.50	9.65	1.50
19.	ओडिशा	18.00	16.66	5.03	7.26
20.	पंजाब	0.00	0.72	0.40	0.00
21.	राजस्थान	6.03	24.30	15.69	7.82
22.	तमिलनाडु	8.87	13.69	11.41	15.61
23.	उत्तर प्रदेश	6.80	23.24	20.20	13.10
24.	उत्तराखंड	5.46	41.22	29.88	5.93
25.	पश्चिम बंगाल	10.15	19.67	7.63	10.83

$ — अक्तूबर, 2011 के अनुसार।

[अनुवाद]

197-

विशेष आर्थिक क्षेत्रों हेतु विद्युत

508. श्री बाल कुमार पटेल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने द्रुत-औद्योगिकीकरण की उसकी योजना के हरितीकरण की नीति के अंतर्गत सभी विशेष आर्थिक क्षेत्रों हेतु यह अनिवार्य किया है कि वे कम-से-कम अपनी एक-चौथाई विद्युत आवश्यकताओं को सौर-ऊर्जा से पूरा करें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का यह भी प्रस्ताव है कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों के बिल-बोर्डों हेतु विद्युत आवश्यकताओं का कम-से-कम अर्धांश सौर-ऊर्जा से पूरा किया जाए; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) विशेष आर्थिक जोनों (एसईजेड) में ऊर्जा संरक्षण के संबंध में अक्तूबर, 2010 में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों का विवरण वेबसाइट *www.sezindia.nic.in* पर उपलब्ध है।

[हिन्दी]

197-98

प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग

509. श्री राजेन्द्र अग्रवाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्रदूषण फैला रहे उद्योगों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी उद्योग-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन इकाइयों द्वारा उत्पन्न किए जा रहे प्रदूषण को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ङ) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने प्रदूषणकारी उद्योगों की पहचान की है। अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की 17 श्रेणियां अभिज्ञात की गयी हैं। अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की 17 श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले 3172 उद्योगों में से 2249 उद्योगों ने निर्धारित मानदंडों के अनुपालन हेतु अपेक्षित प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं की व्यवस्था की हैं, 596 उद्योग अनुपालन नहीं कर रहे हैं और 327 उद्योग बंद हो चुके हैं। गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरणीय निगरानी दस्ता (ईएसएस) कार्यक्रम के अंतर्गत 918 उद्योगों का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के बाद, अनुपालन सुरक्षित करने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 292 निदेश जारी किए गए हैं और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18(1)(ख) और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत राज्य बोर्डों को 152 निदेश जारी किए गए हैं।

198-200

मरुस्थल के फैलाव पर रोक

510. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्य सरकारों से वहां मरुस्थल के फैलाव को रोकने के सिलसिले में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में मरुस्थल के फैलाव को रोकने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बाढ़ से एकत्र होने वाले रेत के बड़े ढेरों की वजह से स्थायी रूप से ह्रसित भूमि को मरुस्थलीकरण-रोधी परियोजना में सम्मिलित किया गया है;

(च) यदि हां, तो मरुस्थलीकरण-रोधी परियोजना में सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को राज्य-वार कितनी राशि स्वीकृत/जारी की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) जी, नहीं, श्रीमान।

(ग) और (घ) मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में निम्नलिखित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन शामिल हैं:—

एकीकृत जलसंभर (वाटरशेड) प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी), नदी घाटी परियोजना के आवाह-क्षेत्र में और बाढ़ संभावित नदी क्षेत्र में मृदा संरक्षण, वर्षा वाले क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जलसंभर (वाटरशेड) विकास परियोजना (एनडब्ल्यूडीपीआरए), सतत् भूमि और पारिप्रणाली प्रबंधन (एसएलईएम), चारा और पोषण विकास स्कीम — घास आरक्षित क्षेत्रों सहित घास भूमि विकास का घटक, कमान क्षेत्र विकास और नल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी), जलनिकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) हेतु राष्ट्रीय परियोजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजीएस), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), सौर प्रकाश वोल्टीय (स्पेलर फोटोवोल्टाईक) (एसपीवी) कार्यक्रम आदि।

भूमि संसाधन विभाग दिनांक 1.04.1995 से जलसंभर (वाटरशेड) दृष्टिकोण आधारित परियोजना पद्धति पर एक क्षेत्र विकास कार्यक्रम अर्थात् मरुस्थल विकास कार्यक्रम बना रहा है। इस कार्यक्रम का मूलभूत उद्देश्य, अभिज्ञात मरुस्थल क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधन आधार का नवीकरण करके मरुस्थलीकरण के प्रतिकूल प्रभावों और प्रतिकूल जलवायु दशाओं का उपशमन करना है। इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए वर्ष 1995-96 से 2006-07 तक 78.73 लाख हैक्टेयर क्षेत्र वाली 15746 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और वर्ष 2011-12 तक 3127.67 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।

भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय के मरुस्थल विकास कार्यक्रम को दिनांक 26.02.2009 से अन्य क्षेत्र विकास कार्यक्रमों अर्थात् सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) और एकीकृत परती भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) के साथ 'एकीकृत जलसंभर (वाटरशेड) प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के नाम से एक एकल अशोधित कार्यक्रम में समेकित कर दिया गया है। आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत परियोजनाओं का चयन करते समय मरुस्थली क्षेत्रों में उचित प्राथमिकता दी जाती है। आईडब्ल्यूएमपी को जलसंभर (वाटरशेड) विकास परियोजना, 2008 हेतु बनाये गये सामान्य दिशानिर्देश के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ङ) से (छ) उपरोक्त (क) और (ख) से परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

निर्यातोन्मुखी इकाइयां

511. श्री निलेश नारायण राणे : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेषकर महाराष्ट्र में, निर्यातोन्मुखी इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये इकाइयां उनके लिए निर्धारित निर्यात-लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन इकाइयों द्वारा कुल कितना निर्यात किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन इकाइयों के कार्यकरण की समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि निर्यात-लक्ष्य प्राप्त किया जाए तथा नए अवसरों का सृजन हो?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) देश भर में, विशेष रूप से महाराष्ट्र (दादरा और नगर हवेली तथा गोवा, दमन और दीव सहित) में निर्यातोन्मुख इकाइयों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12*	
	ईओयू की संख्या	निर्यात (करोड़ रु.)	ईओयू की संख्या	निर्यात (करोड़ रु.)	ईओयू की संख्या	निर्यात (करोड़ रु.)	ईओयू की संख्या	निर्यात (करोड़ रु.)
देश भर में	2556	176923.02	2578	84135.66	2446	76031.13	2311	87233.16
महाराष्ट्र**	489	18498.45	489	15151.88	440	27525.67	444	21403.56

**महाराष्ट्र (दादरा और नगर हवेली तथा गोवा, दमन और दीव सहित)।

*अनंतिम।

(ख) से (घ) इकाइयों द्वारा पांच वर्ष की अवधि में सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (एनएफई) अर्जन अपेक्षित होता है और सकारात्मक एनएफई अर्जित न कर पाने वाली इकाइयों को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार उनके द्वारा लिए गए कर लाभों का भुगतान/प्रतिपूर्ति करनी होती है। विकास आयुक्त तथा क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमा शुल्क/केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा ईओयू की एनएफई आय/निष्पादन की समीक्षा तथा निगरानी हेतु संयुक्त बैठकें की जाती हैं। विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत अनुमोदन पत्र की शर्तों को पूरा करने में असफल रहने वाले ईओयू के विरुद्ध न्यायनिर्णय प्रक्रिया शुरू की जानी होती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान ईओयू द्वारा किए गए निर्यातों का क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:—

क. देश-वार निर्यात

क्षेत्र	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12*	
	ईओयू की संख्या	निर्यात (करोड़ रु.)	ईओयू की संख्या	निर्यात (करोड़ रु.)	ईओयू की संख्या	निर्यात (करोड़ रु.)	ईओयू की संख्या	निर्यात (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
वस्त्र और परिधान, यार्न	265	5520.92	256	3758.18	218	2813.96	186	4548.18
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	228	3453.06	233	4182.32	243	3031.05	229	5429.39
इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर	74	5469.68	74	4650.17	75	4148.74	71	5077.12
इंजीनियरी वस्तुएं	551	19025.69	547	14508.21	564	16126.60	491	20464.56
रसायन और भेषज	386	108935.44	382	22739.13	399	25122.30	386	25164.94
चमड़ा और खेल का सामान	29	806.08	29	789.23	25	558.35	20	6777.08
रत्न एवं आभूषण	63	4285.72	64	4919.03	67	9484.30	51	927.67
प्लास्टिक, रबड़ और कृत्रिम वस्तुएं	84	1680.51	87	1514.20	80	1760.65	78	2068.42
खाद्य, कृषि और वनोत्पाद	259	4700.38	259	4215.83	245	3688.69	238	4860.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9
विविध	615	23045.54	617	22859.36	600	9296.51	561	11915.71
कुल	2556	176923.02	2578	84135.66	2446	76031.13	2311	87233.16
ख. महाराष्ट्र (दादरा और नगर हवेली तथा गोवा, दमन और दीव सहित)								
वस्त्र और परिधान, यार्न	56	637.37	56	272.71	47	529.68	47	470.48
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	26	535.73	26	1277.24	21	1044.77	21	1066.89
इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर	5	547.35	5	413.11	5	615.87	5	95.94
इंजीनियरी वस्तुएं	138	7464.91	138	3608.42	119	8659.01	120	9798.16
रसायन और भेषज	132	5226.16	132	6027.00	129	10482.03	130	8227.20
चमड़ा और खेल का सामान	5	6.93	5	10.09	5	93.33	5	79.67
रत्न एवं आभूषण	18	542.05	18	207.08	19	1475.30	19	279.57
प्लास्टिक, रबड़ और कृत्रिम वस्तुएं	10	200.13	10	194.83	6	242.53	7	284.83
खाद्य, कृषि और वनोत्पाद	39	580.99	39	358.78	33	551.74	33	389.41
विविध	60	2757.23	60	2782.62	56	3831.41	57	711.42
कुल	489	18498.45	489	15151.88	440	27525.67	444	21403.56

*अंतिम।

203-05

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 के सूरत-हजीरा खंड पर जल-पाइपलाइन का स्थान परिवर्तन

512. **श्रीमती दर्शना जरदोश : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने इस बात का संज्ञान लिया है कि राष्ट्रीय-राजमार्ग सं. 6 के सूरत-हजीरा खंड की विस्तार-योजना के कारण परमाणु ऊर्जा-विभाग (डीएई) के भारी जल-संयंत्र और कृषक भारती सहाकारिता लिमिटेड (कृभको) को जलापूर्ति करने वाली मुख्य जल-पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त हो जाने की संभावना है तथा जिसके परिणामस्वरूप व्यापक जल-रिसाव होने से डीएई और 'कृभको' का उत्पादन बंद हो जाएगा जिसके परिणामस्वरूप उन्हें भारी क्षति होगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस संबंध में कोई कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका स्थान कब तक परिवर्तित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो जल-पाइपलाइन का स्थान बदलने में विलंब के क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) से (घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रारा-6 के सूरत हजीरा खंड के विस्तार ले-आउट का संज्ञान लिया है। इच्छापुर जंक्शन के पास एक फ्लाईओवर निर्माणाधीन है और फ्लाईओवर की रिटेनिंग वॉल के डिजाइन और सरेखण को समुचित रूप से संशोधित

किया जा रहा है ताकि उसके स्थान परिवर्तन से बचने के लिए परमाणु ऊर्जा-विभाग (डीएई) के भारी जल-संयंत्र और कृषक भारती सहकारिता लिमिटेड (कृभको) की जलापूर्ति लाइन को सुरक्षित किय जा सके। सर्विस रोड के अंतर्गत आने वाली जल पाइप लाइन के भाग के लिए उपयुक्त आवरण/संरक्षण उपाय किए जाएंगे। इन अतिरिक्त उपायों से जलापूर्ति लाइन के स्थानांतरण से बचा अथवा न्यूनतम किया जा सकेगा और भारी जल का उत्पादन इससे प्रभावित नहीं होगा। जहां कहीं स्थान उपलब्ध है वहां सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। क्षति से बचने के लिए रियायतग्राही द्वारा पूरी सावधानी बरती जा रही है। रियायतग्राही, यदि संभव हुआ तो, इस प्रभावित क्षेत्र में री-इंफोर्स्ड अर्थ-रिटेनिंग वॉल तथा जल पाइप लाइन के आवरण/संरक्षण उपाय के डिजाइन प्रबंध में कुछ परिवर्तन करने की भी योजना बना रहे हैं; अन्यथा न्यूनतम प्रभावित क्षेत्र/लंबाई में जल पाइप लाइन को स्थानांतरित करना अपेक्षित होगा। इस संबंध में किसी समय-सीमा का सुझाव नहीं दिया जा सकता क्योंकि इस स्थिति में पाइप लाइन के पुनर्स्थापन के लिए कार्रवाई भूमि की उपलब्धता पर निर्भर है।

राज्यों हेतु विशेष नौकाएं

513. श्री के.पी. धनपालन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की समुद्री-तट क्षेत्र सुरक्षा हेतु राज्यों को विशेष नौकाएं उपलब्ध कराने और रडार-प्रणाली केंद्र स्थापित करने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो रडार-केंद्रों हेतु चयनित राज्यों के नामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें राज्य-वार कितनी नौकाएं उपलब्ध कराई जाएंगी?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) अनुमोदित नौकाओं और रडार स्टेशनों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

विवरण-I

अनुमोदित नौकाएं/जलयान

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	नौकाएं/जलयान	
		12 (टन)	अन्य
1	2	3	4
1.	गुजरात	21	10 (5 टन)
2.	महाराष्ट्र	14	
3.	गोवा	4	
4.	कर्नाटक	12	
5.	केरल	20	
6.	तमिलनाडु	–	20 (19 मीटर)
7.	आंध्र प्रदेश	30	
8.	ओडिशा	26	
9.	पश्चिम बंगाल	7	
10.	दमन और दीव	4	
11.	लक्षद्वीप	6	12*
12.	पुदुचेरी	6	
13.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	10 बड़े जलयान 23*
	कुल	150	75

*कठोर फुलाई जाने वाली नावें।

विवरण-II

राज्य-वार अनुमोदित रडार स्टेशन

क्र. सं.	तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	रडार स्टेशनों की संख्या	
		चरण-I	चरण-II (भारत सरकार में सक्रिय रूप से विचाराधीन)
1	2	3	4
1.	गुजरात	06	02

1	2	3	4
2.	दमन और दीव	02	—
3.	महाराष्ट्र	05	—
4.	गोवा	01	01
5.	कर्नाटक	02	—
6.	केरल	04	03
7.	लक्षद्वीप और मिनिकाय द्वीपसमूह	06	03
8.	तमिलनाडु	06	04
9.	पुदुचेरी	01	—
10.	आंध्र प्रदेश	06	05
11.	ओडिशा	02	04
12.	पश्चिम बंगाल	01	02
13.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	04	14
	कुल	46	38

पर्यावरण पर खनन का प्रभाव

514. श्री हेमानंद बिसवाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पर्यावरण, वन्यजीवों और वनों पर अवैध खनन के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (घ) यद्यपि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) ने देश में पर्यावरण, वन्यजीवों और वनों पर अवैध खनन के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है, परन्तु इसने आवश्यकतानुसार, पर्यावरण वन और/अथवा वन्यजीव स्वीकृति प्रदान करने के लिए खनन परियोजनाओं के संबंधित परियोजना प्रस्तावकों हेतु विनियामक कार्यतंत्र स्थापित किया है। खनन परियोजनाओं हेतु पर्यावरण स्वीकृति के मामलों का निपटान पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के उपबंधों के अनुरूप किया जाता है। वन भूमि से जुड़ी हुई खनन परियोजनाओं के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है। कुछ खनन परियोजनाओं के लिए आवश्यकतानुसार वन्यजीव अधिनियम, 1972 के अंतर्गत भी अनुमोदन लेने की आवश्यकता हो सकती है।

निर्धारित पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के क्रियान्वयन की मॉनीटरी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से की जाती है। अनुपालन न करने के मामलों में कारण-बताओ नोटिस को जारी करने के बाद पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अंतर्गत निदेश देकर संबंधित परियोजना प्रस्ताव के साथ मामले पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

भारतीय सिविल सेवाओं हेतु अनुसूचित जनजाति छात्रों को निःशुल्क कोचिंग

515. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु निःशुल्क कोचिंग-सह-मार्गनिर्देश केन्द्रों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में चल रहे ऐसे केन्द्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए आबंटित राशि सहित इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धि हासिल हुई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) मंत्रालय "अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग" नामक अपनी केन्द्रीय क्षेत्र योजना कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, विश्वविद्यालयों तथा निजी क्षेत्र संगठनों द्वारा संचालित

प्रतिष्ठित संस्थाओं/केन्द्रों के लिए अनुमत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना का प्रयोजन अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों को निम्नलिखित हेतु गुणवत्ता कोचिंग प्रदान करना है:—

(i) संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी); राज्य लोक सेवा आयोगों तथा विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्डों द्वारा संचालित समूह 'क' और समूह 'ख' परीक्षाओं;

(ii) बैंकों, बीमा कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा संचालित अधिकारी ग्रेड परीक्षा; और

(iii) (क) इंजीनियरिंग (यथा (आईआईटी-जेईई एवं एआईईईई), (ख) चिकित्सा (यथा एआईपीएमटी), (ग) प्रबंधन (यथा कैट) और विधि (यथा सीआईएटी) जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और ऐसी ही अन्य विधाओं में प्रवेश हेतु प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षाएं।

(iv) समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित वार्तालाप कौशल आवश्यकता वाले और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में आईटी, जैव प्रौद्योगिकी जैसे निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए समापन पांठ्यक्रम/रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रम।

(ख) और (ग) XIवीं पंचवर्षीय योजना (2007-08 से 2011-12) के दौरान इस योजना के अंतर्गत 27,982 विद्यार्थियों को कवर करते हुए 101 संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। वर्ष 2012-13 के लिए बजट आबंटन 12.00 करोड़ रुपए है।

[अनुवाद]

थल सेना में आत्महत्या के मामले

516. **श्री सी. शिवासामी : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान थल सेना के 350 से अधिक कार्मिकों के आत्महत्या किए जाने की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दबाव भरे माहौल के कारण उक्त अवधि में 25,000 से अधिक कार्मिकों ने सेना को छोड़ दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों में सेना कार्मिकों के संबंध में आत्महत्या के मामलों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:—

वर्ष	आत्महत्या के मामलों की कुल संख्या
2009	96
2010	115
2011	103
2012 (20 नवम्बर, 2012 तक)	81

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, 25063 सेना कार्मिकों ने समय-पूर्व सेवानिवृत्ति ली है। तथापि, समय-पूर्व सेवानिवृत्ति लेने का कारण तनावपूर्ण कामकाजी वातावरण को नहीं माना जा सकता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सेना कार्मिकों के संबंध में समयपूर्व सेवानिवृत्ति के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:—

वर्ष	समयपूर्व सेवानिवृत्ति
2009	7499
2010	7249
2011	10315

पर्यावरण सुरक्षा और वनरोपण

517. **श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण संरक्षण और वनरोपण के तहत गुजरात में अधिक हैक्टेयर जमीन को शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गुजरात राज्य सरकार द्वारा इस पर कुल निधि खर्च कर दी गई है;

(ग) क्या सरकार का इरादा गुजरात और अन्य राज्यों द्वारा खर्च की गई राशि में हिस्सेदारी करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है; और

(ङ) पर्यावरण संरक्षण और वन रोपण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) जी, हां। गुजरात राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में वनीकरण के अंतर्गत लगभग 339382.02 हैक्टेयर भूमि को शामिल किया गया है जिसमें 1228.61 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है।

(ग) से (ङ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) कार्यान्वित कर रहा है जो जनसहभगिता के माध्यम से वनरोपण और देश के अवक्रमित वनों और समीपवर्ती क्षेत्रों की पारि-बहाली हेतु 100% केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है। गत तीन वर्षों के दौरान, एनएपी के माध्यम से 17830 हैक्टेयर क्षेत्र में वनीकरण कार्यों हेतु गुजरात को 80.87 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। एनएपी के अतिरिक्त, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जन सहभागिता से भूदृश्य एप्रोच पर राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम) भी कार्यान्वित कर रहा है। वर्ष 2011-12 के दौरान, दो अभिज्ञात भूदृश्यों में तैयारी-कार्यकलापों के लिए गुजरात राज्य को जीआईएम के अंतर्गत 1.34 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। इसके अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजीएस), एकीकृत जलसंभर (वाटरशेड) प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), राष्ट्रीय बांस मिशन, 13वें वित्त आयोग आदि जैसी अन्य केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत भी गुजरात सहित अन्य राज्यों को वनीकरण हेतु निधियां प्रदान की जाती हैं।

[हिन्दी]

कारगिल युद्ध के शहीद

518. श्री राम सिंह कस्वां : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कारगिल युद्ध के दौरान और उसके पश्चात् शहीद हुए सैनिकों की संख्या कितनी है;

(ख) राजस्थान से जुड़े शहीद सैनिकों और उन मोर्चों/चौकियां जहां वे तैनात थे, का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस राज्य के चुरू जिले में सभी शहीदों को सहायता प्रदान कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) कारगिल युद्ध (ऑपरेशन विजय) के दौरान 530 सैनिक शहीद हुए थे। इसके बाद वर्ष 2000-2012 के दौरान 3987 शहीद हो चुके हैं।

(ख) ऑपरेशन विजय के 54 शहीद राजस्थान से संबंधित थे। वर्ष 2000-2012 के दौरान राजस्थान के 295 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। उन मोर्चों/चौकियों, जहां वे मारे गए थे, का विवरण नहीं रखा गया है।

(ग) कारगिल युद्ध में चुरू जिले के सभी सात शहीदों को कारगिल पैकेज के अनुसार सहायता उपलब्ध करवाई गई है।

(घ) मौजूदा नीति के अनुसार शहीदों के निकटतम आश्रितों को निम्नलिखित सहायता उपलब्ध करायी गयी थी:—

(i) **उदारीकृत परिवार पेंशन :**

निकटतम आश्रित को समस्त जीवन के लिए दिवंगत कार्मिक द्वारा अंतिम आहरित गणनीय परिलब्धियों के समान पेंशन।

(ii) **मृत्यु उपदान :** अधिक 3.5 लाख रुपये (यथा प्रयोज्य)

(iii) **अनुग्रहपूर्ण राशि :** 10 लाख रुपये

(iv) **सेना समूह बीमा निधि :**

अधिकारियों के मामले में 15 लाख रुपये तथा जे.सी.ओ. और अन्य रैंक के सैनिकों के मामले में 7.5 लाख रुपये।

(v) **प्रतिपूर्ति पैकेज:**

(क) आवासी इकाई सहायता — 5 लाख रुपये

(ख) पैतृक सहायता — 2 लाख रुपये

(ग) बाल शिक्षा सहायता — 2 बच्चों तक प्रति बालक एक लाख रुपये

इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार ने भी विवरण में दिए गए ब्यौरा के अनुसार सहायता उपलब्ध करवाई है।

विवरण

ऑपरेशन विजय (कारगिल) तथा इसके पश्चात् शहीदों के निकटतम आश्रितों को राजस्थान सरकार द्वारा दिया गया पैकेज

क्र.सं.	उद्देश्य	पैकेज का विवरण
1	2	3
1.	शहीद की विधवा को वित्तीय सहायता	एक लाख रुपये तथा इंदिरा गांधी नहर परियोजना (चरण-I एवं II) में 25 बीघा भूमि अथवा एक लाख रुपये तथा हाउसिंग बोर्ड का एक एमआईजी आवास अथवा नकद 5 लाख रुपये।
2.	शहीद के माता-पिता को वित्तीय सहायता	लघु बचत योजनाओं की मासिक आय योजना में 1.5 लाख रुपये की सावधि जमा
3.	रोजगार सहायता	शहीद की विधवा अथवा उसके पुत्र अथवा अविवाहित पुत्री को रोजगार
4.	शिक्षा	सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों में निःशुल्क शिक्षा। स्कूल जाने वाले बच्चों को प्रति वर्ष 1800/- रुपये की वार्षिक छात्रवृत्ति तथा मेडिकल, इंजीनियरिंग उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रति वर्ष 3600/- रुपये।
5.	शहीदों को सम्मान	शहीद का सम्मान – एक स्कूल/औषधालय/अस्पताल/पंचायत भवन, पब्लिक/गली के हिस्से इत्यादि का नाम शहीद सैनिकों के नाम पर रखा जाएगा।
6.	अन्य लाभ	I. कृषि उद्देश्यों के लिए बिना बारी वाला बिजली कनेक्शन II. विधवा और आश्रित बच्चों के लिए निःशुल्क रोडवेज बस पास III. गृह तथा भूम कर के भुगतान से छूट।

[अनुवाद]

पोत परियोजना प्रदान करना

519. **श्री पी. कुमार : क्या पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 42 पोत परियोजनाओं को प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दो नई प्रमुख पोत परियोजनाओं को शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) दो नए महापत्तनों की परियोजनाओं का ब्यौरा, निम्नानुसार है:—

1. आंध्र प्रदेश में एक नए महापत्तन का विकास।
2. 7851 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत और 54 एमएमटी की क्षमता का पश्चिम बंगाल में सागर में एक नए महापत्तन का विकास।

विवरण

वित्तीय वर्ष, 2012-13 के दौरान सौंपे जाने के लिए लक्षित 42 परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत करोड़ रु.	एमटीपीए में क्षमता
1	2	3	4
1.	**चेन्नई** मेगा कंटेनर टर्मिनल का निर्माण	3686.00	48.00
2.	**चेन्नई** भारती गोदी में रो-रो सह बहु प्रयोजनीय घाट और कार पार्किंग का विकास	100.00	1.00
3.	**चेन्नई** भारती गोदी में बार्ज जेट्टी का विकास	25.00	1.00
4.	**चेन्नई:** चेन्नई पत्तन में शुष्क पत्तन परियोजना	415.00	5.00
5.	**कोचनी** अंतर्राष्ट्रीय बंकरिंग टर्मिनल – बहु-प्रयोजनीय द्रव्य टर्मिनल का निर्माण	206.30	4.10
6.	**कोचीन** 90 छोटे और 120 मध्य आकार के पोतों के लिए मरम्मत सुविधा का विकास	785.00	0.00
7.	**कोचीन** क्यू8-क्यू9 घंटों में सामान्य कार्गो टर्मिनल का विकास	250.00	9.00
8.	**जेएनपीटी** एनएसआईसीटी टर्मिनल के उत्तर में 330 मी. लम्बे क्वे सहित स्टैण्डएलोन कंटेनर संभलाई सुविधा का विकास	600.00	10.00
9.	**कांडला** कच्छ की खाड़ी में वीरा में सिंगल प्वाइंट मूरिंग और संबद्ध सुविधाओं की स्थापना	621.52	12.00
10.	**कांडला** बंदर बेसिन में बार्ज संभालने की सुविधाओं का उन्नयन	109.59	3.29
11.	**कांडला** घाट सं. 14	188.88	2.00
12.	**कांडला:** कांडला पत्तन में रेनुका सूगर के लिए कैप्टिव घाट	22.00	1.50
13.	**कोलकाता** हल्दिया गोदी-II (उत्तर) का विकास	728.00	8.50
14.	**कोलकाता** हल्दिया गोदी-II (दक्षिण का विकास	787.00	8.50
15.	**कोलकाता** पीपीपी आधार पर अनुषंगी सुविधाओं सहित उरी तेल जेट्टी के बाहरी टर्मिनल 1 अपस्ट्रीम का निर्माण	290.00	4.50

1	2	3	4
16.	**मुरगांव** घाट सं. 11 से 2 एमएमटीपीए मशीनीकृत कोयला आयात टर्मिनल का विकास	204.00	2.00
17.	**मुरगांव** ब्रेकवाटर के पश्चिम में 7.2 एमएमटीपी लौह अयस्क निर्यात बल्क संभलाई टर्मिनल का विकास	721.00	7.20
18.	**पारादीप**. पारादीप पत्तन न्यास के ईक्यू-1 से ईक्यू-3 तक घाटों का मशीनीकरण-कैप्टिव प्रयोक्ता आधार पर मै. महागुज लि.	1000.00	22.00
19.	**विजाग** शुष्क बल्क आयात कार्गो संभालने हेतु डब्ल्यूक्यू-7 का विकास	375.09	4.78
20.	**विजाग** ब्रेक बल्क निर्यात कार्गो संभालने हेतु डब्ल्यूक्यू-8 का विकास		
21.	**विजाग** कंटेनर टर्मिनल का विस्तार	300.00	3.00
22.	**विजाग** शुष्क बल्क कार्गो संभालने के लिए वीपीटी के आंतरिक बंदरगाह के उत्तरी हिस्से में डब्ल्यूक्यू-1 में मशीनीकृत लौह अयस्क संभालने की सुविधाओं का संस्थापन-257.20 करोड़ रु. 8.98 एमटीपीए	940.00	23.7
23.	**विजाग:** विशाखापट्टनम पत्तन में लौह अयस्क संभालने के परिसर का आधुनिकीकरण		
24.	**वीओसीपीटी, तूतीकोरिन** सीमेंट संभालने के लिए शैलो डुबाव घाट का निर्माण	86.17	2.30
25.	**वीओसीपीटी, तूतीकोरिन** घाट सं. 1 से 6 और 9 में मैकेनिकल संभालने के उपकरणों का उन्नयन	49.20	5.00
26.	**वीओसीपीटी, तूतीकोरिन** निर्माण सामग्री संभालने के लिए शैलो डुबाव घाट (2) का निर्माण	56.17	2.00
27.	**वीओसीपीटी, तूतीकोरिन** थर्मल कोयला और रॉक फॉस्फेट संभालने के लिए एनसीबी-III का विकास	420.00	7.28
28.	**वीओसीपीटी, तूतीकोरिन** थर्मल कोयला और कॉपर कंसेंट्रेट संभालने के लिए एनसीबी-IV का विकास	355.00	7.28
29.	**वीओसीपीटी, तूतीकोरिन** घाट सं. 8 को कंटेनर टर्मिनल के रूप में बदलना	312.23	7.20
30.	**जेएनपीटी** एमसीबी से एसडीबी संबद्ध इलेक्ट्रिकल कार्य 3 नए सुपर पोस्ट पैनामैक्स आकार आरएमक्यूसी की खरीद	76.00	2.64

1	2	3	4
31.	**पारादीप** घाट सीक्यू 3 का मशीनीकरण	40.00	4.00
32.	**मुंबई:** मुंबई पत्तन में पीरपाऊ में दूसरी द्रव्य रसायन घाट का निर्माण	130.00	2.00
33.	**मुंबई:** मुंबई पत्तन के बंदरगाह घाट सं. 18-21 के साथ अधिक क्षमता के पोतों को संभालने में अवसंरचना का विकास	230.00	7.00
34.	**मुरगांव:** मुरगांव पत्तन न्यास में 3 मूरिंग डॉल्फिन का निर्माण	50.00	5.00
35.	**कोचीन** इलेक्ट्रिकल लेवल लफिंग क्रेनों (ईएलएल क्रेनों)/मोबाइल हार्बर क्रेनों की खरीद	19.00	2.80
36.	**जेएनपीटी** एमसीबी में एक नया सुपर पोस्ट पैनामैक्स आकार आरएमक्यूसी की खरीद	33.00	1.80
37.	**कोलकाता** घाट सं. 5 एनएसडी का मशीनीकरण	26.00	2.25
38.	**कांडला** मौजूदा घाट सं. 1 से 6 (एक घाट) परिवर्तन और सशक्तिकरण	42.00	0.88
39.	**विजाग** 130-170 मी. लंबी छोटी जेट्टियां	20.00	1.00
40.	**जेएनपीटी** रेखा सं. 1 और 2 पर 1 आरएमजीसी का प्रतिस्थापन	22.65	0.01
41.	**एनएमपीटी** पीओएल घाट का निर्माण	79.17	7.80
42.	**मुरगांव** मोबाइल हार्बर क्रेनों की परियोजनाएं	36.00	0.25
	कुल	14770.08	251.35

३०५१२०५ २१९- २१

शिकार संबंधी गतिविधियों को रोकने के लिए निधि

520. **श्री चंद्रकांत खैरे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश भर में राष्ट्रीय पार्कों और अभ्यारण्यों में या उनके आस-पास शिकार खेलने को रोकने के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को ऐसी सहायता प्रदान करने में विश्व बैंक द्वारा कोई शर्त रखी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विश्व बैंक सहायता को खर्च करने के बारे में कोई खाका तैयार किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने देश में राष्ट्रीय पार्कों और अभ्यारण्यों या उनके आस-पास के क्षेत्रों में शिकार खेलने को रोकने लिए विश्व बैंक से सहायता नहीं मांगी है। तथापि, एडेप्टेबल प्रोग्राम लेंडिंग के तीसरे चरण के अंतर्गत, विश्व बैंक से 30 मिलियन

अमेरिकी डॉलर के ऋण हेतु निम्नलिखित घटकों सहित 'एशिया में वन्यजीव सुरक्षा हेतु क्षेत्रीय सहयोग का सुदृढ़ीकरण' शीर्षक से एक परियोजना प्रस्तावित की गई है:—

(i) **अवैध सीमा-पारीय वन्यजीव व्यापार की समस्या के निराकरण हेतु वन्यजीव' संरक्षण और सहयोग के लिए क्षमता निर्माण (20.52 मिलियन अमेरिकी डॉलर):** इस घटक का उद्देश्य सीमा-पारीय वन्यजीव संरक्षण एवं प्रबंधन में क्षेत्रीय समन्वय एवं सहयोग की व्यवस्था करना, सुदृढ़ विधायी और विनियामक ढांचों, सुसज्जित विशेषज्ञता प्राप्त अभिकरणों और प्रणालियों के माध्यम से वन्यजीव अपराधों को रोकने तथा सभी प्रकार की एजेंसियों के कर्मचारियों के लिए प्रासंगिक प्रशिक्षण एवं ऐसे जागरुकता कार्यक्रमों की व्यवस्था करना जिससे कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के वन्यजीव प्रभाग और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा निर्मित वन्यजीव कानूनों और विनियमनों को लागू करने में सहायता मिल सके।

(ii) **एशिया में वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देना (2.95 मिलियन अमेरिकी डॉलर):** इस घटक का उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण में उभरती हुई चुनौतियों पर अनुसंधान और नवीनतम दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर ज्ञान तथा तकनीकी विशेषज्ञता का सृजन एवं आदान-प्रदान करना है।

(iii) **परियोजना समन्वय और संचार (5.04 मिलियन अमेरिकी डॉलर):** इस घटक के तहत परियोजना प्रबंधन और मॉनीटरन हेतु 0.76 मिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यय होने का अनुमान है। शेष धनराशि को परियोजना संचार पर खर्च किया जाना है, जिसमें क्षेत्रीय और स्थानीय चुनौतियों का सामना करने के लिए संचार के प्रति एक बहुमुखी दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

(ग) और (घ) विश्व बैंक के साथ अभी ऋण संबंधी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं और वार्ता भी नहीं की गई है।

(ङ) और (च) विश्व बैंक की 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता का संभावित वार्षिक संवितरण निम्नवत् है:—

वित्तीय वर्ष	2013	2014	2015	2016	2017	218
धनराशि मिलियन अमेरिकी डॉलर	0.62	7.16	9.87	7.64	3.50	1.21

[हिन्दी]

श्रम कानूनों में सुधार किया जाना

521. **श्री महाबली सिंह :** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में श्रम कानूनों में बदलाव करने और इनमें सुधार लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) श्रम कानूनों में ऐसे बदलावों हेतु सरकार द्वारा अपनाए जा रहे मानक/मानदंड क्या हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) और (ख) श्रम कानूनों में बदलाव करना और सुधार लाना एक सतत् प्रक्रिया है और बदलते सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप श्रम कानूनों में समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं। हाल ही में जिन अधिनियमों में संशोधन किए गए हैं उनमें मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, बोनस संदाय अधिनियम, 1965, शिक्षु अधिनियम, 1961, उपदान संदाय अधिनियम, 1972, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, बागान श्रम अधिनियम, 1951, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 और कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (वर्तमान में कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के नाम से जाना जाता है) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने संसद में श्रम विधि (विवरणी प्रस्तुत करने और रजिस्टर रखने के कतिपय स्थापनों को छूट) संशोधन विधेयक, 2011, खान (संशोधन) विधेयक, 2011 अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) विधेयक, 2011 पुरःस्थापित कर दिए हैं। हाल ही में, सरकार ने बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986, रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 में संशोधन

हेतु संसद में विधेयक पुरःस्थापित किए जाने का अनुमोदन कर दिया है।

(ग) श्रम कानूनों में बदलाव के लिए कोई विशिष्ट मानक/मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि, मंत्रालय अधिनियमों के विभिन्न उपबंधों की समय-समय पर समीक्षा करता है और आवश्यक समझे गए संशोधन करता है।

[अनुवाद]

एससीआई द्वारा नए जहाजों की खरीद

522. **श्री ए.के.एस. विजयन : क्या पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम (एससीआई) का अपनी क्षमता-उपयोगिता में वृद्धि करने के लिए नए जहाजों की खरीद करने का इरादा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन जहाजों के भविष्य में उपयोग के तरीके के बारे में योजना बनायी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) और (ख) भारतीय नौवहन निगम (एससीआई) ने विगत कुछ वर्षों के दौरान विभिन्न प्रकार और आकार के उन्नीस पोतों के क्रय आदेश दिए जोकि चरणबद्ध तरीके से एससीआई को 2014 तक प्राप्त होंगे। एससीआई के बेड़े में शामिल होने के उपरांत, इन पोतों से एससीआई का टनभर और कार्गो संवहन की क्षमता में और अधिक वृद्धि होगी।

(ग) और (घ) जी, हां। भारतीय आयात-निर्यात व्यापार की मांग को पूरा करने वाले भारत केंद्रित व्यापार में बल्क वाहकों और टैंकरों को लगाया जाएगा। कुछ जलयानों को उपलब्ध अवसरों के अनुसार विश्व व्यापी व्यापार में लगाया जाएगा। सेलुलर कंटेनर जलयानों को भारत-यूरोप सेक्टर और साथ ही भारत-सुदूर पूर्व सेक्टर में एससीआई की लाइनर सेवाओं में तैनात किए जाने का प्रस्ताव है। आर्डर किए गए 9 अपतटीय जलयानों में तैनात किए जाने का प्रस्ताव है। आर्डर किए गए 9 अपतटीय जलयानों को भारत में अंवेषण एवं उत्पादन (ई एण्ड पी) आपरेटरों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली भारतीय अपतटीय सेवाओं में लगाया जाएगा। ये सभी जलयान अंतर्राष्ट्रीय विनिर्देशनों के अनुसार बने हैं और वैकल्पिक रूप से उपलब्ध अवसरों के आधार पर विदेशी स्थानों में तैनात किए जा सकते हैं।

[हिन्दी]

एनएच परियोजनाओं हेतु बोली आमंत्रण में संशोधन

523. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने राजमार्ग परियोजनाओं हेतु बोली आमंत्रण में कोई संशोधन किया है जिसके परिणामस्वरूप केवल सात बड़ी पार्टियों/कंपनियों को अपनी बोली प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संशोधन से राजमार्ग परियोजनाओं के पूरा होने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न पैदा नहीं होता।

[अनुवाद]

कार्मिकों के लिए ई-टिकट सुविधा

524. **श्री एस. पक्कीरप्पा : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीनों रक्षा सेवाओं के अधिकारियों व जवानों हेतु रेल एवं विमान यात्रा के लिए ई-टिकट की किसी परियोजना को अनुमोदित किया था;

(ख) क्या एक वर्ष पूर्व शुरू की गई प्रायोगिक परियोजना सफल रही है;

(ग) यदि हां, तो इसे एक और वर्ष तक नहीं बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस सुविधा को पुन: शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) जी, हां।

(ख) 102 यूनिटों को कवर करने वाली प्रायोगिक परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

225-26

नि:शक्त व्यक्तियों के लिए अवसर

525. **श्री सोमेन मित्रा : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा तैयार "नि:शक्त व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए जीविका संबंधी अवसर" की रिपोर्ट के संबंध में सिफारिशों और सुझावों को बारहवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अधिनियमन के पश्चात् भी इसे निजी क्षेत्रों में उचित रूप से लागू नहीं किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार प्रोत्साहन के रूप में प्रथम तीन वर्षों के लिए नि:शक्त कर्मचारियों की ओर से ईपीएफ और ईएसआई नियोक्ताओं को अंशदान दे रही है;

(ङ) क्या कंपनियां और नि:शक्त कर्मचारी इस सुविधा से अवगत हैं; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार नि:शक्त कर्मचारी/निजी नियोक्ताओं में जागरुकता लाने एवं प्रोत्साहन का लाभ प्रदान करने के लिए कोई विशेष अभियान चला रही है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) और (ख) मसौदा 12वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में, विभिन्न प्रशिक्षिणों, कौशल विकास, उद्यमशीलता विकास और विकलांग व्यक्तियों के लिए नियोजन कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं।

(ग) से (च) 01.04.2008 से विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार प्रदान करने के संबंध में निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को प्रोत्साहन की एक योजना आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार निजी क्षेत्र में 01.04.2008 को अथवा इसके पश्चात् नियुक्त विकलांग कर्मचारियों जिनका मासिक वेतन 25,000 रुपये तक है, हेतु 3 वर्षों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) तथा कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) के लिए नियोक्ता का अंशदान प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत, 505 (30.06.2012 तक) और 954 (31.07.2012 तक) विकलांग व्यक्तियों को क्रमश: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कवर किया गया है। सरकार ईपीएफओ और ईएसआईसी के माध्यम से जागरुकता सृजन करने तथा विकलांग कामगारों/नियोक्ताओं को लाभ प्रदान करने हेतु विशेष अभियान चलाती है।

226-34

विदेशी कंपनियों को सौंपी गई एनएचएआई परियोजनाएं

526. **श्री वीरेन्द्र कश्यप : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विदेशी कंपनियों को सौंपी गई एनएचएआई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश सहित देश के सीमावर्ती राज्यों में सड़क निर्माण के लिए विभिन्न चीनी कंपनियों को ठेके दिए गए हैं;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश में सड़क बना रही इन कंपनियों ने निर्माण कार्य में देरी की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सड़क परिवहन और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी

कंपनियों को सौंपे गए परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं और चीनी कंपनियों को सौंपे गए परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कोई भी परियोजना किसी भी विदेशी कंपनी को नहीं सौंपी गई है। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किसी भी चीनी कंपनी को कोई परियोजना नहीं सौंपी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विदेशी कंपनियों को सौंपी गई परियोजनाएं

क्र. सं.	खंड का नाम	राज्य	रारा सं.	कुल लंबाई (किमी.)	द्वारा वित्त पोषित	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु.)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
			2009-10				
1.	किशनगढ़-अजमेर-ब्यावर	राजस्थान	8	82	बीओटी	795	कार्यान्वयनाधीन
2.	जयपुर-रींगस (अनुमोदित लंबाई 52.65 किमी.)	राजस्थान	11	54	बीओटी	267.81	कार्यान्वयनाधीन
3.	चरथलाई-ओचिरा	केरल	47	83.6	बीओटी	1535	कार्यान्वयनाधीन
4.	अहमदाबाद से गोधरा 4 लेन का बनाया जाना (अनुमोदित लंबाई 210 किमी.)	गुजरात	59	117.6	बीओटी	1008.5	कार्यान्वयनाधीन
5.	मुजफ्फरनगर-हरिद्वार (अनुमोदित लंबाई 77)	उत्तर प्रदेश [21]/ उत्तराखंड [59]	58, 72	80	बीओटी	754	कार्यान्वयनाधीन
6.	हरिद्वार-देहरादून (अनुमोदित लंबाई 69)	उत्तराखंड	72	39	वार्षिकी	478	कार्यान्वयनाधीन
7.	गाजियाबाद-अलीगढ़ (अनुमोदित लंबाई 106)	उत्तर प्रदेश	91	126	बीओटी	1141	कार्यान्वयनाधीन
			2010-11				
1.	श्रीनगर से बनिहाल	जम्मू और कश्मीर	1ए	67.76	वार्षिकी	1100.7	कार्यान्वयनाधीन

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	तिरूपति-तिरूथानी-चेन्नै (अनुमोदित लंबाई 125.5 किमी.)	तमिलनाडु [61.47]/ आंध्र प्रदेश [63.23]	205	124.7	बीओटी	571	कार्यान्वयनाधीन
3.	कर्नाटक/केरल सीमा से कन्नूर खंड (अनुमोदित लंबाई 286.3)	केरल	17	126.6	बीओटी	1157.16	कार्यान्वयनाधीन
4.	मोतिहारी-रक्सौल पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन का बनाया जाना (अनुमोदित लंबाई 67 किमी.)	बिहार	28ए	68.79	बीओटी	375.09	कार्यान्वयनाधीन
5.	रारा-8डी के जेतपुर-सोमनाथ खंड को 4 लेन का बनाया जाना (अनुमोदित लंबाई 127.6)	गुजरात	8डी	123.45	बीओटी	828	कार्यान्वयनाधीन
6.	पनवेल-इंदापुर	महाराष्ट्र	17	84	बीओटी	942.69	कार्यान्वयनाधीन
7.	बरेली – सीतापुर (अनुमोदित लंबाई 134 किमी.)	उत्तर प्रदेश	24	151.2	बीओटी	1046	कार्यान्वयनाधीन
8.	डिंडीगुल-पेरीगुलम-थेनी-कुमिली को 2 लेन का बनाया जाना	तमिलनाडु	220	134	वार्षिकी	485	कार्यान्वयनाधीन
9.	त्रिची-कराईकुडी और त्रिची बाइपास को 2 लेन का बनाया जाना (अनुमोदित लंबाई 100 किमी.)	तमिलनाडु	210 और 67	110.372	वार्षिकी	374	कार्यान्वयनाधीन
10.	वाराणसी-औरंगाबाद	बिहार [135]/ उत्तर प्रदेश [57.4]	2	192.4	बीओटी	2848	कार्यान्वयनाधीन
11.	चांदीखोल-जगतपुर-भुबनेश्वर को 6 लेन का बनाया जाना	ओडिशा	5	67	बीओटी	1047	कार्यान्वयनाधीन
			2011-12				
1.	रामपुर-काठगोदाम	उत्तराखंड	87	93.226	बीओटी	790	कार्यान्वयनाधीन
2.	कृष्णागिरी-टिंडीवनम को 2 लेन का बनाया जाना (अनुमोदित लंबाई 170 किमी.)	तमिलनाडु	66	176.51	वार्षिकी	624	कार्यान्वयनाधीन

विवरण-II

चीनी कंपनियों को सौंपी गई परियोजनाएं

क्र. सं.	खंड का नाम	राज्य	रारा सं.	कुल लंबाई (किमी.)	द्वारा वित्त पोषित	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु.)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	जेतपुर से भिलाड़ी (पैकेज-II)	गुजरात	8बी	64.5	एडीबी	508.5	4 लेन का
2.	चित्तौड़गढ़ बाइपास (आरजे-6)	राजस्थान	76	40	एडीबी	447.9	4 लेन का
3.	हैदराबाद बंगलूरु खंड (एडीबी-11/सी-14)	आंध्र प्रदेश	7	42	एडीबी	205.92	4 लेन का
4.	हैदराबाद बंगलूरु खंड (एडीबी-11/सी-15) (अनुमोदित लंबाई 45.6)	आंध्र प्रदेश	7	45.05	एडीबी	243.64	4 लेन का
5.	हैदराबाद बंगलूरु खंड (एडीबी-11/सी-10)	आंध्र प्रदेश	7	40.35	एडीबी	194.8	4 लेन का
6.	हैदराबाद बंगलूरु खंड (एडीबी-11/सी-11)	आंध्र प्रदेश	7	41.35	एडीबी	208.46	4 लेन का
7.	राधनपुर से गगोधर (पैकेज-V)	गुजरात	15	106.2	एडीबी	410.24	4 लेन का
8.	शिवपुरी बाइपास और मध्य प्रदेश/आरजे सीमा तक (ईडब्ल्यू-II – मध्य प्रदेश-I)	मध्य प्रदेश	25, 76	53	एडीबी	360.34	4 लेन का
9.	कोटा से चित्तौड़गढ़ (आरजे-7)	राजस्थान	76	63	एडीबी	503.66	4 लेन का
10.	सलेम से करूर (एनएस-2/टीएन-2)	तमिलनाडु	7	41.55	बीओटी	253.5	4 लेन का
11.	वडक्कनचेरी – त्रिशूर खंड को 6 लेन का बनाना	केरल	47	30	बीओटी	617	कार्यान्वयनाधीन
12.	पनवेल-इंदापुर	महाराष्ट्र	17	84	बीओटी	942.69	कार्यान्वयनाधीन

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	अहमदाबाद से गोधरा को 4 लेन का बनाना (अनुमोदित लंबाई 210 किमी.)	गुजरात	59	117.6	बीओटी	1008.5	कार्यान्वयनाधीन
14.	जयपुर-रींगस (अनुमोदित लंबाई 52.65 किमी.)	राजस्थान	11	54	बीओटी	267.81	कार्यान्वयनाधीन
15.	मोतिहारी-रक्सौल को पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन का बनाना (अनुमोदित लंबाई 67 किमी.)	बिहार	28ए	68.79	बीओटी	375.09	कार्यान्वयनाधीन
16.	श्रीनगर से बनिहाल	जम्मू और कश्मीर	1ए	67.76	वार्षिकी	1100.7	कार्यान्वयनाधीन

औद्योगिक गलियारा

527. श्री हरिन पाठक :
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी) परियोजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इस परियोजना के कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश से होते हुए डीएमआईसी परियोजना को स्थापित किए जाने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया; और

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के अद्यतन गंतव्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन): (क) समग्र दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) क्षेत्र के लिए परिप्रेक्ष्य योजना की तैयारी पूरी हो गई है। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रगति पर है तथा उत्तर प्रदेश में मास्टर प्लानिंग शुरू हो चुकी है। डीएमआईसी क्षेत्र में औद्योगिक शहरों के विकास के लिए वित्तीय एवं संस्थागत ढांचे को भारत सरकार द्वारा 15 सितंबर, 2011 को अनुमोदित कर दिया गया था। 25-50 वर्ग किमी. की बस्तियों का विकास करके शहरों का निर्माण शुरू किया जाएगा जिसके वर्ष 2018 के अंत तक पूरा होने की योजना है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अमोनियम नाइट्रेट

528. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों के निर्माण में प्रयुक्त रसायन अमोनियम नाइट्रेट के उत्पादन, संवितरण और बिक्री को नियंत्रित करने के लिए कोई नियम बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल में देशभर में विभिन्न आतंकी संगठनों द्वारा उक्त रसायनों का विस्फोटक पदार्थ के रूप में दुरुपयोग किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में इन रसायनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार (औद्योगिक नीति और

संवर्धन विभाग) ने अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, भंडारण, बिक्री, उपयोग, परिवहन, आयात तथा निर्यात को विनियमित करने के लिए 11 जुलाई, 2012 को अधिसूचना सं. सा.का.नि. 533(अ) के जरिए पहले ही अमोनियम नाइट्रेट नियमावली, 2012 प्रकाशित कर दी है।

(ग) और (घ) विगत में विभिन्न आतंकवादी संगठनों द्वारा एक विस्फोटक के तौर पर अमोनियम नाइट्रेट के दुरुपयोग की संभवना से इंकार नहीं किया जा सकता। तथापि, अमोनियम नाइट्रेट नियमावली, 2012 को अधिनियमित करके और उसके कड़े अनुपालन को बढ़ावा देकर सरकार ने देश में रसायनों के दुरुपयोग पर रोक लगाने हेतु कदम उठाए हैं।

[अनुवाद]

कम लागत वाला कृत्रिम पैर

529. **श्री वैजयंत पांडा : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों को कम लागत वाला अथवा निःशुल्क कृत्रिम जयपुर पैर प्रदान करने के लिए शिविरों के आयोजन हेतु कोई स्कीम तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो ओडिशा सहित विभिन्न राज्यों में गत तीन वर्षों के दौरान आयोजित शिविरों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे शिवरों में जयपुर पैर को लगाने की लागत का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) सहायक यंत्रों तथा उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना (एडिप योजना) के अंतर्गत कैंप तथा मुख्यालय/केन्द्र आधारित कार्यकलापों के माध्यम से सभी प्रकार के प्रोस्थेटिक तथा ऑर्थोटिक उपकरणों सहित पात्र विकलांग व्यक्तियों (लोकोमोटर, दृश्य, श्रव्य तथा मानसिक विकलांगताओं को कवर करते हुए) को सहायक यंत्र तथा उपकरण वितरित किए जाते हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को जारी निधियों की राज्य-वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को) इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो घुटने से नीचे के लिए 3590/- से 3890/- रुपए तथा घुटने से ऊपर के लिए 5685/- से 5825/- रुपए की रैंज वाले सच फुट के साथ प्रोस्थेसिस फिट करता है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के लिए सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना (एडिप योजना) के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों के लिए राज्य-वार सहायता अनुदान

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी राशि (लाख रुपए)			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (15.11.12 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	43.00	—	126.00	—
2.	बिहार	16.99	41.00	77.25	23.25
3.	छत्तीसगढ़	7.50	—	—	—
4.	गोवा	—	—	3.00	—

1	2	3	4	5	6
5.	गुजरात	49.45	101.70	103.80	18.83
6.	हरियाणा	5.00	14.00	8.50	2.40
7.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—
8.	जम्मू और कश्मीर	—	4.00	—	—
9.	झारखंड	—	17.00	—	—
10.	कर्नाटक	6.00	21.00	31.00	—
11.	केरल	—	—	—	—
12.	मध्य प्रदेश	3.00	6.71	—	9.00
13.	महाराष्ट्र	111.25	179.34	115.75	62.40
14.	ओडिशा	100.75	198.79	124.00	
15.	पंजाब	5.50	8.33	21.88	—
16.	राजस्थान	331.83	309.00	302.00	—
17.	तमिलनाडु	58.09	98.00	94.36	10.05
18.	उत्तर प्रदेश	156.65	333.01	280.67	15.00
19.	उत्तराखंड	3.75	14.00	23.00	6.00
20.	पश्चिम बंगाल	21.55	46.36	23.33	16.30
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—
22.	चंडीगढ़	—	—	—	18.00
23.	दादरा और नगर हवेली	—	3.00	3.00	
24.	दमन और दीव	—	—	—	—
25.	दिल्ली	91.10	19.00	16.65	5.60
26.	लक्षद्वीप	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6
27.	पुदुचेरी	—	—	—	—
28.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—
29.	असम	317.50	337.48	180.25	58.45
30.	मणिपुर	—	—	—	—
31.	मेघालय	—	—	—	—
32.	मिजोरम	—	—	—	—
33.	नागालैंड	—	—	—	—
34.	सिक्किम	—	—	—	—
35.	त्रिपुरा	—	—	—	11.25
	कुल	1328.91	1751.72	1534.44	256.53

239-40

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार

530. प्रो. रंजन प्रसाद यादव : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज नीति के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) से (ग) असंगठित क्षेत्र के बीपीएल परिवारों (पांच की इकाई) को फेमिली फ्लोटर आधार पर 30,000/- रुपये वार्षिक का स्मार्ट कार्ड आधारित कैशलेश स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराने के लिए 1 अक्तूबर, 2007 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) प्रारंभ की गई थी। यह योजना 01.04.2008 से संचालन में आई।

कार्यान्वयन के दौरान बीपीएल परिवारों के अतिरिक्त आरएसबीवाई कवरेज का निम्नलिखित अतिरिक्त श्रेणियों के लिए विस्तार किया गया है:—

(i) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार

(ii) रेलवे पोर्टर

(iii) गली में फेरी लगाने वाले

(iv) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान पन्द्रह दिन से अधिक कार्य कर चुके मनरेगा लाभार्थी

(v) बीड़ी कामगार

(vi) घरेलू कामगार

सरकार का प्रयास धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से असंगठित क्षेत्र के और अधिक घटकों को कवर करने के लिए सामाजिक सुरक्षा छह का विस्तार करना है। तथापि, इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कवरेज को सार्वभौमिकरण करने का कोई निर्णय नहीं है।

241-43

बाल श्रम

531. **श्री सुरेश अंगड़ी :**
श्री एस.एस. रामासुब्बू :
श्री एम. आनंदन :
डॉ. पी. वेणुगोपाल :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में पता चले और मुक्त कराये गए बाल मजदूरों की अनुमानित राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे मुक्त कराये गए बालकों को बलपूर्वक बाल मजदूरी में पुन: धकेले जाने से बचाने के लिए बने तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मुक्त कराये गए बाल मजदूरों को कदाचित ही वह क्षतिपूर्ति राशि जो उनके लिए होती है/मिलती है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) देश में बाल श्रम को पूर्णतया समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों सहित मुक्त कराये गए बालकों की सुरक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश): (क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के माध्यम से बचाए गए, पुनर्वासित तथा मुख्य धारा में लाए गए बाल श्रमिकों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) सरकार बाल श्रमिकों की समस्या से निपटने के लिए एक ठोस बहुआयामी रणनीति अपना रही है। इसमें सांविधिक एवं वैधानिक उपाय, बचाव एवं पुनर्वास, सामाजिक संरक्षण के साथ सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन योजनाएं शामिल हैं। इसका उद्देश्य ऐसा वातावरण बनाना है जहां परिवार अपने बच्चों को कार्य पर भेजने के लिए मजबूर न हों। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम के अंतर्गत कार्य से बचाए गए/हटाए गए बच्चों को विशेष विद्यालयों में नामांकित किया जाता है। जहां उन्हें औपचारिक शिक्षा पद्धति की मुख्य धारा में लाए जाने से पहले ब्रिज शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषण, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य देख-भाल इत्यादि उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ग) और (घ) एनसीएलपी योजना के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को 150/- रुपये प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। यह छात्रवृत्ति परियोजना समितियों द्वारा मासिक आधार पर उनके बैंक/डाकघर खातों में जमा की जाती है तथा इसे बच्चे द्वारा एनसीएलपी विद्यालयों में ब्रिज शिक्षा पूरी करने के पश्चात् नियमित विद्यालय की मुख्य धारा में लाने के बाद निकाली जा सकती है।

(ङ) बाल श्रम नीति के अंतर्गत, भारत सरकार निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण घटकों के साथ बहु-आयामी पद्धति अपना रही है:—

- वैधानिक कार्य योजना;
- बाल श्रमिकों के परिवारों के लाभ के लिए सामान्य विकास के कार्यक्रमों पर फोसक; और
- बाल श्रमिकों की बहुलता वाले क्षेत्रों में परियोजना आधारित कार्रवाई।

बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986, 14 वर्ष की आयु से कम के बच्चों का 18 व्यवसायों तथा 65 प्रक्रियाओं में नियोजन को निषिद्ध करता है। यह अधिनियम बच्चों की कार्य दशाओं को विनियमित करता है। जहां उनका कार्य करना निषिद्ध नहीं है। कोई भी व्यक्ति बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के नियोजन के लिए निषिद्ध किसी व्यावसाय या प्रक्रिया में किसी बच्चे को नियोजित करता है तो वह तीन माह से लेकर एक वर्ष तक के कारावास अथवा 10,000/- रुपये से 20,000/- रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय है। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के अनुसरण में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम वर्ष 1988 में शुरू की गई थी। यह योजना प्रथम दृष्टी में जोखिमकारी व्यवसायों तथा प्रक्रिया में कार्यरत बच्चों के पुनर्वास पर ध्यान केन्द्रित करते हुए परिणामी पद्धति को अपनाती है। यह योजना 266 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत कार्य से बचाए गए/हटाए गए बच्चों को विशेष विद्यालयों में नामांकित किया जाता है जहां उन्हें औपचारिक शिक्षा पद्धति की मुख्य धारा में लाए जाने से पहले ब्रिज शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य देख-भाल इत्यादि उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह मंत्रालय केन्द्र तथा जिला स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से बाल श्रम की बुराइयों के विरुद्ध तथा बाल श्रम कानूनों के प्रवर्तन के संबंध में जागरुकता सृजन अभियान चलाता है।

विवरण

तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के माध्यम से बचाए गए, पुनर्वासित तथा मुख्य धारा में लाए गए राज्य-वार बाल श्रमिक

क्र. सं.	राज्य	मुख्य धारा में लाए गए बच्चों की संख्या		
		2009-10	2010-11	2011-12
1.	असम	3685	274	227
2.	आंध्र प्रदेश	13689	1858	13202
3.	बिहार	7998	8552	19673
4.	छत्तीसगढ़	1063	5164	4914
5.	गुजरात	1437	2129	609
6.	हरियाणा	1354	1293	1895
7.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	43	184
8.	झारखंड	1816	1015	2216
9.	कर्नाटक	3217	135	3761
10.	महाराष्ट्र	5,150	5113	4532
11.	मध्य प्रदेश	9,692	13344	17589
12.	ओडिशा	10,585	14416	13196
13.	पंजाब	1,023	123	168
14.	राजस्थान	12,326	4415	1020
15.	तमिलनाडु	6,321	6325	5127
16.	उत्तर प्रदेश	40,297	28243	29947
17.	पश्चिम बंगाल	13,187	2215	7456
	कुल	1,32,840	94,657	125716

[हिन्दी] विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 244-56

एफडीआई आप्रवाह

532. **श्री वीरेन्द्र कुमार :**
श्री मंगनी लाल मंडल :
श्री हरिभाऊ जावले :
श्री राम सुन्दर दास :
श्री कपिल मुनि करवारिया :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) में कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एफडीआई के आंकड़े सहित मूल्य-वार, क्षेत्र-वार और राज्य-वार तत्संबंधी आंकड़े क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एफडीआई हेतु सरकार द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस पर ध्यान दिया है कि कई कंपनियां निवेश की गई पूंजी को अन्य क्षेत्रों में लगाकर एफडीआई के मानदंडों का उल्लंघन कर रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) राज्य सरकारों के साथ समझौते के अनुसार एफडीआई के तहत संस्वीकृत और शुरू की गई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 2010-11 में दर्ज एफडीआई इक्विटी अन्तर्वाह की तुलना में वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान इसमें काफी वृद्धि हुई है।

पिछले दो वित्तीय वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान एफडीआई इक्विटी अन्तर्वाह निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	वर्ष (अप्रैल-मार्च)	एफडीआई (करोड़ रु.)	एफडीआई (मिलियन अमेरिकी डॉलर)
1.	2010-11	97,320.39	21,383.05
2.	2011-12	165,145.53	35,120.80
3.	2012-13 (अप्रैल-अगस्त)	44,580.24	8,166.20

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

एफडीआई इक्विटी अन्तर्वाह का अप्रैल, 2010 से अगस्त, 2012 तक का क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार एफडीआई इक्विटी अन्तर्वाह का अप्रैल, 2010 से अगस्त, 2012 तक का क्षेत्रीय कार्यालय-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। यह विवरण देश में आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार है तथा इन्हें पूरी तरह राज्य-वार अन्तर्वाह नहीं माना जा सकता क्योंकि कम्पनियों का मुख्यालय एक राज्य में हो सकता है जबकि उसका कार्य एक या अधिक राज्यों में हो सकता है तथा आरबीआई के कुछ क्षेत्रीय कार्यालय एक से अधिक राज्यों में कार्य देखते हैं।

(ग) एफडीआई अन्तर्वाह के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति को और अधिक निवेशक अनुकूल बनाने के उद्देश्य से इसकी सतत् आधार पर समीक्षा की जाती है। सरकार ने एफडीआई संबंधी निवेशक अनुकूल नीति बनाई है जिसके तहत ज्यादातर क्षेत्रों/क्रियाकलापों में स्वतः मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है। हाल ही में एफडीआई नीति व्यवस्था में काफी बदलाव किए गए हैं, ताकि भारत उत्तरोत्तर आकर्षक तथा निवेशक अनुकूल बना रह सके।

सरकार भारत में निवेश के वातावरण और अवसरों के संबंध में जानकारी का प्रसार करके तथा संभावित निवेशकों को निवेश नीतियों, प्रक्रियाओं एवं अवसरों के बारे में सलाह प्रदान करके, निवेश को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाती है। औद्योगिक साझेदारी के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त किया जाता है। यह भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्वाह को प्रोत्साहित करने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों पहलों के माध्यम से औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यकलापों में फिक्की, सीआईआई और एसोचेम जैसे शीर्ष उद्योग संघों के साथ भी समन्वय करती है। सरकार ने भावी विदेशी निवेशकों के लिए एक गैर-लाभप्रद, एकल खिड़की सुविधा प्रदायक के रूप में तथा निवेश आकर्षित करने के लिए ढांचागत तंत्र के रूप में कार्य करने के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग तथा फिक्की के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी 'इन्वेस्ट इंडिया' भी स्थापित की है।

(घ) और (ङ) कुछ कंपनियों द्वारा एफडीआई नीति का उल्लंघन करने का आरोप लगाने वाले मामले संज्ञान में आए हैं। एफडीआई विनियमों का उल्लंघन विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के दंडात्मक प्रावधानों के तहत आता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि क्रमशः भारती वॉल मार्ट/सेडार सपोर्ट सर्विसिस लि. और मै. फ्लिपकार्ट ऑनलाइन सर्विसिस लि. से संबंधित मामले आगे की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय को भेजे गए हैं।

(च) सरकार ने एफडीआई परियोजनाओं के संबंध में राज्य सरकारों के साथ कोई समझौता नहीं किया है।

विवरण-I

क्षेत्र-वार (वित्तीय वर्ष) एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह अप्रैल, 2010 से अगस्त, 2012 तक

(राशि करोड़ रुपए एवं मिलियन अमेरिकी डॉलर)

क्र. सं.	क्षेत्र	2010-11 अप्रैल-मार्च		2011-12 अप्रैल-मार्च		2012-13 अप्रैल-अगस्त		कुल	
		रु.	अमेरिकी डॉलर	रु.	अमेरिकी डॉलर	रु.	अमेरिकी डॉलर	रु.	अमेरिकी डॉलर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	धातुकर्मी उद्योग	5,023.34	1.098.14	8,348.49	1,786.14	3,206.14	594.65	16,577.96	3,478.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	खनन	357.42	79.51	644.73	142.65	82.18	15.31	1,084.33	237.47
3.	विद्युत	5,796.22	1,271.77	7,677.74	1,652.38	1,721.62	314.83	15,195.58	3,238.98
4.	गैर-परम्परागत ऊर्जा	977.71	214.40	2,197.50	452.17	1,180.66	221.30	4,355.87	887.88
5.	पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस	2,543.14	556.43	9,955.17	2,029.98	1,166.92	210.06	13,665.23	2,796.47
6.	बॉयलर तथा भाप जेनेरेटिंग संयंत्र	2.87	0.63	156.64	31.79	103.89	20.05	263.40	52.47
7.	प्राइम मूवर्स (विद्युत जनरेटर के अलावा)	758.13	166.44	1,548.86	313.75	465.53	85.07	2,772.52	565.27
8.	विद्युत उपकरण	698.85	153.90	2,659.60	566.39	393.73	72.41	3,752.19	792.70
9.	कम्प्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर	3,551.24	779.81	3,803.77	796.35	1,031.61	187.81	8.386.62	1,763.96
10.	इलैक्ट्रॉनिक्स	274.75	59.72	887.92	194.41	42.39	7.79	1,205.06	261.91
11.	दूरसंचार	7,542.04	1,664.50	9,011.53	1,997.24	110.57	20.02	16,664.14	3,681.77
12.	सूचना और प्रसारण (प्रिंट मीडिया सहित)	1,887.17	412.11	3,264.09	675.96	1,055.85	190.72	6,207.11	1,278.79
13.	आटोमोबाइल उद्योग	5,864.18	1,299.41	4,346.77	922.99	3,415.88	616.77	13,626.83	2,839.17
14.	वायु परिवहन (एयर फ्रेट सहित)	620.83	136.60	145.71	31.22	52.61	9.63	819.16	177.45
15.	समुद्री परिवहन	1,370.27	300.51	594.71	129.36	197.53	35.57	2,162.52	465.43
16.	पत्तन	49.84	10.92	0.02	0.00	0.00	0.00	49.86	10.92
17.	रेलवे से संबद्ध पुर्जे	318.50	70.66	199.01	42.27	38.32	7.30	555.83	120.23
18.	औद्योगिक मशीनरी	2,109.07	467.92	2,934.87	620.66	1,612.39	292.57	6,656.33	1,381.16
19.	मशीन औजार	53.01	11.63	616.25	127.87	422.86	76.28	1,092.12	215.78
20.	कृषि मशीनरी	2.21	0.49	12.72	2.77	11.66	2.10	26.59	5.35
21.	अर्थ मूविंग मशीनरी	8.12	1.77	75.09	16.40	2.30	0.42	85.51	18.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	विविध यांत्रिक तथा इंजीनियरिंग उद्योग	493.96	108.67	5,861.61	1,295.34	288.18	52.41	6,643.75	1,456.42
23.	वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू उपकरण	115.14	25.12	138.15	29.04	7.07	1.29	260.37	55.44
24.	चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा उपकरण	146.66	32.22	698.41	141.61	249.57	44.98	1,094.64	218.82
25.	औद्योगिक उपकरण	115.55	25.48	17.79	3.99	3.19	0.58	136.53	30.06
26.	वैज्ञानिक उपकरण	11.16	2.49	34.47	7.08	354.90	65.13	400.53	74.69
27.	गणितीय सर्वेक्षण और ड्राइंग उपकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	34.74	6.71	34.74	6.71
28.	उर्वरक	83.77	18.18	160.71	32.60	76.10	14.68	320.58	65.46
29.	रसायन (उर्वरकों के अलावा)	10,612.39	2,354.40	18,421.94	4,040.71	568.65	103.22	29,602.99	6,498.33
30.	फोटोग्राफी, कच्ची फिल्म और कागज	3.60	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.81
31.	डाई स्टाफ	24.25	5.37	2.90	0.58	0.00	0.00	27.14	5.95
32.	औषध एवं भेषज	961.09	209.38	14,605.03	3,232.28	2,572.17	487.46	18,138.30	3,929.12
33.	वस्त्र (रंजक, मुद्रण सहित)	588.95	129.65	804.50	164.19	425.87	77.77	1,819.32	371.61
34.	कागज तथा लुगदी (कागज उत्पाद सहित)	30.15	6.53	2,055.28	407.35	4.74	0.86	2,090.17	414.73
35.	चीनी	0.79	0.17	19.95	4.44	44.70	8.04	65.43	12.65
36.	किण्वन उद्योग	262.28	57.71	335.50	69.70	237.01	42.98	834.80	170.39
37.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	858.03	188.67	826.16	170.21	366.10	66.12	2,050.30	424.99
38.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	267.35	58.07	318.26	65.02	208.92	37.62	794.53	160.71
39.	साबुन सौंदर्यवर्धक तथा प्रसाधन उत्पाद	463.98	102.90	1,113.76	222.08	209.18	37.55	1,786.92	362.53
40.	रबड़ की वस्तुएं	78.71	17.21	899.76	187.37	1,453.33	263.18	2,431.80	467.76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41.	चमड़ा, चमड़े की वस्तुएं तथा पिकर्स	42.10	9.26	38.90	8.30	176.56	32.42	257.56	49.99
42.	ग्लू तथा जिलेटिन	0.04	0.01	30.68	5.84	0.00	0.00	30.72	5.85
43.	कांच	35.48	7.60	155.65	32.22	203.28	37.56	394.42	77.39
44.	सिरेमिक	54.06	12.00	45.22	9.87	13.49	2.44	112.78	24.30
45.	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	2,911.03	637.68	1,294.90	267.90	23.28	4.26	4,229.21	909.84
46.	इमारती काष्ठ उत्पाद	7.19	1.58	145.26	29.60	12.01	2.15	164.47	33.33
47.	रक्षा उद्योग	0.00	0.00	17.44	3.66	2.21	0.41	19.65	4.07
48.	परामर्श सेवाएं	1,257.69	274.84	1,348.14	289.89	426.87	77.00	3,032.70	641.73
49.	सेवा क्षेत्र*	15,053.94	3,296.09	24,656.49	5,215.98	12,479.91	2,280.40	52,190.34	10,792.47
50.	अस्पताल तथा नैदानिक केन्द्र	1,177.33	256.00	1,524.77	310.43	537.58	98.15	3,239.67	664.58
51.	शिक्षा	173.24	37.94	510.95	105.62	784.90	146.23	1,469.09	289.79
52.	होटल तथा पर्यटन	1,405.15	308.05	4,753.89	992.86	661.78	121.17	6,820.83	1,422.07
53.	व्यापार	2,252.72	498.46	3,669.92	759.89	1,300.89	238.43	7,223.53	1,496.78
54.	खुदरा व्यापार (एकल ब्रांड)	116.53	25.84	11.49	2.57	0.00	0.00	128.02	28.42
55.	कृषि सेवाएं	202.60	43.90	226.41	49.02	203.77	36.94	632.78	129.85
56.	हीरे, सोने के आभूषण	89.36	19.59	172.61	36.30	117.83	21.15	379.80	77.04
57.	चाय तथा कॉफी (प्रसंस्करण तथा वेयर हाउसिंग चाय तथा कॉफी और रबड़)	14.40	3.12	24.81	5.32	0.00	0.00	39.21	8.44
58.	पुस्तकों का मुद्रण (लिथो प्रिंटिंग उद्योग सहित)	168.42	36.63	225.03	47.39	10.00	1.80	403.46	85.82
59.	कॉयर	0.46	0.10	2.89	0.55	0.05	0.01	3.40	0.66
60.	निर्माण (अवसंरचना) कार्यकलाप	3,027.21	675.07	1,878.62	386.28	302.17	54.98	5,208.00	1,116.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61.	निर्माण विकास: टाउनशिप, आवास, तैयार अवसंरचना और निर्माण-विकास परियोजनाएं	7,551.85	1,654.55	15,236.03	3,140.78	3,264.81	601.07	26,052.69	5,396.40
62.	विविध उद्योग	6,852.85	1,484.45	3,780.06	814.17	639.77	118.38	11,272.69	2,416.99
	कुल योग	97,320.39	21,383.05	165,145.53	35,120.80	44,580.24	8,166.20	307,046.17	64,670.05

*वित्तीय, बैंकिंग, बीमा, गैर-वित्तीय/व्यावसायिक, आउटसोर्सिंग, आरएंडडी, कुरियर, टेक, टेस्टिंग और विश्लेषण सहित सेवा क्षेत्र।

विवरण-II

आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय-वार (वित्तीय वर्ष) एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह अप्रैल, 2010 से अगस्त, 2012 तक (आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों से दी गई सूचना के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपए एवं मिलियन अमेरिकी डॉलर)

क्र. सं.	आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय	राज्य सम्मिलित	2010-11 अप्रैल-मार्च		2011-12 अप्रैल-मार्च		2012-13 अप्रैल-अगस्त		कुल	
			रु.	अमेरिकी डॉलर	रु.	अमेरिकी डॉलर	रु.	अमेरिकी डॉलर	रु.	अमेरिकी डॉलर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	5,753.27	1,262.38	4,039.02	848.17	1,804.69	330.42	11,596.98	2,440.98
2.	गुवाहटी	असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा	36.50	8.11	4.53	0.95	0.00	0.00	41.03	9.06
3.	पटना	बिहार, झारखंड	24.80	5.46	122.54	24.06	20.75	3.78	168.09	33.30
4.	अहमदाबाद	गुजरात	3,294.12	724.19	4,730.03	1,001.11	1,023.82	189.68	9,047.97	1,914.98
5.	बंगलूर	कर्नाटक	6,133.32	1,332.10	7,234.51	1,532.81	2,070.03	381.76	15,437.86	3,246.68
6.	कोच्ची	केरल, लक्षद्वीप	167.16	36.81	2,273.57	471.08	208.78	38.89	2,649.51	546.78
7.	भोपाल	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़	2,092.69	450.97	569.28	122.95	603.02	108.74	3,264.98	682.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	मुम्बई	महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	27,668.81	6,096.94	44,664.17	9,552.52	14,373.46	2,634.26	86,706.44	18,283.73
9.	भुवनेश्वर	ओडिशा	67.61	14.69	124.81	27.77	35.80	6.44	228.21	48.91
10.	जयपुर	राजस्थान	230.30	50.95	160.62	33.03	350.35	64.61	741.26	148.59
11.	चेन्नई	तमिलनाडु, पुदुचेरी	6,115.38	1,351.91	6,711.09	1,422.39	4,619.60	841.39	17,446.08	3,615.70
12.	कानपुर	उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड	513.60	112.31	635.32	139.62	100.13	18.43	1,249.05	270.36
13.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	426.42	94.59	1,816.81	394.24	644.45	116.17	2,887.68	604.99
14.	चंडीगढ़	चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश	1,892.41	416.07	624.43	129.99	41.60	7.59	2,558.43	553.65
15.	दिल्ली	दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के भाग	12,183.59	2,676.51	37.402.75	7,983.40	7,241.60	1,340.36	56,827.93	12,000.26
16.	पणजी	गोवा	1,376.24	302.20	180.66	37.74	26.58	4.90	1,583.48	344.84
17.	राज्य जो दर्शाये नहीं गये*			6,446.85	53,851.41	11,398.96	11,415.59	2,078.77	94,611.18	19,924.58
	कुल योग		97,320.39	21,383.05	165,145.53	35,120.80	44,580.24	8,166.20	307,046.17	64,670.05

*उपर्युक्त राज्य-वार अंतर्वाह आरबीआई मुम्बई द्वारा दिए गए आरबीआई के क्षेत्र-वार अंतर्वाह के अनुसार है।

[अनुवाद] विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 255-58

खुदरा व्यापार में एफडीआई का प्रभाव

533. **श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहु-ब्रांड खुदरा व्यापार में एफडीआई की अनुमति के निर्णय के कार्यान्वयन के पश्चात् देशभर में रोजगार के सृजन सहित छोटे कारोबारियों/किसानों को होने वाले संभावित लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या छोटे दुकानदारों ने खुदरा बाजार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति दिए जाने का विरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और छोटे व्यापारियों

के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में व्यापारियों के साथ परामर्श करने के लिए कोई पहल की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध पर भारतीय अनुसंधान परिषद् (आईसीआरआईईआर) के जरिए सरकार ने "असंगठित क्षेत्र पर संगठित खुदरा व्यापार का प्रभाव" विषय पर एक अध्ययन कराया था, जो 2008 में सरकार को प्रस्तुत किया गया था। आईसीआरआईईआर अध्ययन ने उपभोक्ताओं, किसानों तथा विनिर्माताओं जैसे विभिन्न हितधारकों के लिए संगठित खुदा व्यापार की वृद्धि से महत्वपूर्ण लाभ का संकेत दिया था। अध्ययन और अन्य देशों के अनुभव के आधार पर, सरकार का यह आकलन है कि नीति के कारर्यान्वियन से फ्रंट एंड और बैक-एंड अवसंरचना; कृषि मूल्य शृंखला की क्षमता को प्रकट करने के लिए प्रौद्योगिकियों एवं दक्षताओं; अतिरिक्त व गुणवत्तापूर्ण रोजगार; तथा वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं में और अधिक एफडीआई अंतर्वाह को सुविधाप्रद बनाना है। परिणामस्वरूप, गुणवत्ता तथा मूल्य की दृष्टि से दीर्घकाल में उपभोक्ताओं और किसानों के लाभान्वित होने की आशा है। स्थानीय मूल्य वर्धन तथा विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए 30% अनिवार्य खरीद की शर्त को शामिल किया गया है। अधिक एफडीआई अंतर्वाह के परिणामस्वरूप फ्रंट-एंड और बैक-एंड में कार्यकलाप के बढ़े हुए स्तर से शहरी ग्रामीण युवाओं के लिए अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित होने की आशा है। यह भी आशा है कि मौजूदा व्यापारियों तथा खुदरा बिक्री केन्द्रों को उन्नयन एवं अधिक दक्ष बनाने के प्रोत्साहन मिलेगा, जिसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं बेहतर सेवाएं और उन उत्पादकों को बेहतर पारिश्रमिक मिलेगा, जिनसे वे अपने उत्पाद खरीदेंगे।

(ख) से (ङ) औद्योगिकी नीति एवं संवर्धन विभाग ने "मल्टी-ब्रांड खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश" विषय पर विभिन्न हितधारकों के विचार व टिप्पणियां प्राप्त करने तथा विषय पर जानकारी युक्त चर्चा करने के उद्देश्य से दिनांक 06.07.2010 को एक चर्चा पत्र जारी किया था। बाद में मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में 541 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की अनुमति देने के लिए सरकार द्वारा 24 नवम्बर, 2011 को लिए गए निर्णय का कार्यान्वियन मुख्य हितधारकों के बीच व्यापक सहमति बनाने के लिए स्थगित किया गया था। इस संबंध में व्यापारी संघों; उपभोक्ता संगठनों; किसानों के प्रतिनिधियों तथा संघों; लघु एवं मध्यम उद्यम संघों तथा प्रतिनिधियों; खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के प्रतिनिधियों सहित हितधारकों के साथ परामर्श किया। विचार-विमर्श में मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में एफडीआई के पक्ष तथा विपक्ष दोनों में विचार प्राप्त हुए। तथापि कुल मिलाकर चर्चाएं पर्याप्त सुरक्षा उपाय अपनाने के अध्यधीन इस नीति के समर्थन की ओर इंगित करती हैं। तद्नुसार नीति में आवश्यक सुरक्षा उपाय शामिल किए गए हैं तथा इससे छोटे व्यापारियों सहित विभिन्न हितधारकों के हितों की रक्षा होने की उम्मीद है। सरकार ने वितरणात्मक कुशलता सुनिश्चित करने तथा यह निश्चित करने के लिए कि व्यापार का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिले, आंतरिक व्यापार सुधारों पर सिफारिशें करने के लिए उच्चस्तरीय समूह के गठन का भी निर्णय किया है।

विभिन्न नदियों के प्रमुख प्रदूषक

534. **श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी :**
श्री भूदेव चौधरी :
योगी आदित्यनाथ :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े शहरों में औद्योगिकीकरण गंगा और यमुना सहित विभिन्न नदियों और झीलों में प्रदूषण के प्रमुख कारक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में ऐसे शहरों की पहचान करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सर्वेक्षण का क्या परिणाम है;

(घ) उक्त नदियों/झीलों को संरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रदूषण कम करने के लिए संस्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसी परियोजनाओं में से प्रत्येक के तहत उक्त अवधि के दौरान जारी और उपयोग में लायी गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ा है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ग) शहरों से अशोधित और आंशिक रूप से शोधित औद्योगिक और नगरीय अपशिष्ट जल का निस्सारण नदियों और झीलों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देश में विभिन्न नदी क्षेत्रों की जल गुणवत्ता की मॉनीटरी कर रहा है जिनमें अन्य नदियों के साथ-साथ गंगा तथा यमुना नदी भी शामिल हैं। मॉनीटरी के आधार पर, देश में विभिन्न नदियों के 150 प्रदूषित नदी क्षेत्रों की पहचान की गई है। भारत सरकारर ने एक अध्ययन के माध्यम से देश भर में संरक्षण हेतु 62 झीलों की पहचान की है।

(घ) नदियों और झीलों का संरक्षण; केन्द्रीय और राज्य सरकारों का एक सतत् और सामूहिक प्रयास है और यह मंत्रालय केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच लागत भागीदारी के आधार पर परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए क्रमशः राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) और राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एनएलसीपी) के अंतर्गत नदियों और झीलों में प्रदूषण के उपशमन में राज्य सरकारों के प्रयासों में उनकी सहायता कर रहा है। एनआरसीपी में इस समय 20 राज्यों में फैले 191 शहरों की 41 नदियां शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत शुरू की गई विभिन्न प्रदूषण उपशमन स्कीमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, अशोधित सीवेज का अंतरावरोधन और अपवर्तन, सीवेज शोधन संयंत्रों की स्थापना, कम लागत की स्वच्छता सुविधाओं का सृजन, विद्युत/उन्नत काष्ठ शवदाहगृहों की स्थापना और नदी तटाग्रों का विकास शामिल हैं। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाली स्कीमों सहित इस योजना के तहत 8847.22 करोड़ रुपये की प्रदूषण उपशमन स्कीमें मंजूर की गई हैं। अभी तक, योजना के अंतर्गत, 4704 एमएलडी की सीवेज शोधन क्षमता सृजित की गई है।

एनएलसीपी के अंतर्गत, इस मंत्रालय ने 14 राज्यों की 61 झीलों के संरक्षण हेतु कुल 1031.18 करोड़ रुपये की लागत पर परियोजनाएं मंजूर की हैं। इस योजना के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यों में शामिल हैं; झील में अपशिष्ट जल के प्रवेश से पहले उसके अंतरावरोधन, अपवर्तन और शोधन के कोर घटक, आवाह क्षेत्र का उपचार, तटरेखा सुरक्षा, ऐरेशन, अपतृण हटाना, गाद-हटाना, जैव-उपचार आदि जैसे झील के स्थल उपचार।

इसके अतिरिक्त, के.प्र.नि.बो. और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बहिस्राव निस्सारण मानदंडों के अनुपालन हेतु उद्योगों की मॉनीटरी करते हैं और अनुपालन न होने पर जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत कार्रवाई करते हैं।

(ङ) और (च) गत 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनआरसीपी और एलएलसीपी के अंतर्गत मंजूर की गई परियोजनाओं की लागत, जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

विवरण-I

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण सहित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत मंजूर की गई परियोजनाओं की लागत और जारी की गई राज्य-वार निधियां

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य	मंजूरी की गई नई परियोजनाओं की लागत	गत तीन वर्षों और चालू वर्ष में जारी निधियां (चल रही और नई परियोजनाओं सहित)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	—	36.89
2.	बिहार	441.85	35.37
3.	दिल्ली	20.32	184.67
4.	हरियाणा	229.70	57.10
5.	झारखंड	—	—
6.	गुजरात	262.13	42.10
7.	गोवा	—	—
8.	कर्नाटक	—	0.96
9.	केरल	—	—
10.	महाराष्ट्र	74.29	24.27
11.	मध्य प्रदेश	6.20	0.90
12.	नागालैंड	—	—

1	2	3	4
13.	ओडिशा	—	5.00
14.	पंजाब	515.52	138.64
15.	राजस्थान	149.59	40.00
16.	सिक्किम	151.69	72.09
17.	तमिलनाडु	2.54	3.10
18.	उत्तर प्रदेश	1385.95	445.46
19.	उत्तराखंड	135.93	49.82
20.	पश्चिम बंगाल	690.10	251.21
	कुल	4065.81	1387.68

विवरण-II

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत मंजूर की गई परियोजनाओं की लागत और जारी की गई राज्य-वार निधियां

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य	मंजूरी की गई नई परियोजनाओं की लागत	गत तीन वर्षों और चालू वर्ष में जारी निधियां (चल रही और नई परियोजनाओं सहित)
1	2	3	4
1.	कर्नाटक	—	6.50
2.	आंध्र प्रदेश	4.30	1.90
3.	महाराष्ट्र	—	7.02
4.	राजस्थान	25.60	40.05
5.	उत्तराखंड	—	3.00
6.	पश्चिम बंगाल	12.60	11.97
7.	जम्मू और कश्मीर	—	86.28
8.	नागालैंड	25.83	5.81
9.	उत्तर प्रदेश	124.32	64.43
	कुल	192.65	226.96

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 में संशोधन

535. राजकुमारी रत्ना सिंह :
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पथकर संग्रह में लगे टॉल ऑपरेटरों/निजी एजेंसियों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 अधिक लाभकारी है, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करने वाले आम लोगों का शोषण हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इन नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि इसे लोगों के अनुकूल बनाया जा सके;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन नियमों को कब तक संशोधित कर दिये जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

263-95

अ.जा./अ.पि.व. के लिए कल्याण योजना

536. श्री बलीराम जाधव :
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :
श्री राम सिंह कस्वां :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति (अ.जा.), अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.) और समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा लागू की गई स्कीमों/परियोजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त स्कीमों/परियोजनाओं से लाभान्वित लोगों की संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक मामले में आबंटित निधि का वर्ष-वार एवं राजस्थान सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सामाजिक कल्याण से जुड़ी अलग-अलग स्कीमों में गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान की गई अनुदान में अंतर है;

(ङ) यदि हां, तो इसका कारण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) एनजीओ हेतु निधि की उच्चतम सीमा के निर्धारण के क्या मानदंड हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) मंत्रालय अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा समाज के कमजोर वर्गों के विकास के लिए निम्नलिखित मुख्य केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करता है:—

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

(i) अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति;

(ii) 'अस्वच्छ' व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति,

(iii) बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना;

(iv) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता;

(v) अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति;

(vi) अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति;

(vii) अन्य पिछड़े वर्गों के बालक एवं बालिकाओं के लिए छात्रावास;

केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं

(viii) अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता;

(ix) अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता;

(x) अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों सहित कमजोर वर्गों के लिए कोचिंग एवं संबद्ध योजना;

(xi) हाथ से मैला साफ करने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु स्वरोजगार योजना;

(xii) अनुसूचित जाति विद्यार्थियों की योग्यता उन्नयन;

(xiii) नौवीं कक्षा में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति*;

(xiv) उच्च शिक्षा हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति;

(xv) मेधावी विद्यार्थियों के लिए "उत्कृष्ट श्रेणी शिक्षा";

(xvi) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान;

(xvii) दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना; और

(xviii) सहायक यंत्रों एवं उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु विकलांग व्यक्तियों को सहायता।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या विवरण-I में दी गई है।

(ग) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जारी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) से (च) गैर-सरकारी संगठनों को प्रदत्त अनुदान, कार्यकलापों की प्रकृति तथा निधियों की उपलब्धता के आधार पर योजना दर योजना भिन्न-भिन्न होता है।

*नई योजना जून, 2012 में अनुमोदित हुई थी। अत: कोई निधि जारी नहीं की गई तथा कोई लाभार्थी कवर नहीं किया गया।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभार्थियों की संख्या		
		2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना	4018192	4112466	4819436
2.	'अस्वच्छ' व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना	704849	614143	686237
3.	बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना			
	बालिका छात्रावास	1421	2506	2300
	बालक छात्रावास	735	3244	2656
4.	अनुसूचित जाति विद्यार्थियों की योग्यता उन्नयन की केन्द्रीय क्षेत्र योजना	1512	3033	2507
5.	अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए "राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति" की केन्द्रीय क्षेत्र योजना	1375	2000	2000
6.	अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए उत्कृष्ट श्रेणी शिक्षा की केन्द्रीय क्षेत्र योजना	541	1036	1259
7.	अनुसूचित जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों सहित कमजोर वर्गों के लिए कोचिंग एवं संबद्ध योजना	3013	8220	7359
8.	अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी)	282755 (11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना प्राप्त)	333405 (12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना प्राप्त)	1195886 (13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना प्राप्त)
9.	हाथ से मैला साफ करने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु स्वरोजगार योजना	41803	329	शून्य
10.	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना	27680	26571	24136
11.	अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	18055	39351	27817

1	2	3	4	5
12.	अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	1300000	2300000 (अनंतिम)	2500000 (अनुमानित)
13.	अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1758000	1800000 (अनंतिम)	2000000 (अनुमानित)
14.	अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	2050	3715	2250
15.	अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण	4000 सीट	4035 सीट	2578 सीट
16.	सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु विकलांग व्यक्तियों को सहायता	232020	233943	Yet to be received
17.	दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना	113544	230365	255463

विवरण-II

विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार जारी निधियां

(i) अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी निधि		
		2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	21182.31	57023.48	64360.00
2.	असम	1041.99	504.99	1310.00
3.	बिहार	1000.00	3472.07	5714.75
4.	छत्तीसगढ़	0.00	1207.79	4601.07
5.	गोवा	0.00	18.05	6.26
6.	गुजरात	2741.34	5569.09	3599.08
7.	हरियाणा	6962.57	3600	13702.47
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0	500.00
9.	जम्मू और कश्मीर	150.00	100.00	359.05
10.	झारखंड	514.74	100	1045.93
11.	कर्नाटक	11819.35	15718.32	11224.99
12.	केरल	3200.00	2400.00	0.00
13.	मध्य प्रदेश	3653.86	6721.19	15311.66
14.	महाराष्ट्र	13400.00	28161.01	45339.90
15.	मणिपुर	185.70	100	397.98
16.	मेघालय	0.00	0	14.30
17.	ओडिशा	0.00	2697.51	3974.64

1	2	3	4	5
18.	पंजाब	0.00	5814.58	5095.92
19.	राजस्थान	5397.72	3900	2982.32
20.	सिक्किम	1.00	16.56	31.91
21.	तमिलनाडु	5369.97	17847.6	14338.38
22.	त्रिपुरा	410.16	498.25	1171.82
23.	उत्तर प्रदेश	19967.13	49804.19	50537.24
24.	उत्तराखंड	789.70	2155.15	3376.54
25.	पश्चिम बंगाल	3835.67	2200	20738.22
26.	दमन और दीव	0.00	0	15.01
27.	दिल्ली	0.00	0	979.40
28.	पुदुचेरी	0.00	100	405.60
	कुल	101623.21	209729.83	271134.44

(ii) अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी निधि		
		2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2171.5	880.00	0.00
2.	असम	52.17	0.00	109.89
3.	बिहार	0	117.59	122.89
4.	छत्तीसगढ़	192.08	170.73	226.25
5.	दिल्ली	0	0.00	0.00
6.	गोवा	0.89	0.50	2.61
7.	गुजरात	3639.90	3658.52	3142.04
8.	हरियाणा	0	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0.00	6.86
10.	जम्मू और कश्मीर	24.59	0.00	0.00
11.	झारखंड	0	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	0	0.00	87.91
13.	केरल	6.11	15.00	3.00
14.	मध्य प्रदेश	232.59	0.00	318.34
15.	महाराष्ट्र	0	0.00	794.99
16.	ओडिशा	0	0.00	48.14
17.	पुदुचेरी	7.71	6.00	0.00
18.	पंजाब	0	112.07	34.00
19.	राजस्थान	598.95	568.76	1354.41
20.	सिक्किम	0	0.00	0.00
21.	तमिलनाडु	971.88	236.00	55.89
22.	त्रिपुरा	47.83	41.70	42.26
23.	उत्तर प्रदेश	0	0.00	0.00
24.	उत्तराखंड	1.55	1.00	0.00
25.	पश्चिम बंगाल	26.27	39.90	15.68
	कुल	7974.02	5847.77	6365.16

(iii) बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी निधि					
		अनुसूचित जाति बालक छात्रावास			अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास		
		2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	600	0
2.	असम	0	75	0	0	0	0
3.	बिहार	0	631.4	0	0	0	687.74
4.	छत्तीसगढ़	33.75	0	0	0	0	0
5.	गुजरात	0	0	0	0	0	0
6.	हरियाणा	2.98	90	0	187.57	365	0
7.	हिमाचल प्रदेश	0	108.1	0	0	496.4	0
8.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0
9.	झारखंड	0	0	0	0	45	0
10.	कर्नाटक	0	0	0	202.4	340	0
11.	केरल	54.75	60	0	0	0	200
12.	मध्य प्रदेश	180.7	168.6	0	250	342	0
13.	महाराष्ट्र	0	567	1870	0	717.1	2427
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
15.	मेघालय	0	0	0	0	0	0
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
18.	ओडिशा	0	0	0	0	0	0
19.	पंजाब	0	0	90	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	राजस्थान	191	384	111	1706.75	584	0
21.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
22.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	157.05	294	99	0	688.1	0
25.	उत्तराखंड	0	0	0	89.29	0	0
26.	पश्चिम बंगाल	0	950	590	0	204.4	516.67
27.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
28.	दिल्ली	0	0	0	0	9	0
29.	पुदुचेरी	0	100	0	100	0	0
	कुल	620.23	3428.1	2760	2536.01	4391	3831.41

(iv) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी निधि		
		2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	878.79	642.99	402.76
2.	असम	—	—	—
3.	बिहार	55.00	90.00	200.00
4.	छत्तीसगढ़	40.64	108.59	51.42
5.	गोवा	1.50	3.25	2.50
6.	गुजरात	186.08	303.32	510.67
7.	हरियाणा	19.59	136.18	240.25
8.	हिमाचल प्रदेश	54.80	29.00	59.41
9.	झारखंड	39.54	शून्य	—
10.	कर्नाटक	967.18	674.36	—
11.	केरल	361.81	शून्य	473.11
12.	मध्य प्रदेश	1107.11	1869.09	2886.35
13.	महाराष्ट्र	1197.43	869.79	681.36
14.	ओडिशा	69.58	645.58	254.22
15.	पंजाब	76.35	114.70	152.68

1	2	3	4	5
16.	राजस्थान	175.66	175.40	198.29
17.	सिक्किम	8.18	6.40	—
18.	तमिलनाडु	612.15	176.77	494.67
19.	त्रिपुरा	0.6	—	0.75
20.	उत्तर प्रदेश	904.36	960.98	435.30
21.	उत्तराखंड	—	—	—
22.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	5.49	—
23.	चंडीगढ़	0	15.00	20.00
24.	दादरा और नगर हवेली	59.23	60.00	56.52
25.	दमन और दीव	—	8.942	3.00
26.	पुदुचेरी	50.00	87.08	80.50
	कुल	6865.58	6982.91	7203.76

(v) अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी निधि		
		2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3668.49	4492.78	5159.59
2.	असम	249.22	662.97	0.00
3.	बिहार	1916.86	4857.64	3384.39
4.	छत्तीसगढ़	666.69	0.00	1025.78
5.	गुजरात	932.86	1070.41	769.88
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00
7.	हरियाणा	1350.53	1431.17	1671.44
8.	हिमाचल प्रदेश	498.20	660.14	817.11
9.	जम्मू और कश्मीर	173.22	290.75	0.00
10.	झारखंड	0.00	0.00	932.03
11.	कर्नाटक	2464.41	2994.35	4144.44
12.	केरल	763.24	881.21	1130.30
13.	मध्य प्रदेश	3653.47	4608.72	4371.16
14.	महाराष्ट्र	2880.66	0.00	1977.98
15.	मणिपुर	0.00	29.11	15.07
16.	ओडिशा	2209.99	1261.37	2508.97
17.	पंजाब	1075.88	1362.33	0.00
18.	राजस्थान	3460.63	4301.05	3743.48
19.	सिक्किम	22.60	82.84	56.02
20.	तमिलनाडु	4605.30	6786.56	8404.64
21.	त्रिपुरा	355.58	460.21	464.25
22.	उत्तर प्रदेश	10426.82	16621.42	17484.48
23.	उत्तराखंड	0.00	621.41	0.00
24.	पश्चिम बंगाल	4502.75	5230.75	7578.93
25.	चंडीगढ़	18.75	0.00	0.00
26.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00
27.	पुदुचेरी	0.00	20.31	0.00
	कुल	45896.15	58727.50	65639.94

*2011-12 के लिए नियत लक्ष्य के अनुसार।

**नवम्बर, 2011 तक।

***30.09.2011 तक।

(vi) अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2009-10		2010-11		2011-12	
		सैद्धांतिक आबंटन	निर्मुक्ति	सैद्धांतिक आबंटन	निर्मुक्ति	सैद्धांतिक आबंटन	निर्मुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	300	114.71	287***	163.1	325	123.50
2.	बिहार	140	6.32	99	0	106	0.00
3.	छत्तीसगढ़	25	0	25	0	20	0.00
4.	गोवा	*	0	**	0	**	0.00
5.	गुजरात	75	39.75	65	13.18	63	81.83
6.	हरियाणा	70	17.34	43	17.62	47	34.11
7.	हिमाचल प्रदेश	25	3.14	15	12.84	18	6.53
8.	जम्मू और कश्मीर	15	0	11	25.71	14	11.00
9.	झारखंड	33	0	33	0	25	0.00
10.	कर्नाटक	282	150.6	268***	359.99	335	251.30
11.	केरल	50	1.37	28	2.04	30	2.86
12.	मध्य प्रदेश	180	31.15	136	126.75	163	69.04
13.	महाराष्ट्र	300	194.08	308***	560.1	404	315.85
14.	ओडिशा	215	155.59	249***	392.61	311	240.88
15.	पंजाब	74	0	74	0	55	0.00
16.	राजस्थान	260	100.19	259***	300.81	347	101.31
17.	तमिलनाडु	120	0	67	7.79	71	0.00
18.	उत्तर प्रदेश	560	107.09	402	401.5	472	183.21
19.	उत्तराखंड	30	5.16	24	18.19	27	36.35

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	पश्चिम बंगाल	280	63.66	196	93.98	211	76.81
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0.00
22.	चंडीगढ़	*	0	**	0	**	0.00
23.	दादरा और नगर हवेली	*	0	**	0	**	0.00
24.	दमन और दीव	*	0	**	0	**	0.00
25.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	260	80.68	253***	334.02	306	329.37
26.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0.00
27.	पुदुचेरी	*	0	**	0	**	0.00
	उप-योग	3294	1070.83	2842	2830.23	3350	1863.95
28.	अरुणाचल प्रदेश	*	0	0	0	**	0.00
29.	असम	58	18.68	65	66.79	51	28.15
30.	मणिपुर	42	33.28	54	43.16	39	41.59
31.	मेघालय	*	0	**	0	**	0.00
32.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0.00
33.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0.00
34.	सिक्किम	*	0	**	0	**	0.00
35.	त्रिपुरा	*	0	**	3.11	10	1.71
	कुल	3500	1122.79	3500	2943.29	3500	1935.40

*106 लाख रुपए एक मुश्त आबंटन।

**50 लाख रुपए एक मुश्त आबंटन।

***सैद्धांतिक आबंटन के अतिरिक्त 489 लाख रुपए का अतिरिक्त आबंटन।

(vii) अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों सहित कमजोर वर्गों के लिए कोचिंग और संबद्ध योजना

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मुक्त निधियां		
		2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	19.11	279.22	207.28
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	9	0	
4.	बिहार	91.83	8.44	14.06
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0
6.	गुजरात	0.65	25.44	
7.	हरियाणा	23.9	44.47	22.78
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
9.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0
10.	झारखंड	0	0	0
11.	कर्नाटक	0	18.75	0
12.	केरल	0	22.46	30.58
13.	मध्य प्रदेश	1.28	23.4	0
14.	महाराष्ट्र	0	181.03	28.78
15.	मणिपुर	2.21	0	0
16.	मेघालय	0	0	0
17.	मिजोरम	0	0	0
18.	नागालैंड	0	0	0
19.	ओडिशा	1.63	16.69	0
20.	पंजाब	17.5	11.41	0
21.	राजस्थान	12.19	39.53	0
22.	सिक्किम	0	0	0
23.	तमिलनाडु	0	16.01	137.4
24.	त्रिपुरा	0	0	0
25.	उत्तर प्रदेश	18.24	24.34	26.3
26.	उत्तराखंड	0	0	0
27.	पश्चिम बंगाल	76.27	0	145.96
28.	चंडीगढ़	0	63.08	0
29.	दिल्ली	5.62	168.75	83.3
30.	पुदुचेरी	0	0	0
	कुल	279.43	943.02	696.44

(viii) सिर पर मैला ढोने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना (एसआरएमएस)

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता		
		2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	असम	974.83	0.00	0.00
2.	बिहार	870.01	0.00	0.00
3.	दिल्ली	20.00	0.00	0.00
4.	गुजरात	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5
5.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
6.	जम्मू और कश्मीर	8.50	0.00	0.00
7.	झारखंड	226.75	0.00	0.00
8.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00
9.	मध्य प्रदेश	913.98	0.00	0.00
10.	महाराष्ट्र	600.00	0.00	0.00
11.	मेघालय	0.00	0.00	0.00
12.	ओडिशा	260.00	0.00	0.00
13.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00
14.	राजस्थान	54.00	0.00	0.00
15.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00
16.	उत्तर प्रदेश	123.41	0.00	0.00
17.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00
18.	पश्चिम बंगाल	400.76	0.00	0.00

(ix) अनुसूचित जाति विद्यार्थियों की योग्यता के उन्नयन की केन्द्रीय क्षेत्र योजना

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मुक्त निधियां		
		2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0	88.80	44.40
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	0	13.80	3.45
4.	बिहार	0	43.75	43.80
5.	छत्तीसगढ़	0	21.60	12.26
6.	गुजरात	0.60	0	18.60
7.	हरियाणा	0	3.75	13.20
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
9.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0
10.	झारखंड	0	7.00	0
11.	कर्नाटक	28.20	16.20	17.70
12.	केरल	0	4.77	3.85
13.	मध्य प्रदेश	153.76	3.72	58.80
14.	महाराष्ट्र	0	0	0
15.	मणिपुर	0	0	0
16.	मेघालय	0	0	0
17.	मिजोरम	0	0	0
18.	नागालैंड	0	0	12.00
19.	ओडिशा	0	0	0
20.	पंजाब	0	0	0
21.	राजस्थान	8.44	6.86	6.86
22.	सिक्किम	3.00	3.00	3.00
23.	तमिलनाडु	0	0	0
24.	त्रिपुरा	6	3.00	3.00
25.	उत्तर प्रदेश	0	73.18	6.56
26.	उत्तराखंड	0	0	10.46

1	2	3	4	5
27.	पश्चिम बंगाल	0	0	32.79
28.	चंडीगढ़	0	0	0
29.	दिल्ली	0	0	0
30.	पुदुचेरी	0	0	0

(x) अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियां

(लाख रुपए)

वर्ष	बजट आवंटन	निर्मुक्त निधि	प्रदत्त अध्येतावृत्तियां		
			पुरुष	महिला	कुल
2009-10	8000.00	10500.00	732	643	1375*
2010-11	16000.00	14400.00	1178	822	2000
2011-12	12500.00	10369.00	1034	966	2000

*चयन वर्ष 2009-10 के लिए 42 अतिरिक्त अध्येतावृत्तियां भी प्रदान की थी।

निधियां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को जारी की जाती हैं न कि राज्य सरकारों को।

(xi) अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए उत्कृष्ट श्रेणी शिक्षा की छात्रवृत्ति योजना

(लाख रुपए)

वर्ष	बजट आवंटन	निर्मुक्त व्यय	लाभार्थी
2009-10	2000.00	826.00	541
2010-11	2500.00	1415.00	1036
2011-12	2500.00	1482.00	1259

सहायता अनुदान इस मंत्रालय के उत्कृष्टता के संस्थानों की सूची में अधिसूचित संस्थानों के लिए मंजूर की जाती है न कि राज्य सरकारों को।

(xii) विगत तीन वर्षों के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजना के अंतर्गत निर्मुक्त निधियां

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मुक्त निधियां		
		2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	533.00	—	—
2.	बिहार	—	—	131.67
3.	छत्तीसगढ़	—	—	—
4.	गोवा	—	—	—
5.	गुजरात	290.00	227.00	288.00
6.	हरियाणा	79.00	—	—
7.	हिमाचल प्रदेश	28.00	25.25	103.00
8.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—
9.	झारखंड	—	31.45	—
10.	केरल	—	—	125.00
11.	कर्नाटक	50.00	238.00	115.00
12.	मध्य प्रदेश	158.00	—	—
13.	महाराष्ट्र	—	—	—
14.	ओडिशा	96.00	140.00	157.00
15.	पंजाब	—	100.00	—
16.	राजस्थान	—	245.00	309.65
17.	तमिलनाडु	320.00	846.00	135.00
18.	उत्तर प्रदेश	1159.00	2241.00	2237.00

1	2	3	4	5
19.	उत्तराखंड	135.00	117.00	113.00
20.	पश्चिम बंगाल	—	88.64	86.91
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4.40	—	—
22.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—
23.	दमन और दीव	9.69	21.69	11.00
24.	चंडीगढ़	1.36	—	—
25.	दिल्ली	3.69	—	59.06
26.	पुदुचेरी	—	—	—
27.	असम	51.33	32.65	—
28.	मणिपुर	108.36	68.36	17.00
29.	त्रिपुरा	146.00	49.00	167.75
30.	सिक्किम	—	—	12.75
	कुल	3172.83	4471.04	4068.79

(xiii) विगत तीन वर्षों के दौरान अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जारी निधियां

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी निधि		
		2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2035.00	1693.00	4615.72
2.	बिहार	1752.00	4861.88	5656.17
3.	छत्तीसगढ़	—	—	—
4.	गोवा	16.00	41.00	78.14
5.	गुजरात	568.31	745.19	1334.00
6.	हरियाणा	563.00	71.56	1378.07
7.	हिमाचल प्रदेश	—	—	74.00
8.	जम्मू और कश्मीर	—	368.00	307.49
9.	झारखंड	282.00	1385.00	1798.16
10.	केरल	—	—	1398.00
11.	कर्नाटक	445.57	1000.00	2540.35
12.	मध्य प्रदेश	1612.00	3534.87	3955.76
13.	महाराष्ट्र	2587.00	5677.11	6124.90
14.	ओडिशा	—	—	1114.00
15.	पंजाब	—	391.00	—
16.	राजस्थान	833.00	1982.00	3232.27
17.	तमिलनाडु	1140.32	2344.68	3180.80
18.	उत्तर प्रदेश	4436.00	9742.02	10877.22
19.	उत्तराखंड	104.00	504.54	550.68
20.	पश्चिम बंगाल	—	380.55	1041.00
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.23	—	—
22.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—
23.	दमन और दीव	—	1.89	3.17
24.	चंडीगढ़	1.03	—	—

1	2	3	4	5
25.	दिल्ली	—	—	93.00
26.	पुदुचेरी	—	—	7.00
27.	असम	659.19	253.43	2653.00
28.	मणिपुर	25.00	140.49	202.00
29.	त्रिपुरा	230.10	202.00	548.80
30.	सिक्किम	7.20	12.26	35.72
	कुल	17296.95	35332.47	52799.42

(xiv) विगत तीन वर्षों के दौरान अन्य पिछड़े वर्गों के बालकों एवं बालिकाओं के लिए छात्रावास योजना के अंतर्गत जारी निधियां

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी निधि		
		2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	240.00	—	—
2.	बिहार	—	—	—
3.	छत्तीसगढ़	—	—	—
4.	गोवा	—	—	—
5.	गुजरात	120.00	490.00	—
6.	हरियाणा	65.00	210.00	—
7.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—
8.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—
9.	झारखंड	81.33	121.41	—
10.	कर्नाटक	147.17	205.00	—
11.	केरल	89.00	119.00	—
12.	मध्य प्रदेश	345.00	775.00	210
13.	महाराष्ट्र	—	0.00	—
14.	ओडिशा	—	72.79	69.5
15.	पंजाब	—	0.00	—
16.	राजस्थान	17.50	210.00	—
17.	तमिलनाडु	189.00	236.25	225
18.	उत्तर प्रदेश	502.20	—	431.79
19.	उत्तराखंड	—	—	124.6
20.	पश्चिम बंगाल	—	—	—
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—
22.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—
23.	दमन और दीव	—	—	—
24.	चंडीगढ़	—	—	—
25.	दिल्ली	—	—	—
26.	पुदुचेरी	—	—	—
27.	असम	255.00	—	126
28.	मणिपुर	—	140.00	—
29.	त्रिपुरा	—	—	—
30.	सिक्किम	—	—	—
31.	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय	—	—	70.00

1	2	3	4	5
32.	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय	—	—	70.00
33.	मणिपुर केन्द्रीय विश्वविद्यालय	—	—	140.00
34.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	—	—	140.00
	कुल	2051.20	2579.45	1606.89

(xv) विगत तीन वर्षों के दौरान अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को जारी निधियां

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी निधि		
		2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	असम	1.33	11.34	12.23
2.	बिहार	—	0.85	—
3.	छत्तीसगढ़	—	—	—
4.	गुजरात	8.22	5.38	2.31
5.	हरियाणा	1.71	11.20	4.52
6.	कर्नाटक	—	—	—
7.	मध्य प्रदेश	2.07	19.72	—
8.	महाराष्ट्र	44.13	26.55	27.02
9.	मणिपुर	—	38.03	45.9
10.	ओडिशा	4.50	8.43	4.39
11.	राजस्थान	22.42	—	—
12.	उत्तराखंड	—	4.99	—
13.	उत्तर प्रदेश	11.53	7.39	—
14.	पश्चिम बंगाल	—	9.78	3.61
15.	दिल्ली	—	21.37	1.75
	कुल	95.91	165.01	101.73

(xvi) विगत तीन वर्षों के दौरान दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना के अंतर्गत जारी राज्य-वार सहायता अनुदान

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	जारी निधि		
		2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0
2.	आंध्र प्रदेश	1586.81	2063.86	2500.72
3.	अरुणाचल प्रदेश	6.72	3.36	9.66
4.	असम	87.40	184.57	174
5.	बिहार	45.48	100.57	137.67
6.	चंडीगढ़	10.50	0.00	0
7.	छत्तीसगढ़	31.52	20.07	54.68
8.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0
9.	दमन और दीव	0.00	0.00	0
10.	दिल्ली	170.24	249.67	188.78

1	2	3	4	5
11.	गोवा	18.30	14.05	0
12.	गुजरात	57.40	50.88	49.68
13.	हरियाणा	78.36	107.58	159.14
14.	हिमाचल प्रदेश	17.99	52.39	38.3
15.	जम्मू और कश्मीर	7.19	21.92	15.62
16.	झारखंड	12.01	24.02	0
17.	कर्नाटक	857.24	1057.62	1146.62
18.	केरल	386.96	789.99	1005.92
19.	लक्षद्वीप	0	0.00	0
20.	मध्य प्रदेश	99.56	175.81	158.72
21.	महाराष्ट्र	150.51	217.50	228.91
22.	मणिपुर	130.14	305.91	191.06
23.	मेघालय	25.64	73.60	63.99
24.	मिजोरम	6.58	40.45	22.67
25.	नागालैंड	0.00	0.00	0
26.	ओडिशा	448.66	591.15	605.58
27.	पुदुचेरी	13.36	6.55	14.65
28.	पंजाब	35.38	130.28	97.64
29.	राजस्थान	168.81	179.45	144.45
30.	सिक्किम	0.00	0.00	0
31.	तमिलनाडु	366.18	421.49	405.1
32.	त्रिपुरा	21.36	6.20	10.66
33.	उत्तर प्रदेश	718.82	612.36	597.64
34.	उत्तराखंड	53.60	132.60	63.83
35.	पश्चिम बंगाल	543.22	591.74	544.52
	कुल	6155.94	8225.64	8628.21

(xvii) एडिप योजना के अंतर्गत जारी राज्य-वार निधि

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी निधि		
		2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	137.00	—	256.87
2.	बिहार	16.99	41.00	252.47
3.	छत्तीसगढ़	7.50	—	40.60
4.	गोवा	0.00	—	3.00
5.	गुजरात	85.45	101.70	140.09
6.	हरियाणा	23.50	14.00	39.50
7.	हिमाचल प्रदेश	25.00	4स00	32.06
8.	जम्मू और कश्मीर	0.00	76.00	34.50
9.	झारखंड	46.00	103.00	70.86
10.	कर्नाटक	73.00	21.00	121.00
11.	केरल	140.00	—	32.82
12.	मध्य प्रदेश	140.40	6.71	161.79
13.	महाराष्ट्र	129.25	179.34	124.36
14.	ओडिशा	97.00	198.79	124.00

1	2	3	4	5
15.	पंजाब	56.50	8.33	47.07
16.	राजस्थान	128.00	309.00	307.81
17.	तमिलनाडु	159.11	291.50	250.76
18.	उत्तर प्रदेश	240.25	333.01	403.75
19.	उत्तराखंड	17.75	45.00	34.93
20.	पश्चिम बंगाल	100.20	46.36	99.17
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	6.00	3.83
22.	चंडीगढ़	0.00		1.93
23.	दादरा और नगर हवेली	2.00	3.00	3.00
24.	दमन और दीव	0.00		3.69
25.	दिल्ली	5.60	19.00	16.65
26.	लक्षद्वीप	2.00	3.00	1.91
27.	पुदुचेरी	0.00	13.00	8.29
28.	अरुणाचल प्रदेश	53.00	49.00	33.83
29.	असम	317.50	337.48	180.25
30.	मणिपुर	0.00	42.00	12.79
31.	मेघालय	40.00	40.00	
32.	मिजोरम	34.00	34.00	10.35
33.	नागालैंड	37.00		11.27
34.	सिक्किम	0.00		
35.	त्रिपुरा	71.00		11.87
	कुल	2185.00	2364.22	2877.07

[अनुवाद] 296

सड़कों की चौड़ाई हेतु पर्यावरण संबंधी दिशा-निर्देश

537. **श्री गजानन ध. बाबर :**
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री आनंदराव अडसुल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में विशिष्ट रूप से ऊंचाई पर स्थित सड़कों के बीच न्यूनतम चौड़ाई निर्धारित करने के लिए कोई दिशा-निर्देशों जारी किये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से इस संबंध में अपने दिशा-निर्देश की समीक्षा करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकारों के अनुरोध पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) इस मंत्रालय ने विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) की सिफारिशों के आधार पर ऊंचे भवनों के लिए दिशा-निर्देशों के बारे में दिनांक 7 फरवरी, 2012 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया था। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रस्तावित भवन की ऊंचाई उस सड़क की चौड़ाई के हिसाब से होनी चाहिए जिस पर प्रस्तावित भवन बनाया जाना है और इस प्रयोजनार्थ, उस भवन से दमकल केन्द्र की दूरी का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

(ग) और (घ) इस बारे में मंत्रालय को राज्य सरकारों/अन्य प्रणधारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मंत्रालय का विचार है कि कार्यालय ज्ञापन से, ऊंचाई पर स्थित भवनों के लिए आपातकालीन और बचाव कार्य आवश्यकताओं सहित आपदा प्रबंधन मुद्दों के निराकरण की उचित योजना बनाने में सुविधा होगी।

296-34

विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए समय विस्तार

538. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :**
श्री यशवंत लागुरी :
श्री एन.एस.वी. चित्तन :

श्री इज्यराज सिंह :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने, इन लंबित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एसईजेड विकासकों को समय विस्तार दिया है/देने का प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या ऐसे मामलों में, जहां एसईजेड परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अत्यधिक विलंब हुआ है, भूमि के मूल स्वामियों द्वारा अपनी भूमि को लौटाने की मांग की गई है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 6(2)(क) के अनुसार एसईजेड विकासकर्त्ता को प्रदान किए गए अनुमोदन पत्र की वैधता अवधि तीन वर्ष की होती है जिस अवधि के भीतर विकासकर्त्ता को अनुमोदित प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु प्रभावी उपाय करने होते हैं। विकासकर्त्ता से अनुरोध प्राप्त होने पर अनुमोदन बोर्ड अनुमोदन पत्र की वैधता अवधि को बढ़ा सकता है। एसईजेड विकासकर्त्ताओं ने वैश्विक मंदी के कारण व्यवसाय हेतु प्रतिकूल माहौल, राज्य सरकार के सांविधिक निकायों से अनुमोदन प्राप्त होने में विलम्ब, पर्यावरणीय संस्वीकृति में विलम्ब, एसईजेड में स्थल की मांग में कमी, एसईजेडों के लिए अस्थिर वित्तीय प्रोत्साहन तंत्र आदि सहित विभिन्न कारणों से अपनी परियोजनाओं के निष्पादन हेतु उन्हें प्रदान किए गए अनुमोदन पत्र की वैधता अवधि के विस्तार हेतु अनुरोध किया है। 307 विकासकर्त्ताओं को उनकी परियोजनाओं के निष्पादन के लिए दिए गए अनुमोदन पत्र की वैधता अवधि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) भूमि राज्य का विषय है। संबंधित राज्य सरकारों की नीति एवं प्रक्रियाओं के अनुसार एसईजेड विकासकर्त्ता द्वारा विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) हेतु भूमि क्रय की जाती है। एसईजेडों हेतु अनुमोदन बोर्ड केवल उन्हीं प्रस्तावों पर विचार करता है जिनकी राज्य सरकार द्वारा विधिवत् संस्तुति की जाती है।

विवरण

ऐसे एसईजेड विकासकर्त्ताओं की राज्य-वार संख्या जिनको एसईजेड की स्थापना हेतु औपचारिक अनुमोदन की वैधता में विस्तार प्रदान किया गया

क्र. सं.	राज्य	औपचारिक अनुमोदन की वैधता में विस्तार प्राप्त करने वाले एसईजेड विकासकर्त्ताओं की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	56
2.	छत्तीसगढ़	1
3.	दादरा और नगर हवेली	1
4.	गोवा	6
5.	गुजरात	22
6.	हरियाणा	35
7.	झारखंड	2
8.	कर्नाटक	26
9.	केरल	16
10.	मध्य प्रदेश	7
11.	महाराष्ट्र	53

1	2	3
12.	नागालैंड	3
13.	ओडिशा	6
14.	पुदुचेरी	1
15.	पंजाब	2
16.	राजस्थान	7
17.	तमिलनाडु	37
18.	उत्तर प्रदेश	13
19.	उत्तराखंड	1
20.	पश्चिम बंगाल	12
	महायोग	307

299-306

हस्तशिल्प क्षेत्र को सहायता

539. **श्री कमलेश पासवान :**
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :
श्री निलेश नारायण राणे :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात/आयात का ब्यौरा क्या है तथा हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई योजनाओं/प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) हस्तशिल्प क्षेत्र के कल्याण और उत्थान के लिए सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता/बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार, विशेषकर बिहार को आवंटित/उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार हस्तशिल्प के बारे में लोगों के बीच जागरुकता पैदा करने के लिए भौगोलिक सूचना डाटाबेस प्रणाली के सृजन पर कार्य कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त के कब तक सृजित होने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार देश के सभी भागों में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हथकरघा बनुकरों/हस्तशिल्प कारीगरों के लिए कोई विशेष योजना बनाने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त योजना की देश में कार्यान्वयन की क्या स्थिति है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान हाथ से बुने कालीनों सहित हस्तशिल्प मदों के निर्यात का ब्यौरा इस प्रकार है:—

निर्यात

वर्ष	(करोड़ रुपये)
2009-10	11224.27
2010-11	13526.66
2011-12	17558.33
2012-13 (अक्तूबर, 2012 तक)	11363.06

207 आईटीसीएचएस कोड पर आधारित हस्तशिल्प का आयात तथा 58 एचएस कोड के तहत हाथ से बुने कालीनों और अन्य फर्श बिछावनों का आयात इस प्रकार है:—

(आयात) (करोड़ रुपये)

वर्ष	हस्तशिल्प	कालीन और अन्य फर्श बिछावन	कुल
2009-10	2562.62	177.04	2739.66
2010-11	3405.09	214.59	3619.68
2011-12	5048.38	281.42	5329.8
2012-13 (जनू, 2012 तक)	1328.42	69.72	1398.14

ये आंकड़े पंजीकृत निर्यातक यूनिटों को विभिन्न स्कीमों के तहत प्रदान रियायतों/सुविधाओं के साथ निर्यात/आयात के हैं। रियायतों/सुविधाओं में ये शामिल है:—

- उपकरणों, अलंकरण और सजावटी मदों के नि:शुल्क आयात की पात्रता गत वित्त वर्ष के निर्यात के एफओबी मूल्य के 5% है। पात्रता विस्तृत है और समर्थक विनिर्माताओं के साथ जुड़े व्यापारी निर्यातकों को भी विस्तारित की जा सकेगी।
- हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद् उन निर्यातकों, जिनके लिए प्रत्यक्ष आयात करना व्यवहार्य न हो सकता हो की ओर से अलंकरण व सजावटी मदों तथा उपभोज्य वस्तुएं आयात करने के लिए प्राधिकृत हैं।
- अलंकरण व सजावटी मदों तथा उपभोज्य वस्तुओं के नि:शुल्क आयात पर सीवीडी माफ है।
- 150 करोड़ रुपये की घटी हुई अवसीमा के साथ निर्यात उत्कृष्टता के नए टाउन अधिसूचित किए गए हैं।
- बहि:स्राव उपचारी संयंत्रों के लिए मशीनरी और उपकरण सीमा शुल्क से मुक्त है।
- सभी हस्तशिल्प निर्यात को विशेष फोकस उत्पाद के रूप में माना जायेगा और उच्च प्रोत्साहन के पात्र हैं।
- उपर्युक्त के अलावा, पंजीकृत निर्यातक हस्तशिल्प निर्यात के लिए फोकस उत्पाद स्कीम के तहत 2% बोनस लाभ और वस्तुओं के निर्यात पर लागू शुल्क वापसी के पात्र हैं।
- नौभरण से पहले और नौभरण के बाद निर्यात ऋण पर 2% ब्याज की आर्थिक सहायता।
- मेले/प्रदर्शनियों/क्रेता-विक्रेता बैठकों में भागीदारी के लिए एमडीए।
- भारत तथा विदेशों में मेले/प्रदर्शनियों/क्रेता-विक्रेता बैठकों में भागीदारी के लिए एमएआई सहायता।
- भारत तथा विदेशों में मेले/प्रदर्शनियों/क्रेता-विक्रेता बैठकों में भागीदारी के लिए वस्त्र निधि से सहायता।
- इसके अलावा, विपणन सहायता एवं सेवाएं स्कीम के अंतर्गत पैकेजिंग और निर्यात प्रक्रिया प्रबंधन में कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम, भारत तथा विदेश में कार्यशाला/सेमिनार, विदेश में अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी, लाजवाब शो/रोड शो तथा क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) हस्तशिल्प क्षेत्र में निधियां राज्य-वार आबंटित नहीं की जाती हैं और निर्मुक्तियां मांग के आधार पर की जाती हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान विभिन्न स्कीमों नामश: बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई): अभिकल्प एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन (डीडीयू): विपणन सहायता एवं सेवाएं (एमएसएस): मानव संसाधन एवं विकास (एचआरडी): अनुसंधान एवं विकास (आरएण्डडी): और हस्तशिल्प क्षेत्र के कल्याण और उत्थान के लिए हस्तशिल्प कारीगर व्यापक कल्याण स्कीमों के तहत निर्मुक्त वित्तीय सहायता और उपयोग की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) हस्तशिल्पों के संबंध में लोगों में जागरुकता उत्पन्न करने के लिए *www.craftsclustersofindia.in* वेबसाइट मौजूद है जहां शिल्प और कलस्टरों संबंधी राज्य-वार/जिला-वार सूचना उपलब्ध है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2011-12 के दौरान हस्तशिल्प स्कीमों के अंतर्गत राज्य-वार, स्कीम-वार, निर्मुक्त की गई निधियां

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य	एएचवीवाई	डिजाइन	विपणन	एचआरडी	आरएण्डडी	कल्याण	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	200.82	17.04	172.47	55.99	18.99		465.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	6.36	0		6.36
3.	अरुणाचल प्रदेश	76.81	15.4	9.95	31.21	0		133.37
4.	असम	420.08	186.88	642.34	78.54	42.45		1370.29
5.	बिहार	21.20	18.25	43.23	43.76	0		126.44
6.	चंडीगढ़	3.55	0	0	0	2.47		6.02
7.	छत्तीसगढ़	12.81	2.70	48.53	4.19	0		68.23
8.	दिल्ली	101.73	156.03	1608.13	150.16	409.42		2425.47
9.	दमन और दीव	13.55	0	0	0	0		13.55
10.	गोवा	6.32	2.70	39.87	5.82	0		54.71
11.	गुजरात	487.00	45.65	127.57	27.16	0		687.38
12.	हरियाणा	261.46	12.20	85.85	15.33	0		374.84
13.	हिमाचल प्रदेश	22.61	50.88	68.37	7.07	0		148.93
14.	झारखंड	140.89	9.65	20.16	10.87	0		181.57
15.	जम्मू और कश्मीर	307.17	24.89	67.55	60.16	2.37		462.14
16.	कर्नाटक	46.20	7.35	28.65	32.28	7.35		121.83
17.	केरल	109.90	10.80	19.76	47.13	0		187.59
18.	मध्य प्रदेश	139.93	89.17	119.07	65.14	11.34		424.65
19.	महाराष्ट्र	101.22	43.97	120.97	35.99	20.34		322.49
20.	मणिपुर	560.32	109.06	189.41	54.47	0		913.26
21.	मेघालय	110.36	5.90	22.03	18.86	0		157.15
22.	मिजोरम	70.14	7.70	0	11.57	0		89.41
23.	नागालैंड	91.09	4.37	110.92	29.03	7.5		242.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	ओडिशा	66.67	44.57	60.38	73.60	15.05		260.27
25.	पंजाब	123.90	24.75	35.32	49.85	0		233.82
26.	पुदुचेरी	2.00	1.80	11.34	18.72	0		33.86
27.	राजस्थान	126.84	14.40	186.58	59.47	22.66		409.95
28.	सिक्किम	49.03	21.80	11.36	16.23	0		98.42
29.	तमिलनाडु	67.13	11.10	127.69	98.42	3.51		307.85
30.	त्रिपुरा	58.81	23.36	43.87	111.54	0		237.58
31.	उत्तर प्रदेश	932.60	909.88	445.19	390.14	15.34		2693.15
32.	उत्तराखंड	68.80	16.20	41.82	39.77	5.17		171.76
33.	पश्चिम बंगाल	66.14	8.79	53.55	46.89	5.17		180.54
	कुल	4867.08	1897.24	4561.93	1695.72	589.13	3472.00	17083.1

नोट – कल्याण स्कीम में निधियां राज्य-वार निर्मुक्त नहीं की गई हैं।

[अनुवाद] निर्देश 305-07

बीपीएल युवाओं के लिए कौशल विकास

540. श्री शिवराम गौडा : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अकुशल युवाओं को दक्षता विकास और प्रशिक्षण प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए संभावित समय-सीमा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने स्कूल छोड़ने वालों, विशेषकर अनौपचारिक क्षेत्र के विद्यमान कामगारों, जिनमें गरीबी रेखा से नीचे के कामगार शामिल हैं, को उनकी रोजगारपरकता में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से मई, 2007 से कौशल विकास पहल (एसडीआई) योजना लागू की है। इस योजना के तहत व्यक्तियों के विद्यमान कौशलों को परीक्षित एवं प्रमाणीकृत भी किया जा सकता है। स्वतंत्र नामिकाबद्ध मूल्यांकन निकायों द्वारा सक्षमताओं का परीक्षण/मूल्यांकन किया जाता है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठानों के अधीन विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा कौशल विकास पहल योजना के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। उद्योग, प्रशिक्षण प्रदाताओं और व्यापार विशेषज्ञों के साथ निकटता से परामर्श करके 72 क्षेत्रों में 1,413 मांग प्रेरित अल्पावधि माड्यूल्स तैयार किए गए हैं। योजना का कार्यान्वयन वेब पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। योजना की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:–

- माड्यूलर रोजगारपरक कौशलों (एमईएस) पर आधारित मांग प्रेरित अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों पर उद्योग के

साथ परामर्श करके निर्णय लिया जाता है। एमईएस एक न्यूनतम कौशल ढांचा है जो लाभकारी रोजगार के लिए पर्याप्त है।

- प्रशिक्षण को लागत प्रभावी बनाने के लिए विद्यमान अवसंरचना का इष्टतम उपयोग।
- लचीला सुपुर्दगी तंत्र (अंशकालिक, सप्ताहांत, पूर्णकालिक, ऑनसाइट/ऑफ साइट) ताकि विभिन्न लक्षित समूहों की आवश्यकताओं के अनुकूल हो।
- विभिन्न लक्ष्य समूहों की मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न स्तर के कार्यक्रम (मूल स्तर के साथ-साथ कौशल उन्नयन)।
- उन व्यक्तियों के लिए भी पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं जिन्होंने 5वीं कक्षा पूर्ण कर ली है या जिनके पास कार्यात्मक साक्षरता एवं संख्यात्मक कौशल हैं।
- अनौपचारिक रूप से प्राप्त कौशलों का परीक्षण एवं प्रमाणीकरण।
- स्वतंत्र मूल्यांकन निकायों, जो प्रशिक्षण सुपुर्दगी में शामिल नहीं हैं, द्वारा प्रशिक्षुओं के कौशलों का परीक्षण ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसे निष्पक्ष रूप से किया गया है।
- योजना का तत्व प्रमाणीकरण में है जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त है।

(ग) कौशल विकास पहल योजना वर्ष 2007 के कार्यान्वयनाधीन रही है।

आंकड़ा सुरक्षित रखने संबंधी दर्जा

541. **डॉ. संजीव गणेश नाईक : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय संघ द्वारा भरत को आंकड़ा सुरक्षित रखने संबंधी दर्जा नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा यूरोपीय संघ तथा अन्य पश्चिमी देशों से उक्त की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यूरोपीय संघ (ईयू) ने भारत में व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा की पर्याप्तता का विश्लेषण करने के लिए वर्ष 2010 में एक रिपोर्ट तैयार की थी। तथापि, इस रिपोर्ट में भारत को सुरक्षित जानकारी वाले देश का दर्जा प्रदान करने की सिफारिश नहीं की गई थी। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (2008) में संशोधन और वर्ष 2011 में उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के पश्चात् के घटनाक्रमों को देखते हुए भारत को सुरक्षित जानकारी वाले देश का दर्जा प्रदान करने हेतु ईयू से अनुरोध करते हुए विभिन्न मंचों पर इस मामले को यूरोपीय संघ के साथ उठाया है।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों का व्यापार

542. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव :**
श्री एम.बी. राजेश :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा निर्यातित और आयातित कृषि उत्पादों की मद-वार और मूल्य-वार कुल मात्रा कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान खाद्यान्नों के निर्यात से कुल कितने राजस्व का सृजन हुआ;

(ग) क्या इन खाद्यान्नों का निर्यात सब्सिडीयुक्त दरों पर किया जाता है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान खाद्यान्नों के आयात-निर्यात में अनियमितताओं के मामले पाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा निर्यातित एवं आयातित कृषि उत्पादों की कुल मात्रा का मद-वार और मूल्य-वार ब्यौरा तथा उससे प्राप्त राजस्व का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकार द्वारा खाद्यान्नों सहित कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत विभिन्न उपायों एवं प्रोत्साहनों के जरिए समय-समय पर कदम उठाए जा रहे हैं। देश में उपलब्ध कृषि उत्पादों का स्टॉक; बफर स्टॉक, मानदंड एवं कार्यनीतिक भंडार अपेक्षा, यदि कोई हो, के अतिरिक्त बेशी मात्रा; खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंता; आम आदमी के लिए उचित कीमतों पर कृषि उत्पादों की उपलब्धता और उपजकर्त्ता के लिए लाभकारी कीमतों एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता आदि सहित विभिन्न कारकों पर विचार करने के बाद प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।

(घ) और (ङ) विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्नों सहित कृषि उत्पादों के निर्यात और आयात का विनियमन किया जाता है। निर्यात अथवा आयात में अनियमितता/अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन के मामले पर उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि उत्पादों का मात्रा एवं मूल्य वार निर्यात

प्रधान वस्तु	मात्रा की इकाई	2009-10		2010-11		2011-12	
		मात्रा	मूल्य (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	मात्रा	मूल्य (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	मात्रा	मूल्य (मिलियन अमेरिकी डॉलर)
1	2	3	4	5	6	7	8
चाय	कि.ग्रा.	207532385	623.29	238336203	736.45	292354928	847.65
कॉफी	कि.ग्रा.	157414431	429.74	232627751	661.77	278868332	952.91
दालें	टन	99915	86.75	208031	190.52	174205	227.58
चावल-बासमती	टन	2016871	2289.35	2370681	2493.92	3178235	3217.00
चावल (बासमती से इतर)	टन	139546	76.38	100681	50.86	3997734	1723.38
गेहूं	टन	30	0.01	397	0.15	740747	202.07
अन्य अनाज	टन	2892416	625.71	3220093	803.61	4073694	1127.98
मसाले	टन	663206815	1301.60	762713508	1768.08	935909171	2750.09
चीनी	टन	44736	23.20	1714372	1198.92	2741372	1838.55
काजू	टन	117980	591.35	105755	619.23	131782	915.24

1	2	3	4	5	6	7	8
तिल	टन	215733122	316.51	398441173	507.25	389154488	553.13
मूंगफली	टन	340256	302.42	433762	480.45	832619	1093.05
ग्वारगम खाद्य	टन	218480	240.70	441612	646.08	707326	3354.82
तेल खाद्य	टन	4671135	1658.83	6936933	2437.90	7406363	2420.46
अरण्डी का तेल	कि.ग्रा.	397997452	461.63	424485729	654.00	492628334	971.85
रामतिल	कि.ग्रा.	6004093	5.10	12863063	9.85	28225076	24.83
फलों/सब्जियों के बीज	कि.ग्रा.	8883856	30.57	11622629	40.52	15226547	60.09
ताजे फल			479.55		478.63	0	528.60
ताजी सब्जियां			621.82		559.53	0	600.34
प्रसंस्कृत सब्जियां			158.68		167.88	0	222.02
प्रसंस्कृत फल एवं जूस			245.04		228.64	0	343.58
कुल कृषि निर्यात			10568.23		14734.24		23975.23

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि उत्पादों का मात्रा एवं मूल्य-वार आयात

प्रधान वस्तु	मात्रा की इकाई	2009-10		2010-11		2011-12	
		मात्रा	मूल्य (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	मात्रा	मूल्य (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	मात्रा	मूल्य (मिलियन अमेरिकी डॉलर)
1	2	3	4	5	6	7	8
गेहूं	टन	164383	50.37	185280	55.46	22	0.02
चावल	टन	65	0.08	219	0.24	1060	1.18

1	2	3	4	5	6	7	8
अन्य अनाज	टन	33691	16.38	30680	13.12	15355	6.42
अनाज विनिर्मितियां	टन	40838	39.76	37095	50.26	48055	66.13
दालें	टन	3509569	2077.90	2698657	1565.44	3364800	1853.04
चाय	कि.ग्रा.	34460855	58.31	20823962	44.32	22348660	45.78
काजू गिरी	टन	755956	639.58	529734	577.84	809821	1135.75
काजू गिरी को छोड़कर फल एवं मेवे			607.27		801.28		967.24
मसाले	कि.ग्रा.	153398591	302.55	113332657	342.16	128701261	460.35
चीनी	टन	2551416	1271.54	1198384	610.18	99716	65.00
तिलहन			38.92		25.47		20.08
ठोस वनस्पति तेल (खाद्य)	टन	8033924	5600.49	6905431	6551.04	8445009	9668.05
छिलके सहित काजू	टन					2082	8.94
कुल कृषि आयात			10703.13		10636.83		14297.99

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

313-14

राष्ट्रीय राजमार्गों संबंधी समिति

543. **श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए योजना आयोग की अध्यक्षता में किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन सिफारिशों के क्रियान्वयन का है; और

(घ) उक्त सिफारिशों का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) के संबंध में बी.के. चतुर्वेदी समिति का गठन योजना आयोग की अध्यक्षता में किया गया था। सड़क क्षेत्र के वर्तमान एमसीए, आरएफक्यू और आरएफपी दस्तावेजों में संशोधन करने के बारे में एनएचडीपी से संबंधित बी.के. चतुर्वेदी समिति की रिपोर्ट में दी गई समस्त सिफारिशों को मान लिया गया है।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 315-18

विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई

544. श्रीमती सुशीला सरोज :
श्री नीरज शेखर :
श्री एस.एस. रामासुब्बू :
श्री चन्द्रकांत खैरे :
श्रीमती सीमा उपाध्याय :
श्री पी. लिंगम :
श्री पी.के. बिजू :
श्री गुरुदास दासगुप्त :
श्री महेश्वर हजारी :
श्रीमती ऊषा वर्मा :
श्री गोपीनाथ मुंडे :
श्री भर्तृहरि महताब :
श्री यशवीर सिंह :
श्री हंसराज गं. अहीर :
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :
श्री आर. थामराईसेलवन :
श्री राजेन्द्र अग्रवाल
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एकल/बहुल ब्रांड खुदरा व्यापार/नागर विमानन/रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देने के लिए नियमों को अधिसूचित किया है;

(ख) यदि हां, तो व्यापारियों/छोटे दुकानदारों/किसानों पर इसके क्या सामाजिक-आर्थिक और विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ग) विभिन्न पणधारकों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने भारत में विदेशी खुदरा व्यापारियों द्वारा स्टोर खोलने के पश्चात् खुदरा व्यापार में रोजगार की कमी पर ध्यान दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं;

(च) देश में सिंगल/मल्टीब्रांड रिटेल स्टोर शुरू करने के लिए सरकार के पास विदेशी कंपनियों के लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों पर कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है;

(छ) क्या विदेशी खुदरा व्यापारियों को अपने देशों में भी भारत में स्टोर खोले जाने के खिलाफ छोटे खुदरा व्यापारियों के विरोधों का सामना करना पड़ा है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) मौजूदा एफडीआई नीति के अनुसार रक्षा क्षेत्र में सरकार के पूर्वानुमोदन से 26% तक एफडीआई की अनुमति है। सरकार ने, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित निर्णयों की भी घोषणा की है:—

(i) दिनांक 20.09.2012 के प्रेस नोट सं. 4 (2012 शृंखला) के जरिए, सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार में एफडीआई संबंधी कुछ शर्तों में संशोधन कर उसे 100% तक करना।

(ii) दिनांक 20.09.2012 के प्रेस नोट सं. 5 (2012 शृंखला) के जरिए, मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में कुछ विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत 51% तक एफडीआई की अनुमति प्रदान करना।

(iii) दिनांक 20.09.2012 के प्रेस नोट सं. 6 (2012 शृंखला) के जरिए अनुसूचित और गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाएं प्रचालित करने वाली भारतीय कंपनियों की पूंजी में, उनकी प्रदत्त पूंजी के 49% तक निवेश करने हेतु विदेशी एयरलाइनों को अनुमति देना।

(iv) दिनांक 20.09.2012 के प्रेस नोट सं. 8 (2012 शृंखला) के द्वारा पावर एक्सचेंजों में 49% तक एफडीआई की अनुमति देना।

उपर्युक्त निर्णयों को दिनांक 19.10.2012 के सा.का.नि. 795 (अ) द्वारा भारत का राजपत्र: असाधारण में अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का हस्तांतरण अथवा निर्गम) (छठा संशोधन) विनियमावली, 2012 के जरिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का हस्तांतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 में शामिल कर लिया गया है।

(ख) सरकार का यह आकलन है कि नीति के कार्यान्वियन से फ्रंट एंड बैक-एंड अवसंरचना; कृषि मूल्य शृंखला की क्षमता को

प्रकट करने के लिए प्रौद्योगिकियों एवं दक्षताओं; अतिरिक्त व गुणवत्तापूर्ण रोजगार; तथा वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं में और अधिक एफडीआई अंतर्वाह को सुविधाप्रद बनाना है। परिणामस्वरूप, गुणवत्ता तथा मूल्य की दृष्टि से दीर्घकाल में उपभोक्ताओं और किसानों के लाभान्वित होने की आशा है। स्थानीय मूल्य वर्धन तथा विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए 30% अनिवार्य खरीद की शर्त को शामिल किया गया है। अधिक एफडीआई अंतर्वाह के परिणामस्वरूप फ्रंट-एंड और बैक-एंड में कार्यकलाप के बढ़े हुए स्तर से शहरी और ग्रामीण युवाओं के लिए अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित होने की आशा है। यह भी आशा है कि मौजूदा व्यापारियों तथा खुदरा बिक्री केन्द्रों को उन्नयन एवं अधिक दक्ष बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जिसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं बेहतर सेवाएं और उन उत्पादकों को बेहतर पारिश्रमिक मिलेगा, जिनसे वे अपने उत्पाद खरीदेंगे।

(ग) मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में एफडीआई के संबंध में प्रमुख हितधारकों के साथ विचार-विमर्श में मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में एफडीआई के पक्ष तथा विपक्ष दोनों में विचार प्राप्त हुए। तथापि कुल मिलाकर चर्चाएं पर्याप्त सुरक्षा उपाय अपनाने के अध्यधीन इस नीति के समर्थन की ओर इंगित करती हैं। तद्नुसार नीति में आवश्यक सुरक्षा उपाय शामिल किए गए हैं तथा इससे छोटे व्यापारियों सहित विभिन्न हितधारकों के हितों की रक्षा होने की उम्मीद है। सरकार ने वितरणात्मक कुशलता सुनिश्चित करने तथा यह निश्चित करने के लिए कि व्यापार का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिले, आंतरिक व्यापार सुधारों पर सिफारिशें करने के लिए उच्चस्तरीय समूह के गठन का भी निर्णय किया है।

(घ) सरकार की जानकारी में ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार में 100% तक एफडीआई के लिए दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं (मै. इंग्का होल्डिंग ओवरसीज बी.वी., नीदरलैंड्स और मै. फोसिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड)। इसके अतिरिक्त, सिंगल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार हेतु 51% तक विदेशी इक्विटी भागीदारी के लिए सात प्रस्ताव (मै. फेपा कंपनी लिमिटेड, समोआ; मै. प्रोमोड एस.ए.एस., फ्रांस; टोमी हिलफिजर बी.वी., दि नीदरलैंड्स; मै. एन.ए. पाली यूरोप एसएआरएल; मै. सेमेक्स अलाएंस, कैनेडा; मै. ली क्रूसेट एसएएस फ्रांस तथा मै. स्केचर्स साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड से) प्राप्त हुए हैं। मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में एफडीआई का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

इन प्रस्तावों की नीति संबंधी मानदंडों तथा सुरक्षा उपायों की दृष्टि से गहन जांच की आवश्यकता होती है। अत: इन प्रस्तावों पर निर्णय लेने हेतु कोई समय-सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती।

(छ) इस मुद्दे पर विभाग में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

टेक्सटाइल पार्क्स

545. श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश :
श्री हरीश चौधरी :
श्री इज्यराज सिंह :
श्री एम.बी. राजेश :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकीकृत टेक्सटाइल पार्क हेतु योजना (एसआईटीपी) के अंतर्गत देश में स्थापित मौजूदा टेक्सटाइल पार्कों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान लंबित टेक्सटाइल पार्क परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा राजस्थान सहित देश में और अधिक संख्या में टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की क्या योजना है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त टेक्सटाइल पार्क परियोजनाओं को आवंटित और उनके द्वारा उपयोग की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) देश में स्वीकृत वस्त्र पार्क योजना के अधीन स्वीकृत अथवा स्वीकृत किए जा रहे 40 वस्त्र पार्कों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में प्रस्तुत हैं।

(ख) अतिरिक्त रूप से स्वीकृत 21 वस्त्र पार्कों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में प्रस्तुत हैं। इस सूची में राजस्थान में 4 पार्क शामिल हैं। अन्य कोई प्रस्ताव लंबित नहीं हैं।

(ग) एकीकृत वस्त्र पार्क योजना के अधीन पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान 879 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं। उक्त अवधि के दौरान इस योजना में 264.93 करोड़ रु. संवितरित एवं प्रयुक्त किए गए हैं।

विवरण-I

एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्थान		भारत सरकार द्वारा जारी अनुबंध (करोड़ रु.)								
				2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	हैदराबाद हाई-टैक विविंग पार्क	महबूब नगर	2006-07	0.00	4.00	8.00	0.00	0.00				12.00
2.	हिंदपर व्यापार अपैरल पार्क लिमिटेड	अनंथपुर	2006-07	0.00	4.00	0.00	8.00	0.00	12.00			24.00
3.	पोच्चमपल्ली हथकरघा पार्क लिमिटेड	पोच्चमपल्ली	2006-07	0.00	0.74	5.92	5.58	0.00	1.36			13.60
4.	ब्रांडिक्स इंडिया अपैरल सिटी प्राइवेट लिमिटेड	विशाखापत्तनम	2006-07	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	4.00			40.00
5.	मास फ्रैब्रिक (इंडिया) पार्क लि.	नेल्लौर	2007-08	0.00	0.00	4.00	0.00	8.00			12.00	24.00
	(5) आंध्र प्रदेश कुल			0.00	12.74	49.92	13.58	8.00				113.60
6.	गुजरात इको टेक्सटाइल पार्क लिमिटेड	सूरत	2005-06	4.00	0.00	32.00	0.00	0.00	4.00			40.00
7.	मुंदरा एसईजैड टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क लिमिटेड	कच्छ	2005-06	4.00	0.00	8.00	12.00	12.00	4.00			40.00
8.	फेयरडील टेक्सटाइल पार्क प्राइवेट लिमिटेड	सूरत	2007-08	0.00	0.00	4.00	8.00	0.00	12.00	12.00		36.00
9.	वराज इंटिग्रेटिड टेक्सटाइल पार्क लिमिटेड	खेड़ा	2006-07	0.00	4.00	8.00	12.00	0.00	12.00			36.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	सायना टेक्सटाइल पार्क लिमिटेड	सूरत	2007-08	0.00	0.00	0.00	12.00	24.00				36.00
11.	सूरत सुपर यार्न पार्क लिमिटेड	सूरत	2006-07	0.00	4.00	8.00	12.00	12.00				36.00
12.	वरिलेट डटिवेटिड टेक्सटाइल पार्क	सूरत	2008-09	0.00	0.00	0.00	4.00	32.00		4.00		40.00
	(7) गुजरात कुल			8.00	8.00	60.00	60.00	80.00				264.00
13.	मेटो हाई-टैक कोऑपरेटिव पार्क लिमिटेड	इच्चलकरंजी	2005-06	3.35	0.00	20.65	0.00	12.00				36.00
14.	प्राइड इंडिया कोऑपरेटिव टेक्सटाइल पार्क लिमिटेड	इच्चलकरंजी	2005-06	1.47	0.00	7.35	12.13	0.00				20.95
15.	बारामती हाई टैक टेक्सटाइल पार्क लिमिटेड	बारामती	2006-07	0.00	0.00	11.61	11.61	0.00	11.61			34.83
16.	श्री धरियाशील माने टेक्सटाइल पार्क कोऑपरेटिव सोसायटी लि.	इच्चलकरंजी	2006-07	0.00	2.89	5.78	0.00	0.00				8.67
17.	दिसान इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	धुले	2008-09	0.00	0.00	0.00	4.00	8.00		12.00		24.00
18.	सम्मिता इंफ्राटैक प्रावेइट लिमिटेड	भिवंडी	2008-09	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	8.00	12.00	12.00	36.00
19.	इस्लामपुर इंटिग्रेटिड टेक्सटाइल पार्क प्राइवेट लिमिटेड	इस्लामपुर	2008-09	0.00	0.00	0.00	12.00	24.00		4.00		40.00
20.	लातूर इंटिग्रेटिड टेक्सटाइल पार्क प्राइवेट लिमिटेड	लातूर	2008-09	0.00	0.00	0.00	12.00	24.00			4.00	40.00
21.	पराना ग्लोबल टेक्सटाइल पार्क लि.	हिंगोली	2008-09	0.00	0.00	0.00	7.73	3.28		11.01		22.02
	(9) महाराष्ट्र कुल			4.82	2.89	45.39	59.47	75.28				262.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22.	द ग्रेट इंडियन लिनन एंड टेक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी	पेनरदुई	2005-06	4.00	0.00	8.00	0.00	0.00				12.00
23.	सीमा टेक्सटाइल प्रोसेसिंग सेंटर	कुड्डालूर	2005-06	0.00	4.00	0.00	0.00	2.13		5.87		12.00
24.	पल्लाडम हाई-टैकविविंग पार्क लिमिटेड	पल्लडम	2005-06	1.73	0.00	11.57	6.65	0.00	2.21			22.16
25.	कोमारपाल्लायम हाई-टैकविविंग पार्क लिमिटेड	कोमारपाल्लयम	2006-07	0.00	1.39	6.97	4.18	0.00				12.54
26.	करूर इंटिग्रेटिड टेक्सटाइल पार्क	करूर	2006-07	0.00	0.00	10.88	21.76	3.36	4.00			40.00
27.	मदुरै इंटिग्रेटिड टेक्सटाइल पार्क लिमिटेड	मदुरै	2006-07	0.00	0.00	3.49	17.46	10.48				31.43
28.	वैगई हाई टैक विविंग पार्क लिमिटेड	थैनी	2009-10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44				2.44
29.	कांचीपुरम एएसीएम हथकरघा सिल्क पार्क	कांचीपुरम	2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
	(8) तमिलनाडु कुल			5.73	5.39	40.91	50.05	18.41				132.57
30.	जयपुर टैक्स विविंग पार्क लिमिटेड	किशनगढ़	2005-06	0.00	3.87	7.75	11.62	0.00				23.24
31.	किशनगढ़ हाई-टैक ट्रेक्सटाइल पार्क लिमिटेड	किशनगढ़	2006-07	0.00	0.00	4.00	8.00	0.00	24.00			36.00
32.	नेक्सट जेन ट्रेक्सटाइल पार्क प्राइवेट लिमिटेड	पाली	2006-07	0.00	0.00	4.00	0.00	8.00	12.00			24.00
33.	जयपुर इंटिग्रेटिड टैक्स क्राफ्ट पार्क प्राइवेट लिमिटेड	बागरू	2008-09	0.00	0.00	0.00	1.81	9.05	5.43		5.12	21.41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34.	भारत फैब टैक्स एवं कॉर्पोरेट पार्क प्राइवेट लिमिटेड	पाली	2008-09	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00				4.00
	(5) राजस्थान कुल			0.00	3.87	15.75	21.43	21.05				108.65
35.	लोटस इंटिग्रेटिड टैक्स पार्क	पंजाब	2006-07	0.00	0.00	4.00	20.00	12.00			4.00	40.00
36.	रिदम टेक्स्टाइल एंड अपैरल पार्क लिमिटेड	नवांशहर	2008-09	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	20.00			24.00
37.	लुधियाना इंटिग्रेटिड टेक्सटाइल पार्क लिमिटेड	लुधियाना	2008-09	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	20.00			24.00
	(3) पंजाब			0.00	0.00	4.00	28.00	12.00				88.00
38.	ईआईजीएमईएफ अपैरल पार्क लिमिटेड	कोलकाता पश्चिम बंगाल	2006-07	0.00	4.00	8.00	0.00	12.00				24.00
39.	डोडालपुर इंटिग्रेटिड टेस्सटाइल पार्क	डोडालपुर, कर्नाटक	2006-07	0.00	2.12	10.62	17.82	0.00			1.41	31.97
40.	सीएलसी टेक्सटाइल पार्क प्राइवेट लिमिटेड	छिंदवाड़ा, एमपी	2008-09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.56		7.92		11.48
	कुल (40)			18.55	39.01	234.59	250.35	230.30	156.61	68.80	38.53	1036.74

विवरण-II

नई स्वीकृत 21 परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य	परियोजना लागत (करोड़ रु.)	अनुमानित निवेश (करोड़ रु.)	अनुमानित रोजगार की संख्या	गतिविधि
1	2	3	4	5	6	7
1.	लेपाक्षी इंटिग्रेटिड टेक्सटाइल पार्क, अनंतपुर	आंध्र प्रदेश	103.98	659.63	15000	निटिंग, गृह वस्त्र/हथकरघा/इम्ब्राइडरी, रेडिमेड गारमेंटिंग
2.	व्हाइटगोल्ड इंटिग्रेटिड स्पेनटेक्स पार्क, रंगा रेड्डी जिला	आंध्र प्रदेश	105.01	578.98	6500	स्पिनिंग, विविंग, रेडिमेड गारमेंटिंग, निटवियर
3.	केजरीवाल इंटिग्रेटिड टेक्सटाइल पार्क प्राइवेट लिमिटेड, सूरत	गुजरात	113.59	401.86	5198	पीएफवाई/एफडीवाई, टेक्सचराइसिंग, विविंग, इम्ब्राइडरी
4.	हिमाचल प्रदेश वस्त्र पार्क, ऊना	हिमाचल प्रदेश	103.90	335.46	12100	
5.	जम्मू और कश्मीर इंटिग्रेटिड वस्त्र पार्क, कठुआ	जम्मू और कश्मीर	47.11	141.95	10083	स्पिनिंग, विविंग, प्रौसेसिंग, गारमेंटिंग साइजिंग, यार्न डाईंग, पोलिएस्टर टेक्सचराइसिंग, टफ्टिंग, पैकिंग
6.	गुलबर्गा वस्त्र पार्क, गुलबर्गा	कर्नाटक	49.09	18.11	10935	अपैरल यूनिट
7.	खेड टेक्सटाइल पार्क, पुणे	महाराष्ट्र	104.67	974.56	9250	गारममेंटिंग एंड कंनवर्टर, वाईडर विड्थ विविंग, नैरो विड्थ विविंग
8.	बिरला इंटिग्रेटिड टेक्सटाइल पार्क, अमरावती	महाराष्ट्र	121.40	305.28	11935	विविंग, डाईंग, एंड प्रौसेसिंग, कारपेट मैन्युफैक्चरिंग, गारमेंटिंग, इम्ब्राइडरी, डिजाइन एंड ग्राफिक्स, पैकेजिंग
9.	कागल इंडस्ट्रियल वस्त्र टेक्नोलॉजी पार्क, कोल्हापुर	महाराष्ट्र	106.83	289.00	5000	स्पिनिंग, गारमेंटिंग, विविंग

1	2	3	4	5	6	7
10.	सुन्दरराव सोलंकी कोऑपरेटिव टेक्सटाइल पार्क, बीड	महाराष्ट्र	105.81	430.76	3400	स्पिनिंग, विविंग यूनिट्स, विविंग प्रिपेटरी, प्रौसेसिंग यूनिट, गारमेंट यूनिट
11.	कल्पना अवाडे वस्त्र पार्क, कोल्हापुर	महाराष्ट्र	109.45	326.83	2224	विविंग, साइजिंग एंड रेपिंग, गारमेंटिंग, प्रौसेसिंग
12.	एथियाटिक कोऑपरेटिव पावरलूम वस्त्र पार्क, शोलापुर	महाराष्ट्र	101.03	330.00	2500	विविंग, साइजिंग, प्रौसेसिंग, गारमेंटिंग
13.	राजस्थान इंटिग्रेटिड अपैरल सिटी, भिवंडी	राजस्थान	296.51	552.37	91000	गारमेंटिंग, मशीन-यूनिट्स
14.	मेवाड़ इंटिग्रेटिड वस्त्र पार्क, भीलवाड़ा	राजस्थान	112.00	220.00	27500	विविंग (शटललैस एंड एयरजेट एंड लूम्स) गारमेंटिंग्स
15.	जयपुर कालीन पार्क लि., दौसा	राजस्थान	101.94	118.94	88550	हैंड नॉटिंग
16.	हिमाडा इंटिग्रेटिड वस्त्र पार्क, बलोतरा	राजस्थान	111.59	375.08	15000	टेक्सटाइल प्रौसेसिंग
17.	एसएलएस टेक्सटाइल पार्क, बागलपुर	तमिलनाडु	126.20	145.22	21030	स्पिनिंग, विविंग, साइजिंग एंड रैपिंग, गारमेंटिंग
18.	पालावाड़ा टेक्निकल वस्त्र पार्क लिमिटेड, चेन्नई	तमिलनाडु	117.07	335.77	26300	मोबिलटेक, मेडीटेक, ब्यूल्डअैक, एग्रोटेक, होमटेक
19.	एडीसन इंटिग्रेटिड वस्त्र पार्क, अगरतल्ला	त्रिपुरा	63.22	211.67	5258	विविंग, डाईंग,, गारमेंटिंग, इम्ब्राइडरी
20.	श्री लक्ष्मी कोट्सयन लि., कानपुर	उत्तर प्रदेश	119.08	1102.65	7000	पॉलिमर्स, विविंग, गारमेंटिंग, यार्न डाईंग, प्रिन्टर, एचडीपीई वूवन फैब्रिक्स, टेक्नीकल वस्त्र, कोरूगेटिड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग, पॉलिबैग मैकिंग, पेपर ट्यूब यूनिट, पीवीसी शीट फिल्म
21.	हौजरी पार्क, हावड़ा	पश्चिम बंगाल	110.32	458.00	12600	वेस्ट/ब्रीफ्स, रेडिमेड (चिल्ड्रन वियर), निटिंग/फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, प्रिन्टर, पैकेजिंग, प्लास्टिक बैग मैकिंग, इम्ब्राइडरी, वूवन लैबल, ग्लवस, सोक्स
			2329.80	8312.12	388363	

परियोजना को स्वीकृति

546. श्री सुरेश कलमाडी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में निरा देवगढ़ सिंचाई परियोजना (एनडीआईपी) का ब्यौरा और अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) उक्त परियोजना के चरण-दो को स्वीकृति देने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त परियोजना के चरण-दो को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ग) निरा देवगढ़ सिंचाई परियोजना से संबंधित कार्यकलापों के लिए पुणे, सतारा और सोलापुर में वनभूमि के अपवर्तन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार को तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

निरा देवगढ़ मुख्य सिंचाई परियोजना के लिए पुणे जिले में 55.51 हैक्टेयर वन भूमि के अपवर्तन के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने 31.03.1999 को पहले ही मंजूरी दे दी है।

सतारा जिले में निरा देवगढ़ राइट बैंक केनाल (भोली राइट ओपन कट केनाल) के निर्माण हेतु 1.98 हेक्टेयर वन भूमि और पुणे जिले में गुजांवनी सिंचाई परियोजना के लिए 50.08 हैक्टेयर वन भूमि के अपवर्तन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत सिद्धांत रूप में अनुमोदन दे दिया गया है। इन सैद्धान्तिक अनुमोदनों में निर्धारित कुछ शर्तों का अनुपालन महाराष्ट्र राज्य सरकार से प्रतीक्षित है।

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं

547. श्री आधि शंकर :
श्री वरुण गांधी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण देश के कुछ क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विशेष रूप से इन क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई कदम उठाये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हाल में घोषित योजना को शीघ्र अधिसूचित करने के लिए वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या इस योजना से लेन देन की लागत में कमी होगी तथा इससे भारतीय निर्यात को ज्यादा प्रतिस्पर्धी और निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सकेगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) 2012-13 (अप्रैल-अक्तूबर) की अवधि के दौरान, पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में भारतीय निर्यात में 6% की कमी आई है। इस अवधि के दौरान इंजीनियरिंग माल, इलेक्ट्रॉनिक माल, रत्न और आभूषण, सिले सिलाए वस्त्र तथा पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में अत्यधिक कमी दर्ज की गई है।

(ग) और (घ) सरकार निश्चित अंतराल पर निर्यात क्षेत्र के निष्पादन की समीक्षा करती है तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, जब भी आवश्यक हो, प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु उपचारात्मक उपाय करती है। फोकस उत्पाद स्कीम, फोकस मार्केट स्कीम और विशेष कृषि और ग्रामोद्योग योजना जैसी विदेश व्यापार नीति स्कीमों के तहत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के रूप में प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इन स्कीमों का ब्यौरा विदेश व्यापार महानिदेशालय की वेबसाइट *www.dgft.gov.in* पर उपलब्ध है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अंतिम बार ऐसे प्रोत्साहन की घोषणा 5 जून, 2012 को की गई थी।

(ङ) जी, हां। वाणिज्य विभाग ने निर्यातोत्तर ईपीसीजी स्कीम के बारे में वित्त मंत्रालय को लिखा है कि स्कीम के तहत शुल्क के भुगतान पर पूंजीगत माल का आयात करने के लिए निर्यातकों को शिथिलता प्रदान की गई है, जिसके आधार पर मूल के 85% स्तर तक निर्यात दायित्व निर्धारित किया गया है। इसके पश्चात्, निर्यातक किए गए वास्तविक निर्यातों के अनुपात में शुल्क मुक्त स्क्रिप प्राप्त करने का हकदार होगा जिससे कि निर्याप्त दायित्व की निगरानी की आवश्यकता को समाप्त हो जाएगी।

(च) इस स्कीम को किसी भी अन्य स्कीम की तरह सौदा

लागत मूल्य में कमी लाने के लिए तथा भारतीय निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करने के लिए बनाया गया है।

[हिन्दी]

बुजुर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

548. श्री दत्ता मेघे :
श्री रवनीत सिंह :
प्रो. सौगत राय :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बुजुर्गों विशेषकर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की बढ़ती घटनाओं के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद् गठित करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त परिषद् का अधिदेश क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से तथा विशिष्ट एवं व्यापक स्वास्थ्य देखभाल हेतु कोई योजना बनाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, वरिष्ठ नागरिकों के साथ बच्चों/संबंधियों द्वारा दुर्व्यवहार/परित्याग की घटनाएं समय-समय पर ध्यान में लाई जाती हैं।

संसद ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के आवश्यकता आधारित भरण-पोषण और उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 नामक एक अधिनियम अधिनियमित किया था। इस अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ, माता-पिता/वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण बच्चों/रिश्तेदारों द्वारा बाध्यकारी तथा न्यायालयों के माध्यम से वादयोग्य बनाने; रिश्तेदारों द्वारा उपेक्षा के मामले में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा संपत्ति के अंतरण को रद्द करने; वरिष्ठ नागरिकों को अकेला छोड़ने के लिए दंडात्मक प्रावधान करने; जीवन और संपत्ति आदि का संरक्षण करने की व्यवस्था की गई है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय वृद्धजन नीति (एनपीओपी) जनवरी, 1999 में घोषित की गई थी। इस नीति के पैरा 95 में वृद्धजनों से संबंधित विषयों को बढ़ावा देना और उनका समन्वय करने के लिए राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद की स्थापना करने का प्रावधान है।

नीति के उक्त प्रावधान के अनुसरण में, राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद् (एनसीओपी) का गठन किया गया था। अधिक स्पष्ट संरचना होने तथा विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व प्रदान करने की दृष्टि से, एनसीओपी का पुनर्गठन कर दिया गया है और इसका नाम राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद् (एनसीएसआरसी) के रूप में रखा गया है।

एनसीओपी को एनसीएसआरसी के रूप में पुनर्गठित एवं पुनर्नामित करने के लिए 17 फरवरी, 2012 का एक संकल्प भारत का राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 22 फरवरी, 2012 को प्रकाशित किया गया था। संकल्प की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद् नीतियों, कार्यक्रमों एवं विधायी उपायों; वास्तविक एवं वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वतंत्र तथा उत्पादक जीवन को बढ़ावा देने; और जागरूकता सृजन एवं सामुदायिक एकीकरण के विशेष संदर्भ में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने से संबंधित सम्पूर्ण मुद्दों पर सलाह देगी।

(ङ) और (च) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय वर्ष 2010-11 से वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (एनपीएचसीई) क्रियान्वित कर रहा है। एनपीएचसीई कार्यक्रम का मूल उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को पहुंच सेवाओं सहित राज्य स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर अलग से और विशेषीकृत व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। निवारक तथा संवर्धनात्मक देखभाल, बीमारी का प्रबंधन, जरा सेवाओं के लिए स्वास्थ्य जन शक्ति विकास, चिकित्सा पुनर्वास तथा चिकित्सीय हस्तक्षेप और आईईसी ऐसी कुछ कार्य नीतियां हैं जो एनपीएचसीई में परिकल्पित हैं।

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एनपीएचसीई के प्रमुख घटक देश के विभिन्न क्षेत्रों में 8 चिन्हित क्षेत्रीय चिकित्सा संस्थाओं (क्षेत्रीय जरा केन्द्रों) में 30 बिस्तार वाले जरा विभाग की स्थापना करना था

और 21 राज्यों में 100 चिन्हित जिलों में जिला अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी तथा उप-केन्द्रों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करना था।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत शेष जिलों को 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चरणबद्ध तरीके से प्रतिवर्ष 100 जिलों की दर पर कवर करने और देश के चयनित मेडिकल कॉलेजों में 12 अतिरिक्त क्षेत्रीय जरा केन्द्रों को विकसित करने का प्रस्ताव है।

विवरण

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग-I — खण्ड-I

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 51] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 22, 2012/फाल्गुन 3, 1933

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2012

विषय: "राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद्" को राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद् के रूप में पुनर्गठित करना।

फा. सं. 15-40(4)/2010-11/एजी.—संविधान के अनुच्छेद 41 के भाग 4 ("राज्य की नीति के निदेशक तत्व") का पाठ निम्नांकित है:—

"राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा"।

2. केन्द्र सरकार ने जनवरी, 1999 में राष्ट्रीय वृद्धजन नीति को स्वीकार किया जिसका पैरा 95 का पाठ निम्नानुसार है:—

"95. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के नेतृत्व में एक स्वायत्तशासी केन्द्रीय वृद्धजन परिषद् का गठन वृद्धजन के सरोकारों के संवर्धन और समन्वयन के लिए किया जाएगा। परिषद् में संगत केन्द्रीय मंत्रालयों और योजना आयोग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। परिषद् में 5 राज्यों का बारी-बारी से प्रतिनिधित्व होगा। इसमें गैर-सरकारी संगठनों, शैक्षणिक निकायों, मीडिया और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के वृद्धावस्था से जुड़े मुद्दों के विशेषज्ञों को गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।"

3. उपयुक्त के अनुसरण में, राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद् को पहले इस मंत्रालय के दिनांक 10.5.1999 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22-3/99-एसडी के तहत गठित किया गया और बाद में दिनांक 1.8.2005 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 15-38 (14)/2003-एजी के तहत पुनर्गठित किया गया। दिनांक 1.8.2005 के कार्यालय ज्ञापन के तहत गठित राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद् की सदस्यता में समय-समय पर वृद्धि भी की गई। तथापि इस समय राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद् का कोई निश्चित ढांचा नहीं है।

4. संसद द्वारा दिसम्बर, 2007 में अधिनियमित माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 में "वरिष्ठ नागरिक" को ही परिभाषित और संदर्भित किया गया है, "वृद्धजन" को नहीं। यह अधिनियम "वरिष्ठ नागरिक" को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है "जो भारत का नागरिक हो और जिसकी आयु 60 वर्ष अथवा अधिक हो"।

5. उपर्युक्त के आलोक में, भारत सरकार ने अब राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद् का नाम बदल कर "राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद्" करने और इसकी संरचना निर्धारित करने का निर्णय लिया है:—

I.	केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री	—	अध्यक्ष
II.	केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री	—	उपाध्यक्ष

III. पदेन सदस्य:

1. सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
2. अपर सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

3. प्रतिनिधि के रूप में निम्नांकित मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी:—

(i) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(ii) पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

(iii) पूर्व सैनिक कल्याण विभाग

(iv) रेलवे

(v) उपभोक्ता मामले

(vi) श्रम और रोजगार

(vii) ग्रामीण विकास

(viii) आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन

(ix) राजस्व

(x) वित्तीय सेवाएं

(xi) गृह मंत्रालय

(xii) विधि कार्य विभाग

(xiii) न्याय विभाग

(xiv) मानव संसाधन विकास

(xv) योजना आयोग

4. निम्नांकित आयोगों के प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे के अधिकारी नहीं है:—

(i) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

(ii) राष्ट्रीय महिला आयोग

IV. राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रतिनिधि:—

5 राज्य सरकारों के प्रतिनिधि (उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उत्तर-पूर्व क्षेत्र से एक-एक प्रतिनिधि) और एक संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि को बारी-बारी से केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया जाना है।

V. संसद सदस्य:—

(i) लोक सभा के सबसे पुराने सदस्य

(ii) राज्य सभा के सबसे पुराने सदस्य

VI. निम्नांकित श्रेणियों में से प्रत्येक से पांच प्रतिनिधि केन्द्र सरकार द्वारा नामित किए जाने हैं, उपर्युक्त IV में से 5 राज्यों में से एक प्रतिनिधि लिया जाएगा:—

(i) वरिष्ठ नागरिक परिसंघ;

(ii) पेंशनभोगी परिसंघ;

(iii) वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यरत गैर-सरकारी संगठन;

(iv) वृद्धावस्था और अन्य संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ।

VII. पांच वरिष्ठ नागरिक केन्द्र सरकार द्वारा नामित किए जाने हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्टता प्राप्त की हो।

कॉलम VI और VII में नामांकित व्यक्तियों का 50 प्रतिशत महिलाएं होंगी।

VIII. सदस्य सचिव-सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में एजिंग विषय से संबंधित संयुक्त सचिव, पदेन सदस्य।

6. अध्यक्ष किसी उपयुक्त व्यक्ति को परिषद् में किसी एक बैठक अथवा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विशेष आमंत्रित व्यक्ति के रूप में नामित कर सकते हैं।

7. राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद्, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और निम्नांकित के विशेष उल्लेख के साथ जीवन की गुणवत्ता में इजाफा करने से जुड़े मुद्दों के सम्पूर्ण विषय पर केन्द्र और राज्य सरकारों को सलाह देगी:—

(i) नीतियां, कार्यक्रम और विधायी उपाय;

(i) वास्तविक और वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वतंत्र एवं उत्पादक जीवन निर्वाह का संवर्धन; तथा

(iii) जागरूकता सृजन और सामुदायिक मेल-मिलाप।

8. श्रेणी IV, V, VI और VII के अंतर्गत नामित सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। किन्तु वे अपने उत्तराधिकारी के नामांकन तक पदासीन रह सकते हैं।

9. राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद् की बैठक वर्ष में कम-से-कम दो बार होगी।

10. गैर-सरकारी सदस्यों को भारत सरकार के संगत नियमों/अनुदेशों के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता ग्राह्य होगा।

11. राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद् की बैठकों पर होने वाला व्यय मंत्रालय के गैर-योजना बजट से पूरा किया जाएगा।

टी.आर. मीणा, संयुक्त सचिव

[अनुवाद]

थोक मूल्य सूचकांक की गणना

549. **श्री जगदीश ठाकोर : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) की गणना के लिए नए आधार वर्ष की शुरुआत करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा नए थोक मूल्य सूचकांक के निर्धारण के लिए वस्तुओं की सूची में किन-किन नई वस्तुओं को शामिल किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या विनिर्माण उत्पादों/वस्तुओं में मूल्य के अंतर की गणना के लिए नई प्रणाली औद्योगिक उत्पादन/वस्तुओं के मूल्य की वास्तविक स्थिति को दर्शाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन) : (क) से (घ) जी, हां। सरकार ने 19 मार्च, 2012 को योजना आयोग के सदस्य डॉ. सौमित्र चौधरी की अध्यक्षता में एक कार्यदल गठित किया है जिसका कार्य, अन्य बातों के साथ-साथ, एक नई थोक मूल्य सूचकांक शृंखला तैयार करने हेतु एक नए आधार वर्ष, एक उपयुक्त वस्तु-समूह एवं उनसे संबद्ध भारिताओं की सिफारिश करना है, जो अर्थव्यवस्था में 2004-05 (मौजूदा थोक मूल्य सूचकांक शृंखला का आधार वर्ष) से हुए संरचनात्मक परिवर्तन को दिखाएं।

एनएमडीसी द्वारा लौह अयस्क की बिक्री

550. **श्री नीरज शेखर :**
श्री यशवीर सिंह :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज वाकिस निगम (एनएमडीसी) द्वारा लौह अयस्क की बिक्री में अनियमितताएं पाई गई हैं जिससे केन्द्र के राजकोष को हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जबावदेही तय की है तथा दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा लौह अयस्क के कीमत निर्धारण की रूपात्मकताओं के संबंध में ऑडिट द्वारा अपने निष्पादन ऑडिट के दौरान टिप्पणियों का प्रारुप तैयार किया गया है। इन आपत्तियों पर स्पष्टीकरण ऑडिट को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। ऑडिट की अंतिम टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) से (ङ) उपरोक्त (क) और (ख) के उत्तर के मद्दे नजर प्रश्न नहीं उठता।

कपास विधेयक, 2012

551. **श्री मधु गौड यास्खी :**
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री प्रदीप माझी :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न विशेषज्ञों और पणधारकों को मसौदा कपास व्यापार (विकास और विनियमन) विधेयक, 2012 परिचालित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में उनकी टिप्पणियां/सुझाव क्या हैं;

(ग) क्या प्रस्तावित मसौदा विधेयक पर वस्त्र और कृषि मंत्रालय के बीच कोई मतभेद है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे मतभेद को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) से (घ) जी, हां। सरकार ने मसौदा कपास व्यापार (विकास और विनियमन) विधेयक, 2012 अब कपास वितरण (आंकड़ों का संग्रहण) विधेयक, 2012 के रूप में पुनर्नामित) सार्वजनिक जानकारी के लिए प्रस्तुत कर दिया है। इस मसौदा विधेयक पर कपास सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श किया गया था। कृषि मंत्रालय सहित अंतर-मंत्रालयीय परामर्श भी पूरा कर लिया गया है। प्राप्त टिप्पणियां एवं सुझाव मुख्यत: जुर्माना प्रावधानों, अपीलीय कार्यतंत्र और संग्रहण कार्यतंत्र की दुरावृति रोकने के संबंध में थे। इस विधेयक के प्रावधानों पर सहमति तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान टिप्पणियां एवं सुझावों पर विधिवत् विचार किया गया है।

चाय आयात हेतु प्रस्ताव

552. **श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चाय उद्योग को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए चाय के चरणबद्ध तरीके से आयात की अनुमति देने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी, नहीं। तथापि, चूंकि भारत विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का एक सदस्य है अत: पुनर्निर्यात के प्रयोजनार्थ ब्लेंडिंग, पैकेजिंग इत्यादि के माध्यम से मूल्यवर्धन के पश्चात् चाय का आयात अनुमत्य है। ऐसे आयातों को आयात शुल्क से छूट प्रदान की गई है। आयातित चायों का उपयोग घरेलू बाजार हेतु किए जाने पर 100% की दर से आयात शुल्क लगाया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

साइबर सुरक्षा

553. **श्री रमेश बैस :**
श्री उदय सिंह :
श्री हरि मांझी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि साइबर अपराध राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन रहा है और सशस्त्र बल इस चुनौती से निपटने के लिए तैयारी कर रहे हैं;

(ख) क्या जानकारी चुराने की 70 प्रतिशत घटनाओं में पेन ड्राइव का प्रयोग किया गया है और यह एक बड़ा खतरा सिद्ध हो रहा है;

(ग) क्या गत कुछ वर्षों में चीन में एसेम्बल किए गए बड़ी कंपनियों के कम्प्यूटरों और संचार प्रणालियों की खरीद सुरक्षा बलों द्वारा बड़ी संख्या में की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसे कंप्यूटर और सूचना प्रणालियां सुरक्षित नहीं हैं और इस प्रकार के उपकरणों तक चीनियों की पहुंच है; और

(ङ) यदि हां, तो साइबर अपराध को नियंत्रित करने और रक्षा बलों में अन्य सूचनाओं के बाहर जाने को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) जी, हां।

(ख) पेन ड्राइवरों द्वारा उत्पन्न होने वाले अन्तर्निहित सुरक्षा खतरों के कारण एक नीति के रूप में इंटरनेट से जुड़े कम्प्यूटरों पर पेन ड्राइव का प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है।

(ग) और (घ) रक्षा मंत्रालय में कम्प्यूटरों और संचार प्रणालियों की अधिप्राप्ति सरकार की अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं के अनुसार मान्यता प्राप्त मूल उपस्कर विनिर्माताओं/कंपनियों से की जाती है।

(ङ) रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी साइबर सुरक्षा नीति, 2008 कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लागत सतत् जागरूकता अभियान, नेटवर्कों की लेखा परीक्षा, साइबर सुरक्षा गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण और एयरगेपों को बनाए रखना शामिल है। राष्ट्रीय स्तर पर भी साइबर सुरक्षा मुद्दों का समन्वय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय (एनएससीएस) द्वारा किया जाता है।

भारत के विरुद्ध चीन की रणनीति

554. **योगी आदित्यनाथ : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन भारत को घेरने की रणनीति पर कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत द्वारा देश को अस्थिर करने के लिए चीन के दुष्प्रचार को रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) भारत और चीन ने पंचशील, समानता और एक दूसरे के हितों के प्रति पारस्परिक संवेदनशीलता के सिद्धांतों के आधार पर सामरिक और सहयोगात्मक साझेदारी कायम की है। भारत के अन्य देशों के साथ संबंध दोनों देशों की अवधारणाओं पर आधारित होते हैं और ये संबंध उन देशों के किन्हीं तीसरे देशों के साथ संबंधों से अप्रभावित रहते हैं। सरकार उन सभी घटनाक्रमों पर निरन्तर निगाह रखती है जिनका भारत के हितों और सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है और इनकी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है।

[अनुवाद] 343-45

वन्य जीवों की रक्षा

555. **श्री बसुदेव आचार्य :**
श्री पी. करुणाकरण :
श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण :
प्रो. रंजन प्रसाद यादव :
डॉ. एम. तम्बिदुरई :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन जीवों की हाल की गणना के अनुसार देश में बाघों, शेरों, चीतों हाथिरों और अन्य जंगली जानवरों की संख्या में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अभयारण्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में चीतों की घटती संख्या को रोकने के लिए अवैध व्यापार पर प्रतिबंध लगाने हेतु कोई प्रयास किया है?

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) देश में अधिकांश वन्यजीव प्रजातियों की राष्ट्र-वार गणना आवधिक रूप से की जाती है परंतु वार्षिक आधार पर नहीं। देश में बाघों, शेरों और हाथियों जैसी मुख्य पशु प्रजातियों की पिछली गणना के अनुसार इन पशुओं की संख्या में कमी होने की कोई सूचना नहीं मिली है। वास्तव में उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। मंत्रालय में उपलब्ध ताजा सूचना के अनुसार, बाघों की अनुमानित संख्या 2006 में 1411 से बढ़ाकर वर्ष 2010 में 1706 हो गई है। शेरों की संख्या वर्ष 2005 में 359±10 से बढ़ाकर 2010 में 411 हो गई है। हाथियों की संख्या 2005 में 26413±10 से बढ़ाकर 2007-08 में 27694 हो गई है। चूंकि देश में तेंदुओं की संख्या की राष्ट्र-वार गणना नहीं की गई है, अत: तेंदुओं के बारे में मंत्रालय में सूचना उपलब्ध नहीं है। इन प्रजातियों की अभ्यारण्य-वार संख्या का मंत्रालय में संकलन नहीं किया जाता है।

(ग) से (ङ) तेंदुओं सहित वन्यजीवों के शिकार की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:–

(i) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अंतर्गत वन्य पशुओं की अनेक प्रजातियों को शिकार और वाणिज्यिक शोषण के विरुद्ध विधिक सुरक्षा दी गई है। संरक्षण और जोखिम स्थिति के अनुसार वन्यजीवों को अधिनियम की विभिन्न अनुसूचियों में रखा गया है। तेंदुए को अधिनियम की अनुसूची-I में रखा गया है जिससे अधिनियम के अंतर्गत उसे उच्चतम श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है।

(ii) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को संशोधित करके और अधिक कड़ा बनाया गया है। अपराधों के मामलों में सजाओं में वृद्धि की गई है। इस अधिनियम में किसी ऐसे उपस्कर, वाहन अथवा हथियार को जब्त करने का भी प्रावधान है जिसका उपयोग वन्यजीव अपराध हेतु किया गया है।

(iii) संकटग्रस्त प्रजातियों और उनके वास-स्थलों सहित वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए देश भर में महत्वपूर्ण वास-स्थलों को शामिल करके वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अनुसार संरक्षित क्षेत्रों अर्थात् राष्ट्रीय उद्यानों अभ्यारण्यों, संरक्षण रिज़र्वों और सामुदायिक रिज़र्वों का सृजन किया गया है।

(iv) वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा और संरक्षण प्रदान के लिए विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों, नामशः 'वन्यजीव वास-स्थलों का एकीकृत विकास' 'बाघ परियोजना' और 'हाथी परियोजना' को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की गई है।

(v) वन्यजीवों के अवैध शिकार और उनके उत्पादों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए पांच क्षेत्रीय कार्यालयों, तीन उप-क्षेत्रीय कार्यालयों और पांच सीमावर्ती इकाइयों वाले वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की गई है।

(vi) वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को अधिकृत किया गया है।

(vii) राज्य सरकारों से संरक्षित क्षेत्रों के अंदर और उनके आस-पास क्षेत्रीय अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने और गश्त बढ़ाने के लिए अनुरोध किया गया है।

(viii) प्रभावी संचार प्रणाली के माध्यम से कड़ी सतर्कता रखी जाती है। हिन्दी 345·46

अधिकारियों और जवानों का तनाव स्तर

556. डॉ. मन्दा जगन्नाथ :
श्री इज्यराज सिंह :
श्री हरीश चौधरी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेना के अधिकारियों और जवानों के बढ़ते तनाव स्तर के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए क्या उपाय किए हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) सशस्त्र सेना कार्मिकों की तनाव संबंधी विकृति के संबंध में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की एक प्रयोगशाला — रक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान और सशस्त्र सेना चिकित्सा अनुसंधान समिति के संरक्षण में कई अध्ययन किए गए हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने सैनिकों में तनाव को कम करने के लिए सतत् रूप से कई उपाय किए हैं/कदम उठाए हैं। किए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं:—

(i) तनाव प्रबंधन पर प्रशिक्षित और योग्य मनोचिकित्सकों और मनोचिकित्सा परिचारिका सहायकों द्वारा परामर्श देना।

(ii) अति संवेदनशील व्यक्तियों को धर्म गुरुओं, मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं/मनोचिकित्सकों द्वारा परामर्श देना।

(iii) जवानों के लिए छुट्टी नीति को उदार बनाया गया है। छुट्टी के बाद यूनिट में वापस आने वाले सभी कार्मिकों का रेजिमेंटल चिकित्सा अधिकारी द्वारा साक्षात्कार लिया जाता है और उनकी चिकित्सीय आधार पर जांच की जाती है। किसी भी प्रकार के तनाव की पहचान की जाती है और उनसे प्रेरणास्पद बातचीत की जाती है।

(iv) सैनिकों में तनाव को कम करने के लिए 'मिलाप' और 'सहयोग' जैसी परियोजनाओं को शुरू किया गया है।

(v) योग और प्राणायाम सहित तनावमुक्ति तकनीकों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

(vi) कमांडरों द्वारा सामूहिक चर्चाओं/कार्यशालाओं/परामर्श सत्रों/तनाव प्रबंधन पाठ्यक्रमों/खेलकूद, क्रीडा आदि जैसे सामूहिक कार्यकलापों के जरिए तनाव संबंधी मामलों का निवारण किया जाता है।

(vii) रक्षा कार्मिकों के लिए राज्यों में शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की गई है।

सैनिकों में तनाव के स्तर को कम करने के लिए किए गए उपायों से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं।

346·94

सड़क दुर्घटनाएं

557. श्री एस. सेम्मलई :
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :
श्री अब्दुल रहमान :
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :
श्री पन्ना लाल पुनिया :
श्री हमदुल्लाह सईद :
श्री रवनीत सिंह :
श्री अनुराग सिंह ठाकुर :
श्री जोस के. मणि :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में विशेषरूप से राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) किन राज्यों में सड़क दुर्घटना में हताहतों की संख्या में वृद्धि दर्ज हुई है, किन राज्यों में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है;

(ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सड़क संरक्षा पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है तथा इसके द्वारा क्या संरक्षा उपाय सुझाए गए हैं एवं देश में चिन्हित दुर्घटना संभावित क्षेत्रें/मार्गों/स्थानों आदि कोई हो, का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/कार्यक्रम शुरू किए गए हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हो तथा उक्त अवधि के दौरान सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम हेतु आवंटित और व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) वर्ष 2009-2011 (नवीनतम उपलब्ध आंकड़े) के दौरान सूचित कुल सड़क दुर्घटनाओं की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं, का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सड़क दुर्घटना संबंधी आंकड़ों, के विश्लेषण से पता चलता है कि चालक की गलती ही दुर्घटनाओं के लिए एकमात्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदार कारक (77.5%) है। सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार कुछ अन्य कारक इस प्रकार हैं:—

पैदलयात्री की गलती	2.4%
साइकिल सवार की गलती	1.3%
सड़क स्थितियों में दोष	1.5%
मोटन वाहन की दशा में दोष	1.6%
मौसम की स्थिति	1.0%
सभी अन्य कारण*	14.8%*

*इसमें अन्य वाहनों के चालक की गलती, यात्रियों की गलती, अपर्याप्त प्रकाश, गोलाश्मों का गिरना, नागरिक निकायों की लापरवाही, आवारा पशु, अन्य कारण तथा अज्ञात कारण शामिल हैं।

(ख) वर्ष 2011 के दौरान, उन राज्यों जहां सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है और उन राज्यों जहां दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आई है का ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

(ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रकाशित सड़क सुरक्षा संबंधी वैश्विक स्थिति रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष और सुझाए गए सुरक्षा उपायों को संलग्न विवरण-III में दिया गया है। भारत में अभिनिर्धारित दुर्घटना संभावित क्षेत्रों/ब्लैक स्पाटों का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

(घ) और (ङ) इस मंत्रालय ने देश में सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

(i) सरकार ने एक सड़क सुरक्षा नीति पहले ही अनुमोदित कर दी है। इस नीति में विभिन्न नीतिगत उपाय जैसे जागरुकता को बढ़ावा देना, सुरक्षा सूचना डाटाबेस की स्थापना करना, कुशल परिवहन के अनुप्रयोग सहित सुरक्षित सड़क अवसंरचना को बढ़ावा देना, सुरक्षा कानूनों के प्रवर्तन आदि के बारे में उल्लेख किया है।

(ii) सरकार ने सड़क सुरक्षा के मामले में नीतिगत निर्णय लेने के लिए शीर्ष निकाय के रूप में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् का गठन किया है। मंत्रालय ने सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् और जिला सड़क सुरक्षा समितियां गठित करने का अनुरोध किया है।

(iii) मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा के चार घटकों अर्थात् (i) शिक्षा (ii) प्रवर्तन (iii) इंजीनियरी (वाहन और सड़क दोनों) और (iv) आपात देखभाल के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए एक बहु-विषयक कार्यनीति अपनाई है।

(iv) योजना स्तर पर सड़क सुरक्षा को सड़क डिजाइन का एक एकीकृत भाग बना दिया गया है।

(v) राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेसमार्गों का चुनिंदा खंडों की सड़क सुरक्षा संपरीक्षा।

(vi) चालक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना।

(vii) वाहनों के सुरक्षा मानकों जैसे हेलमेट, सीट-बेल्ट, पावर स्टीयरिंग, रीयर विउ मिरर को कठोर बनाना।

(viii) सड़क सुरक्षा जागरुकता पर प्रचार अभियान।

सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजना का ब्यौरा इस प्रकार है:—

(i) **सड़क सुरक्षा संबंधी प्रचार-उपाय और जागरुकता अभियान:** आम जनता में सड़क सुरक्षा जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकार ने टी.वी. स्पाट/रेडियो झलकियों के प्रसारण, सड़क सुरक्षा सप्ताह, सेमिनारों, प्रदर्शनियों, अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता के आयोजन, विभिन्न श्रेणी के सड़क प्रयोक्ताओं अर्थात् पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों, स्कूली बच्चों, भारी वाहन चालकों आदि के लिए सड़क सुरक्षा संदेश के साथ पोस्टरों, कैलेंडर, बाल कार्यकलाप पुस्तकों आदि के मुद्रण के रूप में विभिन्न प्रचार उपाय किए हैं।

(ii) **असंगठित क्षेत्र में चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास :** अच्छे चालक बनाने के लिए आदर्श चालक प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में भारी मोटर वाहन चालकों के लिए दो दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने वाले संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा, कुछ विख्यात संगठनों के माध्यम से असंगठित क्षेत्र में कार्यरत चालकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

(iii) **राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना :** इस योजना में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने और दुर्घटना स्थल को साफ करने के लिए सहायता और बचाव उपाय हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए क्रेनों और एंबुलेंसों को प्रदान करने की व्यवस्था है।

(iv) **सड़क सुरक्षा और प्रदूषण जांच उपस्कर तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन :** सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न नियमों और विनियमों के प्रवर्तन और कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सड़क सुरक्षा उपकरण जैसे इंटरसेप्टर प्रदान किए जाते हैं।

पिछले तीन वर्ष के दौरान सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए निर्धारित/खर्च की गई राशि नीचे दी गई है:—

सड़क सुरक्षा कार्यकलापों के लिए आबंटित और उन पर खर्च की गई धनराशि

(करोड़ रु.)

वर्ष	आबंटित धनराशि	खर्च की गई धनराशि
2009-10	79.00	22.39
2010-11	180.00	58.06
2011-12	109	77.89

विवरण-I

क्र. सं.	राज्य	वर्ष 2009-2011 के दौरान सभी सड़कों पर सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या			वर्ष 2009-2011 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	43600	44,599	44,165	11856	12,340	13,651
2.	अरुणाचल प्रदेश	306	293	263	113	91	95
3.	असम	4869	5,828	6,569	2808	3,209	3,425

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	बिहार	10065	11,033	10,673	4305	4,857	4,018
5.	छत्तीसगढ़	12888	13,664	14,108	4622	4,248	5,314
6.	गोवा	4165	4,572	4,560	1467	1,576	1,775
7.	गुजरात	31034	30,114	30,205	6640	6,440	6,485
8.	हरियाणा	11915	11,195	11,128	4086	3,905	4,066
9.	हिमाचल प्रदेश	3051	3,069	3,099	1066	1,306	1,296
10.	जम्मू और कश्मीर	5945	6,134	6,655	2637	2,271	2,425
11.	झारखंड	4996	5,521	5,451	1894	1ण704	2,167
12.	कर्नाटक	45190	46,250	44,731	13893	14,013	14,128
13.	केरल	35433	35,082	35,216	9425	9,461	9,519
14.	मध्य प्रदेश	47267	50,023	49,406	10769	13,600	11,556
15.	महाराष्ट्र	71996	71,289	68,438	12911	12,026	12,530
16.	मणिपुर	578	602	692	320	361	378
17.	मेघालय	398	474	599	235	320	429
18.	मिजोरम	86	125	97	45	47	32
19.	नागालैंड	63	35	39	37	16	20
20.	ओडिशा	8887	9,413	9,398	4216	4,738	4,279
21.	पंजाब	5570	5,507	6,513	1684	2,087	2,428
22.	राजस्थान	25114	24,302	23,245	7932	7,520	7,273
23.	सिक्किम	564	186	406	211	86	151
24.	तमिलनाडु	60794	64,996	65,873	21198	24,083	22,932
25.	त्रिपुरा	865	901	834	295	320	339

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	उत्तराखंड	1401	1,493	1,508	792	863	781
27.	उत्तर प्रदेश	28155	28,362	29,285	10917	11,079	11,566
28.	पश्चिम बंगाल	11134	14,888	14,945	4714	5,547	4,787
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	271	285	234	54	117	63
30.	चंडीगढ़	424	456	437	64	112	89
31.	दादरा और नगर हवेली	79	96	103	0	0	0
32.	दमन और दीव	63	48	50	0	0	0
33.	दिल्ली	7516	7,260	7,281	796	886	986
34.	लक्षद्वीप	4	4	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	1698	1,529	1,480	509	700	749
	जोड़	486384	499,628	497,686	142511	149,929	149,732

विवरण-II

ऐसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जहां दुर्घटनाओं में कमी/वृद्धि दर्ज की गई

क्र. सं.	वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जहां 2011 के दौरान सड़क दुर्घटना घातकर्त्ताओं की संख्या में वृद्धि हुई	वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जहां 2011 के दौरान सड़क दुर्घटना की संख्या में कमी हुई
1	2	3
1.	असम	आंध्र प्रदेश
2.	छत्तीसगढ़	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
3.	दादरा और नगर हवेली	अरुणाचल प्रदेश
4.	दमन और दीव	बिहार
5.	गोवा*	चंडीगढ़

1	2	3
6.	गुजरात	गोवा*
7.	हरियाणा*	हरियाणा*
8.	जम्मू और कश्मीर	झारखंड*
9.	झारखंड*	कर्नाटक
10.	केरल	लक्षद्वीप
11.	महाराष्ट्र*	मध्य प्रदेश
12.	मणिपुर	महाराष्ट्र*
13.	मेघालय	मिजोरम
14.	पंजाब	ओडिशा
15.	राजस्थान*	पुदुचेरी
16.	सिक्किम	राजस्थान*
17.	तमिलनाडु	त्रिपुरा*
18.	त्रिपुरा*	
19.	उत्तराखंड	
20.	उत्तर प्रदेश	

*यह उन राज्यों को दर्शाता है जहां 2011 के दौरान घातकर्त्ताओं में वृद्धि हुई यद्यपि दुर्घटनाओं की संख्या में कमी हुई।

विवरण-III

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सड़क सुरक्षा पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट (2009) के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं:—

- वर्ष 2030 तक सड़क यातायात दुर्घटनाएं मौत का 5वां मुख्य कारण बन जाएगा।
- उच्च आय देशों (प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर 10.3) की अपेक्षा निम्न आय और मध्य आय देशों में उच्च सड़क यातायात घातकता दर (क्रमश: प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर 21.5 और 19.5) अधिक है। सड़कों पर विश्व की 90% से अधिक घातकताएं निम्न आय और मध्य आय देशों में होती हैं जहां विश्व के पंजीकृत वाहनों का केवल 48% है।
- सड़क यातायात दुर्घटनाओं में मरने वाले लगभग आधे पैदल यात्री, साइकिल सवार अथवा मोटरीकृत दुपहिया के प्रयोक्ता जिनको सामूहिक रूप से 'संवेदनशील सड़क

प्रयोक्ता' के रूप में जाना जाता है, होते हैं और यह अनुपात विश्व की गरीब अर्थ-व्यवस्थाओं में अधिक है।

- कई देशों में यातायात कानून का अंगीकरण और प्रवर्तन अपर्याप्त प्रतीत होता है। शराब पीकर वाहन चलाने और अधिक गति को कम करने, हेलमेटों सीट बेल्ट के उपयोग को बढ़ाने और बाल प्रतिबंधों से विधान का विकास और प्रभावी प्रवर्तन महत्वपूर्ण है।

- गति – शहरी गति सीमा 50 किमी./घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए और स्थानीय प्राधिकरण गति को घटाने जहां आवश्यक हो, के लिए समर्थ होने चाहिए। यह केवल 29% देशों में है।

- शराब पीकर गाड़ी चलाना – सामान्य जनसंख्या के लिए रक्त अल्कोहल सांद्रता 0.05 जी/डीएल होनी चाहिए। यह 50% से भी कम देशों में है।

- मोटर साइकिल हेलमेट – अच्छी गुणवत्ता का मोटर साइकिल हेलमेट पहनने से मौत का जोखिम लगभग 40% और गंभीर सिर क्षति का जोखिम 70% से अधिक कम हो जाता है। केवल 40% देशों में व्यापक हेलमेट कानून और हेलमेट मानक हैं।

- सीट बेल्ट – सीट बेल्ट पहनने से आगे वाली सीट के यात्रियों में मौत का जोखिम 40-50% तक और पीछे वाले यात्रियों में मौत का जोखिम 25-75% तक घट जाता है। केवल 57% देशों में आगे और पीछे वाले यात्रियों दोनों द्वारा सीट बेल्ट का उपयोग अपेक्षित है।

- बाल प्रतिबंध – नवजात सीटें, बाल सीटें और बूस्टर सीटें दुर्घटना के मामले में नवजातों में 70% तक और छोटे बच्चों में 54% और 80% के बीच मौतों को कम कर सकती हैं।

- उपरोक्त उल्लिखित सभी 5 जोखिम कारकों पर 48% देशों में कानून है और सभी 5 जोखिम कारकों पर 15% देशों में व्यापक कानून हैं।

- रिपोर्ट दर्शाती है कि आंकड़े जो देश संग्रहीत करते हैं, की गुणवत्ता और कवरेज में तथा सड़क यातायात दुर्घटनाओं पर रिपोर्ट में काफी बड़ा अंतराल है। सड़क यातायात दुर्घटना समस्याओं के कार्यक्षेत्र तक पहुंच के लिए, इस पर प्रतिक्रिया लक्षित करने के लिए और मध्यस्थता उपायों की प्रभाविकता की मॉनीटरिंग और मूल्यांकन के लिए देशों को घातकर्ताओं और गैर-घातकर्ता दुर्घटनाओं पर विश्वसनीय आंकड़ों की आवश्यकता है।

सरकार के लिए रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें ये हैं:–

- नीतिगत निर्णय को सड़क सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, बनाते समय सभी सड़क प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं पर विचार किया जाए। सभी तक, कई देशों में संवेदनशील सड़क प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं की अवहेलना की गई है। उन पर नवीकृत जोर दिया जाना चाहिए।

- उपयुक्त गति सीमाएं और रक्त अल्कोहल सांद्रता सीमाएं निर्धारित करके, और उपयुक्त संरक्षण उपाय जैसे हेलमेट, सीट बेल्ट और बाल प्रतिबंध के उपयोग की आवश्यकता द्वारा सभी सड़क प्रयोक्ताओं का संरक्षण करने के लिए व्यापक कानूनों को बनाना। मौजूदा विधान की समीक्षा की जानी चाहिए और इनको अच्छे व्यवहार, जो प्रभाविकता के ठोस साक्ष्य पर आधारित हों, के अनुसरण में संशोधित किया जाए।

- सभी सड़क सुरक्षा कानूनों के प्रवर्तन का सुधार करना और उनको बनाए रखना। प्रवर्तन प्रयासों को प्रकाशित किया जाना चाहिए और उल्लंघन के लिए उपयुक्त शास्तिओं के उपयोग के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

- एजेंसियों के बीच बहु-क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना और यह सुनिश्चित करना कि उनके पास प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक मानव और वित्तीय संसाधन हैं।

- सड़क यातायात दुर्घटनाओं पर आंकड़ों को संगत करने को बढ़ावा देना। इसमें परिभाषाओं को सुधारना, पुलिस, परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच डाटा लिंकेज का सुदृढ़ीकरण और डाटा संग्रहण शुरू करने के लिए मानव क्षमता को बढ़ाना सम्मिलित है।

विवरण

आंध्र प्रदेश राज्य में 25 ब्लैक स्पोट

क्र.सं.	जिला	दुर्घटनाओं का अवस्थान	रारा सं.
1	2	3	4
1.	श्रीकाकुलम	नवभारत जंक्शन	16
2.	पश्चिम गोदावरी	टेटली 'वाई' जंक्शन	16
3.	-तदैव-	आश्रम अस्पताल	16
4.	-तदैव-	कईकरम सेंटर	16
5.	नेल्लौर	मधुरपदु	16
6.	कुरनूल	एनुगुमारी गांव	44
7.	-तदैव-	पुदीचेरलामीट्टा	40
8.	-तदैव-	भारत पेट्रोल बंक, अंगारानीकुंठा गांव के पास	44
9.	करीमनगर	अरोडा जूनियर कॉलेज, कोरतला	63
10.	मेडक	पलपानुरू 'एक्स' रोड	65
11.	मेडक	आरटीए चेकपोस्ट एरिया के पास	65
12.	मेडक	पोथीरेड्डी पल्ली	65
13.	निजामाबाद	अदलूरू येलारेड्डी 'टी' जंक्शन	44
14.	-तदैव-	बालाकोंडा जंक्शन	44
15.	-तदैव-	पेरकीटी 'एक्स' रोड	63
16.	अदीलबाद	इंदारम	63
17.	साईबराबाद	गंगागपाहद	44
18.	-तदैव-	कोठापेटा 'एक्स' रोड	65
19.	-तदैव-	उप्पल 'एक्स' रोड	163
20.	-तदैव-	मेडचल	44

1	2	3	4
21.	साईबराबाद	मियापुर	65
22.	महबूबनगर	थिमापुर गांव	44
23.	-तदैव-	वेमूला स्टेज	44
24.	नालगोंडा	बेलीमिंदा ब्रिज, हनुमान के पास	65
25.	-तदैव-	पेडाकपरथी बस स्टेज	65

बिहार राज्य में 20 ब्लैक स्पोट

क्र.सं.	जिला	क्षेत्राधिकार/पुलिस स्टेशन	रारा सं.
1	2	3	4
1.	गोपालगंज	बरथना कुटी	28
2.	गोपालगंज	बालथरी चैकपोस्ट	28
3.	गोपालगंज	भटवा मोड	28
4.	गोपालगंज	कोनहवा मोड	28
5.	गोपालगंज	सस्मुसा बजरंग टाकिज के पास	28
6.	गोपालगंज	यदोपुर मोड	28
7.	गोपालगंज	अरर मोड	28
8.	गोपालगंज	कोयनी बाजार के पास	28
9.	गोपालगंज	महमूदपुर मोड	28
10.	समस्तीपुर	ताजपुर का मेन क्रोसिंग	28
11.	समस्तीपुर	मूसरीघराई का मेन क्रोसिंग	28
12.	समस्तीपुर	दलसिंह सराए का मेन क्रोसिंग	28
13.	खगडिया	तल्लोच के पास नौरंगा फ्लाईओवर	107
14.	खगडिया	तल्लोच और खारोधर के बीच स्थान	107

1	2	3	4
15.	भागलपुर	नवगछिपा-भागलपुर रोड पर टेटरी चौक	31
16.	गया	बरचट्टी थाना ब्लॉक मोड के पास	31
17.	पटना	गांधी सेतु	19
18.	पटना	बख्तियारपुर	30
19.	मोतीहारी	पिपराकोठी	28
20.	बेगूसराय	सावित्री सिनेमा	

हिमाचल प्रदेश राज्य में ब्लैक स्पोट

क्र.सं.	जिला	रारा सं. 25
1.	सोलन	एनएच-22
2.	बिलासपुर	एनएच-21
3.	हमीरपुर	एनएच-88
4.	लाहौल और स्फीति	एनएच-21
5.	ऊना	एनएच-70

छत्तीसगढ़ राज्य में 25 ब्लैक स्पोट

क्र.सं.	जिला	दुर्घटनाओं का अवस्थान	रारा सं.
1	2	3	4
1.	रायपुर	दुमरतराई गांव	43
2.	रायपुर	कांदरी गांव	43
3.	रायपुर	निमोरा टर्निंग गांव	43
4.	रायपुर	रेडियंट स्कूल के पास	43
5.	धमत्री	बिरेजाड के पास	43

1	2	3	4
6.	धमत्री	दादेसर के पास	43
7.	कनकेर	केशकाल घाटी	43
8.	रायपुर	रिंग रोड 1 कुशलपुर चौक, भटागांव चौक, न्यू राजेन्द्र नगर मोड़, खानजी भवन के सामने	6
9.	रायपुर/महासमंद	महात्मागांधी सेतु, महानदी	6
10.	रायपुर	रिंग रोड 3, जंक्शन मंदिर, हसोद	6
11.	महासमंद	बिरकोनी मोड़	6
12.	महासमंद	जोंक नदी पुलिया से पहले	6
13.	महासमंद	सहलेतराई गांव के पास	6
14.	दुर्ग	स्टेशन चौक कुम्हेडी, चरोदा, ओल्ड भिलाई	6
15.	दुर्ग	इंडियन ऑयल डिपो के पास	6
16.	दुर्ग	सुफेला चौक	6
17.	रायपुर	हीरापुर चौक	200
18.	रायपुर	रावभाटा धनली नाला से पहले	200
19.	रायपुर	चंदेरी गांव के पास	200
20.	बिलासपुर	सुरगांव दिलसेर मोड़	200
21.	बिलासपुर	हरडी गांव के पास	200
22.	बिलासपुर	चांदखुरी नयापाडा मोड़	200
23.	बिलासपुर	रानीगांव के पास	200
24.	बिलासपुर	रतनपुर मंदिर टर्निंग	200
25.	बिलासपुर	बेलतारा	200

गुजरात राज्य में 25 ब्लैक स्पोट

क्र.सं.	जिला	दुर्घटनाओं का अवस्थान	रारा सं.
1	2	3	4
1.	गांधीनगर जिला गांधीनगर रेंज	जेठीपुरा बोर्ड गांव	रारा 8ए
2.	सुबारकंठा जिला गांधीनगर रेंज	शामलाजी टाउन रोड	रारा 8ए
3.	खेड़ा जिला अहमदाबाद रेंज	हरियाणा बाईपास वाई पोइंट के पास	रारा 8 एनएचएआई
4.	आनन्द जिला अहमदाबाद रेंज	वशाड गांव क्रॉस रोड	रारा 8ए एल एंड डी
5.	बनासकंठा जिला बॉर्डर रेंज भुज	चांदीसर गांव क्रॉस रोड के पास बस स्टॉप	रारा 14 दिनेश अग्रवाल लि.
6.	राजकोट ग्रामीण राजकोट रेंज	शापर गांव – वेरावल	रारा 8बी एनएचएआई
7.	राजकोट ग्रामीण राजकोट रेंज	पारडी बोर्ड गांव	रारा 8बी एनएचएआई
8.	राजकोट ग्रामीण राजकोट रेंज	पारडी सिम गांव शीतला माता जी मंदिर के पास	रारा 8बी एनएचएआई
9.	राजकोट ग्रामीण राजकोट रेंज	मालिया गांव – हालवाड क्रॉस रोड	रारा 8ए एनएचएआई
10.	जूनागढ़ जिला जूनागढ़ रेंज	गडू गांव से शांतिपरा गांव	रारा 8डी एनएचएआई
11.	जूनागढ़ जिला जूनागढ़ रेंज	वडाल गांव बोर्ड	रारा 8डी एनएचएआई
12.	भावनगर जिला जूनागढ़ रेंज	बुदेल बोर्ड गांव के पास	रारा 8ई एनएचएआई
13.	भावनगर जिला जूनागढ़ रेंज	तालजा गांव से वेलावदर गांव	रारा 8ई एनएचएआई
14.	भरूच जिला वडोदरा रेंज	सरदार ब्रिज अंकलेश्वर शहर के दक्षिण की ओर	रारा सं. 8 एलएंडटी भरूच
15.	सूरत जिला सूरत रेंज	पिपोदा गांव किम क्रॉस रोड के पास	रारा 8 आईआरबी
16.	सूरत जिला सूरत रेंज	कामरेज गांव चीनी मिल	रारा 8 आईआरबी
17.	सूरत जिला सूरत रेंज	धौरन पारडी गांव	रारा 8 आईआरबी
18.	सूरत जिला सूरत रेंज	खोलवाड गांव क्रॉस रोड	रारा 8 आईआरबी
19.	सूरत जिला सूरत रेंज	वाव गांव से उभेल रोड गांव	रारा 8 आईआरबी
20.	सूरत जिला सूरत रेंज	कदोदरा ब्रिज से चलथान रोड गांव	रारा 8 आईआरबी

1	2	3	4
21.	सूरत जिला सूरत रेंज	खडक पारडी बोर्ड गांव	रारा 8 आईआरबी
22.	सूरत जिला सूरत रेंज	सोनवाडा बोर्ड गांव	रारा 8 आईआरबी
23.	तपी जिला सूरत रेंज	बाजीपुरा गांव टी ज्योईट	रारा 6 सोमा कं.
24.	तपी जिला सूरत रेंज	बाजीपुरा गांव सुमुल डेयरी के पास	रारा 6 सोमा कं.
25.	तपी जिला सूरत रेंज	मायापुर गांव सेवंथ डे स्कूल के सामने	रारा 6 सोमा कं.

हरियाणा राज्य में 25 ब्लैक स्पोट

क्र.सं.	जिला	दुर्घटनाओं का अवस्थान	रारा सं.
1	2	3	4
1.	अम्बाला	बस/रेलवे स्टेशन के सामने, अम्बाला	1
2.	कुरुक्षेत्र	बस स्टैंड, इस्माईलाबाद	65
3.	हिसार	बरवाला चौक बाइपास	10
4.	हिसार	बस टर्मिनल, हांसी	10
5.	पंचकुला	रामगढ़ चौक	22
6.	कैथल	अम्बाला बाइपास नाका	65
7.	कैथल	तितरम मोड़	65
8.	कैथल	पुंडरी शहर	65
9.	सोनीपत	बाहलगढ़ चौक	
10.	सोनीपत	हसनपुर कट	1
11.	पानीपत	सिवाह गांव कट	1
12.	पानीपत	सेक्टर 29 कट	1
13.	पानीपत	पुलिस लाईन कट	1
14.	पानीपत	जतीपुर गांव कंट	1
15.	पलवल	कितवाबी चौक, अलीगढ़ रोड	2

1	2	3	4
16.	पलवल	बस टर्मिनल	2
17.	फरीदाबाद	मेवला रोड कट	2
18.	फरीदाबाद	डीएलएफ कट	2
19.	फरीदाबाद	वाईएमसीए चौक	2
20.	फरीदाबाद	सिकरी गांव कट	2
21.	फरीदाबाद	मेवला रोड कट	2
22.	गुडगांव	नरसिंहपुर	8
23.	गुडगांव	खाडसा बस स्टैंड	8
24.	गुडगांव	हीरो होंडा चौक	8
25.	गुडगांव	राजीव चौक	8

महाराष्ट्र राज्य में 25 ब्लैक स्पोट

क्र.सं.	जिला/टैप	दुर्घटनाओं का अवस्थान	रारा सं.
1	2	3	4
1.	थाणे/मनोर	कुडे से सतीवली	8
2.	थाणे/घोटी	ओल्ड कासरा घाट	3
3.	सतारा/कराड	मल्कापुर	4
4.	पुणे/खंडाला	वकसई	4
5.	जलगांव/पालडी	सेरवे टाउन चौक	6
6.	जलगांव/पालडी	वडजय नाला	6
7.	थाणे/मनोर	शायखेड हवेली	8
8.	पुणे/वडगांव	वडगांव फटा	4
9.	सतारा/कराड	कशील	4
10.	थाणे/शाहपुर	कलम्बी	3

1	2	3	4
11.	थाणे/चरोती	अम्बोली	8
12.	रायगढ़/महाड	सुकेली फटा	17
13.	सतारा/कराड	मसुर फटा	4
14.	ओसमानाबाद/नलदुर्गा	नलदुर्गा घाट	9
15.	जलगांव/पालडी	एकलंगा गांव	6
16.	जलगांव/पालडी	अवतार ढाबा	6
17.	थाणे/शाहपुर	उमबारमली	3
18.	पुणे/वडगांव	कामसेट	4
19.	थाणे/चरोती	वरवडा	8
20.	पुणे/वडगांव	सेंटर चौक (देहू रोड)	4
21.	नागपुर/रामटेक	वदोदा	6
22.	ओसमानाबाद/नलदुर्गा	मलूप शिवर	211
23.	कोल्हापुर/उजलईवडी	टोप गांव से कसर वाडी	4
24.	रायगढ़/पालसपे	जेते गांव	17
25.	बुलधाना/मल्कापुर	दसारखेड	6

मध्य प्रदेश राज्य में 25 ब्लैक स्पोट

क्र.सं.	जिला	दुर्घटनाओं का अवस्थान	रारा सं.
1	2	3	4
1.	देवास	नवदा फटा से बारखेड़ा फटा	3
2.	जबलपुर	मोसन, कछपुरा, बरनूतिराहा, खितल, उलदाना पुलिया	7
3.	जबलपुर	कलारी, मोहतास, गोसलपुर संस्करा, पहरेवा नाका	7
4.	जबलपुर	बजरंगवडा, बारगी मोहल्ला	7

1	2	3	4
5.	जबलपुर	चकाहानला, बुरजई तिराहा, मोईलिया तिराहा, फुटाटाल	7
6.	जबलपुर	उसवेर तिराहा, कदराखड़ा, केवलाची	7
7.	भोपाल	सर्माधा	12
8.	भोपाल	बागसेवनिया	12
9.	भोपाल	आनन्द नगर	12
10.	भोपाल	अयोध्या बाइपास	12
11.	भोपाल	सिहोर बाइपास	12
12.	मंदसोर	मल्हार कस्बा	31
13.	मंदसोर	सुथोड	31
14.	मंदसोर	पीपलायामंडी चौपाटी, बही पसरवनाथ फंटा, बोटलगंज चौपाटी, नाका सं. 10	31
15.	शिवपुरी	ईश्वरी गांव के पास और कुल्हाडी के बीच	3
16.	शिवपुरी	कस्बा बडवास	3
17.	शिवपुरी	भागौडा से अमोलाहा तक	25
18.	शिवपुरी	ओल्ड केश्हर अमोलाहा और शिवहरे ढाबा वीरपुर	25
19.	शिवपुरी	न्यू अमोला सं. 1 और 2 के बीच	25
20.	शिवपुरी	पदोरा से मझेरा तक	76
21.	धार	जैतपुर पुलिया, त्रिमूर्ति क्रॉसिंग, हटवाडा होटल, रजनदिनी एरिया	59
22.	नीमच		31
23.	नीमच	सागर ग्राम पुलिया	31
24.	पन्ना	मनोर गांव से हरसा मोड़ तक (16 किमी.)	75
25.	पन्ना	जानवाड गांव मोड़ से बहेरा गांव तक (7 किमी.)	75

राजस्थान राज्य में 25 ब्लैक स्पोट

क्र.सं.	जिला	दुर्घटनाओं का अवस्थान	रारा सं.
1	2	3	4
1.	विश्वकर्मा जयपुर पश्चिम	रोड सं. 1, 5, 6, 9, 12, 14 विश्वकर्मा एरिया	11
2.	जैतपुर जयपुर पश्चिम	जैतपुर	11
3.	बगरू जयपुर पश्चिम	ठिकरिया मोड़	8
4.	बगरू जयपुर पश्चिम	भाकरोटा	8
5.	टीपी नगर जैतपुर पूर्व	घाट की गुणी आगरा रोड	11
6.	कानोता जयपुर पूर्व	माली की कोठी बगराना	11
7.	बजाज नगर जयपुर पूर्व	टोंक पुलिया	12
8.	चाकसू जयपुर दक्षिण	चाकसू	12
9.	शिवदासपुरा जयपुर दक्षिण	शिवदासपुरा	12
10.	श्याम नगर जयपुर दक्षिण	शालीमार बाग से अजमेर रोड क्रॉसिंग	8
11.	शाहपुरा जयपुर ग्रामीण	भाभरू	8
12.	परागपुरा जयपुर ग्रामीण	बस स्टैंड पावटा	8
13.	बहरोड अलवर	बहरोड	8
14.	सदर दौसा	भांडारेज मोड़	11
15.	मनिया धौलपुर	मनिया	
16.	सुमेरपुर पाली	कस्बा सुमेरपुर	
17.	सिरोही	बारीघाट	14
18.	सुखेर उदयपुर	चिरवाघाट से अमरकजी मोड़	8
19.	थाना सुखेर उदयपुर	भुवरना बाइपास	8
20.	थाना सुखेर उदयपुर	कैलाशपुरी	8
21.	प्रताप नगर उदयपुर	प्रतापनगर चौराहा	8

1	2	3	4
22.	गोर्वधन विलास उदयपुर	बलीचा चौराहा	8
23	ब्यावर सदर अजमेर	रानी सागर खारवा	8
.24.	मदनगंज अजमेर	चिरिया बावडी	8
25.	बंदर सिंदरी अजमेर	पाटन तिराहा	8

उत्तर प्रदेश राज्य में 25 ब्लैक स्पोट

क्र.सं.	जिला	दुर्घटनाओं का अवस्थान	रारा सं.
1	2	3	4
1.	अलीगढ़	कायमपुर मोड़	92
2.	लखनऊ	फैजाबाद मोड़ रिंग रोड	28
3.	मथुरा	जयगुरूदेव आश्रम	2
4.	कानपुर नगर	रामादेवी क्रॉसिंग	2
5.	उन्नाव	दही	25
6.	फिरोजाबाद	टुन्डला	2
7.	मऊ	धोसी	29
8.	ललितपुर	महरोनी	
9.	मुरादाबाद	पीएसी टी कांथ रोड	24
10.	बरेली	रामपुरा	24
11.	आगरा	सब्जी मंडी	2
12.	फतेहपुर	ग्राम नौवा बाग	2
13.	मैनपुरी	ब्यावर कस्बा	91
14.	महामाया नगर	हुसैनपुर रतनपुर रोड	91
15.	बिजनौर	किरतपुर रोड	
16.	सहारनपुर	देवबांध जीटी रोड	

1	2	3	4
17.	चित्रकूट	कारवी	76
18.	फैजाबाद	टाउन एरिया	15
19.	शाहजहांपुर	जुमका	
20.	कौशांबी	सायनी	2
21.	ज्योतिबाफूले नगर	सदभावना होटल	24
22.	गोरखपुर	अम्बाला बाइपास नाका	28
23.	औरेया	अजीतमल कस्बा	11
24.	मिर्जापुर	अदल हाट	
25.	इलाहाबाद	फाफामऊ टी.	

पश्चिम बंगाल राज्य में 26 ब्लैक स्पोट

क्र.सं.	जिला	क्षेत्राधिकार पुलिस स्टेशन	रारा सं.
1	2	3	4
1.	नदिया	काटवा मोड़ - नाका शिपरा पीएस	34
2.		चकदाह चौरस्ता मोड़ – चकदाह पीएस	34
3.	उत्तर दिनाजपुर	पुमिया मोड़ – करणडिगी पीएस	34
4.	बुरदवां	पल्ला श्रीरामपोरे मोड़ – बुरदवां सदर पीएस	2
5.		खाना जंक्शन मोड़ – गलासी पीएस	2
6.		पनगढ़ बाजार – कानकसा पीएस	2
7.	पुरबा मेदिनीपुर	मीचादा 5 पोईंट-कोलाघाट पीएस	41
8.		देउलिया बाजार मोड़ – कोलाघाट पीएस	6
9.	हुगली	दनकुनी मोड़/मैत्यापाडा – दनकुनी पीएस	2
10.		एफसीआई क्रॉसिग – दनकुनी पीएस	2
11.	जलपेगुडी	कैनाल रोड अम्बाडी (सुभाष नगर) – भक्तिनगर पीएस	31

1	2	3	4
12.	होवराह ग्रामीण	दुल्हाघाट क्रॉसिंग – संकरेल पीएस	6
13.		ओंकुरहटी क्रॉसिंग – दोमजुर पीएस	
14.	उत्तर 24 परगना	दोलताला क्रॉसिंग – बारासात पीएस	34
15.		डाक बंगला मोड़ क्रॉसिंग – बारासात पीएस	34, 35
16.		चम्पादली मोड़ क्रॉसिंग – बारासात पीएस	35
17.	मुर्शिदाबाद	पंचनातला – बेरहमपोर पीएस	34
18.		गिरजा मोड़ क्रॉसिंग – बेरहमपोर पीएस	34
19.		बरूआ क्रॉसिंग – बेलदंगा पीएस	34
20.	मालदा	रथबाडी क्रॉसिंग – इंग्लिश बाजार पीएस	34
21.		सुकन्ता मोड़ – इंग्लिश बाजार पीएस	34
22.	दार्जिलिंग	झंकार मोड़ – सिलीगुड़ी पीएस	31
23.		एनटीएस मोड़ – सिलीगुड़ी पीएस	31
24.	पश्चिम मेदिनीपुर	डेबरा बाजार – डेबरा पीएस	6
25.		बासनतपोरे-खरगपोरे लोकल पीएस	6
26.	कूचबिहार	खगराबाडी मोड़ – कोतवाली पीएस	31

कर्नाटक राज्य में 25 ब्लैक स्पोट

क्र.सं.	जिला	दुर्घटनाओं का अवस्थान	रारा सं.
1	2	3	4
1.	मैसूर	मैसूर – बंगलौर रोड, नेल्सनमंडेला रोड, केएसआरटीसी डिपो, ईसीए कॉलेज रोड	
2.		ईएलबी रोड – अरसू रोड जंक्शन	
		रेस कोर्स रोड, बन्नूरू रिंग रोड जंक्शन	
3.		मैसूर – नंजनगुडू रोड, गन हाउस सर्किल, चामराजा डबल रोड, कंथराज आरस रोड	

1	2	3	4
4.	तुमकुर	हीरेहल्ली, टीवीएस क्रॉस, कित्संद्रा	4
5.		सिद्दागंगा वूमेन्स कॉलेज – बी.एच. रोड	
		डीएआर आफिस के सामने – बी.एच. रोड	
		अक्का – तांगी लेक – एनएच-4 रोड, बनवारा क्रॉस, टुमकूर-कुनीगल रोड	
6.		उरूकेरे, गेड्डलहल्ली, लिंगपुरा क्रॉस	4
7.	मंगलौर (डीके)	बेरबायलू (एनएच-17), कोंट्टारा चौकी (एनएच-17)	17
8.		बालटिला गांव दसकोडी (एनएच-48)	48
		पुडू गांव मारीपल्ला (एनएच-48)	48
		तुंबे गांव तुंबे (एनएच-48)	48
9.		पुट्टूर टाउन – सत्तीकाल्लू	
10.	हुबली-धारवाड	होसूर क्रॉस	
		बीवीडी कॉलेज के पास, न्यू बस स्टैंड के पास	
		टाडसा क्रॉस (एनएच-4), कुंडागोला क्रॉस (एनएच-4), बांदीवाड़ा क्रॉस (एनएच-63)	4, 63
12.		एम.जी. बैंक के पास नरेंद्र क्रॉस (एनएच-4) मारेवाडा क्रॉस (एसएच)	4
13.	दावनगेरे	अनागोड पार्क क्रॉस, हुन्नूर गोल्लारहट्टी क्रॉस	
14.		हंगनवाडी क्रॉस राजनहल्ली क्रॉस, सिद्दावीरप्पा नेल	4
15.		बडा क्रॉस, हदादी क्रॉस, शामनूर क्रॉस	4
16.	बेलगाम	मछली बाजार, आ.वी.डी. सर्किल, काधरवाड सर्किल,	
17.		एनएच-4 के पास मचंदी गैराज	
		सिविल अस्पताल रोड, इंडाला बाइपास	
18.		बेगुरा सर्किल	
		हड्डी फैक्टरी (एसएच) मरकंडे नाले, होनागा बस स्टैंड (एसएच)	

1	2	3	4
19.	गुलबर्गा	कट्टी संगवी, सिंदगी क्रॉस, मडाबुला क्रॉस	
20.		चिंचोली पद्मा कॉलेज के पास से बसवेश्वरा चौक और बसवेश्वरा चौक से चंदापुरा क्रॉस	
21.		जी.के. क्रॉस रोड, सीदम यादगिर रोड, सीदम गुलबर्गा रोड	
22.	बेल्लारी	गवर्नमेंट पॉलीटेक्नीक रोड	
		पुत्तूर अस्पताल	
		वी. नागाप्पा लेआउट रोड	
		डीसी सर्किल रोड	
23.		कुदीतीनी के पास सांगनाकाल, बेलागल के पास	
24.		व्यासशंकरी आरएन (एनएच-63) केवी टेम्पल (एनएच-13) दसापुर क्रॉस (एनएच-13)	63, 13
25.	मांडया	आंचे चित्तांहाल्ली डबल रोड	
		अपर हल्ली गेट, मरियप्पा सर्किल	
26.		बेल्लूरू क्रॉस के पास, आयरन ब्रिज	

नागालैंड राज्य में ब्लैक स्पोट

क्र.सं.	जिला	दुर्घटनाओं का अवस्थान	रारा सं.
1	2	3	4
1.	मोकोकचुंग	कोमोस हॉल के पास पीएस-1 एमकेजी से 1 किमी. दूर	61
2.	मोकोकचुंग	दीखू नदी के पास पीएस-1 एमकेजी से 15 किमी. दूर	
3.	मोन	मोन हेडक्वार्टर से 45 किमी.	
4.	दीमापुर	पुमा बाजार	29
5.	मोकोकचुंग	सेवक गेट के पास पीएस-1 एमकेजी से 3 किमी. दूर	61
6.	मोकोकचुंग	जिला जेल के पास पीएस-1 एमकेजी से 2 1/2 किमी. दूर	
7.	त्यूनसांग	त्यूनसांग टाउन से स्पॉट से कुथूर रोड 0 किमी. से 3 किमी.	155

1	2	3	4
8.	त्यूनसांग	0 किमी. से पीएस टीएसजी टावर क्लॉक जंक्शन	155
9.	त्यूनसांग	0 किमी. से पीएस टीएसजी बाजार प्वाइंट, बाजार 'ए' जंक्शन	155
10.	त्यूनसांग	वावशो गांव रोड 0 किमी. से 32 किमी. से नोकलाक टाउन से स्पॉट	155
11.	कोहिमा	लेरी जंक्शन	29
12.	कोहिमा	एनएसटी गैराज	29
13.	कोहिमा	दिमोरी कोव के पास	29
14.	कोहिमा	खुजामा गांव और खुजामा पीएस के बीच	29
15.	दीमापुर	नाहरबाड़ी जंक्शन	29
16.	दीमापुर	पदुमपुखुरी	29
17.	दीमापुर	तीसरा मील	29
18.	दीमापुर	एयरपोर्ट जंक्शन	29
19.	दीमापुर	चौथा मील	29
20.	दीमापुर	ग्रीन पार्क जंक्शन	29
21.	दीमापुर	छेड़या जंक्शन	29
22.	दीमापुर	छठा मील	29
23.	दीमापुर	सातवां मील	29
24.	दीमापुर	छुमूकेडिमा	29
25.	दीमापुर	कुरीडोलोन्हे	29
26.	दीमापुर	गोरनापानी	29
27.	दीमापुर	मेडजीफेमा	29
28.	दीमापुर	फेरिमा	29
29.	दीमापुर	ब्लू हिल स्टेशन	

1	2	3	4
30.	दीमापुर	वाल्फोर्ड	
31.	दीमापुर	धनसारी ब्रिज	29
32.	दीमापुर	ट्रैगोपान	29
33.	दीमापुर	गोरापटी	29
34.	दीमापुर	दंकान	
35.	दीमापुर	सब जेल जंक्शन	36
36.	दीमापुर	फाइरिंग रेंज	36

तमिलनाडु राज्य में ब्लैक स्पोट

क्र.सं.	जिला	दुर्घटनाओं का अवस्थान	रारा सं.
1	2	3	4
1.	कांचीपुरम	वंडालूर-मामनदूर	45
2.	कांचीपुरम	मधुरंतागाम – मामनदूर	45
3.	कांचीपुरम	मधुरंतागाम – थोजूपेडू	45
4.	कांचीपुरम	छेतीपोडू – एल एंड टी कं.	45
5.	कांचीपुरम	कोवलम – वायलूर चेक पोस्ट	एसएच-49
6.	वेल्लौर	वालजा टोलगेट – वेल्लौर	46
7.	वेल्लौर	वेल्लौर – अंबूर	46
8.	तिरूवल्लूर	शोलावरम – आरामबक्कम	7
9.	तिरूवन्नामल्लाई	विरूथूविलंगिनम – कन्नमंगलम	एसएच-9
10.	विल्लूपुरम	ओलाकुर – विल्लूपुरम बाइपास	45
11.	विल्लूपुरम	विल्लूपुरम – उलूंडरपेट	45
12.	विल्लूपुरम	उलूंडरपेट – चिन्नासीलम	68
13.	विल्लूपुरम	पोंडी बॉर्डर – जिंजी सत्यमंगलम	66
14.	कुड्डालोर	कुड्डालोर – नाथम	एसएच-68

1	2	3	4
15.	कुड्डालोर	कुड्डालोर – चिंदबरम	45ए
16.	कोयंबटूर	करात्तूमेडू – निलीपलयम	209
17.	ईरोड	कावेरी न्यू ब्रिज – कल्लिमपुडूर	47
18.	सलेम	दीवात्तीपट्‌टी – सेलम	7
19.	सलेम	थलाईवासल – सलेम	68
20.	सलेम	थोपूर – मूत्तूर	एसएच-20
21.	नामक्कल	पल्लीपलयम – थिम्मनैकाम्पट्‌टी	एसएच-95
22.	धर्मापुरी	धर्मापुरी – करीमंगलम	7
23.	त्रिची	वैयमपट्‌टी – थंगमपट्‌टी	45
24.	त्रिची	थुरूवरनकुरीची – पुलुथीपट्‌टी	45
25.	करूर	कुलीथलाई – थेन्नीलई	67
26.	करूर	अरवाकुरीची – कुलीथलाई	7
27.	तंजावूर	तंजावूर – पुथूकुडी	67
28.	डिंडीगुल	थुमैयापुरम – पांडियाराजपुरम	7
29.	डिंडीगुल	डिंडीगुल बाइपास – सामीनाथपुरम	209
30.	थेनी	कुमुली – बोडी विल्लाकू	220
31.	मदुरै	पुलिथीपट्‌टी – एमएमएम अस्पताल	45बी
32.	मदुरै	पांडियाराजपुरम – विलंगुडी चेक पोस्ट	7
33.	मदुरै	पासूमलाई – आवलसूरनपट्‌टी विल्लाकू	7
34.	विरूद्धनगर	उस्लिमापट्‌टी बॉर्डर – थोट्‌टीलमपट्‌टी विल्लाकू	7
35.	रामनद	रामनद – धनुषकोडी	49
36.	तुथूकुडी	तूतीकोरीन – कोडंगीपट्‌टी (विरूद्धनगर सीमा)	45बी
37.	कन्याकुमारी	कावलकिनारू – आरलवैमाझी	47

विदेश व्यापार

प्रतिबंधित सामग्रियों का आयात

558. **श्री नृपेन्द्र नाथ राय :**
श्री मनोहर तिरकी :

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिबंधित सामग्रियों का हमारे देश में अवैध आयात होता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में देश के विभिन्न पत्तनों पर हथियार, राकेट शैल, औषधियां, बम और इलेक्ट्रॉनिक कचरा सहित अवैध रूप से आयातित प्रतिबंधित सामग्री का पत्तन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन वस्तुओं का पता लगाना सुनिश्चित करने के लिए सभी पत्तनों पर स्कैनर लगाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) से (ङ) राजस्व विभाग से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

395-96

जम्मू और कश्मीर घाटी में स्थिति

559. **डॉ. रत्ना डे : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय घाटी में पूरी तरह से सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कोई ठोस योजना बनाने की सोच रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो आज की स्थिति के अनुसार कश्मीर की स्थिति क्या है;

(घ) कश्मीर में पूरी तरह से सामान्य स्थिति लाने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गयी है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कश्मीर घाटी में कितने नागरिक और आतंकवादी मारे गए?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) सरकार द्वारा की गई लगातार पूर्व सक्रिय आंतकरोधी संक्रियाओं के कारण जम्मू और कश्मीर में स्थिति सामान्य हुई है। घाटी में कश्मीरी प्रवासियों की वापसी/पुनर्वास के लिए 2008 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 1618.14 करोड़ रुपए के एक व्यापक पैकेज की घोषणा की गई थी जिसमें आवास, अस्थाई आवास, नकद राहत जारी रखने, छात्रों को छात्रवृत्तियां, रोजगार, कृषकों/बागवानी विशेषज्ञों को वित्तीय सहायता तथा ऋणों पर लगाने वाले ब्याज को माफ करना शामिल है। सरकार प्रवासियों के घाटी में स्थाई पुनर्वास हेतु उपलब्ध सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है।

(घ) पिछले वर्ष के दौरान सुरक्षा संबंधी व्यय (पुलिस) तथा एसआरई (राहत तथा पुनर्वास) के तहत राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति के लिए आबंटित निधियां इस प्रकार है:—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	एसआरई (पी)		एसआरई (आरएण्डआर)	
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
2009-10	168	168	210	120
2010-11	200	460	100	60
2011-12	200	345.68	81.55	111.60
2012-13 (आज तक)	290		100	

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान जम्मू तथा कश्मीर में मारे गए सिविलियनों तथा आतंकवादियों की संख्या इस प्रकार है:—

वर्ष	सिविलियन	आतंकवादी
2009	71	245
2010	47	238
2011	31	95
2012	13 (31 अक्तूबर तक)	58 (आज तक)

397-98 गंगा स्वच्छता नदी

मिशन स्वच्छ गंगा

560. **श्री प्रदीप माझी :**
श्री भर्तृहरि महताब :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ता शहरीकरण और औद्योगिकीकरण गंगा नदी में प्रदूषण का मुख्य कारण है और यह इसकी पारिस्थितिकी और जल संबंधी व्यवहार्यता के लिए भी खतरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गंगा नदी हेतु व्यापक नदी बेसिन प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए किसी कंसोरटियम का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा मिशन स्वच्छ गंगा के अंतर्गत नदी को साफ करने के लिए प्राधिकरण ने क्या योजना बनायी है;

(ङ) प्राधिकरण अपने उद्देश्यों की पूर्ति कहां तक कर पाया है;

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है; और

(छ) उक्त मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु अनुमोदित विश्व बैंक सहायता का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) जी, हां, बढ़ता शहरीकरण तथा औद्योगिकीकरण गंगा नदी में प्रदूषण का मुख्य कारण है और यह इसकी पारिस्थितिकी और जल संबंधी व्यवहार्यता के लिए भी खतरा है। विभिन्न शहरों से औद्योगिक तथा घरेलू अपशिष्टों के निस्सारण के कारण गंगा नदी की जल गुणवत्ता प्रभावित हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, गंगा नदी के किनारे बसे शहरों से प्रतिदिन लगभग 2900 मिलियन लीटर मलजल उत्पन्न होता है। गंगा और इसकी सहायक नदियों-काली तथा रामगंगा के मुख्य मार्ग में स्थित 5 राज्यों में 764 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग (जीपीआई) हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने मंत्रालय और आईआईटी कंसोरटियम के बीच दिनांक 06.07.2010 को एक समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर करके गंगा नदी बेसिन योजना (जीआरबीएमपी) तैयार करने के लिए सात आईआईटी का एक कंसोरटियम गठित किया है। इस योजना में, नदी प्रणाली के संरक्षण के मौलिक पहलुओं को सुनिश्चित करते हुए जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, औद्योगीकरण और कृषि को समायोजित करने के लिए गंगा बेसिन में पानी और ऊर्जा की आवश्यकताओं पर विचार किया जाएगा। जीआरबीएमपी के अंतर्गत आईआईटी कंसोरटियम ने अब तक 23 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं।

(ङ) से (छ) राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) ने अपनी प्रथम बैठक में संकल्प किया है कि स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ष 2020 तक कोई अशोधित नगरीय मलजल और औद्योगिक बहिस्राव गंगा में नहीं बहाया जाए और आवश्यक उपचार तथा मलजल अवसंरचना के सृजन के लिए अपेक्षित निवेश में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच उचित हिस्सेदारी हो। एनजीआरबीए कार्यक्रम के अंतर्गत 2598 करोड़ रुपए की परियोजनाएं पहले ही मंजूर की जा चुकी हैं। प्राधिकरण के अंतर्गत, राज्यों में स्वीकृत परियोजनाओं के लिए अब तक 469.30 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। इसके अतिरिक्त, एनजीआरबीए के अंतर्गत राज्यों में कार्यान्वयन के लिए 7000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से गंगा नदी के प्रदूषण उपशमन हेतु विश्व बैंक की सहायता से एक परियोजना को मंजूरी दी गई है।

[हिन्दी] इस्पात प्रदूषण 398-412

इस्पात उद्योगों द्वारा होने वाला प्रदूषण

561. **श्री जगदीश शर्मा :**
श्री वैजयंत पांडा :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र की एक रिपोर्ट के अनुसार उच्च स्तरीय पर्यावरणीय और संरक्षा प्रबंधन प्रणाली हेतु प्रमाणीकरण प्राप्त करने के बावजूद लौह और इस्पात उद्योग पर्यावरणीय मानदंडों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या सरकार इन उद्योगों के लिए पर्यावरणीय मानदंड और मानक बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इन उद्योगों को दी गई पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी समीक्षाओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) और (ख) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बारह मुख्य एकीकृत लौह और इस्पात संयंत्रों में से दो संयंत्र अनुपालन न करते हुए पाए गए थे। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत बोकारो इस्पात संयंत्र, बोकारो को और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18 (1)(ख) के अंतर्गत झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को, भारतीय लौह और इस्पात कंपनी (आईआईएसजीओ) इस्पात संयंत्र, बर्नपुर के लिए निर्देश जारी किए गए थे (विवरण-I)। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत सात स्पंज लौह संयंत्रों को, सोलह स्पंज लौह संयंत्रों से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए और वायु (प्रदूषण निवारण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा (1)(ख) के अंतर्गत झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्य बोर्डों को भी निर्देश जारी किए गए थे (विवरण-II)।

(ग) और (घ) वर्ष 2012 में धमन भट्टी और बेसिक ऑक्सीजन भट्टी के विकास/सुधार के साथ लौह और इस्पात क्षेत्र के लिए मानक सुव्यवस्थित किए गए हैं।

विवरण-I

वायु अधिनियम, 1981 की धारा 18(1)(ख) के और जल अधिनियम, 1974 अंतर्गत निदेश

क्र.सं.	उद्योग का नाम	अनुपालन नहीं किया गया	स्थिति
1	2	3	4
1.	मैसर्स तायो रोल्स लिमिटेड, खरसावा, सीजी	• एपीसीडी प्रचालन में नहीं है। • बहिस्राव मानकों का अनुपालन नहीं किया गया • भारी अस्थाई उत्सर्जन	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18(1)(ख) के अंतर्गत 11 नवंबर, 2009 को जेएसपीसीबी को निदेश जारी किए गए थे। जेएसपीसीबी ने 24 फरवरी, 2010 को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) की धारा 31 के अंतर्गत निदेश जारी किए थे। उद्योग को प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों के उन्नयन हेतु तीन महीने का समय दिया गया था। उद्योग का निरीक्षण करने और अनुपालन की वर्तमान स्थिति उपलब्ध कराने के लिए एमएस, जेएसपीसीबी ने क्षेत्रीय अधिकारी, जमशेदपुर को लिखा था। वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) की धारा 31क के अंतर्गत निदेशों का अनुपालन ने करने के कारण दिनांक 6.12.10 की सुनवाई के दौरान कारण बताओ नोटिस के संलग्न कार्यवृत्त युक्त पत्र जेएसपीसीबी को प्राप्त हुआ था। इकाई को, 2 महीने के भीतर निदेशों का अनुपालन करने, 10 लाख रुपए की बीजी प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। एसपीसीबी को अनुवर्तन पत्र लिखा गया। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। वर्तमान अनुपालन स्थिति बताने के

1	2	3	4
			लिए एसपीसीबी को दोबारा अनुवर्तन पत्र भेजा गया था।
2.	मैसर्स फाउंडरी फोर्ज प्लांट, हैवी इंजीनियरिंग को-आपरेशन, रांची, सीजी	• एपीसीडी प्रचालन में नहीं है। • बहिस्राव मानकों का अनुपालन नहीं किया गया	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18 (1) (ख) के अंतर्गत 09 फरवरी, 2010 को जेएसपीसीबी को निदेश जारी किए गए थे। एसपीसीबी को अनुवर्तन पत्र लिखा गया। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। वर्तमान अनुपालन स्थिति बताने के लिए एसपीसीबी को दोबारा अनुवर्तन पत्र भेजा गया था।
3.	मैसर्स ऊषा मार्टिन लिमिटेड, तातिसवाइ, रांची, सीजी	• सीपीपी, एसएमएस, डब्ल्यूएचआरबी से पीएम उत्सर्जन निर्धारित मानकों से अधिक हो रहे हैं	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18 (1) (ख) के अंतर्गत जेएसपीसीबी को 16 जुलाई, 2010 को निदेश जारी किए गए थे। धार के संसद सदस्य श्री जी.एस. राजूखेडी से प्राप्त शिकायत के अनुसरण में जेडओ(के) और जेएसपीसीबी द्वारा संयुक्त रूप से उद्योग का पुन: निरीक्षण किया गया था। उल्लंघन की जांच की गई है। वायु अधिनियम की धारा 18 (1) (ख) और जल अधिनियम, 1974 के अंतर्गत निदेश दिए गए हैं। एसपीसीबी को अनुवर्तन पत्र लिखा गया। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। वर्तमान अनुपालन स्थिति बताने के लिए एसपीसीबी को दोबारा अनुवर्तन पत्र भेजा गया था।
4.	मैसर्स जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सिल्तारा, रायपुर, सीजी	भारी अस्थाई उत्सर्जन	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18 (1) (ख) के अंतर्गत 16 नवंबर, 2009 को निदेश जारी किए गए थे। अनुपालन स्थिति की जांच करने के लिए जेडओ (बी) ने 26 फरवरी, 2011 को उद्योग का निरीक्षण किया गया था। यह पाया गया कि उद्योग द्वारा में सीपीसीबी द्वारा जारी किए गए निदेशों का आंशिक रूप से अनुपालन किया जा रहा है। एसपीसीबी को अनुवर्तन पत्र लिखा गया। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। वर्तमान अनुपालन स्थिति बताने के लिए एसपीसीबी को दोबारा अनुवर्तन पत्र भेजा गया था।
5.	मैसर्स सर्दा एनर्जी खंड मिनरल्स लिमिटेड, सिल्तारा, रायगढ़, सीजी	भारी अस्थाई उत्सर्जन	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18 (1) (ख) के अंतर्गत 15 दिसम्बर, 2009 को निदेश जारी किए गए थे। अनुपालन स्थिति की जांच करने के लिए जेडओ (बी) ने 26 फरवरी, 2011 को उद्योग का निरीक्षण किया था। निदेशों में जारी की गई अधिकांश

1	2	3	4
			शर्तों का अनुपालन होना पाया गया। ईएसएस के अंतर्गत 16 मार्च, 2012 को उद्योग का पुनः निरीक्षण किया गया था। शर्तों का उल्लंघन होना बहुत कम पाया गया था। दिनांक 12.7.12 के पत्र द्वारा यही सूचना देते हुए एसपीसीबी को पत्र भेजा गया था।
6.	मैसर्स जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, रायगढ़, सीजी	• एएफबीसी, बीएफ, पीपी, एसएमएस डब्ल्यूएचआरबी से पीएम उत्सर्जन निर्धारित मानको से अधिक हो रहे हैं • भारी अस्थाई उत्सर्जन	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18 (1) (ख) के अंतर्गत निदेश जारी किए गए थे। अनुपालन स्थिति की जांच करने के लिए जेडओ (बी) ने 1 फरवरी, 2011 को उद्योग का निरीक्षण किया था। जारी किए गए निदेशों की अधिकांश शर्तों का अनुपालन होना पाया गया।
7.	मैसर्स एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड, रायपुर सीजी	• ईंट भट्टा 3, 4 और डब्ल्यूएचआरबी से पीएम उत्सर्जन निर्धारित मानकों से अधिक हो रहे हैं • भारी अस्थाई उत्सर्जन	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18 (1) (ख) के अंतर्गत 23 दिसंबर, 2009 को निदेश जारी किए गए थे। अनुपालन स्थिति की जांच करने के लिए जेडओ (बी) ने 26 फरवरी, 2011 को उद्योग का निरीक्षण किया था। निदेशों में दी गई अधिकांश शर्तों का अनुपालन होना पाया गया। ईएसएस कार्यक्रम के अंतर्गत 6 जनवरी, 2012 को इकाई का पुनः निरीक्षण किया गया था और अनुपालन न होना पाया गया था। वायु अधिनियम, 1981 की धारा 18 (1) (ख) के अंतर्गत संशोधित निदेश जारी किए गए हैं। अनुपालन की वर्तमान स्थिति बताने के लिए एसपीसीबी को अनुवर्ती पत्र भेजा गया।
8.	मैसर्स धनबाद फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, बक्तनेगर, रानीगंज, पश्चिम बंगाल	• भारी अस्थाई उत्सर्जन • खतरनाक अपशिष्ट निपटान सुविधा पर्याप्त नहीं है	दिनांक 29 जून, 2010 को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18 (1) (ख) के अंतर्गत निदेश। एसपीसीबी को अनुवर्तन पत्र लिखा गया। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। वर्तमान अनुपालन स्थिति बताने के लिए एसपीसीबी को दोबारा अनवुर्तन पत्र भेजा गया था।
9.	मैसर्स ऋषभ स्पोंज प्राइवेट लिमिटेड, बांकुरा, पश्चिम बंगाल	• भट्टी से पीएम उत्सर्जन, निर्धारित मानकों से अधिक हो रहे हैं	दिनांक 23 दिसंबर, 2009 को डब्ल्यूबीपीसीबी को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18 (1) (ख) के अंतर्गत निदेश जारी किए गए थे। एसपीसीबी को अनुवर्तन पत्र लिखा गया। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। वर्तमान अनुपालन स्थिति बताने के लिए एसपीसीबी को दोबारा अनुवर्तन पत्र भेजा गया था।

1	2	3	4
10.	मैसर्स अमिया स्टील प्राइवेट लिमिटेड, पश्चिम बंगाल	• भारी अस्थाई उत्सर्जन • खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1989 के अंतर्गत प्राधिकार प्राप्त नहीं है • आपातकालीन छादन से उत्सर्जन	दिनांक 15 जून, 2011 को उद्योग का निरीक्षण किया गया था। दिनांक 13 सितंबर, 2011 के पत्र द्वारा एसपीसीबी को वायु अधिनियम, 1981 की धारा 18(1) (ख) के अंतर्गत निदेश जारी किए गए। एसपीसीबी को अनुवर्तन पत्र लिखा गया। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। वर्तमान अनुपालन स्थिति बताने के लिए एसपीसीबी को दोबारा अनुवर्तन पत्र भेजा गया था।
11.	मैसर्स लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वर्धा, महाराष्ट्र	• एसिड पुन: प्राप्ति संयंत्र से पीएम उत्सर्जन निर्धारित मानकों से अधिक हो रहे हैं।	दिनांक 24 जून, 2011 के दौरान इसका निरीक्षण किया गया था। पीएम उत्सर्जन, विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक पाए गए थे। एसपीसीबी को वायु अधिनियम, 1981 की धारा 18 (1) (ख) के अंतर्गत निदेश जारी किया गया है। एसपीसीबी को अनुवर्तन पत्र लिखा गया। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। वर्तमान अनुपालन स्थिति बताने के लिए एसपीसीबी को दोबारा अनुवर्तन पत्र भेजा गया था।
12.	मैसर्स टाटा मेटालिक्स लिमिटेड, सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र	• बहिस्राव मानकों का अनुपालन न किया जाना	दिनांक 29.12.10 को ईएसएस निरीक्षण किया गया था। दिनांक 4 अप्रैल, 2011 को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18 (1) (ख) और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत निर्देश जारी किए गए। एसपीसीबी को अनुवर्तन पत्र लिखा गया। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। वर्तमान अनुपालन स्थिति बताने के लिए एसपीसीबी को दोबारा अनुवर्तन पत्र भेजा गया था।
13.	मैसर्स विराज प्रोफाइल्स लिमिटेड, तारापुर, महाराष्ट्र	• भारी अस्थाई उत्सर्जन • एपीसीडी और ईटीपी प्रचालन में नहीं है।	दिनांक 11.1.11 को ईएसएस निरीक्षण किया गया था। दिनांक 4 अप्रैल, 2011 को वायु (प्रदूषण) अधिनियम, 1981 की धारा 18 (1) (ख) और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत निदेश जारी किए गए। एसपीसीबी को अनुवर्तन पत्र लिखा गया। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। वर्तमान अनुपालन स्थिति बताने के लिए एसपीसीबी को दोबारा अनुवर्तन पत्र भेजा गया था।
14.	मैसर्स एस्सार स्टील लिमिटेड (पूर्व हाई-ग्रेड पेलेट्स लिमिटेड), आंध्र प्रदेश	कठोर बनाने वाली भट्टी से पीएम उत्सर्जन निर्धारित मानकों से अधिक हो रहे हैं	दिनांक 27-28 अप्रैल, 2011 के दौरान इसका निरीक्षण किया गया था। स्टेक उत्सर्जन और एएक्यू विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक पाए गए थे। धारा 18 (1) (ख) के अंतर्गत निदेश जारी किए गए हैं एसपीसीबी को अनुवर्तन पत्र लिखा गया। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। वर्तमान अनुपालन स्थिति बताने के लिए एसपीसीबी को दोबारा अनुवर्तन पत्र भेजा गया था।

1	2	3	4
15.	मैसर्स बिहार स्पोंज आयरन लिमिटेड, चंदिल, सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड	• आपातकालीन छादन से उत्सर्जन • बहिस्राव मानकों का अनुपालन न किया जाना	दिनांक 26 नवम्बर, 2008 को उद्योग का निरीक्षण किया गया था। दिनांक 24 अप्रैल, 2009 को जेएसपीसीबी को वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18 (1) (ख) के अंतर्गत निदेश जारी किए गए थे। दिनांक 16 जुलाई, 2009 को जेएसपीसीबी ने वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 के अंतर्गत निदेश जारी किए थे। श्री जी.एस. राजूखेडी, एमपी धार से प्राप्त शिकायत के अनुसरण में जेडओ (के) और जेएसपीसीबी द्वारा संयुक्त रूप से उद्योग का निरीक्षण दोबारा किया गया था उल्लंघन पाया गया। वायु अधिनियम, 1981 की 18 (1) (ख) और जल अधिनियम, 1974 के अंतर्गत निदेश जारी किए गए। दिनांक 8 जून, 2011 को जेडओ (के) और जेएसपीसीबी द्वारा संयुक्त रूप से उद्योग का दोबारा निरीक्षण किया गया और उद्योग में अनुपालन किया जा रहा था।
16.	मैसर्स एनटीपीसी एसएआईएल पावर लिमिटेड, राउरकेला, ओडिशा	• सहमति की अवधि समाप्त हो गई • बॉयलर से उत्सर्जन पीएम मानकों से अधिक हो रहे हैं	दिनांक 16 सितंबर, 2010 को ओएसपीसीबी को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18 (1) (ख) के अंतर्गत निदेश जारी किए गए थे। एसपीसीबी को अनुवर्तन पत्र लिखा गया। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। वर्तमान अनुपालन स्थिति बताने के लिए एसपीसीबी को दोबारा अनुवर्तन पत्र भेजा गया था।

विवरण-II

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत निदेश

क्र.सं.	उद्योग का नाम	अनुपालन नहीं किया गया	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	मैसर्स प्रकाश उद्योग लिमिटेड, हाथन्योरा, चंपा	• प्रचालन भट्टियों और एफबीबी दोनों से विविक्त कणों के उत्सर्जन विहित मानदंडों से अधिक पाए गए। • भट्टी का आपातकालीन कैप खोला गया था।	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत 1.07.10 को निदेश जारी किए गए थे। आंचलिक कार्यालय (भोपाल) द्वारा पुनः निरीक्षण किया गया और यह पाया गया कि अनुपालन नहीं किया गया। दिनांक 22.03.11 को बंद करने के आदेश जारी किए गए थे। इस इकाई ने प्रचालन जारी रखा। जिलाधिकारी, चंपा ने बिजली और पानी की आपूर्ति को रोकने के लिए लिखा था। उद्योग द्वारा याचिका दायर की गई और स्थगन आदेश प्राप्त किया गया।

1	2	3	4
		• भारी अस्थाई उत्सर्जन	के.प्र.नि.बो., सीईसीबी और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रतिवादी बनाया गया था। अंतिम सुनवाई के लिए न्यायालय में यह मामला लंबित पड़ा हुआ है।
2.	मैसर्स मौनेट इस्पात और ऊर्जा लिमिटेड, हसौद, रायपुर	• एसबीसी-I और II से विविक्तकण उत्सर्जन विहित सीमाओं के अधिक पाए गए थे। • भारी अस्थाई उत्सर्जन	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत बीजी प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 13.04.10 को निदेश जारी किए गए थे। आंचलिक कार्यालय (बी) द्वारा दिनांक 25.2.11 को पुन: निरीक्षण किया गया था। ऐसा पाया गया कि अनुपालन नहीं किया गया है। 10 लाख रुपए के नए बीजी को प्रस्तुत करने और दिनांक 30.06.11 तक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संशोधन निदेश दिनांक 20.04.11 को जारी किए गए थे। पिछले बीजी को जब्त किया गया था। उद्योग ने दिनांक 17.6.11 को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आंचलिक कार्यालय (बी) द्वारा पुन: निरीक्षण किया गया था। अधिकांशत: अनुपालन पाया गया था। इकाई को पाक्षिक रूप से स्टेक और अस्थाई उत्सर्जन आंकड़ा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। इसका अनुपालन किया गया और आंकड़ें अनुबद्ध सीमाओं के अंदर है। ईएसएस के अंतर्गत उद्योग का हाल ही में निरीक्षण किया गया। थोड़ा-बहुत उल्लंघन पाया गया। अक्तूबर, 2012 तक सुधारात्मक उपाय करने के लिए उद्योग को पत्र भेजा गया।
3.	मैसर्स भूषण स्टील लिमिटेड, नरेन्द्रपुर ढेंकनाल	• रोटरी भट्टी के लिए विविक्त कण उत्सर्जन विहित मानदंडों से अधिक पाए गए • बहिस्राव मानदंडों का गैर-अनुपालन	समयबद्ध कार्य योजना और दस लाख रुपए के बीजी को प्रस्तुत करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, की धारा 5 के अंतर्गत दिनांक 04.05.11 को निदेश जारी किए गए थे। दिनांक 20-21.09.11 को आंचलिक कार्यालय (के) द्वारा पुन: निरीक्षण किया गया था। अधिक उल्लंघन पाया गया। बीजी जब्त किया गया था। भट्टी संख्या सं.-8 को बंद करने के लिए दिनांक 10.01.12 को निदेश जारी किया गया था। उद्योग ने उत्तर प्रस्तुत किया कि तकनीकी समस्याओं के कारण अनुपालन नहीं हुआ। दिनांक 20-21.03.12 के दौरान आंचलिक कार्यालय द्वारा पुन: निरीक्षण किया गया। उद्योग द्वारा अनुपालन किया जा रहा था।
4.	एमएसपी स्टील एवं पावर लिमिटेड, जामगांव, रायगढ़	• फैरो एलॉय स्टेक के विविक्त कण उत्सर्जन विहित मानदंडों से अधिक पाए गए।	दस लाख रुपए का बीजी प्रस्तुत करने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 19.1.12 को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया। बीजी प्रस्तुत किया गया।

1	2	3	4
		• परिवेशी वायु में आरएसपीएम मानदंड से अधिक पाए गए • भारी अस्थाई उत्सर्जन	
5.	मैसर्स कॉरपोरेट इस्पात एलॉय लिमिटेड, सिलतारा औद्योगिक क्षेत्र, रायपुर	• भट्टी और डब्ल्युएचआरबी के ढेर से विविक्त कण उत्सर्जन विहित मानदंडों से अधिक पाए गए। • अधिक फ्युजिटिव उत्सर्जन	अनुपालन सुनिश्चित करने और बीजी प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 27.07.2012 को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया था। दिनांक 25.09.2012 को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत निदेश की पुष्टि की गई। बीजी प्रस्तुत किया गया।
6.	श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड उरला औद्योगिक क्षेत्र, रायपुर	• एफबीसी और डब्ल्यूएचआरबी से स्टेक उत्सर्जन विहित मानदंडों से अधिक पाए गए। • भारी अस्थाई उत्सर्जन	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 5 में अंतर्गत दिनांक 12.7.2012 को नोटिस जारी किया गया। उद्योग ने अनुपालन की सूचना की। आंचलिक कार्यालय को पुन: निरीक्षण हेतु अनुरोध किया गया।
7.	श्री मैटालिक्स, नोएडा पाडा, सीजी	• स्टेक उत्सर्जन विहित मानकों से अधिक पाए गए	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 5 में अंतर्गत नोटिस जारी किया गया। उद्योग ने अनुपालन की सूचना दी। आंचलिक कार्यालय को पुन: निरीक्षण हेतु अनुरोध किया गया।

भारत-चीन सीमा पर रहस्यमयी यूएफओ

562. **श्री मंगनी लाल मंडल : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना की 14वीं कोर ने मुख्यालय को पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत-चीन सीमा पर उड़ रहे रहस्यमयी अज्ञात उड़न तस्तरी की सूचना दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या यूएफओ तथा मानवरहित हवाई वाहन जो कि रडार की पकड़ में नहीं आते के बीच अंतर है और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान (एनटीआरओ) तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के विशेषज्ञ दल भी इस संबंध में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (घ) भारत-चीन सीमा पर उड़ रही रहस्यमयी अज्ञात उड़न तश्तरियों का कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है। सरकार हमारे पड़ोस में घटित हो रहे उन सभी घटनाक्रमों की नियमित रूप से मानीटरी कर रही है जिनका राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। भारत की संप्रभुता, प्रादेशिक अखण्डता और सुरक्षा की हिफाजत के लिए रक्षा तैयारियों का वांछित स्तर प्राप्त करने के लिए अवसंरचना और संक्रियात्मक क्षमताओं का विकास करके आवश्यक उपाय शुरू किए गए हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में अनैतिक और भ्रष्ट व्यवहार

563. **श्री इन्दर सिंह नामधारी : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विश्व बैंक वित्तपोषित राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)

परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनमें विश्व बैंक इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी यूनिट ने गंभीर अनियमितताएं पायी हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा भी इन अनियमितताओं में संलिप्त एनएचएआई अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गयी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) विश्व बैंक की संस्थानिक सत्यनिष्ठा इकाई ने अपनी रिपोर्ट में यह आरोप लगाया है कि बिहार राज्य में लखनऊ-मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना (एलएमएनएचपी) के अंतर्गत ठेका पैकेज डब्ल्यूबी-9, डब्ल्यूबी-10 और डब्ल्यूबी-12 के संबंध में, उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य में ग्रेंडट्रंक सड़क सुधार परियोजना (जीटीआरआईपी) के अंतर्गत ठेका पैकेज IV-ए के संबंध में और झारखंड राज्य में तृतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना (टीएनएचपी) के अंतर्गत ठेका पैकेज V-सी के संबंध में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं का निष्पादन करने वाली कुछ कंपनियों ने प्रतिबंध लगाए जाने योग्य कृत्य किए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (च) जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को गुणता की दृष्टि से परियोजना के परिणाम पर अथवा परियोजना पूरी होने पर सामने आने वाले परिणामों की पुष्टि करने और ठेकेदारों/पर्यवेक्षण परामर्शदाताओं के साथ किए गए करारों के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि यदि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के किसी भी अधिकारियों की ओर से होने वाले किसी भी दुराचार अथवा कदाचार पाया जाता है तो सेवा नियमों के अनुसार उपयुक्त समझे जाने वाली उचित कार्रवाई करे।

सशस्त्र बलों की युद्धक क्षमता

564. श्री पी. करुणाकरन :
श्री रामचन्द्र डोम :
श्री एम.बी. राजेश :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम होती युद्धक क्षमता के कारण सामान्य रूप से सशस्त्र बल और विशेषकर सेना चिंता का कारण बनती जा रही है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि 2003 से 1018 सैनिकों ने आत्महत्या की है और उसके कारण घरेलू समस्याएं, मानसिक परेशानियां, तनाव और वित्तीय समस्याएं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार सैनिकों का मनोबल और युद्धक क्षमता बढ़ाने और तनाव से उबारने के लिए सैनिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई कड़े कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नई आईटीआई

565. श्री पी.टी. थॉमस : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कौशल विकास योजना स्कीम के क्रियान्वयन की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) आज की तारीख तक उक्त स्कीम के अंतर्गत स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) देश में नई आईटीआई तथा कौशल विकास केन्द्र प्रारंभ करने हेतु चिन्हित ब्लॉकों का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) और (ख) "कौशल विकास योजना" नामक योजना

की अनुमोदन प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। योजना आयोग और व्यय वित्त समिति से परामर्श करके सार्वजनिक निजी भागीदारी संरचना को अंतिम रूप दिया गया है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियों हेतु योजना का ज्ञापन परिचालनाधीन है। इस योजना के तहत अभी तक किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना नहीं की गई है। योजना का कार्यान्वयन सरकार के अनुमोदन के पश्चात् ही किया जा सकता है।

(ग) विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से देश में सेवारहित प्रखंडों के ब्यौरे पहले ही प्राप्त हो गए हैं। ऐसे खंडों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

देश में सेवारहित प्रखंडों की सूची

क्र. सं.	राज्य का नाम	सेवारहित प्रखंडों की संख्या
1	2	3
1.	ओडिशा	174
2.	झारखंड	182
3.	अरुणाचल प्रदेश	79
4.	नागालैंड	44
5.	गोवा	1
6.	त्रिपुरा	33
7.	केरल	43
8.	मध्य प्रदेश	199
9.	असम	200
10.	बिहार	467
11.	हरियाणा	90
12.	गुजरात	47
13.	तमिलनाडु	68
14.	मेघालय	29
15.	सिक्किम	2
16.	उत्तर प्रदेश	474
17.	उत्तराखंड	09
18.	पुदुचेरी	00
19.	पंजाब	43
20.	पश्चिम बंगाल	296
21.	कर्नाटक	09
22.	हिमाचल प्रदेश	06
23.	राजस्थान	122
24.	आंध्र प्रदेश	102
25.	लक्षद्वीप	01
26.	छत्तीसगढ़	69
27.	महाराष्ट्र	शून्य
28.	जम्मू और कश्मीर	37
29.	दिल्ली	शून्य
30.	चंडीगढ़	शून्य
31.	दादरा और नगर हवेली	शून्य
32.	मणिपुर	19
33.	मिजोरम	19
34.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4
35.	दमन और दीव	शून्य
	कुल	2868

जवानों के लिए बढ़िया जूते

566. श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री ए. गणेशमूर्ति :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रक्षा बलों के जवानों को बढ़िया शारीरिक प्रशिक्षण जूते मुहैया नहीं कराए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जवानों को विशेष रूप से तैयार किए गए युद्धक जूतों की आपूर्ति कराने का मुद्दा भी विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जवानों को ये दो आवश्यकता वस्तुएं कब तक मुहैया कराई जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ङ) सरकार ने जवानों के लिए ब्राउन शारीरिक प्रशिक्षण (पी.टी.) जूतों के स्थान पर बेहतर शारीरिक प्रशिक्षण जूते शुरू करने का निर्णय लिया है। इनकी अधिप्राप्ति की प्रक्रिया चल रही है। पुराने युद्धक जूतों को बदलकर युद्धक जूतों की नई किस्म (बूट डीवीएस हाई एंकल) पहले ही शुरू कर दी गई है। इन मदों की अधिप्राप्ति निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार की जाती है।

कपास निर्यात

567. श्री वरुण गांधी :
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में दरों की तुलना में कम वैश्विक दरों के कारण कपास निर्यात व्यवहार्य नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा निर्यात हेतु नए बाजार की तलाश करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उपरोक्त के मद्देनजर कपास निर्यात पर प्रतिबंध पर पुनर्विचार करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या समाज के विभिन्न वर्गों ने सरकार से इस प्रतिबंध के विरुद्ध शिकायतें की हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) और (ख) पिछले कपास मौसम के दौरान ओवन-स्टोकिंग और निम्न वैश्विक मिल मांग के कारण अंतर्राष्ट्रीय कपास के मूल्यों में गिरावट आई है। घरेलू कपास मूल्य वैश्विक मूल्य गिरावट रूख के अनुरूप हैं, लेनिक बहुत कम स्तर पर है ताकि अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मूल्यों के बीच अंतर पर्याप्त रूप में कम हो जाते हैं और कभी-कभी नकारात्मक हो जाते हैं। वर्ष 2011-12 कपास मौसम के लिए भारत का कपास निर्यात 129 लाख गांठों तक पहुंच गया है जो अब तक के निर्याप्त निष्पादन से सबसे अधिक है। कपास सलाहकार बोर्ड ने कपास मौसम 2012-13 के लिए 334 लाख गाठों के उत्पादन का और 70 लाख गांवों के निर्यात योग्य अधिशेष का अनुमान लगाया है। 5 नवम्बर, 2012 तक 4.5 लाख गांठों के निर्यात पंजीकरण की सूचना दी गई है। कपास का व्यापार सुस्थापित व्यापार मार्गों को अपनाता है।

(ग) कपास मौसम 2012-13 के लिए कपास निर्यात श्रेणी पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(घ) फिलहाल कपास के निर्यात पंजीकरण की निर्धारित प्रक्रिया के अध्यधीन खुले सामान्य लाइसेंस पर हैं।

(ङ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विनिर्माण कामगार कल्याण उपकर

568. श्री धनंजय सिंह :
श्री पी.आर. नटराजन :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भवन तथा अन्य विनिर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत निर्माण स्थल पर नियोक्त द्वारा दिए जाने वाले उपकर का उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस अधिनियम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार कुल कितना उपकर एकत्र किया गया है और

अब तक कितने कल्याण उपाय किए गए हैं तथा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ग) क्या सरकार का उपरोक्त लेवी के भुगतान के संबंध में नियोक्ता द्वारा उल्लंघन की कोई शिकायत प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं कि नियोक्ता भवन तथा अन्य विनिर्माण कामगार कल्याण कोष में अपना अंशदान दें?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) उपकर एकत्र करने और कल्याणकारी कार्यकलापों के लिए इसका उपयोग करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों तथा राज्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्डों का है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम के अंतर्गत, प्राधिकारियों को निर्धारित तारीख के अंदर उपकर की धनराशि जमा कराने में असफल रहने वाले नियोजक पर शास्ति लगाने तथा इस अधिनियम के अंतर्गत देय किसी धनराशि की वसूली करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

विवरण-I

राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत एकत्र किए गए कुल उपकर का राज्य-वार ब्यौरा निम्नवत् है

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	30.09.2012 की स्थिति के अनुसार एकत्र किए गए उपकर की धनराशि (करोड़ रुपये)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	625
2.	अरुणाचल प्रदेश	22.96
3.	असम	82.08
4.	बिहार	144.47
5.	छत्तीसगढ़	144.09
6.	गोवा	5.68
7.	गुजरात	190.22
8.	हरियाणा	489.91
9.	हिमाचल प्रदेश	51.22
10.	जम्मू और कश्मीर	0
11.	झारखंड	21.09
12.	कर्नाटक	1000.32
13.	केरल	546.88
14.	मध्य प्रदेश	675.50
15.	महाराष्ट्र	271.2
16.	मणिपुर	0
17.	मेघालय	0
18.	मिजोरम	0
19.	नागालैंड	0
20.	ओडिशा	207.81
21.	पंजाब	211.32
22.	राजस्थान	261.82
23.	सिक्किम	0
24.	तमिलनाडु	463.27

1	2	3
25.	त्रिपुरा	29.69
26.	उत्तर प्रदेश	447.68
27.	उत्तराखंड	19.17
28.	पश्चिम बंगाल	290.62
29.	दिल्ली	802.94
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10.37
31.	चंडीगढ़	20.43
32.	दादरा और नगर हवेली	0.17
33.	दमन और दीव	0.73
34.	लक्षद्वीप	0
35.	पुदुचेरी	20.65
	कुल	7057.29

विवरण-II

राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान निर्माण उपकर के रूप में एकत्र की गई कुल धनराशि और उपयोग की गई धनराशि निम्नवत् है

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	एकत्र किया गया उपकर (करोड़ रुपये)	व्यय की गई धनराशि (करोड़ रुपये)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	468	31.88
2.	अरुणाचल प्रदेश	21.77	4.11
3.	असम	77.48	0.35
4.	बिहार	127.42	14.55
5.	छत्तीसगढ़	76.3	4.47
6.	गोवा	5.68	0
7.	गुजरात	74.59	0.41
8.	हरियाणा	407.03	7.46
9.	हिमाचल प्रदेश	51.22	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0
11.	झारखंड	20.85	0.11
12.	कर्नाटक	811.35	10.81
13.	केरल	242.48	211.40
14.	मध्य प्रदेश	364.72	139.62
15.	महाराष्ट्र	269.85	0.7
16.	मणिपुर	0	0
17.	मेघालय	0	0
18.	मिजोरम	0	0
19.	नागालैंड	0	0
20.	ओडिशा	167.85	0.08
21.	पंजाब	206.82	3.03
22.	राजस्थान	159.66	2.29
23.	सिक्किम	0	0
24.	तमिलनाडु	200.03	135.03
25.	त्रिपुरा	22.60	0.1278
26.	उत्तर प्रदेश	307.2	3.54
27.	उत्तराखंड	9.3	0.03

1	2	3	4
28.	पश्चिम बंगाल	212.74	4.53
29.	दिल्ली	576.89	55.13
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	9.13	0.05
31.	चंडीगढ़	14.96	0.47
32.	दादरा और नगर हवेली	0.16	0
33.	दमन और दीव	0.73	0
34.	लक्षद्वीप	0	0
35.	पुदुचेरी	6.05	1.33
	कुल	4912.86	631.5078

[हिन्दी]

बुनकरों की स्थिति

569. श्री के.डी. देशमुख :
श्री दारा सिंह चौहान :
श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण :
श्री निशिकांत दुबे :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हथकरघा बुनकरों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) अद्यतन हथकरघा जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार कितने बुनकरों को फोटो पहचान पत्र/क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं;

(ग) पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत योजना-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि आबंटित/जारी और उपयोग की गयी है तथा इस क्षेत्र के विकास हेतु सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई स्कीमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश के कई भागों में अपने परंपरागत व्यवसाय में लगे बुनकरों को अन्य वैकल्पिक व्यवसाय अपनाने को बाध्य किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विशेषकर महाराष्ट्र और झारखंड में बुनकरों की दयनीय दशा सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) अखिल भारतीय हथकरघा संगणना (2009-10) के अनुसार 43.31 लाख हथकरघा बुनकर और सहायक कामगार हथकरघा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) अब तक 3112912 बुनकरों को पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं जिनमें से 169610 बुनकर उत्तर प्रदेश के हैं। इसी प्रकार अब तक 12454 क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिनमें से 4151 बुनकर उत्तर प्रदेश के हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है:—

(ग) हथकरघा और हथकरघा बुनकरों के समग्र विकास और कल्याण के लिए भारत सरकार निम्नलिखित योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है:—

हथकरघा क्षेत्र के लिए व्यापक पैकेज : हथकरघा क्षेत्र के लिए सस्ते ऋण और सस्ते हैंक यार्न की दो महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने हथकरघा क्षेत्र के लिए व्यापक पैकेज का अनुमोदन किया है। व्यापक पैकेज के घटकों को वर्तमान दो योजना स्कीमों अर्थात् सस्ते ऋण की उपलब्धता के लिए एकीकृत हथकरघा विकास योजना' और सब्सिडी प्राप्त हैंक यार्न की उपलब्धता के लिए मिल गेट कीमत योजना के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। हथकरघा बुनकर को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार प्रति बुनकर 4200/- रुपये की दर से मार्जिन राशि की सहायता, 3 वर्षों के लिए 3% वार्षिक की दर से ब्याज प्रतिदान प्रदान करेगी। उचित कीमतों पर यार्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने घरेलू सिल्क यार्न और कॉटन यार्न पर 10% कीमत सब्सिडी का अनुमोदन किया है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के यार्न की ढुलाई के लिए माल भाड़े की प्रतिपूर्ति की दर को भी बढ़ा दिया गया है ताकि ईंधन की बढ़ी हुई लागत को समायोजित किया जा सके। विगत वित्तीय वर्ष 2011-12 और 12वीं योजना अवधि के दौरान इन प्रस्तावों के कार्यान्वयन में शामिल अनुमानित वित्तीय परिव्यय 2362.15 करोड़ रुपये है। वित्तीय पैकेज के तहत 3 लाख हथकरघा बुनकरों

और 15,000 सहकारी सोसाइटियों को पहले ही शामिल किया जा चुका है।

उपर्युक्त के अलावा भारत सरकार, बुनकरों की स्थिति में सुधार लाने और हथकरघा क्षेत्र के समग्र और निरंतर विकास के लिए कल्याणकारी उपाय करने और आवश्यकता पर आधारित हस्तक्षेपों को ध्यान में रखते हुए 11वीं योजना के दौरान पांच योजनाएं कार्यान्वित कर रही है:—

(i) **एकीकृत हथकरघा विकास योजना :** में 300-500 हथकरघों के समूह (क्लस्टर) अथवा 10-100 बुनकरों के समूह (ग्रुप) को आवश्यकता पर आधारित निविष्टियों (इनपुट) की व्यवस्था है ताकि उनको मार्जिन धन, नए करघों तथा अतिरिक्त पुर्जे, कौशल उन्नयन, विपणन के अवसर और वर्कशेड के निर्माण इत्यादि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें स्व-संपोषणीय बनाया जा सके। ब्यौरे विवरण-III में दिए गए हैं।

(ii) **विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना :** बुनकरों तथा उनके संगठनों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोजनों में भाग लेने और क्रेताओं को अपना माल सीधे बेचने के लिए मंच उपलब्ध कराती है। ब्यौरे विवरण-IV में दिए गए हैं।

(iii) **हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना :** इसमें दो पृथक योजनाएं अर्थात् हथकरघा बुनकरों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने हेतु स्वास्थ्य बीमा योजना तथा प्राकृतिक/दुर्घटनात्मक मृत्यु, दुर्घटना के कारण पूर्ण/आंशिक विकलांगता के मामले में जीवन बीमा सुरक्षा मुहैया कराने हेतु महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण-IV में दिए गए हैं।

(iv) **मिल गेट कीमत योजना :** यह योजना पात्र हथकरघा अभिकरणों को मिल गेट कीमत पर सभी प्रकार का सूत (यार्न) उपलब्ध कराती है ताकि हथकरघा बुनकरों को बुनियादी कच्चे माल की नियमित आपूर्ति को सुकर बनाया जा सके। माल ढुलाई और डिपो परिचालन के व्यय, भारत सरकार द्वारा वहन किए जा रहे हैं। हाल ही में जनवरी, 2012 से योजना के तहत 10% सब्सिडी का एक और घटक शामिल किया गया है जिसके तहत एक बुनकर प्रति माह 40 से कम संख्यांक (काउंट) के 30 कि.ग्रा. कॉटन यार्न अथवा लगभग 40 संख्यांक (काउंट) के 10 किलो ग्राम, 80 संख्यांक (काउंट) तक के 4 किलो ग्राम सिल्क प्रति करघा का पात्र है। यह योजना शीर्ष और प्राथमिक सहकारी सोसाइटियों, हथकरघा निगमों, स्वयं सहायता समूहों, संयुक्त जबावदेह समूहों और कपार्ट के मानदंडों में आने वाले गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को उपलब्ध है। इस योजना के तहत जारी की गई राशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-V में दिया गया है।

(v) **विविधीकृत हथकरघा विकास योजना :** इस योजना में हथकरघा बुनकरों की उत्पादकता तथा आय बढ़ाने हेतु समूचे देश में 25 बुनकर सेवा केन्द्रों तथा 5 भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों के माध्यम से डिजाइन और उत्पाद विकास के लिए बुनकरों के प्रौद्योगिकीय तथा कौशल उन्नयन के लिए सहायता की व्यवस्था है। इसके अलावा पिछले वर्ष 2011-12 के बजट में 3 और बुनकर सेवा केन्द्रों और 1 भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान का भी अनुमोदन किया गया है।

इन योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत राज्य-वार कोई केन्द्रीय सहायता की राशि आबंटित नहीं की गई है। तथापि, राज्य सरकार (सरकारों) से प्राप्त अर्थक्षम प्रस्ताव (प्रस्तावों) के आधार पर केन्द्रीय सहायता की राशि जारी की जाती है और यह राशि किस्तों में जारी की जाती है।

(घ) और (ङ) परम्परागत हथकरघा बुनकर का कार्य करने वाले बुनकर (बुनकरों) को वैकल्पिक व्यवसाय अपनाने के लिए बाध्य किए जाने के संबंध में किसी भी क्षेत्र से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। वस्तुत: सरकार ने महाराष्ट्र और झारखंड सहित समूचे देश में ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से बुनकरों को सहायता प्रदान कर बुनकरों की इस विरासत को निरंतर रूप से प्रोत्साहित करने के लिए पूरे प्रयास किए हैं।

विवरण-I

हथकरघा बुनकरों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	बुनकरों की संख्या (2009-10)	वितरित किए गए पहचान पत्रों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	355,838	2,68,940

1	2	3	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	33,041	14,794
3.	असम	16,43,453	12,74,310
4.	बिहार	43,392	31,738
5.	छत्तीसगढ़	8,191	4,356
6.	दिल्ली	2,738	2,285
7.	गुजरात	11,009	8,147
8.	गोवा	0	0
9.	हरियाणा	7,967	7591
10.	हिमाचल प्रदेश	13,458	6,214
11.	जम्मू और कश्मीर	33,209	13,207
12.	झारखंड	21,160	16,476
13.	कर्नाटक	89,256	69,302
14.	केरल	14,679	14,471
15.	मध्य प्रदेश	14,761	11,347
16.	महाराष्ट्र	3,418	2,191
17.	मणिपुर	2,18,753	0
18.	मेघालय	13,612	11,798
19.	मिजोरम	43,528	26,287
20.	नागालैंड	66,490	54,119
21.	ओडिशा	1,14,106	92,244
22.	पुदुचेरी	2,803	2,578
23.	पंजाब	2,636	2,396
24.	राजस्थान	31,958	22,783
25.	सिक्किम	568	291
26.	तमिलनाडु	3,52,321	3,15,218
27.	त्रिपुरा	1,37,177	95,534
28.	उत्तर प्रदेश	2,57,783	1,69,610
29.	उत्तराखंड	15,468	12,875
30.	पश्चिम बंगाल	7,79,103	5,94,721
	अखिल भारत	43,31,876	31,12,912

विवरण-II

बुनकर क्रेडिट कार्ड जारी किए जाने और ऋण संवितरण से संबंधित स्थिति

(5.11.2012 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य	2012-13 के लिए बुनकर क्रेडिट कार्ड का लक्ष्य	क्रेडिट कार्ड शिविरों में प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल संख्या	बैंकों को प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्रों की कुल संख्या	बैंकों द्वारा जारी किए गए बुनकर क्रेडिट कार्डों की कुल संख्या	मंजूर किए गए ऋण की कुल राशि (लाख रुपये)	संवितरण की गई कुल ऋण राशि (लाख रुपये)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	20000	57663	43962	1137	376.32	162.20	22.10.12 तक

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	बिहार	10000	4938	0	480	380.00	180.00	
3.	छत्तीसगढ़	1500	1252	0	40	10.00		
4.	दिल्ली	500	372					
5.	गुजरात	1000	1560	1524	127	42.67	42.67	
6.	हरियाणा	1000	0	1855	64	32.00	0	
7.	हिमाचल प्रदेश	1000	200	200	108	100.00	56.15	
8.	जम्मू और कश्मीर	1000	2312	2040	0	0	0	
9.	झारखंड	3000	5044	5044	1000	472.00	4.93	
10.	कर्नाटक	8000	15225	15225	970	243.00	178.00	22.10.12 तक
11.	केरल	10000	15678	13373	321	70.00	55.50	16.10.12 तक
12.	मध्य प्रदेश	1000	496	466	121	23.03	5.45	
13.	महाराष्ट्र	1000	2220	1300	0	0	0	
14.	ओडिशा	15000	25364	17197	301	54.80	9.75	
15.	राजस्थान	1000	1778	1157	197	60.20	32.00	
16.	तमिलनाडु	20000	30202	20533	564	140.00	100.00	
17.	उत्तर प्रदेश	20000	24978	9186	4151	1388.00	571.00	17.10.12 तक
18.	उत्तराखंड	1000	1992	1992	2	3.72	3.72	
19.	पश्चिम बंगाल	10000	70423	3000	2160	457.00	1.21	
	कुल	126000	261697	138054	11743	3852.74	1402.58	
	पूर्वोत्तर क्षेत्र							
1.	अरुणाचल प्रदेश	4000	5119	4712	423	416.00	0	
2.	असम	15000	12248	6934	161	192.00	0	
3.	मणिपुर	10000	29000	16254	0	0	0	
4.	मेघालय	1000	5652	2658	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	मिजोरम	500	252					
6.	नागालैंड	2000	13416	2714	0	0	0	
7.	सिक्किम	500	1214	1214	127	50.80	5.40	
8.	त्रिपुरा	1000	1211	0	0	0	0.00	
	कुल	34000	68112	34486	711	658.8	5.40	
	सकल जोड़	160000	329809	172540	12454	4511.54	1407.98	

विवरण-III

एकीकृत हथकरघा विकास योजना (आईएचडीएस) और विपणन और निर्यात संवर्धन योजना (एमईपीएस) के तहत विभिन्न राज्यों की विगत दो वर्षों 2010-11 और 2011-12 तथा चालू वर्ष 2012-13 के दौरान जारी की गई राशि

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य का नाम	एकीकृत हथकरघा विकास योजना			विपणन और निर्यात संवर्धन योजना		
		2010-11	2011-12	2012-13 (30.10.2012 की स्थिति के अनुसार)	2010-11	2011-12	2012-13 (30.10.2012 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	13.93	9.58	8.90	2.04	3.26	0.09
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.88	4.72	0.00	1.75	0.39	0.00
3.	असम	10.25	10.97	0.00	5.73	4.60	2.15
4.	बिहार	1.78	1.05	0.00	0.04	0.39	0.00
5.	छत्तीसगढ़	2.59	0.94	0.00	1.12	2.06	0.96
6.	दिल्ली	3.01	0.16	0.20	0.16	0.09	0.00
7.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	0.77	2.00	0.00	0.27	0.89	0.03
9.	हरियाणा	0.47	0.08	0.00	0.33	0.15	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	हिमाचल प्रदेश	2.44	3.43	0.09	0.61	0.58	0.19
11.	जम्मू और कश्मीर	1.92	0.71	0.41	0.28	0.35	0.32
12.	झारखंड	3.84	8.90	0.00	0.18	0.00	0.00
13.	कर्नाटक	1.73	5.62	0.50	1.37	1.86	0.12
14.	केरल	1.24	9.17	0.00	0.00	0.21	0.00
15.	मध्य प्रदेश	3.09	2.80	2.06	0.93	0.74	0.77
16.	महाराष्ट्र	3.10	2.22	0.00	0.99	1.84	1.46
17.	मणिपुर	6.17	19.16	0.00	1.64	1.72	0.80
18.	मेघालय	2.61	5.46	0.00	0.42	0.58	0.00
19.	मिजोरम	1.97	0.60	0.50	0.05	0.14	0.00
20.	नागालैंड	8.02	19.19	0.00	2.33	2.37	1.76
21.	ओडिशा	7.12	14.10	0.00	1.09	0.59	0.23
22.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	पंजाब	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	राजस्थान	1.72	0.50	0.00	0.38	0.11	0.45
25.	सिक्किम	0.47	0.67	0.00	0.13	0.52	0.30
26.	तमिलनाडु	48.68	44.56	10.58	1.44	1.70	0.00
27.	त्रिपुरा	2.98	7.05	0.00	0.44	1.10	0.20
28.	उत्तर प्रदेश	13.06	12.01	0.00	2.09	2.49	0.68
29.	उत्तराखंड	3.06	1.10	0.21	0.43	0.38	0.24
30.	पश्चिम बंगाल	9.02	15.94	2.77	1.80	0.46	0.13
	कुल	156.92	202.84	26.22	28.04	29.57	10.88
	अन्य संगठन	11.08	16.65	26.00	30.57	24.57	7.37
	सकल जोड़	168.00	219.49	52.22	58.61	54.14	18.25

विवरण-IV

हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना

हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा आते हैं और इसके तहत आईसीआईसीआई लोम्बार्ड तथा एलआईसी नामक कार्यान्वयन एजेंसियों को धनराशि जारी की जाती है। विगत दो वर्षों के दौरान और अक्तूबर, 2012 तक चालू वर्ष के दौरान इन एजेंसियों को जारी की गई धनराशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

वर्ष	जारी की गई राशि (करोड़ रुपये)
2010-11	116.14
2011-12	68.22
2012-13 (अक्तूबर, 2012 तक)	70.35

विवरण-V

मिल गेट कीमत योजना (एमजीपीएस)

वर्ष	जारी की गई राशि (करोड़ रुपये)
2010-11	65.00
2011-12	54.27
2012-13 (अक्तूबर, 2012 तक)	94.82

[अनुवाद]

पन्ना 435-39

प्रमुख पत्तनों का आधुनिकीकरण

570. श्री नरहरि महतो :

श्री मनोहर तिरकी :

श्री रामसिंह राठवा :

श्री पी. कुमार :

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना आगामी वर्षों में विशेषकर पश्चिम बंगाल में पत्तन क्षमता बढ़ाने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वित्त वर्ष में किए जाने वाले क्षमता संवर्द्धन हेतु चिन्हित स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार पश्चिम बंगाल सहित देश के मौजूदा प्रमुख पत्तनों को आधुनिक बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए पत्तन-वार कितनी धनराशि आबंटित की गयी है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम बंगाल राज्य में क्षमता आवर्द्धन हेतु अभिज्ञात परियोजनाओं की एक सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी, हां। सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 42 परियोजनाएं सौंपने का लक्ष्य निर्धारित किया है जिसमें 49 परियोजनाएं सरकारी व गैर-सरकारी भागीदारी माध्यम के अंतर्गत और 13 परियोजनाएं गैर-पीपीपी माध्यम से अंतर्गत शामिल की गई हैं। उपर्युक्त परियोजनाओं की अनुमानित लागत और क्षमता आवर्द्धन का पत्तन-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(च) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण-I

कोलकाता पत्तन सहित पश्चिम बंगाल में पत्तन क्षमता आवर्द्धन की प्रस्तावित परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना की अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	क्षमता (एमटीपीए में)
1.	हल्दिया डॉक का विकास-II (उत्तर)	728.00	8.50
2.	हल्दिया डॉक का विकास-II (दक्षिण)	787.00	8.50
3.	घाट सं. 5 एनएसडी का यांत्रिकरण (2 मोबाइल हार्बर क्रेनों की स्थापना) कोलकाता पत्तन	26.00	2.25
4.	सहायक सुविधाओं के साथ तीसरी तेल जेटी के अपस्ट्रीम बाहरी टर्मिनल का निर्माण। कोलकाता पत्तन	290.00	4.50
5.	हल्दिया डॉक कॉम्प्लैक्स के घाट सं. 4बी पर 2 मोबाइल हार्बर क्रेनों की आपूर्ति, प्रचालन और रखरखाव	60.00	1.45
6.	हल्दिया डॉक कॉम्प्लैक्स में पत्तन पर आधारित उद्योगों के लिए कार्गो संभलाई हेतु हुगली नदी पर 3 बार्ज संभलाई जेटियों की स्थापना।	150.00	4.50
7.	पश्चिम बंगाल में सागर पत्तन का विकास	7851.00	54.00
	जोड़	9892.00	83.70

विवरण-II

पोत परिवहन मंत्रालय

चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में सौंपने के लक्ष्य वाली 42 पत्तन परियोजनाएं

क्र. सं.	पत्तन	परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत करोड़ रु.	एसटीपीए में क्षमता
1	2	3	4	5
1.	चेन्नई	4	4226.00	55.00
2.	कोचीन	4	1260.30	15.90
3.	जेएनपीटी	4	731.65	14.45
4.	कांडला	5	983.99	19.67
5.	कोलकाता	4	1831.00	23.75
6.	मुरगांव	4	1011.00	14.45
7.	मुंबई	2	360.00	9.00
8.	नवमंगलूर	1	79.17	7.80
9.	पारादीप	2	1040.00	26.00

1	2	3	4	5
10.	विशाखापट्टनम	6	1968.20	34.27
11.	वीओसीपीटी, तूतीकोरिन	6	1278.77	31.06
	जोड़	42	14770.08	251.35

439-40

रेशम निर्यात परिषद् का क्षेत्रीय कार्यालय खोलना

571. डॉ. संजय सिंह :
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :
श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में रेशम निर्यात परिषद् का क्षेत्रीय कार्यालय खोला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कोडाती, बंगलूरु में रेशम और जैव सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने पारिश्रमिक और सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के संबंध में केन्द्रीय रेशम बोर्ड के फार्म कामगारों की मांगों पर विचार किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उपरोक्त प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) और (ख) भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद् ने दिल्ली के विभिन्न सरकारी विभागों के साथ संपर्क करने के लिए दिल्ली में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है।

(ग) इस मंत्रालय द्वारा कोडाथी, बंगलूरु में रेशम और बायोमैट्रीयल प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) फार्म कामगारों की सेवा निवृत्ति की आयु में 55 वर्ष से 58 वर्ष तक वृद्धि करने की मांग पर टाइम स्केल फार्म कामगारों तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा कतिपय शर्तों और निबंधनों को पूरा करने के अध्यधीन मंत्रालय द्वारा विचार किया गया है।

टाइम स्केल फार्म कामगारों का वेतन पैकेज पिछली बार 24.06.2008 को संशोधित किया गया था और विभिन्न भत्तों पर 24.09.2010 को पुनः संशोधन किया गया था। टाइम स्केल कामगारों के वेतन में पुनः संशोधन का प्रस्ताव इस स्तर पर व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

440-46

[हिन्दी]

पथकर

572. श्री इज्यराज सिंह :
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :
श्री खगेन दास :
श्री रतन सिंह :
श्रीमती रमा देवी :
श्री नारनभाई कछाड़िया :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर पथकर संग्रह के संबंध में सरकार द्वारा बनायी गयी पथकर नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) दो पथकर केन्द्रों के बीच दूरी के लिए निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है और एक राष्ट्रीय राजमार्ग विशेष पर कितनी बार पथकर एकत्र किया जा सकता है;

(ग) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर विनिर्माण कार्य के पूरा होने से भी पहले राजमार्ग प्रयोक्ताओं से कर वसूलने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है;

(ङ) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान पथकर आपरेटर्स द्वारा अधिक पथकर वसूलने/नियमों और विनियमों के उल्लंघन करने की शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन

पथकर आपरेटर्स/टोल प्लाजा के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है तथा उन पर क्या शस्ति लगायी गयी है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) सरकार ने 5.12.2008 को अथवा उसके बाद शुरू की गई परियोजनाओं के लिए समय-समय पर यथासंशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 दिनांक 5.12.2008 को अधिसूचित किए हैं। 5 दिसंबर, 2008 से पहले पूरे हुए खंडों के लिए फीस का संग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्गों पर राष्ट्रीय राजमार्ग/स्थाई पुल/अस्थाई पुल के खंड के इस्तेमाल के लिए किसी व्यक्ति द्वारा फीस का संग्रहण) नियम, 1997; राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग खंड और स्थाई पुल के प्रयोग के लिए फीस-सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाएं) नियम, 1997; और इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के बाद पूरे हुए खंडों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग नियम, 1957 के अनुसार फीस संग्रहण किया जाता है। उल्लिखित नियम राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 7 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड पर प्रयोक्ता फीस का संग्रहण केन्द्र सरकार द्वारा राजकीय राजपत्र में प्रकाशित अलग-अलग अधिसूचनाओं के अनुरूप किया जाता है। किसी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी खंड विशेष के मामले में वे केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं का अनुपालन करते हैं।

(ख) दो पथकर प्लाजाओं के बीच की दूरी का उल्लेख समय-समय पर यथासंशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 8 में लिया गया है। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्ग (फीस) नियम, 1997 में दो फीस प्लाजाओं के बीच की दूरी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा, किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग का फीस प्लाजा के स्थान को अंतिम रूप किसी प्लाजा विशेष की स्थापना के समय लागू फीस नियमों में किए गए प्रावधान के मानदंडों, सरकार को अनुकुलतम राजस्व उपार्जन, सड़क प्रयोक्ताओं और स्थानीय निवासियों को न्यूनतम कठिनाई को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी खंड पर फीस प्लाजा के स्थान का निर्णय लेने में भूमि की उपलब्धता, राजमार्ग ज्यामिती और पथांतरण को भी ध्यान में रखा जाता है।

प्रयोक्ता फीस का भुगतान प्रयुक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड के प्रत्येक समय लागू फीस नियमों के अनुसार करना होता है।

(ग) और (घ) 6 लेन के निर्माण कार्य के मामले में, रियायत करार के अनुसार, पथकर उस समय से ही अनुमत होता है जबसे वहां पर 4 लेन की सुविधा दिए जाने पर पथकर लगाया जा रहा था। 4 लेन के मामले में ऐसा कोई मामला नोटिस में नहीं आया है। तथापि, निर्माण अवधि के दौरान पथकर लगाए जाने वाली परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ङ) और (च) जी, हां। अधिक पथकर वसूलने की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायतों का ब्यौरा सलंग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

दिनांक 8.8.2012 को निर्माण के दौरान पथकर लगाए जाने वाली परियोजनाओं की सूची-6 लेन के अंतर्गत

क्र. सं.	खंड	पथकर योग्य स्थान पर किमी.	रारा	राज्य
1	2	3	4	5
1.	(वाराणसी-औरंगाबाद खंड)	किमी. 317.0 — किमी. 46.00 संशोधित किमी. 317.00 — किमी. 319.00 वीआरएम किमी. 319.00 पर बाइपास और किमी. 21 पर विलय और किमी. 21.00 — किमी. 180.00 (नई चेनेज किमी. 786.00 किमी. 978.00)	2	उत्तर प्रदेश और बिहार

1	2	3	4	5
2.	दिल्ली-आगरा	किमी. 20.500 — किमी. 200.0000	2	हरियाणा और उत्तर प्रदेश
3.	विजयवाड़ा-चिलकालूरीपेट	किमी. 354.775 — किमी. 434.150 (नया किमी. 1183.027 — किमी. 1100.641)	5	आंध्र प्रदेश
4.	धनकुनी-खड़गपुर	किमी. 18.50 — किमी. 129.61	6	पश्चिम बंगाल
5.	गुड़गांव-कोटपुतली-जयपुर	किमी. 42.0 — किमी. 246.00	8	हरियाणा और राजस्थान
6.	सूरत-दहीसर	किमी. 263.4 — किमी. 502.00	8	गुजरात और महाराष्ट्र
7.	चेन्नई-टाडा	किमी. 11.00 — किमी. 54.40	5	तमिलनाडु
8.	चिलकालूरीपेट-नेल्लूर	किमी. 358.00 — किमी. 178 (नई चेनेज किमी. 1383.713 से किमी. 1182.802	5	आंध्र प्रदेश
9.	जगतपुर-भुवनेश्वर-चांदीखोल	किमी. 413.000 — किमी. 418.000 और किमी. 0.000 — किमी. 62.000	5	ओडिशा
10.	डोडासिदावनाहली-अंथरासनहली	किमी. 189.00 — किमी. 75.000	4	कर्नाटक
11.	पुणे-सतारा	किमी. 2.80 — किमी. 30.0 और किमी. 834.50 — किमी. 781.00 — किमी. 725.00	4	महाराष्ट्र
12.	बेलगांव-धारवाड़	किमी. 433.000 — किमी. 515.000	4	महाराष्ट्र
13.	होसुर-कृष्णागिरी	किमी. 31.130 — किमी. 93.0000	7	तमिलनाडु
14.	कृष्णागिरी-वलजाहपेट	किमी. 89.00 से किमी. 93.000 और किमी. 0.00 से 148.300	7 और 46	तमिलनाडु
15.	पानीपत-जालंधर	किमी. 96 — किमी. 372.00	1	हरियाणा और पंजाब
16.	समख्याली-गांधीधाम	किमी. 306 — किमी. 362.16	8ए	गुजरात
17.	देवनहली-बेंगलुरू	किमी. 534.720 — किमी. 556-840	7	कर्नाटक

विवरण-II

फीस संग्रहकर्त्ता ठेकेदारों के खिलाफ प्राप्त अधिक पथकर वसूले जाने की शिकायतों का ब्यौरा

क्र. सं.	फीस प्लाजा का स्थान	रारा सं.	प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा
1.	किमी. 530.404 पर, लक्ष्मीपुरम (आंध्र प्रदेश)	5	आंध्र प्रदेश लारी ऑनर एसोसिएशन और अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस से क्रमशः दिनांक 24.6.2011 और दिनांक 30.6.2011 को पत्र लक्ष्मीपुर पथकर प्लाजा पर अधिक पथकर की वसूली किए जाने के संबंध में प्राप्त हुए थे। जांच के पश्चात् फीस संग्रहकर्त्ता ठेकेदार पर 2,57,17,500.00 रु. की शास्ति लगाई गई थी। शास्ति और ठेके की समाप्ति के खिलाफ ठेकेदार ने माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। इस समय मामला न्यायाधीन हैं न्यायालय के मामले का अनुसरण किया जा रहा है।
2.	सुन्नामबती फीस प्लाजा (आंध्र प्रदेश)	5	आंध्र प्रदेश लारी ऑनर एसोसिएशन और अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस से क्रमशः दिनांक 6.7.2011 और दिनांक 23.7.2011 को पत्र सुन्नामबती फीस प्लाजा (आंध्र प्रदेश) पथकर प्लाजा पर अधिक पथकर की वसूली किए जाने के संबंध में प्राप्त हुए थे। जांच के पश्चात् फीस संग्रहकर्त्ता ठेकेदार पर 1,05,825,00.00 रु. की शास्ति लगाई गई थी जिसकी वसूली कर ली गई है।
3.	किमी. 416.00, वनटाडा पथकर प्लाजा (गुजरात)	8	श्री जगदीश ठाकुर, सांसद और श्री संदीप यादव से क्रमशः 02.04.2011 और 20.04.2011 को वनटाडा पथकर प्लाजा (गुजरात) पर अधिक पथकर वसूले जाने के संबंध में प्राप्त हुए थे। फीस संग्रहकर्त्ता ठेकेदार पर 1,48,29,000.00 रु. (एक करोड़ अड़तालीस लाख उनतीस हजार रु.) की लेवी लगाई गई थी। शास्ति के खिलाफ ठेकेदार ने माननीय गुजरात उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। इस समय मामला न्यायाधीन है।

-154-50

झीलों का संरक्षण

573. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :
श्री रतन सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में झीलों के संरक्षण और विकास हेतु कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार और झील-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा खर्च की गयी राशि का राज्य-वार ब्यौरा और झील-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, देश के शहरी और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में प्रदूषित और अवक्रमित झीलों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए केन्द्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार के बीच 70:30 लागत हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एनएलसीपी) नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत, मंत्रालय ने अब तक 14 राज्यों की 61 झीलों के संरक्षण हेतु कुल 1031.18 रुपए की लागत से 44 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

(ग) एनएलसीपी के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई राशि का राज्य-वार और झील-वार ब्यौरा निम्नवत् है:—

क्र. सं.	राज्य	झील	जारी राशि (करोड़ रुपए)		
			2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	बंजारा झील, हैदराबाद	–	–	1.90
2.	जम्मू और कश्मीर	डल झील, श्रीनगर	27.85	17.43	41.00
3.	कर्नाटक	कोटे तवारेकेरे झील, चिकमंगलूर	–	1.50	–
		अमनीकेरे झील, तुमकुर	–	5.00	–
4.	महाराष्ट्र	ठाणे की 9 झीलें	0.27	–	–
		महालक्ष्मी झील, बड़गांव	–	0.29	–
		रंकाला झील, कोल्हापुर	1.00	2.46	–
		वरहाला देवी झील, भिवंडी	1.00	–	–
		सिद्देश्वर झील, सोलापुर	1.50	–	0.50
5.	नागालैंड	मोकोकचुंग में जुड़वां झीलें	5.81	–	–
6.	राजस्थान	अनासागर झील, अजमेर	–	–	3.00
		पुष्कर सरोवर, अजमेर	4.64	5.00	6.00
		फतेहसागर झील, उदयपुर	–	–	5.00
		पिचोला झील प्रणाली, उदयपुर	–	–	–
		नक्की झील, माउंट आबू	–	1.28	–

1	2	3	4	5	6
7.	उत्तराखंड	नैनीताल झील, नैनीताल	—	3.00	—
8.	उत्तर प्रदेश	मानसी गंगा झील, गोवर्धन	2.73	4.00	1.50
		रामगढ़ ताल, गोरखपुर	—	8.70	17.50
9.	पश्चिम बंगाल	आदि गंगा, दक्षिण 24 परगना	—	—	3.50
		साहेब बांध, पुरूलिया	—	1.30	—
	कुल		44.80	49.96	79.90

[अनुवाद]

न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाना

574. **श्री बिभू प्रसाद तराई :**
श्री एंटो एंटोनी :
श्री प्रबोध पांडा :
श्री हरिभाऊ जावले :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) स्कीम के अंतर्गत पेंशन बढ़ाने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) से (घ) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 1000/- रुपये करने का केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की उप-समिति पेंशन क्रियान्वयन समिति (पीआईसी) का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम

575. **डॉ. भोला सिंह :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र में कमजोर वर्गों को आरक्षण मुहैया कराने की दिशा में राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में कोई सुझाव/सिफारिश शामिल की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में नया विधान लाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) से (ङ) संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी), 2004 में यह व्यवस्था है कि "यूपीए सरकार निजी क्षेत्र में आरक्षण सहित सकारात्मक कार्रवाई की मसले पर अत्यधिक संवेदनशील है। यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति युवाओं की आकांक्षाओं को निजी क्षेत्र सर्वोत्तम रूप से किस प्रकार पूरा कर सकता है, यह देखने के लिए सभी राजनीतिक दलों, उद्योग जगत तथा अन्य संगठनों के साथ राष्ट्रीय संवाद तत्काल आरंभ करेगी"।

निजी क्षेत्र में सकारात्मक कार्रवाई के संबंध में उद्योग जगत के साथ संवाद आगे बढ़ाने के लिए अक्तूबर, 2006 में एक उच्च स्तरीय समन्वय समिति गठित कर दी गई है। समन्वय समिति समय-समय पर शीर्ष मंडलों के साथ बैठकें आयोजित कर रही है।

भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल परिसंघ (फिक्की), भारतीय वाणिज्य और उद्योग संबद्ध मंडल (एसोचैम), भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और पीएचडी वाणिज्य और उद्योग मंडल पीएचडीसीसीआई) ने अपने सदस्यों द्वारा अंगीकृत करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई के संबंध में अपनी-अपनी आचार संहिताएं तैयार कर ली हैं। इन आचार संहिताओं में, अन्य बातों के साथ-साथ, समावेशी नीतियां और समानता संबंधी प्रावधान हैं। उद्योग जगत के साथ संवाद जारी है।

[अनुवाद]

पाकिस्तान के साथ व्यापार संबंध

576. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री अजय कुमार :
श्री के. सुगुमार :
श्री प्रदीप माझी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के साथ व्यापार समझौतों को बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रतिनिधिमंडल ने हाल में इस्लामाबाद का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच व्यापार को सामान्य बनाने के लिए प्र:शुल्क रहित बाधाओं तथा व्यापार योग्य वस्तुओं के विस्तार पर चर्चा की गयी थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) अब तक व्यापार परिवादों के समाधान, द्विपक्षीय सहयोग तथा सीमा शुल्क संबंधी मामलों पर आपसी सहायता पर समझौता करने के संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(च) भारत को सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्रा का दर्जा देने और नकारात्मक सूची को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान ने कहां तक प्रयास किया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी, हां।

(ख) दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक एवं आर्थिक सहयोग पर विचार-विमर्श करने के लिए दिनांक 20-21 सितम्बर, 2012 को भारत से वाणिज्य सचिव स्तर के शिष्टमंडल ने पाकिस्तान का दौरा किया था।

(ग) जी, हां।

(घ) व्यापार प्रेषणों की त्वरित निकासी के लिए अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया गया कि अटारी-वाघा स्थित भू-सीमा शुल्क स्टेशन हफ्ते के सातों दिन प्रचालनरत रहेगा। सीमा शुल्क निकासी में विलम्ब, माल की ढुलाई हेतु रेलवे वैगनों की अनुपलब्धता, सीधी हवाई उड़ानों का न होना जैसे गैर-टैरिफ बाधा संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने सीमा व्यापार के उदारीकरण तथा अपनी-अपनी साफ्टा संवेदनशील सूचियों में कटौती के माध्यम से संवर्धित तरजीही व्यापार व्यवस्थाओं के जरिए व्यापार-योग्य वस्तुओं के विस्तार की आवश्यकता पर भी चर्चा की।

(ङ) दिनांक 20-21 सितम्बर, 2012 को इस्लामाबाद में आयोजित वाणिज्यिक एवं आर्थिक सहयोग संबंधी भार-पाकिस्तान की वार्ता के सातवें दौर के दौरान व्यापार संबंधी शिकायतों के निपटान, द्विपक्षीय सहयोग तथा सीमा शुल्क संबंधी मामलों में पारस्परिक सहयोग संबंधी करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(च) भारत एवं पाकिस्तान के वाणिज्यिक मंत्रियों ने अपने आधिकारिक शिष्टमंडलों के साथ दिनांक 15 फरवरी, 2012 को एक द्विपक्षीय बैठक की थी। यह सहमति की गई थी कि पाकिस्तान फरवरी, 2012 तक "सकारात्मक सूची" के बदले एक लघु "नकारात्मक सूची" प्रस्तुत करेगा। दिनांक 20 मार्च, 2012 को पाकिस्तान सरकार द्वारा 1209 मदों की एक नकारात्मक सूची को औपचारिक रूप से अधिसूचित किया गया है।

यह आशा की जा रही है कि वर्ष 2012 के अंत तक नकारात्मक सूची को पूरी तरह समाप्त करने के साथ पाकिस्तान द्वारा भारत को परम मित्र राष्ट्र (एमएफएन) का दर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

[हिन्दी]

आयुद्ध निर्माणियों में अनियमितताएं

577. श्री अशोक कुमार रावत : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 2008 से विशेषकर कानपुर स्थित आयुद्ध निर्माणियों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कथित भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उनकी कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी। 453-54

विशेष आर्थिक क्षेत्र

578. **श्री नारायण सिंह अमलाबे :**
श्री महाबली सिंह :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न क्षेत्रों में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाया जाना है;

(ख) क्या सरकार को राज्य सरकार अथवा अन्य निजी निकाय/संगठन से मध्य प्रदेश के राजगढ़ के संबंध में उक्त मानदंड में छूट पाने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) क्या दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) एसईजेड अधिनियम, 2005 के अनुसार वस्तुओं के विनिर्माण अथवा सेवाएं प्रदान करने या इन दोनों के लिए अथवा मुक्त व्यापार एवं भंडारण जोन के रूप में विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) की स्थापना केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों अथवा किसी व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से अथवा अलग-अलग की जा सकती हैं संबंधित राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से अनुशंसित किए जाने के बाद ही अनुमोदन बोर्ड द्वारा एसईजेडों की स्थापना हेतु ऐसे प्रस्तावों पर विचार किया जाता है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 संपूर्ण भारत में लागू होता है।

[अनुवाद] 454-55

राष्ट्रीय राजमार्गों से शराब की दुकानें हटाना

579. **श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :**
श्री अब्दुल रहमान :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी प्रमुख राजमार्गों के साथ-साथ शराब की दुकानें स्थापित की गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर शराब की दुकानों के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय राजमार्गों पर शराब पीने के कारण कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं;

(घ) क्या सरकार को विभिन्न वर्गों से शराब की इन दुकानों को हटाने के कोई अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने इस संबंध में सभी ब्यौरे और आंकड़े प्राप्त करने के लिए इन गैर-सरकारी संगठनों के साथ कोई बैठक की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है अथवा करने का प्रस्ताव किया गया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) शराब की दुकानों को लाइसेंस प्रदान किया जाना, राज्यों की उत्पाद नीति के अंतर्गत आता है। मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थापित शराब की दुकानों की संख्या संबंधी आंकड़े नहीं रखता है।

(ख) जी, नहीं। उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 2011 के दौरान, मद्य/औषधि के सेवन के कारण कुल 24,655 सड़क दुर्घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई। चालकों द्वारा मद्य या मादक पदार्थों के सेवन के कारण हुई सड़क दुर्घटनाओं की संख्या संबंधी आंकड़े विशिष्ट रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए एकत्र नहीं किए जाते हैं।

(घ) से (छ) इस मंत्रालय को राष्ट्रीय राजमार्गों पर से शराब की दुकानों को हटाए जाने के लिए समय-समय पर डॉ. पी. पुल्लाराव, अध्यक्ष, सड़क सुरक्षा मंच, आंध्र प्रदेश और अन्य गै-सरकारी संगठनों से सुझाव प्राप्त हुए हैं। राजमार्गों पर से शराब की दुकानों को हटाए जाने संबंधी मामले पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् की दिनांक 15.1.2004 को नई दिल्ली में हुई सातवीं बैठक में विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से यह सहमति बनी कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस प्रदान नहीं किए जाने चाहिए। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/सचिवों (परिवहन) में इस मंत्रालय द्वारा दिनांक 26.8.2007, 22.7.2010 और 1.12.2011 को यह अनुरोध किया गया कि वे राष्ट्रीय राजमार्गों से शराब की दुकानों को हटाएं और राष्ट्रीय राजमार्गों पर शराब की दुकानों के लिए शराब विक्रेताओं को नए लाइसेंस जारी न करें। यह भी बताया गया कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऐसे मामलों की समीक्षा करनी चाहिए जहां राष्ट्रीय राजमार्गों पर शराब की दुकानें खोले जाने के लिए विगत में पहले ही लाइसेंस प्रदान कर दिए गए हैं और उन्हें दोष सुधारक कार्रवाई करनी चाहिए। इस संबंध में संबंधित राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की जानी है। 455-56

रत्ना

टाट्रा ट्रक सौदा

580. **श्री रुद्रमाधव राय :**
श्री भूपेन्द्र सिंह :
श्री कपिल मुनि करवारिया :
श्री हंसराज गं. अहीर :
श्री गोपीनाथ मुंडे :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान थलसेना द्वारा टाट्रा ट्रक तथा इसके पुर्जों की खरीद में कोई अनियमितता पाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो उक्त जांच की प्रगति/परिणाम क्या है;

(ङ) क्या जांच से थलसेना के अधिकारियों को भी दोषी पाया गया है; और

(च) यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव किया है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (च) सरकार ने टाट्रा ट्रक की खरीद में हुई कथित अनियमितताओं का संज्ञान किया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो से टाट्रा ट्रक की खरीद में हुई कथित अनियमितताओं की समग्र रूप से जांच करने का अनुरोध किया गया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 30.03.2012 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 120-ख जिसे 13(1)(घ) के साथ पठित 13(2) के साथ पढ़ा जाए, के तहत कंपनी के लिए मालिक और रक्षा मंत्रालय, बीईएमएल लिमिटेड के अज्ञात कार्मिकों तथा टाट्रा सिपॉक्स यू.के. लिमिटेड के अज्ञात लोगों के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया है।

456-64

अभयारण्यों के विकास हेतु धनराशि

581. **श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ :**
श्रीमती ज्योति धुर्वे :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में गेम पार्कों सहित उद्यानों/अभायरण्यों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान रंगनाथिटु वन्य जीव अभयारण्य हेतु कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई;

(ग) उन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या अनेक नये जीवों को इस उद्यान में लाया जाएगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में रंगनाथिटु वन्य जीव अभयारण्य को कितनी विशिष्ट धनराशि प्रदान की गई; और

(छ) उक्त अभयारण्य सहित देश वन्य जीव-जगत की रक्षा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) मंत्रालय को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास" और "बाघ परियोजना" के तहत संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन और वन्यजीव और उनके पर्यावासों की सुरक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु अनेक राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान रंगनाथिटु वन्यजीव अभयारण्य सहित, सुरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन और वन्यजीव एवं उनके पर्यावासों की सुरक्षा के लिए "वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास" और "बाघ परियोजना" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत अनेक राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण-I, II और III में दिए गए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान निधियों की उपलब्धता के अनुसार अधिकतर राज्य सरकारों के संबंध में वित्तीय सहायता पहले ही जारी की जा चुकी है, तथापि, शेष प्रस्तावों के संबंध में कोइ समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

(घ) से (च) किसी नए पशु को उद्यान में लाने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है। रंगनाथिटु वन्यजीव अभयारण्य के लिए "वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास" की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत कर्नाटक राज्य सरकार को गत तीन वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान जारी की गई निधियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

वर्ष	रंगनाथिटु वन्यजीव अभयारण्य के लिए कर्नाटक राज्य सरकार को जारी की गई वित्तीय सहायता (लाख रु.)
2009-10	39.065
2010-11	12.05
2011-12	8.75
2012-13	4.89

(छ) रंगनाथिटु वन्यजीव अभयारण्य सहित देश के वन्य फ्लोरा और फाउना के सुरक्षार्थ सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं:—

(i) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के तहत शिकार और वाणिज्यिक शोषण के विरुद्ध वन्य जानवरों की कई प्रजातियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। संरक्षण और खतरे की स्थिति के अनुसार वन्य जानवरों को अधिनियम की विभिन्न अनुसूचियों में रखा गया है। चीते को अधिनियम की अनुसूची-I मं शामिल किया गया है, जो कि इसे अधिनियम के तहत उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है।

(ii) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को संशोधित किया गया है तथा इसे और अधिक सख्त बनाया गया है। अपराधों के मामलों में दी जाने वाली सजाओं में वृद्धि की गई है। इस अधिनियम में किसी उपस्कर, वाहन अथवा हथियार, जिसका उपयोग वन्यजीव अपराध हेतु किया गया है, को जब्त करने का भी प्रावधान है।

(iii) लुप्तप्राय प्रजातियों सहित वन्य पशुओं और इनके पर्यावासों के बेहतर संरक्षण प्रदान करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अनुसार देश भर के महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावासों को शामिल करके संरक्षित क्षेत्र अर्थात् राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संरक्षण रिजर्वों और सामुदायि रिजर्वों का सृजन किया गया है।

(iv) वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने हेतु विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, नामशः "वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास" "बाघ परियोजना" और "हाथी परियोजना" के अंतर्गत राज्य को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

(v) वन्यजीवों और उसके उत्पादों के अवैध शिकार और व्यापार को नियंत्रित करने के लिए पांच क्षेत्रीय कार्योलयों, तीन उप-क्षेत्रीय कार्यालयों और पांच सीमा इकाईयों के नेटवर्क सहित वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो स्थापित किया गया है।

(vi) वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने ओर उन पर मुकदमा चलाने

के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत अधिकार दिए गए हैं।

(vii) राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों से संरक्षित क्षेत्रों के अंदर और उनके आस-पास क्षेत्रीय संरचना को सुदृढ़ बनाने और गश्त में वृद्धि करने के लिए अनुरोध किया गया है।

(viii) प्रभावी संचार प्रणाली के माध्यम से कड़ी सतर्कता रखी जाती है।

विवरण-I

गत तीन वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान "वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	279.24	235.78	207.73	277.401
2.	आंध्र प्रदेश	234.00	156.00	185.00	361.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	754.277	671.813	393.814	543.625
4.	असम	369.815	609.255	720.17	889.87
5.	बिहार	80.102	106.186		160.06681
6.	छत्तीसगढ़	3651.995	7047.94	993.57	2919.26
7.	चंडीगढ़	0	125.15	22.52	00
8.	दादरा और नगर हवेली	56.295	0	0	00
9.	गोवा	143.3938	100.53037	222.2289	221.00
10.	गुजरात	1443.70	3649.93	5856.36	3761.394
11.	हरियाणा	156.60	315.77	59.00	64.00
12.	हिमाचल प्रदेश	356.74	618.461	332.558	405.504
13.	जम्मू और कश्मीर	4696.68	7163.50	1328.328	550.415
14.	झारखंड	311.02	246.6543	165.45	143.858

1	2	3	4	5	6
15.	कर्नाटक	1744.256	1814.637	571.356	492.91
16.	केरल	728.95	784.88	814.46	989.64
17.	मध्य प्रदेश	3716.38	3802.75	7764.64	9003.86
18.	महाराष्ट्र	414.17	599.46	512.42	623.434
19.	मणिपुर	534.94	207.50	158.64	55.64
20.	मेघालय	140.747	123.06	131.15	
21.	मिजोरम	591.886	2332.22	401.168	334.595
22.	नागालैंड	122.86	159.49	230.324	89.074
23.	ओडिशा	1287.38	857.20	722.81	845.91225
24.	पंजाब	326.01	54.25	0	95.55
25.	राजस्थान	1958.995	1026.17	459.24	1157.02
26.	सिक्किम	862.00	580.65	212.78	295.11
27.	तमिलनाडु	1779.385	1994.228	893.442	651.400
28.	त्रिपुरा	107.20	1077.20	0	
29.	उत्तर प्रदेश	902.77	1212.64	921.13	1226.294
30.	उत्तराखंड	1188.60	785.73	485.63	513.722
31.	पश्चिम बंगाल	591.984	572.19	1237.149	833.055
32.	दमन और दीव	29.05	0	0	00
	कुल	29561.421	39031.225	26003.07	27504.61

विवरण-II

गत तीन वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान "वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत रंगनाथिटु वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए मांगी गई वित्तीय सहायता

(लाख रुपये)

क्र.सं.	अभ्यारण्य का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	रंगनाथिटु वन्यजीव अभ्यारण्य	98.21	119.64	17.70	28.00

विवरण-III

गत तीन वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान "बाघ परियोजना" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	आंध्र प्रदेश	138.254	155.645	154.406	404.8904
2.	अरुणाचल प्रदेश	64.71	226.702	236.7857	420.0872
3.	असम	194.29	1509.4720	947.5088	123.608
4.	बिहार	8.8560	158.355	172.193	247.792
5.	छत्तीसगढ़	1383.502	1813.725	702.726	425.5284
6.	झारखंड	117.1386	130.616	156.3465	82.6878
7.	कर्नाटक	657.062	1660.05	1830.65	708.4337
8.	केरल	311.42	323.46	429.77	411.868
9.	मध्य प्रदेश	2582.4762	3962.73	5352.71	5357.2446
10.	महाराष्ट्र	373.517	2789.06	3622.342	513.941
11.	मिजोरम	2171.00	187.69	225.288	192.9848
12.	ओडिशा	221.74	815.29	555.0761	142.956
13.	राजस्थान	10694.17	2368.925	67.21	2943.543
14.	तमिलनाडु	258.3540	520.786	605.964	323.4878
15.	उत्तर प्रदेश	431.517	407.46	446.1258	234.508
16.	उत्तराखंड	246.205	339.945	399.76	89.435
17.	पश्चिम बंगाल	298.785	502.48	157.66	404.916
	कुल	20152.997	17872.391	16062.522	13027.91

465, 66

आनुवांशिक रूप से संवर्धित फसलों के परीक्षणों पर प्रतिबंध

582. **श्री पी. लिंगम :**
श्री गुरुदास दासगुप्त :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित तकनीकी विशेषज्ञ समिति (टीईसी) ने देश में आनुवांशिक रूप से संवर्धित (जी.एम.) फसलों के सभी क्षेत्र परीक्षणों पर प्रतिबंध की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) तकनीकी विशेषज्ञ समिति (टीईसी) का गठन, अरूणा रोड्रिगस एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में रिट याचिका (सिविल) सं. 260/2005 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 10.05.2012 के द्वारा आनुवांशिक रूप से संवर्द्धित (जीएम) फसलों के क्षेत्र परीक्षणों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए किया गया था। टीईसी ने दिनांक 9.10.2012 को अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। टीईसी ने (i) बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंटल के जैव सुरक्षा डाटा की समीक्षा के आधार पर मानव उपभोग हेतु उपयोग की जाने वाली बीटी खाद्य फसलों के क्षेत्र परीक्षणों पर 10-वर्ष का अधिस्थगन; (ii) अब तक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति आजीविका मुद्दों सहित एचटी प्रौद्योगिकी के संभाव्य प्रभावों का परीक्षण न कर ले तब तक हर्बिसाइट टॉलरेन्ट (एचटी) फसलों के क्षेत्र परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाना; (iii) जीएम फसल के उद्भव केन्द्रों और विविधता केन्द्रों में क्षेत्र परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। टीईसी की अन्य प्रमुख सिफारिशों में सभी जीएम फसलों के क्षेत्र परीक्षणें की पूर्वपिक्षा के रूप में वर्तमान विनियामक प्रणाली के आकलन, सुदृढ़ीकरण और पुन:व्यवस्थापन की जरूरत, बीटी कॉटन पर जैव सुरक्षा डाटा और सभी क्षेत्र परीक्षणों द्वारा सृजित अन्य डाटा का पुन:आकलन; यह सुनिश्चित करना कि लाभ के संबंध में कोई विवाद न हो; क्षेत्र परीक्षणों को आउटसोर्स करने या उप-संविदा पर देने पर प्रतिबंध; क्षेत्र परीक्षणों के लिए स्थल-निर्दिष्ट करना और प्रारंभिक जैव सुरक्षा परीक्षणों की आवश्यकता इत्यादि शामिल हैं।

(ग) और (घ) भारत संघ का विचार है कि अंतरिम रिपोर्ट वैज्ञानिक रूप से दोषपूर्ण है; विचारार्थ विषय (टीओआर) को अभिभाषित नहीं करती और न केवल टीईसी को दिए गए अधिदेश के परे है अपितु रिट याचिका के अपने कार्यक्षेत्र के बाहर भी है और इसलिए स्वीकार्य नहीं है। भारत संघ की ओर से कृषि मंत्रालय ने इस संबंध में एक संयुक्त हलफनामा दर्ज किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 9.11.2012 के द्वारा टीईसी को निदेश दिया है कि वह सभी प्रतिवादियों, इच्छुक पक्षकारों और भारत संघ द्वारा दर्ज की गई आपत्तियों पर विचार करे और छ: सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। यह मामला निर्णयाधीन है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

466-70

वृद्ध आश्रमों का निर्माण

583. **श्री विश्व मोहन कुमार :**
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :
डॉ. एम. तम्बिदुरई :
श्री ए.के.एस. विजयन :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वृद्धा आश्रमों की स्थापना और रख-रखाव हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में चल रहे वृद्धावस्था आश्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बिहार और तमिलनाडु सहित राज्य-वार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) और (ख) इस समय, वृद्धाश्रमों की

स्थापना/निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने की कोई योजना नहीं है। समेकित वृद्धजन कार्यक्रम की मंत्रालय की योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय निकायों तथा नेहरू युवा केंद्र संगठन जैसे सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थाओं को अन्य बातों के साथ वृद्धाश्रमों के संचालन तथा रखरखाव के लिए राज्य स्तरीय सहायता अनुदान समिति की सिफारिशों के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा जाती है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी धनराशि, सहायता प्राप्त वृद्धाश्रमों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या सहित ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सहायता प्राप्त वृद्धाश्रमों की संख्या				जारी राशि (लाख रुपए)			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (21.11.12 तक)	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (21.11.12 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	87	77	112	15	347.81	280.68	403.93	74.29
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	1	0	1	0	1.49	0	4.08
3.	असम	16	17	11	3	71.78	67.08	46.65	18.16
4.	बिहार	1	1	1	1	4.88	1.42	2.44	4.88
5.	छत्तीसगढ़	2	3	2	1	5.08	7.76	9.03	4.88
6.	हरियाणा	9	7	7	1	34.25	25.67	18.74	11.56
7.	हिमाचल प्रदेश	0	3	1	1	0	9.51	3.66	1.22
8.	कर्नाटक	45	48	50	3	207.86	216.36	208.75	15.10
9.	केरल	0	6	2	0	0	16.03	5.72	0
10.	मध्य प्रदेश	5	2	4	0	9.23	6.13	14.79	7.72
11.	महाराष्ट्र	8	15	16	7	27.69	47.06	76.28	60.29
12.	मणिपुर	15	18	15	1	56.80	76.20	66.35	48.21
13.	ओडिशा	44	38	44	12	173.17	168.15	157.97	82.95
14.	पंजाब	4	2	5	1	9.29	3.76	9.98	5.79
15.	राजस्थान	4	4	2	0	11.77	13.48	7.48	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	तमिलनाडु	54	49	42	3	220.70	207.60	178.85	12.76
17.	त्रिपुरा	3	3	4	0	10.85	13.75	10.81	0
18.	उत्तर प्रदेश	21	22	15	6	65.31	71.96	25.11	40.64
19.	उत्तराखंड	0	3	2	2	0	11.03	5.87	9.31
20.	पश्चिम बंगाल	27	18	26	3	111.41	86.35	84.90	27.98
	संघ राज्य क्षेत्र								
1.	दिल्ली	0	1	1	0	0	1.15	1.17	26.54
	कुल	345	338	362	61	1367.88	1332.62	1338.48	456.38

[अनुवाद]

एनजीओ द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना

584. **श्री शिवकुमार उदासी :**
श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी संगठनों के लिए सरकार द्वारा उन्हें स्वीकृत धनराशि हेतु उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओं) के नाम क्या हैं जिन्होंने जारी किए गए अनुदान के उपयोग के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं;

(ग) उक्त धनराशि की वसूली हेतु कार्रवाई से पूर्व एनजीओ द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है;

(घ) क्या ऐसे मामलों में सहायता/राजसहायता आदि की वसूली की कोई कार्रवाई की गई है जहां अधिकतम समय के बाद भी उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) और (ग) सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के अनुसार, किसी गैर-सरकारी संगठन के लिए प्रदान किये गये अनावर्ती अनुदानों के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 माह के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इसी प्रकार आवर्ती अनुदानों की निर्मुक्ति पूर्ववर्ती वर्ष के अनुदानों के उपयोग प्रमाण-पत्रों की प्रस्तुति के अध्यधीन है।

वे संगठन जो उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं उन्हें उनसे उपयोग प्रमाण-पत्रों की प्राप्ति तक, इस योजना के अंतर्गत आगे वित्तीय सहायता निर्मुक्त नहीं की जाती हैं।

(ख), (घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खरीद हेतु बोलियों का मूल्यांकन

585. **श्री कालीकेश नारायण सिंह देव :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा उपस्कर की खरीद हेतु बोलियों के मूल्यांकन की वर्तमान पद्धति क्या है;

(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव मूल्यांकन के आधार के अनुसार पूंजी लागत सहित जीवन चक्र लागत (एलसीसी) के उपयोग पर विचार करने का है;

(ग) क्या जीवन चक्र लागत का कोई डाटाबेस है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार कलपुर्जे और ईंधन जैसी मदों की मात्रा तय करने पर 40 वर्षों की अवधि हेतु निर्धारित मूल्य ठेके के अंतर्गत आपूर्तिकर्त्ता तय करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार एलसीसी में उपस्कर के उन्नयन की लागत को ध्यान में रख रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) निवल वर्तमान मूल्य पद्धति का प्रयोग करने हेतु भुगतान के मूल्यांकन के लिए रक्षा खरीद नीति खंड का पालन नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार कतिपय प्रकार के मामलों जैसे पुनरावृत्ति आर्डरों को छोड़कर विक्रेताओं से दो पृथक बोलियां, तकनीकी और वाणिज्यिक आमंत्रित की जाती हैं। तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन एक तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) द्वारा किया जाता है और केवल उन विक्रेताओं की वाणिज्यिक, बोलियां, जो तकनीकी मानदंडों को पूरा करती हैं, खोली जाती हैं। तत्पश्चात् वाणिज्यिक बोलियों का मूल्यांकन संविदावार्त्ता समिति (सीएनसी) द्वारा किया जाता है।

(ख) उपयोगिता अवधि चक्र लागत दृष्टिकोण, उन कतिपय मामलों में अपनाया जा रहा है जिनमें वायु विमानन प्लेटफार्मों की अधिप्राप्ति सन्निहित है। अपनाया गया माडल मामला-दर-मामला अलग हो सकता है जो प्लेटफार्म, पुर्जों की तकनीकी कार्यावधि और रख-रखाव आवश्यकताओं और अन्य मानदंडों पर निर्भर करता है।

(ग) चूंकि केवल कुछ मामलों में ही उपयोगिता अवधि लागत दृष्टिकोण को अपनाया गया है इसलिए डाटा बेस तैयार करने में समय लगेगा।

(घ) लम्बी अवधि जैसेकि 40 वर्ष के लिए आपूर्तिकर्त्ता को निर्धारित मूल्य संविदा पर सीमित रखना कठिन है क्योंकि हिस्से-पुर्जों, ईंधन आदि के मूल्य बाजार उतार-चढ़ाव पर निर्भर करते हैं और यह क्रेता के लिए सदैव वांछनीय नहीं हो सकते क्योंकि मूल्यों में कमी भी हो सकती है।

(ङ) उन्नयन की लागत को हिसाब में नहीं लिया गया है।

(च) बोलियों के मूल्यांकन में, जहां लागू हो, वहां निवल वर्तमान मूल्य विधि का इस्तेमाल किया जाता है।

472

म्यांमार और भूटान के साथ व्यापार समझौता

586. **श्री तकाम संजय : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान म्यांमार और भूटान के साथ किसी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वे कौन से नए क्षेत्र हैं जिनकी अगले तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त देशों के साथ व्यापार संबंधों का विस्तार करने के लिए पहचान की गई है;

(घ) क्या अरुणाचल प्रदेश से सीमा व्यापार के माध्यम से पड़ोसी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) म्यांमार में तेल एवं गैस, विनिर्माण, अवसंरचना तथा आईसीटी जैसे क्षेत्रों में व्यापार संबंधों में विस्तार करने का प्रस्ताव किया गया है। भूटान में, व्यापार संबंधों में वृद्धि करने के लिए पन-बिजली क्षेत्र में संभावना मौजूद है।

472-73

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सस्ती चीनी वस्तुओं का आयात

587. **श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी से विद्युत सामान, पटाखों और उपहार के सामान जैसे सस्ते उत्पादों के आयात के कारण स्थानीय शिल्पकारों और व्यापारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विद्युत सामान, पटाखों और उपहार के सामान के देश में निर्बाध प्रवाह से भारतीय उद्योग को बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) किसी माल का आयात इसके घरेलू मूल्य के विदेशी मूल्य से उच्चतर होने के पूर्वानुमान पर ही होता है। अतः अपरिवर्ती आयातित माल अपने घरेलू प्रतिरूप से सस्ता होगा। सरकार के पास ऐसी नीतियां हैं जो सुनिश्चित करती हैं कि ऐसे माल के घरेलू उपभोक्ता और घरेलू उत्पादक के हित बुरी तरह से प्रभावित न हों। उपभोक्ता के संरक्षण के लिए, घरेलू माल पर लागू गुणवत्ता/सुरक्षा मानक आयातित माल पर समान रूप से लागू किए जाते हैं। घरेलू उत्पादकों के संरक्षण के लिए, दूसरे देशों से माल के निर्यातकों द्वारा अनुचित व्यापार गतिविधियों से राहत प्रदान करने के लिए घरेलू उद्योग में व्यापार सुरक्षा उपाय जैसे कि एंटी डंपिंग और सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं।

विद्युतीय माल के मामले में, विद्युतीय तारें, केबल, उपकरण और सुरक्षा उपकरण तथा अनुषंगी (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2003, के द्वारा सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। आतिशबाजी (पटाखों) का आयात प्रतिबंधित है और आयात नीति के तहत लाइसेंसिंग के अनुसार किया जाता है। 473-74

पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी प्राधिकरण

588. **श्री एंटो एंटोनी :**
श्री वैजयंत पांडा :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी प्राधिकरण (डब्ल्यूजीईए) की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को डब्ल्यूजीईए की स्थापना के संबंध में केरल सहित किसी राज्य सरकार से शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ङ) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ, (i) पश्चिमी घाटों में पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्रों का सीमांकन करने, (ii) इन पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्रों के प्रबंधन संबंधी उपायों की सिफारिश करने, (iii) इस पर्यावरणीय संवेदी और पारिस्थितिकीय रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र के परिरक्षण, संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए उपायों की सिफारिश करने और (iv) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत पश्चिमी घाट पारिस्थितिकीय प्राधिकरण स्थापित करने के लिए रूपरेखा तैयार करने की सिफारिश हेतु प्रोफेसर माधव गाडगिल की अध्यक्षता में दिनांक 4 मार्च, 2010 को पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (डब्ल्यूजीईईपी) का गठन किया था। इस पैनल ने अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी है और मंत्रालय ने आगे इस पर सलाह करनी शुरू कर दी है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय ने संबंधित राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (डब्ल्यूजीईईपी) रिपोर्ट पर उनकी टिप्पणी/विचार मांगते हुए औपचारिक परामर्शी प्रक्रिया प्रारंभ की। इसके जवाब में केरल, गोवा और महाराष्ट्र राज्य सरकारों से विस्तृत टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं परंतु तीन अन्य संबंधित राज्यों से टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं। जिन राज्यों से जवाब प्राप्त हुए हैं सभी ने इस आधार पर माधव गाडगिल रिपोर्ट पर गंभीर आपत्ति जताई है कि यह राज्यों के विकास को प्रतिकूलतः प्रभावित करेगी।

मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ, संबंधित राज्य सरकारों/केन्द्रीय मंत्रालयों/पणधारियों से प्राप्त टिप्पणियां तथा बहुमूल्य जैवविविधता के परिरक्षण, स्थानीय एवं देशी लोगों की आवश्यकताओं वे आकांक्षाओं, क्षेत्र के सतत् विकास तथा पर्यावरणीय अखंडता, जलवायु परिवर्तन एवं केन्द्र राज्य संबंधों के संवैधानिक निहितार्थ जैसे संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं और पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल रिपोर्ट के संबंध में सरकार को आगे की कार्रवाई करने की सिफारिश के आलोक में समग्र एवं बहु-आयामी रीति से वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल रिपोर्ट की जांच करने हेतु दिनांक 17.08.2012 के कार्यालय आदेश द्वारा डॉ. के. कस्तुरीरंगन, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कार्य दल का गठन किया है।

475

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड

589. श्री जगदानंद सिंह : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बोर्ड ने गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यों में पर्यावरण और वन क्षेत्रों में भारी निवेश करके योगदान दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम के क्या परिणाम रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) जी, हां। देश में वनीकरण, वृक्षारोपण, पारिस्थितिकीय पुनरुद्धार और पारि-विकास गतिविधियों के उन्नयन के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारि-विकास बोर्ड (एनएईबी) स्थापित किया गया है।

(ग) से (ङ) एनएईबी वर्ष 2000-01 से राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) नामक वनीकरण स्कीम कार्यान्वित कर रहा है जिसके तहत 2933.50 करोड़ रु. के कुल निवेश से उपचार हेतु अब तक कुल 18.88 लाख हैक्टेयर क्षेत्र अनुमोदित किया गया है। स्कीम के तहत गत तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में जारी की गई निधियां नीचे दी गई हैं:—

क्र. सं.	वर्ष	जारी की गई धनराशि (करोड़ रु.)
1.	2009-10	318.17
2.	2010-11	309.99
3.	2011-12	303.00
4.	2012-13 (31.10.2012 तक)	83.14

भारतीय चिकित्सा पद्धति 476-77

476

[अनुवाद]

परंपरागत आयुर्वेदिक औषधि को पेटेंट

590. श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री गजानन ध. बाबर :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जामुन, लवंगपत्ती और चंदन के सत्त से मधुमेह हेतु बनी औषधि के लिए भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा प्रदत्त पेटेंट को वापस ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने कुछ उन पौधों और फलों को पेटेंट किया है जिनमें पारंपरिक आयुर्वेदिक औषधि है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत दो वर्षों और चालू वर्ष में सरकार द्वारा इस प्रकार के कितने पेटेंट प्रदान किए गए;

(ङ) भारत के पारंपरिक ज्ञान और आनुवांशिक संसाधनों की रक्षा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) सरकार द्वारा आयुर्वेदिक और अन्य पारंपरिक औषधियों की चोरी को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकरन) : (क) और (ख) जी, हां। संख्या 252039, शीर्षक "ए सिनर्जेटिक, आयुर्वेदिक/फंक्शनल फूड बायोएक्टिव कम्पोजीशन (सिनाटा) और उसकी तैयारी की प्रक्रिया" वाला पेटेंट मैसर्स एवेस्थाजन लि., बंगलौर को प्रदान किया गया था, जिसे पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 66 के प्रावधानों के अनुसार सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया है। पेटेंट को इसलिए रद्द किया गया है क्योंकि इसे आमतौर पर जनविरोधी पाया गया था।

(ग) और (घ) जी, नहीं। पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 3(ञ) के प्रावधानों के अनुसार पौधों या इनके किसी भी हिस्से को पेटेंट नहीं किया जा सकता है।

(ङ) और (च) पेटेंट अधिनियम यथासंशोधित 2005 में परंपरागत ज्ञान को भारत में पेटेंट होने से बचाने के प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध एवं योग के परंपरागत भारतीय चिकित्सकीय ज्ञान को दुर्विनियोजन से बचाने के उद्देश्य से सरकार ने ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) की स्थापना की है। विद्यमान ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए टीकेडीएल को पेटेंट अनुकूल प्रारूप में पांच भाषाओं नामत: अंग्रेजी, फ्रैंच, जर्मन, जापानी व स्पेनिश में तैयार किया गया है जो पहले ही पेटेंट परीक्षकों के लिए पब्लिक डोमेन में है ताकि ऐसे पेटेंट आवेदन-पत्र जो परंपरागत ज्ञान से संबंधित हैं, स्वत: ही परीक्षा चरण में निरस्त हो जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, बायोडायवर्सिटी अधिनियम, 2000 में यह प्रावधान है कि किसी भी आवेदक को किसी बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए आवेदन करने से पहले राष्ट्रीय बायोडायवर्सिटी प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा, जिसमें भारत से प्राप्त बायोलोजिकल संसाधनों पर आधारित आविष्कार शामिल है।

[हिन्दी]

प्रशिक्षु अधिकारियों को वेतन

591. **श्री हर्ष वर्धन :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सशस्त्र सेना के प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रशिक्षण अवधि में वेतन का भुगतान नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और केंद्र सरकार की अन्य सेवाओं की तुलना में भारतीय सशस्त्र सेना के प्रशिक्षु अधिकारियों को वेतन का भुगतान नहीं करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रशिक्षु अधिकारियों को वेतन के भुगतान नहीं करने का मुख्य कारण शारीरिक प्रशिक्षण के दौरान उनकी स्थायी नि:शक्तता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (घ) विभिन्न प्रशिक्षण अकादमियों में कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कैडेटों को कमीशन प्राप्त करने से पहले अंतिम एक वर्ष के लिए 21,000 रुपए प्रति माह की एक नियत छात्रवृत्ति दी जाती है। कैडेटों द्वारा प्रशिक्षण अकादमियों तथा डिग्री लेते समय प्रशिक्षण परिणामों में और इसके बाद सशस्त्र सेनाओं में भर्ती हेतु किसी भुगतान की आवश्यकता नहीं होती है। इस छात्रवृत्ति को प्रशिक्षण के सफल समापन पर सभी प्रयोजनों हेतु वेतन में बदल दिया जाता है तथा अनुमत्य बकाया भत्तों का भुगतान किया जाता है। छठा केन्द्रीय वेतन आयोग, प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष में कमीशंड रैंक के सभी भत्तों तथा पूर्ण वेतन और सम्बद्ध लाभों सहित अनंतिम कमीशन देने के बारे में सेनाओं द्वारा की गई मांग पर सहमत नहीं था क्योंकि सशस्त्र सेनाओं में कमीशन प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण का सफल समापन एक अनिवार्य आवश्यकता होती है तथा यह ऐसी स्थिति है जो पूर्णत: सिविलियन पक्ष के समतुल्य नहीं है।

उत्तर प्रदेश में प्रमुख शहरों को जोड़ना

592. **श्री संजय सिंह चौहान :** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों को जोड़ने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्तर प्रदेश में शहरों को जोड़ने वाले कार्य को कब तक आरंभ और पूरा किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यानारायण) : (क) से (ग) यह मंत्रालय मुख्यत: देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है और उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख शहर पहले से ही राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े हुए हैं।

पारे के बढ़ते स्तर को रोकना

593. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पारे का स्तर खतरनाक ढंग से बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की देश में पारे के बढ़ते स्तर को रोकने की कोई नीति है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में पारे के बढ़ते स्तर को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ङ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ देश में परिवेशी वायु गुणवत्ता की मॉनीटरी कर रहा है। पारे को अधिसूचित परिवेशी वायु गुणवत्ता मानदंडों में शामिल नहीं किया गया है।

सीपीसीबी ने "हेल्थ केयर सुविधाओं में पारा अपशिष्ट का पर्यावरणीय अनुकूल प्रबंधन" संबंधी ड्राफ्ट दिशा-निर्देश तैयार किए हैं जो कि पारा आधारित चिकित्सा उपकरणों के विकल्पों के साथ-साथ पारा स्राव एकत्रण प्रक्रिया, भंडारण और निपटान विकल्प भी विनिर्दिष्ट करते हैं। ये दिशा-निर्देश व्यापक रूप से परिचालित किए गए हैं और सर्व साधारण के लिए सीपीसीबी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) को हेल्थ केयर सुविधाओं में पारा स्राव/ह्रास के सुरक्षित प्रबंधन, स्रावित पारा के एकत्रण, उसके भंडारण और उत्पादकों को इसे वापिस भेजने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा है। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि स्रावित पारा, हेल्थकेयर सुविधाओं से उत्पन्न बायो-मेडिकल या अन्य ठोस अपशिष्टों का एक भाग न बने। इसके अतिरिक्त, पारे वाले ऐसे अपशिष्ट जिनमें 50 मिग्रा/किग्रा के बराबर या उससे अधिक पारा निहित है, को खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचालन) नियम, 2008 के अनुसार निपटाया जाना अपेक्षित है। सीपीसीबी ने सामान्यत: बायो-मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन और विशेष रूप से हेल्थकेयर सुविधाओं (एचसीएफ) द्वारा पारा स्राव के एकत्रण, हथालन और निपटान के संबंध में विभिन्न पणधारियों के लिए जागरूकता कार्यशालाएं भी आयोजित की हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने केन्द्र सरकार के अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों में पारे के कारण होने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए मार्च, 2010 में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत केन्द्र सरकार के सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों के पारा निहित उपकरणों (थर्मामीटर, बीपी उपकरण इत्यादि) के प्रयोग को धीरे-धीरे समाप्त करने और उनके स्थान पर अच्छी गुणवत्ता के बिना पारे वाले उपकरणों का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। अस्पतालों को पारा अपशिष्ट और पारा स्राव के उपयुक्त प्रबंधन संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने दिल्ली में 50 या उससे अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों को पारा आधारित उपकरणों के प्रयोग को समाप्त करने का निदेश दिया है। **डीपीसीसी** ने सभी हेल्थ केयर सुविधाओं (एचसीएफ) को पारा अपशिष्ट का निपटान केवल **डीपीसीसी** द्वारा अधिसूचित अभिकरणों के माध्यम से ही करवाने का निदेश दिया है।

नि:शक्त 480.84

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को सहायता

594. **डॉ. संजय जायसवाल :**
श्री अर्जुन राय :
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :
श्री जगदीश ठाकोर :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में महिलाओं और बच्चों सहित विकलांग व्यक्तियों की संख्या सहित राज्य/संघ राज्य-वार तथा नि:शक्ता-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विकलांग व्यक्तियों को श्रवण यंत्र, कृत्रिम अंग, तिपहिया साइकल जैसे नि:शुल्क आवश्यक उपस्कर प्रदान करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा/पुनर्वास/यंत्र और उपकरण लगाने हेतु तथा सहायता की राशि बढ़ाने के प्रस्ताव हेतु दी जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार विकलांग व्यक्तियों हेतु ऐसी कोई योजनाएं शुरू करने का है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) जनगणना, 2001 के अनुसार, विकलांग व्यक्तियों की राज्य-वार जनसंख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) (i) विकलांग व्यक्तियों के लिए यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता की योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों को टिकाऊ, परिष्कृत तथा वैज्ञानिक रूप से विनिर्मित, आधुनिक, मानक यंत्रों और उपकरणों के वितरण के लिए निधियां जारी की जाती हैं।

(ii) दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष स्कूल, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, हाफ-वे होम, समुदाय आधारित पुनर्वास, विकलांग व्यक्तियों के लिए शीघ्र उपचार

केन्द्र तथा कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के लिए पुनर्वास, जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र आदि जैसे प्रयोजनों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

गैर-सरकारी संगठनों सहित कार्यान्वयन एजेंसियों को सहायता की प्रमात्रा, इस योजना के अंतर्गत आबंटन तथा राज्य सरकार द्वारा संस्तुत परियोजनाओं पर निर्भर करती है।

विवरण

जनगणना, 2001 के अनुसार देश में विकलांग व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दृष्टि विकलांगता	वाणी विकलांगता	श्रवण विकलांगता	चलन संबंधी विकलांगता	मानसिक विकलांगता	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	581,587	138,974	73,373	415,848	155,199	1,364,981
2.	अरुणाचल प्रदेश	23,079	2,429	3,072	3,474	1,261	33,315
3.	असम	282,056	56,974	51,825	91,970	47,475	530,300
4.	बिहार	1,005,605	130,471	73,970	512,246	165,319	1,887,611
5.	छत्तीसगढ़	160,131	30,438	34,093	151,611	43,614	419,887
6.	गोवा	4,393	1,868	1,000	4,910	3,578	15,749
7.	गुजरात	494,624	66,534	70,321	310,765	103,221	1,045,465
8.	हरियाणा	201,358	24,920	27,682	151,485	49,595	455,040
9.	हिमाचल प्रदेश	64,122	12,762	15,239	46,512	17,315	155,950
10.	जम्मू और कश्मीर	208,713	16956	14,157	37,965	24,879	302,670
11.	झारखंड	186,216	39,683	28,233	138,323	55,922	448,377
12.	कर्नाटक	440,875	90,717	49,861	266,559	92,631	940,643
13.	केरल	334,622	67,066	79,713	237,707	141,686	860,794
14.	मध्य प्रदेश	636,214	75,825	85,354	495,878	115,257	1,408,528
15.	महाराष्ट्र	580,930	113,043	92,390	569,945	213,274	1,569,582
16.	मणिपुर	11,713	2,769	2,994	6,177	4,723	28,376
17.	मेघालय	13,381	3,431	3,668	5,127	3,196	28,803

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	मिजोरम	6,257	2,006	2,421	2,476	2,851	16,011
19.	नागालैंड	9,968	4,398	5,245	4,258	2,630	26,499
20.	ओडिशा	514,104	68,673	84,115	250,851	103,592	1,021,335
21.	पंजाब	170,853	22,756	17,348	149,758	63,808	424,523
22.	राजस्थान	753,962	73,147	75,235	400,577	109,058	1,411,979
23.	सिक्किम	10,790	3,174	3,432	2,172	799	20,367
24.	तमिलनाडु	964,063	124,479	72,636	353,798	127,521	1,642,497
25.	त्रिपुरा	27,505	5,105	5,699	13,970	6,661	58,940
26.	उत्तर प्रदेश	1,852,071	255,951	128,303	930,580	286,464	3,453,369
27.	उत्तराखंड	85,668	16,749	15,990	56,474	19,888	194,769
28.	पश्चिम बंगाल	862,073	170,022	131,579	412,658	270,842	1,847,174
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3,321	652	545	1,870	669	7,057
30.	चंडीगढ़	8,422	882	607	3,828	1,799	15,538
31.	दादरा और नगर हवेली	2,346	295	337	795	275	4,048
32.	दमन और दीव	1,898	189	120	690	274	3,171
33.	दिल्ली	120,712	15,505	8,741	64,885	26,043	235,886
34.	लक्षद्वीप	603	207	147	505	216	1,678
35.	पुदुचेरी	10,646	1,818	2,277	8,830	2,286	25,857
	कुल	10,634,881	1,640,868	1,261,722	6,105,477	2,263,821	21,906,769

[अनुवाद] 483-85

रोजगार पर मंदी का प्रभाव

595. **श्री खगेन दास : क्या श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्थव्यवस्था की मंदी ने देश में संगठित और असंगठित क्षेत्रों में रोजगार पर प्रभाव डाला है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन अथवा आकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) से (ग) श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार पर विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने हेतु जनवरी, 2009 से त्वरित त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षणों की एक श्रृंखला का आयोजन करता रहा है। ये सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था के उन चुनिंदा क्षेत्रों के लिए आयोजित किए जा रहे हैं जो वैश्विक आर्थिक कारकों के लिए संवेदनशील होते हैं। सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों अर्थात् वस्त्र, चमड़ा, धातु, ऑटोमोबाइल, रत्न एवं आभूषण, परिवहन, आईटी/बीपीओ एवं खनन क्षेत्रों में किया जाता है। अक्तूबर, 2008 से जून, 2012 के दौरान आयोजित 15वें ऐसे तिमाही सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार अक्तूबर, 2008 से जून, 2012 की अवधि के दौरान समूचे रोजगार में 27.38 लाख की वृद्धि हुई है।

(घ) रोजगार सृजन आर्थिक विकास का कार्य है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) हेतु दृष्टिकोण पत्र में पर्याप्त आजीविका अवसरों के सृजन हेतु तीव्र, सतत् तथा अधिक समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 12वीं योजना हेतु 9% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि प्रस्तावित की गई है। सरकार देश में रोजगारपरकता एवं रोजगार बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा उत्पाद, जूते, वस्त्र जैसे श्रम सघन विर्निमाण क्षेत्रों तथा पर्यटन, निर्माण एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं जैसे सेवा क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। 12वीं योजना का यह अनुमान है कि विनिर्माण क्षेत्र को हाल ही में हुए रोजगार सृजन की गति से कहीं ज्यादा तकरीबन 3 से 4 मिलियन रोजगारों का सृजन करना होगा।

जेनेरिक औषधियों का व्यापार

596. **श्री जे.एम. आरुन रशीद : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम और आस्ट्रेलिया में कितनी भारतीय जेनेरिक औषधियां (ऑल पेटेंटड ड्रग्स) स्वीकृत की गईं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन देशों को उक्त औषधियों के निर्यात से भारतीय भेषज कंपनियों द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत से इन जेनेरिक औषधीय उत्पादों के पंजीकरण हेतु अफ्रीकी और लेटिन अमेरिकी देशों के साथ कितनी संधियां की गईं/किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारत से भेषज उत्पादों के निर्यात निम्नानुसार रहे हैं:—

	2009-10	2010-11	2011-12
अमेरिकी डॉलर (मिलियन)	8955	10,711	13,221
भारतीय रुपया (करोड़	42,455	48,810	63,347

भेषज उद्योग अत्यधिक विनियमित है और अधिकांश देश कंपनियों द्वारा उनकी पंजीयन अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के पश्चात् ही निर्यातों की अनुमति देते हैं। भारतीय भेषज के निर्यातों का 55% हिस्सा अमेरिका (25%), यूरोपीय संघ और अन्य यूरोपीय देश (21%), कनाडा (1.92%), ऑस्ट्रेलिया (1.31%) जैसे अत्यधिक विनियमित बाजारों को जाता है।

(ग) जैसाकि ऊपर उल्लिखित है, किसी देश में निर्यात करने संबंधी प्राधिकार पत्र किसी कम्पनी को वहां की विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करने के बाद ही प्रदान किया जाता है। वर्ष 2010-11 के दौरान अफ्रीका और लेटिन अमेरिकी राष्ट्रों को किए गए भारतीय निर्यात कुल भारतीय भेषज निर्यातों का क्रमशः 17% और 7% थे।

हैंक यार्न ऑब्लिगेशन

597. **श्री दारा सिंह चौहान : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कताई मिलें हैंक यार्न ऑब्लिगेशन स्कीम का पालन करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निरीक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष में राज्य-वार विशेषकर उत्तर प्रदेश में कितने निरीक्षण का लक्ष्य किया गया, कितने निरीक्षण किए गए, कितनी प्राथमिकी दर्ज की गई और कितने दोष सिद्ध हुए; और

(ङ) दोषी कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) और (ख) 100% कॉटन यार्न का विनिर्माण और घरेलू बाजार में विक्रय कर रही कताई मिलें और कंपोजिट मिलें, वस्त्र आयुक्त की यथा संशोधित दिनांक 17.04.2003 की अधिसूचना सं. 2/टीडीआरओ/8/2003 के संदर्भ में हैंक यार्न बाध्यता का पालन कर रही हैं। विगत तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए हैंक यार्न बाध्यता का अनुपालन का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	वर्ष	हैंक यार्न बाध्यता (मि.कि.ग्रा.)	हैंक यार्न बाध्यता का अनुपालन/ वास्तविक पैकिंग (मि.कि.ग्रा.)
1.	2009-10	525.78	534.74
2.	2010-11	567.44	559.85
3.	2011-12	511.11	522.05
4.	2012-13 (अप्रैल-जून, 2012)	144.25	132.07

(ग) और (घ) जी, हां। हैंक यार्न की वास्तविक पैकिंग का सत्यापन करने के साथ-साथ सांविधिक तिमाही हैंक यार्न पैकिंग विवरणी में मिलों की घोषाा के लिए वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से यार्न विनिर्माता यूनिटों का औचक दौरान किया जाता है। हैंक यार्न बाध्यता के कार्यान्वियन की कड़ाई से जांच भी की जाती है। दिनांक 1.4.2010 से 31.10.2012 तक राज्य-वार जिन यूनिटों का दौरा किया गया, प्राथमिकी दायर की गई और दोष सिद्धि की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

क्र. सं.	राज्य का नाम	उन यूनिटों की संख्या जिनका दौरा किया गया	दर्ज/दायर की गई प्राथमिकी की संख्या	दोष-सिद्धि की संख्या
1.	मध्य प्रदेश	42	02	शून्य
2.	गुजरात	146	55	शून्य
3.	आंध्र प्रदेश	137	12	शून्य
4.	कर्नाटक	27	02	शून्य
5.	महाराष्ट्र	199	21	शून्य
6.	उत्तर प्रदेश	39	06	शून्य
7.	तमिलनाडु	438	82	शून्य
8.	केरल	03	10	शून्य
9.	पुदुचेरी	0	01	शून्य
10.	पंजाब	131	04	शून्य
11.	हरियाणा	65	01	शून्य
12.	राजस्थान	26	04	शून्य
13.	बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड	148	01 (ओडिशा)	शून्य
	कुल	1401	201	

(ङ) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत समय समय पर जारी और यथा संशोधित दिनांक 17.04.2003 की टी एक्स सी की अधिसूचना का उल्लंघन किए जाने के लिए वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा दोषी कंपनियों के विरुद्ध संबंधित पुलिस स्टेशनों में 201 प्राथमिकी दायर की गई हैं।

सरकार) उपक्रम 488-87

बीईएमएल में भर्ती नीति

598. **श्री एम.बी. राजेश :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत अर्थ मूवर्स लि. (बीईएमएल) सहित विभिन्न कंपनियों द्वारा क्या भर्ती नीति अपनाई गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार बीईएमएल जैसे संस्थानों की भर्ती प्रक्रिया में स्थानीय अभ्यर्थियों को कोई प्राथमिकता देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या उन राज्यों में भर्ती के संबंध में कोई विशेष उपबंध है जहां रक्षा निर्माणियां स्थापित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क भूमि दी जाती है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम समूह 'क' तथा 'ख' पदों के संबंध में खुले राष्ट्रीय विज्ञापन देते हैं अथवा इन पदों को आंतरिक पदोन्नति से भरते हैं। जहां तक समूह 'ग' और 'घ' पदों पर भर्ती का संबंध है, रिक्तियां स्थानीय रोजगार कार्यालयों में अधिसूचित की जाती हैं तथा स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापित की जाती हैं।

(ङ) जी, नहीं। भारत इलेक्ट्रानिक्स लि. को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी रक्षा उपक्रम को सरकार ने निःशुल्क भूमि नहीं दी है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लि. के मामले में राज्य सरकार ने दो स्थानों अर्थात् 1983 में कोटद्वार (53.40 एकड़) और 1986 में चेन्नई (39.99 एकड़) में निःशुल्क जमीन आबंटित की थी किंतु स्थानीय निवासियों को रोजकार प्रदान करने के लिए कोई शर्त नहीं लगाई गई थी।

वस्त्र कर्मकारों को प्रोत्साहन देने हेतु परियोजनाएं

599. श्री अजय कुमार :
डॉ. निलेश नारायण राणे :
श्री मनोहर तिरकी :
श्री नरहरि महतो :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वस्त्र कर्मकारों की काम की दशा में सुधार करने तथा उक्त व्यवसाय में कार्यरत कर्मचारियों की कम मजदूरी की स्थिति में सुधार करने सहित देश में विद्युत करघों में वस्त्र कर्मकारों हेतु कोई योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उक्त व्यवसाय में कार्यरत कर्मकारों के काम की दयनीय दशा में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) से (ग) भारत सरकार विभिन्न क्षेत्रों के वस्त्र कामगारों की कार्य एवं आर्थिक परिस्थितियों को सुधारने के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है:—

(i) सरकार निजी क्षेत्र में पूर्ण/आंशिक रूप से किसी वस्त्र इकाई के स्थानीय रूप से बंद होने के फलस्वरूप बेरोजगार हुए वस्त्र कामगारों को दूसरे रोजगार में व्यवस्थित करने हेतु उन्हें समर्थ बनाने के लिए राहत प्रदान करने हेतु वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना (टीडब्ल्यूआरएफएस) कार्यान्वित कर रही है।

(ii) सरकार एलआईसी के सहयोग से विद्युतकरघा कामगारों के लिए समूह बीमा योजना कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के अंतर्गत विद्युतकरघा कामगारों को 330/- रुपए प्रति कामगार प्रति वर्ष के कुल प्रीमियम के स्थान पर केवल 80/- रुपए का प्रीमियम देना होता है। शेष राशि का भुगतान सरकार और एलआईसी द्वारा क्रमशः 150/- रुपए और 100/- रुपए की दर से किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत स्वभाविक मृत्यु की दशा में 60,000/- रुपए, दुर्घटना मृत्यु अथवा स्थाई रूप से विकलांगता की दशा में 1.50/- लाख रुपए और आंशिक रूप से विकलांगता की दशा में 75,000/- रुपए के भुगतान का प्रावधान है। इसके अलावा बीमासुदा विद्युतकरघा कामगार कक्षा 9 से 12 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए 2 बच्चों के लिए 100 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा को दर से शैक्षणिक सहायता के लिए भी पात्र है।

(iii) भारत सरकार ने परिधान एवं विद्युत करघा सहित वस्त्रों के सभी घटकों में कामगारों के कौशल विकास हेतु योजना आरंभ की है। यह योजना समुचित प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से आरंभ की गई है ताकि कामगार योजना आरंभ कर सकें और अकुशल कामगारों की मजदूरी की तुलना में अधिक मजदूरी कमा सकें।

(iv) सरकार हथकरघा बुनकरों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना (एचआईएस) और स्वभाविक/दुर्घटना मृत्यु, दुर्घटना के कारण पूर्ण/आंशिक विकलांगता के मामले में जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (एमजीबीबीवाई) नामक दो अलग योजनाएं कार्यान्वित कर रही है।

स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत परिवार के 4 सदस्यों को कुल 15,000 रुपए का लाभ मिलता है जिसमें से ओपीडी के लिए .50% तक 7,500 रुपए का प्रावधान है।

महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के अंतर्गत हथकरघा बुनकरों और सहायक कामगारों के लिए जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके अलावा बीमासुदा हथकरघा कामगार कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए 300 रुपए (प्रति तिमाही प्रति बच्चा) छात्रवृत्ति के लिए पात्र है।

(v) सरकार केन्द्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से महिला रेशम उत्पादकों के विशिष्ट लाभ हेतु केन्द्रीय प्रायोजित उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा योजना कार्यान्वित कर रही है। प्रतिलाभ भोगी 767.28 रुपए के बीमा प्रीमियम का वहन 75:15:10 आधार पर भारत सरकार, राज्य एवं लाभभोगी के मध्य किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत मूल बीमा कर्त्ता के रूप में केवल महिलाएं ही शामिल नहीं हैं अपितु उनका पति एव दो बच्चे (1+3) सभी पूर्व बीमारियों और साथ ही ओपीडी के लिए पर्याप्त प्रावधान शामिल हैं जो अधिकतम 15,000 रुपए प्रतिवर्ष है।

[हिन्दी] 491-92

राष्ट्रीय राजमार्ग-28ख की मरम्मत

600. **श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-28ख बाधा के निकट कुछ स्थानों पर जर्जर स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उक्त राजमार्ग की मरम्मत हेतु कोई अनुरोध मिला है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) से (घ) बाघा के निकट रारा-28बी के कुछ खंड, क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं। इसकी मरम्मत के लिए कार्य संस्वीकृत किए जा चुके हैं। चौतरवा और बाघा के बीच नवीकरण का कार्य सौंप दिया गया है। सड़क गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (आईआरक्यूपी) योजना के अंतर्गत बाघा बाजार (किमी. 84) से मदनपुर स्टेशन (किमी. 104) के बीच के सड़क खंड के कार्य के लिए इस मंत्रालय द्वारा अक्तूबर, 2012 में 909.18 लाख रुपए की राशि संस्वीकृत की गई है। इस कार्य के लिए निविदा पहले ही आमंत्रित की जा चुकी है।

[अनुवाद] 492-93

पूर्व सैनिकों को पुन: रोजगार

601. **श्री अब्दुल रहमान : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पुनर्वास महानिदेशक (डीजीआर) को सुरक्षा एजेंसी और टोल प्लाजा को पुन: रोजगार प्राप्त कितने पूर्व सैनिकों ने लाभ योजनाएं लीं;

(ख) उप-किराएदारी द्वारा डीजीआर के निबंधन और शर्तों का उल्लंघन करने हेतु उपर्युक्त कितने मामलों का पता चला;

(ग) डीजीआर से एक साथ दोहरी अथवा अधिक सुविधाएं लेने वाले कितने पूर्व-सैनिक थे;

(घ) यदि हां, तो क्या मंत्रालय का विचार इन एजेंसियों को रद्द करने अथवा उन्हें काली सूची में डालने का है;

(ङ) क्या रक्षा अधिकारी सेवा विनियमन के अनुसार डीडीआर और निजी फर्म में दो पदों पर रहने की अनुमति है;

(च) यदि नहीं, तो शक्ति का दुरुपयोग रोकने हेतु मंत्रालय द्वारा क्या कार्रवाई की गई;

(छ) क्या डीजीआर के साथ पैनल में रहने के लिए पूर्व-सैनिकों हेतु आयकर विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है; और

(ज) क्या मंत्रालय अनेक लाभ उठाने पर रोक लगाने हेतु लाभार्थियों का ब्यौरा वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के कदम उठा रहा है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह) : (क) 01.4.2009 से 31.03.2012 तक सुरक्षा एजेंसी स्कीम के लिए पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा कुल 548 कर्मियों को नामित/प्रायोजित किया गया है। टोल प्लाजा प्रबंधन योजना को दिसम्बर, 2010 से बंद कर दिया गया है और 2011 व 2012 में किसी भी पूर्व सैनिक को इसके लिए प्रायोजित नहीं किया गया है। केवल तीन पूर्व सैनिकों को 2010 में प्रायोजित किया गया था।

(ख) विगत तीन वर्षों में नामित 548 कर्मियों में से उप-किराएदारी के 6 मामलों की सूचना है।

(ग) सुरक्षा एजेंसी स्कीम में 31 मामलों की सूचना है जहां पुनर्वास महानिदेशालय से एक साथ दोहरी अथवा अधिक सुविधाएं ली गई हैं।

टोल प्लाजा को जनवरी, 1008 से एक नियमित स्कीम के रूप में माना गया था। तब से 13 पूर्व सैनिकों द्वारा पुनर्वास महानिदेशालय से एक साथ दोहरी अथवा अधिक सुविधाएं लिए जाने की सूचना है।

(घ) ऐसा कोई भी पूर्व सैनिक, दो मौजूदा दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है, उसे पुनर्वास महानिदेशालय की स्कीम के पैनल से हटा दिया जाता है।

(ङ) और (च) पुनर्वास महानिदेशालय में तैनात कार्मिकों को पुनर्वास महानिदेशालय और निजी फर्मों में दोहरा पद ग्रहण करने की अनुमति नहीं है। यदि कोई कार्मिक इसका उल्लंघन करता है तो उनके संबंधित सेना मुख्यालय और संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा मौजूदा नियमों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(छ) पूर्व सैनिकों को सुरक्षा एजेंसी के लिए संविदा दिए जाने पर फार्म एएस 26 प्रस्तुत करना होता है।

(ज) सुरक्षा एजेंसी स्कीम और अन्य स्वरोजगार स्कीमों के सभी लाभार्थियों का विवरण पुनर्वास महानिदेशालय की वेबसाइट *www.dgrindia.com.* पर अपलोड किए जाते हैं।

नकदी फसलों का निर्यात

602. श्री एम.के. राघवन :
श्री के.पी. धनपालन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन को नकदी फसलों के निर्यात में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निर्यात में ऐसी वृद्धि से व्यवसाय तथा राजस्व अर्जन में कितनी वृद्धि होने की आशा है;

(ग) क्या सरकार ने अन्य देशों को कपास और पैकबंद नारियल तेल के निर्यात के अनुमति दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन वस्तुओं के निर्यात पर कोई मात्रात्मक प्रतिबंध है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) कपास का निर्यात मुक्त है। अगला आदेश होने तक खाद्य तेलों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है लेकिन कोचीन पत्तन से नारियल तेल के निर्यात पर प्रतिबंध से छूट है। इसके अलावा, दिनांक 19.10.2012 की अधिसूचना सं. 24 द्वारा सरकार ने दिनांक 30.09.2012 तक सभी ईडीआई पत्तनों से 5 किलोग्राम तक के ब्राण्डेड उपभोक्ता पैकों में खाद्य तेलों (जिसमें नारियल तेल भी शामिल है) के निर्यात की अनुमति प्रदान की है।

(ङ) कपास के निर्यात पर कोई मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। कोचीन पत्तन से नारियल तेल के निर्यात पर कोई मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं है। परंतु ब्राण्डेड उपभोक्ता पैकों में खाद्य तेलों के निर्यात की अनुमति 20,000 मी. टन की अधिकतम सीमा के अध्यधीन दी गई है।

(च) घरेलू खपत हेतु उचित कीमतों पर पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपभोक्ता पैकों में खाद्य तेल के निर्यात की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।

[अनुवाद] अध्यादेश 495

हाथी संरक्षण पार्क

603. **श्री एम. तम्बिदुरई : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में हाथी संरक्षण पार्क स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार तथा तमिलनाडु सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त पार्कों के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है या की जानी प्रस्तावित है; और

(घ) इन पार्कों के कब तक स्थापित होने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद] 495-96

ओडिशा में नए राष्ट्रीय राजमार्ग

604. **श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में देश में कितने राज्य राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है;

(ख) क्या उक्त अवधि में ओडिशा राज्य सरकार से माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में संचार प्रणाली में सुधार में सहायता के लिए तथा स्थानीय जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक दशा में सुधार के साथ-साथ वामपंथी समस्या को रोकने के लिए राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ओडिशा राज्य में माओवाद प्रभावित जिलों कोरापुट, रायगढ़-कंधमाल तथा गजपति से होकर गुजरने वाले बरहामपुर-कोरापुट तथा मधापुर-रायगढ़ राज्यमार्ग के नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने पर विचार कर रही है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) विगत तीन वर्षों एवं मौजूदा वर्ष के दौरान देश में विभिन्न राज्यों में 57 सड़क मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार एक सतत् प्रक्रिया है और सड़क सम्पर्क की आवश्यकता, परस्पर प्राथमिकता तथा निधियां की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर नये राजमार्गों की घोषणा की जाती है। ओडिशा राज्य में निम्नलिखित सड़क मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है:—

(i) रारा-20 पर राजमार्ग चाईबासा से आरंभ होकर गोविन्दपुर को जोड़ते हुए झारखंड राज्य में हाटा और त्रिनगिडिहि, रायंगपुर (रायरंगनगर), जाशीपुर को जोड़ते हुए और ओडिशा राज्य में धैनकिकोट के समीप रारा-20 के साथ समाप्त होता है।

(ii) राजमार्ग असीका के समीप रारा-59 के जंक्शन से आरंभ होकर ओडिशा राज्य में रायगढ़-कोरोपुट-जैपोर, मलकांगिरी, मोतू को जोड़ते हुए आंध्र प्रदेश में चिंतूरू के समीप रारा-30 पर समाप्त होता है।

(iii) राजमार्ग रारा-53 पर सारापाल से आरंभ होकर रारा-55 पर नकटीडूल, रेडाखोल को जोड़ते हुए ओडिशा राज्य में रारा-57 पर बौदा में समाप्त होता है।

(iv) राजामार्ग पुरूनाकटक के समीप रारा-57 के जंक्शन से आरंभ होकर फुलबानी, कर्लीगा, भंजननगर को जोड़ते हुए ओडिशा राज्य में रारा-59 के समीप समाप्त होता है।

[हिन्दी] 496-97

मंदबुद्धि बच्चों का विद्यालय में प्रवेश

605. **श्री महाबल मिश्रा : क्या सामाजिक और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मंदबुद्धि बच्चों के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार नजदीक के प्रत्येक सरकारी विद्यालय में मंदबुद्धि बच्चों हेतु कुछ सीटें आरक्षित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) और (ख) जनगणना, 2001 के अनुसार, देश में विकलांग व्यक्तियों की कुल संख्या 2,19,06,769 है जिसमें से 22,63,821 मानसिक विकलांग व्यक्ति हैं। 5-9 वर्ष के आयु समूह में 9% बच्चे मानसिक विकलांग हैं जबकि 10-19 वर्ष आयु समूह में ये 12% है।

(ग) से (ङ) सर्वशिक्षा अभियान यह सुनिश्चित करता है कि विकलांगता के प्रकार, श्रेणी और मात्रा पर ध्यान न देते हुए प्रत्येक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए सार्थक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए इसलिए, सर्वशिक्षा अभियान ने शून्य इंकार नीति अपनाई है। इसका तात्पर्य यह है कि विशेष आवश्यकताओं वाला कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा तथा उन्हें ऐसे वातावरण में शिक्षा दी जाएगी जो उसकी शिक्षण आवश्यकताओं के लिए सर्वोत्तम हो।

497-98

धार्मिक स्थानों के लिए सड़क संपर्क

606. **श्री रतन सिंह : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यथा अमरनाथ-केदारनाथ तथा गंगोत्री जैसे धार्मिक स्थानों के लिए सुगम पहुंच हेतु सड़क संपर्क प्रदान करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) से (ग) जी, हां। धार्मिक स्थलों को जोड़ने की कोई विशेष योजना नहीं है। तथापि, केंद्रीय सरकार राज्यीय राजमार्गों के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों और आर्थिक महत्व तथा अंतर्राज्य संपर्क की प्रमुख जिला सड़कों, जिनमें धार्मिक केंद्रों के संपर्क के लिए सड़कें भी शामिल हैं, के विकास के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सड़क निधि से निधियां प्रदान कर रही है।

[अनुवाद]

498-532

सड़क परियोजनाएं

607. **श्री आनंदराव अडसुल :**
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे राजमार्ग ठेकेदार शत-प्रतिशत सरकारी वित्तपोषण से बनाई जाने वाली सड़क परियोजनाओं को लेने के लिए तैयार हो और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसे अनुमति देने का उत्तरदायित्व सरकार का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने ऐसी परियोजनाओं की पहचान की है जिनका निर्माण शत-प्रतिशत सरकारी वित्तपोषण से होगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या शत प्रतिशत सरकारी वित्तपोषण वाली सड़क परियोजनाओं के क्रियान्वयन में ठेकेदारों का लाभ निर्धारित कर दिया गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) क्या सरकार ने परियोजनाओं के निर्धारित समय में पूरा न होने की स्थिति में शास्ति खंड शामिल किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) मंत्रालय ने 100% सरकारी वित्त पोषण से

अभियांत्रिकी, अधिप्राप्ति और निर्माण (ईपीसी) विधि से कतिपय सड़क विकास योजनाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया है जो कि निर्माण, प्रचालन, हस्तांतरण (बीओटी) (पथकर/वार्षिकी) पद्धति पर व्यवहार्य नहीं है।

(ख) और (ग) सरकार का दायित्व रेलवे प्राधिकरण से पर्यावरणीय मंजूरी और सामान्य प्रबंधन आरेखण (जीएडी) का अनुमोदन प्राप्त करना है।

(घ) और (ङ) अलग-अलग राज्यों में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर अभियान्त्रिकी, अधिप्राप्ति और निर्माण (ईपीसी) विधि से 32 मार्गों की पहचान अनंतिम रूप से की गई है पहचाने गए इन खंडों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) और (छ) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की मानक डेटा पुस्तक के अनुसार परियोजना की लागत का अनुमान लगाते समय सभी राष्ट्रीय राजमार्गों की परियोजनाओं में ठेकेदार का लाभ 10% की दर से रखा गया है।

(ज) जी, हां। यदि ठेकेदार परियोजना लक्ष्य हासिल करने अथवा निर्धारित अवधि के भीतर कार्य को पूरा करने में असफल रहता है तो ठेकेदारों को ठेका लागत के अधिकतम 10% तक, इस देरी के लिए प्रत्येक दिन की देरी के लिए ठेका लागत के 0.5% की क्षतिपूर्ति के हिसाब से भुगतान करना पड़ेगा।

विवरण

ईपीसी विधि के तहत पहचाने गए राष्ट्रीय राजमार्ग खंड

क्र.सं.	खंड	राज्य	रारा सं.	लंबाई
1	2	3	4	5
1.	कटिपुडी-डिगमरू	आंध्र प्रदेश	214	65
2.	डिगमरू-ओंगोले	आंध्र प्रदेश	214ए	255
3.	एपी बोर्डर-नीरमल	आंध्र प्रदेश	222	54
4.	बस्कीरहाट-नॉर्थ सल्मारा	असम	31	100
5.	दीमापुर-नुमालीगढ़	असम	39	100
6.	बिलासपुर-अम्बिकापुर	छत्तीसगढ़	111	190
7.	अम्बिकापुर-पथलगांव	छत्तीसगढ़	78	84
8.	पथलगांव-छत्तीसगढ़/झारखंड सीमा	छत्तीसगढ़	78	131
9.	रांची-बीरमित्रापुर	झारखंड	23	198
10.	रांची-नगर उन्तरी	झारखंड	75	265
11.	कोल्लम-कजुथुरती	केरल	208	82
12.	कोजिखोड़े-पालक्कड़	केरल	213	75
13.	कोल्लम-कुमिली	केरल	220	191

1	2	3	4	5
14.	उदयपुर (रारा-8)-कुमदाल तथा खेडा-झाडोल-सोम-नलवा दहिया (गुजरात सीमा)-इदरा	राजस्थान	58ई	154
15.	उंचा नगला-खानुवा-रोपास-धौलपुर	राजस्थान	123	80
16.	भीलवाड़ा-लाडपुरा	राजस्थान	758	72
17.	झालावाड़-राजस्थान/एमपी सीमा	राजस्थान	12	62
18.	करौली-धौलपुर	राजस्थान	11बी	101
19.	लाडनू (नीमनी जोधन)-डेगाना-मेडता सिटी	राजस्थान	458	139
20.	मेडता सिटी-लम्बा-जैतारन-रायपुर)	राजस्थान	458	79
21.	पाडी-दाहोद	राजस्थान	113	86
22.	रायपुर-भीम (जस्सा खेड़ा)	राजस्थान	458	32
23.	उनियारा-गुलाबपुरा	राजस्थान	148डी	205
24.	रामनथपुरम-धनुशकोडी	तमिलनाडु	49	70
25.	सीतारगंज-तनकपुर	उत्तराखंड	125	52
26.	बरेली-सीतारगंज	उत्तर प्रदेश	74	87
27.	इंडो नेपाल सीमा-घघरा ब्रिज	उत्तर प्रदेश	233	122
28.	बाराबंकी-बहराइच-नानापर	उत्तर प्रदेश	28सी	152
29.	गोरखपुर-फेरेंदा-नोटानवा-सोनोली	उत्तर प्रदेश	29ई	99
30.	अम्बेडकर नगर-रायबरेली	उत्तर प्रदेश	232	165
31.	रायबरेली-बांदा	उत्तर प्रदेश	232	140
32.	पुंदलबाडी-बक्सीरहाट	पश्चिम बंगाल	31	46

[हिन्दी]

मुजफ्फरपुर-बरौनी राष्ट्रीय राजमार्ग

608. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुजफ्फरपुर-बरौनी राष्ट्रीय राजमार्ग का मुजफ्फरपुर-ताजपुर खंड जर्जर स्थिति में है तथा आवाजाही योग्य नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस खंड का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा अधिग्रहण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो मुजफ्फरपुर-बरौनी राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खंड की मरम्मत कब तक किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) से (घ) मुजफ्फरपुर (किमी. 520) से बरौनी (किमी. 627) का खंड जून, 2012 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया था। मुजफ्फरपुर-तेजपुर खंड सहित कुछ खंडों को रियायतग्राही को सौंपे जाने से पूर्व उनमें कुछ गड्ढों और पेबंदों के रूप में कुछ संकेत दिखाई दे रहे थे। मुजफ्फरपुर-बरेली खंड को पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन का बनाने के लिए रियायत करार पहले ही किया जा चुका है और रियायतग्राही रियायत करार में उपलब्ध प्रावधानों के माध्यम से सड़क को यातायात योग्य स्थिति में रख रहा है।

[अनुवाद]

शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए सुविधाएं

609. श्री सुशील कुमार सिंह : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास नि:शक्त व्यक्तियों को मामूली किराये पर दुकानें/स्टाल प्रदान करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो विकलांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का नि:शक्तता-वार तथा सुविधा-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विकलांग व्यक्ति बैंकों/डाक घरों से अपनी जमा/सावधि जमा पर वरिष्ठ नागरिकों से अधिक ब्याज दर पाने के हकदार हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की शिकायतों के समाधान के लिए कोई मंच है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) और (च) जी, हां। नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत नि:शक्त व्यक्तियों की शिकायतों का समाधान करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर मुख्य आयुक्त, नि:शक्त व्यक्ति और राज्यों में आयुक्त, नि:शक्त व्यक्ति नियुक्त हैं।

गोला बारूद की खरीद में अनियमितताएं

610. श्री प्रबोध पांडा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुल्गारियाई फर्म से एंटी एयरक्राफ्ट गन जेड यू-23 के लिए गोला-बारूद की आपातकालीन खरीद में गंभीर अनियमितताएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या क्रयादेश सभी विद्यमान मानकों का पालन किये बिना जल्दबाजी में दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ङ) जेड यू-23 विमानरोधी तोपों के लिए गोला-बारूद की अधिप्राप्ति की प्रक्रिया चल रही है और इसे सभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। यह अधिप्राप्ति रक्षा अधिप्राप्ति मैनुअल (डीपीएम) 2009 में दी गई निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार की जाती है।

[हिन्दी]

उपकरणों का आयात

611. श्री उदय प्रताप सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्याधुनिक रक्षा उपकणों का आयात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्वदेशी उत्पादन के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अत्याधुनिक प्रतिरक्षा उपकरणों के अनुसंधान के लिए किसी विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) सशस्त्र सेनाओं की संक्रियात्मक आवश्यकता के अनुसार रक्षा उपस्करों का आयात किया जा रहा है।

देश के भीतर रक्षा उपस्करों के विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार कई उपाय कर रही है। सभी अधिप्राप्ति मामलों में, वैश्विक बाजार से उपस्करों की खरीदारी से पहले स्वदेशी विकास की व्यवहार्यता की जांच की जाती है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की मांग भी की जाती है ताकि उपस्करों का स्वदेशी रूप से विनिर्माण किया जा सके। इस प्रयोजन के लिए 'खरीदो और बनाओ (भारतीय)' तथा 'बनाओ' श्रेणियों की विशेष रूप से शुरूआत की गई थी। इसके अलावा, रक्षा उत्पादन नीति की घोषणा जनवरी, 2011 में की गई थी ताकि अन्य बातों के साथ-साथ रक्षा उपस्करों के स्वदेशी विनिर्माण को प्रोत्साहित किया जा सके।

(घ) और (ङ) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन सशस्त्र सेनाओं के लिए सामरिक, जटिल तथा सुरक्षा संवेदनशील प्रणालियों के डिजाइन तथा विकास कार्य में लगा है। इसने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ-साथ बहुत-सी प्रणालियों का विकास किया हैं अत्याधुनिक उपस्करों का अनुसंधान एक सतत् प्रक्रिया है।

505-06

रक्षा खरीदों की निगरानी

612. **श्री राधा मोहन सिंह :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधिकारियों की मिलीभगत से ऊंची कीमत पर बहुत कम क्षमता वाले रक्षा उपकरणों की खरीद की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे मामलों की निगरानी के लिए बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) रक्षा अधिग्रहण में निर्णय लेने की प्रक्रिया जटिल होती है जिसमें शीघ्र अधिप्राप्ति, संक्रियात्मक आवश्यकताओं, एक स्वदेशी रक्षा उद्योग के विकास और पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा तथा लोक दायित्व के उच्चतम मानकों की अनुरूपता की प्रतिस्पर्धात्मक आवश्यकताओं में संतुलन बनाने के प्रयास किए जाते हैं।

रक्षा अधिप्राप्तियां प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों तथा व्यापक परीक्षणों के बाद रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार की जाती हैं। अनियमितताओं के संबंध में शिकायतों की जांच निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है तथा उचित कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

506

पर्यटन क्रियाकलापों हेतु दिशानिर्देश

613. **श्री गुरुदास दासगुप्त :**
श्री मानिक टैगोर :
श्री पी. लिंगम :
श्री ए. साई प्रताप :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार देश में बाघ अभ्यारण्यों के मुख्य क्षेत्रों में पर्यटन क्रियाकलापों पर कोई नए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे क्षेत्रों में पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी दिशा-निर्देशों का क्या प्रभाव होगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) जी, हां। 15 अक्तूबर, 2012 को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, बाघ और इसके पर्यावास से संबंतिध पारिस्थितिकीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, कोर और बफर क्षेत्रों में विनियामित पर्यटन सहित बाघ परियोजना और बाघ रिजर्वों में पर्यटन हेतु वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 38-ओ (1)(सी) के अंतर्गत व्यापक दिशा-निर्देशों का एक सेट तैयार और अधिसूचित किया गया है जो *www.projecttiger.nic.in* में सार्वजनिक जानकारी हेतु उपलब्ध है।

(ग) बाघ संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव, यदि कोई हो तो, को कम करने के लिए बाघ रिजर्वों के कोर क्षेत्रों में, पर्यटन के अंतर्गत इस क्षेत्र अथवा वर्तमान क्षेत्र के 20% तक अहानिकर पर्यटन के दौरे की अनुमति दी गई है।

507-08 पर्यावरण

सड़क परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति

614. श्री भर्तृहरि महताब :
श्री भूदेव चौधरी :
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं सहित पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रतीक्षारत सड़क परियोजनाओं का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं में फंसी धनराशि का ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने में विलंब के कारण इनके समय तथा उनकी लागत में कितनी वृद्धि हुई;

(ग) क्या तत्तापानी-सलापुर परियोजना पिछले तीन दशकों से पर्यावरणीय स्वीकृति का इंतजार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन परियोजनाओं के कार्यान्वियन में बाधा को दूर करने और इनकी बढ़ी लागत को वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इन सभी परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) और (ख) यह मंत्रालय मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। अन्य सड़कों के विकास और अनुरक्षण का दायित्व संबंधि राज्य सरकारों और एजेंसियों का होता है। आमतौर पर परियोजनाओं को पर्यावरण स्वीकृत प्राप्त होने के बाद ही प्रारंभ किया जाता है। सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन के अंतर्गत परियोजनाओं सहित अधिकतर परियोजनाओं को निर्माण, प्रचालन, हस्तांतरण आधार पर शुरू किया जाता है जिसमें कोई लागत वृद्धि नहीं होती।

कुल 307 मामले जिसमें सीमा सड़क संगठन के मामले भी शामिल हैं, पर्यावरण और वन स्वीकृति के लिए लंबित हैं। लंबित स्वीकृति के मामलों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) तातापानी-सालापुर सड़क खंड राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा नहीं है और तद्नुसार, यह इस मंत्रालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है।

(ङ) सक्षम प्राधिकारियों द्वारा पर्यावरण स्वीकृति और उनके अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। इस स्थिति में इन लंबित 307 मामलों, जिनमें सीमा सड़क संगठन के मामले भी शामिल हैं, के संबंध में अनुमति दिए जाने की कोई समय-सीमा विनिर्दिष्ट करना संभव नहीं है क्योंकि ये प्रस्ताव केंद्र/राज्य सरकारों की विभिन्न एजेंसियों के पास लंबित हैं।

विवरण

राज्य-वार लंबित स्वीकृत मामले

(अक्तूबर, 2012 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत मामलों की संख्या
1.	असम	1
2.	बिहार	1
3.	गुजरात	1
4.	हिमाचल प्रदेश	2
5.	झारखंड	1
6.	कर्नाटक	2
7.	केरल	1
8.	मध्य प्रदेश	14
9.	महाराष्ट्र	4
10.	मिजोरम	1
11.	पंजाब	1
12.	राजस्थान	11
13.	उत्तर प्रदेश	10
14.	उत्तराखंड	1
15.	सीमा सड़क संगठन (बीआरओ)$	256
	कुल	307

$- अन्य सड़कें भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

उ०वि० 529-11

औद्योगिक विकास में मंदी

615. **श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :**
श्री शेख सैदुल हक :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्रीमती जे. हेलन डेविडसन :
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :
श्री रवनीत सिंह :
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे :
श्री आर. थामराईसेलवन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में औद्योगिक उत्पादन में विशेषकर निर्माण क्षेत्र में मंदी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान क्षेत्र-वार औद्योगिक उत्पादन कितना रहा;

(ग) क्या सरकार ने निर्माण क्षेत्र में मंदी के कारण बेरोजगारी के आंकड़ों का मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या मुद्रास्फीति/रुपये के अवमूल्यन तथा हाल ही की वैश्विक मंदी के कारण औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में व्यापक गिरावाट आई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश में औद्योगिक विकास के लिए तथा विकास दर पुन: पाने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन) : (क) और (ख) औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के रूप में मापी गई विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि सहित औद्योगिक वृद्धि में हाल के वर्षों में मामूली वृद्धि और कमी दोनों देखी गई है। वर्ष 2009-10 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 4.8 प्रतिशत थी; 2010-11 में यह बढ़कर 9.0 प्रतिशत हो गई लेकिन 2011-12 में यह गिरकर 3.0 प्रतिशत पर आ गई। वर्तमान वर्ष के पूर्वार्द्ध अर्थात् अप्रैल से सितम्बर, 2012 में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुई 5.5 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में -0.4 प्रतिशत रही।

विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि में कमी के कारणों में वैश्विक मंदी, घरेलू मांग में कमी, ब्याज दरों में बढ़ोतरी आदि हैं।

औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र-वार आंकड़ों के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि आईआईपी के समेकन के लिए इस्तेमाल होने वाले उत्पादन संबंधी आंकड़े फैक्टरियों के पूर्व निर्धारिण नमूनों से एकत्र किए जाते हैं। इस प्रकार ये उत्पादन आंकड़े क्षेत्र-वार अखिल भारतीय निरपेक्ष उत्पादन आंकड़ों के रूप में नहीं लिए जा सकते।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान औद्योगिक वृद्धि का क्षेत्र-वार विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:—

तालिका : औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के रूप में औद्योगिक वृद्धि

(प्रतिशत)

अवधि	खनन एवं उत्खनन	विनिर्माण	विद्युत	समग्र आईआईपी
2009-10	7.9	4.8	6.1	5.3
2010-11	5.2	9.0	5.5	8.2
2011-12 (अप्रैल-सितम्बर)	-1.6	5.5	9.4	5.1
2012-13 (अप्रैल-सितम्बर)	0.0	-0.4	4.6	0.1

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय।

(ग) और (घ) श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत में रोजगार पर आर्थिक मंदी के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए जनवरी, 2009 से चुनिन्दा श्रम गहन और निर्यातोन्मुख क्षेत्रों में तिमाही त्वरित रोजगार नमूना सर्वेक्षण कर रहा है। इन सर्वेक्षणों के अनुसार अर्थव्यवस्था 8 चुनिंदा क्षेत्रों नामत: वस्त्र, चमड़ा, धातु, ऑटोमोबाइल, रत्न एवं आभूषण, परिवहन, आईटी/बीपीओ, हथकरघा/विद्युतकरघा में समग्र अनुमानित रोजगार में अक्तूबर, 2008 — दिसम्बर, 2008 के

पहली तिमाही सर्वेक्षण से अप्रैल, 2012 – जून, 2012 के पंद्रहवें सर्वेक्षण में 27.38 लाख की वृद्धि हुई है।

(ङ) यद्यपि औद्योगिक उत्पादन में कमी और मुद्रास्फीति अथवा रुपए के मूल्य ह्रास अथवा वैश्विक मंदी के बीच परस्पर संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है फिर भी ये कारक देश के औद्योगिक विकास से संबंध रखते हैं। रुपए का मूल्य ह्रास उन उद्योगों के उत्पादन की लागत को बढ़ा सकता है, जो कच्ची सामाग्रियों के आयात, पूंजीगत माल आदि पर निर्भर है। मुद्रास्फीतिकारक दबाव से विनिर्माण लागत बढ़ने और साथ ही घरेलू मांग में कमी होने की आशा है। वैश्विक मंदी का निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

(च) सरकार ने देश में औद्योगिक वातावरण और विनिर्माण में सुधार के लिए विश्वास बहाली के उपाय शुरू कर दिए हैं। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में से एक राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (एनएमपी) की घोषणा है, जिसका उद्देश्य एक दशक के भीतर जीडीपी में विनिर्माण का हिस्सा बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने तथा 100 मिलियन रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। इस नीति में औद्योगिक अवसंरचना में सुधार करने के लिए उपाय का भी प्रावधान है जिनमें राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण जोन (एनआईएमजेड) की स्थापना, व्यवसाय विनियम के सरलीकरण और स्वच्छ प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देना; दक्षता विकास और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) में निवेश शामिल है।

रेलवे के दिल्ली-मुम्बई डेडिकेटिक फ्रेट कॉरीडोर के दोनों ओर वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण और अत्याधुनिक अवसंरचना युक्त मजबूत आर्थिक आधार तैयार करने के लिए दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर (डीएमआईसी) परियोजना लागू की जा रही है।

अन्य उपायों में विभिन्न प्रेस नोटों को एक दस्तावेज में समेकित करके विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संवर्धन सहित औद्योगिक निवेश का संवर्धन तथा सरलीकरण; एफडीआई नीति का धीरे-धीरे उदारीकरण तथा युक्तिकरण; औद्योगिक परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वियन के लिए उद्योग संघों और हितधारकों के साथ नियमित बैठकें आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

धनराशियों का दुरुपयोग

616. **श्री यशवीर सिंह :**
प्रो. सौगत राय :
श्री नीरज शेखर :

क्या **सामाजिक और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में विभिन्न एनजीओ विशेषकर उत्तर प्रदेश तथा बिहार में शारीरिक रूप से विकलांगों के कल्याण के लिए आवंटित धनराशि का वर्ष-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में शारीरिक रूप से विकलांगों के कल्याण के लिए इन एनजीओ द्वारा उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान धनराशि के गबन के दोषी पाए गए एनजीओ का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या, विशेषकर उत्तर प्रदेश तथा बिहार में, फर्जी तथा हेराफेरी किए गए दस्तावेज प्रस्तुत करके धनराशि जारी कराने के मामले सामने आए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने कोई जिम्मेदारी निर्धारित की है और उन एनजीओ अधिकारियों को दंडित किया है जिन्हें धनराशि के ऐसे दुरुपयोग के लिए दोषी पाया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) और (ख) सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना तथा शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के कल्याणार्थ दीनदयाल पुनर्वास योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को जारी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I तथा II में दिया गया है।

(ग) और (घ) निधियों के दुरुपयोग के संबंध में कुछ गैर-सरकारी संगठनों के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं।

(ङ) से (छ) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा निधियों के दुरुपयोग के मामलों की जांच की जाती है तथा इस योजना के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के लिए सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना (एडिप योजना) के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों के लिए राज्य-वार सहायता अनुदान

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी राशि (लाख रुपए)			2012-13 (15.11.12 तक)
		2009-10	2010-11	2011-12	
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	43.00	—	126.00	—
2.	बिहार	16.99	41.00	77.25	23.25
3.	छत्तीसगढ़	7.50	—	—	—
4.	गोवा	—	—	3.00	—
5.	गुजरात	49.45	101.70	103.80	18.83
6.	हरियाणा	5.00	14.00	8.50	2.40
7.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—
8.	जम्मू और कश्मीर	—	4.00	—	—
9.	झारखंड	—	17.00	—	—
10.	कर्नाटक	6.00	21.00	31.00	—
11.	केरल	—	—	—	—
12.	मध्य प्रदेश	3.00	6.71	—	9.00
13.	महाराष्ट्र	111.25	179.34	115.75	62.40
14.	ओडिशा	100.75	198.79	124.00	—
15.	पंजाब	5.50	8.33	21.88	—
16.	राजस्थान	331.83	309.00	302.00	—
17.	तमिलनाडु	58.09	98.00	94.36	10.05
18.	उत्तर प्रदेश	156.65	333.01	280.67	15.00
19.	उत्तराखंड	3.75	14.00	23.00	6.00

1	2	3	4	5	6
20.	पश्चिम बंगाल	21.55	46.36	23.33	16.30
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—
22.	चंडीगढ़	—	—	—	18.00
23.	दादरा और नगर हवेली	—	3.00	3.00	—
24.	दमन और दीव	—	—	—	—
25.	दिल्ली	91.10	19.00	16.65	5.60
26.	लक्षद्वीप	—	—	—	—
27.	पुदुचेरी	—	—	—	—
28.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—
29.	असम	317.50	337.48	180.25	58.45
30.	मणिपुर	—	—	—	—
31.	मेघालय	—	—	—	—
32.	मिजोरम	—	—	—	—
33.	नागालैंड	—	—	—	—
34.	सिक्किम	—	—	—	—
35.	त्रिपुरा	—	—	—	11.25
	कुल	1328.91	1751.72	1534.44	256.53

विवरण-II

विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (21.11.2012 तक) के दौरान दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना के अंतर्गत जारी राज्य-वार सहायता

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी राशि (लाख रुपए)			2012-13 (15.11.12 तक)
		2009-10	2010-11	2011-12	
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1586.81	2063.86	2500.72	455.51

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.72	3.36	9.66	—
3.	असम	87.40	184.57	174.00	—
4.	बिहार	45.48	100.57	137.67	15.98
5.	चंडीगढ़	10.50	0.00	0.00	—
6.	छत्तीसगढ़	31.52	20.07	54.68	2.72
7.	दिल्ली	170.24	249.67	188.78	38.11
8.	गोवा	18.30	14.05	0.00	7.45
9.	गुजरात	57.40	50.88	49.68	7.30
10.	हरियाणा	78.36	107.58	159.14	39.60
11.	हिमाचल प्रदेश	17.99	52.39	38.30	2.75
12.	जम्मू और कश्मीर	7.19	21.92	15.62	—
13.	झारखंड	12.01	24.02	0.00	4.13
14.	कर्नाटक	857.24	1057.62	1146.62	10.37
15.	केरल	386.96	789.99	1005.92	76.48
16.	मध्य प्रदेश	99.56	175.81	158.72	19.41
17.	महाराष्ट्र	150.51	217.50	228.91	20.80
18.	मणिपुर	130.14	305.91	19106	17.02
19.	मेघालय	25.64	73.60	63.99	—
20.	मिजोरम	6.58	40.45	22.67	—
21.	ओडिशा	448.66	591.15	605.58	45.68
22.	पुदुचेरी	13.36	6.55	12.65	6.00
23.	पंजाब	35.38	130.28	97.64	2.87
24.	राजस्थान	168.81	179.45	144.45	13.41

1	2	3	4	5	6
25.	तमिलनाडु	366.18	421.49	405.10	50.04
26.	त्रिपुरा	21.36	6.20	10.66	—
27.	उत्तर प्रदेश	718.82	612.36	597.64	151.43
28.	उत्तराखंड	53.60	132.60	63.83	13.94
29.	पश्चिम बंगाल	543.22	591.74	544.52	97.46
	कुल	6155.94	8225.64	8628.37	1098.46

पत्तनों पर यातायात

617. **श्री आर. ध्रुवनारायण :**
श्री सुरेश कुमार शेटकर :

क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वित्तीय वर्ष (2011-12) के दौरान भारतीय पत्तनों पर यातायात केवल दो प्रतिशत बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले चार वर्षों के दौरान तत्संबंधी तुलनात्मक ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में उक्त यातायात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले चार वर्षों के दौरान तुलनात्मक ब्यौरा इस प्रकार है:—

(मिलियन मीट्रिक टन)

पत्तन	2008-09 के दौरान कार्गो सम्भलाई	2009-10 के दौरान कार्गो सम्भलाई	2010-11 के दौरान कार्गो सम्भलाई	2011-12 के दौरान कागो सम्भलाई
सभी पत्तन	743.73	849.88	884.88	913.15

(ग) पत्तनों ने क्षमता और यातायात को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(i) पत्तन में डुवाब में सुधार करने के लिए जलमार्गों को गहरा किया जाना।

(ii) नई जेटियों, बर्थों इत्यादि का निर्माण।

(iii) पत्तन उपस्कर का प्रापण, प्रतिस्थापन अथवा स्तरोन्नयन।

(iv) पत्तन संपर्कता में सुधार सम्बन्धी परियोजनाएं शुरू करना।

राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा

618. **श्री प्रहलाद जोशी :**
श्री नारनभाई कछाड़िया :
श्री बलीराम जाधव :
श्री यशवंत लागुरी :
श्रीमती कमला देवी पटले :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी राज्य सड़क या राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के तौर पर घोषित/उन्नयन के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात तथा ओडिशा राज्यों सहित विभिन्न राज्य सरकारों से इस बारे में प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के बावजूद सरकार के पास राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के कुछ प्रस्ताव लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इन लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) किसी भी राज्यीय सड़क अथवा राज्यीय राजमार्ग की राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषणा/उन्नयन के लिए निर्धारित मानदंड संलग्न विवरण-I पर दिए गए हैं।

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान छत्तीगसढ़, कर्नाटक, गुजरात और ओडिशा राज्यों सहित विभिन्न राज्य सरकारों से इस संबंध में प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्रमश: विवरण-II और III पर दिया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार एक सतत् प्रक्रिया है और नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा समय-समय पर सड़क-संपर्क की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता तथा निधियों की उपलब्धता के आधार पर की जाती है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एवं अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थितियों का आवधिक आकलन उपचारात्मक कार्य किए जाने के लिए निष्पादन एजेंसियों द्वारा किया जाता है। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात घनत्व का कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर उनकी स्थितियों के आकलन पर आधारित उपलब्ध संसाधनों के अंदर समय-समय पर यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है।

विवरण-I

राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के मानदंड

मंत्रालय में योजना आयोग की टिप्पणियों के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए 11 सूत्रीय मानदंड तैयार किए हैं जो इस प्रकार हैं:–

1. ऐसी सड़कें जो देश में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है।
2. पड़ोसी देशों को जोड़ने वाली सड़कें।
3. राष्ट्रीय राजधानी को राज्य की राजघानी के साथ जोड़ने वाली सड़कें और राज्यों की राजधानियों को आपस में जोड़ने वाली सड़कें।
4. महापत्तनों, लघु पत्तनों, बड़े औद्योगिक केन्द्रों अथवा पर्यटन केन्द्रों को जोड़ने वाली सड़कें।
5. पहाड़ी एवं पृथक क्षेत्रों में अति महत्वपूर्ण सामरिक जरूरतों को पूरा करने वाली सड़कें।
6. प्रमुख सड़कें जो यात्रा की दूरी को बहुत कुछ घटा देती हों और जिनसे काफी अधिक आर्थिक वृद्धि प्राप्त होती हो।
7. ऐसी सड़कें जिनसे किसी पिछड़े इलाके के विशाल भू-भाग को और पहाड़ी क्षेत्रों को जोड़ने में सहायता मिलती हो (सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों से भिन्न)।
8. 100 किमी. का राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड प्राप्त होता हो।
9. सड़क को राज्यीय राजमार्गों के लिए तकनीकी अपेक्षाओं एवं भूमि अपेक्षाओं दोनों के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप अवश्य होना चाहिए। विद्यमान सड़कों (राज्यीय राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कें तथा अन्य सड़कें) जो यहां निर्धारित विभिन्न मानदंडों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पर विचार राष्ट्रीय राजमार्ग मानकों के अनुरूप उन्नयन किए जाने के लिए किया जाएगा। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आमतौर पर उन्नयन की जा रही सड़कें राज्यीय राजमार्गों के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप हों किन्तु ग्रिड का निर्माण करने और महत्वपूर्ण/पिछड़े क्षेत्रों को जोड़ने के लिए उन्नयन किए जाने के लिए अपेक्षित प्रमुख जिला सड़कों तथा अन्य सड़कों पर भी विचार किया जाएगा।
10. विद्यमान मार्गाधिकार राज्य सरकार की सम्पत्ति हों और सामान्यत: किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त हों।

11. राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अपेक्षित मार्गाधिकार (वरीयतन 45 मीटर, न्यूनतम 30 मीटर अधिग्रहण के लिए बिना किसी अतिक्रमण के उपलब्ध हो और राज्य सरकार छह महीने के अंदर अधिग्रहण की औपचारिकताएं पूरी कर ले। यदि सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग मानकों के अनुरूप विकसित किए जाने के लिए अतिरिक्त मार्गाधिकार अपेक्षित है तो राज्य सरकारें तत्संबंधी प्राक्कलनों को सुस्वीकृत करने के पश्चात् अधिग्रहण प्रक्रिया तीव्रता से पूरा करेगी।

विवरण-II

नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्ताव
(राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित खंडों को छोड़कर)

क्र.सं.	राज्य का नाम		सड़क/खंड का विवरण
1	2		3
I.	आंध्र प्रदेश	1.	हैदराबाद-रामागुंडम-मनचेरियल-चंदा
		2.	हैदाराबाद-श्रीसेलम-दोरनाला-अत्माकुर-नांदयाल
		3.	गुंडुगोलानु-नल्लागेरिया-देवारापल्ली-वेरनागिरि सड़क
		4.	हैदराबाद-मेडक-बोधान-बासर-लुक्सेट्टिपेट
		5.	काकीनाड़ा-द्वारपुदी-राजामुंदरी-कोव्वूर-जंगरेड्डीगुडेम-अश्वरावपेटा-खम्माम-सूर्यापेटा
		6.	राजामुंदरी-मारेदुमिल्ली-चिंटूरू-भूपालपटनम
		7.	कूरनूल-अत्मातूर-दोरनाला-थोकापल्ली-पेरीचेरला-गुंटूर
		8.	कोडेड-मिरयालागुडा-देवाराकोंडा-तंदूर-चिंचोली
		10.	कलिंगापटनम-श्रीकाकुलंम-रायगढ़ से रारा-201 तक
		10.	सिरोंचा-महादेवपुर-परकल-वारंगल-तुंगतुर्थी-नकरेकल-सलगोंडा-चलकुर्थी-मचेरला-एरागोंडापालेम-थोकापल्ली-मरकापुर-बेस्थावारिपेटा-कणिगिरि-रापुर-वेंकटगिरि-एरपेडु-रेनिगुंटा
		11.	अंकापल्ली-अनादपुरम
		12.	कुप्पम-गुंडीपाली-कोलार से रारा-219 तक
		13.	कोडेड-खम्माम-थोरूर-वारंगल-जगतयाल
		14.	अनंतपुर-उर्वाकोंडा-बेल्लारी
		15.	पुतलापट्टु-नायडुपेट सड़क
		16.	कुरनूल-बेल्लारी सड़क

1	2	3
		17. ताड़ीपत्री-रायचूर सड़क वाया अनंतपुर-उर्वाकोंडा सड़क
		18. गुंटूर-विनूकोंडा-टोकापल्ली-नांदयाल-बानागनपल्ली-ऑक-ताड़ापत्री-धर्मावरम-कोडूर सड़क
		19. आदिलाबाद-उतनूर-कानापुर-कोरूतला-वेमूलवाड़ा-सिद्दिपेट-जानागांव-सूर्यापेट-मिरयालगुडा-पिडुगुरल्ला-नरसारावपेटा-वोदारेवू
		20. निजामपटनम-रिपाले-तेनाली-गुंटूर-विनूकोंडा-थोकापल्ली-नांदयाल-बाणगंनापल्ली-ऑक-ताडपत्री-धर्मावरम- काडूर
		21. कृष्णापटनम पोर्ट-अत्माकुर-बडवेल-मेदूकूर-प्रोद्दातूर-जमलामडुगु-गूटी
		22. विशाखापटनम-तल्लापलम-नरसीपटनम-चिंतापल्ली-सिलेरू-उप्पेरसिलेरू-दोनकरई-मोतीगुदेम-लक्कावरम-चिंतूर
		23. विशाखापटनम-पेंदुर्थी-श्रृगावरपुकोट्टा-अनंतगिरि-सुनकारावारिमेट्टा-अराकु-ओडिशा राज्य सीमा
		24. निर्मल-खानपुर-लुक्सेट्टिपेटा (रारा-222 का विस्तार)
		25. राजामूंदरी, गोकावरम, रामपचोदावरम, मारेदिमिल्ली, चिंटूर, भद्राचलम, चरला, वेंकटपुरम
		26. गोलांव-आसिफाबाद-मांचेरल-पेड्डापल्ली-करीमनगर-वारंगल-महबूबाबाद-खम्माम-कोडाड
		27. कोडाड-मिरयालयगुडा-देवाराकोंडा-कलवाकुर्ती-उर्वाकोंडा-अनंतपुरम
		28. टाडा-श्रीकालाहासी-रेनिगुंटा-कुडप्पा
		29. गुडुर-रापुर-राजमपेट-रायाचोटी-कादिरी-हिंदुपुर-मदकसिरा
		30. पेनुगोंडा-मदकसिरा-हीरायूर
		31. संगारेड्डी-नरसापुर-भोंगीर-चितयाला-शादनगर-चेवल्ला-संगारेड्डी
		32. पमारू-चल्ला पल्ली सड़क
		33. हैदराबाद-मेडक-येल्लारेड्डी-बांसवाड़ा-बोधान
		34. तिरूपति-नायडूपेटा सड़क
		35. हैदराबाद-बीजापुर सड़क (वाया) मोइनाबाद, चेवल्ला, मन्नेगुडा, कोडांगल
		36. कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग से मिलने वाली नंदयाल-अत्माकुर-नंदीकोतकुर-आलमपुर-ईजा सड़क
		37. मंगलौर (कर्नाटक) से तिरूवन्नामलाई (तमिलनाडु), वाया आंध्र प्रदेश में वेंकटगिरि
		38. कलिंगपटनम पोर्ट से श्रीकाकुलम जिले में रारा-5 (नई रारा सं. 16) तक

1	2	3
		39. भिमिली पोर्ट से विशाखापटनम जिले में रारा-5 (नई रारा सं. 16) तक
		40. विशाखापटनम पोर्ट से विशाखापटनम जिले में रारा-5 (नई रारा सं. 16) तक
		41. गंगावरम पोर्ट से विशाखापटनम जिले में रारा-5 (रारा सं. 16) तक
		42. काकीनाडा से राजनगरम (एडीबी)
		नई राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में सड़कें (नई रारा सं. 16)
		43. मछलीपट्नम पत्तन से हनमन जंक्शन (नई रारा सं. 16)
		44. नजमपटनम-रेपाल्ले-तेनाली-गुंटूर सड़क
		45. वाडरेचु पत्तन से रारा-5 (नई रारा सं. 16) तक सड़क का उन्नयन
		46. ओंगोले से कोठपटनम
		47. कृष्णापटनम पत्तन से रारा-5 (नई रारा सं. 16)
		48. गुडुरू से कृष्णापटनम पत्तन तक पत्तन सड़क संपर्क
		49. रायचोटी-चेन्नामनदेम-गुर्रमकोंडा-कुराबलकोटा
II.	अरुणाचल प्रदेश	1. चांगलांग-मरघेरिटा सड़क
		2. बामे-किकिबाली-अकजन सड़क
		3. सगली-मेंगिया-दीड-जिरो सड़क
		4. नामपोंग-मोतोंग्सा-देबान-नामचिक-जगुन सड़क
III.	असम	1. धोदर अली
		2. बदरपुरघाट-अनीपुर-पनिसाग रोड (असम त्रिपुरा) वाया अंगला बाजार-आदरकोना-भैराब नगर-दुल्लेचेरा-चरांगी-कोटामोनी-दमवहेड़ा-पानीसागर राष्ट्रीय राजमार्ग (दिनांक 5.6.11 को सूचीबद्ध)
IV.	बिहार	1. दरभंगा-कामतोला-मधवापुर सड़क
		2. रारा-107 (जिला सहरसा) पर परी चौक (रारा-107) बेरियाही-बनगांव को जोड़ने वाली सड़क से रारा-57 तक
		3. सोनबरसा-बैजनाथपुर
		4. सराईगढ़ रेलवे स्टेशन-लालगंज-गंपतगंज

1	2	3
		5. सुपौल-पिपरा (रारा-106)-त्रिवेणीगंज-भरगामा-रानीगंज (अरड़िया)-ठाकुरगंज-गलगलिया (किशनगंज से पश्चिम बंगाल सीमा तक)-पूर्व पश्चिम महामार्ग तक
		6. मुजफ्फरपुर-देवरिया-बरूराज-मोतीपुर
		7. मुजफ्फरपुर-पुसा-धौली-कल्याणपुर
		8. क्योतसा-कटरा-रूनी सईदपुर-बेलसंद-परसौनी
		9. झापा-मीनापुर-श्योहर
		10. दरभंगा-बहेड़ा-बिरौल-कुशोसवर अस्थान
		11. दरभंगा-बहेड़ा-सिंघिया-रोसेरा-नरहन-चेरिया-बरिरपुर-बेगुसराय
		12. हाजीपुर-महनर-मोहिउद्दीन नगर-बछ्वाडा
		13. मांझी-दरौली-गुथनी
		14. गुथनी-किरवा-सिवान-बरहरिया-सरफारा
		15. मिरवा-कुचईकोट
		16. दरोंडा-महाराजगंज-तरवारा-बरहरिया-गोपालगंज
		17. मिरगंज-भगीपट्टी
		18. सिवान-पैगम्बरपुर
		19. छपरा-खैरा-सलेमपुर
		20. मांझी-बरौली-सरपाड़ा
		21. बेतिया-चंपतिया-नरकटियागंज-थोरी
		22. सीतामढ़ी-रिगा-धेंग-बैरगनिया
		23. अमौर-बायसी-बहादुरगंज
		24. आरा-सासाराम रोड
		25. भोजपुर-डुमरांव-विक्रमगंज-नासरीगंज-डेहरी-ओन-सोन
		26. बक्सर-चौसा-मोहनिया-भभुआ-अधौरा-गारके (उत्तर प्रदेश सीमा)

1	2		3
		27.	बडबिघा-शेखपुरा-सिकंदरा-जमुई-देवघर
		28.	शेखपुरा-लखीसराय-जमुई
		29.	सुलतानगंज-देवघर
		30.	भागलपुर हंसदिहा दर्दमारा तक
		31.	घोघा-बाराहट
		32.	जमुई-लक्ष्मीपुर-खड़गपुर-बरियारपुर
		33.	अकबर नगर-सहकुंड-अमरपुर-बांका
		34.	गया-पंचनपुर-बौदनगर
		35.	बाराहट-पंजवाडा-धौरिया-संहौला-घोघा रोड
		36.	मेहंदिया रारा-98 हसपुरा-पचरूखिया-खुंदवान-फेसर-औरंगाबाद
		37.	बरियारपुर-खड़गपुर-कुदास्थान
		38.	सासाराम-चौसा वाया कोचस
		39.	पहाडी (रारा-30) से मसौरही (रारा-83)
		40.	मगध मेडिकल कॉलिज से रफीगंज, गोह, औरंगाबाद
		41.	वजीरगंज (रारा-82) से रारा-2 4 लेन वाया फतेहपुर, पहाड़पुर, अमरपुर, धडहाडा
		42.	रारा-83 से महनपुर बाडाचट्टी जी.टी. रोड़ (रारा-2) वाया टेकुनाफार्म-दुबलनैली-मरनपुर-बोध गया (नदी के किनारे से होकर)
		43.	खड़कबसंत-जाले
		44.	गाढ़ा-बौचक-बाजपट्टी-कुम्बा-बेला
		45.	रूनी सैदपुर-कोवाही-बलुवा-मीनापुर
		46.	मझौली-कटरा-जजुवार-चरौत
V.	छत्तीसगढ़	1	बिलासपुर से पंडारिया, पोंदी, क्वार्दा, राजनंदगांव, अंतागढ़, नारायणपुर, बरसूर, गीदम, दंतेवाड़ा, बैलाडिला, चिंतलनार, मरियागुंदा से भद्राचलम

1	2		3
		2.	गडचिरोली (महाराष्ट्र) से मानपुर-भानुप्रतापपुर-कांकेड़-दुधावा-सिहावा-नगरी-बरदुला-मैनपुर से खरियार सड़क (ओडिशा)
		3.	अम्बिकापुर से वडरफनगर से वाराणसी (उत्तर प्रदेश) तक नए रारा सं. 130 का विस्तार
		4.	रायपुर से बलोदाबाजार-कसदोल-भटगांव-सारंगढ़-सरिया-सोहेला सड़क (ओडिशा)
VI.	दादरा और नगर हवेली	1.	दमन से नासिक वाया वापी, सिलवासा, खनवेल और त्रियंबकेश्वर
		2.	वापी-सिलवासा-तालासारी सड़क
		3.	गुजरात में जरोली गांव से रारा-8 को स्पर्श करते हुए नारोली-खरादपाड़ा-लुहारी-चिखली-आप्ति एवं वेलुगाम (सभी दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में) से तलसारी तक, वाया महाराष्ट्र में सुत्राकर सड़क खंड
VII.	दमन और दीव	1.	रारा-8 के निकट मोहनगांव रेल क्रासिंग से प्रारंभ होकर जरी-कचीगम-सोमनाथ-कुंटा-भैंसलोर-पटालिया (सभी दमन में) के रास्ते रारा-8 पर उदवाड़ा रेल क्रासिंग (गुजरात में) तक
VIII.	गुजरात	1.	भुज-खवादा-इंडिया ब्रिज-धरमशाला से भारत की सीमा सड़क तक
		2.	वडोदरा-पोर-सिनोर-नेतरंग-व्यारा-अहवा-सापूतारा-नासिक सड़क
		3.	मेहसाना-चांसमा-राधनपुर सड़क
		4.	राजकोट-मोरबी-नवलखी सड़क
		5.	पालनपुर-गांधीनगर-अहमदाबाद सड़क
		6.	राजपिपला-वापी सड़क
		7.	वसाद-पडरा-कर्जन सड़क
		8.	नादियाद-कापडवंज-मोदासा से रारा-8 को जोड़ते हुए
		9.	अहमदाबाद-ढोलका-वातामन
		10.	भावनगर-कर्जन सड़क
		11.	पोरबंदर-पोरबंदर पत्तन सड़क
		12.	जामनगर-बेडी पोट रोड
		13.	त्राप्ज-अलंग पोर्ट रोड

1	2	3
		14. ज्खाऊ पोर्ट रोड
		15. गांधीनगर-गोजारिया-विसनगर-वादनगर-खेरालु-दंता-अम्बाजी-आबु रोड
		16. हिम्मतनगर-वीजापुर-विसनगर-उंजा सड़क
		17. अहमदाबाद-वीरमगांव-संखेश्वर-राधनपुर सड़क
		18. पालनपुर-चंडीसर-दंतिवाडा-गुजरात सीमा सड़क
		19. भाभर-शिहोरी-पाटन-सिद्धपुर-वालासन-ईदर-हिम्मतनगर सड़क
		20. भाभर-देवदर-खेमना-पाटन-चांसमा-मेहसाना सड़क
		21. भचाऊ-भुज-पंधरो सड़क
		22. चितरोड-रापड़-धोलावीरा सडक
		23. सुईगम-सिधादा सड़क
		24. जामनगर-जूनागढ़ सड़क
		25. राजकोट-अमरेली सड़क
		26. बागोदरा-धनधुका-वल्लभीपुर-धारा-अमरेली सड़क
		27. वदोदरा-दभोई-छोटाउदयपुर सड़क
		28. भरूच-अंकलेश्वर-वालिया-नेतरंग-सगबारा सड़क
		29. हिम्मतनगर-इदेर-खेडब्रह्म-अम्बाजी से आबु गुजरात सीमा सड़क
		30. जाफराबाद-रजूला-सवरकुंदाला-अमरेली-बबारा-जसदान-विचिया-सायला-सुरेन्द्रनगर-पटदी-सामी-राधनपुर सड़क
		31. गांधीनगर-देहगांव-बेयाड-लूनावाडा-संतरामपुर सड़क
		32. ऊना-देलवाडा-अहमदपुर मांडवी-दीव सड़क
		33. वापी-मोतापोंधा सड़क
		34. वापी-सिलवासा सड़क
		35 बागोदरा-धनधुका-भावनगर सड़क
		36. वाणकबारा-कोटड़ा सड़क-रारा-8ई तक

1	2	3
		37. हिम्मतनगर-मेहसाना-राधनपुर राज्य राजमार्ग
		38. शामलाजी-मोदासा-गोधरा-वापी राज्यीय राजमार्ग सं.5
		39. वदोदरा-दाभोल-छोटाउदयपुर से म.प्र. सीमा तक
		40. गांधीनगर-देहगाम-बेयाड-जालोड से राजस्थान सीमा तक
		41. बागोदरा-धनधुका-वल्लभीपुर-रजुला-जाफराबाद
		तटवर्ती सड़कें:
		42. नारायण सरोवर-लखपर
		43. नालिया-द्वारका
		44. रारा-8 पर भावनगर-वातामन-पडारा-कारजन
IX.	गोवा	1. कारसवाड़ा-बिचोलिम-साखली-सुरला-उसगाव-खांदेपुर
		2. सैक्विलिम-केरी-चोरलम
		3. मडगांव-पडोदा-क्विपेम-चरचोरेम-सवोरडेम-धरबंदोरा
		4. मोपा-बिचोलिम-सैक्विलिम-उसगाव
		5. कुरती से बेरिम
		6. असनोरा से डोडामार्ग
X.	हरियाणा	1. अम्बाला कैंट (रारा-1) से साहा (रारा 73)
		2. साहा (रारा-73) से शाहबाद (रारा-1)
		3. उकलाना (रारा-65) — सुरेवलचल से टोहना-पटरन (रारा-71)
		4. रोहतक शहर में रारा-71 और रारा-71ए के बीच
		5. गुडगांव-झज्जर-बेरी-कालानौर-मेहम (रारा-8 और रारा-10 के बीच)
		6. सोनीपत-गोहाना-जींद (रारा-1 और रारा-71 के बीच)
		7. कैथल-जींद-मुंडल (रारा-65 और रारा-10 के बीच)
		8. बहादुरगढ़-झज्जर-कोसली-महिन्द्रगढ़-नारनौल-कोतुतली (रारा-10 और रारा-8 के बीच)

1	2	3
		9. कैथल (तितरम मोड)-जींद (एसएच-11ए और 12) (रारा-65 को रारा-71 से जोड़ते हुए)
		10. कैथल-गुहला-पंजाब सीमा (एसएच-11) (रारा-65 को पंजाब में पटियाला के निकट रारा-64 से जोड़ते हुए
XI.	हिमाचल प्रदेश	1. होशियारपुर-भानखंडी-झालरा-ऊना-भोता-जोहा-रेवालसर-मंडी रोड
		2. यमुनानगर-लाल धंक-पौंटा-दारनघाटी सड़क
		3. कीरतपुर साहिब-नंगल-ऊना-मैकलोडगंज रोड
		4. स्लप्पर-तट्टापानी-लूरी-सैंज सड़क
		5. चंडीगढ़ (पीजीआई)-बद्डी-रामशहर-शालाघाट सड़क
		6. तारादेवी (शिमला)-जुब्बारहट्टी-कुनीहार-रामशहर-नालागढ़-घनौली (एसएच सं. 6) (हिमाचल प्रदेश सीमा) सड़क
		7. भरमौर-चम्बा-डलहौजी-पठानकोट सड़क
		8. हमीरपुर-सुजानपुर-पालमपुर सड़क
		9. ब्रह्मपुखर-बिलासपुर-घुमारविन-सरकाघाट-धर्मपुर-सिद्धपुर-लाड-भरोल-जोगिन्द्रनगर
		10. स्लैपर-पांदोह-चैलचौक-करसोग-तट्टापानी-धल्ली-थियोग-कोटखई-जुब्बल-हतकोटी सड़क
		11. किश्तवाड़ (जे एंड के)-तंडी (हि.प्र.)
		12. सुजानपुर-संधोल-मंदाप-रेवलसर-नरचोवा-जयदेवी-तत्तापानी-धल्ली
		13. भरमौर, चम्बा-सुल्तानपुर-जोट-चोवाडी-लहरू-नुरपुर
		14. किरतपुर-नांगल-भाक्डा-थाना कलां-बंगाना-तुतरू-भैम्बली-मंझियार-नदौन-सुजानपुर-संधोल-धरमपुर-मनदाप-रेवलसार-नया-चौक रोड
		15. धनोटु-जयदेवी-तोहंडा-चुरग-टाटापानी-धल्ली
		16. नरकांडा-बागी-खदराला-सुंगरी-रोहरू-हटकोटी रोड
XII.	जम्मू और कश्मीर	1. मुगल (पाम्पोरे से राजौरी) रोड
		2. दुनेरा (पंजाब) से पुल डाडा वाया बसोली-बानी-भदेरवाह-डोडा से जुड़ने वालारारा-1बी
		3. सोपियां-कुलगाम-क्वाजीगुंड रोड

1	2		3
		4.	श्रीनगर-बंदिपोरा-गुरेज रोड
		5.	डोडा और अनंतनाग जिले में पुल डोडा एक्जिट (पुल डोडा) डेसा-गई-कपरन-वीरोमग सड़क
		6.	जवाहर टनल एक्जिट (इमोहो) वेरीनाग-अजबल
XIII.	झारखंड	1.	गोबिंदपुर-जामतारा-दुमका-साहेबगंज सड़क
		2.	चक्रधरपुर-जरईकेला-पंपोश सड़क
		3.	एसएच-3 [रारा-23 कामदारा पर कोलेबीरा-तोरपा-खुंटी (रारा-75 विस्तार)-अरकी-रारा-33 पर तामर]
		4.	रारा 80 पर महागामा-महरमा-साहेबगंज
		5.	गुमला में रारा-23 को और कुरू में रारा-75 को जोड़ते हुए एसएच-08 (गुमला-घाघरा-कुरू सड़क)
XIV.	कर्नाटक	1.	मैसूर-चन्नारायापटना-अरसीकेरे-चन्नारायापटना और सकलेशपुरा वाया होलेनरसिपुरा के बीच लूप
		2.	बिल्लिकेरे-हसन-बेलूर-तारीकेरे-शिमोगा-होन्नाली-एच.पी.हल्ली-होसीत-गंगावती-सिंदनूर-मानवी-रायचूर
		3.	रारा 48-हसन-गोरूर-अरकुलगुड-रामनाथपुरा-बेटाडापुरा-पेरियापटना-गुंडलुपेट सड़क
		4.	बंटवाल-मुदिगेरे-बेलूर-हलेबिदु-सीरा-गौरीबिदनौर-सी.बी.पुरा-चिंतामणि-श्रीनिवासपुरा-मुलबगल
		5.	बंगलौर-आउटर रिंग रोड दोबासपेट-सोलुर-मगडी-रामनगरम-कणकपुरा-अनेकल-अत्तीबनेले-सरजापुरा
		6.	बंगलौर-रामानगरा-चन्नापटना-मांड्या-मैसूर-मरकारा-मंगलौर (रारा-17 से जोड़ने के लिए)
		7.	बीदर-हुमनाबाद गुलबर्ग-सिरिगुप्पा-बेल्लारी-हिरियूर-चिक्कानायकनाहल्ली-नागमंगला-पांडवपुरा-श्रीरंगपटना
		8.	कोरातागेरे-तुमकुर-कुनिगल-हुलियूरदुर्ग-मद्दूर-मालावल्ली सड़क
		9.	बेलगांव-बीजापुर-गुलबर्ग हुमनाबाद
		10.	बेलगांव-बागलकोट-रायचूर-मेहबूबनगर-आंध्र प्रदेश
		11.	चित्रदुर्ग-होललकेरे-होसदुर्ग-चिक्कामंगलौर-मुदिगेरे-बेलथनगड़ी-बंटवाल-मंगलौर (रारा-17 से जोड़ने के लिए)
		12.	पडुबिदरी-करकला-श्रींगेरे-तीर्थहल्ली-शिकारीपुरा-सिरलकुप्पा-हुबली-बागलकोट-हुमनाबाद
		13.	मालवल्ली-बन्नूर-मैसूर सड़क
		14.	गिनिगेरे (कोप्पल)-गंगावती-कालमाला (रायचूर) सड़क (गिनिगेरे-गंगावती-मानवी-सिंधनूर-कलमाला)
		15.	कुमता-सिरसी-तडासा-हुबली सड़क

1	2	3
		16. आंध्र प्रदेश में पेनुगोंडा को जोड़ते हुए रारा-4 पर हिरियूर से एसएच-24 तक
		17. जेवारगी-बेल्लारी-हत्तीगुडुर-लिगासुगुर-सिंधनूर-सिरिगुप्पा
		18. डोड्डाबल्लारपुर-कोलार सड़क वाया नंदी विजयपुरा, वेमगल
		19. कुमता-सिरसी-हवेरी-मोलाकलमुरू-अनंतपुरा
		20. औड़द-बीदर-चिंचोली-जेवारगी-बीजापुर-सेदबल-गटकरवादीन महाराष्ट्र
		21. हेबसुर-धारवाड़-रानगरम-पणजी सड़क
		22. बागलकोट-गुलेदागुड्डा-गजेन्द्रगढ़-कुकुनूर-भानपुर
		23. बंगलौर-रारा-7 (सोमनदेनापल्ली) को जोड़ते हुए हिंदुपुरा से राज्य की सीमा तक
		24. कडूर-कन्ननगाडा राज्यीय राजमार्ग सं. 64
		25. बेलगांव-बागलकोट-हुनुन्ड सड़क
		26. कोप्पाला-जेवारगी सड़क
		27. नवलकुंड-कुश्तागी सड़क
		28. मानदवाडी-एच.डी.कोटे-जयुपरा-कोल्लेगल-सलेम सड़क
		29. वनमारापल्ली-औरड-बिदर (राज्यीय राजमार्ग-15 का भाग) और रारा-9 से जुड़ने वाला बिदर से हुमनाबाद तक राज्यीय राजमार्ग-105
		30. टाडस-मुंडागोड-हंगल-अनावट्टी-सिरालकोप्पा-सिकारीपुरा-सिमोगा
		31. कुमटा-सिरसी-हावेरी-हडगली-हरपनहल्ली-कुडलगी
		32. नंजनगुडु-कामराजनगर
		33. रारा-13 पर जुड़ने वाला अडवी सोरनपुरा से जगलुर वाया मुंडरगी-हुविनहडगल्ली-उज्जैनी
		34. कलपेट्टा-मनंतवाड़ी-कुट्टा-गोनी-कोप्पल-हुन्सूर-मैसूर सड़क
		35. देवनहल्ली-विजयपुरा-एच.क्रास-वेमागल-कोलार-केजीएफ-केम्पपुरा सड़क
XV.	केरल	1. तिरुर-कोट्टाक्कल-मलप्पूरम-मंजेरी-गुंडालुपेट सड़क
		2. तिरुवनंतपुरम-नेदुमानगढ़-चिल्लीमन्नूर-मदाथरा-कुलातुपुझा-थेनमाला-पुनालुर-पतनपुरम-रन्नी-प्लाचेरी-मणिमाला-पोंकून्नम-पलई-थोडुपुझा-मुवत्तुपुझा

1 2		3
	3.	चलकुड़ी-अतीरापल्ली-वाजचल-पेरिंगलकुतु-(राज्यीय सीमा)-पोल्लाची
	4.	कोडुंगलूर (रारा-17-408/850) इरिनजालकुड़ा-त्रिचूर-वडक्कनचेरी-चेरुतुरुथी-शोरनुर-पट्टाम्बी-पेरिनतलमन्ना-मेलात्तूर-पट्टीकाडु-पंडीकाडु-वंडूर-वादपुरम-कालीगवु-निलाम्बुर राज्यीय सीमा (31.6 किमी.) गुडलूर एच (22, 23, 28, 39, 73).
	5.	कोझिकोडु-चेरुपा-ऊराकाडवू-अरेक्कोडे-इडानन-निलाम्बुर-नाडुकनी (97.7 किमी.)-गुडलूर-ऊटी (60 किमी.)
	6.	वाडकरा-नादपुरम-कुट्टीयाडी-थोट्टीपालम-पाकरमतलम-तरूवन्ना-नालम्मिली-मानतवड़ी-काट्टीकुलम-बावेली (राज्यीय सीमा)-मैसूर.
	7.	केरल में तलसेरी (रारा-17)-कुथुपारम्बा-मत्तान्नूर-इरूट्टी-कुट्टापुझा-(राज्यीय सीमा) विराजपेट्टाह-गोनीकोप्पा-हुन्सूर-मैसूर (रारा-212)
	8.	तलसेरी-कुथुपारम्बा-कन्नावम-नेदुमपोल-मानतवाड़ी-पन्नामारम-सुल्तान बातेरी
XVI. मध्य प्रदेश	1.	हरई-लोतिया-तामिया-जुन्नारदेव-बेतुल-खेड़ी-अवालिया-आशपुर (शापुर-खंडवा खंड को छोड़कर) खंडवा-देशगांव-भीकनगांव-खारगांव-जुलवानिया
	2.	जबलपुर-खुंदाम-हीरापुर-डिंडोरी-अमरकंटक-छत्तीसगढ़ सीमा
	3.	भंडारा-तुमसर (महाराष्ट्र से बारासेवनी-बालाघाट-बैहर-मोतीनाला वाया मवई से अमरकंटक)
	4.	दमोह-हट्टा-गैसाबाद-सिमरिया-मोहिन्द्रा-पवई-नागौड़-बीरसिंहपुर-सिमरिया-सिरमौर-शाहगंज तक पूर्व अधिसूचित राष्ट्रीय राजमार्ग के संशोधन के पश्चात्
XVII. महाराष्ट्र	1.	तटवर्ती सड़क
	2.	दुगुलूर-रायचूर
	3.	कोल्हापुर-शोलापुर-लातूड़-नांदेड़-यंतोडल-वर्धा-नागपुर
	4.	धुले सोनगीर डोन्डइचा शाहदा मोलगी राज्यीय सीमा एमएसएच-1
	5.	वापी पेठ नासिक निफड येवला वैजपुर औरंगाबाद जालना वातूर मंथा जिंतूर औंध वासमथ नांदेड़ बिलोली राज्यीय सीमा, एमएसएच-2
	6.	श्यामलाजी वघई वानी नासिक एमएसएच-3
	7.	इंदौर जन्नेर सिलोड औरंगाबाद नागर शिरूर पुणे रोहा मुरुद एमएसएच-5
	8.	रारा-6 खरबी गोवरी रजोला पेचखेड़ी परदी उमरेर वर्धा अर्नी उमरखेड़ वारंगा नांदेड़ लोहा औसा शोलापुर संगोला कोल्हापुर एमएसएच-6

1	2	3
		9. अकोला हिंगोली नांदेड़ नरसी करादखेड़ राज्यीय सीमा एमएसएच-7
		10. गुजरात राज्य सीमा तालोडा पथरई चेन्दवेल नामपुर मनमाड रहूरी नगर तेम्भूरनी मंगलवेध उमडी बोबलाद से राज्यीय सीमा एमएसएच-8
		11. नागपुर उमरेर मुल गोंदपिम्परी सिरोंचा से राज्यीय सीमा एमएसएच-9
		12. नांदेड मुदखेड भोकर किनवत से राज्यीय सीमा कोरपाना चिंचपाली मुल सावली धन्नोरा से राज्यीय सीमा एमएसएच-10
		13. राज्यीय सीमा गोंडिया सड़क अर्जुनी मोड़ गड़चिरोली अश्ति एमएसएच-11
		14. घोटी सिन्नार कोपारगांव लासूर जालना मेहकर तालेगांव वर्धा एमएसएच-12
		15. मलकापुर बुलदाणा चिखली अम्बाद वादीगोदरी एमएसएच-13
		16. बामनी बल्लारपुर यवतमाल चिखलदारा खंडवा एमएसएच-14
		17. बानकोट मंदनगड भोर लोनंद नाटेपुटे पंदरपुर एमएसएच-15
		18. जेएनपीटी से एस.एच. 54 (किमी 6.400 से किमी 14.550) का गावन फाटा खंड
		19. आमरा मार्ग (किमी 0.00 से किमी 6/200)
		20. अंकलेश्वर-बुरहनपुर राज्यीय राजमार्ग संख्या 4
		21. मिसिंग लिंक (एसएच-106) जयगड से रारा-17 (एनएचओ कार्यक्रम के अंतर्गत)
		22. अहमदनगर-बीड-परभानी सड़क से विद्यमान एमएसएच-2 तक सड़क
		23. एसएच-255ए (रारा-6 से रारा-69 तक) वाया गौंधखैरी-कालमेश्वर-सावनेर सड़क
		24. नागर-बीड-नांदेड लिंक
		25. बूटीबोर (नागपुर के निकट रारा-7 के साथ जंक्शन)-वर्धा यवतमल-हडगांव-वारंगा नांदेड-लोहा अहमदपुर-लातूर-औसा-तुलजापुर (रारा 211 के साथ जंक्शन) सोलापुर-संगोर-मिराज-कोल्हापुर
		26. सिन्नार (रारा-50 का जंक्शन) से शिरडी (एसएच 39) 60 किमी. को जोड़ते हुए और शिरती को अहमद नगर को जोड़ने वाला राजमार्ग (जंक्शन रारा-222) 100 किमी. (एसएच 10) 160 किमी.
XVIII.	मेघालय	1. फुलबारी से नांगस्टोइन वाया तुरा सड़क
		2. अगिया-मेधिपाड़ा-फुलवाबरी-बारेंगापाड़ा सड़क
		3. अगिया-मेधिपारा-फुलवाबडी-तुरा सड़क

1	2		3
		4.	बिश्नूपुर से हाफलांग रोड वाया रेंगपांग
XIX.	मणिपुर	1.	कांगपोकपी से तमेंगलोंग वाया तमेई
XX.	मिजोरम	1.	कीमत से जोखावतर वाया खाउबंग सड़क
XXI.	नागालैंड	1.	असम में बोकाजन-नागालैंड में रेंगमापानी-किफिरे
		2.	नागालैंड में हाफलौंग-माहुर-लायके-कोहिमा
		3.	नागालैंड में त्वेनसांग-असम में नांगिनी मोरा-शिवसागर (सिमुलगुड़ी)
		4.	मोकुकचुंग और चाड़े के बीच सड़क जो रारा-61 और रारा-155 के साथ जोड़ती है
		5.	त्वेनसांग से तुली वाया मोन-तिजिट
		6.	दीमापुर से किफिरे
XXII.	ओडिशा	1.	कटक-पारादीप
		2.	सम्बलपुर-राउरकेला सड़क
		3.	जगतपुर-केन्द्रपाड़ा-चांदाबाली-भद्रक सड़क
		4.	फुलबनखरा-चारीछाक-गोप-कोणार्क-पुरी
		5.	बरहमपुर-कोरापुट सड़क
		6.	काखिया-जाजपुर-अरदि-भद्रक सड़क
		7.	जोशीपुर-रायरंगपुर-तिरिंगी सड़क
		8.	करमदिही-सुबदेगा-तलसोरा-लुहाकेरा
		9.	राउरकेला-रैनबहल-कानीबहल सड़क
		10.	कुकुरभुका-लांजीबेरना-सलांग बहल सड़क
		11.	जालेश्वर-बाटागांव-चंदनेश्वर सड़क
		12.	ढेंकनाल-नारनपुर सड़क
		13.	जयपोर-मल्कानगिरी-मोतु सड़क
		14.	माधपुर-केराडा-सरंगादा-बालीगुडा-तुमिदिबंध-दुर्गापंगा-मुनिगुआ-कोम्टेलपेटा-रायागडा

1	2		3
XXIII.	पुदुचेरी	1.	करईकल-नेंदुनगटु-कुम्बकोणम-तंजोर सड़क
		2.	करईकल-पेरालम-मईलादुतुरई-सिरकाली सड़क
		3.	करईकल-पेरालम-तिरूवरूर सड़क
		4.	सिरकाली-सेम्बानारकोइल-करईकल के साथ अक्कूर सड़क लिंक
		5.	चेन्नै से पुदुचेरी तक पूर्वी तटीय सड़क
XXIV.	पंजाब	1.	एसएच-25 अमृतसर-राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा-डेरा बाबा नानक-गुरदासपुर
		2.	एसएच-22 कीरतपुर साहिब-आनंदपुर साहिब-नंगल-ऊना (हिमाचल प्रदेश से होते हुए) होशियारपुर
		3.	तखत श्री दमदमा साहिब (तलवंडी साबो) से संचखंड श्री हुजूर साहिब (नांदेड) तक गुरू गोबिंद सिंह मार्ग
XXV.	राजस्थान	1.	बूंदी (रारा-12)-बिजोलिया
		2.	मथुरा (रारा-2) भरतपुर-बनयाना-भदौती-सवाईमाधोपुरा-पालीघाट-इटावा-मंगरोल-बारन (रारा-76)
		3.	मवली-भनसोल-ओडेन-खन्मनौर-हल्दियाघाट लौसिंग-कुम्भलगाढ़-चरभुजा (एसएच-49)
		4.	जयपुर (रारा-8)-जोबनेर-कुचामन-नागौर-फलोदी (रारा-15)
		5.	मंदसौर (रारा-79)-प्रतापगढ़ (रारा-113)-धारवाड़ा-सलुमबेर डूंगरपुर बिचिवाड़ा (रारा 8)
		6.	श्री गंगानगर-हनुमानगढ़-टडलका मुंडा-नौहार-भदरा-राजगढ़-झुंझुनू-उदयपुरवटी-अजीतगढ़-शहपुरा (रारा-8)
		7.	फतेहपुर (रारा-11)-झुंझुनू-चिड़ावा-सिंघाना-पचेरी (हरियाणा सीमा)-नारनौल-नमोल-रेवाड़ी (रारा-8)
		8.	भरतपुर (रारा-11)-दीग-अलवर-बानसुर-कोटपुतली-नीम का थाणा-चाला-सीकर-नेचवा-सालासर (रारा-65)
		9.	कोशी (रारा-2)-कामा-दीग-भरतपुर
		10.	स्वरूपगंज (रारा-14)-सिरोही-जालोर-सिवान-बलोतरा (रारा-112)-फलोदी
		11.	मथुरा-भरतपुर सड़क
		12.	नसीराबाद-देवली सड़क

1	2	3
		13. कोटपुतली-सीकर सड़क
		14. स्वरूपगंज-कोटडा-सोम-खेरवाड़ रोड
		15. फलोदी-नागोर रोड
		16. श्रीडुंगरगढ़-सरदारसहर-पुलासर-जसरासर
		17. सवाईमाधोपुर-शिवपुरी (मध्य प्रदेश)
		18. गौमती-चौराहा-देसुरी-सदरी-अहोर-जालोर-बाडमेर
		19. नागौर-दीदवाना-खुर-सीकर
		20. किरकी चौकी-भिण्डर-सेलम्बूर-आसपुर-दुर्गापुर
		21. होडल-पुन्हाना-महारतपुर-रूपवास-धौलपुर
		22. रारा-8 पर चांदवाजी-चौमु-बागडु
		23. सिरोही-मांडर-दीसा (गुजरात)
		24. गुड़गांव-अलवर-सरिस्का-दौसा-सवईमाधोपुर
		25. बाड़मेर (रारा-15)-जालोर-अहोर-सदरी-देसुरी-गौमती का चौराहा-कंकरौली-भीलवाड़ा-मंडलगढ़
		26. जयपुर (रारा-12)-दिग्गी-केकरी-शाहपुरा-मंडल-भीलवाड़ा (रारा-79)
		27. पाली-उदयपुर रोड
		28. गोमती चौराहा (रारा-8 पर) से पाली शहर वाया नोडल (रारा-14 पर) एसएच-16 और एसएच-67
		29. भरतपुर-मथुरा सड़क (एसएच-24, नया संख्यांकन एसएच-1)
		30. बाघेर से तीनधार वाया मांदावार
		31. कोटा से गुना (वाया कथून, संगोड, बापावाड, कवई, छाबड़ा, धर्नावाडा और रूथियाई
XXVI.	सिक्किम	1. नाथुला से सिलीगुडी तक वैकल्पिक राष्ट्रीय राजमार्ग
		2. सिंगथम और चुंगथम होते हुए लाचुंग घाटी
		3. रांगपो और रोराथंग से गुजरते हुए रोंगली
		4. रानीपुल और रोराथंग से गुजरते हुए पाकयोंग

1	2		3
XXVII.	तमिलनाडु	1.	सती-अथनी-भावनी सड़क (राज्यीय राजमार्ग सं.82)
		2.	अविनाशी-तिरूप्पुर-पल्लादम-पोल्लाची-मीनकरई सड़क
		3.	त्रिची-नमक्कल सड़क
		4.	करूईकुडी-डिंडीगुल सड़क
		5.	तिरूचिरापल्ली-लालगुडी-कल्लागुडी-उद्यानँपालया-गंजईकोंडा-चालपुरी-मी-कट्डमन्नागडी-चिदंबरम
		6.	तंजावूर-अदनाक्कोट्टई-पुडुकोट्टई
		7.	डिंडीगुल-नाथम-सिंगमपुनारी-तिरूपतुर देवकोट्टई रास्ता सड़क
		8.	कुडलोर-चित्तूर सड़क
XXVIII.	त्रिपुरा	1.	कुकीताल से सबरुम वाया धरमनगर-अमरपुर-फतिकरोय-मनु-खेवई-अमरपुर-जतनबाड़ी-सिल्चर-रुपईचारी
XXIX.	उत्तर प्रदेश	1.	कुरावली-मैनपुरी-करहल-इटावा सड़क
		2.	सिरसागंज-करहल-किशनी-विधुना-चौबेपुर सड़क
		3.	बरेली-बदायूं-बिलसी-गजरौला-चांदपुर-बिजनौर सड़क
		4.	लुम्बिनी दुधी राज्यीय राजमार्ग सं. 5
		5.	लखनऊ-बांदा
		6.	पीलीभीत-बरेली-बदायूं-कासगंज-हाथरस-मथुरा-भरतपुर (राजस्थान सीमा)
		7.	पडरौना-कसिया-देवरिया-दोहरीघाट-आजमगढ़ सड़क
		8.	दिल्ली-यमनोत्री सड़क
		9.	फतेहपुर-मुजफ्फराबाद-कलसिया सड़क
XXX.	उत्तराखंड	1.	हिमालयन राजमार्ग (हिमाचल सीमा-तुनी-चकराता-लाखवाड़-यमुना पुल-अलमोड़ा-लोहाघाट सड़क)
		2.	बाडवाला से जुडू (हरबरतपुर-बाडकोट बैंड)
		3.	बौखल-घुरदौरी-देवप्रयाग
XXXI.	पश्चिम बंगाल	1.	पश्चिम बंगाल में गलगलिया और बिहार सीमा से पूर्णिया तक
		2.	तुलिन (पश्चिम बंगाल-बिहार सीमा)-पुरूलिया-बांकुड़ा-विष्णुपुर-आरामबाग-वर्धमान-मोगरा-ईश्वर गुप्ता सेतु-कल्याणी-हरिनघाट-रारा-35 पर पेट्रापोल (पश्चिम बंगाल-बंगला देश सीमा) तक
		3.	राधामोनी (रारा-41 पर)-पांसकुरा-घातल-आरामबाग-बर्द्धमान-मुरातीपुर-फुटीसांको-कुली-मोरग्राम (रारा-34 पर)

1	2	3
		4. गजोले-बुनियादपुर-ओस्तीराम-त्रिमोहिनी-हिल्ली
		5. नयाग्राम (ओडिशा सीमा)-फेकोघाट-धरसा-नारायणपुर-सिलदा-बेनोगोनिया-फुलकुसोम-रायपुर-सिमलापाल-तालदंगा-बांकुड़ा-दुर्गपुर (एसएच-9)-पानागढ़ दुबराजपुर (एसएच-14)

विवरण-III

घोषित किए गए राष्ट्रीय राजमार्ग

(2009-10)

राज्य	रारा सं.	खंड	लगभग लंबाई (किमी.)
दिल्ली/हरियाणा	236	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में महरौली से प्रारंभ होकर अंधेरिया मोड़ – छतरपुर टी प्वाइंट जो जोड़ते हुए हरियाणा में रारा-8 पर गुड़गांव में समाप्त होने वाला राजमार्ग	13.45
मध्य प्रदेश	69ए	मध्य प्रदेश में विद्यमान रारा-69 पर मुल्ताई से प्रारंभ होकर चिखली, दुनावा, छिंदवाडा, चौरई को जोड़ते हुए और रारा-7 पर शिवानी में समाप्त होने वाला राजमार्ग	154.21
मध्य प्रदेश	69ए	मध्य प्रदेश में विद्यमान 26 पर नरसिंहपुर से प्रारंभ होकर हरारी, अमरवाड़ा छिंदवाड़ा, सौसर को जोड़ते हुए और महाराष्ट्र में विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर सिवनेर में समाप्त होने वाले राजमार्ग	मध्य प्रदेश में 202.593 महाराष्ट्र में 15.17

(2010-2011)

– कोई नहीं –

(2011-2012)

राज्य	नई रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण	पुरानी रारा संख्या
1	2	3	4
राजस्थान और उत्तर प्रदेश	123	राजस्थान में धौलपुर में रारा-23 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर राजस्थान में सेपउ को, उत्तर प्रदेश में सरेंधी को, राजस्थान में घटोली, रूपवास, खनुआवा (खनुआ) को जोड़ते हुए ऊंचा नंगला में समाप्त होने वाला राजमार्ग	3ए
राजस्थान	148डी	राजस्थान राज्य में भीम में रारा-58 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ	116ए

1	2	3	4
		होकर रारा-48 पर परसौली, गेलाबपुरा को, शाहपुरा, जहाजपुरा, हिंडोली, नैनवा को जोड़ते हुए रारा-552 पर उनियारा में समाप्त होने वाला राजमार्ग	
राजस्थान और गुजरात	रारा-58 का विस्तार	राजस्थान राज्य में उदयपुर से प्रारंभ होकर कुमदल, नया खेडा, झाडोल, सोम, नालवा दैया को जोड़ते हुए गुजरात में ईदर में समाप्त होने वाला राजमार्ग	76ए
राजस्थान	458	राजस्थान राज्य में लाडनू में रारा-58 के साथ अपने जंक्शनर से प्रारंभ होकर खाटू, डेगाना, मेड़ता सिटी, लांबिया, जैतरन, जयपुर को जोड़ते हुए रारा-58 पर भीम में समाप्त होने वाला राजमार्ग	65ए
राजस्थान	758	राजस्थान राज्य में राजसमंद में रारा-58 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर गंगापुर, भीलवाड़ा को जोड़ते हुए लाडपुरा में रारा-27 के साथ जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	76बी

22.2.2012

क्र.सं.	नई रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण*
1	2	3
45ए	315ए	असम राज्य में रारा-15 पर तिनसुकिया से प्रारंभ होकर नहरकटिया को जोड़ते हुए अरुणाचल प्रदेश में हुकनजूरी को जोड़ते हुए रारा-215 पर खोंसा में समाप्त होने वाला राजमार्ग
87ए	127बी	असम राज्य में रारा-27 पर श्रीरामपुर से प्रारंभ होकर धुबरी को जोड़ते हुए मेघालय में फुलबाड़ी, तुरा, रोंगरांग, रोंजेंग को जोड़ते हुए रारा-106 पर नोंगस्टोइन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग
114बी	333	बिहार राज्य में रारा-33 पर बरियापुर से प्रारंभ होकर खड़गपुर, लक्ष्मीपुर, जमुई, चकई को जोड़ते हुए झारखंड में देवगढ़ में समाप्त होने वाला राजमार्ग
91ए	527सी	बिहार राज्य में रारा-27 पर मझोली से प्रारंभ होकर कटरा, जजुआर, पुपरी को जोड़ते हुए रारा-227 पर चरौटा में समाप्त होने वाला राजमार्ग
88ए	327 विस्तार	बिहार राज्य में रारा-327 (पश्चिम बंगाल/बिहार) पर गलगलिया से प्रारंभ होकर ठाकुरगंज, बहादुरगंज, अररिया, रानीगंज, भरगामा, त्रिवेणीगंज, पिपरा, सुपौल को जोड़ते हुए रारा-231 पर बनगांव (बरियाही बाहार) में समाप्त होने वाला राजमार्ग
105ए	131ए	बिहार राज्य में रारा-31 पर कटिहार से प्रारंभ होकर रारा-27 पूर्णिया में समाप्त होने वाला राजमार्ग

1	2	3
142ए	343	छत्तीसगढ़ राज्य में रारा-43 पर अंबिकापुर से प्रारंभ होकर समरसोट, रामानुजगंज को जोडते हुए झारखंड रारा-39 पर गढ़ावा में समाप्त होने वाला राजमार्ग
156ए	947	गुजरात राज्य में रारा-47 पर सरखेज से प्रारंभ होकर रारा-51 पर वीरमगांव, मलिया, धरोल जामनगर, वादीनर, द्वारका को जोड़ते हुए ओखा में समाप्त होने वाला राजमार्ग
189ए	360	महाराष्ट्र राज्य में रारा-60 पर चांदवाड़ से प्रारंभ होकर वाणी, सरद को जोड़ते हुए गुजरात राज्य में सापूतारा, वघाई, वंसदा, चिखिली को जोड़ते हुए गणदेवी में समाप्त होने वाला राजमार्ग
179ए	953	गुजरात राज्य में रारा-53 पर व्यारा से प्रारंभ होकर नेतांग, राजपिपला को जोड़ते हुए बोडेली में समाप्त होने वाला राजमार्ग
32ए	रारा-709 का विस्तार	हरियाणा राज्य में रारा-9 पर रोहतक से प्रारंभ होकर भिवानी, लोहानी, लोहरारू को जोड़ते हुए राजस्थान में पिलानी को जोड़ते हुए रारा-52 पर राजगढ़ में समाप्त होने वाला राजमार्ग
15ए	305	हिमाचल प्रदेश राज्य में रारा-5 पर सेंज से प्रारंभ होकर लुहरी, अनी, जलोरी, बंजार को जोड़ते हुए रारा-3 पर औट में समाप्त होने वाला राजमार्ग
40ए	114ए	पश्चिम बंगाल राज्य में रारा-14 पर रामपुरघाट से प्रारंभ होकर सुनरिचुआ को जोड़ते हुए झारखंड में शिकारीपाड़ा, दुमका, लकरा पहाड़ी, जामा, जर मुंडी, चौपा मोड़, देवगढ़, सारथ, मधुपुर, गिरीडीह को जोड़ते हुए रारा-19 पर डुमरी में समाप्त होने वाला राजमार्ग
6ए	502ए	मिजोरम राज्य में रारा-2 पर लांग तलई से प्रारंभ होकर म्यांमार सीमा (कलादान सड़क) पर समाप्त होने वाला राजमार्ग
192ए	रारा-162 का विस्तार	राजस्थान राज्य में रारा-62 पार पाली से प्रारंभ होकर मारवाड़, नाडोल, देसुरी, कुंबलगढ़, हल्दी घाटी, नाथद्वारा, मावली, को जोड़ते हुए रारा-27 पर भाटेवाड़ में समाप्त होने वाला राजमार्ग
186ए	158	राजस्थान राज्य में रारा-58 पर मेड़ता से प्रारंभ होकर लांबिया, रास, ब्यावर, बडनूर, आसिंद को जोड़ते हुए रारा-48 का मंडल में समाप्त होने वाला राजमार्ग
94ए	927ए	राजस्थान राज्य में रारा-27 पर स्वरूपगंज से प्रारंभ होकर कोटड़ा, खेरवाड़, डुंगरपुर, सांगवाड़ा, बांसवाड़ा को जोड़ते हुए मध्य प्रदेश राज्य में रतलाम में समाप्त होने वाला राजमार्ग
34ए	310	सिक्किम राज्य में रारा-10 पर रानीपौल से प्रारंभ होकर बरदुख (प्रस्तावित गंगटोक बाइपास पर), मेनला को जोड़ते हुए नथुला में समाप्त होने वाला राजमार्ग
113ए	532	तमिलनाडु राज्य में रारा-32 पर कुड्डालूर से प्रारंभ होकर वृद्धाचलम को जोड़ते हुए रारा-79 पर सलेम सड़क पर समाप्त होने वाला राजमार्ग
50ए	116बी	पश्चिम बंगाल राज्य में रारा-116 पर नंदकुमार से प्रारंभ होकर कोंटई, दिघा को जोड़ते हुए चंदनेश्वर में समाप्त होने वाला राजमार्ग

1	2	3
		07 मार्च, 2012
4बी	102बी	मणिपुर राज्य में रारा-2 पर चूड़ाचांदपुर से प्रारंभ होकर सिंघाट, सिंजॉल, तुईवई सड़क को जोड़ते हुए म्यांमार सड़क पर समाप्त होने वाला राजमार्ग
4ए	102ए	मणिपुर राज्य में रारा-2 पर तदुबी से प्रारंभ होकर पोमाता को जोड़ते हुए रारा-202 पर उखरूल में समाप्त होने वाला राजमार्ग
129ए	137	मणिपुर राज्य में रारा-37 पर रिंगपांग से प्रारंभ होकर खोंसांग को जोड़ते हुए तामेंगलांग (तैंगलांग) में समाप्त होने वाला राजमार्ग
101ए	330ए	उत्तर प्रदेश राज्य में रारा-30 पर रायबरेली से प्रारंभ होकर जगदीशपुर को जोड़ते हुए रारा-27 पर फैजाबाद में समाप्त होने वाला राजमार्ग
102ए	730	उत्तर प्रदेश राज्य में रारा-30 पर पीलीभीत से प्रारंभ होकर पूरणपुर, कुट्टर, गोला गोरखनाथ, लखीमपुर, ईशानगर, ननपाड़ा (रारा-927 पर) बहराइच (रारा-927 पर) बलरामपुर, महाराजगंज को जोड़ते हुए रारा-927 पर पडरौना में समाप्त होने वाला राजमार्ग
102बी	730ए	उत्तर प्रदेश राज्य में रारा-30 पर मलकानगंज से प्रारंभ होकर पवायन को जोड़ते हुए रारा-730 पर पूरणपुर में समाप्त होने वाला राजमार्ग
110ए	931	उत्तर प्रदेश राज्य में रारा-31 पर प्रतापगढ़ से प्रारंभ होकर अमेठी, गौरीगंज, मुसाफिरखाना को जोड़ते हुए रारा-731 पर जगदीशपुर में समाप्त होने वाला राजमार्ग
110बी	931ए	उत्तर प्रदेश राज्य में रारा-31 पर सलाने से प्रारंभ होकर जायस को जोड़ते हुए रारा-731 पर जगदीशपुर में समाप्त होने वाला राजमार्ग
		(14 अगस्त, 2012)
1ए	301	जम्मू और कश्मीर राज्य में रारा-1 पर करगिल से प्रारंभ होकर जंसकार (जंसकार सड़क) में समाप्त होने वाला राजमार्ग
1बी	701	जम्मू और कश्मीर राज्य में रारा-1 पर बारामुला से प्रारंभ होकर राफियाबाद, कुपवाड़ा को जोड़ते हुए तंगधार में समाप्त होने वाला राजमार्ग
69ए	220	झारखंड राज्य में रारा-20 पर चाइबासा से प्रारंभ होकर गोविंदपुर, हाटा को जोड़ते हुए ओडिशा राज्य में तिरंगीडिही, रायरंगपुर (रायरंगनगर), जशीपुर को जोड़ते हुए डिंकीकोट के निकट रारा-20 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग
84बी	326	ओडिशा राज्य में आसिका के निकट रारा-59 से साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर रायगडा, कोरापुट, जयपोर, मलकानगिरी, मोतु को जोड़ते हुए आंध्र प्रदेश राज्य में चिंतुरू के निकट रारा-30 पर समाप्त होने वाला राजमार्ग

1	2	3
178बी	153बी	ओडिशा राज्य में रारा-53 पर सारापल से प्रारंभ होकर रारा-55 पर नकतीदेओल, रेधाखोल को जोड़ते हुए रारा-57 पर बौदा में समाप्त होने वाला राजमार्ग
185ए	157	ओडिशा राज्य में पूर्णकटक के निकट रारा-57 से साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर, फुलबानी, कलिंगा, बंजानगर को जोड़ते हुए रारा-59 पर आसिका के निकट समाप्त होने वाला राजमार्ग
190ए	161	महाराष्ट्र राज्य में रारा-61 पर नांदेड़ से प्रारंभ होकर हिंगोली, वाशिम को जोड़ते हुए रारा-53 पर अकोला में समाप्त होने वाला राजमार्ग
206ए	67-विस्तार	आंध्र प्रदेश राज्य में रारा-40 पर मैदूकुरू से प्रारंभ होकर बडवेल, अत्माकुर, नेल्लौर को जोड़ते हुए कृष्णापत्तन में समाप्त होने वाला राजमार्ग
206बी	167	कर्नाटक राज्य में रारा-67 पर हग्गारी से प्रारंभ होकर आंध्र प्रदेश राज्य में अलुर, अडोनी, मंत्रालयम को जोड़ते हुए, कर्नाटक में रायचूर को जोड़ते हुए आंध्र प्रदेश राज्य में महबूबनगर को जोड़ते हुए रारा-44 पर जड़चेरला में समाप्त होने वाला राजमार्ग
		26 सितम्बर, 2012
169ए	150	कर्नाटक राज्य में रारा-50 पर कुलबर्गी (गुलबर्ग) से प्रारंभ होकर वादी, यदगीर को जोड़ते हुए आंध्र प्रदेश राज्य में रारा-167 पर कृष्णा में समाप्त होने वाला राजमार्ग
114ए	133	बिहार राज्य में रारा-33 पर अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर झारखंड राज्य में गोड्डा को जोड़ते हुए रारा-114ए पर चोपामोड पर समाप्त होने वाला राजमार्ग
88एए	327ए	बिहार राज्य में रारा-327 पर सुपौल से प्रारंभ होकर रारा-27 पर भत्तीयाही में समाप्त होने वाला राजमार्ग
75ए	122ए	बिहार राज्य में रारा-22 पर विश्वनाथ पुर चौक से प्रारंभ होकर कोयली को जोड़ते हुए रारा-527सी पर नानपुर में समाप्त होने वाला राजमार्ग
1एए	501	जम्मू और कश्मीर राज्य में रारा-1 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर पंचतरणी, चंदनवाड़ी, पहलगांव, बतकुट, मरतंड को जोड़ते हुए रारा-44 पर खानाबल में समाप्त होने वाला राजमार्ग
192एए	162ए	राजस्थान राज्य में रारा-162 पर मावली से प्रारंभ होकर फतेहनगर, दरीबा, रेलमागरा को जोड़ते हुए रारा-758 पर खंडेल में समाप्त होने वाला राजमार्ग
165ए	848	महाराष्ट्र राज्य में रारा-48 पर थाणे से प्रारंभ होकर नासिक, पेंट को जोड़ते हुए गुजरात राज्य में रारा-48 पर परदी में समाप्त होने वाला राजमार्ग
138	42	आंध्र प्रदेश राज्य में रारा-67 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर उर्वाकोंडा, अनंतपुर, कदीरी, मदनापल्ली, कुप्पम को जोड़ते हुए तमिलनाडु राज्य में कृष्णागिरी के निकट रारा-44 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग

1	2	3
206	67	कर्नाटक राज्य में रारा-748 पर रामनगर से प्रारंभ होकर धारवाड़, हुबली, गडग, कोप्पल, होस्पेट, बेल्लारी को जोड़ते हुए आंध्र प्रदेश राज्य में गूटी के निकट रारा-44 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग
186	58	राजस्थान राज्य में फतेहपुर के निकट रारा-52 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर लदनोन, नागौर, मेडतासिटी, अजमेर, ब्यावर, देवगढ़, उदयपुर, कुंबदल नया खेडा, झोडल, सोम, नालवा दईया को जोड़ते हुए गुजरात राज्य में इदर वदाली, धरोही, सतलासाना को जोड़ते हुए रारा-27 पर पालनपुर में समाप्त होने वाला राजमार्ग
161	348	महाराष्ट्र राज्य में पलस्पे के निकट रारा-48 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ जेएनपीटी [एसएच-54 का गावनफाटा खंड (किमी. 6/400 से किमी. 14/50) और अमरमार्ग (किमी. 0/00 से किमी. 6/500)] को जोड़ते हुए पालमबीच रोड के जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग
183	56	राजस्थान राज्य में चित्तौड़गढ़ के निकट रारा-27 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर राजस्थान राज्य में नौंबाहेड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा को जोड़ते हुए, गुजरात राज्य में झालोड, उंबी, दाहोद को जोड़ते हुए, मध्य प्रदेश राज्य में भाबरा, अलीराजपुर को जोड़ते हुए, गुजरात राज्य में बदेली, छोटा उदयपुर, राजपिपंला, नेत्रंग, व्यारा, बांसडा, धमपुर को जोड़ते हुए रारा-48 पर वापी में समाप्त होने वाला राजमार्ग

[हिन्दी]

567-69 श्रमिक

कृषि/निर्माण क्षेत्र में श्रमशक्ति

619. **श्री अनंत कुमार हेगड़े :**
डॉ. मुरली मनोहर जोशी :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की अधिकतम श्रमशक्ति कृषि तथा निर्माण क्षेत्र में नियोजित है;

(ख) यदि हां, तो उक्त दोनों क्षेत्रों में नियोजित श्रमिकों का प्रतिशत-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के निर्माण क्षेत्र में उत्पादन लागत में भारी उतार-चढ़ाव से नियोजित श्रमिकों की बड़ी संख्या प्रभावित होती है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक छह माह की अवधि के दौरान उक्त प्रभाव का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्माण क्षेत्र में नियोजित श्रमिकों का प्रतिशत क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) और (ख) रोजगार तथा बेरोजगारी के विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा आयोजित पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसा पिछला सर्वेक्षण वर्ष 2009-10 के दौरान किया गया था। रोजगार एवं बेरोजगारी पर हाल के पंचवर्षीय सर्वेक्षण के अनुसार, कुल कार्यबल का 53.2 प्रतिशत एवं 11.0 प्रतिशत देश में क्रमशः कृषि और विनिर्माण क्षेत्र में नियोजित है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा आयोजित उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार संगठित विनिर्माण क्षेत्र में नियोजित कामगारों में वर्ष 1999-2000 से 2004-05 के दौरान 0.99 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से और 2004-05 से 2009-10 के दौरान 6.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि कुल निवेश लागत में 1999-2000 से 2004-05 के दौरान 17.4 प्रतिशत की दर से और 2004-05 से 2009-10 के दौरान 13.9 प्रतिशत की दर से में वृद्धि हुई है।

(ङ) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा किए गए रोजगार एवं बेरोजगारी पर हाल ही के सर्वेक्षण के तीन नवीनतम दौरों के अनुसार 1999-2000, 2004-05 और 2009-10 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र में नियोजित श्रमिकों का प्रतिशत क्रमशः 12.1 प्रतिशत, 11.7 प्रतिशत और 11.0 प्रतिशत था।

[अनुवाद]

सीएसडी के लिए खरीद में अनियमितताएं

620. डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी :
श्री सी. शिवासामी :
श्री नीरज शेखर :
श्री रुद्रमाधव राय :
श्री उदय सिंह
श्री यशवीर सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सीएसडी) के लिए सरकारी खरीद पर व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सीएसडी हेतु खरीद प्रक्रिया में कई वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिचौलियों की मिलीभगत से सीएसडी में बिना किसी बाजार साख वाली कई कंपनियों के सीएसडी में मदों की आपूर्ति की जानकारी मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार मदों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निर्माताओं से मदों के चयन तथा सीधी खरीद हेतु कोई विशेषज्ञ समिति स्थापित करने का है;

(ङ) क्या सरकार का विचार सीएसडी में बेची जानी वाली सभी मदों पर 'केवल रक्षा कार्मिकों हेतु' अंकित करना अनिवार्य बनाने का है ताकि उनकी खुले बाजार में बिक्री पर रोक लगाई जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सीएसडी के लिए खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए कौन-से अन्य उपाय किए गए/प्रस्तावित हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) विगत तीन वर्षों के लिए कैंटीन भंडार विभाग हेतु सरकारी खरीद पर खर्च की गई निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:—

वित्तीय वर्ष	निवल खरीद (करोड़ रुपए)
2009-10	7748.57
2010-11	7973.81
2011-12	9734.78

कैंटीन भंडार विभाग में कुछ वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में मामले मंत्रालय के सामने आये हैं। हाल ही में सीबीआई ने कैंटीन भंडार विभाग के दो अधिकारियों पर छापा मारा है और इसकी जांच चल रही है। दोनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।

(घ) खरीदे गए उत्पादों की गुणता सुनिश्चित करने तथा खरीद दरों को नियत करने के लिए विनिर्माताओं/एकमात्र वितरकों से सीधे ही मदों का चयन तथा खरीद करने हेतु प्राथमिक जांच समिति, मूल्य वार्ता समितियां पहले ही मौजूद हैं।

(ङ) शराब के समस्त उत्पादों पर 'केवल सैनिकों के लिए' लिखा जाना अनिवार्य है। ग्राहकों की आशंका के कारण अन्य मदों पर इस तरह की मार्किंग को वापिस ले लिया गया था।

(च) सभी आपूर्तिकर्त्ताओं की बिक्री, स्टॉक तथा आर्डर के ब्यौरों की स्थिति को कैंटीन भंडार विभाग की वेबसाइट पर नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाता है।

एकल-ब्रांड/बहु-ब्रांड खुदरा के स्रोत हेतु मानदंड

621. श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री के. सुगुमार :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री संजय भोई :
श्री एम.के. राघवन :
श्री भर्तृहरि महताब :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एकल ब्रांड/बहु-ब्रांड खुदरा व्यापार हेतु स्रोत मानदंडों को शिथिल/संशोधित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विदेशी खुदरा व्यापारियों के लिए अनिवार्य स्रोत मानदंडों को हटाने से भारतीय उद्योग की लाभकारिता प्रभावित होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका लघु इकाइयों तथा स्थानीय रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) लघु इकाइयों के हितों को संरक्षित करने तथा भारतीय उद्योगों की वित्तीय हालत सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) दिनांक 20.09.2012 को जारी प्रेस नोट 4 (2012 श्रृंखला) के जरिए सिंगल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार में एफडीआई से संबंधित कुछ शर्तों में संशोधन किया गया है। संशोधित नीति में अन्य बातों के साथ-साथ सिंगल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत से अधिक एफडीआई वाले प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित शर्त शामिल है:—

"51% से अधिक एफडीआई वाले प्रस्तावों के संबंध में, खरीदे जाने वाले उत्पादों के मूल्य की न्यूनतम 30% के बराबर की खरीद भारत में सभी क्षेत्रों में की जाएगी, जिसमें सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्यमों, ग्राम और कुटीर उद्योगों, शिल्पकारों और दस्तकारों को वरीयता दी जाएगी। घरेलू खरीद की मात्रा कंपनी द्वारा स्वप्रमाणित की जाएगी, जिसकी बाद में सांविधिक लेखा-परीक्षक उन विधिवत प्रमाणित लेखाओं से जांच करेंगे जिनका कंपनी को रख-रखाव करना अपेक्षित होगा। खरीद संबंधी यह अपेक्षा एफडीआई प्राप्त होने वाले वर्ष के 1 अप्रैल से शुरू करके पांच वर्षों में खरीदे गए माल के कुल औसत के रूप में पहली बार में ही पूरी की जाएगी। इसके बाद इसे वार्षिक आधार पर पूरा करना होगा। खरीद की अपेक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित संस्था भारत में निगमित वह कंपनी होगी जो सिंगल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार चलाने के प्रयोजन हेतु एफडीआई प्राप्त करेगी।"

उपर्युक्त संशोधित शर्त से भारतीय उत्पादकों को लाभ पहुंचने की संभावना है जिसमें वे भारतीय हस्तशिल्प क्षेत्र शामिल हैं, जो लाखों लोगों को जीविका प्रदान करते हैं और कम पूंजी निवेश, उच्च मूल्य वर्द्धन और निर्यात की उच्च संभाव्यता की दृष्टि से तथा घरेलू एवं विश्व बाजारों के साथ भारतीय उत्पादकों को एकीकृत किए जाने की अत्यधिक आवश्यकता को पूरा किए जाने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। विदेशी शिल्पकारों के साथ कौशल एकीकरण से अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के साथ सहक्रियता विकसित करने तथा और अधिक रोजगार सृजित करने में सहायता मिलने की आशा है। गुणवत्ता, डिजाइन, पैकेजिंग तथा उत्पादन में विश्व मानकों सहित प्रबंधन में वैश्विक श्रेष्ठ प्रथाओं के एकीकरण के परिणामस्वरूप उत्पन्न लाभों से स्थानीय उत्पादकों की क्षमताएं बढ़ाने में सहायता मिलेगी जिससे वे अपना उत्पादन बढ़ा सकेंगे और इस तरह रोजगार एवं आय सृजन पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देने के सरकार के निर्णय के संबंध में दिनांक 20.6.2012 के प्रेस नोट 5 (2012 श्रृंखला) के जरिए निम्नलिखित शर्त निर्धारित की गई है:—

"विनिर्मित/प्रसंस्कृत उत्पादों की खरीद का न्यूनतम 30 प्रतिशत भारतीय 'लघु उद्योगों' से खरीद जाएगा, जिनका संयंत्र और मशीनरी में कुल निवेश 1.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक नहीं होगा। यह मूल्य स्थापना के समय के मूल्य को बताता है, जिसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं है। इसके अलावा, यदि किसी भी समय यह मूल्य पार हो जाता है, तो उद्योग इस प्रयोजन हेतु 'लघु उद्योग' के लिए पात्र नहीं होगा। यह खरीद आवश्यकता पहले वर्ष में खरीदे गए विनिर्मित/प्रसंस्कृत उत्पादों के पांच वर्षों के कुल मूल्य के औसत के रूप में पूरी की जाएगी जो पहली बार एफडीआई प्राप्त होने के वर्ष के एक अप्रैल से शुरू होगी। तत्पश्चात् इसे वार्षिक आधार पर पूरा किया जाएगा।"

मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देने के लिए 30 प्रतिशत अनिवार्य खरीद की शर्त से स्थानीय मूल्यवर्धन और विनिर्माण को प्रोत्साहन मिलने के उम्मीद है और इसके परिणाम स्वरूप लघु उद्योगों को लाभ होगा।

572-73

सड़क सुरक्षा हेतु एजेंसी

622. श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री ए. गणेशमूर्ति :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा आयोजित विश्व सुरक्षा सम्मेलन के दौरान विशेषज्ञों ने भारत सरकार से सड़क सुरक्षा मुद्दों हेतु एक एजेंसी बनाने का आग्रह किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को विश्व स्वास्थ्य संगठन से विश्व सुरक्षा सम्मेलन की ऐसी कोई संस्तुति प्राप्त नहीं हुई जिसमें भारत सरकार से सड़क सुरक्षा मुद्दों के लिए उत्तरदायी एक एजेंसी बनाने का आग्रह किया गया हो।

(ख) और (ग) उक्त (क) को देखते हुए प्रश्न पैदा नहीं होता। तथापि, भूतल परिवहन मंत्रालय के पूर्व सचिव श्री एस. सुंदर की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन बोर्ड सृजित किए जाने की संस्तुति की है। तद्नुसार, दिनांक 4.5.2010 को लोक सभा में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन बोर्ड सृजित किए जाने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था जिसे बाद में जांच के लिए संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया था। समिति ने अपनी सिफारिशें 21.7.2010 को प्रस्तुत की हैं। सरकार ने समिति की सिफारिशों की जांच की है और संसद में विचार किए जाने के लिए समिति की सिफारिशों के अनुरूप विधेयक में कतिपय संशोधन किए जाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ की है।

विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति

623. श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री समूह (जीओएम) ने कुछ शर्तों के साथ देश में विद्युत परियोजनाओं को पर्यावरणीय तथा वन स्वीकृति देने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें स्वीकृति की सिफारिश की गई है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने देश में स्वीकृति प्रदान करने के लिए निबंधन व शर्तें लगाई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ङ) कोयला खनन और अन्य विकास संबंधी परियोजनाओं से संबंधित पर्यावरणीय एवं विकासात्मक मुद्दों पर विचार करने वाले मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने विद्युत परियोजनाओं को पर्यावरण तथा वन स्वीकृति देने की सिफारिश नहीं की है। तथापि, उक्त जीओएम ने 30 मई, 2012 को हुई अपनी सातवीं बैठक में सिफारिश की कि सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जानी वाली राशि से संबंधित शर्त को छोड़कर, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) में अपर वन महानिदेशक (वन संरक्षण) की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित शर्तों पर माहन एवं छत्रसाल कोल ब्लॉकों को वन स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए। सीएसआर गतिविधियों पर, जीओएम ने विचार किया और सिफारिश की कि सीएसआर गतिविधियों के व्यय में परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की समस्त लागत सम्मिलित होनी चाहिए।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दिनांक 30.10.2012 के पत्र द्वारा सामान्य शर्तों, खनन परियोजनाओं के लिए लागू मानक शर्तों और जीओएम द्वारा निर्धारित अतिरिक्त शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में सिंगरौली कोल फील्ड में स्थित माहन कोल ब्लॉक में कोयला खनन हेतु मैसर्स माहन कोल लिमिटेड के पक्ष में 967.65 हैक्टेयर वन भूमि के अपवर्तन के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत चरण-I का अनुमोदन प्रदान किया है।

इसी तरह, जीओएम द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, समान शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन मैसर्स ससन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के पक्ष में छत्र साल कोल ब्लॉक में स्थित 965.40 हैक्टेयर वन भूमि के अपवर्तन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत चरण-I का भी अनुमोदन प्रदान किया गया है।

डीएल और आरसी का डिजीटाइजेशन

624. श्री संजय भोई :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल पंजीकृत वाहनों और वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक चालकों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने देश में सभी ड्राइविंग लाइसेंसों (डीएल) तथा वाहन पंजीकरण प्रमाण-पत्र (आरसी) का डिजीटाइजेशन शुरू किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी लक्ष्य और उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) राष्ट्रीय रजिस्टर में दर्ज किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्रों तथा ड्राइविंग लाइसेंसों की कुल संख्या कितनी है; और

(ङ) इस डिजीटाइजेशन कार्य के पूरा होने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत की गई पंजीकृत वाहनों और ड्राइविंग लाइसेंसों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) परिवहन परियोजना नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत स्टेट मिशन मोड प्रोजेक्ट में से एक है। इसका उद्देश्य ड्राइविंग लाइसेंसों और वाहन पंजीकरण के राष्ट्रीय रजिस्टर को पूरा करना है। इस परियोजना में सभी ड्राइविंग लाइसेंसों और वाहन पंजीकरण संबंधी सेवाओं की पहुंच विभिन्न सेवाव सुपुर्दगी आउटलेटों के माध्यम से आम जन तक उनके क्षेत्र में उपलब्ध कराने और इन सेवाओं को वहनीय लागत पर इनकी कुशलता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता की संकल्पना की गई है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देशभर के सभी आरटीओ/डीटीओ में वाहन और सारथी कार्यान्वित की जाती है और राज्य रजिस्टर और राष्ट्रीय रजिस्टर — ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण-पत्रों का एक केन्द्रीयकृत डाटाबेस — सृजित किया जाता है। वाहन और सारथी के माध्यम से जारी किए गए सभी पंजीकरण प्रमाण-पत्रों और ड्राइविंग लाइसेंसों के आंकड़ों को राज्य रजिस्टर और राष्ट्रीय रजिस्टर में पुनः दर्ज किया जाता है। राज्य रजिस्टर और राष्ट्रीय रजिस्टर में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर विभिन्न नागरिक केन्द्रित सेवाएं शुरू की जा रही है।

(घ) पंजीकरण प्रमाण-पत्र : 10,06,43.663

ड्राइविंग लाइसेंस : 2,73,55,463

(ङ) डिजीटाइजेशन कार्य को पूरा करने के लिए नियत समय-सीमा परियोजना के अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष है।

विवरण

दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत वाहनों एवं वैध ड्राइविंग लाइसेंसों की कुल संख्या (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार)

क्र. सं.	राज्य	वाहन पंजीकरण	ड्राइविंग लाइसेंस
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1,01,89,347	1,12,56,958
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	69,100	उपलब्ध नहीं
3.	अरुणाचल प्रदेश	1,44,534	उपलब्ध नहीं
4.	असम	15,82,128	10,29,845
5.	बिहार	26,73,209	उपलब्ध नहीं
6.	चंडीगढ़	10,07,892	8,07,142
7.	छत्तीसगढ़	27,66,037	17,62,859
8.	दमन और दीव	77,588	16,207
9.	दिल्ली	72,27,671	उपलब्ध नहीं
10.	दादरा और नगर हवेली	76,357	उपलब्ध नहीं
11.	गोवा	7,90,075	5,33,804
12.	गुजरात	1,29,93,135	1,11,16,224
13.	हरियाणा	53,77,003	38,32,657
14.	हिमाचल प्रदेश	6,21,714	5,36,994

1	2	3	4
15.	जम्मू और कश्मीर	9,26,961	6,27,993
16.	झारखंड	31,13,182	16,09,370
17.	कर्नाटक	99,30,483	94,61,161
18.	केरल	60,72,019	73,38,589
19.	लक्षद्वीप	8,753	8,668
20.	मध्य प्रदेश	73,55,702	44,26,009
21.	महाराष्ट्र	1,74,34,099	2,13,11,109
22.	मणिपुर	2,06,502	3,08,673
23.	मेघालय	1,75,737	1,82,877
24.	मिजोरम	92,648	उपलब्ध नहीं
25.	नागालैंड	2,72,653	1,81,406
26.	ओडिशा	33,38,038	18,41,787
27.	पुदुचेरी	6,72,803	2,20,911
28.	पंजाब	52,74,254	उपलब्ध नहीं
29.	राजस्थान	79,86,265	71,76,377
30.	सिक्किम	38,783	17,941
31.	तमिलनाडु	1,56,38,245	1,57,83,640
32.	त्रिपुरा	1,87,673	1,43,445
33.	उत्तर प्रदेश	1,32,87,232	98,50,232
34.	उत्तराखंड	9,97,161	4,38,027
35.	पश्चिम बंगाल	32,60,624	उपलब्ध नहीं

[हिन्दी]

578

राष्ट्रीय उद्यानों का अतिक्रमण

625. श्री हरीश चौधरी :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश राष्ट्रीय उद्यानों के अतिक्रमण से संबंधित रिपोर्टें सरकार के ध्यान में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवैध कार्यों में संलिप्त पाई गई एजेंसियों और व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त राष्ट्रीय उद्यानों से अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (घ) जी, हां। देश में राष्ट्रीय उद्यानों के अतिक्रमणों के संबंध में समय-समय पर रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। तथापि, ऐसे मामलों के ब्यौरे सामान्यत: केन्द्र सरकार के स्तर पर समेकित नहीं किए जाते हैं।

संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के समय-समय पर जारी आदेशों के अंतर्गत निषिद्ध है। केन्द्र सरकार ने भी वन भूमियों से अतिक्रमण किए गए स्थान को खाली कराने के लिए राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों को एडवाइजरी भी जारी की है। इसके अलावा "केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों" वन्यजीव पर्यावासों का "एकीकृत विकास", "बाघ परियोजना" और "हाथी परियोजना" के अंतर्गत, भारत सरकार, अतिक्रमणों से बचाव करने के लक्ष्य सहित संरक्षित क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियां शुरू करने के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

579-94

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

626. श्रीमती भावना पाटील गवली :
श्री कमलेश पासवान :
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर :
कुमारी सरोज पाण्डेय :
श्री नीरज शेखर :
योगी आदित्यनाथ :
श्री के.डी. देशमुख :
श्री बिभू प्रसाद तराई :
श्री राजेन्द्र अग्रवाल :
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे :
श्री शिवकुमार उदासी :
श्री कामेश्वर बैठा :
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना :
श्री अजय कुमार :
श्री यशवीर सिंह :
श्री प्रबोध पांडा :
श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ :
श्री एस.एस. रामासुब्बू :
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे :
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के बारे में नियत लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और विशेष रूप से झारखंड तथा महाराष्ट्र सहित राज्य-वार/योजना-वार प्रतिदिन सड़क निर्माण हेतु नियत लक्ष्य क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित राज्य-वार प्राप्त तथा अनुमोदित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि में गोवा सहित राज्य-वार इस प्रयोजनार्थ आबंटित/व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इन परियोजनाओं को पूरा करने में किसी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और छत्तीसगढ़ सहित राज्य-वार कुल कितनी परियोजनाओं में विलंब हुआ है और इन परियोजनाओं में विलंब के कारण लागत और समय में कितनी वृद्धि हुई है;

(च) सरकार द्वारा इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उठाए गए/उठाए जाने हेतु प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है और ये परियोजनाए कब तक पूरी हो जाने की संभावना है; और

(छ) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं में विलंब के लिए कोई जिम्मेदारी नियत की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण): (क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और गैर-राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के लिए नियत लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

वर्ष	एनएचडीपी		गैर-एनएचडीपी	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2009-10	3165	2693	2458	2315
2010-11	2500	1780	2468	2157
2011-12	2500	2248	2254	1531
2012-13	3000	958*	1592	593*

*सितम्बर, 2012 तक

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/विकास के लिए आबंटित निधि और उन पर किए गए व्यय का गोवा राज्य सहित राज्यवार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) से (छ) जी, हां। कार्यान्वियन की प्रगति ठेकेदारों के अल्प निष्पादन, वन/वन्य जीवन/रेलवे अनुमति प्राप्त करने में विलंब, कुछ राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति, भूमि अधिग्रहण में विलंब आदि

के कारण प्रभावित हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य सहित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में विलंब और समय आधिक्य तथा कार्य पूरा करने की संभावित तारीख का राज्यवार ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है। लागत आधिक्य केवल इंजीनियरी प्रापण और निर्माण ठेकों में ही लागू होती है। ऐसे ठेकों में विलंब के कारण होने वाली वृद्धि का भुगतान किए जाने का प्रावधान है। यदि विलंब ठेकेदार के कारण होता है तब परिसमापन क्षति लगाई जाती है और वृद्धि का भुगतान नहीं किया जाता। विलंब अथवा लागत आधिक्य के कारण वास्तविक वृद्धि का पता केवल परियोजना पूरी होने और बिलों के अंतिम निपटान के बाद ही चलेगा।

अपनी सभी परियोजनाओं को पूरा किए जाने में होने वाले विलंब को न्यूनतम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं— भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा शक्तियों के पर्याप्त प्रत्यायोजन सहित मुख्य महाप्रबंधकों की अध्यक्षता में क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना, विशेष भूमि अधिग्रहण यूनिटें स्थापित किया जाना, जन-सुविधाओं के स्थानांतरण, भूमि अधिग्रहण मुद्दों से संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समितियां गठित किया जाना आदि। इसके अलावा, विलंबित परियोजनाओं की मुख्यालय और फील्ड यूनिट स्तर पर परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा किए जाने के लिए सघन अनुवीक्षण और आवधिक समीक्षा की जाती है।

विवरण-I

गत तीन वर्षों अर्थात् 2009-10 और इसके बाद तथा चालू वर्ष (31.10.2012 की स्थिति के अनुसार) के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए विभिन्न राज्य-सरकारों से प्राप्त और अनुमोदित राज्य-वार प्रस्ताव

क्र. सं.	राज्य	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	112	89
2.	अरुणाचल प्रदेश	11	11
3.	असम	119	44
4.	बिहार	113	52
5.	छत्तीसगढ़	120	50
6.	गोवा	32	14
7.	गुजरात	83	27
8.	हरियाणा	84	50
9.	हिमाचल प्रदेश	59	51
10.	जम्मू और कश्मीर	68	47
11.	झारखंड	77	61
12.	कर्नाटक	102	75
13.	केरल	192	35
14.	मध्य प्रदेश	121	90
15.	महाराष्ट्र	118	83
16.	मणिपुर	42	24
17.	मेघालय	30	13
18.	मिजोरम	29	14
19.	नागालैंड	55	16
20.	ओडिशा	107	54
21.	पंजाब	76	64
22.	राजस्थान	152	45
23.	सिक्किम	22	16
24.	तमिलनाडु	206	72
25.	त्रिपुरा	29	8
26.	उत्तर प्रदेश	230	115
27.	उत्तराखंड	241	134
28.	पश्चिम बंगाल	108	54

विवरण-II

गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटित और व्यय की गई धनराशि

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य का नाम	आबंटन				व्यय			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13^	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13^ (31.10.2012 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	348.39	254.77	113.99	196.36	348.39	254.77	119.80	54.86
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	206.29	177.64	213.43	228.58	206.29	177.64	200.18	9.37
4.	बिहार	245.45	199.15	247.54	324.18	245.45	199.15	232.31	60.77
5.	चंडीगढ़	2.95	8.81	1.00	2.80	2.95	8.81	0.81	0.49
6.	छत्तीसगढ़	79.65	53.53	56.05	80.97	79.65	53.53	52.95	25.50
7.	दिल्ली	17.21	52.58	6.50	1.42	17.21	52.58	5.70	0.10
8.	गोवा	33.16	30.14	5.00	23.26	33.16	30.14	4.79	0.21
9.	गुजरात	150.26	111.60	95.96	148.93	150.26	111.60	88.82	37.41
10.	हरियाणा	152.16	143.69	100.00	56.96	152.16	143.69	98.16	20.76
11.	हिमाचल प्रदेश	80.46	95.72	110.26	188.82	80.46	95.72	121.15	31.12
12	झारखंड	117.90	112.70	92.00	113.64	117.90	112.70	97.14	37.34
13.	कर्नाटक	305.43	276.65	328.31	301.57	305.42	276.65	313.06	120.63
14.	केरल	141.23	109.00	165.82	168.59	141.23	109.00	153.66	10.43
15.	मध्य प्रदेश	150.16	134.24	101.69	133.79	150.16	134.24	76.07	11.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	महाराष्ट्र	326.18	265.53	286.52	228.43	326.18	265.53	304.90	112.19
17.	मणिपुर	19.65	63.88	50.28	61.88	19.65	63.88	47.09	12.43
18.	मेघालय	61.54	79.08	85.05	103.14	61.54	79.08	82.76	9.98
19.	मिजोरम	5.52	24.23	40.00	107.51	5.52	24.23	40.81	7.17
20.	नागालैंड	30.46	26.94	21.00	85.15	30.46	26.94	19.63	2.40
21.	ओडिशा	333.70	230.71	293.28	215.21	333.70	230.71	272.94	78.55
22.	पुदुचेरी	9.22	3.93	4.50	8.93	9.22	3.93	4.73	3.61
23.	पंजाब	188.49	115.00	115.11	111.70	188.49	115.00	117.23	36.95
24.	राजस्थान	140.24	147.31	119.63	210.48	140.23	147.31	116.93	59.51
25.	तमिलनाडु	168.40	182.13	158.37	180.64	168.40	182.13	159.99	102.06
26.	उत्तर प्रदेश	433.21	452.55	313.21	362.68	433.21	452.55	323.75	141.96
27.	उत्तराखंड	160.91	130.83	83.46	84.00	160.91	130.83	51.72	45.98
28.	पश्चिम बंगाल	147.00	120.61	292.00	177.76	147.00	120.61	282.93	97.24
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	1.89	2.13	38.37	0.00	1.89	2.13	1.00
	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)*	11744.70	17918.94	23442.89	25265.98	9017.96	12563.94	21379.89	8001.64
	सीमा सड़क संगठन (बीआरओ)*	756.00	760.00	540.00	550.00	723.49	694.49	515.00	269.71
	एसएआरडीपी-एनई*	1200.00	1500.00	1950.00	2000.00	667.60	1046.71	1939.98	703.02
	एलडब्ल्यूई*	125.00	750.00	1200.00	1500.00	5.00	718.05	1166.68	448.34

*राज्य-वार आबंटन नहीं किए जाते हैं।

^अनंतिम

विवरण-III

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत विलंबित राज्य-वार राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

क्र. सं.	खंड	राज्य का नाम	रारा संख्या	कुल लम्बाई (किमी.)	पूरी की गई लंबाई (किमी.)	पूरा होने की संभावित तारीख	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु.)	लागत लंघन समय (महीने)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अरमूर से कडलूर येल्लारेड्डी (एनएस-2/एपी-1) (अनुमोदित लंबाई 60.25)	आंध्र प्रदेश	7	59	59	नवं.-2012	390.56	6
2.	हैदराबाद-यादगिरी (अनुमोदित लंबाई 30)	आंध्र प्रदेश	202	35.65	35.353	नवं.-2012	388	6
3.	हैदराबाद-विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	9	181.63	178.11	नवं.-2012	1740	1
4.	चिलकालूरीपेट-विजयवाड़ा (छ: लेन)	आंध्र प्रदेश	5	82.5	29.7	जून-2013	572.3	20
5.	ब्रह्मपुत्र पुल (एएस-28)	असम	31	5	0	दिसं.-2012	217.61	32
6.	नलबाड़ी से बिजनी (एएस-7)	असम	31	27.3	18.3	दिसं.-2012	208	56
7.	नलबाड़ी से बिजनी (एएस-9)	असम	31	21.5	19.4	दिसं.-2012	142	54
8.	नलबाड़ी से बिजनी (एएस-6)	असम	31	25	22.9	मार्च-2013	225	45
9.	बिजनी से असम/पश्चिम बंगाल सीमा (एएस-11)	असम	31सी	30	16.37	मार्च-2013	195	57
10.	हरंगाजो से मैबंग (एएस-23)	असम	54	16	11.88	मार्च-2013	280	49
11.	सिलचर-उदरबंद (एएस-1)	असम	54	32	19.53	मार्च-2013	154.57	66
12.	नलबाड़ी से बिजनी (एएस-8)	असम	31	30	27.94	दिसं.-2012	200	54
13.	गुवाहाटी से नलबाड़ी (एएस-4)	असम	31	28	10.6	दिसं.-2012	175.96	56
14.	मैबंग से लुमडिंग (एएस-27)	असम	54	21	0	मार्च-2013	200	47
15.	बिजनी से असम/पश्चिम बंगाल सीमा (एएस-12)	असम	31सी	30	27.2	मार्च-2013	230	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	धर्मातुल से सोनापुर (एएस-19)	असम	37	25	22.4	मार्च-2013	200	57
17.	धर्मातुल से सोनापुर (एएस-20)	असम	37	22	19.7	मार्च-2013	160	58
18.	बिजनी से असम/पश्चिम बंगाल सीमा (एएस-10)	असम	31 सी	33	25.34	दिसं.-2012	237.8	54
19.	सोनापुर से गुवाहाटी (एएस-3)	असम	37	19	16.6	मार्च-2013	245	45
20.	नगांव से धर्मातुल (एएस-2)	असम	37	25	22.6	मार्च-2013	264.72	57
21.	गुवाहाटी से नलबाड़ी (एएस-5)	असम	31	28	15.5	दिसं.-2012	198.16	56
22.	दीवापुर से यूपी/बिहार सीमा (एलएमएनएचपी-9)	बिहार	28	41.085	29.78	मार्च-2013	300	65
23.	कोटवा से दीवापुर (एलएमएनएचपी-10)	बिहार	28	38	37.5	मार्च-2013	240	52
24.	दुर्ग बाइपास के अंतिम छोर-छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र सीमा	छत्तीसगढ़	6	82.685	82	दिसं.-2012	464	23
25.	औरंग-रायपुर	छत्तीसगढ़	6	43.485	43.07	दिसं.-2012	190	47
26.	गुजरात/महाराष्ट्र सीमा-सूरत-हजीराबाद पत्तन	गुजरात	6	132.9	69.74	मार्च-2013	1509.1	6
27.	सूरत-दहीसर (6 लेन)	गुजरात [118.2]/ महाराष्ट्र [120.77]	8	239	232	नवं.-2012	1693.75	15
28.	दिल्ली/हरियाणा सीमा से रोहतक	हरियाणा	10	63.49	60.1	दिसं.-2012	486	31
29.	पानीपत-जालंधर (छः लेन)	हरियाणा [116]/ पंजाब [175.1]	1	291	230.445	अग.-2013	2288	27
30.	गुड़गांव-कोटपुतली-जयपुर (छः लेन)	हरियाणा [64.3]/ राजस्थान [161.3]	8	225.6	147.98	दिसं.-2012	1673.7	14
31.	विजयपुर से पठानकोट (एनएस-35/जेएंडके)	जम्मू-कश्मीर	1ए	30	29.65	दिसं.-2012	193.1	58
32.	श्रीनगर बाइपास (पुल खंड) (एनएस-30ए)	जम्मू-कश्मीर	1ए	1.23	0	दिसं.-2012	62.96	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	न्यू मंगलौर पत्तन	कर्नाटक	13, 17 और 48	37	36.74	दिसं.-2012	196.5	60
34.	हैदराबाद-बंगलौर पत्तन का उन्नयन (मौजूदा 6 लेन तक उन्नयन)	कर्नाटक	7	22.12	18.23	अप्रैल-2013	680	5
35.	आईसीटीटी वल्लारपदम के लिए रारा संपर्क	केरल	47 सी	17.2	15.1	दिसं.-2012	557	58
36.	राजमार्ग चौराहा से लखनादोन (एडीबी-II/सी-9)	मध्य प्रदेश	26	54.7	53.07	दिसं.-2012	229.91	50
37.	सागर-राजमार्ग चौराहा (एडीबी-II/सी-6)	मध्य प्रदेश	26	44	40.84	दिसं.-2012	203.43	50
38.	लखनादोन से एमपी/महाराष्ट्र सीमा (एनएस-1/बीओटी/एमपी-2)	मध्य प्रदेश	7	49.35	40.11	सितं.-2014	263.17	60
39.	ग्वालियर बाइपास (एनएस-1/बीओटी/(एमपी-1)	मध्य प्रदेश	75, 3	42	40.45	दिसं.-2012	300.93	38
40.	राजमार्ग चौराहा से लखनादोन (एडीबी-II/सी-8)	मध्य प्रदेश	26	54	46	दिसं.-2012	251.03	50
41.	लखनादोन से एमपी/महाराष्ट्र सीमा (एनएस-1/बीओटी/एमपी-3)	मध्य प्रदेश	7	56.475	27.73	दिसं.-2012	407.6	30
42.	धोलपुर-मुरैना खंड (चम्बल पुल सहित) एनएस-1/आरजे-एमपी/1	मध्य प्रदेश [1]/ राजस्थान [9]	3	10	7.11	दिसं.-2012	232.45	27
43.	ग्वालियर-झांसी	मध्य प्रदेश [68.5]/ उत्तर प्रदेश [11.5]	75	80	52.77	जुलाई-2013	604	43
44.	बोरखेड़ी-जाम (एनएस-22/एमएच	महाराष्ट्र	7	27.4	27	जन.-2013	110	61
45.	पुणे-शोलापुर पैकेज-I (अनुमोदित लंबाई पैकेज-I और II 170 किमी)	महाराष्ट्र	9	110.05	96	अक्टू.-2012	1110	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46.	कांप्टीकानून और नागपुर बाइपास सहित एमपी/महाराष्ट्र सीमा से नागपुर को 4 लेन का बनाना	महाराष्ट्र	7	95	58.5	दिसं.-2013	1170.52	18
47.	वाडनेर-देवधारी (एनएस-60/ एमएच)	महाराष्ट्र	7	29	0	नवं.-2012	193.45	24
48.	एमपी/महाराष्ट्र सीमा-धुले	महाराष्ट्र	3	98	87	दिसं.-2012	835	6
49.	नागपुर-कोंधली	महाराष्ट्र	6	40	39.84	दिसं.-2012	168	48
50.	पिंपलगांव-नासिक-गोंडे	महाराष्ट्र	3	60	50	दिसं.-2012	940	5
51.	नाखला-गंजम (ओआर-VII)	ओडिशा	5	55.713	54.38	दिसं.-2012	241.53	14
52.	पठानकोट से भोगपुर (एनएस-38/पीबी)	पंजाब	1ए	44	40.54	मार्च-2013	359	7
53.	पठानकोट से जम्मू-कश्मीर सीमा (एनएस-36/जे एंड के)	पंजाब	1ए	19.65	19.45	जून-2013	97.73	61
54.	किशनगढ़-अजमेर-ब्यावर	राजस्थान	8	82	82	दिसं.-2012	795	7
55.	चंबल पुल (आरजे-5)	राजस्थान	76	1.4	0	दिसं.-2013	281.31	46
56.	कोटा बाइपास (आरजे-4)	राजस्थान	76	26.42	26.35	फर.-2013	250.39	51
57.	सलेम-उलून्डरूपेट (बीओटी-1/ टीएन-06)	तमिलनाडु	68	136.357	134.2	फर.-2013	941	25
58.	तूतीकोरिन पत्तन	तमिलनाडु	7ए	47.2	46.2	नवं.-2012	182.25	7
59.	त्रिची-करूर	तमिलनाडु	67	79.7	70	मार्च-2013	516	32
60.	चेन्नै-टाडा (6 लेन)	तमिलनाडु	5	43.4	12.35	मार्च-2014	353.37	29
61.	लखनऊ-कानपुर (ईडब्ल्यू/3बी)	उत्तर प्रदेश	25	16	15.3	मार्च-2012	54	15
62.	गंगा पुल से रामा देवी क्रासिंग (यूपी-6)	उत्तर प्रदेश	25	5.6	1.64	मार्च-2013	201.66	54
63.	सिलीगुड़ी से इस्लामपुर (डब्ल्यूबी-7)	पश्चिम बंगाल	31	26	18.69	दिसं.-2012	225	53

[अनुवाद]

595-96

राष्ट्रीय विनिर्माण नीति

627. **श्रीमती सुप्रिया सुले :**
डॉ. संजीव गणेश नाईक :
श्री वरुण गांधी :
श्री एम. आनंदन :
श्री सुरेश अंगड़ी :
श्री एम.के. राघवन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में शुरू की गई राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (एनएमपी) के तहत प्रस्तावित राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण जोन (एनआईएमजेड) कार्यान्वित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त नीति के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति/उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा इसके तहत सरकार ने अभी तक क्या लक्ष्य प्राप्त किए हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण क्षेत्र के हिस्से बढ़ाने और सन् 2020 तक लाखों रोजगार पैदा करने की क्षमता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने एनआईएमजेड की स्थापना हेतु लैंड बैंक बनाने के लिए राज्य सरकारों से आग्रह किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है और इस बारे में विभिन्न राज्य सरकारों के क्या विचार हैं; और

(छ) प्रस्तावित एनआईएमजेड की स्थापना के बारे में राज्य-वार ब्यौरा क्या है और अभी तक किस तरीके से निवेश किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन) : (क) से (घ) सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण की हिस्सेदारी बढ़ाकर 25 प्रतिशत तक करने, 100 मिलियन नौकरियों के सृजन, युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए उन्हें आवश्यक दक्षता प्रदान करने तथा पर्यावरणीय निरंतरता सुनिश्चित करते हुए विनिर्माण में घरेलू मूल्यवर्धन तथा प्रौद्योगिकीय गहनता बढ़ाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय विनिर्माण नीति अधिसूचित की है। यह स्वीकार करते हुए कि नौकरियों के सृजन पर, यहां तक कि संबद्ध क्षेत्रों में भी, विनिर्माण क्षेत्र का गुणक प्रभाव होता है, सरकार ने यह नीति तैयार की है। एनआईएमजेड इस नीति को कार्यान्वित करने के साधनों से एक साधन है। इन जोनों की परिकल्पना एकीकृत औद्योगिक शहरों के रूप में की गई है जिनमें विनिर्माण की वृद्धि हेतु सभी आवश्यक तत्व होंगे, जैसे:— आधुनिकतम ढांचागत सुविधाएं; स्वच्छ और ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी; सरलीकृत कारोबार विनियम; तथा आवश्यक सामाजिक और संस्थागत बुनियादी सेवाएं। यह नीति राज्यों के साथ साझेदारी में औद्योगिक वृद्धि के सिद्धांत पर आधारित है। इस नीति में उपलब्ध कराये गए साधनों को अपनाना राज्यों का विशेषाधिकार है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण जोनों की स्थापना करने हेतु भूमि बैंकों को चिन्हित करने के लिए राज्यों से अनुरोध किया गया है। सरकार को एनआईएमजेड की स्थापना के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से विनिर्दिष्ट प्रारुप में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(छ) दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरीडोर (डीएमआईसी) परियोजना के साथ-साथ अवस्थित किए जाने हेतु एनआईएमजेड के तौर पर आठ निवेश क्षेत्रों की घोषणा की गई हैं इनका ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

(i) अहमदाबाद-धोलेरा निवेश क्षेत्र, गुजरात;

(ii) शेन्द्रा-बिडकिन औद्योगिक पार्क शहर, अहमदाबाद के निकट, महाराष्ट्र;

(iii) मानेसर-बावल निवेश क्षेत्र, हरियाणा;

(iv) खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र, राजस्थान;

(v) पीथमपुरा-धार-मऊ निवेश क्षेत्र, मध्य प्रदेश;

(vi) दादरी-नोएडा-गजियाबाद निवेश क्षेत्र, उत्तर प्रदेश;

(vii) डिघी पत्तन औद्योगिक क्षेत्र, महाराष्ट्र; और

(viii) जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, राजस्थान।

डीएमआईसी क्षेत्र के बाहर (i) महाराष्ट्र में नागपुर और (ii) कर्नाटक में टुमकुर में भी दो एनआईएमजेड को सिद्धांतत: अनुमोदन प्रदान किया गया है।

इन जोनों में निवेश मुख्यत: निजी क्षेत्र से आने की संभावना है।

बाघों का संरक्षण

628. **श्री संजय दिना पाटील :**
डॉ. संजीव गणेश नाईक :
श्री वीरेन्द्र कुमार :
श्री अर्जुन राम मेघवाल :
श्री शिवराम गौडा :
श्री सी. राजेन्द्रन :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण अपने मिशन में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में राज्य-वार देश में बाघों की संख्या का ब्यौरा क्या है और बाघों की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) देश में बाघों की सुरक्षा हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) जी, नहीं, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के संगठित प्रयासों, मॉनीटरिंग और महत्वपूर्ण पहलों के कारण देश के स्तर पर बाघों की संख्या, जिसका अनुमान संशोधित पद्धति का प्रयोग करके प्रत्येक चार वर्ष के अंतराल में एक बार किया जाता है, से बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति का पता चला है। हाल ही के अखिल भारतीय अनुमान (2010) के अनुसार उनकी संख्या क्रमश: 1520 की निम्नतर और 1909 की उच्चतर सीमा के साथ 1706 हो जाने का अनुमान है, जबकि 2006 के विगत देश स्तर के अनुमान के अनुसार यह संख्या अनुमानत: 1411 थी, जिसकी निम्नतर और उच्चतर सीमा क्रमश: 1165 और 1657 थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) वर्ष 2006 और 2010 में देश में बाघ आकलन के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। बाघों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्रयास संलग्न विवरण-II पर हैं।

विवरण-I

वर्ष 2006 और 2010 में बाघों का आकलन

राज्य	बाघों की संख्या						वृद्धि/कमी/स्थिर
	2006			2010			
	अनुमान (संख्या)	संख्या की दृष्टि से निम्नतर सीमा	संख्या की दृष्टि से उच्चतर सीमा	अनुमान (संख्या)	संख्या की दृष्टि से निम्नतर सीमा	संख्या की दृष्टि से उच्चतर सीमा	
1	2	3	4	5	6	7	8
शिवालिक-गांगेय मैदान भू-दृश्य परिसर							
उत्तराखंड	178	161	195	227	199	256	वृद्धि
उत्तर प्रदेश	109	91	127	118	113	124	स्थिर
बिहार	10	7	13	8 (-)***	(-)***	(-)***	स्थिर

1	2	3	4	5	6	7	8
शिवालिक-गांगेय भू-दृश्य	297	259	335	353	320	388	स्थिर
केन्द्रीय भारतीय भू-दृश्य परिसर और पूर्वी घाट भू-दृश्य परिसर							
आंध्र प्रदेश	95	84	107	72	65	79	कमी
छत्तीसगढ़	26	23	28	26	24	27	स्थिर
मध्य प्रदेश	300	236	364	257	213	301	स्थिर
महाराष्ट्र	103	76	131	169	155	183	वृद्धि
ओडिशा	45	37	53	32	20	44	स्थिर
राजस्थान	32	30	35	36	35	37	स्थिर
झारखंड	आकलन नहीं किया गया			10	6	14	चूंकि इसे 2006 में आकलित नहीं किया गया था इसलिए तुलना नहीं की जा सकी।
केन्द्रीय भारतीय भू-दृश्य	601	486	718	601	518	685	स्थिर
पश्चिमी घाट भू-दृश्य परिसर							
कर्नाटक	290	241	339	300	280	320	स्थिर
केरल	46	39	53	71	67	75	वृद्धि
तमिलनाडु	76	56	95	163	153	173	वृद्धि
पश्चिमी तट	402	336	487	534	500	568	वृद्धि
पूर्वोत्तर पहाड़ियां और ब्रह्मपुत्र बाढ़ मैदान							
असम	70	60	80	143	113	173	वृद्धि
अरुणाचल प्रदेश	14	12	18	आकलन नहीं किया गया	आकलन नहीं किया गया	आकलन नहीं किया गया	चूंकि इसे 2010 में आकलित नहीं किया गया था इसलिए तुलना नहीं की जा सकी।
मिजोरम	6	4	8	5 (-)***	(-)***	(-)***	स्थिर
उत्तरी पश्चिम बंगाल	10	8	12	आकलन नहीं किया गया	आकलन नहीं किया गया	आकलन नहीं किया गया	चूंकि इसे 2010 में आकलित नहीं किया गया था इसलिए तुलना नहीं की जा सकी।

1	2	3	4	5	6	7	8
पूर्वोत्तर पहाड़ियां और ब्रह्मपुत्र भू-दृश्य	100	84	118	148	118	178	वृद्धि
सुंदरवन	आकलन नहीं किया गया	आकलन नहीं किया गया	आकलन नहीं किया गया	70	64	90	चूंकि इसे 2006 में आकलित नहीं किया गया था इसलिए तुलना नहीं की जा सकी।
कुल	1411	1165	1657	1706	1520	1909	

***कम संख्या होने के कारण निम्नतर/उच्चतर सीमा का अनुमान नहीं लगाया जा सका।

विवरण-II

बाघों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहलें

वैधानिक कदम

1. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करके राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और बाघ एवं अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन के लिए प्रावधान किए गए।

2. बाघ आरक्षित क्षेत्र के कोर क्षेत्र में अपराध के मामलों अथवा जहां अपराध, बाघ आरक्षित क्षेत्र में शिकार संबंधी अथवा बाघ आरक्षित क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन संबंधी हो, में दण्ड को बढ़ाना।

प्रशासनिक कदम

3. बाघ रिज़र्व राज्यों को उनके द्वारा यथा-प्रस्तावित वित्तीय सहायता के द्वारा वर्षा ऋतु में गश्त के लिए विशेष कार्यनीति सहित चोरी छिपे शिकार को रोकने की गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण, सूचना/बेतार सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करने के अतिरिक्त, स्थानीय लोगों के कार्यबल सहित भूतपूर्व सैनिकों/होमगार्डों को शामिल करके अवैध शिकार रोधी दस्तों की तैनाती।

4. बाघ संरक्षण के सुदृढ़ीकरण हेतु राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 4.9.2006 से गठित किया गया है, जिसके द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ बाघ रिजर्व प्रबंधन में मानकों की सुनिश्चितता, रिज़र्व विशेष बाघ संरक्षण योजना तैयार करना, संसद में वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, मुख्य मंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समितियों का गठन करना और बाघ संरक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना के द्वारा बाघ संरक्षण को सुदृढ़ किया जाना है।

5. वन्य जीवों के अवैध व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु दिनांक 6.6.2007 से बहुविध बाघ और अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो) का गठन।

6. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा पांच नए बाघ रिजर्वों के सृजन हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है और ये स्थल है; पीलीभीत (उत्तर प्रदेश), रातापानी (मध्य प्रदेश), सुनाबेदा (ओडिशा) और मुकन्द्रा हिल्स (दर्राह, जवाहर सागर और चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य सहित) (राजस्थान) और सत्यमंगलम (तमिलनाडु)। कुदरेमुख (कर्नाटक) को बाघ रिजर्व के रूप में घोषित करने के लिए अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, इन राज्यों को निम्नलिखित क्षेत्रों को बाघ रिजर्वों के रूप में घोषित करने के लिए प्रस्तावों को भेजने की सलाह दी गई है: (i) बोर (महाराष्ट्र), (ii) सुहेलवा (उत्तर प्रदेश), (iii) नागजीरा-नवेगांव (महाराष्ट्र), (iv) गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान (छत्तीसगढ़), (v) महादेई अभ्यारण्य (गोवा) और (vi) श्रीविलीपुथुर ग्रिज्लड जाईन्ट स्क्विरल/मेगामलई वन्यजीव अभ्यारण्य/वरुशानाडु घाटी (तमिलनाडु)।

7. बाघ संरक्षण ओ सुदृढ़ करने के लिए राज्यों को संशोधित बाघ परियोजना दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ जारी गतिविधियों के अलावा कोर अथवा संवेदनशील बाघ पर्यावासों में निवास कर रहे लोगों के लिए ग्राम पुनर्स्थापना/पुनर्वास पैकेज बढ़ाने के लिए राज्यों को निधिकरण सहायता (1 लाख रु. प्रति परिवार से 10 लाख रु. प्रति परिवार तक)

परंपरागत शिकार में लगे समुदायों का पुनर्वास/पुनर्स्थापना, पर्यावास विखंडन को रोकने के लिए आश्रय-नीति द्वारा वनों के बाहर बाघ आरक्षित क्षेत्र और प्रोत्साहन क्षेत्र को आजीविका हेतु मुख्य धारा में लाने के लिए उसका संरक्षण करना शामिल है।

8. बाघों के (सह-परभक्षियों, शिकार होने वाले जानवरों और पर्यावासों स्तरों का मूल्यांकन करने सहित) आकलन के लिए एक वैज्ञानिक कार्य प्रणाली विकसित की गई है और उसे मुख्य धारा में लाया गया है। इस आकलन/मूल्यांकन के परिणाम, भविष्य की बाघ संरक्षण कार्यनीति के लिए निर्देशचिन्ह हैं।

9. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, 2006 में यथा संशोधित की धारा 38V के अंतर्गत 17 बाघ राज्यों द्वारा देश में सभी 41 बाघ रिज़र्वों का (35123.9547 वर्ग किलोमीटर) का क्षेत्र कोर क्षेत्र अथवा संवेदनशील बाघ पर्यावास और (28750.73421 वर्ग किलोमीटर) का क्षेत्र बफर/परिधीय क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया है।

वित्तीय कदम

10. वन्य जीवों को प्रभावी सुरक्षा मुहैया कराने हेतु राज्यों की क्षमता और अवसंरचना में अभिवृद्धि हेतु राज्यों को विभिन्न प्रायोजित स्कीमों अर्थात् बाघ परियोजना और अन्य जीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

11. भारत का चीन के साथ बाघ संरक्षण पर प्रोटोकॉल के अलावा वन्य जीव और संरक्षण में सीमा पार अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए नेपाल के साथ एक समझौता ज्ञापन विद्यमान है।

12. सुंदरवन के रॉयल बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए बांग्ला देश के साथ सितंबर, 2011 में एक प्रोटोकॉल हस्ताक्षरित किया गया है।

13. रूसी संघ के साथ सहयोग हेतु बाघ और तेंदुआ संरक्षण संबंधी उप-दल का गठन किया गया है।

14. बाघ संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के निराकरण हेतु बाघ रेंज देशों के वैश्विक बाघ फोरम का सृजन किया गया है।

15. साइट्स (सीआईटीईएस) के पक्षकारों के सम्मेलन की चौदहवीं बैठक, जो हेग में 3 से 15 जून, 2007 तक आयोजित हुई थी, के दौरान भारत ने चीन, नेपाल और रूसी फेडरेशन के साथ एक संकल्प प्रस्तुत किया है, जिसमें केवल जंगली बाघों के संरक्षण के समर्थन स्तर तक ऐसी बंधक संख्या को प्रतिबंधित करने के लिए वाणिज्यिक पैमाने पर बाघों की प्रजनन प्रक्रिया सहित पक्षकारों को दिशा-निर्देश दिए हैं। इस संकल्प को किंचित संशोधनों के साथ निर्णय के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा, भारत ने हस्तक्षेप करते हुए चीन से अपील की कि बाघ फार्मिंग को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाए और एशियाई बड़े बाघों के अंगों और व्युत्पन्नों के भंडार को समाप्त किया जाए। बाघों के शरीर के अंगों के व्यापार पर रोक जारी रखने पर बल दिया गया।

16. दिनांक 23 जुलाई से 27 जुलाई, 2012 तक जेनेवा में आयोजित साइट्स (सीआईटीईएस) की स्थायी समिति की 62वीं बैठक में भारत द्वारा किए गए जोरदार हस्तक्षेप के आधार पर साइट्स सचिवालय ने सभी पक्षकारों को 14.69 निर्णय के अनुपालन (बाघों आदि के केप्टिव ब्रीडिंग आप्रेशन्स को रोकने पर हुई प्रगति) हेतु दिनांक 3 सितंबर, 2012 की अधिसूचना संख्या 2012/054 जारी की है और 25 सितम्बर, 2012 तक सचिवालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निदेश दिए हैं।

17. सरिस्का और पन्ना बाघ रिजर्वों, जहां से बाघ स्थानीय रूप से विलुप्त हो गए हैं, के पुनर्निर्माण के सक्रिय प्रबंधन के भाग के रूप में नए बाघों/बाघिनों को छोड़ने का कार्य किया गया है।

18. बाघों और उनके शिकार जानवरों की कम संख्या वाले बाघ रिजर्वों में सक्रिय प्रबंधन द्वारा शिकार आधार और बाघों की संख्या की स्वस्थाने वृद्धि के लिए विशेष निर्देशिका जारी की गई है।

विशेष बाघ सुरक्षा बल (एसटीपीएफ) का सृजन

19. वित्त मंत्री द्वारा 29.2.2008 के अपने बजट अभिभाषण में घोषित की गई नीतिगत पहलों में अन्य बातों के साथ-साथ, बाघ सुरक्षा से संबंधित कार्य बिन्दु भी शामिल हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) को एक विशेष बाघ सुरक्षा बल (एसटीपीएफ) के गठन करने, उसे हथियारों से लैस करने और उसकी तैनाती के लिए मंजूर किए गए 50.00 करोड़ रु. के एकमुश्त अनुदान के आधार पर उक्त बल से संबंधित प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकारी द्वारा 13 बाघ रिजर्वों के मामले में मंजूरी प्रदान कर दी गई है। कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य पहले ही एसटीपीएफ का सृजन और तैनाती कर चुके हैं।

20. ट्रैफिक-इंडिया के सहयोग से ऑनलाइन टाइगर क्राइम डाटाबेस शुरू किया गया है और रिजर्व विशिष्ट सुरक्षा योजना तैयार करने के लिए सामान्य (जेनेरिक) दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।

हाल ही में की गई पहलें

21. बाघ संरक्षण पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु निधि प्रवाहों से सहबद्ध, बाघ बहुल राज्यों के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन का कार्यान्वयन।

22. बाघ रिजर्वों का त्वरित मूल्यांकन किया गया।

23. वामपंथ उग्रवाद प्रभावित बाघ रिजर्वों में तथा बाघ और उनके शिकार जानवरों की कम संख्या वाले क्षेत्रों में विशेष छापा दल भेजे गए थे।

24. वामपंथ उग्रवाद प्रभावित तथा बाघ और उनके शिकार जानवरों की कम संख्या वाले बाघ रिज़र्वों राज्यों के मुख्य मंत्रियों को विशेष उपाय करने के लिए संबोधित किया गया।

25. प्रभावी क्षेत्रीय गश्त और मॉनीटरिंग हेतु मॉनीटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इन्टेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलोजिकल स्टेट्स (एम स्ट्राइप्स) शुरू करने के साथ-साथ, अवसंरचना के आधुनिकीकरण और क्षेत्र सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए हैं।

26. वर्तमान में किए जा रहे अखिल भारतीय बाघ अनुमान में गैर-सरकारी विशेषज्ञों की भागीदारी के लिए कदम उठाए गए।

27. प्रोत्साहन देने के अलावा, फील्ड अधिकारियों की क्षमता को बढ़ाने के माध्यम से फील्ड डिलीवरी में सुधारात्मक कार्रवाई की गई।

28. बाघ रिजर्वों में निगरानी को सुदृढ़ बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए कार्रवाई प्रारंभ की गई।

29. देश व्यापी बाघ स्थिति आकलन का दूसरा चरण 2010 में पूरा किया गया जिसके निष्कर्षों से पता चलता है कि बाघों की अनुमानित संख्या बढ़कर 1706 हुई है जिसकी न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्रमश: 1520 और 1909 है जबकि 2006 के पिछले देशव्यापी अनुमान 1411 का था जिसकी न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्रमश: 1165 और 1657 थी।

30. वर्ष 2010-11 में 39 बाघ रिजर्वों हेतु किए गए बाघ रिजर्वो के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन का स्वतंत्र आकलन का दूसरा दौर वैश्विक रूप से उपयोग में लाया गया फ्रेमवर्क था।

31. बाघ परियोजना के आवंटन में अतिरिक्त घटकों से अभिवृद्धि की गई।

32. समस्याग्रस्त क्षेत्रों में मानव-बाघ भिड़ंतों के उपशमन हेतु विशेष सहायता प्रदान करना।

33. नई दिल्ली में हुई सीमा-पार परामर्शी दल की चौथी बैठक के परिणामस्वरूप जैव विविधता और बाघ संरक्षण हेतु नेपाल के साथ एक संयुक्त प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

34. नागपुर, बंगलूरु और गुवाहाटी में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु मंजूरी प्रदान की गई।

35. बाघ-आरक्षित क्षेत्र स्तर निगरानी के चरण-IV की शुरूआत।

[हिन्दी] गौरव 606-08

अंतर्देशीय जलमार्गों का उपयोग

629. श्री राम सुन्दर दास :
श्री कपिल मुनि करवारिया :

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गंगा नदी पर पटना-हल्दिया और पटना-वाराणसी के माध्यम से उपलब्ध अन्तर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना को क्षमता का पूरा उपयोग कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों में इस अन्तर्देशीय जल परिवहन के जरिए कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(घ) क्या सरकार की देश में अंतर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना में सुधार करने की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने कोई नया राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) और

(ख) गंगा-भगीरथी-हुगली नदी प्रणाली के हल्दिया-इलाहाबाद जलखंड (1620 कि.मी.) को राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (एनडब्ल्यू-1) के रूप में घोषित किया गया है और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई), हल्दिया-बलिया जलखंड (1140 कि.मी.) में चौबीस घंटे नौचालन संबंधी साधन-सुविधाओं और डिफ्रेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस) संपर्क से युक्त हल्दिया-बाढ़ जलखंड (956 कि.मी.) में 2.5 मि., बाढ़-गाजीपुर जलखंड (294 कि.मी.) में 2 मी. और गाजीपुर-वाराणसी जलखंड (133 कि.मी.) में 1.5 मी. के अल्पतम उपलब्ध डुबाव (एलएडी) के नौचालनात्मक जलमार्ग सहित इस जलमार्ग को विकसित कर रहा है। इसके अलावा, पाकुर फरक्का और पटना में स्थायी टर्मिनल तथा कुछ अन्य स्थलों में प्लवमान जेट्टियां उपलब्ध हैं।

इस जलमार्ग का मशीनीकृत बार्जों का इस्तेमाल करके, सीमेंट, फ्लाई ऐश, लौह अयस्क, कोयला, स्टोन चिप्स, दालों, पीओएल, बड़े आकार के कार्गो आदि जैसे सामानों का परिवहन करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा, कोलकाता और पटना के बीच क्रूज जलयान का भी संचालन किया जाता है।

(ग) पायलटेज प्रभारों, बर्थिंग प्रभारों, टर्मिनल प्रभारों, प्रोटोकॉल प्रभारों और ओडीसी प्रभारों के जरिए पिछले दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय जलमार्ग-1 के माध्यम से अर्जित राजस्व निम्नानुसार है:

2010-11 — 2.19 करोड़ रुपए

2011-12 — 3.70 करोड़ रुपए

(घ) और (ङ) अपेक्षित अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) अवसंरचना प्रदान कर नौवहन और नौचालन हेतु आईडब्ल्यूएआई द्वारा एनडब्ल्यू-1, 2 और 3 को विकसित किया जा रहा है। विकासात्मक कार्यों में वर्ष के अधिकतर हिस्से में लक्षित गहराई और चौड़ाई सहित एक नौचालनात्मक जलमार्ग, दिन और रात के समय नौचालन हेतु साधन-सुविधाएं, जलयानों की बर्थिंग और लदाई/उतराई के लिए चुने हुए स्थलों पर स्थायी/प्लवमान टर्मिनल तथा कुछ चुने हुए स्थलों में अंतर-मॉडल संपर्क प्रदान किया जाना शामिल है। आईडब्ल्यूएआई की आने वाले वर्षों में एनडब्ल्यू-1 और 2 में एलएडी को बेहतर करने की योजना है। एनडब्ल्यू-1 में वाराणसी में और एनडब्ल्यू-2 में सिलघाट तथा धुबरी में नए डीजीपीएस स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। एनडब्ल्यू-1 के हल्दिया-फरक्का जलखंड में नदी सूचना सेवा (आरआईएस) प्रणाली स्थापित की जा रही है। इसके अलावा, एनडब्ल्यू-1 में जीआर जेट्टी (कोलकाता), वाराणसी और इलाहाबाद में तथा एनडब्ल्यू-2 में धुबरी और हत्सिंगमारी में स्थायी टर्मिनल स्थापित किए जाने की योजना है। योजना आयोग द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण (वीजीएफ) के साथ सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) के अंतर्गत राष्ट्रीय जलमार्ग-4 और 5 के और अधिक वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य जलखंडों को विकसित किए जाने के प्रयास आरंभ कर दिए गए हैं।

(च) और (छ) सरकार ने वर्ष 2008 में दो नए राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए हैं। इनमें (i) आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में गोदावरी और कृष्णा नदियों (1078 कि.मी.) के साथ-साथ काकीनाडा-पुदुचेरी नहरें और (ii) पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों में ब्राह्मणी नदी तथा महानदी डेल्टा नदियों (588 कि.मी.) के साथ-साथ पूर्वी तट नहर हैं। इसके अलावा, सरकार ने बराक नदी के लखीपुर-भंगा जलखंड को राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 6 के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव को भी अंतिम रूप दे दिया है।

608-10

आ.जा./अ.ज.जा. में अपिव का शामिल किया जाना

630. श्रीमती ऊषा वर्मा :
योगी आदित्यनाथ :
श्री महेश्वर हजारी :
श्रीमती सीमा उपाध्याय :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पिछड़ा वर्गों (अपिव) की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों का अध्ययन करने के बाद इन्हें अनुसूचित जाति (अजा) श्रेणी में शामिल करने के बारे में उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सभी अन्य पिछड़े वर्गों को अनुसूचित जातियों में शामिल करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) और (ख) वर्तमान में अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में समुदायों की राज्यवार सूची, जिनके बारे में अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, इस प्रकार है:—

क्र. सं.	राज्य	समुदाय
1.	बिहार	तांती (ततवा)
		कानु
		बढ़ई
		प्रजापति (कुम्हार)
2.	झारखंड	कादर
3.	केरल	पुल्लुवन
		थाचर (बढ़ई के अतिरिक्त)
4.	ओडिशा	चिक

(ग) और (घ) अनुसूचित जातियों की सूची में समुदायों के सम्मिलन हेतु राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर भारत के महापंजीयक और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के परामर्श से मामला-दर-मामला आधार पर कार्रवाई की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

सशस्त्र सेनाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण

631. **श्री विलास मुत्तेमवार :**
श्री जगदीश शर्मा :
श्री महाबल मिश्रा :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या युद्ध के बदलते परिदृश्य में थल सेना के सम्मुख परमाणु युद्ध, अंतरिक्ष, साईबर वर्ल्ड और विशेष अभियान सुरक्षा के नए मुद्दे बन गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या से निपटने हेतु सशस्त्र सेनाओं को विशेष प्रशिक्षण देने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो सरकार इस बारे में कब तक अंतिम निर्णय लेने वाली है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारतीय सशस्त्र बल आणविक, अंतरिक्ष, साईबर तथा विशेष अभियानों सहित युद्ध के गतिशील परिदृश्य का अध्ययन करते हैं। उभरते मामलों का एक संपूर्ण विश्लेषण किया जाता है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि सशस्त्र बलों के कार्मिक पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हों और इन मामलों में से किसी भी मामले में निपटने हेतु तैयार रहें, प्रशिक्षण मानकों तथा पाठ्यक्रमों में आवधिक रूप से संशोधन किया जाता है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का परिवर्तन

632. **श्री विजय बहादुर सिंह :**
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :
श्री जगदानंद सिंह :
श्री अरविंद कुमार चौधरी :
श्री बद्रीराम जाखड़ :
श्री देवजी एम. पटेल :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषतौर पर राजस्थान सहित दो लेन/चार लेन/छ: लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों सहित राज्य-वार कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं;

(ख) सरकार ने देश में दो लेन/चार लेन/छ: लेन/आठ लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव हेतु क्या नीति बनाई है;

(ग) सरकार को विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में दो लेन वाले राजमार्गों को चार लेन/छ:/आठ लेन में परिवर्तित किए जाने हेतु राज्य-वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा विगत अवधि में इनमें से कितने प्रस्ताव मंजूर किए गए;

(घ) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और उक्त अवधि में राज्य-वार इन परियोजनाओं हेतु आबंटित/व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इनमें से कुछ परियोजनाओं में विलंब हुआ है;

(च) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाने की संभावना है; और

(छ) क्या रारा-14 (ब्यावार-राली-पिडंवारा) का रख-रखाव

उक्त नीति के अनुरूप किया जा रहा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) राजस्थान राज्य सहित देश के दो/चार/छः लेन सहित राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) से (च) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है और उपलब्ध संसाधनों और पारस्परिक प्राथमिकता को ध्यान में रखकर कार्य किए जाते हैं। मंत्रालय की नीति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) के तहत शामिल राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव के लिए आवेदन जारी करने के समय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपने की कार्यवाही की जाती है।

तब तक इन राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव राज्यीय केंद्रीय लोक निर्माण विभाग/सीमा सड़क संगठन इस प्रकार करते हैं कि यातायात के आवागमन में कोई कठिनाई न हो।

जिन राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों के लिए चार/छः लेन वाले कामों का क्रियान्वयन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन है, वहां मौजूदा सड़कों के रख-रखाव का कार्य ठेकेदार/रियायतग्राही द्वारा ठेका/रियायत करार के अंतर्गत उनके करार नामे के रूप में किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे गए खंडों के मामले में, जहां चार/छः लेन का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है, मौजूदा सड़कों के रख-रखाव का कार्य सीधे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अथवा राज्यीय केंद्रीय लोक निर्माण के माध्यम से किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के पूरे हो चुके खंडों का रख-रखाव ऑपरेशन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम)/ऑपरेट-मेंटेन-ट्रांसफर (ओएमटी) ठेकों के माध्यम से किया जा रहा है और निर्माण, प्रचालन, हस्तांतरण (बीओटी) आधार के अंतर्गत विकसित किए जा रहे खड़ों का रख-रखाव रियायतग्राहियों द्वारा किया जा रहा है।

एनएचडीपी के अंतर्गत जो खंड शामिल नहीं है, उनका रख-रखाव संबंधित कार्यकारी एजेंसियों द्वारा धनराशि की उपलब्धता, क्षति की सीमा, पारस्परिक प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात योग्य स्थिति में बने रहे।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दो लेन के राजमार्गों को चार/छः/आठ लेन में बदलने के लिए राज्य सरकार से प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिया गया है। उक्त सभी परियोजनाएं प्रगति के विभिन्न स्तरों पर हैं।

(छ) रारा-14 के ब्यावर-पाली-पिंडवाडा खंड का रख-रखाव रियायत करार में किए गए प्रावधानों के अंतर्गत रियायतग्राहियों द्वारा उनके कार्य के रूप में किया जा रहा है।

विवरण-I

राजस्थान राज्य सहित देश के दो/चार/छः लेन सहित राज्य/संघ राज्य-वार राष्ट्रीय राजमार्ग

क्र. सं.	राज्य का नाम	रारा सं.	कुल लंबाई (किमी.)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4, 5, 7, 9, 16, 18, 18ए, 42, 43, 63, 67 विस्तार 150, 167, 202 205, 214, 214ए, 219, 221, 222, 234 और 326	5,022
2.	अरुणाचल प्रदेश	52, 52ए, 153, 229, 52बी, विस्तार, 37 विस्तार और 315ए	2,027
3.	असम	31, 31ए, 31ए, 36, 37, 377, 38, 39, 44, 51, 52, 527, 52ए, 52बी, 53, 54, 61, 62, 127ए, 151, 152, 153, 154 और 315ए	2,940

1	2	3	4
4.	बिहार	2, 2सी, 19, 28, 28ए, 28बी, 30, 30ए, 31, 57, 57ए, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 122ए, 131ए, 133, 327ए, 327 विस्तार 333 और 527सी	4,168
5.	चंडीगढ़	21	24
6.	छत्तीसगढ़	6, 12ए, 16, 43, 78, 200, 202, 216, 217, 111, 221 और 343	2,289
7.	दिल्ली	1, 2, 8, 10, 24 और 236	80
8.	गोवा	4ए, 17, 17ए और 17बी	269
9.	गुजरात	एनई-I, 6, 8, 87, 8बी, 8सी, 8डी, 8ई, 14, 15, 56, 58, 59, 76ए, 113 228, 360, 347 और 848	4,389
10.	हरियाणा	1, 2, 8, 10, 21ए, 22, 64, 65, 71, 717, 72, 73, 73ए 71बी, 236, 709 विस्तार और एनई-II	1,633
11.	हिमाचल प्रदेश	1ए, 20, 20ए, 21, 22, 22ए, 70, 72, 72बी, 88, 73ए और 305	1,506
12.	जम्मू और कश्मीर	1ए, 1बी, 1सी, 1डी, 301, 501 और 701	1,695
13.	झारखंड	2, 6, 23, 31, 32, 33, 75, 78, 80, 98, 99, 100, 114ए, 133, 220, 333 और 343	2,374
14.	कर्नाटक	4, 4ए, 7, 9, 13, 17, 48, 63, 67, 67 नया, 150, 167, 206, 207, 209, 212, 218 और 234	4,642
15.	केरल	17, 47, 47ए, 47सी, 49, 208, 212, 213, और 220	1,457
16.	मध्य प्रदेश	3, 7, 12, 12ए, 25, 26, 26ए, 26बी 27, 56, 59, 59ए, 69, 69ए, 75, 76, 78, 86, 92 और 927ए	5,116
17.	महाराष्ट्र	3, 3बी, 4, 4बी, 4सी, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 26बी, 50, 69, 165, 204, 211, 222, 348 और 848	4,564
18.	मणिपुर	39, 53, 102ए, 102बी, 137, 150 और 155	1,317
19.	मेघालय	40, 44, 51, 62 और 127बी	1,171
20.	मिजोरम	44ए, 54, 54ए, 54बी, 150, 154 और 502ए	1,027
21.	नागालैंड	36, 39, 61, 150 और 155	494
22.	ओडिशा	5, 5ए, 6, 23, 42, 43, 60, 75, 153बी, 157, 200, 201, 203, 203ए, 215, 217, 220, 224 और 326	4,416

1	2	3	4
23.	पुदुचेरी	45ए और 66	53
24.	पंजाब	1, 1ए, 10, 15, 20, 21, 22, 64, 70, 71, 72 और 95	1,557
25.	राजस्थान	3, 3ए, 8, 11, 11ए, 11बी, 11सी, 12, 14, 15, 65, 65ए, 71बी, 76, 76ए, 76बी, 79, 79ए, 89, 90, 113, 112, 114, 116, 116ए, 158, 162ए, 162 विस्तार, 709 विस्तार और 927ए	7,180
26.	सिक्किम	31ए और 310	149
27.	तमिलनाडु	4, 5, 7, 7ए, 45, 45ए, 45बी, 45सी. 46, 47, 47बी, 49, 66, 67, 68, 205, 207, 208, 209, 210, 219, 220, 226, 226ई, 227, 230, 234 और 532	4,943
28.	त्रिपुरा	44 और 44ए	400
29.	उत्तराखंड	58, 72, 72ए, 72बी, 73, 74, 87, 94, 108, 109, 123, 119, 121, 87 विस्तार और 125	2,042
30.	उत्तर प्रदेश	2, 2ए, 3, 3ए, 7, 11, 12ए, 19, 24, 24ए, 24बी, 25, 25ए, 26, 27, 28, 28बी, 28सी, 29, 56, 56ए, 56बी, 58, 72ए, 73, 74, 75, 76, 86, 87, 91, 91ए, 92, 93, 96, 97, 119, 231, 232, 232ए, 233, 235, 330ए, 730, 730ए, 931, 931ए और एनई-II	7,818
31.	पश्चिम बंगाल	2, 2बी, 2बी विस्तार 6, 31, 31ए, 31सी, 31डी, 32, 34, 35, 41, 55, 60, 60ए, 80, 81, 114ए, 116बी और 117	2,681
32.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	223	300

विवरण-II

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दो लेन के राजमार्गों को चार/छः/आठ लेन में बदलने के लिए राज्य सरकार से प्राप्त और राज्य-वार अनुमोदित प्रस्ताव

(अक्तूबर, 2012 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1
3.	असम	2	1
4.	गुजरात	7	4
5.	हरियाणा	7	7
6.	कर्नाटक	1	1
7.	महाराष्ट्र	9	3
8.	मणिपुर	2	2

1	2	3	4
9.	पंजाब	4	4
10.	राजस्थान	7	3
11.	तलिनाडु	1	1
12.	उत्तर प्रदेश	6	6
13.	उत्तराखंड	1	1

विकलांग और मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों के लिए विशेष विद्यालय

633. श्री लक्ष्मण टुडु :
श्री शिवकुमार उदासी :
श्री यशवंत लागुरी :
श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ :
श्रीमती कमला देवी पटले :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बधिर, मूक, दृष्टिहीन और मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों के लिए दीनदयाल पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के तहत विशेष विद्यालय चला रही है;

(ख) यदि हां, तो ओडिशा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को नए विशेष विद्यालय खोलने हेतु गत पांच वर्षों में राज्य सरकारों से नए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त नए प्रस्तावों का ब्यौरा और स्थिति क्या है; और

(ङ) उक्त प्रस्ताव कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) और (ख) 'दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)' के अंतर्गत, विभिन्न परियोजनाओं के लिए गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष विद्यालय अर्थात् मानसिक विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष स्कूल, श्रवण तथा वाक बधिर व्यक्तियों की विशेष शिक्षा के लिए स्कूल तथा दृष्टि बधित व्यक्तियों के लिए विशेष स्कूल शामिल हैं। डीडीआरएस के अंतर्गत विशेष स्कूलों के लिए सहायता प्रदान करने वाले गैर-सरकारी संगठनों का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) डीडीआरएस के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों की परियोजनाओं के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार की सिफारिश वाले नये प्रस्ताव की संख्या तथा जांच समिति द्वारा संस्तुत प्रस्तावों का ब्यौरा दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) जांच समिति द्वारा संस्तुत नये प्रस्तावों पर केवल डीडीआरएस के निर्धारित मानकों/दिशा-निर्देश के अनुसार विधिवत भरे हुए प्रस्तावों की प्राप्ति के पश्चात् ही कार्रवाई की जाती है। तथापि, प्रस्ताव के लिए राज्य सरकार की सिफारिश की प्रतिवर्ष अपेक्षा होती है। नये प्रस्तावों के संबंध में जांच समिति की सिफारिश दो वित्त वर्षों के लिए वैध है।

विवरण-I

डीडीआरएस के अंतर्गत विशेष स्कूलों के लिए सहायता प्रदान करने वाले और राज्य-वार सरकारी संगठन

क्र. सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निम्नलिखित के लिए विशेष स्कूल की संख्या		
		मानसिक मंदता वाले व्यक्ति	मूक और बधिर व्यक्ति	दृष्टि विकलांग व्यक्ति
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	73	32	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
3.	असम	2	1	—
4.	बिहार	5	4	4
5.	चंडीगढ़	—	—	—
6.	छत्तीसगढ़	4	4	3
7.	दिल्ली	4	2	4

1	2	3	4	5
8.	गोवा	—	1	—
9.	गुजरात	3	2	—
10.	हरियाणा	9	5	3
11.	हिमाचल प्रदेश	1	—	—
12.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—
13.	झारखंड	—	—	—
14.	कर्नाटक	27	28	15
15.	केरल	26	—	—
16.	मध्य प्रदेश	13	1	4
17.	महाराष्ट्र	6	6	1
18.	मणिपुर	6	1	—
19.	मेघालय	1	—	—
20.	मिजोरम	1	1	1
21.	ओडिशा	15	11	8
22.	पुदुचेरी	—	1	—
23.	पंजाब	6	2	3
24.	राजस्थान	8	3	2
25.	तमिलनाडु	16	12	2
26.	त्रिपुरा	1	1	—
27.	उत्तर प्रदेश	24	16	7
28.	उत्तराखंड	2	2	—
29.	पश्चिम बंगाल	13	11	4
	कुल	266	147	71

विवरण-II

नए प्रस्तावों की संख्या तथा जांच समिति द्वारा संस्तुत प्रस्ताव

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विगत पांच वर्षो [2008-09 से 2012-13 (21.11.2012 तक)] के दौरान गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त नये प्रस्ताव	जांच समिति द्वारा संस्तुत प्रस्तावों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	27	13
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—
3.	बिहार	43	12
4.	असम	23	4
5.	चंडीगढ़	—	—
6.	छत्तीसगढ़	12	8
7.	दादरा और नगर हवेली	1	1
8.	दिल्ली	1	1
9.	गोवा	—	—
10.	गुजरात	68	34
11.	हरियाणा	7	1
12.	हिमाचल प्रदेश	5	3
13.	जम्मू और कश्मीर	11	4
14.	झारखंड	6	2
15.	कर्नाटक	7	5
16.	केरल	—	—
17.	मध्य प्रदेश	65	43

1	2	3	4
18.	महाराष्ट्र	109	29
19.	मणिपुर	20	11
20.	मेघालय	2	2
21.	मिजोरम	5	2
22.	नागालैंड	1	0
23.	ओडिशा	39	8
24.	पुदुचेरी	5	5
25.	पंजाब	7	6
26.	राजस्थान	68	22
27.	सिक्किम	2	0
28.	तमिलनाडु	40	14
29.	त्रिपुरा	3	1
30.	उत्तर प्रदेश	20	8
31.	उत्तराखंड	5	2
32.	पश्चिम बंगाल	19	8
	कुल	621	249

टिप्पणी : 372 नये प्रस्ताव डीडीआरएस के अंतर्गत अनुदान के विचारार्थ सही नहीं पाये गए।

[अनुवाद]

नई ईएसआई अस्पताल

634. श्री नलिन कुमार कटील :
श्री शिवकुमार उदासी :
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मौजूद कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अस्पतालों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का कर्नाटक और उत्तर प्रदेश सहित देश में नए ईएसआई अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में वर्तमान स्थिति क्या है और उक्त परियोजना के लिए कितनी धनराशि प्रदान किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का कर्नाटक सहित देश में मौजूद ईएसआई अस्पतालों का उन्नयन और आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) देश में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कर्नाटक राज्य सहित देश में 19 नए अस्पतालों की स्थापना का अनुमोदन कर दिया है। ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। तथापि, उत्तर प्रदेश में नया अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) के उत्तर के दृष्टिगत लागू नहीं होता।

(ङ) और (च) देश में कर्नाटक सहित 27 विद्यमान कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल आधुनिकीकरण/उन्नयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण-I

देश में राज्य-वार कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल

क्र. सं.	राज्य का नाम	अस्पतालों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	12

1	2	3
2.	असम	1
3.	बिहार	3
4.	चंडीगढ़ प्रशासन	1
5.	छत्तीसगढ़	—
6.	दिल्ली	4
7.	गोवा	1
8.	गुजरात	12
9.	हरियाणा	06
10.	हिमाचल प्रदेश	02
11.	जम्मू और कश्मीर	01
12.	झारखंड	03
13.	कर्नाटक	10
14.	केरल	13
15.	मध्य प्रदेश	07
16.	महाराष्ट्र	14
17.	मेघालय	—
18.	ओडिशा	06
19.	पुदुचेरी	01
20.	पंजाब	08
21.	राजस्थान	06
22.	तमिलनाडु	09
23.	उत्तर प्रदेश	16
24.	उत्तराखंड	—
25.	पश्चिम बंगाल	14
	कुल	150

विवरण-II

स्थापित एिक जाने वाले ईएसआई अस्पतालों की स्थिति

क्र. सं.	अस्पताल का नाम	वर्तमान स्थिति	उपलब्ध कराए जाने वाले संभावित राशि
1	2	3	4
1.	हरिद्वार, झारखंड	ईएसआईसी के नाम पर भूमि आवंटित नहीं की गई है।	योजना के तैयार होने पर पता लगना है।
2.	उधमसिंह नगर, उत्तराखंड	ईएसआईसी के नाम पर भूमि आवंटित नहीं की गई है।	योजना के तैयार होने पर पता लगना है।
3.	अंकलेश्वर, गुजरात	निर्माण कार्य जारी है।	97 करोड़
4.	उदयपुर, राजस्थान	वास्तुकार नियुक्त। वास्तुकार द्वारा परिकल्पना योजना तैयार की जा रही है।	योजना के तैयार होने का पता लगना है।

1	2	3	4
5.	तिरुनेलवेली, तमिलनाडु	परियोजना पूर्ण होने वाली है।	52 करोड़
6.	तिरुपुर, तमिलनाडु	भूमि अधिग्रहित। वास्तुकार तथा एजेंसी नियुक्त किए जाने हैं।	योजना के तैयार होने पर पता लगना है।
7.	लालडू, एसएएस नगर, पंजाब	राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटित की जानी है।	योजना के तैयार होने पर पता लगना है।
8.	अंगुल, ओडिशा	राज्य सरकार द्वारा अभी भूमि सौपी जानी है।	योजना के तैयार होने पर पता लगना है।
9.	दुबूरी, जिला जाजपुर, ओडिशा	वास्तुकार नियुक्त। वास्तुकार द्वारा संशोधित परिकल्पना योजना तैयार की जा रही है।	योजना के तैयार होने पर पता लगना है।
10.	रायपुर, छत्तीसगढ़	भूमि पहचानी गई परंतु राज्य सरकार द्वारा सौपी नहीं गई।	योजना के तैयार होने पर पता लगना है।
11.	भिलाई, छत्तीसगढ़	भूमि पहचानी गई परंतु राज्य सरकार द्वारा सौपी नहीं गई।	योजना के तैयार होने पर पता लगना है।
12.	कोरबा, छत्तीसगढ़	भूमि पहचानी गई परंतु राज्य सरकार द्वारा सौपी नहीं गई।	योजना के तैयार होने पर पता लगना है।
13.	हल्दिया, पश्चिम बंगाल	हाल ही में राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटित की गई है।	योजना के तैयार होने पर पता लगना है।
14.	डोडाबल्लापुर, बंगलूरु (कर्नाटक)	वास्तुकार नियुक्त। परिकल्पना योजना तैयार की जा रही है।	योजना के तैयार होने पर पता लगना है।
15.	देहरादून, उत्तराखंड	ईएसआईसी के नाम पर भूमि आवंटित नहीं की गई है।	योजना के तैयार होने पर पता लगना है।
16.	काशीपुर, उत्तराखंड	ईएसआईसी के नाम पर भूमि आवंटित नहीं की गई है।	योजना के तैयार होने पर पता लगना है।
17.	तूतीकोरिन, तमिलनाडु	वास्तुकार नियुक्त। वास्तुकार द्वारा संशोधित परिकल्पना योजना तैयार की जा रही है।	योजना के तैयार होने पर पता लगना है।
18.	सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल	राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटित नहीं की गई है।	योजना के तैयार होने पर पता लगना है।
19.	बोमसन्द्रा, बंगलूरु (कर्नाटक)	राज्य सरकार द्वारा 5 एकड़ भूमि आवंटित, शीघ्र ही कब्जा लेना है।	योजना के तैयार होने पर पता लगना है।

विवरण-III

देश में स्तरोन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए चुने गए कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों की वर्तमान स्थिति

क्र.सं.	परियोजना का नाम	पूर्णता की प्रगति (%)
1	2	3
आंध्र प्रदेश		
1.	स्नातकोत्तर संस्थान सह चिकित्सा महाविद्यालय सहित कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, सनथ नगर, हैदराबाद	कार्यान्वयनाधीन
2.	दंत चिकित्सा महाविद्यालय सहित क.रा.बि.नि. अस्पताल, नाचाराम, हैदराबाद	कार्यान्वयनाधीन
3.	क.रा.बी. अस्पताल, तिरुपति, आंध्र प्रदेश	कार्यान्वयनाधीन
दिल्ली		
4.	स्नातकोत्तर संस्थान सह चिकित्सा महाविद्यालय सहित कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, बसईदारापुर, नई दिल्ली	कार्यान्वयनाधीन
5.	दंत चिकित्सा महाविद्यालय सहित क.रा.बी.नि. अस्पताल, रोहिणी	कार्यान्वयनाधीन
6.	क.रा.बी. अस्पताल, ओखला	कार्यान्वयनाधीन
गोवा		
7.	क.रा.बी. अस्पताल, मडगांव, गोवा	कार्यान्वयनाधीन
झारखंड		
8.	क.रा.बी. अस्पताल, आदित्यपुर	पूर्ण होने वाला है
कर्नाटक		
9.	दंत चिकित्सा महाविद्यालय सहित क.रा.बी.नि. अस्पताल, राजाजीनगर, बंगलूरु	कार्यान्वयनाधीन
10.	क.रा.बी. अस्पताल, हुबली, कर्नाटक	कार्यान्वयनाधीन
11.	क.रा.बी. अस्पताल, मैसूर	कार्यान्वयनाधीन
12.	क.रा.बी. अस्पताल, दावणगिरी, कर्नाटक	कार्यान्वयनाधीन
केरल		
13.	चिकित्सा महाविद्यालय सहित कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, पैरीपल्ली, कोल्लम, केरल	कार्यान्वयनाधीन

1	2	3
महाराष्ट्र		
14.	पीजीआईएमएसआर सहित एमजीएम अस्पताल, परेल, मुंबई	कार्यान्वयनाधीन
15.	दंत चिकित्सा महाविद्यालय सहित कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, वाशी, मुंबई	कार्यान्वयनाधीन
16.	पीजीआईएमएसआर सहित कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, अंधेरी, मुंबई	कार्यान्वयनाधीन
17.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, कांदीवली, मुंबई	कार्यान्वयनाधीन
ओडिशा		
18.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, भुवनेश्वर	कार्यान्वयनाधीन
राजस्थान		
19.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम मॉडल अस्पताल, जयपुर	कार्यान्वयनाधीन
तमिलनाडु		
20.	पीजीआई एण्ड मेडिकल कॉलेज सहित कर्मचारी राज्य बीमा निगम मॉडल अस्पताल, चेन्नई	कार्यान्वयनाधीन
21.	चिकित्सा महाविद्यालय सहित कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, कोयम्बटूर	कार्यान्वयनाधीन
22.	स्नातकोत्तर संस्थान सहित कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, अयानवरम, चेन्नई	कार्यान्वयनाधीन
उत्तर प्रदेश		
23.	दंत चिकित्सा महाविद्यालय सहित कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, पांडु नगर, कानपुर	कार्यान्वयनाधीन
24.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, सरोजिनी नगर, लखनऊ	कार्यान्वयनाधीन
25.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, सैक्टर-24, नोएडा	कार्यान्वयनाधीन
पश्चिम बंगाल		
26.	पीजीआई एवं मेडिकल कॉलेज सहित कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, जोका, कोलकाता	कार्यान्वयनाधीन
27.	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, माणिकतला, कोलकाता	कार्यान्वयनाधीन

[हिन्दी]

629-38

हथकरघा बुनकर

635. **श्री राजू शेट्टी :**
श्री खगेन दास :
श्री पी.सी. गद्दीगौदर :
श्री वैजयंत पांडा :
कुमारी सरोज पाण्डेय :
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हथकरधा क्षेत्र के लिए पुनरुद्धार/

पुनर्गठन पैकेज दिया है और ऋण माफी योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत दो वर्षों तथा चालू वर्ष में राज्य-वार/योजना-वार कितने हथकरघा बुनकर इनसे लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या सरकार का देश में हैंडलूम बुनकरों को अपने उत्पाद ऑनलाइन बेचने हेतु तकनीकी सहायता/विपणन सहायता प्रदान करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार/योजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने पावरलूम सैक्टर से प्रतिस्पर्धा का सामना करने वाले हथकरघा बुनकरों के लिए क्या सहायता दी है; और

(ङ) कोसा, बनारसी इत्यादि जैसे परम्परागत वस्त्रों के निर्माण में लगे बुनकरों को विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में राज्य-वार प्रदत्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है तथा उन्हें कितनी राशि आबंटित की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) और (ख) भारत सरकार के दिनांक 24.11.2011 को 3884 करोड़ रुपये के वित्तीय निहितार्थ के "हथकरघा क्षेत्र के लिए पुनरुद्धार, सुधार और पुनर्गठन पैकेज" का अनुमोदन किया है। इस 3884 करोड़ रुपये में से भारत सरकार का हिस्सा 3137 करोड़ रुपये और राज्य सरकारों का हिस्सा 747 करोड़ रुपये है। इस पैकेज में पात्र व्यक्तिगत हथकरघा बुनकरों और बुनकर सहकारी सोसाइटियों की दिनांक 31.03.2010 को अतिदेय हुई राशियों के मूलधन का 100% और ब्याज का 25% ऋण माफी का प्रावधान है। ऋण माफी में शामिल व्यक्तिगत बुनकरों और हथकरघा सहकारी सोसाइटियों को बैंकों द्वारा मंजूर किए गए नए ऋणों के लिए गारंटी के साथ 3 वर्षों के लिए 3% ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), कार्यान्वयन एजेंसी है।

दिनांक 31.10.2012 तक 19 शीर्ष सोसाइटियों के लिए 127.59 करोड़ रुपये, 4940 प्राथमिक सहकारी सोसाइटियों के लिए 222.28 करोड़ रुपये तथा 28717 व्यक्तिगत बुनकरों और 2399 स्व-सहायता समूहों के लिए 56.87 करोड़ रुपये की ऋण माफी के आकलन की सूचना दी गई है। इस प्रकार दिनांक 31.10.2012 तक कुल 407.34 करोड़ रुपये की राशि का आकलन किया गया है। नाबार्ड को 200 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है जिसमें से ऋण माफी के लिए नाबार्ड द्वारा 27.50 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है और शेष राशि के लिए मानदंडों के अनुसार राज्य का हिस्सा जारी किए जाने की प्रतीक्षा है। इसका ब्यौरा निम्नानुसार है:—

हथकरघा क्षेत्र के ऋण माफी के लिए वित्तीय पैकेज के तहत जारी की गई राशि

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य	शीर्ष सोसाइटियां		प्राथमिक सोसाइटियां		कुल सोसाइटियां	व्यक्तिगत बुनकर		कुल
		संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	—	10.00	—	—	10.00	—	—	10.00
2.	गुजरात	2	1.15	—	—	1.15	—	—	1.15
3.	केरल	—	—	—	—	—	968	1.76	1.76
4.	उत्तराखंड	1	0.13	—	—	0.13	46	0.13	0.26
5.	मध्य प्रदेश	—	—	—	—	—	44	0.08	0.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	ओडिशा	—	—	—	—	—	6748	7.65	7.65
7.	सिक्किम	1	0.07	—	—	0.07	—	—	0.07
8.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	—	14613	6.53	6.53
	कुल	4	11.35	0	0	11.35	22419	16.15	27.50

(ग) और (घ) विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय के तहत स्थापित राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केन्द्र (एनसीटीडी) भी ऑन-लाइन तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। स्थानीय वेबसाइट का नाम *www.designdiary.nic.in* है जिसमें टेक्सटाइल डिजाइन, डिजाइनरों के पैनल, भारत के हस्तशिल्प टेक्सटाइल आदि से संबंधित सूचना होती है। यह सूचना डिजाइनर विनिर्माताओं, निगमों और सोसाइटियों/बुनकरों आदि द्वारा मुक्त में प्राप्त की जा सकती है।

(ङ) भारत सरकार, राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय हथकरघा प्रदर्शनियों, विशेष हथकरघा प्रदर्शनियों, जिला स्तरीय आयोजनों और शहरी हाट आदि के माध्यम से कोसा, बनारसी रेशम आदि सहित हथकरघा उत्पादों के सुकर विपणन के लिए राज्य सरकारों और पात्र हथकरघा एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। हाल में इस कार्यालय ने बनारसी हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली हाट में "बनारस वीव्स" शीर्षक से राष्ट्रीय हथकरघा प्रदर्शनी का भी आयोजन किया था। विगत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जारी की गई राज्य-वार निधियों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। तथापि, विपणन और निर्यात संवर्धन योजना के तहत राज्य-वार आबंटन नहीं किया गया है और राज्य सरकार (सरकारों) से प्राप्त अर्थक्षम प्रस्ताव (प्रस्तावों) के आधार पर केन्द्रीय सहायता की राशि जारी की गई है।

विवरण

वर्ष 2009-10 से 2012-13 के लिए विपणन और निर्यात संवर्धन योजना के तहत प्रदान की गई सहायता

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2009-10 से 2011-12 और 2012-13 के दौरान विपणन और निर्यातसंबर्धन योजना के तहत जारी की गई राशियों का ब्यौरा			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2.10	2.04	3.26	0.09
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	1.75	0.38	—
3.	असम	4.11	5.73	4.60	2.15
4.	बिहार	0.05	0.04	0.39	—
5.	छत्तीसगढ़	0.37	1.12	2.07	0.96

1	2	3	4	5	6
6.	दिल्ली	0.61	0.16	0.09	—
7.	गोवा	0.00	0.00	0.00	—
8.	गुजरात	0.76	0.27	0.89	0.03
9.	हरियाणा	0.28	0.33	0.15	—
10.	हिमाचल प्रदेश	0.51	0.61	0.58	0.19
11.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.28	0.35	0.32
12.	झारखंड	0.02	0.18	0.00	—
13.	कर्नाटक	1.20	1.37	1.86	0.12
14.	केरल	0.00	0.00	0.21	—
15.	मध्य प्रदेश	0.68	0.93	0.74	0.77
16.	महाराष्ट्र	1.37	0.99	1.84	1.46
17.	मणिपुर	0.47	1.64	1.72	0.80
18.	मेघालय	0.89	0.42	0.58	—
19.	मिजोरम	0.00	0.05	0.14	—
20.	नागालैंड	3.73	2.33	2.37	1.76
21.	ओडिशा	0.74	1.09	0.59	0.23
22.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	—
23.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	—
24.	राजस्थान	0.73	0.38	0.11	0.45
25.	सिक्किम	0.04	0.13	0.52	0.30
26.	तमिलनाडु	0.80	1.44	1.70	—
27.	त्रिपुरा	0.36	0.44	1.10	0.20
28.	उत्तर प्रदेश	1.73	2.09	2.49	0.68

1	2	3	4	5	6
29.	उत्तराखंड	0.45	0.43	0.38	0.24
30.	पश्चिम बंगाल	0.60	1.80	0.46	0.13
	कुल	22.60	28.04	29.57	10.88

[अनुवाद]

वस्त्र क्षेत्र का पुनर्गठन

636. श्री मनोहर तिरकी :
श्रीमती ज्योति धुर्वे :
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :
श्री नृपेन्द्र नाथ राय :
श्री नरहरि महतो :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ती प्रतिस्पर्धा तथा ऋण सुविधा की कमी के कारण भारतीय वस्त्र उद्योग खराब स्थिति का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वस्त्र उद्योग किन मुख्य चुनौतियों का सामना कर रहा है और सरकार द्वारा इस उद्योग को उबारने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(ग) क्या भारत में वस्त्र कंपनियां पिछले एक वर्ष से भारी घाटे मे चल रही हैं और उच्च लागत के कारण रुग्ण हो रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार ने वस्त्र क्षेत्र के ऋण के पुनर्गठन हेतु क्या कार्य योजना बनाई है;

(च) क्या सरकार ने ऋण माफी योजना हेतु पुन: वित्त प्रदान करने के लिए विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक से कोई परामर्श किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) से (ङ) वस्त्र उद्योग में मुख्य रूप से वैश्विक आर्थिक मंदी और आंशिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कपास बाजार में अत्यधिक मूल्य उतार चढ़ाव के कारण 2011-12 में गिरावट रही है। परिणामी वित्तीय दबाव को कम करने के लिए हथकरघा क्षेत्र को वस्त्र उद्योग के सबसे अधिक संकटग्रस्त घटक के रूप में मानते हुए सरकार ने एक हथकरघा पुनरुद्धार, सुधार एवं पुनर्गठन पैकेज की घोषणा की जिसके अंतर्गत हथकरघा सहकारी समितियों, व्यक्तिगत बुनकरों आदि तथा ब्याज सब्सिडी, मार्जिन मनी और नए ऋणों के लिए ऋण गारंटी हेतु 3884 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे। सरकार ने घाटा उठाने वाली वस्त्र मिलों की सहायता करने के लिए एक ऋण पुनर्गठन पैकेज का अनुमोदन भी किया है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानकों के अंतर्गत बैंकों द्वारा अलग-अलग मामले के आधार पर संचालित किया जाएगा। मिलों के ऋण पुनर्गठन के पश्चात् उद्योग द्वारा हानियों की सूचना नहीं दी है। इसी बीच यार्न और फैब्रिक के उत्पादन संकेतक भी सकारात्मक हो गए हैं जिनमें अप्रैल-सितंबर, 2012 में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कुल स्पन यार्न में 7.9% वृद्धि और कुल फैब्रिक उत्पादन में 4.7% वृद्धि दिखाई दी है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

यमुना नदी की सफाई

637. श्री महेन्द्र कुमार राय :
श्री राधा मोहन सिंह :
श्री रुद्रमाधव राय :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना नदी की सफाई पर भारी राशि खर्च करने के बावजूद यह अभी भी प्रदूषित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली राज्य सरकारों को निदेश दिया है कि वे यमुना कार्य योजना के चरण-I और II के तहत इस प्रयोजनार्थ अब तक व्यय की गई सही राशि की जानकारी दें;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा निधियों के उपयुक्त उपयोग पर नजर रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर किए गए नदी जल गुणवत्ता की मॉनीटरिंग के अनुसार, हथनीकुंड से पल्ला तक यमुना नदी के भाग में जल गुणवत्ता को बायो-केमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) की दृष्टि से निर्धारित सीमाओं के भीतर पाया गया है। तथापि, दिल्ली के समीप (वजीराबाद बैराज के डाउन स्ट्रीम से ओखला बैराज के अपस्ट्रीम तक) और उत्तर प्रदेश के भाग बीओडी की दृष्टि से मानकों को पूरा नहीं करते हैं। सीवेज उपचार क्षमता की मांग और उपलब्धता के बीच बड़े अंतराल और नदी में ताजे जल की कमी के कारण यमुना की जल गुणवत्ता में वांछित सुधार नहीं आया है।

नदियों का संरक्षण केन्द्र और राज्य सरकारों का सतत् एवं सम्मिलित प्रयास है। वर्ष 1993 से यह मंत्रालय चरणबद्ध तरीके से यमुना कार्य योजना (वाईएपी) के अंतर्गत यू.पी., दिल्ली और हरियाणा को वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए यमुना नदी की प्रदूषण की समस्या का निराकरण करने में राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूरित कर रहा है। वाईएपी के अंतर्गत किए गए कामों का संबंध सीवेज नालों के अवरोधन एवं अपवर्तन, सीवेज शोधन संयंत्रों (एसटीपी), निम्न लागत स्वच्छता/सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्सों, इलेक्ट्रिक/उन्नत काष्ठ शवदाहगृह आदि से है। वाईएपी के चरण-I और II के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश में 21 शहरों, हरियाणा तथा दिल्ली में 40 सीवेज शोधन संयंत्रों सहित कुल 296 स्कीमों को पूरा किया गया है और जून, 2012 के अंत तक 1438.34 करोड़ रुपए (राज्य शेयर सहित) खर्च किए गए हैं। वाईएपी के इन दो चरणों के अंतर्गत, 902.25 मिलियन लीटर्स प्रति दिन (एमएलडी) की सीवेज शोधन क्षमता सृजित की गई है। इसके अलावा, दिल्ली हेतु वाईएपी चरण-III परियोजना को 1656 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर दिसम्बर, 2011 में मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा, हरियाणा में सोनीपत और पानीपत शहरों में यमुना नदी के प्रदूषण उपशमन हेतु कार्य करने के लिए 217.87 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर जुलाई, 2012 में मंत्रालय द्वारा दो परियोजनाओं की भी मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा, राज्य सरकार उनके स्वयं के बजटीय आबंटनों से, शहरी विकास मंत्रालय के जेएनएनयूआरएम (जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन और यूआईडीएसएसएमटी (लघु और मध्यम शहरों हेतु शहरी अवसंरचना विकास स्कीम) जैसे अन्य केन्द्रीय सेक्टर स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न शहरों में सीवेज शोधन संयंत्रों की स्थापना सहित सीवेज अवसंरचना के सृजन हेतु वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा है।

(ग) और (घ) माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 10.10.2012 के आदेश में "एण्ड क्वाईट फ्लो दी मैली यमुना" डब्ल्यूपी (सी) 725/1994 के मामले में शहरी विकास मंत्रालय तथा सिंचाई एवं विद्युत मंत्रालय के सचिवों, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों, दिल्ली विकास प्राधिकरण के उप-अध्यक्ष, संबंधित कॉर्पोरेशन्स के आयुक्तों और दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत यमुना नदी के प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण पर परियोजना-वार खर्च की गई राशि के ब्यौरे दर्शाते हुए शपथपत्र फाइल करने के लिए निदेश दिए हैं।

(ङ) इस मंत्रालय द्वारा कार्य की प्रगति के आधार पर और राज्यों से उपयोग प्रमाण-पत्रों के साथ वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट की प्राप्ति पर सम्बद्ध राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को आवधिक रीति से यमुना कार्य योजना के अंतर्गत स्कीमों में क्रियान्वयन हेतु निधियां जारी की जाती हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय आयोग

638. **श्री कामेश्वर बैठा : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को झारखंड सहित विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अत्याचारों के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने क्या कार्रवाई की है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) और (ख) जी, हां। तत्संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) इसके संवैधानिक अधिदेश के अनुसार, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सरकारी प्राधिकरणों से आवश्यक प्रतिवेदन/दस्तावेज मांगकर ऐसे मामलों की जांच करने और मानीटर करने के लिए कदम उठाता है।

विवरण

वर्ष 2012 (01.01.2012 से 31.10.2012) के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में प्राप्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार शिकायतें

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2012 (01.01.2012 से 31.10.2012) के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा निपटाए गए मामलों की कुल संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	114
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य
3.	असम	शून्य
4.	बिहार	272
5.	छत्तीसगढ़	8
6.	गोवा	1
7.	गुजरात	12
8.	हरियाणा	270
9.	हिमाचल प्रदेश	20
10.	जम्मू और कश्मीर	6
11.	झारखंड	48
12.	कर्नाटक	43
12.	केरल	74
14.	मध्य प्रदेश	87
15.	महाराष्ट्र	86
16.	मणिपुर	शून्य
17.	मेघालय	शून्य
18.	मिजोरम	शून्य
19.	नागालैंड	शून्य
20.	ओडिशा	11
21.	पंजाब	73
22.	राजस्थान	57
23.	सिक्किम	शून्य
24.	तमिलनाडु	482
25.	त्रिपुरा	5
26.	उत्तर प्रदेश	1680
27.	उत्तराखंड	16
28.	पश्चिम बंगाल	5
	संघ राज्य क्षेत्र	
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
30.	चंडीगढ़	11
31.	दादरा और नगर हवेली	शून्य
32.	दमन और दीव	शून्य

1	2	3
33.	दिल्ली	141
34.	लक्षद्वीप	शून्य
35.	पुदुचेरी	4
	कुल (अखिल भारतीय)	3527

[अनुवाद]

शस्त्रों और गोला बारूद की कमी

639. **श्री समीर भुजलबल : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपस्करों तथा गोला-बारूद की कमी के कारण थलसेना की युद्ध क्षमता संतोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस दिशा में कोई उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) भारतीय सेना की क्षमता विकास तथा उसके आधुनिकीकरण के लिए एक सुव्यवस्थित आयोजना प्रक्रिया विद्यमान है। उपस्करों और गोला-बारूद की अधिप्राप्ति वार्षिक अधिग्रहण प्रक्रिया के अनुसार निरंतर रूप से की जाती है। कुल मिलाकर भारतीय सेना में उपस्कर तथा गोला-बारूद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तथापि, समय-समय पर कमियां होती रहती हैं जिनके लिए उपचारी कदम उठाए जाते हैं। सशस्त्र सेनाएं किसी भी संभावित घटना का सामना करने के लिए संक्रियात्मक रूप से तैयार रहती हैं।

भारत सरकार के वाहनों के लिए छूट

640. **श्री पन्ना लाल पुनिया : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 अतिविशिष्ट व्यक्तियों को ले जाने वाले/उनके साथ चलने वाले वाहनों के लिए कोई छूट प्रदान करता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) और (ख) केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 108 के उप-नियम (1) के परंतुक (iii) में यह प्रावधान है कि उच्च पदाधिकारियों को ले जाने वाले यान को देश में कहीं भी ड्यूटी पर रहते हुए यान के ऊपर सामने की ओर फ्लैशर के साथ/फ्लैशर के बगैर लाल बत्ती का प्रयोग करने की अनुमति होगी। उक्त नियम 108 के उप-नियम (3) के अनुसार, लाल बत्ती का प्रयोग करने के लिए हकदार उच्च पदाधिकारियों को ले जाने वाले यानों पर ऊपरी बत्ती के रूप में फ्लैशर के साथ अथवा फ्लैशर के बगैर नीली बत्ती का प्रयोग करने की अनुमति होगी।

मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों का पुनर्वास

641. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :**
श्री राजेन्द्र अग्रवाल :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर मेंटली हैंडिकेप्ड मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों, जिसमें मानसिक रूप से विक्षिप्त वे महिलाएं भी शामिल हैं जो बच्चों की मां हैं, के पुनर्वास हेतु कोई आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त व्यक्तियों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों के लिए पुनर्वास केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने गत तीन वर्षों में इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आवंटित की है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) जी, हां।

(ख) संस्थान बृहद् जीवनचक्र सेवाएं (प्रारंभिक हस्तक्षेप-जन्म से तीन वर्ष तक, प्रारंभिक बालशिक्षा पांच वर्ष तक, विशेष शिक्षा छह वर्ष से सत्तरह वर्ष तक और अठ्ठारह वर्ष से आगे के लिए व्यावसायिक/स्वतंत्र जीवन निर्वाह प्रशिक्षण) प्रदान करता है। इस संस्थान

द्वारा लगभग तीस विभिन्न प्रकार की सेवाएं/सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

(ग) और (घ) संस्थान के तीन क्षेत्रीय केन्द्र नई दिल्ली, कोलकाता और मुम्बई में स्थित हैं।

इस समय, पुनर्वास केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान संस्थान के लिए योजनागत शीर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित निधियां आवंटित की गई थीं:—

(करोड़ रुपए)

2009-10	2010-11	2011-12
10.00	11.67	7.54

सैनिक विद्यालयों का सेनाओं को योगदान

642. श्रीमती श्रुति चौधरी : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेनाओं के प्रति सैनिक विद्यालयों के योगदान में कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में इस स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) जी, नहीं। सैनिक स्कूलों का प्राथमिक लक्ष्य लड़कों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश हेतु तैयार करना है। पिछले 4(चार) वर्षों में सैनिक स्कूलों से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में कुल भर्ती का लगभग 28% है जो काफी संतोषजनक है।

645-46

तटीय प्रदूषण पर रोक

643. श्री पोन्नम प्रभाकर :
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :
श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री सुरेश कुमार शेटकर :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तटीय प्रदूषण की दयनीय स्थिति पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सहित तटीय क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ग) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एकीकृत तटीय और समुद्री क्षेत्र प्रबंधन परियोजना निदेशालय, चेन्नई द्वारा तटीय समुद्री मॉनीटरिंग और भविष्यवाणी प्रणाली कार्यक्रम के माध्यम से समुद्री प्रदूषण की मॉनीटरिंग की जा रही है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत तटीय क्षेत्रों में अपशिष्ट जल छोड़े जाने सहित जल प्रदूषण का नियंत्रण कर रहे हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने उद्योगों द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के क्रम में पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बहि:स्राव मानक निर्धारित किए हैं। सीआरजेड में उद्योगों, आपरेशनों और प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगाते हुए तटीय भागों को भी तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) के रूप में घोषित किया गया है।

तटीय प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(i) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधान के अंतर्गत औद्योगिक प्रदूषण का नियंत्रण।

(ii) अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की 17 श्रेणियों में प्रदूषण नियंत्रण अनुपालन सुनिश्चित करना।

(iii) जलीय संसाधनों में अपशिष्ट जल छोड़ने वाले शहरी केन्द्रों और जहां कोई शोधन सुविधाएं नहीं है, उन्हें समुचित कार्रवाई हेतु अभिज्ञात किया गया है।

(iv) औद्योगिक बहि:स्राव के संबंध में, जल गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा मानकों के अनुपालन हेतु सहमति प्रबंधन लागू किया जा रहा है।

[हिन्दी]

समुद्री मार्गों का इष्टतम उपयोग

644. श्री एस. अलागिरी :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्री मार्गों का इष्टतम उपयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस बारे में क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) और (ख) यहां तक निर्यात आयात व्यापार का संबंध है, सरकार व्यापार और समुद्री मार्गों की वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्यता के आधार पर समुद्री मार्गों का इष्टतम उपयोग करती रही है। फिर भी, जहां तक घरेलू पोत परिवहन (तटीय) का संबंध है, इनका इष्टतम उपयोग अभी हासिल किया जाना है। घरेलू पोत परिवहन की हिस्सेदारी, सात प्रतिशत से कम है।

(ग) घरेलू पोत परिवहन के इष्टतम उपयोग में तटीय पोतों हेतु ईंधन पर लगाए जाने वाले शुल्कों के कारण उच्च बंकर लागत, अपर्याप्त जल डुबाव आदि कुछ बाधाएं हैं।

(घ) अन्य बातों के साथ-साथ, इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नानुसार हैं:—

(i) भारतीय तटीय व्यापार, वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 406 और 407 के अंतर्गत कैबोटाज विनियमों को समाविष्ट करके भारतीय ध्वज से युक्त जलयानों के लिए आरक्षित है।

(ii) पहले मना करने के अधिकार के रूप में भारतीय नौवहन उद्योग को कार्गो सहायता प्रदान की गई है और सरकारी स्वामित्व/नियंत्रण वाले कार्गो के लिए फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) आयात की नीति का अनुसरण किया जा रहा है।

[अनुवाद]

तटरक्षक विमानपत्तन

645. श्री हमदुल्लाह सईद : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्षद्वीप में एक तटरक्षक विमानपत्तन बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त विमानपत्तन कितनी अवधि में पूरा किया जाना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) सरकार ने 30 सितम्बर, 2010 में मिनिकॉय में तटरक्षक वायु इन्कलेव स्थापित करने को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इस प्रयोजन के लिए 20 एकड़ भूमि चिह्नित की गई है तथा इस भूमि के अधिग्रहण के प्रस्ताव पर कार्रवाई चल रही है। यह एयरपोर्ट आवश्यक स्वीकृतियां/अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् यथासमय चालू कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

एकीकृत पर्वतीय विकास हेतु केन्द्र

646. श्री कपिल मुनि करवारिया :
श्री राम सुन्दर दास :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पहाड़ी और विस्तारित हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सतत् जीविका को बढ़ावा देने हेतु एकीकृत पर्वतीय विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में उक्त केन्द्र को कुल कितना अनुदान जारी किया गया/जारी किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस केन्द्र की आज तक क्या मुख्य उपलब्धियां रहीं हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) जी, हां।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वत विकास केन्द्र (आईसीआईएमओडी) की स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी, जिसका मुख्यालय काठमांडु, नेपाल में है। यह एक अंतरसरकारी परंतु स्वतंत्र संगठन है जिसका उद्देश्य विस्तारित हिमालयी क्षेत्र (हिन्दू कुश हिमालय) में आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से ठोस पर्वत पारि-प्रणाली के विकास को बढ़ावा देना तथा इसके पर्वत समुदायों के जीवन स्तर में सुधार करना है। आईसीआईएमओडी, एक स्वतंत्र 'पर्वत शिक्षण और ज्ञान केन्द्र' है जो हिन्दू कुश – हिमालय के आठ देशों; अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, मयंमार, नेपाल तथा पाकिस्तान (क्षेत्रीय सदस्य देशों) और वैश्विक पर्वत समुदाय को सेवा प्रदान करता है। आईसीआईएमओडी का लक्ष्य जारी पर्यावरणीय परिवर्तनों को समझने, उन्हें अंगीकृत करने तथा अधिकांश नए अवसरों का अधिक से अधिक लाभ उठाने में पर्वतीय लोगों की सहायता करना है। सदस्य देशों और पणधारियों से गहन परामर्श करके तीन प्रमुख कार्यनीतिक क्षेत्रों – जल, पर्यावरणीय सेवाएं, और आजीविका को अभिज्ञात किया गया है। आईसीआईएमओडी के कार्य के कार्यनीतिक क्षेत्र हैं: (i) एकीकृत जल एवं खतरनाक प्रबंधन, (ii) पर्यावरणीय परिवर्तन और पारि-प्रणाली सेवाएं, और (iii) सतत् आजीविका एवं गरीबी उन्मूलन।

(ग) आईसीआईएमओडी को कैलेन्डर वर्ष के आधार पर वार्षिक सदस्यता योगदान के रूप में अनुदान जारी किए जाते हैं। गत तीन वर्षों में योगदान के रूप में जारी किए गए अनुदानों की राशि निम्नलिखित हैं:–

कैलेन्डर वर्ष जिसके लिए अनुदान जारी किया गया	जारी की गई अनुदान राशि
2009	60,49,900/- रुपये
2010	71,70,000/- रुपये
2011	89,31,441/- रुपये
2012	1.59 करोड़ रुपये (मंजूरी जारी की गई, धनराशि अभी अंतरित की जानी है)

उपरोक्त के अलावा, आईसीआईएमओडी फाउंडेशन को सामान्य वार्षिक योगदान के अतिरिक्त, धनराशि स्वीकृत करने हेतु एकमुश्त 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 4.5 करोड़ रुपए) का भी अनुमोदन किया गया था, जिसमें से दिनांक 30 जनवरी, 2012 को और 30 मार्च, 2012 को क्रमशः 2.25 करोड़ रुपए और 1.07 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई थी। इसके अलावा, वर्तमान वित्तीय वर्ष में आईसीआईएमओडी फाउंडेशन को 1.18 करोड़ रुपए की शेष राशि भी मंजूर/जारी करने का प्रस्ताव किया गया है।

(घ) भारत में आईसीआईएमओडी की मुख्य उपलब्धियों को निम्नलिखित क्षेत्रों में दर्शाया गया है:–

1. स्थानीय आजीविकाओं को प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जोड़ना।
2. प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु एकीकृत भू-परिदृश्य प्रबंधन।
3. कैलाश पवित्र सीमापरीय भू-परिदृश्य प्रबंधन।
4. जलवायु परिवर्तन पर सुभेद्यता और क्षमता मूल्यांकन।
5. भूमि-आधारित आजीविका विकल्पों को बेहतर बनाना।
6. सतत् पर्वत संबंधी पर्यटन।
7. श्रमिक प्रवास।
8. स्थानीय लोगों के लिए आजीविका विकल्पों के संवर्धन हेतु शृंखलाबद्ध विकास को महत्व देना।
9. एकीकृत जल और खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन।
10. पर्यावरणीय परिवर्तन और पारि-प्रणाली सेवाएं।
11. सतत् आजीविकाएं और गरीबी उन्मूलन।

650-56

[अनुवाद]

सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत पोत पत्तन परियोजना

647. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े पोत पत्तन की क्षमता में बढ़ोतरी के मद्देनजर सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति के अंतर्गत 22 परियोजनाओं को सौंपने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 22 परियोजनाओं में से 8 परियोजनाएं नई हैं जबकि शेष परियोजनाएं अग्रेषित परियोजनाएं हैं; और

(घ) यदि हां, तो नई परियोजनाएं परियोजना-वार किन स्थानों पर स्थित हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान, 42 परियोजनाएं सौंपे जाने का लक्ष्य बनाया है, जिनमें से सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) माध्यम के अंतर्गत 29 परियोजनाएं और गैर पीपीपी माध्यम के अंतर्गत 13 परियोजनाएं शामिल हैं।

(ख) 29 पीपीपी परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है।

(ग) 29 परियोजनाओं में 9 परियोजनाएं नई हैं, जबकि बाकी परियोजनाएं पुरानी चली आ रहीं हैं।

(घ) नई परियोजनाओं का परियोजना-वार स्थानों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान सौंपे जाने के लिए निर्धारित पीपीपी परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	एमटीपीए में क्षमता
1	2	3	4
1.	चेन्नई मेगा कंटेनर टर्मिनल का निर्माण	3686.00	48.00
2.	चेन्नई भारती गोदी में रो-रो सह बहु प्रयोजनीय घाट और कार पार्किंग का विकास	100.00	1.00
3.	चेन्नई भारती गोदी में बार्ज जेट्टी का विकास	25.00	1.00
4.	चेन्नई: चेन्नई पत्तन में शुष्क पत्तन परियोजना	415.00	5.00
5.	कोचीन अंतर्राष्ट्रीय बंकरिंग टर्मिनल — बहु-प्रयोजनीय द्रव्य टर्मिनल का निर्माण	206.30	4.10
6.	कोचीन 90 छोटे और 120 मध्यम आकार के पोतों के लिए मरम्मत सुविधा का विकास	785.00	0.00
7.	कोचीन क्यू8-क्यू9 घाटों में सामान्य कार्गो टर्मिनल का विकास	250.00	9.00
8.	जेएनपीटी एनएसआईसीटी टर्मिनल के उत्तर में 330 मी. लम्बे क्वे सहित स्टैण्डएलोन कंटेनर संभलाई सुविधा का विकास	600.00	10.00
9.	कांडला कच्छ की खाड़ी में वीरा में सिंगल प्वाइंट मूरिंग और संबद्ध सुविधाओं की स्थापना	621.52	12.00
10.	कांडला बंदर बेसिन में बार्ज संभालने की सुविधाओं का उन्नयन	109.59	3.29

1	2	3	4
11.	कांडला घाट सं. 14	188.88	2.00
12.	कांडला: कांडला पत्तन में रेनुका सूगर के लिए कैप्टिव घाट	22.00	1.50
13.	कोलकाता हल्दिया गोदी-II (उत्तर) का विकास	728.00	8.50
14.	कोलकाता हल्दिया गोदी-II (दक्षिण) का विकास	787.00	8.50
15.	कोलकाता पीपीपी आधार पर अनुषंगी सुविधाओं सहित 3री तेल जेट्टी के बाहरी टर्मिनल 1 अपस्ट्रीम का निर्माण	290.00	4.50
16.	मुरगांव घाट सं. 11 में 2 एमएमटीपीए मशीनीकृत कोयला आयात टर्मिनल का विकास	204.00	2.00
17.	मुरगांव ब्रेकवाटर के पश्चिम में 7.2 एमएमटीपी लौह अयस्क निर्यात बल्क संभलाई टर्मिनल का विकास	721.00	7.20
18.	पारादीप पारादीप पत्तन न्यास के ईक्यू-1 से ईक्यू-3 तक घाटों का मशीनीकरण-कैप्टिव प्रयोक्ता आधार पर मै. महागुज लि.	1000.00	22.00
19.	विज़ाग शुष्क बल्क आयात कार्गो संभालने हेतु डब्ल्यूक्यू-7 का विकास	375.09	4.78
20.	विजाग ब्रेक बल्क निर्यात कागो संभालने हेतु डब्ल्यूक्यू-8 का विकास		
21.	विजाग शुष्क बल्क कार्गो संभालने के लिए वीपीटी के आंतरिक बंदरशाह के उत्तरी हिस्से में डब्ल्यूक्यू-1 में मशीनीकृत लौह अयस्क संभालने की सुविधाओं का संस्थापन- 275.20 करोड़ रु. 8.98 एमटीपीपए	940.00	23.70
22.	विजाग विशाखापट्नम पत्तन में लौह अयस्क संभालने के परिसर का आधुनिकीकरण		
23.	विजाग कंटेनर टर्मिनल का विस्तार	300.00	3.00
24.	वीओसीपीटी, तूतिकोरिन सिमेंट संभालने के लिए शैलो डुबाव घाट का निर्माण	86.17	2.30
25.	वीओसीपीटी, तूतिकोरिन घाट सं. 1 से 6 और 9 में मैकेनिकल संभालने के उपकरणों का उन्नयन	49.20	5.00
26.	वीओसीपीटी, तूतिकोरिन निर्माण सामग्री संभालने के लिए शैलो डुबाव घाट (2) का निर्माण	56.17	2.00
27.	वीओसीपीटी, तूतिकोरिन थर्मल कोयला और रॉक फॉस्फेट संभालने के लिए एनसीबी-III का विकास	420.00	7.28

1	2	3	4
28.	वीओसीपीटी, तूतिकोरिन थर्मल कोयला और कॉपर कंसेंट्रट संभालने के लिए एनसीबी-IV का विकास	355.00	7.28
29.	वीओसीपीटी, तूतिकोरिन घाट सं. 8 को कंटेनर टर्मिनल के रूप में बदला जाना	312.23	7.20
	कुल	13966.26	213.92

विवरण-II

2012-13 के दौरान सौंपे जाने के लिए निर्धारित नई पीपीपी परियोजनाओं का स्थान

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्थान
1.	शुष्क पत्तन परियोजना	चेन्नई पत्तन
2.	90 छोटे ओर 120 मध्यम आकार के पोतों के लिए मरम्मत सुविधा का विकास	कोचीन पत्तन
3.	क्यू8-क्यू9 घाटों में सामान्य कार्गो टर्मिनल का विकास	कोचीन पत्तन
4.	रेनुका सूगर के लिए कैप्टिव घाट	कांडला पत्तन
5.	हल्दिया गोदी-II (उत्तरी)	कोलकाता पत्तन
6.	हल्दिया गोदी-II (दक्षिण)	कोलकाता पत्तन
7.	ईक्यू-1 से ईक्यू-3 घाटों का मशीनीकरण	पारादीप पत्तन
8.	कंटेनर टर्मिनल विस्तार	विशाखापट्टनम पत्तन
9.	लौह अयस्क संभालने के परिसर का आधुनिकीकरण	विशाखापट्टनम पत्तन

655-57 सेना

सेनाओं में भारतीय चिकित्सा पद्धति

648. श्री रवनीत सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आज की तिथि तक सशस्त्र सेनाओं में भारतीय चिकित्सा पद्धति शुरू नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा आयुर्वेदिक उपचार का विकल्प चुनने वाले भारतीय सैन्यकर्मियों के उपचार संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए क्या कदम उठए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) जी, नहीं। सशस्त्र सेनाओं में भारतीय चिकित्सा पद्धति शुरू नहीं की गई है प्रणाली शुरू न किए जाने संबंधी कारणों का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

(i) सशस्त्र सेनाओं में भारतीय चिकित्सा पद्धति शुरू करने की संभावनाओं के प्रयोजनार्थ विगत में गठित विभिन्न समितियों द्वारा बार-बार विचार-विमर्श किया गया है। इन समितियों ने सशस्त्र सेनाओं में भारतीय चिकित्सा पद्धति शुरू करने सिफारिश नहीं की है।

(ii) सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा अपने पात्र सेवार्थियों को व्यापक चिकित्सा (निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक और पुनर्वासात्मक) मुहैया कराने के लिए जिम्मेदार है। यह पद्धति एलोपैथी चिकित्सा पद्धति पर आधारित है।

(iii) सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा का ढांचा युद्ध संबंधी (कॉम्बेट) चिकित्सा तथा शल्यक (सर्जिकल आवश्यकताओं पर आधारित है।

(iv) आधुनिक चिकित्सा में मायोकारडियल, इंफारक्शन, अरथैमियास, कार्डिएक अरैस्ट, इंटैस्टाइनल ऑब्सट्रक्शन, हैड इंजरी, पोलीट्रॉमा, रीनल फेल्योर आदि जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए विशेष आवश्यकताएं होती

हैं जिसका एलोपैथिक चिकित्सकों और शल्यचिकित्सकों द्वारा पूरा ध्यान रखा जा सकता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

657-58

रबड़ उत्पादन

649. श्री असादुद्दीन ओवेसी :
श्री ए.के.एस. विजयन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान रबड़ का कितना उत्पादन हुआ और इसकी खपत कितनी हुई;

(ख) क्या सरकार के पास रबड़ संबंधी आयात शुल्क को कम करने की समीक्षा करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या टॉयर विनिर्माताओं के संगठन ने आयात शुल्क को कम करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है;

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार रबड़ कौशल विकास केन्द्र स्थापित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ द्वारा उठाए गए मुद्दों को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) गत दो वर्षों के दौरान उत्पादित एवं खपत किए गए रबड़ की कुल मात्रा निम्नानुसार है।

वर्ष	उत्पादन (टनों)	खपत (टनों)
2010-11	861,950	947,715
2011-12	903,700	964,415

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) रबड़ कौशल विकास केन्द्र की स्थापना पहले ही की जा चुकी है, जिसका राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के स्कीम के अंतर्गत अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संगठन और ऑटोमोटिव टायर विनिर्माता संगठन द्वारा संयुक्त रूप से संवर्धन किया गया।

(च) रबड़ कौशल विकास केन्द्र का अधिदेश रबड़ क्षेत्र में कौशल विकास के कार्यकलापों को प्रारंभ करना, पालन करना, पूरा करने, उनका कार्यान्वयन, सहायता एवं सहयोग करने तथा साथ ही अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ द्वारा उठाए गए मुद्दों को कवर करते हुए शैक्षिक प्रतिभा का संवर्धन करना है।

658-59

बकिंघम नहर जलमार्ग का आधुनिकीकरण

650. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 4-कृष्णा-गोदावरी नदी प्रणाली के भद्राचलम, राजमुंदरी, वजीराबाद, विजयवाड़ा खंड और काकीनाडा पुदुचेरी नहर नेटवर्क जिसकी कुल लंबाई 1,095 कि.मी. है के अंतर्गत बकिंघम नहर के आधुनिकीकरण का ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : योजना आयोग द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण (वीजीएफ) के साथ सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) के अंतर्गत राष्ट्रीय जलमार्ग-4 के और अधिक वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य जलखंडों को विकसित किए जाने के प्रयास आरंभ कर दिए गए हैं। चरण-I के अंतर्गत भद्राचलम से राजामुन्दरी (171 कि.मी.) तक गोदावरी नदी, राजामुन्दरी और काकीनाडा के बीच काकीनाडा नहर (50 कि.मी.) और राजामुन्दरी से इलुरू तक (74 कि.मी.) गोदावरी इलुरू नहर के जलखंडों को विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया था। इस संबंध में भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ) की अपनी योजना के अंतर्गत और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) तकनीकी सहायता के तहत आरंभ की गई पीपीपी पायलेट परियोजना में पीपीपी परियोजनाओं को तैयार करने तथा कार्रवाई करने के लिए कारोबार सलाहकार (परामर्शदाता) नियुक्त करने हेतु आर्थिक कार्य विभाग को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। एडीबी ने मार्च, 2012 में एक कारोबार सलाहकार (मै. ग्रांट थोर्नटन) नियुक्त किया है। मै. ग्रांट

थोर्नटन को आर्थिक विश्लेषण, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के पुनःपुष्टिकरण और लागत से युक्त एक रिपोर्ट जनवरी, 2013 के मध्य तक तैयार करना है।

659-60

जल-मल शोधन संयंत्र

651. **श्री जयंत चौधरी** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना नदी में जल-मल बहाने को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न राज्यों में जल-मल शोधन संयंत्र (एसटीपी) समुचित रूप से कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान यमुना नदी हेतु यमुना कार्य योजना से इतर एसटीपी पर कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(घ) नदी जल की गुणवत्ता में सुधार हेतु एसटीपी क्षमता के उन्नयन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) यमुना नदी के आवाह क्षेत्र में अब तक, विभिन्न स्कीमों के माध्यम से 3024 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) की शोधन क्षमता के साथ 60 मल-जल शोधन संयंत्र (एसटीपी) स्थापित किए गए हैं। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में मल-जल शोधन की संस्थापित क्षमता क्रमशः 2330 एमएलडी, 333 एमएलडी और 361 एमएलडी है। इनमें से, दिल्ली में 5, हरियाणा में 14 और उत्तर प्रदेश में 10 एसटीपी पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रदूषकों के प्रवाह हेतु निर्धारित सामान्य मानकों के अनुसार जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग/रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी/सीओडी) मानदडों को पूरा नहीं करते हैं।

(ग) नदियों का संरक्षण, केंद्र और राज्य सरकारों का सतत और सामूहिक प्रयास है। राज्य सरकारों के अपने बजटीय आबंटन के अतिरिक्त, एसटीपी की स्थापना करने सहित मलनिर्यास अवसंरचना का सृजन भी यमुना कार्य योजना, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन और लघु एवं मध्यम नगरों हेतु शहरी अवसंरचना विकास स्कीम जैसी भारत सरकार की स्कीमों के अंतर्गत किया गया है। यह मंत्रालय, वर्ष 1993 से यमुना कार्य योजना (वाईएपी) को केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के बीच लागत भागीदारी के आधार पर चरणबद्ध रीति से कार्यान्वित कर रहा है। वाईएपी-I और II के अंतर्गत, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) की सहायता से नालों के मलनिर्यास/अवरोधन और विपथन, कम लागत के स्वच्छता/समुदाय शौचालय परिसरों, विद्युत/उन्नत काष्ठ शवदाहगृहों और एसटीपी के निर्माण से संबंधित कार्यों पर गत तीन वर्षों के दौरान 494.73 करोड़ रुपए (राज्य के हिस्से सहित) का व्यय किया गया है। गत तीन वर्षों के दौरान एसटीपी की स्थापना पर किया गया व्यय 216.09 करोड़ रुपए है।

(घ) यमुना नदी की जल गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उठाए गए कदमों में जेआईसीए की सहायता से 1656 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर दिल्ली हेतु वाईएपी चरण-III को प्रारंभ करना शामिल है। वाईएपी-III में क्षतिग्रस्त ट्रंक सीवरों की पुनर्स्थापना, एसटीपी को तृतीय स्तरीय शोधन सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए उनका आधुनिकीकरण और दिल्ली के अभिज्ञात क्षेत्रों में नए एसटीपी का निर्माण शामिल है।

आशिमा 660-61

बीईएमएल में भूमि के आवंटन में अनियमितताएं

652. **श्री पी. विश्वनाथन** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को विवेकाधीन कोटे के अंतर्गत किसी व्यक्ति को श्रमिक सहकारी संघ द्वारा भूमि आवंटन के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) श्रमिकों से इतर लाभार्थियों के नाम, पदनाम और पतों का ब्यौरा क्या है

(ग) क्या समिति के उपनियमों में बाहरी व्यक्ति को कतिपय प्रतिशत तक आवंटन के संबंध में कोई उपबंध है;

(घ) यदि हां, तो विवेकाधीन कोटे का प्रतिशत क्या है;

(ङ) क्या इस विवेकाधीन कोटे को श्रमिक सहकारी समिति की आम सभा की बैठक द्वारा अनुमोदित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो क्या सहकारी समिति के पंजीयक ने संशोधन को अनुमोदित कर दिया है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) जी, हां।

(ख) उपर्युक्त संदर्भित शिकायत में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के कामगारों के अतिरिक्त अन्य किसी लाभार्थी का नाम दर्शाया नहीं गया है। जहां तक लाभार्थियों के नाम, पदनाम और पते का संबंध है, ऐसे ब्यौरों का रखरखाव संबंधित हाउसिंग सोसाइटी द्वारा किया गया है।

(ग) और (घ) सहकारी सोसाइटी रजिस्ट्रार और कर्नाटक सरकार द्वारा कर्नाटक सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1959 की धारा 30(ख) के अंतर्गत जारी आदेश स्थलों के आबंटन में पांच प्रतिशत तक आबंटन विवेकाधीन कोटे के अंतर्गत बाहरी व्यक्तियों को किया जा सकता है।

(ङ) और (च) सोसाइटी द्वारा विवेकाधीन कोटे के अंतर्गत स्थलों के आबंटन के समय कर्नाटक सरकार द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखा जाता है।

श्रीलंका में मिलों का आधुनिकीकरण

653. **श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार श्रीलंका में वस्त्र मिलों का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस करार की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) और (ख) सरकार को वस्त्र क्षेत्र में सहयोग के लिए श्रीलंका के प्राधिकारियों की ओर से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल करने के लिए श्रीलंका सरकार के साथ वस्त्र क्षेत्र में एक एमओयू का प्रस्ताव किया है:—

(i) उद्योग का पुनर्गठन/पुनरुद्धार;

(ii) व्यापार संबंध;

(iii) कौशल विकास;

(iv) फैशन प्रौद्योगिकी;

(v) कलस्टर विकास; तथा

(vi) प्रसंस्करण क्षेत्र प्रौद्योगिकी।

[हिन्दी]

मानवाधिकारों का उल्लंघन

654. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सशस्त्र सैन्यकर्मियों द्वारा किए गए मानवाधिकारों संबंधी उल्लंघन की घटनाओं के आंकड़े रखती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी घटनाओं का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने मामलों का निपटान किया गया और यदि किसी मामले में विलंब हुआ तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) मानवाधिकारों के उल्लंघन की ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने और ऐसे कृत्यों के लिए कठोर दंड देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान सशस्त्र बल कर्मियों के विरुद्ध सूचित मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की राज्य-वार संख्या और उन पर की गई कार्रवाई ब्यौरे निम्नलिखित हैं:—

वर्ष	शिकायतों की संख्या				जांच की गई और झूठी पाई गई शिकायतों की संख्या	लम्बित शिकायतों की संख्या
	पूर्वोत्तर राज्य	जम्मू और कश्मीर	अन्य राज्य	कुल		
2009	33	21	25	79	79	
2010	29	18	10	57	62	05 (सभी न्यायाधीन)
2011	25	05	03	33	31	02 (01 न्यायाधीन और 01 प्रक्रियाधीन)

कथित मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों के निपटान में कोई विलम्ब नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, वे सभी मामले, जिनमें जांच पूरी हो गई है, झूठे पाए गए।

[अनुवाद]

बाल श्रम में कमी

655. **डॉ. पी. वेणुगोपाल : क्या श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा हाल ही में दिए गए आंकड़ों के अनुसार देश में बाल श्रमिकों की संख्या में अचानक कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और संयुक्त राष्ट्र संघ एजेंसियों ने देश में चार से छह करोड़ बाल श्रमिकों की संख्या का अनुमान लगाया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) देश में बाल श्रम के पूर्ण उन्मूलन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) और (ख) सरकार, बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए एक ठोस बहु-आयामी रणनीति अपना रही है। इसमें सामाजिक संरक्षण, गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन संबंधी योजनाओं के साथ-साथ सांविधिक और विधायी उपाय, बचाव और पुनर्वास, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा शामिल हैं। इसका उद्देश्य एक जैसा माहौल सृजित करना है जहां रविवार अपने बच्चों को काम पर भेजने के लिए बाध्य न हों। 2001 की जनगणना के अनुसार, देश में 5-14 वर्ष के आयु वर्ग के कामकाजी बच्चों की कुल संख्या 1.26 करोड़ थी। तथापि, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा वर्ष 2004-05 में किए गए सर्वेक्षण में कामकाजी बच्चों की संख्या 90.75 लाख आंकी गई थी। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा वर्ष 2009-10 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, कामकाजी बच्चों की अनुमानित संख्या 49.84 लाख है जो घटती प्रवृत्ति दर्शाता है।

(ग) और (घ) यूनीसेफ से प्राप्त सूचना के अनुसार, उन्होंने वर्ष 2010 में भारत में बच्चों की कुल जनसंख्या (0-18 वर्ष) 447 मिलियन आंकी है जिसमें से 5-14 वर्ष के आयु वर्ग के 11.8 प्रतिशत बच्चे श्रम में लगे हुए हैं। तथापि, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के वर्ष 2009-10 के सर्वेक्षण के अनुसार, 5-14 वर्ष के आयु वर्ग के कामकाजी बच्चों की संख्या 4.98 मिलियन आंकी गई है।

(ङ) बाल श्रम नीति के अंतर्गत, भारत सरकार निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण तत्वों के साथ निम्नलिखित बहु-आयामी दृष्टिकोण का अनुसरण करती है:—

- विधिक कार्रवाई योजना;
- बाल श्रमिकों के परिवारों के लाभार्थ सामान्य विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित करना; और
- बाल श्रमिकों की उच्च बहुलता वाले क्षेत्रों में परियोजना-आधारित कार्रवाई।

बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986, 18 व्यवसायों और 65 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध करता है। यह अधिनियम जहां बच्चों का कार्य प्रतिषिद्ध नहीं है वहां उनकी कार्य दशाएं विनियमित करता है। कोई भी व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यवसाय अथवा प्रक्रिया में किसी बच्चे को नियोजित करता है जहां बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध है वह कम से कम 3 माह से 1 वर्ष तक के कारावास अथवा 10,000/- रुपये से 20,000/- तक के जुर्माने के दंड का भागी होगा। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के अनुसरण में, वर्ष 1988 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम प्रारंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य सर्व प्रथम जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में कार्यरत बच्चों के पुनर्वास पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ एक अनुक्रममिक दृष्टिकोण अपनाना है। यह योजना 266 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना के अंतर्गत कार्य से बचाए गए/हटाए गए बच्चों को विशेष स्कूलों में दाखिला दिलाया जाता है जहां उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य धारा में शामिल किए जाने से पूर्व ब्रिज शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य देख-रेख आदि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, यह मंत्रालय केन्द्र तथा जिला स्तर पर इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से बाल श्रम की बुराइयों के विरुद्ध और बाल श्रम संबंधी कानूनों के प्रवर्तन के लिए जागरुकता सृजन अभियान चलाता है।

चाय बोर्ड और यूरोपीय टी कमेटी के बीच संधि

656. **श्री आर. थामराईसेलवन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चाय बोर्ड और यूरोपीय टी कमेटी के बीच संयुक्त विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त विज्ञप्ति में दार्जिलिंग के लिए अक्षरशः संरक्षित भौगोलिक सांकेतिक पंजीकरण के कार्यान्वयन के लिए संयुक्त कार्य संबंध विकसित करना भी शामिल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) दार्जिलिंग चाय मार्क को यूरोपीय संघ द्वारा संरक्षित भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत किया गया है। दार्जिलिंग के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेतक पंजीकरण कार्यान्वित करने के लिए अक्षरशः एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:–

(i) यूरोपीय टी कमेटी (ईटीसी) और चाय बोर्ड, भारत दोनों यूरोपीय संघ के साथ दार्जिलिंग चाय के संबंध में पीजीआई पंजीकरण का संयुक्त रूप से समर्थन कर रहे हैं।

(ii) ईटीसी और चाय बोर्ड दोनों ने पीजीआई पंजीकरण और ईयू के अंतर्गत चाय उपभोग करने वाले अन्य देशों और जर्मनी में स्थानीय भाषा में प्रभाव के बारे में सूचना का प्रचार करने हेतु सहयोग करने एवं एक साथ काम करने के लिए संयुक्त रूप से सहमति की है।

(iii) भारतीय चाय बोर्ड और ईटीसी दार्जिलिंग पीजीआई और उनके प्रभाव के बारे में नागरिकों और ईयू उपभोक्ताओं को अवगत कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने के लिए वित्तीय सहायता हेतु संयुक्त रूप से ईयू को अप्रोच करेंगे।

(iv) अगर भारतीय चाय बोर्ड के पास ईयू में पीजीआई पंजीकरण के उल्लंघन या अतिलंघन के बारे में कोई भी सूचना उपलब्ध है तो उसे उपचारी कार्रवाई हेतु ईटीसी को प्रेषित करना होगा।

(v) ईटीसी और भारतीय चाय बोर्ड दोनों ने संयुक्त कार्य संबंध विकसित किया ताकि दार्जिलिंग के लिए अक्षरशः पीजीआई पंजीकरण का कार्यान्वयन किया जा सके।

स्वीकृत प्रक्रिया में तेजी

657. **श्री एस.एस. रामासुब्बू : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में लाखों टन कोयले के उत्खनन हेतु बड़ी संख्या में कंपनियों को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो दी गई स्वीकृतियों और प्रक्रियाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वे परियोजनाएं जिन्हें स्वीकृति दी गई थी, ने काम करना शुरू कर दिया है अथवा वे बाधाओं का सामना कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में निगरानी प्रक्रिया को सुदृढ़ करने और स्वीकृत प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) से (ङ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने गत पांच वर्षों के दौरान 182 कोयला खनन परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की है जो प्रचालन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृतियों में विनिर्दिष्ट शर्तों के कार्यान्वयन और अनुपालन को मॉनीटर करता है। पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए उठाए गए कदमों में लंबित परियोजनाओं की स्थिति की निरंतर मॉनीटरिंग करना, विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की नियमित और दीर्घकालिक बैठकें आयोजित करना, परियोजनाओं के मूल्यांकन की पद्धति को कारगर बनाना आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान

658. **श्री बदरूद्दीन अजमल :**
श्री सोमेन मित्रा :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की निगरानी के लिए पायलट रहित विमान का प्रचालन शुरू करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) से (ग) काजीरंगा बाघ रिजर्व में निगरानी हेतु मानव-रहित लघु एयरक्राफ्ट के प्रचालन के लिए प्रायोगिक पहल करने हेतु राज्य को जारी केंद्रीय प्रायोजित स्कीम – बाघ परियोजना – के अंतर्गत सहायता देने के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

तटीय सुरक्षा

659. **श्री नित्यानंद प्रधान :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जल में दुराशय के साथ अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले विभिन्न प्रकार के छोटे और बड़े विदेशी पोतों से संपूर्ण भारतीय तटरेखा की सुरक्षा के लिए कार्य योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या सुरक्षा रडार के अंतर्गत संपूर्ण तटरेखा को कवर करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) सरकार ने नौसेना और तटरक्षक बल दोनों की परिसम्पत्तियों की तैनाती करके तटीय निगरानी बढ़ाकर देश में समग्र रूप से तटीय और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के तंत्र को सुदृढ़ करने में उच्च प्राथमिकता प्रदान की है। आसूचना एजेंसियों द्वारा प्राप्त होने वाली सूचनाओं को बहु-एजेंसी तंत्र के माध्यम से दैनिक आधार पर साझा किया जाता है। इसके अलावा, इस आसूचना तंत्र को संयुक्त आपरेशन केन्द्रों के सृजन के माध्यम से सुकर बनाया गया है। इस तरह के खतरों के प्रति विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों की तैयारी और उनके सहज एकीकरण को सुधारने के लिए नौसेना, तटरक्षक बल, तटीय राज्य पुलिस, सीमा शुल्क और अन्य बालों के बीच नियमित आधार पर संयुक्त आपरेशन अभ्यास किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) द्वीपीय क्षेत्रों सहित संपूर्ण तटरेखा पर 84 दूरस्थ स्थलों में स्टैटिक रेडार और इलैक्ट्रो ऑप्टिक सेंसरों की श्रृंखला सहित तटीय निगरनी नेटवर्क की परिकल्पना की गई है। पहले चरण में 46 रडारों (36 मुख्य क्षेत्र और 10 द्वीपीय क्षेत्रों में) की योजना बनाई गई है, जिसके अगले वर्ष के मध्य तक पूरी तरह से चालू हो जाने की परिकल्पना की गई है।

जलदस्युता

660. **श्री ई.जी. सुगावनम :**
श्री एन. चेलुवरया स्वामी :

क्या **पोत-परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय व्यापारिक पोतों को समुद्र में लूटने की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने समुद्र में लुट-पाट के प्रयासों की रोकथाम के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश, तंत्र और प्रक्रिया भी निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा विशेषकर हाल ही में नाइजीरिया के समुद्री अपतट पर समुद्री डाकुओं द्वारा बंधक बनाए गए 23 भारतीय नाविकों के संदर्भ में नाविकों की समुद्री डाकुओं से शीघ्र रिहाई और उनकी संरक्षा और सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) जी, नहीं। आज तक भारतीय पताका से युक्त किसी जलयान का अपहरण नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। समुद्री डकैती को कोशिशों के रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

- सेफ हाउस/सिटाडेल सहित डकैती रोकने के व्यापक उपायों (सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन प्रणालियों) का प्रावधान करते हुए नौवहन महानिदेशालय का दिनांक 14.1.2011 का वर्ष 2011 का एम.एस. नोटिस सं. 1 (सं. 44-एनटी(6)/2010) द्वारा जारी किया जाना।

- नौवहन महानिदेशालय के दिनांक 31.3.2010 का एम.एस. नोटिस 3/2010 (सं. 35 एनटी(2)/2010) द्वारा सल्लाह और माले को जोड़ने वाली रेखा के दक्षिण या पश्चिम जलक्षेत्र में जलयानों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया जाना।

- वर्ष 2008 से अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना के पोतों द्वारा नौसेना सुरक्षा उपलब्ध कराया जाना।

- भारतीय अनन्य आर्थिक जोन और 65 डिग्री पूर्व देशांतर तक पश्चिमी दिशा में भारतीय नौसेना द्वारा निगरानी बढ़ाया जाना।

- भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की सुरक्षा बैठकों, सोमालिया के तट के डकैती पर संपर्क दल और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों में सक्रिय भागीदारी।

- बंधक कर्मीदल के कल्याण, उनकी रिहाई और साथ ही उनके मेहनताने का भुगतान जारी रखने के प्रयासों पर जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए पताका राष्ट्र के लिए नवंबर, 2011 में लंदन में हुई अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की एसेंबली बैठक में दस्तावेज संख्या 27/9/1 प्रस्तुत किया जाना।

- इसके अलावा, भारत सरकार ने समुद्र में भारतीय कर्मी दलों के साथ वाणिज्यिक जलयानों के अपहरण से उपजी बंधक परिस्थिति से निबटने के लिए एक अंतर मंत्रालयी अधिकारी दल का गठन किया है।

- भारतीय पताका वाले वाणिज्यिक पोतों में सशस्त्र सुरक्षा गार्डों की तैनाती की अनुमति दिए जाने हेतु दिशानिर्देशों का जारी किया जाना।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) प्राप्त सूचना के अनुसार सिंगापुर की पताका वाले एक जलयान एम.टी. अबु धाबी स्टार जिसमें 22 भारतीयों सहित 23 नाविक मौजूद थे 04.09.2012 का नाईजीरिया के तट से अपहरण कर लिया गया। बाद में यह सूचना प्राप्त हुई कि जलयान को 05.09.2012 को ही छोड़ दिया गया था और कर्मीदल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं।

[हिन्दी]

सागौन पेड़ों की तस्करी पर प्रतिबंध

661. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सागौन पेड़ों के काटे जाने और इनकी तस्करी किए जाने की घटनाओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश में सागौन पेड़ों की कटाई और तस्करी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए विशेष कृतिक बल गठित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : (क) और (ख) महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अंतर-राज्यीय सीमा क्षेत्रों में सागौन पेड़ों की कुछ अवैध कटाई के संबंध में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश सरकारों से सूचना प्राप्त हुई है। महाराष्ट्र के गडचिरोली जिले के सिरोन्चा प्रभाग में वन अपराध के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। सरकार का देश में सागौन पेड़ों की कटाई और तस्करी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए विशेष कार्य बल गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्य सरकारों द्वारा अवैध कटाई को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदम निम्नानुसार हैं:–

(i) महाराष्ट्र की ओर टेकड़ा सीमा और आंध्र प्रदेश की ओर नीलवई सीमा दोनों पर स्थित रणनीतिक अवस्थलों पर रेंज अधिकारी के नेतृत्व में पर्याप्त स्टाफ से युक्त नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना।

(ii) स्थानीय स्तर पर परामर्श उपरांत संयुक्त गश्त करना।

(iii) दोनों राज्यों के संबंधित अधिकारियों के बीच सुरक्षा में समन्वयन बनाने हेतु दूरभाष नम्बरों का आदान-प्रदान करना।

(iv) इस अवैध गतिविधि को रोकने के लिए संयुक्त कार्रवाई करने हेतु दोनों राज्यों के वन विभागों के बीच बैठकों का आयोजन करके अंतर-राज्यीय समन्वयन में सुधार आया है। समन्वयन बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं।

(v) आंध्र प्रदेश की ओर महादेवपुर में स्टाफ और वाहनों से युक्त नियंत्रण कक्ष की स्थापना और सिरोन्चा में नियंत्रण कक्ष का सुदृढ़ीकरण।

(vi) नडीकुडा ग्राम से लगे लेन्कलागड्डा में अतिरिक्त स्टाफ की और सिरोन्चा प्रभाग से आंध्र प्रदेश राज्य के साथ लगे लेन्कलागड्डा स्थित शिविर में सशस्त्र स्टाफ की तैनाती करना।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार अवैध कटाई के विरुद्ध सुरक्षा सहित संरक्षण हेतु वन प्रबंधन स्कीम का तीव्रीकरण की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत निधियां प्रदान करके दोनों राज्यों में वन संरक्षण कार्यकलापों में सहायता कर रही है।

विवरण

महाराष्ट्र के गडचिरोली जिले के सिरोन्चा प्रभाग में वन अपराध

वर्ष	दर्ज किए गए वन अपराध	घन मीटर में जब्त की गई सामग्री	लाख रुपए में मूल्य	गिरफ्तार किए गए वन अपराधियों की संख्या	जब्त किए गए वाहन	
					प्रकार	संख्या
2009	549	750	231.58	135	बैलगाड़ी	32
					बैल	213
2010	916	904	278.38	109	बैलगाड़ी	174
					बैल	248

[अनुवाद]

बढ़ी हुई श्रम शक्ति

662. **श्री सी. राजेन्द्रन : क्या श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत वर्षों में देश में श्रम शक्ति में बढ़ोत्तरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार अवसरों के सृजन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या मंदी के कारण देशभर में काफी संख्या में नौकरियां समाप्त हो गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) रोजगार तथा बेरोजगारी के विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा कराए जाने वाले पंचवार्षिक श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसा पिछला सर्वेक्षण वर्ष 2009-10 के दौरान किया गया था। रोजगार एवं बेरोजगारी पर हाल ही के दो नवीनतम पंचवर्षीय सर्वेक्षणों के अनुसार, देश में सामान्य स्थिति आधार पर अनुमानित श्रम बल 2004-05 में 469.94 मिलियन से बढ़कर 2009-10 में 474.98 मिलियन हो गया है।

(ख) 1999-2000, 2004-05 और 2009-05 के दौरान आयोजित सर्वेक्षणों के अनुसार श्रम बाल के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न हैं।

(ग) सरकार ने देश में बेरोजगारी कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। जनता के जीवनयापन की परिस्थितियों में सामान्य सुधार लाने के लिए उसकी आय में वृद्धि हेतु तीव्र गति से उत्पादक रोजगार के सृजन पर ध्यान दिया जा रहा है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि, अवसंरचना विकास में निवेश, निर्यात में वृद्धि इत्यादि से रोजगार अवसर सृजित किए जाते हैं। भारत सरकार अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे उद्यमीय विकास कार्यक्रमों के अतिरिक्त स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी); राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) जैसे विभिन्न रोजगार सृजन कार्यक्रमों का भी कार्यान्वयन करती रही है।

(घ) देश में मंदी के कारण रोजगार में कमी के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए अभी तक कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किए गए त्वरित तिमाही सर्वेक्षणों में अक्तूबर, 2008 से जून, 2002 के दौरान कतिपय संबंधित क्षेत्रों में रोजगार में 27.38 लाख की वृद्धि दर्शाई गई है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

सामान्य स्थिति आधार पर वर्ष 1999-2000, 2004-05 और 2009-10 के दौरान राज्य-वार श्रम-बल भागीदारी दर (प्रतिशत)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000		2004-05		2009-10	
		ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	54.6	36.2	54.8	40.6	52.7	37.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	37.1	27.5	46.2	32.3	40.9	31.3
3.	असम	36.4	36.8	40.1	36.2	38.3	33.9
4.	बिहार	34.4	28.7	32.0	29.0	28.9	27.2
5.	छत्तीसगढ़	मध्य प्रदेश के साथ मिश्रित		51.2	37.7	44.5	32.2
6.	दिल्ली	32.4	34.3	31.7	35.1	30.6	34.2

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	गोवा	39.5	37.9	38.5	39.8	35.6	34.6
8.	गुजरात	50.1	35.2	51.6	38.7	46.2	37.7
9.	हरियाणा	34.9	32.3	43.4	35.3	40.3	37.0
10.	हिमाचल प्रदेश	50.9	34.4	54.0	47.4	52.0	37.7
11.	जम्मू और कश्मीर	44.7	29.6	42.2	34.8	44.2	36.9
12.	झारखंड	बिहार के साथ मिश्रित		43.3	33.3	34.6	31.3
13.	कर्नाटक	49.1	37.8	54.6	39.7	49.9	39.3
14.	केरल	42.2	41.5	44.8	44.0	41.4	39.1
15.	मध्य प्रदेश	46.4	33.1	46.1	35.7	42.9	33.5
16.	महाराष्ट्र	49.0	36.7	52.7	39.9	49.1	39.2
17.	मणिपुर	38.7	35.3	44.5	35.8	37.5	33.1
18.	मेघालय	48.8	31.0	52.7	38.7	48.2	35.1
19.	मिजोरम	50.3	37.4	52.3	39.0	51.2	41.5
20.	नागालैंड	49.4	33.5	53.7	38.5	46.0	32.3
21.	ओडिशा	43.2	33.9	47.6	38.6	42.3	36.5
22.	पंजाब	41.7	36.3	45.8	38.5	40.1	38.3
23.	राजस्थान	44.8	33.2	46.3	35.9	43.7	33.0
24.	सिक्किम	39.1	40.7	45.3	38.3	46.2	39.9
25.	तमिलनाडु	52.3	41.0	53.4	43.4	50.9	39.5
26.	त्रिपुरा	30.7	31.3	37.3	41.4	42.9	39.4
27.	उत्तराखंड	उत्तर प्रदेश के साथ मिश्रित		48.0	35.1	43.8	34.6
28.	उत्तर प्रदेश	34.8	31.7	37.3	34.2	34.8	30.9
29.	पश्चिम बंगाल	35.9	37.8	38.9	41.0	39.9	38.6

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	38.4	45.4	47.1	41.6	43.9	42.8
31.	चंडीगढ़	63.9	36.9	39.9	35.8	39.9	36.8
32.	दादरा और नगर हवेली	47.5	40.9	53.3	46.6	32.7	35.8
33.	दमन और दीव	50.9	38.7	40.3	42.8	43.3	35.3
34.	लक्षद्वीप	35.6	34.3	40.8	36.3	50.5	40.2
35.	पुदुचेरी	44.3	36.8	49.5	37.3	49.6	39.3
	योग	42.3	35.4	44.6	38.2	41.4	36.2

[हिन्दी]

ईपीएफ विवरणी

663. श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारियों को भविष्य निधि खाते की विवरणी उपलब्ध नहीं करायी जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से निजी क्षेत्र की कंपनियों के प्रत्येक कर्मचारी को ईपीएफ खाते की विवरणी और इसकी मासिक अद्यतन जैसे बैंक की पास बुक उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रणाली को कब तक मूर्त रूप दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश): (क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत शामिल किए गए निजी क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों के कर्मचारियों को वार्षिक खाता विवरणी उपलब्ध कराता है।

(ख) से (घ) अप्रैल, 2012 से नियोजकों के लिए लेखा वर्ष 2010-11 से आगे अपने कर्मचारियों के लिए वार्षिक खाता पर्चियां डाउनलोड करने की सुविधा है।

जब कभी अंशदान प्राप्त होता है सदस्य के भविष्य निधि खाते अद्यतन किए जाते हैं तथा अगस्त, 2012 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर अद्यतन खाता विवरणी उपलब्ध है। सदस्य कहीं भी अपने खाते देख सकते हैं तथा उनका प्रिंट ले सकते हैं।

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला

664. श्री अर्जुन राम मेघवाल : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 2012 में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के लिए चिन्हित विषय और महत्वपूर्ण क्षेत्र क्या थे;

(ख) इस प्रकार के वार्षिक व्यापार मेलों से रोजगार के कुल कितने अवसरों का सृजन हुआ है और इसकी उपलब्धियां क्या रहीं;

(ग) क्या प्रत्येक मेले के दौरान आयोजित ये व्यापार मेले और आयोजित कार्यशालाएं अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

680-81

(ङ) क्या सरकार का दर्शकों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर इस प्रकार के व्यापार मेलों में आयोजित किए जाने वाली कार्यशालाओं की रूपरेखा में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) 2012 का चिन्हित विषय है "कौशल अभिमुख भारत"। महत्वपूर्ण क्षेत्र: जूट, कयर, चमड़ा, कम लागत वाले आवास, हस्तशिल्प, व्हाइट गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रौद्योगिकी और लघु उद्योग इकाइयों जैसे उद्योगों का कौशल विकास।

(ख) मेले के निर्विघ्न कार्यान्वयन हेतु स्टैंड एवं पवेलियनों का निर्माण एवं सजावट, संभार तंत्र और व्यवस्थाओं के लिए अस्थायी कर्मचारियों के रूप में आईआईटीएफ बड़ी मात्रा में रोजगार का सृजन करता है। आईटीपीओ ने खुद 5000 से अधिक अस्थायी कर्मचारियों को काम पर लगाया है। अगर हम कुल प्रदर्शकों को जोड़ें तो यह विश्वसनीय है कि 15 दिन की अवधि के दौरान 1,00,000 से अधिक रोजगारों का सृजन हुआ है।

(ग) और (घ) कार्यशालाओं के दौरान उत्पन्न आशयों को उद्योग द्वारा अपने संबंधित संस्थानों के लिए वापस ले लिया जाता है और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूल बनाया जाता है। साथ ही उद्योग खण्ड अपने नवीकृत उत्पादों/सेवाओं के साथ मेले में वापस आता है जो अपने आप में एक संकेतक हैं कि कार्यशालाएं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुई हैं। तथापि, इन उपलब्धियों की मात्रा बताना संभव नहीं है।

(ङ) कार्यशालाओं और सेमिनार आदि में उद्योग एवं सरकार एजेंसियों के प्रमुख शामिल होते हैं। जैसाकि कार्यशाला या सेमिनार का आयोजन करने से पहले, दिन की आवश्यकताओं के अनुरूप रूपरेखा का संशोधन किया जाता है।

(च) आयोजित किए जा रहे सम्मेलनों/कार्यशालाओं की प्रगति देश के संवृद्धि संबंधी व्यापक दृष्टिकोण तथा व्यापक नीतिगत उद्देश्यों के अनुरूप है। इन सभी कार्यकलापों के अलावा आगंतुकों/प्रतिनिधियों की संख्या पर्याप्त होती है जो कि इन कार्यकलापों के लिए उपयुक्त होते हैं। अतः इन सम्मेलनों/कार्यशालाओं की रूपरेखा में किसी बड़े परिवर्तन की परिकल्पना नहीं की गयी है।

बीड़ी कामगारों के लिए चिकित्सा परिचर्या

665. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बीड़ी कामगारों के लिए मौजूद चिकित्सा परिचर्या केन्द्रों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में बीड़ी कामगारों विशेषकर महिला कामगारों की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कामगारों के स्वास्थ्य पर इस व्यवसाय के दुष्प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इन कामगारों के स्वास्थ्य के सुरक्षोपाय और उनके पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

देश में विद्यमान बीड़ी कामगारों के लिए चिकित्सा परिचर्या केन्द्रों की संख्या निम्नानुसार है:

चिकित्सा परिचर्या केन्द्रों की संख्या - 248

देश में विद्यमान बीड़ी कामगारों के लिए चिकित्सा परिचर्या केन्द्रों की राज्य-वार स्थिति निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	क्षेत्र	राज्य	चिकित्सा परिचर्या केन्द्रों की संख्या
1	2	3	4
1.	अजमेर	गुजरात	7
		राजस्थान	16

1	2	3	4
2.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	24
3.	बंगलुरू	कर्नाटक	26
		केरल	8
4.	भुवनेश्वर	ओडिशा	19
5.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	25
		तमिलनाडु	22
6.	जबलपुर	मध्य प्रदेश	29
		छत्तीसगढ़	2
7.	करमा	बिहार	16
		झारखंड	5
8.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	19
		असम	1
		त्रिपुरा	1
9.	नागपुर	महाराष्ट्र	18
	कुल		248

[अनुवाद] 681 82

नमक उद्योग का विकास

666. **श्री सी.आर. पाटिल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के पास नमक उद्योग के विकास तथा कृषकों के लिए कल्याणकारी क्रियाकलापों हेतु 50 प्रतिशत सहायता प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार ने गुजरात राज्य सरकार के प्रस्ताव के संबंध में क्या निर्णय लिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन) : (क) जी, हां।

(ख) फरवरी, 2012 में केंद्र सरकार को गुजरात सरकार की ओर से एक सामान्य संदर्भ प्राप्त हुआ था, जिसमें सुझाव दिया गया था कि नमक उत्पादक क्षेत्रों में बेहतर कल्याणकारी क्रियाकलापों और विकास के लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की राशि/लागत का 50% अंशदान करे। कोई ठोस तथा विनिर्दिष्ट प्रस्ताव न होने पर, केन्द्र सरकार इस संबंध में कोई भी निर्णय नहीं ले पाएगी। 682.

साइबर स्पेस में क्षमताएं

667. **श्री उदय सिंह : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने साइबर स्पेस जैसे उभरते हुए क्षेत्रों में क्षमता में वृद्धि करने की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ग) जी, हां। साइबर स्पेस में उभरते हुए खतरों का सामना करने के लिए क्षमता निर्माण हेतु उपयुक्त कदम उठाए गए हैं। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी साइबर सुरक्षा नीति, 2008 कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सतत् जागरुकता अभियान, नेटवर्कों की लेखा परीक्षा, साइबर सुरक्षा गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण और एयरगेपों को बनाए रखना शामिल है। राष्ट्रीय स्तर पर भी साइबर सुरक्षा मुद्दों का समन्वय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय (एनएसटीएस) द्वारा किया जाता है।

[हिन्दी] 682-84

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के केन्द्र

668. **कुमारी सरोज पाण्डेय : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में संस्थान-वार राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के

कितने केन्द्र कार्य कर रहे हैं और इनकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने केन्द्र सरकार से राज्यों में और अधिक केन्द्रों की स्थापना करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनंद शर्मा): (क) इस समय देश में कार्यरत राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिक संस्थान (निफ्ट) के 15 केन्द्र निम्नलिखित स्थलों पर स्थित हैं:–

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	स्थापना वर्ष
1.	दिल्ली	1986
2.	चैन्नई	1995
3.	गांधीनगर	
4.	हैदराबाद	
5.	कोलकाता	
6.	मुम्बई	
7.	बंगलौर	1996
8.	रायबरेली	2007
9.	भोपाल	2008
10.	कन्नूर	
11.	शिलांग	
12.	पटना	
13.	कांगड़ा	2009
14.	भुवनेश्वर	2010
15.	जोधपुर	

(ख) अनेक राज्यों से निफ्ट केन्द्रों के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) निफ्ट अधिनियम की धारा 7 निफ्ट के शासी बोर्ड (बीओजी) को निफ्ट कैम्पस स्थापित करने का अधिकार प्रदान करती है। केन्द्रों की बड़ी संख्या में मांग को देखते हुए बीओजी ने 4 सितम्बर, 2012 को निफ्ट कैम्पसों की स्थापना के संबंध में एक व्यापक नीति का अनुमोदन किया है। इसे उन सभी राज्यों को परिचालित किया गया है जिन्होंने निफ्ट की स्थापना में रूचि दिखाई थी और अनुरोधों पर कार्रवाई की गई समझी जाए। 684-85

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत

669. श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री दिनांक 13 अगस्त, 2012 के अतारांकित प्रश्न सं. 659 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जो राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण/मरम्मत से संबंधित हैं;

(ख) राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण/मरम्मत हेतु निर्धारित मानकों के अनुपालन नहीं होने के बारे में शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के मरम्मत कार्य हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग-वार कितनी धनराशि जारी की गई और इस पर कितनी धनराशि व्यय हुई है;

(घ) क्या राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 26 और 28 के अधिकांश खंड की स्थिति जीर्ण-शीर्ण है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों पर मरम्मत कार्य को कब तक शुरू करने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण): (क) विगत चार वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा निम्नलिखित है:–

क्र.सं.	वर्ष	प्रस्तावों की संख्या
1.	2009-10	36
2.	2010-11	19
3.	2011-12	5
4.	2012-13 (अक्तूबर, 2012 तक)	26

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए इस मंत्रालय को वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली निधि मंत्रालय के विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुरूप अपेक्षित वास्तविक आवश्यकता की लगभग 40 प्रतिशत होती है। तदनुसार मानदंडों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा पूर्वानुमानित अपेक्षा के अनुरूप राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए पर्याप्त निधि आवंटित किया जाना संभव नहीं होता। मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई और राष्ट्रीय राजमार्ग की अवस्था के आधार पर निधियों का आवंटन करके अनुरक्षण के लिए उपलब्ध निधि का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। निधियां राज्य/परियोजना-वार जारी की जाती है न कि राष्ट्रीय राजमार्गवार। तथापि, विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए आवंटित और व्यय की गई निधि का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

वर्ष	आवंटित निधि (करोड़ रुपए)	किया गया व्यय (करोड़ रुपए)
2009-10	57.15	59.53
2010-11	75.14	73.05
2011-12	76.37	62.78
2012-13 (अक्तूबर, 2012 तक)	73.04	22.46

(घ) से (च) राष्ट्रीय राजमार्ग 28 मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता है। रारा-26 के अधिकतर खंड अच्छी अवस्था में है। तथापि, रारा-26 के कुछ भागों में मरम्मत कार्य चल रहा है। और वह अप्रैल, 2013 तक पूरा किया जाना नियत है।

[अनुवाद]

कार्यों के आउटसोर्सिंग हेतु मापदंड

670. श्री पी.आर. नटराजन : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थायी प्रकृति के विभागीय कार्यों के आउटसोर्सिंग हेतु अनुपालन हेतु मापदंडों/मानकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विशेषकर भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) आदि में ठेका मजदूर के रोजगार पर निषेध लगाते हुए अधिसूचना जापरी की है;

(ग) यदि हां, तो अब तक जारी की गई ऐसी अधिसूचनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) कोई भी प्रतिष्ठान किसी कार्य को बाहर से कामगारों से करा सकता है अथवा किसी कार्य अथवा प्रक्रिया में ठेका कामगार को नियोजित कर सकता है यदि समुचित सरकार द्वररा उस प्रतिष्ठान में वह कार्य/या प्रक्रिया ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के अंतर्गत अधिसूचना द्वारा प्रतिषिद्ध न की गई हो।

सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) के नियम 180 के अनुसार (वित्तीय प्रकृति के मामलों के संबंध में कार्रवाई करते समय भारत सरकार के सभी कार्यालयों को सामान्य उपबंधों के सारांश को अपनाना होता है। बाहर से कार्य कराने वाले मंत्रालय/विभाग को, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित निविदा जांच तैयार करनी चाहिए:—

(i) ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले कार्य अथवा सेवा का ब्यौरा;

(ii) ऐसी सुविधाएं और सामग्री जिन्हें मंत्रालय अथवा विभाग द्वारा ठेकेदार को उपलब्ध कराया जाएगा;

(iii) अपेक्षित कार्य/सेवा को करने के लिए ठेकेदार द्वारा पूरे किए जाने वाले पात्रता और अर्हता संबंधी मानदंड; और

(iv) ठेकेदार द्वारा अनुपालन किए जाने वाले सांविधिक और ठेका संबंधी दायित्व।

(ख) से (घ) केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न प्रतिष्ठानों के विभिन्न कार्यों में ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के

अंतर्गत 84 अधिसूचनाओं द्वारा समय-समय पर ठेका संबंधी नियोजन प्रतिषिद्ध किया है। तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार, बीएसएनएल के संबंध में कोई प्रतिषेधात्मक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। किसी प्रतिष्ठान में किसी कार्य अथवा प्रक्रिया को प्रतिषिद्ध करने के लिए अधिसूचना कामगारों अथवा श्रमिक संघों से अनुरोध अथवा याचिका अथवा ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10(2) के दृष्टिगत मुद्दे की जांच करने तथा केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड के साथ अनिवार्य परामर्श करने के पश्चात् किसी न्यायालय से निदेश प्राप्त होने पर ही जारी की जाती है।

[हिन्दी] 687-90

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 49 और 153 का स्तरोन्नयन

671. **श्रीमती कमला देवी पटले : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 200 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 49) को उसकी किमी. संख्या 116 से 313/6 (दूरी 197 किमी.) और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 216 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 153) को किमी. संख्या 4/9 से 96/6 (दूरी 87 किमी.) तक छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के सहयोग से निर्माण-प्रचालन हस्तांतरण (बीओटी) पद्धति से स्तरोन्नयन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 49 के संबंध में प्रारूप रियायत करार (डीसीए) द्वारा किया गया वित्तीय विश्लेषण एवं समीक्षित प्रस्ताव छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो उक्त कार्यों को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के सड़क-खंडों को सरकार की वार्षिक कार्ययोजना में शामिल नहीं किया गया है जिसके कारण उनका अनुरक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार की वार्षिक कार्ययोजना में शामिल निर्माण-कार्यों का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण): (क) जी, हां।

(ख) इन खंडों को छत्तीसगढ़ पीडब्ल्यूडी के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-IV के अंतर्गत सार्वजनिक निजी भागीदारी विधि से पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन में उन्नत किए जाने का प्रस्ताव है। 197 किमी. लंबाई के लिए रारा-200 (नया रारा सं. 49) का परियोजना प्रस्ताव राज्य पीडब्ल्यूडी से प्रतीक्षित है। 87 किमी. लंबाई के लिए रारा-216 (नया रारा सं. 153) का परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हो गया है और मूल्यांकन एजेंसियों के विचारार्थ है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) वर्ष 2012-13 के दौरान रारा-216 (नया रारा सं. 153) के 87 किमी. खंड को सौंपे जाने का लक्ष्य है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। वार्षिक योजना 2012-13 के अंतर्गत रारा-200 और रारा-216 के विकास और अनुरक्षण के लिए कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक योजना 2012-13 में शामिल रारा-200 (नया रारा सं. 49) और रारा-216 (नया रारा सं. 153) के कार्य

क्र. सं.	उप खंड	रारा सं.	नया रारा सं.	लंबाई किमी.	योजना के अंतर्गत वार्षिक योजना	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	किमी. 182.600 से किमी. 184.00 और किमी. 198.200 से किमी. 202.200	200	49	5.2	सड़क गुणता सुधार	संस्वीकृत

1	2	3	4	5	6	7
2.	किमी. 144.200 से किमी. 164.200	200	49	19.40	सड़क गुणता सुधार	संस्वीकृत
3.	किमी. 164.400 से किमी. 175.00	200	49	11.60	सड़क गुणता सुधार	संस्वीकृत
4.	किमी. 293.600 से किमी. 305.000	200	49	11.60	सड़क गुणता सुधार	संस्वीकृत
5.	किमी. 51.000 से किमी. 59.00 और किमी. 66.000 से किमी. 75.600	216	153	18.60	सड़क गुणता सुधार	संस्वीकृत
6.	किमी. 25.000 से किमी. 31.000	216	153	6.00	आवधिक नवीकरण	संस्वीकृत
7.	किमी. 75.600 से किमी. 90.600	216	153	15.00	आवधिक नवीकरण	संस्वीकृत
8.	किमी. 287.000 से किमी. 293.600	200	49	6.60	आवधिक नवीकरण	संस्वीकृत
9.	किमी. 113.400 से किमी. 127.000	200	49	6.00	आवधिक नवीकरण	अनुमोदन के अधीन

उक्त कार्यों के अलावा, 2 मुख्य पुलों अर्थात् रारा-200 के किमी 268.6 पर मांड पुल और रारा-200 (नया रारा सं. 49) के किमी 212.4 पर सोन पुल के पुनर्स्थापन कार्य को और रारा-216 (नया रारा-153) के किमी 81.100 पर लघु पुल के पुनर्निर्माण/चौड़ीकरण को भी वार्षिक योजना में शामिल किया गया है।

689 - 913

[अनुवाद]

मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी

672. **श्री सुरेश कुमार शेटकर : क्या श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत दस वर्षों के दौरान कृषि मजदूरों की कम उपलब्धता के कारण उनकी औसत दैनिक मजदूरी दोगुनी से अधिक बढ़ी है जबकि हाल की आर्थिक मंदी के कारण औद्योगिक मजदूरों को मात्र 63 प्रतिशत बढ़ोत्तरी से ही संतोष करना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तुलनात्मक ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 और 2009-2010 के लिए कृषि मजदूरों और औद्योगिक मजदूरों की मजदूरी दर्शाने वाले तुलनात्मक ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) बाजार की अर्थव्यवस्था में मजदूरी दरें अनेक कारकों यथा उत्पादन, मांग, श्रमिकों की गतिशीलता, भौगोलिक कारकों, निर्वाह व्यय आदि पर निर्भर होती हैं। केन्द्रीय और राज्य सरकार दोनों ही ऐसे अनुसूचित नियोजनों, जिनके लिए वे समुचित सरकारें हैं, के संबंध में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के उद्देश्य से श्रम बाजार में हस्तक्षेप करती हैं।

विवरण-I

कृषि मजदूरों (पुरुष) की औसत दैनिक मजदूरी

(रुपयों)

राज्य	वार्षिक औसत मजदूरी रुपयों में (पुरुष)	
	(1999-2000)	(2009-2010)
1	2	3
आंध्र प्रदेश	44.79	128.29
असम	48.73	103.25
बिहार	44.30	100.00

1	2	3
छत्तीसगढ़	—	90.21
गुजरात	68.15	116.69
हरियाणा	102.89	199.76
हिमाचल प्रदेश	80.96	189.72
झारखंड	—	90.04
कर्नाटक	42.70	115.08
केरल	129.19	340.24
मध्य प्रदेश	45.31	96.36
महाराष्ट्र	43.82	—
ओडिशा	35.18	83.00
पंजाब	77.47	192.24
राजस्थान	69.23	146.22
तमिलनाडु	62.14	144.94
त्रिपुरा	51.50	—
उत्तर प्रदेश	53.02	103.81
उत्तराखंड	—	173.91
पश्चिम बंगाल	69.09	121.76

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

विवरण-II

औद्योगिक मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी

(रुपयों)

राज्य	वार्षिक औसत मजदूरी रुपयों में	
	(1999-2000)	(2009-2010)
1	2	3
आंध्र प्रदेश	90.21	198.34
असम	81.95	168.05
बिहार	*	184.67
छत्तीसगढ़	—	251.38
गोवा	171.41	362.22
गुजरात	134.82	239.19
हरियाणा	156.60	297.02
हिमाचल प्रदेश	95.25	209.70
जम्मू और कश्मीर	122.13	183.03
झारखंड	—	411.85
कर्नाटक	139.69	260.60
केरल	126.86	201.00
मध्य प्रदेश	155.40	251.21
महाराष्ट्र	195.54	315.49
मणिपुर	50.66	113.87
मेघालय	75.74	224.37
नागालैंड	61.48	77.61
ओडिशा	143.84	263.65
पंजाब	117.36	199.51
राजस्थान	120.24	210.57
सिक्किम	—	195.52
तमिलनाडु	105.38	218.30
त्रिपुरा	76.25	118.54
उत्तर प्रदेश	130.85	220.61

1	2	3
उत्तराखंड	—	252.61
पश्चिम बंगाल	172.69	228.67

*वर्ष 1999-2000 के लिए वर्तमान/विभाजित बिहार के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

स्रोत: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण संबंधी आंकड़े)।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 का नवीनीकरण

673. **श्री सुरेन्द्र सिंह नागर : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गजियाबाद होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग (सं. 24) के नवीनीकरण/विकास हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित करने में विलंब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) उक्त प्रस्ताव को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) से (ङ) जी, हां। रारा-24 पर गाजियाबाद से गुजरने वाले विद्यमान 4 लेन के कैरिजवे को 6 लेन के कैरिजवे का बनाए जाने के लिए 156.79 करोड़ रुपए का एक संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और उसे बगैर अनुमोदित किए ही वापस कर दिया गया क्योंकि यह कार्य वार्षिक योजना 2012-13 में शामिल नहीं था।

अप्रचालित ई.पी.एफ. खाता

674. **श्री राजेन्द्र अग्रवाल : क्या श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) में जमा धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कर्मचारियों/मजदूरों के बहुत से खातों में कई वर्षों से लेन-देन नहीं हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और उक्त जमा राशि का उसके सही दावेदारों को भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या ई.पी.एफ. खातों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य काफी समय से लंबित है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) में पड़ी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण पर दिया गया है।

(ख) और (ग) संगठन के वर्ष 2011-12 के वार्षिक लेखे (अपरीक्षित) के अनुसार 22,636.57 करोड़ रुपये निष्क्रिय खातों में पड़े हैं। प्रतिष्ठानों से विवरणियां एकत्र की जा रही हैं जिसमें योगदान प्राप्त किए जाते हैं ताकि सदस्यों के खातों को अद्यतन किया जा सके और उन्हें प्रचालित किया जा सके।

भविष्य निधि सदस्यों से दावे प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं ताकि ऐसे निष्क्रिय खातों के दावों को निपटाया जा सके:—

(i) प्रिंट मीडिया तथा इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार करना ताकि सदस्यों को निपटान के लिए उनके दावे दायर करने हेतु शिक्षित किया जा सके।

(ii) नियोक्ता एवं कर्मचारी संघों से अनुरोध किया गया है कि वे सदस्यों को निपटान के लिए उनके दावे दायर करने का परामर्श दें।

वास्तविक दावेदार को भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित सावधानियां बरती गई हैं:—

(i) जहां प्रतिष्ठान प्रचालन में हो प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा दावा फार्मों का सत्यापन अनिवार्य किया गया है।

(ii) उन मामलों में जहां नियोक्ता उपलब्ध नहीं है सदस्य की पहचान करना और बैंक के केवाईसी (अपने उपभोक्ता को जानें) के अंतर्गत कम से कम एक दस्तावेज के

साथ-साथ बैंक प्राधिकारियों द्वारा सत्यापन पर जोर दिया गया है।

(घ) और (ङ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कम्प्यूटरीकरण परियोजना का मौजूदा चरण राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के साथ सहयोग से 2008 में प्रारम्भ किया गया था तथा सभी कार्यालयों में इसे कार्यान्वित किया गया है। दावा निपटान तथा वार्षिक लेखा तैयार करने जैसी आधारभूत सेवाएं कम्प्यूटर पद्धति में की जाती है।

विवरण

31.03.2012 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि में पड़ी राज्य-वार निधियां

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य	कर्मचारी भविष्य निधि में प्राप्त अंशदान
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	16,617.69
2.	बिहार	1,524.37
3.	छत्तीसगढ़	1,369.61
4.	दिल्ली	16,755.42
5.	गोवा	1,449.88
6.	गुजरात	12,765.99
7.	हरियाणा	9,607.89
8.	हिमाचल प्रदेश	1,455.23
9.	झारखंड	1,626.98
10.	कर्नाटक	26,602.91
11.	केरल	5,354.69
12.	मध्य प्रदेश	5,692.99
13.	महाराष्ट्र	54,279.85
14.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	1,640.33
15.	ओडिशा	3,590.76
16.	पंजाब	8,865.30
17.	राजस्थान	5,174.17
18.	तमिलनाडु	21,935.93
19.	उत्तराखंड	1,784.69
20.	उत्तर प्रदेश	10,408.83
21.	पश्चिम बंगाल	11,795.48
	कुल	2,20,298.97

[अनुवाद] एक्सप्रेसवे 696-97

गुजरात में राष्ट्रीय तीव्रगमन-पथ का नेटवर्क

675. श्रीमती दर्शना जरदोश : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात राज्य के औद्योगिकीकरण और पत्तन विकास के मद्देनजर राज्य सरकार से वहां योजित तीव्रगमन-पथ (एक्सप्रेस-वे) नेटवर्क के विस्तार का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गुजरात सरकार ने वर्ष 2009 के दौरान इस मंत्रालय द्वारा तत्कालीन तैयार की जा रही मास्टर प्लान में लगभग 2871 किमी. लंबे सड़क खंडों को शामिल करने के लिए अनुरोध किया था। एक्सप्रेसवे मास्टर प्लान को तैयार करने के लिए नियुक्त किए गए परामर्शदाता की सिफारिशों और गुजरात सरकार के विचारों के आधार पर, मंत्रालय ने गुजरात राज्य से गुजरात वाले निम्नलिखित खंडों को राष्ट्रीय एक्सप्रेसमार्ग कॉरीडोर (i) अहमदाबाद-राजकोट (लंबाई

215 किमी.), (ii) बामनबोर-कांडला (लंबाई 210 किमी.), (iii) सूरत-नागपुर (लंबाई 750 किमी.) और (iv) अहमदाबाद-रतालम (लंबाई 350 किमी.) शामिल कर लिया है।

सशस्त्र बलों में कैरियर

676. **श्री सी. शिवासामी :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र बलों में कैरियर बनाना अब नौजवानों का पंसदीदा विकल्प नहीं रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सशस्त्र बलों की नौकरियों को नौजवानों के लिए आकर्षक बनाने हेतु कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (घ) पिछले कुछ वर्षों के दौरान सशस्त्र बलों में भर्ती होने की इच्छा रखने वाले युवाओं की संख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी है। सरकार ने युवाओं को सशस्त्र बलों में भर्ती होने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें भर्ती रैलियां, मीडिया अभियानों का आयोजन इत्यादि शामिल है। इसके अलावा, सरकार ने सशस्त्र बलों की नौकरियों को युवाओं हेतु और ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इनमें तीन ढांचे में सुधार सहित छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन, विवाहित आवास परियोजना (एमएपी) के माध्यम से अतिरिक्त परिवार आवास तथा सशस्त्र बलों के पदोन्नति अवसरों में सुधार शामिल है।

पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना कार्य की रिपोर्ट

677. **श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन कार्य की रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु कोई कदम उठाया है/कोई कार्रवाई की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एनसीए के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन उप-समूह की अगली बैठक कब किये जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन) : (क) और (ख) सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (एनसीए) के पुनः स्थापन और पुनर्वास उप-समूह के अध्यक्ष भी हैं। अध्यक्ष एनसीए तथा अध्यक्ष आरएण्डआर समूह महाराष्ट्र सरकार से पुनः स्थापन और पुनर्वास कार्य को शीघ्र निपटाने संबंधी उपाय करने के लिए लगातार अनुरोध कर रहे हैं।

दिनांक 12.09.2012 को संपन्न आरएण्डआर उप-समूह की अंतिम बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि महाराष्ट्र सरकार को चरण-I प्रस्ताव से संबंधित शिकायत निवारण प्राधिकरण, महाराष्ट्र द्वारा इंगित खामियों को दुरूस्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए तथा इस संबंध में की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।

(ग) एनसीए के आरएण्डआर उप-समूह की आगामी बैठक महाराष्ट्र सरकार से की गई कार्रवाई रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् आयोजित की जाएगी।

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम में संशोधन

678. **श्री पी. कुमार :** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 और वर्ष 2005 की नियमावली में संशोधन करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त संशोधन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो गया है कि नाविकों का जीवन और अधिक सुरक्षित हो तथा उनकी मृत्यु की दशा में उनके परिवारों को पर्याप्त मुआवजा मिले;

(घ) क्या हाल में समुद्री डकैती और जलपोतों पर आक्रमण की घटराएं बढ़ी हैं और इनमें भारतीय नाविक आसान शिकार बने हैं;

(ङ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) जी, हां।

(ख) वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियमम, 1958 और वाणिज्यिक पोत परिवहन (नाविकों की भर्ती एवं स्थापन) नियम 2005 के संशोधन में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के समुद्री श्रम समझौते 2006 के प्रावधानों को शामिल किया जाना परिकल्पित है जो नाविकों के लिए, काम पर, व्यापक अधिकारों और सुरक्षा का प्रावधान करता है और नाविकों के लिए अच्छी कार्य दशाओं और उनके हितों की रक्षा का लक्ष्य हासिल करने का प्रयत्न करता है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में भारतीय नाविकों के साथ अपहरण किए गए पोतों का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

वर्ष	अपहरण किए गए पोतों की संख्या
2009	5
2010	10
2011	9
2012	4

(च) उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

समुद्री डकैती और जलयानों और भारतीय नाविकों पर आक्रमण की घटनाओं के संबंध में भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

1. सेफ हाऊस/सिटाडेल सहित डकैती रोकने के व्यापक उपायों (सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन प्रणालियों) का प्रावधान करते हुए दिनांक 14.1.2011 का वर्ष 2011 का एम.एस. नोटिस सं. 1 (सं. 44-एनटी(6)/2010) नौवहन महानिदेशालय द्वारा जारी किया गया।

2. वर्ष 2008 से अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना के पोतों द्वारा उपलब्ध करवाई गई नौसेना सुरक्षा के माध्यम से सल्लाह और मामले को जोड़ने वाली रेखा के दक्षिण और पश्चिम जलक्षेत्र में जलयानों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने वाला दिनांक 31.3.2010 का एम.एस. नोटिस 3/2010 (सं. 35-एनटी(2)/2010) नौवहन महानिदेशालय द्वारा जारी किया गया।

3. भारतीय अनन्य आर्थिक ज़ोन और 65 डिग्री पूर्व देशांतर तक पश्चिमी दिशा में भारतीय नौसेना द्वारा निगरानी बढ़ाई गई।

4. भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की सुरक्षा बैठकों, सोमालिया के तट से डकैती पर संपर्क दल और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों में सक्रिया भागीदारी की।

5. बंधक कर्मीदल के कल्याण, उनकी रिहाई और साथ ही उनके मेहनताने का भुगतान जारी रखने के प्रयासों पर जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए पताका राष्ट्र के लिए नवंबर, 2011 में लंदन में हुई अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की एसैंबली बैठक में दस्तावेज संख्या 27/9/1 प्रस्तुत किया गया।

6. समुद्र में भारतीय कर्मी दलों के साथ वाणिज्यिक जलयानों के अपहरण से उपजी बंधक परिस्थिति से निबटने के लिए पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार में एक अंतर मंत्रालयी अधिकारी दल का गठन किया गया है।

700-01

जैविक उत्पादों का निर्यात

679. **श्री नारनभाई कछाड़िया : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश से जैविक उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वनोपज और कृषि उपज-वार अलग-अलग कितने मूल्य के जैविक उत्पादों का निर्यात हुआ है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान जैविक उपज/उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास एजेंसी (एपीईडीए) द्वारा आबंटित कुल धनराशि और उसके व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के अंतर्गत प्रमाणीकरण निकायों द्वारा प्रस्तुत ब्यौरे के अनुसार विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्यात किए गए जैविक उत्पाद का कुल मूल्य निम्नानुसार है:–

वर्ष के दौरान किए निर्यात	मूल्य करोड़ रुपए
2009-10	526.50
2010-11	699.00
2011-12	1866.33*

स्रोत: एपीडा (जैविक वस्त्र हेतु 1027 करोड़ रुपए शामिल है)

एपीडा द्वारा वनोपज एवं कृषि जैविक उपज के निर्यात हेतु अलग डाटा नहीं रखा जाता है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान जैविक उपज/उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एपीडा द्वारा 09.33 करोड़ रुपए का व्यय किया गया, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(मूल्य: करोड़ रुपए)

आयोजन का नाम	2009-10	2010-11	2011-12
जर्मनी में ब्योफैक प्रदर्शनी	1.97	3.62	3.07
एनपीओपी दशक के समाप्ति पर आयोजन	—	0.08	0.08
जैविक लोगों संवर्धन	—	0.51	—
कुल	1.97	4.21	3.15

स्रोत: एपीडा

कच्चा माल सुरक्षा नीति

680. **श्री चंद्रकांत खैरे** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापक कच्चा माल सुरक्षा नीति के अभाव तथा किसानों से कपास की अपर्याप्त मात्रा में आपूर्ति के कारण धागे की आपूर्ति/उत्पादन में कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या भारत के मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं के बीच फैशन की पसंद बदलने के कारण सूती परिधानों की मांग में कमी हुई है; और

(घ) यदि हां, तो सूती वस्त्रों/पोशाकों का उपयोग लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारत एक यार्न अधिशेष देश है। कॉटन यार्न सलाहकार बोर्ड ने वर्ष 2012-13 के लिए 3500.00 मिलियन किग्रा. का अनुमान लगाया है जबकि खपत 2670.00 मिलियन किग्रा. है जिसमें 920 मिलियन किग्रा निर्यात अधिशेष और 90 मिलियन किग्रा. अंतः शेष स्टॉक शामिल है।

(ग) मध्यम श्रेणी उपभोक्ताओं की फैशन तरजीह में परिवर्तन के कारण कॉटन अपैरल की मांग में गिरावट की कोई सचूना नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बीड़ी मजदूर

681. **श्री महाबली सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बीड़ी मजदूरों की संख्या राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) बीड़ी मजदूरों के कल्याण के लिए चलाए जा रहे सभी कार्यक्रमों का राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा प्राप्त उपलब्धि का योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र-प्रायोजित योजना के तहत इन मजदूरों के कल्याण के लिए कुछ नए कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) पूरे देश में बीड़ी कामगारों के लाभ के लिए कार्यान्वित

की जा रही कल्याण योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II, आवास योजना तथा आर्थिक सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-III और वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धि संलग्न विवरण-IV में दी गई गई है।

(ग) और (घ) 12वीं पंचवर्षीय योजना में बीड़ी कामगारों के लिए अब तक कोई केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना प्रारम्भ नहीं की गई है।

विवरण-I

31.07.2011 की स्थिति के अनुसार अनुमानित एवं निर्धारित पुरुष और महिला बीड़ी कामगार

क्षेत्र	राज्य	अनुमानित बीड़ी कामगार			जुलाई 2011 तक जारी पहचान पत्र		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
अजमेर	राजस्थान	4000	46000	50000	3603	36713	40316
	गुजरात	28000	22000	50000	25589	20680	46269
इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	121500	328500	450000	93311	330480	423791
बेंगलुरू	कर्नाटक	36078	209613	245691	25003	206940	231943
	केरल	23420	70522	93942	15092	45442	60534
भुवनेश्वर	ओडिशा	44897	179589	224486	45782	183127	228909
हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	45800	412200	458000	34177	320252	354429
	तमिलनाडु	70000	630000	700000	62140	565111	627251
जबलपुर	मध्य प्रदेश	600000	900000	1500000	408504	612755	1021259
	छत्तीसगढ़	10000	15000	25000	9439	14159	23598
करमा	बिहार	96205	164795	261000	103455	152421	255876
	झारखंड	55010	58990	114000	45678	61251	106929
कोलकाता	पश्चिम बंगाल	690984	1283255	1974239	504038	936070	1440108
	असम	2704	5021	7725	2543	4722	7265
	त्रिपुरा	5581	10365	15946	4333	8047	12380
नागपुर	महाराष्ट्र	51200	204800	256000	49470	197879	247349
कुल		1885379	4540650	6426029	1432157	3696049	5128206

विवरण-II

बीड़ी कामगारों तथा आश्रितों के लिए एक दृष्टि में कल्याण योजनाएं

स्वास्थ्य योजना

क्र. सं.	योजना का नाम	पात्रता बीड़ी कामगारों के लिए 10,000/- रु.	लाभ			अभ्युक्ति
			प्रतिपूर्ति हेतु अधिकतम सीमा	निर्वहन भत्ता	यात्रा व्यय	
1	2	3	4	5	6	7
1.	हृदय रोग	1. कामगारों के लिए तीन वर्ष की लगातार सेवा। 2. अविवाहित बच्चे 21 वर्ष तक। 3. अभिभावक पूर्णत: आश्रित।	यदि प्रबंधन द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य न हो तो 1.30 लाख तक	1. 750/- रु. – 1 आश्रित 2. 1000/- रु. – 1 से अधिक आश्रित (केवल कामगारों के लिए)	यदि संबंधित चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित है तो रोगी तथा अटेंडेंट के लिए वास्तविक द्वितीय श्रेणी रेल भाड़ा	1. कल्याण आयुक्त की पूर्व अनुमति 2. स्वास्थ्य अन्य खर्चों के अंतर्गत व्यय 3. 30,000/- से ऊपर के दावों के लिए मंत्रालय की स्वीकृति
2.	गुर्दा रोग	-वही-	यदि प्रबंधन द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य न हो तो 2 लाख रुपए तक	-वही-	-वही-	-वही-
3.	छोटे रोग:– (केवल कामगार) 1. हर्निया 2. अल्सर 3. अपेन्डेकटॉमी 4. प्रोस्टेट 5. स्त्री रोग	-वही- (आश्रित पात्र नहीं हैं)	यदि प्रबंधन द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य न हो तो 30,000/- रु. तक	लागू नहीं	लागू नहीं	-वही-

1	2	3	4	5	6	7
4.	कैंसर	6 माह की लगातार सेवा	कोई सीमा नहीं	1. 600/- रु.—1 आश्रित 2. 750/- रु.—1 से अधिक आश्रित (केवल कामगारों के लिए	-वही-	-वही-
5.	क्षय रोग	6 माह की लगातार सेवा	अस्पतालों में बिस्तर आरक्षित कराने के लिए प्रति रोगी 20000/- रुपए	1. 250/- रु.—1 आश्रित 2. 200/- रु.—1 से अधिक आश्रित (केवल बीड़ी कामगारों के लिए) 3. 500/- रु.—1 से आश्रित 2. 400/- रु.—1 से अधिक आश्रित (केवल कामगारों के लिए) 9 माह तक	-वही-	-वही-
6.	क्षय रोग का घर पर इलाज	6 माह की लगातार सेवा	दवाइयों के लिए 50/- रु. प्रति माह	1. 600/- रु.—1 आश्रित 2. 750/- रु.—1 से अधिक आश्रित (केवल कामगारों के लिए)		
7.	प्रसूति लाभ	6 माह की लगातार सेवा	प्रथम 2 प्रसवों पर 1000/- रुपए की दर से	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
8.	परिवार कल्याण प्रोत्साहन	6 माह की लगातार सेवा	500/- रुपए	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9.	मानसिक रोग	6 माह की निरंतर सेवा	1. 180/- प्रति भर्ती रोगी	1. 600 रुपये — 1 आश्रित 2. 750 रुपये — अधिक	लागू नहीं	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7
			2. 900/- रुपये अलग से बिस्तर के लिए	आश्रित 3. 25 रुपये – भोजन प्रभारों के लिए (केवल कामगारों हेतु)		
10.	कुष्ठ रोग	6 माह की निरंतर सेवा	1. 30/- भर्ती रोगी के लिए 2. 06/- रुपये बाह्य रोगी के लिए	1. 200 रुपये – 1 आश्रित 2. 300 रुपये – अधिक आश्रित (केवल कामगारों हेतु)	लागू नहीं	लागू नहीं
11.	विधवा/विधुर की पुत्री का विवाह	6 माह की निरंतर सेवा	5000/- रुपये दो पुत्रियों तक सीमित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
12.	अंत्येष्टि संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति	6 माह की निरंतर सेवा	1. 1500 रुपये	-वही-	-वही-	-वही-
13.	चश्मे	सेवा की कोई सीमा नहीं	1. 300/- रुपये नए चश्मों हेतु 2. 20/- रुपये लेंस बदलने हेतु	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

क्र. सं.	योजना का नाम	पात्रता 6500/- रुपये प्रति माह बीड़ी कामगार के लिए	लाभ	अभ्युक्ति
1.	बीड़ी कामगारों हेतु समूह बीमा योजना	पहचान पत्र धारक तथा 18 से 60 वर्ष तक की आयु के कामगार	1. 10,000/- रुपये स्वाभाविक मृत्यु पर 2. 25,000/- रुपये दुर्घटना के कारण मृत्यु या पूर्ण अशक्तता (10,000/- रुपये सिने कामगारों हेतु दुर्घटना के कारण मृत्यु या पूर्ण अशक्तता पर) 3. 12500/- रुपये आंशिक अशक्तता के मामले में।	1. 18/- रुपये प्रति कामगार प्रति वर्ष बीड़ी कामगार कल्याण निधि तथा भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा निधि से। 2. 30/- रुपये प्रति कामगार प्रति वर्ष सिने कामगार कल्याण निधि से।

शैक्षिक योजनाएं

क्र. सं.	योजना का नाम	पात्रता विद्यार्थियों के माता-पिता में से कोई एक कम से कम छः माह के लिए बीड़ी कामगार होना चाहिए और विद्यार्थियों के माता-पिता दोनों की कुल आय सभी भत्तों सहित 10,000/- रुपये प्रतिमाह से अधिक न हो	लाभ			अभ्युक्ति
1.	वर्दी/स्लेटों/किताबों आदि की खरीद हेतु वित्तीय सहायता	श्रेणी I से IV तक के विद्यालय जाने वाले बच्चों को	प्रति विद्यार्थी 250/- रुपये की दर से			
2.	शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता		श्रेणी	छात्राएं	छात्र	
			श्रेणी V से VIII तक	940	500	
			श्रेणी IX	1140	700	
			श्रेणी X	1840	1400	
			श्रेणी XI से XII तक	2440	2000	
			गैर-व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रम; गैर-व्यावसायिक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम; दो-तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम और बीसीए और पीजीडीसीए*	3000	3000	
			व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रम अर्थात् बी.ई./बी.टेक/एमबीबीएस/बीएएमएस/बीयूएमएस/बीएससी (कृषि) और एमसीए/एमबीए*	8000	8000	

मनोरंजन योजना

क्र.सं.	योजना का नाम	पात्रता	लाभ	अभ्युक्तियां
1.	बीड़ी कामगारों के मनोरंजन के लिए बीड़ी सहकारी समितियों को टीवी सैटस की आपूर्ति।	बीड़ी विनिर्माण में लगी और विद्यमान टीवी केन्द्रों की रिसेप्शन रेंज में अवस्थित क्षेत्रों में स्थित सहकारी समितियों को प्रदान किए जाते हैं।	सभी कलपूर्जों सहित टीवी सैट की लागत 10,000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए तथापि, यदि प्रबंधन श्वेत-श्याम टीवी सैट प्रदान करने का इच्छुक हो, सैट की पूरी लागत की प्रतिपूर्ति अधिकतम 4,000/- रुपये के अध्यधीन निधि संगठन द्वारा की जाएगी।	असंगठित क्षेत्र में बीड़ी कामगारों के कल्याणर्थ सामाजिक/वित्तीय सहायता का उपाय विस्तारित करना।
2.	बीड़ी कामगारों (घरखाता बीड़ी कामगारों सहित) के लिए खेल-कूद, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकलाप आयोजित करना।	बीड़ी कामगारों की कुल सघनता 10,000/- अथवा इससे अधिक होनी चाहिए।	40,000/- रुपये भारत सरकार द्वारा यथा अनुमोदित बजट प्रावधान की सीमाओं के अध्यधीन और कल्याण निधि में से चुकाई जाएगी।	उनके थके मांदे शरीर को तरोताजा करना। यह उन्हें अच्छे मानवीय संबंधों के विकास हेतु अत्यावश्यक मानसिक और शारीरिक संतुष्टि की भावना देका।
3.	पुरी में होलीडे होम की योजना	संबंधित कल्याण निधि संगठनों द्वारा कवर किए गए ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय के बीड़ी कामगार, बीड़ी कामगार के पहचान पत्रों में सूचीबद्ध सुविधाएं पाने के पात्र है और निधि द्वारा बिना किसी वित्तीय सुविधाओं के होलीडे होम में ठहरने के पात्र है।	प्रति व्यक्ति 50/- रुपये होलीडे होम आगंतुकों के लिए (रिक्शा व्यय सहित) पर्यटन खर्चे हेतु वित्तीय सहायता	पुरी जो भगवान जगन्नाथ का वास है और चार धामों में से एक है, की पवित्र धरती पर कामगारों/आगंतुकों को अत्यधिक संतुष्टि प्रदान करना।

विवरण-III

आवास योजना

क्र. सं.	योजना का नाम	पात्रता 6500/- रुपये बीड़ी कामगार के लिए	लाभ	अभ्युक्ति
1.	संशोधित एकीकृत आवास योजना 2007	व्यक्तिगत कामगार, राज्य सरकार तथा समूह आवास समितियां	1. आर्थिक सहायता 40000/- रुपये की दर पर 2. जिस कामगार को प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है वह संबंधित क्षेत्र के किसी अनुसूचित बैंक अथवा डाकघर में सावधि जमा के रूप में कामगार अंशदान के 5000/- रुपये जमा कराएगा। सावधि जमा प्रमाण-पत्र/पास बुक कल्याण आयुक्त के पास जमा कराई जाएगी।	
2.	वर्कशेड/गोदाम	बीड़ी कामगारों की ऐसी सहकारी समितियां, जिनके सदस्यों की न्यूनतम संख्या 75 कामगार हो	1.50 लाख की आर्थिक सहायता अथवा वास्तविक लागत का 75%, जो भी कम हो।	1. अनुमानित 750 वर्ग फीट वर्कशेडों हेतु 2. अनुमानित 600 वर्ग फीट गोदामों हेतु

वर्ष 2011-12 के लिए जारी आवास संबंधी आर्थिक सहायता की उपलब्धि

(लाख रुपये)

क्षेत्र	राज्य	मकान	आर्थिक सहायता
अजमेर	राजस्थान	49	9.80
इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	1097	219.40
बंगलुरू	केरल	627	125.40
भुवनेश्वर	ओडिशा	10651	2130.20
	मध्य प्रदेश सरकार	961	192.20
जबलपुर	मध्य प्रदेश	2315	463.00
	छत्तीसगढ़	2050	410.00
कर्मा	झारखंड	473	94.60
	बिहार सरकार	501	100.20
	बिहार	3225	645.00
कोलकाता	पश्चिम बंगाल	2479	495.80
नागपुर	महाराष्ट्र	777	153.06
	कुल	25205	5038.66

विवरण-IV

वास्तविक तथा वित्तीय उपलब्धियां

निधि: बीड़ी कामगार कल्याण निधि **माह: मार्च, 2012** (अनंतिम)

(वित्तीय हजार रुपये)

क्र. सं.	योजनाओं का नाम	अजमेर		इलाहाबाद		बंगलुरू		बीबीएसआर		हैदराबाद		जबलपुर		कर्मा		कोलकाता		नागपुर		कुल	
		वा.	वि.	वा.	वि.	वा.	वि.	वा.	वि.	वा.	वि.	वा.	वि.	वा.	वि.	वा.	वि.	वा.	वि.	वा.	वि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
क.	**समूह बीमा योजना**																				
	जीआईएस के अंतर्गत शामिल कामगार	40000		368355				115540		90000				4380		429444	7730	15000		1062719	7730
	जी.वि.नि. को भेजे गए मामले	88	925	210				173	1835			593	6457			494	4940	85		1643	14157
	निपटाए गए मामले व दी गई राशि	39	390	109	1090			187	2050			0						63	630	398	4160
	अस्वीकृत मामले																			0	0
	जी.बी.नि. के पास शेष मामले	49	170		3350			35	410									22		106	3930
	जी.बी.नि. को दिया गया प्रीमियम	40000	820						2640		1850							15000	300	55000	5610
ख.	**स्वास्थ्य**																			0	0
	औष./अस्प. में इलाज किए गए रोगी	356221		343273		641363	6413	294699		861188	7167	338737		327211	16573	420719	5996	248821	2859	3832232	39008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	अस्प. में औसत बिस्तर संधियोगिता			163		394				158				20610		58				21383	0
	टी.बी. रोगियों का घर पर इलाज					0	0	17	76	7	117	120	511		46	807	3821	2	13	953	4584
	कैंसर का उपचार	5	96	10	335	86	2009	5	110			18	544			29	363	4	171	157	3628
	मानसिक रोगों का इलाज																			0	0
	चश्मे खरीदना	137	47	382	114	28	27	8	2	51	15	273	81	6	2	40	11	190	56	1115	355
	कुष्ठ रोग का उपचार																			0	0
	मातृत्व लाभ	326	326	219	219	2091	2091	692	692	577	606	414	435	0	0	1457	1457	476	476	6252	6302
	परिवार कल्याण आपरेशन	25	13			179	90	36	18	20	10	55	29			82	41	111	56	508	257
	हृदय रोग का इलाज					78	6859	2	142			13	508			3	39	5	536	101	8084
	गुर्दा रोग का उपचार	1	200			57	934	2	211	1	200	1	200					1	39	63	1784
	कृत्रिम अंगों का प्रावधान							15	57											15	57
	दवाइयों की खरीद		3000		11413				7154		8866						5996			0	36429
	एम्बुलेंस वाहन खरीदना																			0	0
	मृत्यु के मामलों में वित्तीय सहायता	193	290	204	306	14	22	280	420		8	830	1245	6	9	778	1167	143	215	2453	3682
	मामूली रोगों का इलाज	3	10	3	51	9	33	17	77							9	38	2	8	43	217
	विधवा/विधुर की पुत्री का विवाह खर्च	56	280	256	1280	6	30	10	50	15	75	202	929			32	160	74	370	651	3174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	स्त्री रोगों का उपचार											1	2							1	2
	अपेंक्डिक्टोमी का इलाज																			0	0
ग.	**शिक्षा**																			0	0
	छात्रवृत्ति दिया जाना	19720	24200	7318	14782	131543	179999	20327	25001	234510	89815	17678	22582	15015	5778	178885	207433	34344	43999	659940	613589
	पुस्तकों/वर्दी की आपूर्ति	4630	1158	186	46	47821	12000	10952	2713			5031	1258	4893	147	8628	2157	6432	1608	88573	21087
	कामगारों को प्रशिक्षण	127	266					210	168	73		80	16							490	450
घ.	**मनोरंजन**																			0	0
	सामा. खेलकूद क्रियाकलाप	4	160									4	138					1	40	9	338
	परिवहन हेतु बस																			0	0
	टी.वी. सैट																			0	0
	फिल्में दिखाया जाना																			0	0
	भ्रमण-सह अध्ययन टूर								0											0	0
	डिश/टी.वी. एंटिना आपूर्ति																			0	0
	बहु-उद्देशीय संस्थानों की स्थापना																			0	0
	कल्याण केन्द्रों की स्थापना																			0	0
	होलीडे होम जाने वाले कामगार							1463	610							404	121			1867	731

[अनुवाद]

वायुसेना के पुराने उपकरण

682. **श्री ए.के.एस. विजयन : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना के लगभग आधे उपकरण पुराने पड़ चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय वायुसेना की रक्षा तैयारी का जायजा लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) भारतीय वायुसेना ने पुराने पड़ चुके अपने उपकरणों की जगह नवीनतम प्रौद्योगिकीयुक्त उपकरण लेने के लिए क्या उपाय किए हैं;

(ङ) क्या भारतीय वायुसेना अभी भी अधिकारियों की कमी का सामना कर रही है; और

(च) यदि हां, तो युवाओं को भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) पुराने उपस्करों का प्रबंधन तक सतत् प्रक्रिया है। यह सुनिश्चित करने के कदम उठाए जाते हैं कि उपस्कर संक्रियाओं के लिए दुरस्त रहें और इनमें वांछित लड़ाकू क्षमता हो।

(ग) भारतीय वायुसेना इसे सौंपे गए शान्तिकालीन और युद्धकालीन कार्यों को कारगर ढंग से पूरा करने में सक्षम है।

(घ) भारतीय वायुसेना के बेड़े का आधुनिकीकरण लगातार चलने वाली क्षमता निर्माण प्रक्रिया का एक भाग है। इसे इसके पुराने हो चुके बेड़ों के उन्नयन और नए हथियार प्लेटफार्म और प्रणालियों को शामिल करके प्राप्त किया जाता है।

(ङ) 01.11.2012 की स्थिति के अनुसार भारतीय वायुसेना में 882 अफसरों की कमी है।

(च) युवाओं को भारतीय वायुसेना में आजीविका का विकल्प अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कई उपाए किए गए हैं जिनमें फास्ट ट्रैक सेलेक्शन (एफटीएस) की शुरूआत, आजीविका मेलों और प्रदर्शनियों, विज्ञापनों, विद्यालय, महाविद्यालयों में प्रेरणादाई व्याख्यानों का आयोजन आदि शामिल हैं। भारतीय वायुसेना की कैरियन बेबसाइट को ऑनलाइन आवेदन करने में समर्थ बनाने हेतु उन्नत बनाया गया है। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टैस्ट (एएफसीएटी) की शुरूआत करके चयन प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है।

[हिन्दी]

ईपीएफ कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण

683. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड और देश के अन्य भागों में स्थित कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण कार्य अभी तक लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) रांची स्थित ईपीएफ कार्यालय ने कम्प्यूटरीकरण कार्य के अनुमोदन के बाद काफी समय बीत जाने के बावजूद इसे न किए जाने का क्या कारण है; और

(घ) रांची स्थित उक्त ईपीएफ कार्यालय सहित देश के सभी ईपीएफ कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण शीघ्र करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोडिकुन्नील सुरेश): (क) से (घ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की आधुनिकीकरण परियोजना राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के सहयोग से 2008 में प्रारंभ की गई थी तथा रांची एवं झारखंड के अन्य कार्यालयों सहित सभी कार्यालयों में इसे कार्यान्वित किया गया है, दावा निपटान तथा वार्षिक लेखा तैयार करने जैसी आधारभूत सेवाएं कम्प्यूटर पद्धति में की जाती हैं।

[अनुवाद]

निर्यात की विविधता

684. **श्री एस. पक्कीरप्पा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डॉलर की मुद्रा वाले देशों को भारत से किए जा रहे निर्यात का प्रतिशत कितना है;

(ख) विविध प्रकार के भिन्न-भिन्न स्थलों में निर्यात के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) भारत के निर्यात की वस्तुगत संरचना क्या है और इस संरचना की प्रस्तुति में विविधता लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) (क) विदेश व्यापार नीति सभी निर्यात ठेकों को मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा अथवा भारतीय रुपयों के मूल्य वर्ग में करने की अनुमति प्रदान करती है। परन्तु निर्यात आय केवल मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त की जाएगी।

(ख) और (ग) 2011-12 में, भारत के मुख्य निर्यात इंजीनियरिंग वस्तुओं, पेट्रोलियम उत्पादों, सिले-सिलाए वस्त्र, रत्न एवं आभूषण और औषधों एवं रसायनों के थे। विविध बाजारों में भारतीय निर्यात में विविधता लाने के लिए फोकस बाजार स्कीम बनायी गई है। फोकस बाजार स्कीम के तहत 119 बाजारों की पहचान की गई है। इससे भिन्न बाजार संबद्ध फोकस उत्पाद स्कीम है। ऐसे बाजारों में निर्यात की ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के रूप में लाभ प्रदान किया जाता है।

सरकार की उच्च निर्यात तीव्रता/रोजगार संभाव्यता वाले उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फोकस उत्पाद स्कीम के तहत विनिर्दिष्ट उत्पादों के निर्यातकों को लाभ प्रदान करती है ताकि इन उत्पादों के विपणन में शामिल अन्य संबद्ध लागतों और अवसंरचनात्मक अदक्षताओं को दूर किया जा सके।

730-34

चाय का निर्यात

685. **श्री सोमेन मित्रा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के देशों को चाय का निर्यात करता है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान निर्यातित कुल चाय का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) 'सार्क' देशों और विश्व के शेष देशों को चाय के निर्यात से अर्जित कुल विदेशी मुद्रा का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान चाय के निर्यात हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अक्तूबर, 2012 माह तक यह लक्ष्य कहां तक प्राप्त हुआ है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा निम्नानुसार है:—

देश	2009-10		2010-11		2011-12 (अ)		2012-13 (अ)*	
	मात्रा (मिलियन किग्रा.)	मूल्य (करोड़ रुपए)	मात्रा (मिलियन किग्रा.)	मूल्य (करोड़ रुपए)	मात्रा (मिलियन किग्रा.)	मूल्य (करोड़ रुपए)	मात्रा (मिलियन किग्रा.)	मूल्य (करोड़ रुपए)
श्रीलंका	5.05	67.62	4.74	70.67	3.43	50.12	0.67	10.56
मालदीव	0.00	0.04	0.00	0.05	0.00	0.06	0.00	0.04
नेपाल	0.00	0.09	0.10	1.40	0.03	0.49	0.07	0.11
पाकिस्तान	8.31	78.89	22.08	132.63	26.08	176.81	9.19	77.37
बांग्लादेश	0.02	1.06	4.25	29.47	2.31	15.50	0.27	0.36
अफगानिस्तान	13.33	98.16	5.19	36.09	0.69	7.14	0.25	2.85
कुल	26.71	245.86	36.36	270.31	32.54	250.12	10.45	91.29

"0" 500 से कम है। (पी) अनन्तिम और पुनरीक्षण के अधीन। *अप्रैल से सितम्बर, 2012 की अवधि के लिए

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सार्क देशों और विश्व के शेष देशों की चाय के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा निम्नानुसार हैं:—

मूल्य मिलियन अमेरिका डॉलर

वर्ष	सार्क देश	विश्व के शेष देश	कुल अर्जन
1	2	3	4
2009-10	51.60	586.20	637.80
2010-11	59.35	598.46	657.81
2011-12 (अ)	52.23	618.72	670.95

देश-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान चाय के निर्यात हेतु 180 मिलियन किग्रा. का लक्ष्य नियत किया गया है। अप्रैल से सितम्बर, 2012 (2012-13) तक निर्यात की गई चाय की मात्रा 81.85 मिलियन किग्रा. (45%) थी जिसका मूल्य 1507.52 करोड़ रुपए था।

विवरण

गत तीन वर्षों की अवधि के दौरान मुख्य देशों में भारतीय चाय का निर्यात

देशों के नाम	2011-12 (अनंतिम)			2010-11			2009-10		
	मात्रा (मिलियन किग्रा.)	मूल्य (करोड़ रुपए	मात्रा (मिलियन किग्रा.)	मूल्य (करोड़ रुपए	मात्रा (मिलियन किग्रा.)	मूल्य (करोड़ रुपए	मात्रा (मिलियन किग्रा.)	मूल्य (करोड़ रुपए	मात्रा (मिलियन किग्रा.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
रूस फेडरेशन	41.76	114.16	2.73	42.55	111.75	2.63	48.35	129.45	2.68
कजाकिस्तान	12.00	41.70	3.47	10.49	35.84	3.42	11.1	35.73	3.22
यूक्रेन	1.80	4.44	2.46	1.82	4.82	2.65	1.78	4.46	2.51
अन्य सीआईएस	2.06	8.33	4.04	0.57	2.16	3.74	0.5	1.7	3.35
कुल सीआईएस	57.62	168.63	2.93	55.43	154.57	2.79	61.73	171.34	2.78
युनाईटेड किंगडम	20.92	68.50	3.27	16.85	54.28	3.22	17.79	50.86	2.86
नीदरलैंड	5.13	17.41	3.40	3.25	14.94	4.6	2.73	13.83	5.06
जर्मनी	6.87	34.79	5.07	5.98	28.39	4.75	3.89	19.4	4.99
आयरलैंड	1.75	11.29	6.46	1.84	13.87	7.52	1.51	10.16	6.71
पौलेंड	3.73	10.28	2.76	4.4	11.78	2.68	3.42	10.81	3.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
यूएसए	12.28	66.25	5.40	11.63	48.63	4.18	9.81	39.35	4.01
कनाडा	1.49	6.62	4.43	2.37	9.79	4.13	2.35	8.4	3.57
यूएई	17.93	67.61	3.77	19.76	69.01	3.49	21.97	67.83	3.09
ईरान	10.92	44.85	4.11	15.89	62.58	3.94	13.28	44	3.31
इराक	0.00	0.00	0.00	3.86	8.7	2.26	17.36	47.27	2.72
साऊदी अरब	3.39	10.40	3.07	2.88	9.04	3.14	2.82	8.28	2.93
एआरई	6.57	12.40	1.89	5.23	9.25	1.77	5.76	11.71	2.03
तुर्की	0.10	0.27	2.80	0.14	0.54	3.83	0.01	0.09	8.29
अफगानिस्तान	0.69	1.49	2.16	5.19	7.93	1.53	13.33	20.6	1.55
सिंगापुर	0.40	1.38	3.46	0.35	1.4	3.99	0.36	1.5'	4.39
श्रीलंका	3.43	10.47	3.05	4.74	15.52	3.27	5.05	14.19	2.81
केन्या	3.19	5.00	1.57	4.07	5.45	1.34	3.09	4.42	1.43
जापान	2.77	20.27	7.33	3.58	21.47	6.01	2.95	16.84	5.71
पाकिस्तान	26.08	36.92	1.42	22.08	29.12	1.32	8.31	16.56	1.99
आस्ट्रेलिया	3.32	20.84	6.29	4.81	28.86	6	4.56	25.49	5.59
अन्य देश	20.46	55.28	2.70	19.46	52.69	2.71	11.35	34.79	3.06
कुल	209.04	670.95	3.21	213.79	657.81	3.08	213.43	637.8	2.99

हिमाचल क्षेत्र में पुल

-133 -35

686. **प्रो. सौगत राय : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमालय क्षेत्र में सड़क पुलों के निर्माण की आवश्यकता का आकलन करने के लिहाज से कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त क्षेत्र में पुल-निर्माण के लिए कोई समय-सीमा नियत की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण) : (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्गों के संपूर्ण नेटवर्क पर पुलों का निर्माण अपेक्षा को पूरा किए जाने के आधार पर तथा विभिन्न वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन किया जाता है। जहां तक हिमालयी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों

पर सड़क पुलों के निर्माण का संबंध है, सीमा सड़क संगठन जिसे हिमालयी क्षेत्र में अधिकांश राष्ट्रीय राजमार्ग सौंपे गए हैं, प्रत्येक वर्ष सड़क पुलों की लगभग 3000 मीटर लंबाई का निर्माण कर रहा है।

735-36

श्रीलंका के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता

687. **श्री एल. राजगोपाल :**
श्री वरुण गांधी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत वर्तमान में श्रीलंका के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) के संबंध में वार्ता कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में दोनों देशों द्वारा किन-किन विवादित मुद्दों पर विचार किया जा रहा है;

(ग) क्या श्रीलंका वर्ष 2000 में मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को सीईपीए में रूपांतरित करने पर सहमत होने के बावजूद, भारत के साथ यह सीईपीए समझौता करने के पक्ष में नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका श्रीलंका के बाजार में भारत की पहुंच पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ङ) क्या भारत ने श्रीलंका के साथ हुए एफ.टी.ए. में किसी परिवर्तन का प्रस्ताव किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) वार्ता कब तक पूरी होने तथा समझौते को अंतिम रूप कब तक किये जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) भारत ने श्रीलंका के साथ व्यापक द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी का प्रस्ताव रखा है। श्रीलंका सरकार वर्तमान में इस मुद्दे से संबंधित स्टेकहोल्डरों को शामिल कर रही है।

(ग) श्रीलंका के सरकार से इस संबंध में कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी दौरा 736

सेना प्रमुख का श्रीलंका दौरा

688. **श्री मानिक टैगोर :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेनाप्रमुख का निकट भविष्य में श्रीलंका का दौरा करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनके इस दौरे का क्या प्रयोजन है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) थल सेनाध्यक्ष को दिसम्बर, 2012 में श्रीलंका का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। सेनाध्यक्षों तथा सशस्त्र सेनाओं के उच्च रैंक के अधिकारियों के उच्चस्तरीय दौरों का आदान-प्रदान श्रीलंका सहित अनेकों देशों के साथ जारी रक्षा संबंधी परस्पर सम्पर्कों का एक हिस्सा है। ऐसे दौरे भारत की सशस्त्र सेनाओं तथा अन्य देशों की सशस्त्र सेनाओं के बीच सद्भावना और विश्वास बढ़ाने के लिए किए जाते हैं तथा ये राष्ट्र हितों को पूरा करते हैं।

[हिन्दी]

736-37

अस्पृश्यता का उन्मूलन

689. **श्री भूदेव चौधरी :**
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री पी. करुणाकरन :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ भागों में अस्पृश्यता की कुप्रथा अभी भी प्रचलित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सामाजिक बुराई को मिटाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक) : (क) से (ग) संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की कुप्रथा के उन्मूलन का प्रावधान है; किसी भी रूप में इसके प्रचलन का निषेध है और विधि के अनुसार यह एक दंडनीय अपराध है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 नामक संसद के एक अधिनियम में अस्पृश्यता के प्रचार एवं प्रचलन से उत्पन्न किसी निर्योग्यता के बाध्यकरण के लिए दंड का निर्धारण है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े के अनुसार, वर्ष 2011 के दौरान, पीसीआर अधिनियम के अंतर्गत पुलिस द्वारा 74 मामले दर्ज किए गए थे।

उक्त अधिनियम का कार्यान्वियन संबंधित राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। इस अधिनियम के उपबंधों का प्रभावी कार्यान्वियन सुनिश्चित करने के मद्देनजर, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें प्रवर्तन तंत्र का सुदृढ़ीकरण, अन्तरजातीय विवाहों के लिए प्रोत्साहन तथा जागरुकता सृजन शामिल है। अधिनियम के उपबंधों को अक्षरश: कार्यान्वित करने के लिए उनसे अनुरोध किया जाता है।

केन्द्रीय सरकार, पीसीआर अधिनियम के उपबंधों को अक्षरश: कार्यान्वित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संबोधित करती रहती है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति, जो वर्ष 2006 में गठित की गई थी, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीसीआर अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा भी करती है। समिति ने अभी तक बीस बैठकें की हैं जिनमें 24 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों में उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई है।

a -137-38

वनों का सामुदायिक स्वामित्व

690. **श्री गोपीनाथ मुंडे :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के जनजातीय क्षेत्रों के वासियों को वनों का सामुदायिक स्वामित्व उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो देश के वन क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय वर्ग के लोगों को वन का सामुदायिक स्वामित्व प्रदान किए जाने का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश के वन क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोगों को वनों का सामुदायिक स्वामित्व उपलब्ध कराने के संबंध में राज्य सरकारों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जो देश में वनक्षेत्रों में वनों का सामुदायिक स्वामित्व उपलब्ध कराने हेतु उन दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन): (क) अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत उन वनवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन-अधिकारों एवं वन-भूमि पर स्वामित्व को मान्यता दी गई है जो पीढ़ियों से वनों में रह रहे हैं परंतु जिनके अधिकारों को मान्यता नहीं मिल पायी थी। इस अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त एक वन अधिकार यह है कि वनवासी अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पारंपरिक वनवासी किसी ऐसे समुदाय वन संसाधन की सुरक्षा, पुनर्सृजन अथवा संरक्षण अथवा प्रबंधन कर सकते हैं जिसका वे सतत् उपयोग हेतु परंपरागत रूप से संरक्षण एवं सुरक्षा करते रहे हैं। हाल में, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इस अधिकार की मान्यता हेतु प्रक्रिया निर्धारित करते हुए दिनांक 6.9.2012 को अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन नियम, 2012 अधिसूचित किया है। इस अधिनियम में देश के जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को वन का सामुदायिक स्वामित्व उपलब्ध कराना परिकल्पित नहीं है।

(ख) से (घ) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

तत्पश्चात्, लोकसभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुनः समवेत हुई।

[डॉ. गिरिजा व्यास *पीठासीन हुईं]*

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.0½ बजे

इस समय श्री आधि शंकर, श्री कल्याण बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदया : कृपया थोड़ी देर के लिये बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदया : कृपया थोड़ी देर के लिये बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदया : अपनी-अपनी जगह बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अपराह्न 12.01 बजे

इस समय श्री रमेश राठौड़ और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.01½ बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

सभापति महोदया : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे। श्री आनन्द शर्मा।

...(व्यवधान)

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) कारपेट एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नोएडा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) कारपेट एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नोएडा के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 7488/15/12]

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) विशाखापटनम पत्तन न्यास, विशाखापटनम के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विशाखापटनम पत्तन न्यास, विशाखापटनम के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) विशाखापटनम पत्तन न्यास, विशाखापटनम के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(चार) विशाखापटनम पत्तन न्यास, विशाखापटनम के वर्ष 2011-2012 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 7489/15/12]

(2) (एक) पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिये* संख्या एल.टी. 7490/15/12]

(3) (एक) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, नवी मुंबई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, नवी मुंबई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, नवी मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(चार) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, नवी मुंबई के वर्ष 2011-2012 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 7491/15/12]

(4) (एक) मुर्मूगाव पत्तन न्यास, गोवा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मुर्मूगाव पत्तन न्यास, गोवा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मुर्मूगाव पत्तन न्यास, गोवा के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(चार) मुर्मूगाव पत्तन न्यास, गोवा के वर्ष 2011-2012 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 7492/15/12]

(5) (एक) न्यू मंगलोर पत्तन न्यास, मंगलोर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) न्यू मंगलोर पत्तन न्यास, मंगलोर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) न्यू मंगलोर पत्तन न्यास, मंगलोर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(चार) न्यू मंगलोर पत्तन न्यास, मंगलोर के वर्ष 2011-2012 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 7493/15/12]

(6) (एक) टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स, मुम्बई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(दो) टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स, मुम्बई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 7494/15/12]

...*(व्यवधान)*

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : मैं उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 30 की उपधारा (4) के अंतर्गत औद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन (संशोधन) नियम, 2012 जो 4 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 740(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल.टी. 7495/15/12]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन) : मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन

[डॉ. एस. जगतरक्षकन]

की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर डेवलपमेंट कारपॅरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 7496/15/12]

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.02 बजे

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

22वां से 25वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री गोबिन्द चन्द्र नास्कर (बनगांव) : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं:-

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा योजना आयोग से संबंधित "अनुसूचित जातियों की उप-योजना का कार्यकरण (एससीएसपी)" के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 22वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) गृह मंत्रालय से संबंधित "एसआरडीएस 2005 और 2007 के दौरान एनडीएमसी के एनएसईएस द्वारा संविदा आधार पर नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति के 10 पूर्व अध्यापकों की सेवा का पर्यवसान" विषय के बारे में 13वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 23वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) से संबंधित "केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और नियोजन" के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 24वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा योजना आयोग से संबंधित "जनजातीय उप-योजना का कार्यकरण (टीएसपी)" के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 25वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.03 बजे

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

231वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री प्रदीप टम्टा (अल्मोड़ा) : महोदया, मैं "भारत वन (संशोधन) विधेयक, 2011" के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 231वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.04 बजे

दूरसंचार लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित विषयों की जांच करने संबंधी समिति के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री पी.सी. चाको (थ्रिसूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि यह सभा दूरसंचार लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित विषयों की जांच करने संबंधी संयुक्त

समिति में डॉ. शशी थरूर और सर्वश्री मनीष तिवारी और अधीर रंजन चौधरी द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के कारण उत्पन्न रिक्तियों पर सर्वश्री वी. अरुण कुमार, भक्त चरण दास और प्रताप सिंह बाजवा को नियुक्त करें।"

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:—

"कि यह सभा दूरसंचार लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित विषयों की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति में डॉ. शशी थरूर और सर्वश्री मनीष तिवारी और अधीर रंजन चौधरी द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के कारण उत्पन्न रिक्तियों पर सर्वश्री वी. अरुण कुमार, भक्त चरण दास और प्रताप सिंह बाजवा को नियुक्त करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.05 बजे

समितियों के लिये निर्वाचन

(एक) प्राक्कलन समिति

[अनुवाद]

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना (दक्षिण गोवा) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से समिति की शेष अवधि के लिए श्री निगोंग ईरींग और श्रीमती रानी नरह जिन्हें मंत्रियों के रूप में नियुक्त किया गया है, के *स्थान* पर प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:—

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से समिति की शेष अवधि के लिए श्री निगोंग ईरींग और श्रीमती रानी नरह जिन्हें मंत्रियों के रूप में नियुक्त किया गया है, के *स्थान* पर प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...*(व्यवधान)*

(दो) लोक लेखा समिति

[हिन्दी]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से समिति की शेष अवधि के लिए श्री सर्वे सत्यनारायण और डॉ. शशी थरूर जिन्हें मंत्रियों के रूप में नियुक्त किया गया है, के *स्थान* पर लोक लेखा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:—

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से समिति की शेष अवधि के लिए श्री सर्वे सत्यनारायण और डॉ. शशी थरूर जिन्हें मंत्रियों के रूप में नियुक्त किया गया है, के *स्थान* पर लोक लेखा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

[अनुवाद]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा

[श्री जगदम्बिका पाल]

समिति की शेष अवधि के लिए श्री तारिक अनवर, जिन्हें मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, के *स्थान* पर इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य के नाम इस सभा को सूचित करे।"

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:—

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा समिति की शेष अवधि के लिए श्री तारिक अनवर, जिन्हें मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, के *स्थान* पर इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

(चार) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

[अनुवाद]

श्री गोबिन्द नास्कर (बनगांव) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ख के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से समिति की शेष अवधि के लिए श्री पी. बलराम नायक जिन्हें मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, के *स्थान* पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य, निर्वाचित करें।"

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:—

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ख के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से समिति की शेष अवधि के लिए श्री पी. बलराम नायक जिन्हें मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, के *स्थान* पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य, निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.08 बजे

नाविकों के राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड के लिए निर्वाचन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन) : महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:—

"कि नाविकों के राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड नियम, 1963 के नियम 4 के उप-नियम (एक) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन नाविकों के राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि नाविकों के राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड नियम, 1963 के नियम 4 के उप-नियम (एक) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन नाविकों के राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.09 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

सभापति महोदया : माननीय सदस्यगण, आज के लिए सूचीबद्ध, नियम 377 के अधीन मामले, सभा पटल पर रखे दिये जाएंगे। माननीय सदस्यगण जो अपने मामलों को सम्मिलित कराना चाहते हैं वे परम्परा के अनुसार व्यक्तिगत रूप से पर्चियां सभा पटल पर तत्काल भिजवा दें।

...*(व्यवधान)*

(एक) देश में नारियल उत्पादकों के समक्ष आ रही समस्याओं का निवारण किए जाने की आवश्यकता

श्री पी.टी. थॉमस (इदुक्की) : मैं सरकार का ध्यान नारियल की कीमत में आई अत्यधिक गिरावट के कारण नारियल किसानों के संघर्ष की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हाल के महीनों में नारियल की कीमत में आई लगातार गिरावट ने इन किसानों को नाजुक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। खाद की ऊंची कीमत और मजदूरी ने स्थिति बदतर कर दी है और किसान नारियल की वर्तमान कीमत पर लागत मूल्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं। शून्य आयात शुल्क के साथ पाम-तेल का आयात नारियल की कीमतों में आई गिरावट का मुख्य कारण है और इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। मैं अनुरोध करता हूं कि इस संकट की स्थिति पर काबू पाने हेतु कच्चे नारियल के लिए आर्थिक सहायता दिए जाने पर विचार किया जाए। किसानों को नारियल की मूल्यवर्धित चीजों के उत्पादन हेतु अधिक समर्थन एवं सहायता दिए जाने की आवश्यकता है। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से आर्थिक सहायता के साथ नारियल तेल के वितरण पर विचार किया जाए।

(दो) आंध्र प्रदेश में धान की खरीद करने वाले महिला स्व-सहायता समूहों को तकनीकी सहायता और सलाह दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी (विजियानगरम) : आंध्र प्रदेश में कुछ महिला स्व-सहायता समूह भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और नागरिक आपूर्ति विभाग की तरह किसानों से सीधे धान खरीद रहे हैं। उनकी प्रापण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए, केन्द्र की उन्हें तकनीकी और सलाहकारी सहायता प्रदान करनी चाहिए। केन्द्र ने आंध्र प्रदेश में लगभग 40 लाख टन धन की खरीद करने का निर्णय लिया है, इसके लक्ष्य के एक तिहाई भाग की खरीद अकेले महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा सीधे किसानों से की जा रही है। इस खरीफ के मौसम के दौरान महिला स्व-सहायता समूहों ने आंध्र प्रदेश राज्य भर में 1034 केन्द्रों के माध्यम से धान खरीदने का निर्णय लिया है। एफसीआई और राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग के पास प्रचूर मात्रा में संभार-तंत्र और मशीनी सहायता, भंडारण क्षमता और अन्य संसाधन हैं, परन्तु बिना किसी प्रकार की सहायता होते हुए भी, महिला स्व-सहायता समूहों ने 2010-11 खरीफ मौसम के दौरान लगभग 7.2 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है।

हालांकि ये महिला स्व-सहायता समूह खरीदारी, किसानों की सहायता करने में सबसे अधिक उत्साह दिखा रहे हैं, परन्तु उनको खरीदे गए धान के भंडारण के लिए सरकार की तरफ से तकनीकी और सलाहकारी सहायता प्राप्त नहीं हो रही है। अतः, मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि इन समूहों को धान की खरीद करने के लिए नमी मापक यंत्र, बोरे, अनाज साफ करने की मशीनें, तारपोलिन कवर और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएं। इन साधनों विशेषकर नमी मापक यंत्र को अनउपलब्धता के परिणामस्वरूप चावल मिल के मालिक इन समूहों से खरीदा हुआ धान स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यदि धान की नमी 17 प्रतिशत या उससे अधिक होती है, नमी दूर करने के लिए धान को सुखाने की प्रक्रिया के बाद वजन करने में भारी हानि होती है। जब खरीदे गए धान का भंडारण खुले में किया जाता है और सर्दी के मौसम में कोहरे के कारण इसकी नमी का स्तर बढ़ जाता है तो भी महिला स्व-सहायता समूहों के करोड़ों रुपये की हानि हो रही हैं।

अतः, मैं इस सम्मानित सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हूं कि आंध्र प्रदेश में महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा अनाज प्रापण प्रणाली द्वारा राष्ट्र विकास और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की भारी संभावना को देखते हुए आवश्यक तकनीकी और सलाहकारी सहायता प्रदान की जाए।

(तीन) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवकों को बैंकों द्वारा दिए जा रहे ऋण की संस्वीकृति की प्रक्रिया को सरल बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री इज्यराज सिंह (कोटा) : प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत बेरोजगार युवकों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए उन्हें सरकारी

*सभा पटल पर रखे माने गये।

[श्री इज्यराज सिंह]

बैंकों से लोन दिए जाने का प्रावधान है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत जिला उद्योग केन्द्र उपरोक्त योजना के तहत बेरोजगार युवकों से आवेदन प्राप्त करते हैं एवं सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आवेदनकर्त्ता को जिले के किसी बैंक से लोन देने हेतु बैंकों को अनुरोध किया जाता है, परंतु मैं बताना चाहता हूं कि जिन बैंकों को लोन देने के लिए अनुरोध किया जाता है, वे बैंक लोन नहीं देते हैं और किसी अन्य बैंकों से लोन प्राप्त करने के लिए कहते हैं। इस तरह से युवकों को लोन के लिए बैंकों के अनेक चक्कर काटने पड़ते हैं एवं मेरे संसदीय क्षेत्रों में बताया गया कि बैंक युवकों से लोन देने के लिए सिक्यूरिटी मांगते हैं जो नियमों के खिलाफ है। बैंकों की मनमानी के कारण यह योजना कारगर रूप नहीं ले पा रही है एवं युवकों में बेरोजगारी बढ़ रही है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो बैंक मनमानी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए एवं प्रधान मंत्री रोजगार योजना को सफल बनाने के लिए जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जिन युवकों को जिन बैंकों से लोन देने का अनुरोध किया है उसका सख्ती से पालन किया जाए।

(चार) केरल के कन्नूर जिले में रसोई गैस विस्फोट में मारे गए और इससे प्रभावित हुए लोगों के निकट संबंधियों को मुआवजे का भुगतान करने हेतु आईओसीएल को निदेश दिए जाने तथा घनी आबादी वाले क्षेत्रों से होकर जाने वाली रसोई गैस की सुरक्षित ढुलाई सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के. सुधाकरण (कन्नूर) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र, कन्नूर में हाल ही में रसोई गैस विस्फोट की एक भयानक घटना हुई जोकि दिनांक 27.08.2012 को रात्रि 11 बजे केरल में कन्नूर जिले के छाला मंदिर के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 पर घटी। इस दर्दनाक हादसे में 21 जानें गई और बहुतों को जीवन भर के लिए जख्मी किया तथा बड़ी संख्या में दुकानों, मकानों, पशुओं, कृषि भूमि के विस्तृत क्षेत्र को गंभीर क्षति पहुंची। राज्य सरकार मारे गए और घायल हुए लोगों के निकट संबंधियों और आश्रितों को प्रतिकर का भुगतान करने के लिए तुरंत आगे आई थी, परन्तु आईओसीएल, जो कि घातक रसोई गैस की सुरक्षित ढुलाई के लिए जिम्मेदार है, ने राज्य सरकार के बार-बार अनुरोध करने के बावजूद भी प्रभावितों के परिवारों को अपने हिस्से की राहत अभी तक प्रदान नहीं की है। मैं केन्द्र से आग्रह करता हूं कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और संबंधित ओएमसी को बिना और देरी किए जिम्मेदारी लेने और प्रभावितों के परिवारों को आर्थिक प्रतिकर का भुगतान करने का निदेश दे। कुछेक दिनों पहले रसोई गैस का एक अन्य टैंकर राष्ट्रीय राजमार्ग के उमी क्षेत्र में पलट गया था, परन्तु सौभाग्यवश गैस का कोई रिसाव और क्षति नहीं हुई। मैं केन्द्र से यह भी आग्रह करता हूं कि ओएमसीज़ की सामूहिक सामाजिक जिम्मेदारी के तौर पर राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ लगे घनी आबादी वाले क्षेत्रों से अत्यंत ज्वलनशील और घातक रसोई गैस की ढुलाई पर कड़े विनियमों को सख्ती से लागू किया जाए। रसोई गैस की ढुलाई के सुरक्षित साधन के तौर पर, रसोई गैस की ढुलाई रेल द्वारा करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाए।

(पांच) एयर इंडिया एक्सप्रेस के निगमित कार्यालय को मुंबई से कोच्चि स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता

श्री एंटो एंटोनी (पथनमथीट्टा) : मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के निगमित कार्यालय को कोच्चि में स्थानांतरित किया जाए। हालांकि एयर इंडिया एक्सप्रेस के निगमित कार्यालय का कोच्चि में उद्घाटन किया गया था और परन्तु वहां पर छह महीने काम हुआ, फिर इसे मुम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया। इसलिए, शेड्यूलिंग, लाइसेंसिंग और रूट रेशनलाईजिंग सहित सभी प्रमुख गतिविधियां मुम्बई में की जा रही हैं। यह नोट किया जाए कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की लगभग 70 प्रतिशत सेवाएं केरल-खाड़ी क्षेत्र में हैं। इससे एयर इंडिया एक्सप्रेस के निर्बाध कार्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि खाड़ी देशों में काम करने वाले केरलवासी, एयर इंडिया एक्सप्रेस की कम कीमतों पर निर्भर हैं। निगमित कार्यालय के केरल में संचालन से इन्हें बड़ी राहत प्राप्त होगी। कोच्चि में मुख्य कार्यालय होने से एयर इंडिया एक्सप्रेस के परिचालन के प्रबंधन में भी सहायता प्राप्त होगी।

(छह) देश के नारियल उत्पादकों के समक्ष आ रही समस्याओं के निवारण हेतु नारियल उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल) : नारियल को दक्षिण भारतीयों द्वारा दैनिक जीवन में प्रयोग लाये जाने वाली सर्वाधिक आवश्यक वस्तुओं में से एक के रूप में माना जाता है। कच्चा नारियल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है और गरी (खोपरा) तेल बनाने के लिए प्रयुक्त होती है जिसका इस्तेमाल आन्तरिक तौर पर होता है। नारियल

की खेती तमिलनाडु के अधिकांश भागों में की जाती है। बहुत से किसानों का जीवन और उनकी आय पूर्णतया नारियल की फसल पर निर्भर करती है। (खोपरा) गरी की मांग दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। परन्तु बहुत से कम कीमत/अलाभकारी कीमत के कारण किसान नारियल/गरी का उत्पादन करने के इच्छुक नहीं हैं।

बिना छिलके के नारियल का न्यूनतम समर्थन मूल्य एक अलाभकारी मूल्य पर निर्धारित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप किसान मूल्य वर्धक कार्यों को अपना रहे हैं जैसे कि गरी (खोपरा) बनाना। उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि, मजदूरी की लागत में कई गुणा वृद्धि और कृषि योग्य भूमि की कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप कृषकों, विशेषकर नारियल उत्पादकों को होने वाली वित्तीय हानियों में वृद्धि हुई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में लागत वृद्धि प्रतिबिम्बित (परिलक्षित) होनी चाहिए।

अत:, मैं संघ सरकार से आग्रह करता हूं कि आवश्यक कार्रवाई की जाए और बिना छिलके के नारियल/गरी इत्यादि के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने हेतु आवश्यक उपायों के साथ आगे आए ताकि नारियल उत्पादकों को हानि न हो।

(सात) वर्तमान मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर 'कामराज मध्याह्न-भोजन योजना' रखे जाने की आवश्यकता

श्री मानिक टैगोर (विरुद्धनगर) : वर्तमान में मध्याह्न भोजन योजना विभिन्न विद्यालयों में लागू-की जा रही है जिसके अंतर्गत विद्यालय के गरीब बच्चों को मुफ्त मध्याह्न भोजन प्रदान/वितरित किया जाता है। यह पहली-बार स्वर्गीय श्री कामराज द्वारा तमिलनाडु में उस समय शुरू की गयी थी जब वह 1954 से 1963 तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे तथा बाद में इसे पूरे देश में लागू किया गया और मध्याह्न भोजन योजना की शुरूआत विद्यालयों के लाखों गरीब बच्चों को प्रतिदिन कम से कम एक बार भोजन देने के लिए शुरू की गई और ऐसा विश्व में पहली बार किया गया है। उन्होंने युवाओं के मन से जाति, मत एवं वर्ग के भेद को समाप्त करने के लिये नि:शुल्क विद्यालय वर्दी (यूनिफॉर्म) की शुरूआत की थी। उनके कार्यकाल के दौरान साक्षरता दर 7 प्रतिशत से बढ़कर 37 प्रतिशत हो गयी थी।

श्री कामराज को अनेक क्षेत्रों में व्यापक ज्ञान प्राप्त था, प्रतिभा थी और उन्हें अशिक्षित प्रतिभावान कहा जाता था।

कामराज के किये गये कार्यों को याद करते हुए एवं उन्हें सम्मान देते हुए केन्द्र सरकार ने 1976 में उन्हें भारत रत्न दिया था। चेन्नै एयरपोर्ट का नाम "कामराज टर्मिनल" और मदुरै यूनिवर्सिटी का नाम 'मदुरै कामराज यूनिवर्सिटी किया गया तथा चेन्नै बीच रोड का नामकरण 'कामराज सलाई' और बेगालुरू नार्थ परेड रोड का नाम 'के कामराज रोड' किया गया था।

उपर्युक्त के मद्देनजर यदि वर्तमान मध्याह्न भोजन योजना का नामकरण 'कामराज मध्याह्न भोजन योजना' किया जाता है तो यह ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार एवं पूरे देश के युवाओं के बीच वर्ग भेद समाप्त कर पुर्नजागरण लाने के लिए उनको एक उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी। इसलिये मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि देश की मौजूदा मध्याह्न भोजन योजना का नाम कामराज मध्याह्न भोजन योजना किया जाए।

(आठ) साबरकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास हेतु पुराने रेलवे स्टेशनों को अन्य स्थानों पर स्थानान्तरित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा) : मेरा संसदीय क्षेत्र साबरकांठा (गुजरात) जोकि एक आदिवासी, दलित एवं पिछड़े लोगों का क्षेत्र है तथा रेल विकास की धरोहर है। आजादी के इतने लंबे अरसे के बाद भी हमारे क्षेत्र में रेलवे का सम्यक विकास नहीं होने के कारण यह क्षेत्र उद्योगों के विकास से वंचित है तथा आर्थिक विकास में लगातार पिछड़ा हुआ है।

महोदय, हमारे क्षेत्र से उदयपुर-हिम्मतनगर-अहमदाबाद रेल लाइन गुजराती है जिसका अभी अमान परिवर्तन का काम शुरू होने वाला है। हिम्मतनगर से उदयपुर रेल लाइन के बीच जो रेलवे स्टेशन पुराने समय में बनाए गए हैं वो सब अनुपयोगी हो चुके हैं तथा इस रेल लाइन पर रेलवे घाटे में चल रही है। मेरी मांग है कि अब जब हिम्मतनगर-उदयपुर अमान परिवर्तन का काम चालू हो गया है तो निम्न रेलवे स्टेशनों का बदलाव किया जाए– 1. विरावाड़ा रेलवे स्टेशन को गांभोई में स्थापित किया जाए। 2. लालपुर रेलवे स्टेशन को टींटोई में स्थापित किया जाए। 3. लुसडीया रेलवे स्टेशन को राधपुर के आसपास स्थापित किया जाए। 4. जगबार रेलवे स्टेशन को दहेगामड़ा गांव के पास स्थापित किया जाए।

[श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण]

मेरा सरकार से निवेदन है कि उक्त स्टेशनों की स्थापना हेतु तत्काल आदेश देकर हमारे पिछड़े क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने की कृपा करें।

755

(नौ) उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित गोरखपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता (नियम 377)

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र के साथ-साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख व्यापारिक और शिक्षा का केन्द्र भी है। लगभग 3 करोड़ से ऊपर आबादी के बीच एकमात्र विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है। गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना सन् 1956-57 में हुई थी। यह विश्वविद्यालय न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश अपितु बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्र की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति का एकमात्र केन्द्र है। राज्य सरकार के संसाधन सीमित होने के कारण शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने और संपूर्ण क्षेत्र के सांस्कृतिक सामाजिक और आर्थिक विकास में विश्वविद्यालय की जो महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए वह अत्यंत ही सीमित रह गई है।

अत: गोरखपुर के धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाए। निर्मला

755-56

(दस) आयरलैंड के अस्पताल में चिकित्सकों की लापरवाही का शिकार हुई भारतीय महिला के निकटतम संबंधियों को मुआवजा दिए जाने तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार दोषियों को सजा दिए जाने हेतु भी कदम उठाए जाने की आवश्ययकता (नियम 377)

श्रीमती ऊषा वर्मा (हरदोई) : एक भारतीय महिला के साथ आयरलैंड के वेस्ट पोर्ट में घटित घटना की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह मामला बहुत गंभीर और संवेदनशील है। एक महिला गर्भावस्था में हुई समस्या के कारण चिकित्सा के लिए आयरलैंड के एक अस्पताल में भर्ती हुई पर वहां के डॉक्टरों ने आयरलैंड के कानून का गलत सहारा लेकर 31 वर्षीय दंतचिकित्सक सविता हलापनावर के खराब हुए भ्रूण को समय से निकालने में असमर्थता जताई थी जिसके कारण सविता के शरीर में जहर फैलने से मौत हो गयी।

महोदय, जिसे पेशे में जीवन रक्षा को सर्वोपरि माना जाता है और जिसका आधार ही जीवन रक्षा है, उस पेशे की यह एक घृणित घटना है। अपने देश के कानून को गलत इंटरप्रेट करके समय पर पीड़ित महिला का गर्भपात न कर उसको मौत के मुंह में ढकेल देना सरासर अमानवीय हैं, 21वीं शताब्दी के इस आधुनिक युग में जहां क्रिटिकल से क्रिटिकल अवस्था में भी समय पर इलाज न मिलने से असमय मौत हो जाना दु:खद और निंदनीय है।

सरकार आयरलैंड में घटित इस घटना पर आवश्यक कदम उठाए, सविता के परिवार को उचित मुआवजा दिलवाए और दोषी लोगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करे जिससे किसी और महिला को इस दर्दनाक दौर से न गुजरना पड़े।

756

(ग्यारह) फतेहपुर सीकरी ओर ताजगंज की जर्जर इमारतों और प्राचीन स्मारकों का पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता (नियम 377)

श्रीमती सीमा उपाध्याय (फतेहपुर सीकरी) : मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थित फतेहपुर सीकरी ओर ताजगंज की सदियों पुरानी इमारतों की स्थिति आज अत्यंत जर्जर अवस्था में है। इन इमारतों में पीढ़ी-दर-पीढ़ी से जो लोग रहते आये हैं, वे डरे-सहमे हुए हैं, क्योंकि वे इनकी मरम्मत खुद नहीं करा सकते। कानूनन इन स्मारकों में कोई किसी प्रकार की मरम्मत और निर्माण कार्य नहीं करा सकता। जो लोग इन स्मारकों में रह रहे हैं उनमें से ज्यादातर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है कि वे कहीं अन्यत्र जा कर मकान बनवाकर रह सकें, वे मजबूर हैं इन जर्जर प्राचीन इमारतों में रहने के लिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इन भवनों की देखरेख करता है और न ही खुद करवा रहा है। लोग असमंजस में हैं कि इन भवनों में वे कैसे अपनी जान जोखिम में डाल कर रहें।

महोदय, संस्कृति मंत्रालय ऐसे जर्जर भवनों का जीर्णोद्धार नहीं करवा रहा है और न ही लोगों को इमारतों की मरम्मत करवाने की अनुमति दे रहा है। ऐसे प्राचीन इमारतों का जीर्णोद्धार करके पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। ऐसा मंत्रालय ने जोधपुर फोर्ट का जीर्णोद्धार करके किया भी है। इससे न सिर्फ पर्यटन उद्योग बढ़ेगा बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार का सुअवसर मिलेगा।

मेरी मांग है कि फतेहपुर सीकरी और ताजगंज की प्राचीन जर्जर इमारतों में मजबूरन अपनी जान जोखिम में डाल कर रह रहे लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जर्जर प्राचीन भवनों की मरम्मत की अनुमति दी जाए या खुद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग अविलंब प्राचीन भवनों की मरम्मत करवाए।

(बारह) तमिलनाडु में तमिलनाडु और केरल सीमा पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के कन्याकुमारी खंड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47ख के नागरकोइल-कावलकिनारू खंड को चार लेन वाला बनाए जाने की प्रक्रिया आरंभ किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती जे. हेलन डेविडसन (कन्याकुमारी) : तमिलनाडु के कन्याकुमारी में 599/0 कि.मी. से लेकर 655/0 कि.मी. तक की 56 कि.मी. की सड़क जीर्ण-शीर्ण हालत में है। नागरकोइल के रास्ते से तमिलनाडु और केरल के बीच की सड़क में हर कि.मी. में पैबन्द लगे हैं और गडढ़े पड़ गए हैं। 56 किलोमीटर की इस सड़क के (अनुरक्षण) रख-रखाव के लिए 1.12 करोड़ रुपए का वार्षिक आबंटन पर्याप्त नहीं है।

कन्याकुमारी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 की बदतरीन हालत के लिए सर्वेक्षण के पश्चात्, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने इस सड़क के रखरखाव के लिए विशेष मरम्मत निधि के अधीन 6.63 करोड़ रुपये की लागत का एक प्रस्ताव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कन्याकुमारी जिले में नागरकोइल से लेकर कावलकिनारू तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47ख की हालत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 से भी बद्तर है। वाहनों के निर्बाध यातायात के लिए इस सड़क की भी सुधारने हेतु पर्याप्त निधियां संस्वीकृत की जाए।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि कन्याकुमारी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के निरीक्षण के लिए उच्च अधिकारियों को भेजा जाए और मेरे निर्वाचन क्षेत्र कन्याकुमारी में 599/0 कि.मी. से लेकर 655/0 कि.मी. के बीच के 56 कि.मी. के इस भाग के नवीकरण और मरम्मत हेतु तुरन्त कार्रवाई की जाए।

नागरकोइल के रास्ते तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 का यह भाग तंग है और उस पर यातायात का भारी दबाव है। हजारों वाहनों को नागरकोइल और त्रिवेन्द्रम के बीच 65 कि.मी. की यात्रा करने में 3 घंटे लगते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एनएचडीपी चरण तीन के अंतर्गत तमिलनाडु में तमिलनाडु और केरल सीमा पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के कन्याकुमारी खंड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47ख के नागरकोइल-कावलकिनारू खंड को चार लेन वाला बनाए जाने के लिए प्रस्ताव किया था।

मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि एनएचडीपी चरण तीन के अंतर्गत तमिलनाडु में तमिलनाडु ओर केरल सीमा पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के कन्याकुमारी खंड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 47ख के नागरकोइल-कावलकिनारू खंड को चार लेन वाला बनाए जाने की प्रक्रिया आरंभ की जाए।

(तेरह) आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 'नीलम' चक्रवात के कारण कपास की फसल को हुई क्षति के बदले किसानों को पर्याप्त प्रतिकर दिए जाने की आवश्यकता

श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी (नरसारावपेट): मैं सरकार का ध्यान 'नीलम' चक्रवात की तबाही की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भारी तबाही मचाई।

आंध्र प्रदेश में, किसानों को अत्यधिक नुकसान हुआ है, क्योंकि उनकी जमीनें बाढ़ के पानी में जलमग्न हो गई थी। धान, कपास, मिर्ची और अन्य फसलें डूब गई थी। बहुत से लोग अपने मकान और आशियाने खो चुके हैं। संप्रग सरकार ने नुकसान (क्षति) का आकलन करने के लिए अपनी टीम आज तक नहीं भेजी है ताकि 'नीलम' चक्रवात से प्रभावित लोगों के लिए पर्याप्त प्रतिकर और अन्य आवश्यक सहायता जारी करने के लिए एक रिपोर्ट बनाई जाए।

'नीलम' चक्रचात के कारण कपास की फसल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई थी परंतु भारतीय कपास निगम ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में क्रोसुरू और मचरला केन्द्रों (यार्डों) में कपास खरीदना बन्द कर दिया है। वास्तव में, किसानों की सहायता करने के लिए इसे अतिरिक्त खरीद केन्द्र आरंभ करने थे। दुर्भाग्यवश, मौजूदा दो केन्द्र भी बंद कर दिए गए हैं। इस संबंध में राज्य सरकार को निदेश दिया जाए कि किसानों से खराब और विरंजित फसल खरीद ला जाएं। इसके साथ-साथ, सरकार को उन लोगों के लिए पक्के मकानों के निर्माण की पहल करनी है जोकि झोंपड़ों और प्रभावित क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं।

फसली ऋणों पर ब्याज के ऋण स्थगन की घोषणा करने, कृषि ऋणों को पुन:निर्धारण करने, रबी फसलों हेतु नए ऋण स्वीकृत करने और काश्तकारों को प्रतिकर का सीधे भुगतान करने की तत्काल आवश्यकता है। किसानों और उनके परिवारों के पास जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में 44 से अधिक लोग पहले ही मर चुके हैं और लाखों परिवारों को सरकारी सहायता की जरूरत है।

[श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी]

सरकार आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में रोम्पिचर्ला, इपुरू, करेमपुड़ी, वेलदुर्थी, मुप्पल्ला और रेंताचिंतला मंडलों को सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर चुकी है, परंतु जिन कपास उत्पादकों को 10000/- रुपये से लेकर 15000/- रुपये तक प्रति एकड़ का भारी नुकसान हुआ है उनके लिए अभी तक किसी सहायता की घोषणा नहीं की गई।

जमीनों को डूबने से बचाने के लिए नदी-तलों को सुदृढ़ करने, डेल्टा नहरों के उन्नयन में तीव्रता लाने; गुंटुर जिले के कोण्डावीतिवागु के बाढ़ के पानी का मार्ग परिवर्तित करके उसे बंकिंग्पालम नहर में डालने की तत्काल आवश्यकता है।

(चौदह) देश में गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए गेहूं का लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री जयंत चौधरी (मथुरा) : एक ओर जहां रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में इस वर्ष वृद्धि की गई है, वहीं दूसरी ओर, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) ने गेहूं के एमएसपी को विगत वर्ष के गेहूं के एमएसपी पर ही स्थिर रखने की सिफारिश की है। गेहूं हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का एक प्रमुख घटक है तथा अधिप्राप्ति से ही खाद्यान्न के बाजार की दशा-दिशा तय होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहन-सहन की लागत तथा डीजल एवं उर्वरकों की कीमत में वृद्धि हो जाने के दृष्टिगत, किसान राहत के लिये सरकार की ओर देख रहे हैं।

पर्याप्त भंडारण न होने और अत्यंत नियंत्रित निर्यात नीति के परिणामस्वरूप गेहूं सड़कर खराब हुई है। बफर मानदंडों के लिहाज से अनाज का आवश्यकता से अधिक भंडारण आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से अवांछनीय है तथा ऐसा किया जाना गेहूं की बड़े पैमाने पर अधिप्राप्ति अथवा उसके लिये 'अधिक' कीमत का भुगतान किया जाना सरकार के लिये हतोत्साहन की बात है। यदि गेहूं वे एमएसपी को स्थिर कर दिये जाने का उद्देश्य फसल विविधिकरण को प्रोत्साहन देना ही है तो गेहूं उत्पादन के हतोत्साहन की बजाय नीतिगत उपायों के माध्यम से अन्य फसलों के पत्र में सकारात्मक अभिनति एक बेहतर दृष्टिकोण हो सकता है। सरकार से मेरा यह आग्रह है कि गेहूं के लिये एक लाभकारी एमएसपी की योजना की जाये ताकि ग्रामीण लोगों द्वारा झेले जाने वाले आर्थिक बोझ, बढ़ती आदान लागतों को कम किया जा सके तथा साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि गेहूं का उत्पादन प्रभावित न हो।

(पन्द्रह) असम में रंगीया और तेजपुर के बीच रेल सेवाओं को प्रचालनात्मक बनाए जाने तथा रंगीया और मुर्कोंसेलीक के बीच आमान परिवर्तन के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री जोसेफ टोप्पो (तेजपुर) : मैं, रेल बजट 2012-13 में रंगीया-मुर्कोंसेलीक आमान-परिवर्तन परियोजना के एक खंड रंगीया-रंगापारा-तेजपुर (126 किमी.) के बीच चलाये जाने हेतु घोषित की गई तीन नई रेलगाड़ियों का प्रचालन आरंभ किये जाने की आवश्यकता से संबंधित लोक महत्व का मुद्दा उठा रहा हूं। भारत-चीन सीमा से लगती रंगीया-मुर्कोंसेलीक रेल लाइन हमारे देश के अत्यंत पिछड़े एवं संवेदनशील भाग को कवर किये हुये है। राष्ट्रीय परियोजना के एक भाग के रूप में आमान-परिवर्तन कार्य की वजह से रेलगाड़ी सेवा को पिछले तीन वर्षों से बंद कर दिया गया। भारत-चीन सीमा तक आवागमन के लिये सुरक्षा की दृष्टि से तथा साथ ही अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों से लगते असम के बीटीएडी, सोनीतूर, लखीमपुर एवं धीमात्री जिले के इन पिछड़े स्थल-रूद्ध जनजातीय एवं बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में सेवाएं बहाली की दृष्टि से भी इन रेल सेवाओं को शीघ्र आरंभ किया जाना अति महत्वपूर्ण है।

अत:, मैं आग्रह करता हूं कि रंगीया-तेजपुर, जिसके लिये आमान-परिवर्तन का कार्य पहले ही संपूर्ण हो चुका है, के मध्य घोषित रेल सेवाएं आरंभ की जायें और मुर्कोंसेलीक तक आमान परिवर्तन कार्य को समय पर पूरा करने हेतु उसमें तीव्रता लाई जाये जोकि देश के सर्वोत्तम हित में होगा।

अपराह्न 12.10 बजे

केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मद संख्या 15. श्री एम.एम. पल्लम राजू।

...*(व्यवधान)*

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 26.11.2012 में प्रकाशित।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...*(व्यवधान)*

श्री एम.एम. पल्लम राजू : महोदया, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदया : आप कृपया कुछ देर के लिये बैठ जाइए। बहुत सारे मैटर्स हैं जिन्हें हमें डिसकस करना है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया : सभा कल 27 नवंबर, 2012 को पूर्वाहन 11 बजे पुन: समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

अपराह्न 12.11 बजे

तत्पश्चात, लोक सभा मंगलवार, 27 नवंबर, 2012/ 6 अग्रहायण, 1934 (शक) के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री एल. राजगोपाल श्री के. सुगुमार	41
2.	श्री मानिक टैगोर श्री कामेश्वर बैठा	42
3.	श्री भूदेव चौधरी श्री पोन्नम प्रभाकर	43
4.	श्री एस. अलागिरी श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	44
5.	श्री महेश जोशी श्री ए.टी. नाना पाटील	45
6.	शेख सैदुल हक श्री एस.आर. जेयदुरई	46
7.	श्री निशिकांत दुबे श्री पी.के. बिजू	47
8.	श्री सज्जन वर्मा श्री यशवंत लागुरी	48
9.	श्री दिनेश चन्द्र यादव डॉ. मुरली मनोहर जोशी	49
10.	श्री गणेश सिंह श्री नारनभाई कछाड़िया	50
11.	श्री तूफानी सरोज	51
12.	श्रीमती मेनका गांधी	52
13.	श्री समीर भुजबल	53
14.	श्री संजय निरूपम श्री एस.एस. रामासुब्बू	54
15.	श्री भक्त चरण दास श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	55
16.	श्री सी. राजेन्द्रन श्री रवनीत सिंह	56
17.	प्रो. सौगत राय श्री ए. गणेशमूर्ति	57
18.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	58
19.	श्रीमती जे. हेलन डेविडसन डॉ. बलीराम	59
20.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	60

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए. साई प्रताप	613
2.	श्री ए.के.एस. विजयन	522, 583, 649, 682
3.	श्री बसुदेव आचार्य	555, 689

1	2	3
4.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	537, 590, 607, 623
5.	श्री आधि शंकर	547
6.	श्री आनंदराव अडसुल	537, 590, 607, 623
7.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	583, 593, 594, 634
8.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	509, 544, 626, 641, 674
9.	श्री हंसराज गं. अहीर	487, 544, 580, 661
10.	श्री बदरुद्दीन अजमल	484, 658
11.	श्री नारायण सिंह अमलाबे	578
12.	श्री एम. आनंदन	475, 531, 627
13.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	619
14.	श्री सुरेश अंगडी	475, 531, 627
15.	श्री गजानन ध. बाबर	537, 590, 607, 623
16.	श्री रमेश बैस	553
17.	श्री कामेश्वर बैठा	626, 638
18.	श्री संजय भोई	621, 624
19.	श्री समीर भुजबल	639
20.	श्री पी.के. बिजू	544
21.	श्री हेमानंद बिसवाल	514
22.	श्री सी. शिवासामी	516, 620, 676
23.	श्री हरीश चौधरी	545, 556, 625
24.	श्री जयंत चौधरी	477, 651
25.	श्री अरविन्द कुमार चौधरी	632

1	2	3
26.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	468, 555, 615
27	श्री संजय सिंह चौहान	592
28	श्री दारा सिंह चौहान	569, 597
29	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	479, 536, 569, 654
30.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	538, 566, 622
31.	श्री भूदेव चौधरी	534, 614, 689
32.	श्रीमती श्रुति चौधरी	467, 642
33.	श्री खगेन दास	572, 595, 635
34.	श्री राम सुन्दर दास	471, 532, 629, 646
35.	श्री गुरुदास दासगुप्त	544, 582, 613
36.	श्रीमती जे. हेलन डेविडसन	615
37.	श्री कालीकेश नारायण सिंह देव	585
38.	श्री के.डी. देशमुख	569, 626
39.	श्रीमती रमा देवी	493, 572
40.	श्री के.पी. धनपालन	513, 602
41.	श्री आर. ध्रुवनारायण	617
42.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	462, 581, 636
43.	डॉ. रामचन्द्र डोम	564
44.	श्री निशिकांत दुबे	569
45.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	543, 626
46.	श्रीमती प्रिया दत्त	489
47.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	463, 635

1	2	3
48.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	538, 621, 622, 624
49.	श्री वरुण गांधी	547, 567, 627, 687
50.	श्री ए. गणेशमूर्ति	566, 622
51.	श्री एल. राजगोपाल	687
52.	श्री शिवराम गौडा	540, 628
53.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	557, 579
54.	शेख सैदुल हक	615
55.	श्री महेश्वर हजारी	544, 630
56.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	528, 539, 544, 567
57.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	535, 573
58.	श्री बलीराम जाधव	536, 618
59.	डॉ. मन्दा जगन्नाथ	556
60.	डॉ. संजय जायसवाल	594
61.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	571, 572
62.	श्री बद्रीराम जाखड़	496, 632
63.	श्रीमती दर्शना जरदोश	512, 675
64.	श्री हरिभाऊ जावले	481, 532, 574
65.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	619
66.	श्री प्रहलाद जोशी	618
67.	श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश	545
68.	श्री सुरेश कलमाडी	546
69.	श्री पी. करुणाकरन	555, 564, 689

1	2	3
70.	श्री कपिल मुनि करवारिया	471, 532, 580, 629, 646
71.	श्री वीरेन्द्र कश्यप	526
72.	श्री राम सिंह कस्वां	518, 536
73.	श्री नलिन कुमार कटील	634
74.	श्री काट्टी रमेश विश्वनाथ	534
75.	श्री चंद्रकांत खैरे	520, 544, 626, 635, 680
76.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	510, 544
77.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	491, 626, 689
78	श्री विश्व मोहन कुमार	583
79	श्री अजय कुमार	576, 599, 626
80.	श्री पी. कुमार	519, 570, 678
81.	श्री यशवंत लागुरी	538, 618, 633
82.	श्री पी. लिंगम	544, 582, 613
83.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	465, 544, 557, 641
84.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	600
85.	श्री नरहरि महतो	570, 599, 636
86.	श्री भर्तृहरि महताब	544, 560, 614, 621
87.	श्री प्रदीप माझी	551, 560, 576
88.	श्री मंगनी लाल मंडल	532, 562
89.	श्री जोस के. मणि	506, 557
90.	श्री हरि मांझी	553
91.	श्री दत्ता मेघे	548

1	2	3
92.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	492, 628, 664
93.	श्री महाबल मिश्रा	605, 631
94.	श्री सोमेन मित्रा	525, 658, 685
95.	श्री गोपीनाथ मुंडे	544, 580, 690
96.	श्री विलास मुत्तेमवार	631
97.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	504, 632, 634, 673
98.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	541, 627, 628
99.	श्री इन्दर सिंह नामधारी	563
100.	श्री नारनभाई कछाड़िया	572, 618, 679
101.	श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव	533
102.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	473, 486, 649
103.	श्री पी.आर. नटराजन	501, 568, 670
104.	श्री वैजयंत पांडा	529, 561, 588, 635
105.	श्री प्रबोध पांडा	574, 610, 626
106.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	523, 683
107.	कुमारी सरोज पाण्डेय	499, 626, 635, 668
108.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	538, 560, 621, 622, 624
109.	श्री कमलेश पासवान	539, 626
110.	डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी	620
111.	श्री देवजी एम. पटेल	507, 632
112.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	517, 677
113	श्री बाल कुमार पटेल	508

1	2	3
114.	श्री किसनभाई वी. पटेल	551, 560, 576
115.	श्री हरिन पाठक	527
116.	श्री संजय दिना पाटील	628
117.	श्रीमती भावना पाटील गवली	626
118.	श्री सी.आर. पाटिल	495, 666
119.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	538, 621, 622, 624
120.	श्रीमती कमला देवी पटले	502, 618, 633, 671
121.	श्री पोन्नम प्रभाकर	643
122.	श्री नित्यानंद प्रधान	485, 659
123.	श्री पन्ना लाल पुनिया	464, 557, 640
124.	श्री एम.के. राघवन	602, 621, 627
125.	श्री अब्दुल रहमान	557, 579, 601
126.	श्री सी. राजेन्द्रन	628, 662
127.	श्री एम.बी. राजेश	542, 545, 564, 598
128.	श्री रामकिशुन	461
129.	श्री निलेश नारायण राणे	511, 539, 599
130.	श्री रायापति सांबासिवा राव	552, 643
131.	श्री जे.एम. आरुन रशीद	596
132.	श्री रामसिंह राठवा	480, 570
133.	डॉ. रत्ना डे	559
134.	श्री अशोक कुमार रावत	577
135.	श्री अर्जुन राय	594

1	2	3
136.	श्री रुद्रमाधव राय	580, 620, 637
137.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	476, 527, 636, 650
138.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	653
139.	श्री एम. राजा मोहन रेड्डी	466
140.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	558, 636
141.	श्री महेन्द्र कुमार राय	637
142.	प्रो. सौगत राय	548, 616, 686
143.	श्री एस. अलागिरी	644
144.	श्री एस. सेम्मलई	557
145.	श्री एस. पक्कीरप्पा	524, 684
146.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	531, 544, 626, 657
147.	श्री तकाम संजय	586
148.	श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना	587, 626
149.	श्रीमती सुशीला सरोज	544
150.	श्री हमदुल्लाह सईद	470, 557, 645
151	श्री अर्जुन चरण सेठी	604
152.	श्री जगदीश शर्मा	561, 631
153.	श्री नीरज शेखर	544, 550, 616, 620, 626
154.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	503, 617, 643, 672
155.	श्री राजू शेट्टी	635
156.	श्री एंटो एंटोनी	574, 588
157.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	472, 647

1	2	3
158.	डॉ. भोला सिंह	575
159.	श्री भूपेन्द्र सिंह	500, 580, 669
160.	श्री इज्यराज सिंह	538, 545, 556, 572
161.	श्री जगदानंद सिंह	589, 632
162.	श्री महाबली सिंह	521, 578, 681
163.	श्री मुरारी लाल सिंह	482
164.	श्री राधा मोहन सिंह	612, 614, 637
165.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	608
166.	श्री रतन सिंह	572, 573, 606
167.	श्री रवनीत सिंह	557, 615, 648, 548
168.	श्री सुशील कुमार सिंह	609
169.	श्री उदय सिंह	498, 553, 620, 667
170.	श्री यशवीर सिंह	544, 550, 620, 626, 616
171.	श्री धनंजय सिंह	568
172.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	615
173.	राजकुमारी रत्ना सिंह	535
174.	श्री उदय प्रताप सिंह	611
175.	श्री विजय बहादुर सिंह	632
176.	डॉ. संजय सिंह	571
177.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	474, 643
178.	श्री ई.जी. सुगावनम	486, 560, 571, 660
179.	श्री के. सुगुमार	576, 621

1	2	3
180.	श्रीमती सुप्रिया सुले	627
181.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	490, 660
182.	श्री मानिक टैगोर	613, 688
183.	श्रीमती अन्नू टन्डन	497
184.	श्री बिभू प्रसाद तराई	574, 626
185.	श्री जगदीश ठाकोर	549, 594
186.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	488, 557, 663
187.	श्री आर. थामराईसेलवन	483, 544, 615, 656
188.	डॉ. एम. तम्बिदुरई	555, 583, 603
189.	श्री पी.टी. थॉमस	565
190.	श्री मनोहर तिरकी	558, 570, 599, 636
191.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	494, 665
192.	श्री लक्ष्मण टुडु	633
193.	श्री शिवकुमार उदासी	584, 626, 633, 634
194.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	544, 630
195.	श्री हर्ष वर्धन	591
196.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	469, 625, 644
197.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	531, 655
198.	श्रीमती ऊषा वर्मा	544, 630
199.	श्री वीरेन्द्र कुमार	532, 628
200.	श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ	581, 584, 626, 633
201.	श्री पी. विश्वनाथन	478, 652

1	2	3
202.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	515, 615, 626
203.	श्री अंजनकुमार एम. यादव	505
204.	श्री धर्मेन्द्र यादव	537, 590, 607, 623
205.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	615
206.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	530, 555
207.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	542
208.	श्री मधु गौड यास्खी	551
209.	योगी आदित्यनाथ	534, 554, 626, 630

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	43, 48, 49, 55, 58
रक्षा	:	46, 57
पर्यावरण और वन	:	42, 45, 52, 56, 59
श्रम और रोजगार	:	47, 60
सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	50, 54
पोत परिवहन	:	
सामाजिक न्याय ओर अधिकारिता	:	41, 51, 53
इस्पात	:	
वस्त्र	:	44.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	468, 474, 483, 486, 503, 504, 508, 511, 527, 528, 532, 533, 538, 541, 542, 544, 547, 549, 552, 576, 578, 586, 587, 590, 596, 602, 615, 621, 627, 649, 656, 664, 666, 679, 684, 685, 687
रक्षा	:	462, 463, 473, 478, 481, 494, 496, 498, 499, 513, 516, 518, 524, 553, 554, 556, 559, 562, 564, 566, 577, 580, 585, 591, 598, 601, 610, 611, 612, 620, 631, 639, 642, 645, 648, 652, 654, 659, 667, 676, 682, 688
पर्यावरण और वन	:	465, 477, 482, 484, 489, 490, 491, 497, 500, 502, 506, 509, 510, 514, 517, 520, 534, 537, 546, 555, 560, 561, 573, 581, 582, 588, 589, 593, 603, 613, 623, 625, 628, 637, 643, 646, 651, 657, 658, 661, 690
श्रम और रोजगार	:	461, 479, 487, 501, 521, 530, 531, 540, 565, 568, 574, 595, 619, 634, 655, 662, 663, 665, 670, 672, 674, 681, 683

सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	464, 466, 476, 485, 488, 495, 505, 507, 512, 523, 526, 535, 543, 557, 563, 572, 579, 592, 600, 604, 606, 607, 608, 614, 618, 622, 624, 626, 632, 640, 669, 671, 673, 675, 686
पोत परिवहन	:	470, 480, 492, 519, 522, 558, 570, 617, 629, 644, 647, 650, 660, 678
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	467, 469, 493, 515, 525, 529, 536, 548, 575, 583, 584, 594, 605, 609, 616, 630, 633, 638, 641, 677, 689
इस्पात	:	471, 472, 475, 550
वस्त्र	:	539, 545, 551, 567, 569, 571, 597, 599, 635, 636, 653, 667, 668, 680

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in
http://www.loksabha.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/29/3/2012 (एन०)
360

© 2012 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।